

आगेतक पीछा किया जाय और कुछ समय और छोड़ा जाय । यह सत्य है कि पुलिसवाले इन लोगोंकी तलाशमें थे, किन्तु ये सभी चम्बईमें न थे ।

श्री बालकृष्ण शर्मा—यदि इस सूचनासे मामलेकी छानबीनकी काररवाईपर कोई प्रभाव न पड़े तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि नथूराम गोडसे वायुयानद्वारा दिल्ली वापस आया ?

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—मेरे ख्यालमें जिन बातोंकी अभी जाँच पड़ताल हो रही है उनपर प्रकाश डालना अनुचित होगा ।

श्री देशबन्धु गुप्त—यदि यह सच है कि पहले गिरफ्तार किये गये व्यक्तिने हत्यारेका नाम बताया था तो क्या दिल्ली सी० आर्द० डी० के लिए चम्बईसे उसका फोटो प्राप्त करना सम्भव न था । बादमें इस फोटोकी प्रतिलिपियाँ प्रार्थना-सभामें देखरेख करनेवाले व्यक्तियोंको दे दी जाती ताकि देख-रेख करनेवाले लोग हत्यारेको पहचानकर उसकी समयके भीतर गिरफ्तारी कर लेते ।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—दिल्ली पुलिसने जानकारी प्राप्त करनेके बाद यही किया कि उसने इन व्यक्तियोंका पता लगाया । पर सभी व्यक्ति एक ही जगह नहीं थे और उनके फोटो लेना सम्भव न था ।

श्री एल० कृष्णस्वामी भारती—क्या यह सत्य है कि इस सरकारकी चम्बई पुलिसने सूचना दी थी कि एक बुरे चालचलनवाला व्यक्ति पड़यंत्रके सिलसिलेमें चम्बईसे रवाना हो चुका है ?

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—यह सच नहीं है ।

श्री एच० बी० कामत—क्या सरकारको ज्ञात है कि हमपर जो मुसीबत पड़ी है उसके परिणामस्वरूप कतिपय दल और व्यक्ति सम्पूर्ण दोषारोपण केवल गृहमंत्रीपर कर रहे हैं और इस प्रकार मंत्रि-मंडल तथा जनताकी विचारधारामें फूट डालनेका प्रयत्न कर रहे हैं ?

अध्यक्ष—चुप रहिये, दूसरा प्रश्न ।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पुलिसको जिस व्यक्तिकी रक्षा करनेका आदेश किया जाता है उसकी सुविधाके सम्बन्धमें सलाह लेनेकी रीति कहाँतक वर्तनी जाती है ? सच तो यह है कि इस सम्बन्धमें गवर्नर-जनरल या गवर्नरसे भी सलाह नहीं ली जाती ।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—जहाँतक वर्तमान मामलेका सम्बन्ध है, सम्बन्धित व्यक्ति सिचु कोटिके थे और ऐसी अवस्थामें पुलिसके लिए उनसे सलाह लिये बिना कुछ करना सम्भव न था ।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—किन्तु जो घटना हुई है, उसका ख्याल करते हुए, क्या मन्त्री महोदय ऐसा प्रवन्ध करेंगे कि रक्षा-व्यवस्थाका पूरा प्रबन्ध पुलिसके हाथमें छोड़ दिया जाय ?

अध्यक्ष - शान्ति, शान्ति । यह तो आप बहस करने लगे ।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—मैं केवल यह कह रहा हूँ कि भविष्यमें यह मामला पुलिसके ही विवेक और बुद्धिपर छोड़ दिया जाय ।

अध्यक्ष—स्पष्ट है कि यह बात तो बहुत-कुछ सम्बन्धित व्यक्तिपर निर्भर करेगी ।

श्री बालकृष्ण शर्मा—वस्तुतः माननीय स्वराष्ट्र-मन्त्रीने उत्तरमें बताया है कि हमारे मन्त्रियोंकी रक्षाका प्रवन्ध उनकी इच्छाओंके अनुकूल किया गया है । मेरी अर्ज है कि हमारे कुछ मन्त्री ऐसे भी हैं, इस मामलेमें जिनकी इच्छाओंका ख्याल न किया जाना चाहिये, क्योंकि.....

अध्यक्ष—यह तो तथ्य जानना न हुआ, बल्कि दलील करना हुआ ।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कैसे हुआ कि हत्यारेको पकड़नेके लिए सबसे पहले रग्वू मालीने ही हाथापाई की और पुलिस तो कुछ देर बाद पहुँची । उस समय पुलिस कहाँ थी ?

माननीय सरदार पटेल—मैं नहीं कह सकता कि पहले पुलिस आयी या पहले माली आयी । यह तो अखबारकी एक खबर मात्र है ।

अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि इस मामलेके सम्बन्धमें अधिक विस्तारके साथ बातें न की जानी चाहिये । न तो यह स्पष्टता ही है और न इसमें सार्वजनिक हित ही है ।

### ग्रह-मन्त्रीकी अपील

हत्याके बाद देशमें जगह-जगह गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं । अखबारोंमें हत्याके प्रत्यक्षके सम्बन्धमें तरह-तरहकी बातें छपने लगीं । इसपर प्रान्तीय सरकारोंने आदेश निकालकर हत्याकी जाँचके बारेमें कोई चीज छापनेकी मनाही कर दी । हत्याका बदला लेनेका वहाना कर कई स्थानोंमें, विशेषकर बम्बई प्रान्त और कोल्हा-पुर रियासतमें कुछ, गुमराह लोगोंने गुण्डागिरीके काम शुरू किये । इसपर ग्रहमन्त्री सरदार पटेलने जनतासे अपील की—“यदि हम क्रोध और प्रतिहिंसाकी भावनासे प्रभावित हुए तो हम गान्धीजीकी शिक्षाओं और उनके विश्वासके अयोग्य सिद्ध

होंगे। मैं जनताको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकारके घृणित कार्य करनेवालोंके विरुद्ध सरकार पूरी जिम्मेदारीसे काररवाई करेगी। इस अत्यन्त दुःखद और निर्दय घटनाके पीछे यदि कोई षडयन्त्र हुआ तो उसका पता लगानेमें सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। जनताके लिए यही उचित है कि इस कामकी जिम्मेदारी वह सरकारपर छोड़ दे और भड़कानेवाली स्थितिमें भी मनमाने ढङ्गसे कोई काम न करे। मैं सभी लोगोंसे अपील करता हूँ कि वे शान्त और अविचल रहें और यथासम्भव शीघ्र ही अपने कारबारमें लग जायें। उन्हें चाहिये कि वे कानूनको अपना काम करने दें और प्रतिहिंसाकी गैर-कानूनी कारवाइयों न करें।”

### लाल किलेका तीसरा मुकदमा

दिल्लीका लाल किला १७ वीं सदीमें शाहजहाँने यमुनाके किनारेपर बनवाया था। यहाँसे कई सौ गज दूर यमुनाके किनारे राजघाटपर महात्मा गान्धीके मृत देहकी दाह-क्रिया की गयी थी। जिस इमारतमें अदालत बैठी है वह पुरानी नहीं है, ब्रिटिश सिपाहियोंके लिए इसे अंग्रेजोंने बनाया। इसी किलेमें एक अन्य इमारतमें दो साल पहले आजादहिन्द फौजियोंका मुकदमा हुआ था। गदरके वाद बहादुरशाहका मुकदमा भी इसी किलेमें हुआ था। इस प्रकार लाल किलेमें चलनेवाला यह तीसरा बड़ा मुकदमा है।

## मुकदमेकी तैयारी

दो ढाई महीने बीत गये, पर इस बातका पता नहीं लग रहा था कि गान्धीजीकी हत्याका मुकदमा कब शुरू होगा। अग्रेलके दूसरे सप्ताहमें अचानक एक दिन कानपुरसे खबर मिली कि वहाँके जिला और दौरा जज श्री आत्माचरण आई. सी. एस. गान्धी हत्याकाण्डका मुकदमा सुनेगे। फिर दिल्लीसे भी गैर-सरकारी खबरें मिली कि यह मामला दिल्लीके लाल किलेमें एक खास अदालतमें मई महीनेमें शुरू होगा। इतना होनेपर भी सरकारकी ओरसे कोई घोषणा नहीं हुई थी इसलिए तरह-तरहकी अफवाहें लोगोंमें फैल रही थीं। हिन्दुत्ववादी लोग चाहते थे कि यह मामला जल्दी शुरू न हो क्योंकि उनका ख्याल था कि हत्याके बाद जितने अधिक दिन बीतते जायेंगे उतना ही उसका केवल राजनीतिक महत्त्व बढ़ता जायगा और हत्याके कार्यकी जयन्त्यत लोगोंकी स्मृतिसे कम होती जायगी। अभियुक्तोंके वचावकी तैयारीके लिए भी वे काफी समय चाहते थे। पर मुकदमेके शीघ्र शुरू होनेकी सम्भावनाकी खबरें सुनते ही उन्होंने 'डिफेन्स फण्ड' या वचाव-निधि खोला ताकि मुकदमेका काम चलानेके लिए और अभियुक्तोंके परिवारवालोंकी सहायता करनेके लिए धन एकत्र किया जा सके। वज्जालकी हिन्दू-सभाने भी इस काममें काफी उत्साह दिखाया।

८ मईको भारत-सरकारने अपने गजटमें घोषणा की कि दिल्लीमें एक विशेष फौजदारी अदालतकी स्थापना की गयी है, जिसके विचारपति कानपुरके जिला और दौरा जज श्री आत्माचरण होंगे। मालूम होता है कि इस मामलेमें सरकारी वकील पहले यह निश्चय नहीं कर पाये थे कि श्री सावरकरको हत्याकाण्डके मुकदमेसे अलग रखा जाय या उनपर भी गोडसे आदिके साथ मुकदमा चलाया जाय। अन्तमें उनका निश्चय यही हुआ कि सावरकरका मुकदमा भी सचलोगोंके साथ ही चले। सरकारने यह भी निश्चय किया कि वम्यई सुरक्षा-कानूनकी कुछ धाराएँ इस मुकदमेके लिए दिल्ली प्रान्तपर भी लागू की जायें ताकि विचारपति मुकदमेकी काररवाई जल्दी-जल्दी चला सकें। इन धाराओंके अनुसार गवाहियों आदि विस्तारके साथ लिख लेने आदि मुकदमेकी साधारण कार्य-प्रणालीका पूरा-पूरा पालन करनेसे विचारपति बरी हो जाता है।

सरकारके इस निश्चयकी कुछ टीका-टिप्पणी भी हुई। भारतका सम्भवतः यह पहला ही मुकदमा था जिसका पूरा-पूरा हाल जाननेके लिए सारी दुनिया उत्सुक थी। टीकाकारोंका कहना था कि स्पेशल अदालत कई विचारपतियोंकी 'बैच'



होती तो अच्छा होता और बम्बईका सुरक्षा-कानून दिशमें लागू करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

सरकारने दिल्लीकी गरमीकी परवाह न कर प्रदेमें ही लाल किला-जैमे इतिहास-प्रसिद्ध स्थानमें मुकदमा चलानेका, और गुले तौरपर मुकदमेकी सुनवाई करनेका जो निश्चय किया; उसकी प्रशंसा देशभरमें की गयी और सरकारके इन निश्चयोंका स्वागत भी किया गया।

१५ मईको भारत सरकारने एक खास गजट निकालकर घोषणा की कि गान्धी-हत्याकाण्डके ९ अभियुक्तोंपर सरकारकी धोरसे जो मुकदमा चलाया जानेवाला है वह दिल्लीकी एक विशेष अदालतमें उसके जज श्री आत्माचरण आर्दे. सी. एस. के सामने चलेगा। अभियुक्तोंपर ताजौरात हिन्दकी दफा १०९, ११४, ११५, १२० बी, और ३०२, १९०८ के विस्फोटक पदार्थ कानूनकी धारा ३, ४, ५ और ६ तथा १८७८ के शस्त्र-कानूनकी धारा १९ ( डी ) और १९ ( एक ) के कई अभियोग लगाये गये।

## अभियोग-पत्र

### अभियुक्तोंकी सूची

- ( १ ) नथूराम विनायक गोडसे
- ( २ ) नारायण दत्तात्रेय आपटे
- ( ३ ) विष्णु रामचन्द्र करकरे
- ( ४ ) दिगम्बर रामचन्द्र बडगे
- ( ५ ) मदनलाल कादमीरीलाल पहवा
- ( ६ ) शङ्कर किस्तय्या
- ( ७ ) गोपाल विनायक गोडसे
- ( ८ ) विनायक दामोदर सावरकर
- ( ९ ) दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे

### फरार

- ( १० ) गङ्गाधर सखाराम दण्डवते
  - ( ११ ) गङ्गाधर जाधव
  - ( १२ ) सूर्यदेव शर्मा
- तथा कई अन्य अज्ञात व्यक्ति

अभियुक्त नं० १ से ९ तक ने १५ अगस्त १९४७ से ३० जनवरी १९४८ के बीच दिल्ली, बम्बई और भारतकी अन्य जगहोंमें आपसमें मिलकर पड़्यन्त्र रना। अभियुक्त नं० १० से १२ फरार हैं। वे तथा और भी कुछ अज्ञात लोग इस पड़्यन्त्रमें शामिल थे। पड़्यन्त्रका उद्देश्य गैरकानूनी काम करना तथा कराना यानी मोहनदास करमचन्द गान्धीका, जिन्हें लोग महात्मा गान्धीके नामसे पहचानते हैं, मृत करना था और उसके लिए शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ लेना, रखना और उसको इधर-उधर भेजना तथा विस्फोटक पदार्थोंका विस्फोट कर भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १२० (बी), धारा ३०२ के साथ और विस्फोटक पदार्थ कानून १९०८ की धारा ३, ४, ५ ६ और १८७८ के अन्तर्गत कानूनकी धारा १९ (डी) और १९ (एफ) के अनुसार इन्होंने गुनाह किया है।

इस पड़्यन्त्रको पूरा करनेके लिए अभियुक्त नं० १ से ७ तकने दिल्लीमें ता० १७ से २० जनवरी १९४८ तक (दोनों दिन मिलकर) अपने पास हथगोले, और गनकाटनके टुकड़े रखकर विस्फोटक-कानूनकी धारा ४ (बी) तोड़ी। इसका उद्देश्य कानूनी नहीं था और इसके लिए उन्होंने एक-दूसरेकी सहायता की; इसलिए वे भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १४४ और विस्फोटक-कानून की धारा ४, ५ और ६ तथा भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार दोषी हैं।

पड़्यन्त्रको पूरा करनेके लिए अभियुक्त नं० ५ मदनलालने २० जनवरी १९४८ को विड़ला हाउसमें गनकाटनके स्फोटक टुकड़ोंका विस्फोट किया। इस विस्फोटसे जान माल धोखेमें पड़नेकी आशंका थी इसलिए ये विस्फोटक कानूनकी धारा ३ के अनुसार दोषी हैं। इसी प्रकार अभियुक्त नं० १ से ४ और ६, ७ ने अभियुक्त नं० ५ को इस काममें सहायता दी जैसे उक्त विस्फोट हुआ और इसलिए वे विस्फोटक कानूनकी धारा ३ और ६ तथा भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार दोषी हैं।

इसी प्रकार उक्त पड़्यन्त्रके सिद्धार्थ अभियुक्त नं० १ से ७ तक १५ जनवरी से २० जनवरी १९४८ तक दिल्लीमें पिस्तौल और गोली बारूद ले गये और शस्त्र-कानूनकी धारा १० तोड़ी। इसी प्रकार इस काममें उन्होंने परस्पर सहायता कर शस्त्र कानूनकी धारा १९ (डी) और भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १०९ के अनुसार अपराध किया।

इसी प्रकार पड़्यन्त्रकी सिद्धिके लिए अभियुक्त नं० १ से ७ तकने दिल्लीमें १७ से २० जनवरीतक अपने पास पिस्तौल और उसकी गोलियाँ रखकर शस्त्र कानूनकी धारा १४ और १५ को भंग किया। इस काममें एक दूसरेकी सहायता कर

उन्होंने शस्त्र कानूनकी धारा १९ ( एफ ) और भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार अपराध किया ।

इसी प्रकार उक्त पड़्यन्त्रकी सिद्धिके लिए अभियुक्त नं० १ और २ने १ जनवरी-तक बम्बई और दिल्लीमें एक दूसरेकी सहायता कर २० जनवरीको उक्त मोहनदास करमचन्द गान्धीका दिल्लीमें खून करनेका प्रयत्न किया । यह अपराध प्रत्यक्ष नहीं हुआ इसलिए वे भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११५ के अनुसार दोषी हैं ।

इसी प्रकार उक्त पड़्यन्त्रके सिद्धार्थ अभियुक्त नं० १ और २ ने २८ से ३० जनवरीतक दिल्लीमें पिस्तौल और गोली बाह्यद ले जाकर शस्त्र-कानूनकी धारा १० को भंग किया और परस्पर सहायता कर शस्त्र-कानूनकी धारा १९ ( डी ) और भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार दोषके भागी बने। अभियुक्त नं० ३, ४, ६, ७ और ९ ने उक्त अपराधके काममें सहायता की इसलिए वे शस्त्र-कानूनकी दफा १९ ( डी, एफ ) और भारतीय दण्ड-विधानकी दफा ११४ के अनुसार दोषी हैं । अभियुक्त नं० ४, ६, ७ और ९ ने उक्त अपराध करनेमें सहायता की इसलिए शस्त्र-कानूनकी दफा १९ ( एफ ) और भारतीय दण्ड-विधानकी दफा १०९ के अनुसार वे दोषी हैं । उक्त पड़्यन्त्रके सिद्धार्थ अभियुक्त नं० १ से ३ तकने दिल्लीमें ३० जनवरीको या उसके लगभग अपने पास पिस्तौल और कारतूस रखकर शस्त्र-कानूनकी दफा १४ और १५ को भंग किया और उसमें एक दूसरेकी सहायता की इसलिए शस्त्र-कानूनकी दफा १९ ( एफ ) के अनुसार दोषके भागी बने ।

इसी प्रकार उक्त पड़्यन्त्रको सिद्ध करनेके लिए अभियुक्त नं० १ ने ३० जनवरी-को दिल्लीमें उक्त मोहनदास करमचन्द गान्धीको जानवृक्षकर उनपर पिस्तौलसे गोलियाँ छोड़कर जानसे मारकर उनकी हत्या की । इस प्रकार भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ३०२ के अनुसार उन्होंने अपराध किया । अभियुक्त नं० २ और ३ ने इस काममें अभियुक्त नं० १ की सहायता की जिससे वे भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ३०२ और ११४ के दोषी बने और अभियुक्त नं० ४, ६, ७, ८, ९, ने उक्त अपराध करनेमें सहायता की इसलिए वे भारतीय दण्ड-विधान की धारा ३०२ और १०९ के अनुसार दोषी बने ।

यह अभियोगपत्र-कानूनकी भाषामें है । इसका मतलब समझाना आवश्यक है । भारतीय दण्ड-विधान ( इण्डियन पिनल कोड ) की धारा ३०२ हत्याके सम्बन्धमें है और इस धाराके अनुसार खूनीकी फाँसी या कालापानीकी तथा जुमानेकी भी सजा दी जा सकती है । दफा १२० पड़्यन्त्रके सम्बन्धमें है और इसके अनुसार पड़्यन्त्रमें शामिल सब अभियुक्त उतने ही दोषी और उतनी ही सजाके पात्र माने

जाते हैं जितने दोषी कि प्रत्यक्ष उक्त अपराध करनेवाले समझे जाते हैं और जितनी सजा उन्हें दी जा सकती है। धारा १०८ और ११४ अपराधमें सहायता और उसे उत्तेजन देनेके सम्बन्धकी है। इनमें धारा ११४ उन लोगोंपर लागू होती है जो अपराधकी जगहपर उपस्थित नहीं रहते। इसी प्रकार धारा ११५ उस सम्बन्धमें है जब अपराध प्रत्यक्ष नहीं होता, पर उसके करनेमें सहायता दी जाती है।

अभियोग-पत्रके पहले परिच्छेदमें १ से ९ तक सभी अभियुक्तोंको पड्यन्त्रकारी कहकर उल्लेख किया गया है। अगले चार परिच्छेद दिल्लीमें २० जनवरीको हुए विस्फोटके सम्बन्धमें हैं। इनमें सावरकर (८) और परचुरे (९) शामिल नहीं किये गये हैं। अगले परिच्छेदमें बम-विस्फोटकी हत्या करनेका प्रयत्न कहा गया है।

१५ अगस्त १९४७ से ३० जनवरी १९४८ तक ५॥ महीनेतक अभियुक्त अपने पड्यन्त्रकी योजना बनाते रहे। १७ जनवरीसे २० जनवरीतक ४ दिन साव. रकर और परचुरेको छोड़कर अन्य सब अभियुक्त दिल्लीमें थे और बम-विस्फोटकी तैयारी कर रहे थे और वह विस्फोट गान्धीजीकी हत्याके लिए किया जानेवाला था क्योंकि विस्फोटक पदार्थोंके अलावा अभियुक्तोंके पास पिस्तौल और कारतूस भी थे। हत्याका यह प्रयत्न असफल रहा।

३० जनवरीके काण्डकी तैयारी ३ दिनमें हुई यानी २८ तारीखसे शुरू हुई। २० तारीखके कांडमें अभियुक्त नं० ५ मदनलाल प्रधान अभियुक्त था। उसी प्रकार ३० जनवरीके कांडमें अभियुक्त नं० १ गोडसे प्रधान था। उसके प्रत्यक्ष सहायक नं० २ और ३ यानी आपटे और करकरे थे। बाकी सब दूरसे सहायता कर रहे थे। मदनलालके अपराधके समय पहले सातों अभियुक्त दिल्लीमें थे। गान्धीजीकी हत्याके समय पहले तीन अभियुक्त दिल्लीमें थे।

विस्फोटक पदार्थ कानूनकी धारा ३ के अनुसार यदि किसी आदमीके विस्फोट करानेसे जान-मालको नुकसान पहुँचानेकी सम्भावना हो तो—नुकसान पहुँचा हो या न पहुँचा हो—उसे आजीवन कालापानी या कम मीयादका कालापानी और जुर्मानेकी या १० सालतक कैद और जुर्मानेकी भी सजा दी जा सकती है। धारा ४ के अनुसार ऐसे विस्फोटक पदार्थ पासमें रखनेके लिए २० सालतक कालापानी और जुर्माना या ७ सालतक कैद और जुर्मानेकी सजा दी जा सकती है। धारा ५ के अनुसार भी गैरकानूनी तौरपर विस्फोटक-पदार्थ रखनेके लिए १४ सालतक कालापानी या ५ साल कैद और जुर्मानेकी सजा दी जा सकती है। धारा ६ सहायकोंके सम्बन्धमें है और उन्हें भी वही सजा बतायी गयी है जो प्रत्यक्ष अपराधीको दी जा सकती है।

शस्त्र-कानूनकी दफा १९ डी और एफमें कहा गया है कि जो कोई गैरकानूनी रूपसे शस्त्रालय, गोली बाणद या सैनिक सामग्री अपने पास रखता है या दूसरी जगह भेजता है उसे ३ सालतककी कैद या जुर्माना या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं ।

### अभियुक्तोंके कानूनी बचावकी तैयारी

भारत दुनियाके अन्य उन्नत, प्रगत और लोकतन्त्रात्मक देशोंकी तरह अपने यहाँकी न्यायप्रणाली भी बना रहा है । गोडसेको हत्या-स्थलपर ही उत्तेजित भीड़ने चोटी-चोटी काटकर मार नहीं डाला, पर पुलिसके हवाले किया और उसपर तथा उसके साथियोंपर वाकायदा मुकदमा चलाया गया यह इसी बातका सबूत है । जय एक बार यह न्यायप्रणाली मान ली गयी तब इसके साथ आवश्यक सभी बातें करना आवश्यक हो गया । न्यायका काम बिलकुल निष्पक्ष हो इसकी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है । अभियुक्तोंको अपने बचावकी पूरी सुविधा दी जाती है । यदि वह कहता है कि हम अपनी ओरसे वकील नहीं कर सकते तो सरकार उसकी ओरसे बचावका इन्तजाम करता है । इस न्यायप्रणालीमें यह सिद्धान्त माना गया है कि ९९ अपराधी यदि छूट भी जायें तो कोई चिन्ता नहीं, पर एक भी निरपराधीको सजा न हो । जबतक अभियोग न्यायालयमें साबित नहीं होता तबतक अभियुक्त निरपराधु माना जाता है । खुद सावरकरने मदनलाल धिन्नाके बारेमें ब्रिटेनमें यही बात साहसके साथ सामने रखी थी और न्यायप्रिय ब्रिटेनवासियोंने इसे बिना किसी आपत्ति या रोपके मान लिया था । परतन्त्र भारतमें भी जितने क्रान्तिकारियोंके मुकदमे हुए उनमें अंग्रेज सरकारने अभियुक्तोंके बचावका पूरा-पूरा इन्तजाम किया था ।

इसका यह अर्थ नहीं कि किसी जघन्यसे जघन्य कांडके मुकदमेमें भी अभियुक्तकी ओरसे बचावका काम करना न्याय-दानके काममें सहायता करना ही है । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि बचाव करनेवाला इस अपराधसे या अपराधीसे सहानुभूति रखता है । जिस प्रकार डाक्टरका काम रोगीकी चिकित्सा करना है—चाहे वह रोगी किसी भी महा-भयंकर रोगसे पीड़ित हो, और चाहे जिस दुष्कर्मके कारण रोगी बना हो, उसी प्रकार वकीलका काम हरएक अभियुक्तका बचाव करना है, उसे यह नहीं देखना है कि अभियुक्तका गुनाह किस कोटिका है । आजाद हिन्द सैनिकोंके मुकदमेमें भी अंग्रेजी सरकारने अभियुक्तोंकी बचावकी पूरी सुविधा दी थी । कहते हैं कि इस मुकदमेमें बचाव करनेमें बचावके वकीलोंकी संयुक्त व्यवस्था होनेपर भी प्रतिवदी पक्षका ७ लाख रुपया खर्च हुआ । इस तरहके मुकदमोंमें बचाव करनेका मतलब यह नहीं समझना चाहिये कि बचाव करनेवाला वकील उस

अपराधका नैतिक समर्थक है, वह तो केवल न्याय-दान प्रणालीमें सहायता देनेका काम करता है ।

एक बात अवश्य है । ऐसे मुकदमे जब राजनीतिक होते हैं तो अपराधीके राजनीतिक विचारोंसे सहमत रहनेवाले लोग वचावके लिए सबसे आगे रहते हैं । पर इसका मतलब यह नहीं रहता कि अभियुक्तने यदि खून किया हो, डाका डाला हो तो उसके खून करने और डाका डालनेके कार्यका कोई नैतिक समर्थन करता है । नूरेम्वर्गमें जर्मन युद्धापराधियोंपर जो मुकदमा चला था, उसमें उनपर महायुद्धमें तीन करोड़ आदिमियोंकी हत्या करनेका अभियोग लगाया गया था । पर उनके वचाव-का प्रबन्ध भी मित्रराष्ट्रोंने कर दिया था ।

गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेमें भी अभियुक्तोंका वचाव करनेके लिए कई वकील आगे आये और भारत सरकारने उनको पूरी सुविधा दी । मालूम होता है कि श्री सावरकरने जेलसे श्री भोपटकरको कहला भेजा कि मैं आपको अपना वकील बनाता हूँ और आपको मेरा वचाव करना ही पड़ेगा । उन्होंने सम्भवतः यह भी लिखा कि आप ही पर मेरा भरोसा है । इसके बाद भोपटकर इनकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूपसे सावरकरका काम करना मंजूर कर लिया । पर एक बार जहाँ उन्होंने काम किया सारे मुकदमेके वचावका भार ही उनपर आ गया । इसपर महाराष्ट्र प्रान्तीय हिन्दू सभाकी कार्यकारिणीने एक न्याय-साहाय्य-समिति बनायी और एक न्याय-साहाय्य-निधि भी खोला । इस वचाव समितिके अध्यक्ष भोपटकर बनाये गये । संयोजक श्री रामभाऊ मंडलीक और बोपाध्यक्ष श्री ग. वि. केंतकर बने । २ मईको समितिका काम शुरू हुआ । ६ जूनको पूनेमें इसकी फिर बैठक हुई और एक अखिल भारतीय वचाव समिति बनायी गयी जिसके १२ सदस्य थे । एक अखिल भारतीय वचाव निधि भी खोला गया । वचाव समितिकी ओरसे डाक्टर जयकरसे अनुरोध किया गया कि सावरकरकी इच्छाके अनुसार वे सावरकरकी ओर से पैरवी करें, पर डाक्टर जयकरने फुरसत न होनेका कारण बताकर इनकार कर दिया । वचाव समितिकी ओरसे बम्बई सरकारसे अनुरोध किया गया कि वह थरवदा जेलमें नजरबंद पूनेके श्री वासुदेव बलन्वत गोगटे वकीलको पूरी तरह था पेरौलपर रिहा कर दें क्योंकि अभियुक्त करकरनेने स्पेशल जजके सामने यह इच्छा प्रकट की थी कि गोगटे ही मेरी पैरवी करें ।

बादमें मालूम हुआ कि श्री गोगटेको रिहा करनेसे बम्बई सरकारने इनकार कर दिया ।

वचाव समितिने वकीलोंको लाने-ले जाने और ठहराने आदिकी व्यवस्था करनेके लिए दो उपसमितियाँ भी बना दीं जिनका काम चालिसगाँवके श्री जोगलेकर,

चारसीके श्री बाबाराव काले और श्री वि. कृ. मेहेन्दलेके जिम्मे किया गया। २०-२५ हजार रुपया इसमें खर्च होनेका अन्दाज लगाया गया था।

अखिल भारतीय वचाव समितिके सदस्योंके नाम

- ( १ ) श्री ल. व. भोपटकर, अध्यक्ष ।
- ( २ ) लाला नारायण दत्त कोपाध्यक्ष १३ धाराखंभा रास्ता, नयी दिल्ली ।
- ( ३ ) श्री ग. वि. केतकर कोपाध्यक्ष, केसरो आफिस पूना २ ।
- ( ४ ) श्री रामभाऊ मंडलीक संयोजक ।
- ( ५ ) श्री जमुनादास मेहता ।
- ( ६ ) श्री देवेन्द्रकुमार मुखर्जी ।
- ( ७ ) कैप्टेन केशवचन्द्र ।
- ( ८ ) श्री पंचनाथन ।
- ( ९ ) श्री गणपति ऐयर ।
- ( १० ) श्री लक्ष्मीशंकर वर्मा ।
- ( ११ ) डाक्टर ल. वा. परांजपे, नागपुर ।
- ( १२ ) श्री रा. भ. कानिटकर, बुलडाना ।

### लाल-किलेमें तैयारी

मुकदमेकी तैयारी शुरू हुई। दिल्लीका इतिहास-प्रसिद्ध लाल-किला इसके लिए चुना गया था। किलेमें दो खण्डकी एक पत्थरकी इमारत है जिसमें पहले सैनिक-पुलिसकी प्रधान छावनी थी। इसी इमारतकी दूसरी मञ्जिलपर १०० × २३ फुट लम्बा-चौड़ी कोठरीमें अदालतका काम चलानेका निश्चय हुआ। इमारतके चारों ओर ८ फुट ऊँचा तारोंका घेरा डाल दिया गया था जिसमें अन्दर जानेके लिए एक और बाहर निकलनेके लिए एक इस प्रकार केवल दो दरवाजे रखे गये थे। लाल-किलेमें ही एक दूसरी जगहपर अभियुक्तोंको रखनेके लिए कोठरियाँ बनायी गयीं थी जिनमें दिल्ली-सेण्ट्रल जेलसे ले जाकर लोहेके दरवाजे लगाये गये थे। अदालतकी कोठरीमें लकड़ीके घेरेमें एक उच्चासनपर विचारपति और अदालतके रिपोर्टरकी जगहें बनायी गयीं। विचारपतिके बायीं ओर अभियुक्तोंके बैठनेके लिए तीन बेंचें रखी गयीं थीं। उनके दाहिनी ओर गवाहोंका कठपरा बनाया गया था। कमरेमें २०० कुर्सियाँ रखी गयीं थीं जिनपर पत्रकारों और खास-प्रवेश-पत्र लेकर आनेवाले दर्शक बैठ सकते थे। अदालतके कमरेके दोनों ओरके बरामदोंमें कई कमरे बनाये गये थे। विचारपतिका कमरा, शीघ्र-लेखकका कमरा, सवृत और सफाई

२४ मईको गोडसे-सावरकर आदि अभियुक्त अलग-अलग हवाई जहाजोंसे बम्बईसे दिल्ली ले जाये गये। यह खबर जब अखबारोंमें छरी तब स्पष्ट हो गया कि अब ३-४ दिनमें ही मुकदमेकी सुनवायी शुरू होगी।

### प्रारम्भिक तीन पेशियाँ

अन्तमें गान्धीजीकी हत्याके ८ महीनेके बाद २७ मईको दिल्लीके लाल-किलेमें सारी दुनियाका ध्यान खींचनेवाला यह मुकदमा शुरू हुआ। २७ मई, ३ जून और १४ जूनको तीन पेशियाँ केवल प्रारम्भिक काररवाइयाँ पूरी करनेके लिए हुईं। लाल-किलेमें पहले वहादुरशाह तथा नेताजी सुभाषबाबूकी आज-द-हिन्द-फौजके शाहनवाज, सहगल, डिब्रों आदिके दो ऐतिहासिक मुकदमे हो चुके थे। इसलिए यह ऐतिहासिक स्थान गान्धी-हत्याकाण्डके ऐतिहासिक मुकदमेके अनुकूल ही था; पर पहले दिनकी पेशीमें युगपुरुष गान्धीजीकी हत्याकी गुह्यताके अनुकूल मुकदमेमें गम्भीरता और शालीनता तथा गौरव दिखायी नहीं देता था। पहले दिन लाउडस्पीकरकी व्यवस्था इतनी खराब थी कि पत्रकारोंको केवल दर्शकका काम करना पड़ा। जज और वकील आपसमें जो बातचीत करते थे वह भी पत्रकारोंको सुनायी नहीं देती थी। बातचीत भी बिलकुल धरेल ढंगसे होती थी। एक बार तो दोनों ओरके १०-१२ वकीलोंने न्यायाधीशको घेरकर ऐसे बातचीत करना शुरू किया मानो कोई बाजार या भेड़ियाधसान हो। अदालतका कमरा चौड़ाईसे ( २३ फुट ) बहुत अधिक लम्बा ( १०० फुट ) होनेके कारण अदालतका रूप नहीं रहा। जजने फोटोग्राफरोंको अदालतके अन्दर फोटो लेने दिये और फोटोग्राफरोंने फ्लैशलाइट जला-जलाकर पूरे १० मिनटतक खूब फोटोबाजी की। अभियुक्त हँस हँसकर बहुत खुश होकर अपनी फोटो खिंचवाते थे। इन्हें लैण्डमें अदालतोंके अन्दर इस तरह फोटो खींचने नहीं देते और अदालतके अन्दरके फोटो अखबारोंमें भी नहीं छपने देते, पर उस दिनके फोटो अखबारोंमें भी खूब छपे। फोटोसे अभियुक्तोंकी शिनाख्तकी काररवाईमें कानूनी अड़चनें पढ़ सकती हैं। अदालतमें पानी पिलानेवाले भी सिरपर घड़े ले-लेकर खूब घूम रहे थे। इतना बढ़ा मुकदमा, पर लोगोंमें कोई उत्सुकता नहीं मालूम पड़ती थी। पहले दिन देशी-विदेशी १०० पत्रकारोंके अलावा अदालतमें एक भी दर्शक नहीं था। लाल-किलेके बाहर भी कोई नहीं था। सादी वर्दीमें और वर्दीधारी खुफियावाले तथा पुलिसवाले अवश्य ३००-३५० की संख्यामें थे। इन्होंने पत्रकारोंके केमरों और टाइपराइटरोंकी भी कड़ी नजरसे तलाशी ली।

पहले दिन २७ मईको अदालतका काम १० बजेसे केवल दो घण्टेतक



हुआ। मुकदमा शुरू होनेके एक घण्टा पहले अभियुक्त इमारतमें और दस मिनट पहले अदालतमें लाये गये। किसी भी अभियुक्तके हाथमें हथकड़ी नहीं थी। सबसे पहले नथूराम विनायक गोडसे आधी चौहकी कमीज पहनकर अभियुक्तोंके लिए रखी गयी तीन वेष्टोंमेंसे पहलीपर आ बैठा। इसके बाद आपटे और करकरे आकर उसी चैनपर बैठे। इसके बाद बडगे, मदनलाल और गोपाल गोडसे आये और दूसरी चैनपर पीछे बैठे। उनके पीछे तीसरी चैनपर शंकर किर्तेश्या, सावरकर और परचुरे आकर बैठे। सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतसे अनुरोध किया कि सावरकर बीमार हैं; इसलिए उनको गद्दीदार कुर्सी दी जाय। अदालतने यह अनुरोध मान लिया।

फोटो खींचनेके बाद सरकारी वकील श्री दफतरीने अभियुक्तोंपर लगाये गये अभियोग पढ़कर सुनाये। ( पूरा अभियोग-पत्र अलग दिया गया है। ) अभियोगोंमें खून, खूनका पड़्यन्त्र, खूनमें सहायता, गैर-कानूनी हथियार रखना और विस्फोटक पदार्थ रखना, भेजना इत्यादि बातें थी।

इसके बाद अदालतने अभियुक्तोंसे उनके बचावकी व्यवस्थाके बारेमें पूछा। यह भी पूछा कि उनकी अपनी कोई व्यवस्था न हो तो वे क्या सरकारी ओरसे अपने बचावकी व्यवस्था कराना पसन्द करेंगे। इसपर गोडसे तथा ६ और अभियुक्तोंने कहा कि हम भोपटकरकी मार्फत अपने बचावकी व्यवस्था कर लेंगे। मदनलाल और बडगेने कहा कि हमें कोई वकील नहीं चाहिये। शंकर किर्तेश्याने भी पहले कहा था कि सरकार ही मेरी ओरसे वकील दे; पर वह भी कुछ हिचकिचाहटके बाद कहने लगा कि हम भी भोपटकरकी मार्फत अपने बचावकी व्यवस्था कर लेंगे।

सभी अभियुक्त प्रसन्न नजर आ रहे थे। सावरकर और गोडसेको छोड़कर सब आपसमें हँसी-दिल्लगी भी कर रहे थे। सावरकर दुखीसे होकर मुकदमेकी सारी कार्रवाई ध्यानपूर्वक सुनते रहे। गोडसे किसीसे बात नहीं करता था। प्रसिद्ध पत्रकार डाक्टर कृष्णलाल श्रीधरानीने इन दोनोंका वर्णन इस प्रकार किया है—  
 “नाटकका सबसे प्रमुख अभिनेता नथूराम गोडसे था। वह दुबला पतला है, पर अविचलित और गम्भीर दिखायी देता था। धोती और कुरता पहने था, बाल कटानेके कारण साफ-सुथरा लगता था। उसकी ठुड़ी बड़ताकी सूचक है और बाजकी तरह नुकीली उसकी नाक है। छोटी छोटी आँखें जेलमें रहनेके कारण काली पड़ गयी हैं। वह साफ-साफ बोलता था और उसकी बातचीतमें खेद या पश्चात्तापका कोई भाव नहीं था। दूसरे अभिनेता वृद्ध सावरकर थे। वे इतने दुबले और कृपकाय हैं कि उन्हें आरामकुर्सीपर लाना पड़ा। बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था। इस देशभक्त

वीरने कई अद्भुत कार्य आज तक किये और एक समय तो सारे भारतवर्षमें घर-घर उनकी नाम हो गया था। आज वह स्वतन्त्र-भारतकी पहली सरकारद्वारा बनये गये अभियुक्तोंके कठघरेमें बैठे थे। मनुष्यका जीवन उसे कहाँ से-कहाँ ले जा सकता है। सावरकर आश्चर्यचकित नजर आते थे।”

अदालतमें भापाके बारेमें भी समस्या खड़ी हुई। बडगे और करकरेने कहा कि हमें सिर्फ मराठी आती है। शंकर किस्तीयाने कहा कि मैं केवल तेलगू जानता हूँ। भोपटकरने अदालतके प्रदनोंको मराठीमें अनुवाद करके सुनाया। एक पत्रकारने शंकर किस्तीयाको तैलगू अनुवाद सुनाया।

मदनलाल अदालतको कुछ कहना चाहता था। वह तीन बार माइक्रोफोनके पास गया। उसने पहले कहा कि मुझे गुप्त रूपसे जजसे कुछ कहना है। इसपर अदालतने उससे कहा कि जो कुछ कहना हो, रजिस्ट्रारसे कहें, उनसे मुझे मालूम हो जायगा। विचारपतिने उससे यह भी कहा कि मुकदमेकी सुनवाई जिस दिन शुरू होगी उस दिन उसे अपनी बात कहनेका अवसर दिया जायगा।

अभियोग-पत्र पढ़े जानेके बाद सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतसे कहा कि वारण्ट प्रोसीडिंगके अनुसार यानी फौजदारी कानूनकी २१ वीं धाराके अनुसार पहले प्रारम्भिक जाँचसे अभियोग साबित कर मामला दौरा सुपुर्द कर फिर अदालतकी काररवाई शुरू होना चाहिये, पर जजने कहा कि फौजदारी कानूनके २३ वें चैप्टरके अनुसार विशेष कानूनके आधारपर १९४७ के चम्बईके सुरक्षा-कानूनके अनुसार यह मुकदमा चलनेवाला है, इसलिए संक्षिप्त प्रणालीसे ही यह मुकदमा चलेगा।

भोपटकरने यह भी कहा कि मुकदमेकी तैयारी करनेके लिए वह दो महीनेतक स्थगित रखा जाय, पर जजने उसे केवल १४ जूनतक स्थगित रखनेकी बात मान ली।

अदालतमें सावरकर, परचुरे और किस्तीया काली टोपियाँ पहनकर आये थे। करकरेने तो रेशमी शर्ट और क्रीट पहना था। नथूरामकी तरह उसके भाई गोपालने और आपटेने आधी बाँहकी कमीजें पहनी थीं।

३ जूनको अदालत फिर बैठी। उस दिन एक घण्टेसे कुछ ही अधिक समय काम हुआ। बचावकी व्यवस्था और अभियुक्तोंकी दी जानेवाली सहायियोंके बारेमें उस दिन विचार हुआ और यह निश्चय हुआ कि मुकदमेकी दिन दिनकी वाक्यावदा काररवाई २२ जूनसे शुरू हो।

आज अदालतमें पहले दिनसे कुछ विपरीत दृश्य दिखायी दिये। पहले दिन उठलने-कूदनेवाले करकरे और मदनलाल आज चिन्तित दिखायी देते थे और पहले

दिन गम्भीर होकर बैठा हुआ गोडसे आज चयल था। एक तरहसे गोठघेने ही मुकदमे-की काररवाई शुरू की। उसने धारा-प्रवाह अंग्रेजीमें चोलते हुए कहा कि सी क्लासके वन्दीकी तरह हमारे साथ व्यवहार होता है, २-३ दिन पानी मॉंगनेपर नहीं दिया गया; पर उसने यह भी कहा कि मैं तो कुछ और ही व्यवहारकी आशांका, अपेक्षा करता था, मैं रियायत नहीं चाहता, पर कानून-नियमके अनुसार हमें जो सुविधाएँ मिल सकती हैं मिलनी चाहिये। बडगेको छोड़कर अन्य ८ अभियुक्तोंने अच्छे व्यवहारके लिए अदालतके सामने दरखवास्त भी दी। बडगेने कहा कि मिली सुविधाओंसे मैं सन्तुष्ट हूँ। इसपर पत्रकारोंने अपने मनमें यह समझ लिया कि बडगे निश्चित रूपसे इकवाली गवाह बन गया।

अभियुक्तोंकी और सुविधाओंकी मॉंगपर सरकारी वकील श्री पेटीगाराने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, पशनें कि अभियुक्त एक-दूसरेसे मिलने न पावें, बाहरसे उन्हें भोजन न लाने दिया जाय ( क्योंकि उसमें जहर डालकर भेजा जा सकता है ) और जेलके हजामसे ही अभियुक्त हजामत बनवाया करें।

गोडसेने अदालतसे यह भी पूछा कि हमलोग पुलिसकी हवालातमें हैं या जेलकी। जजने इस बातपर प्रसन्नता प्रकट की कि अभियुक्तोंने अपनी तकलीफें उनके सामने रखीं। उन्होंने कहा कि अभियुक्त जेलकी हवालातमें हैं और उन्हें वी क्लास या स्पेशल क्लासके कैदीकी तरह रखनेका हुक्म मैं दे रहा हूँ।

आपटेने शिकायत की कि हम लोगोंके कुछ रुपये-पैसे और अन्य चीजें पुलिसने ले ली हैं वे मुझे वापस की जायें। जजने कहा कि जो कुछ कहना हो जेल-सुपरिण्टेण्डेण्टकी मार्फत दर्खास्त देकर कहें। अदालतने अभियुक्तोंको अपने कपड़े पहनने, अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जेलमें ही तैयार कराने, चिट्ठियाँ, अखबार, किताबें और पत्रिकाएँ आदि मॉंगानेकी सुविधाएँ दे दी।

अभियुक्तोंके वकील भोपटकरने अदालतसे कहा कि अदालत बचावके वकीलोंको जेलमें अभियुक्तोंसे मुलाकात करनेकी अनुमति दे। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अदालतका काम दिनमें १० से ४ तक न होकर सवेरे ७॥ बजेसे या ८ बजेसे शुरू हो। अदालतने पहला अनुरोध मान लिया और दूसरेके लिए कहा कि अगली पेशी १० बजेसे ही हो। उसी दिन समयके वारेमें निर्णय किया जायगा।

अदालतने बताया कि सवृतके करीब १५० गवाहोंकी गवाहियोंका सारांश सफाई-पक्षके वकीलोंको दिया गया। सरकारी वकील पेटीगाराने कहा कि ५-६ गवाहोंकी गवाहियाँ और ली जानेवाली हैं और उनके भी बयान बचाव-पक्षको यथासमय दिये जायेंगे।

पेटीगाराने अदालतसे यह भी अनुरोध किया कि बम्बईके प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट-

को लिखकर एक मराठी और एक तेलगू दुभाषिया भेजनेको कहे । ग्वालियर और बम्बईसे गवाहियाँ और शिनाख्त आदिके सम्बन्धके कुछ जरूरी कागज मँगानेको भी उन्होंने अदालतसे कहा ।

भापाके सम्बन्धमें कुछ बहसके बाद निश्चय हुआ कि अंग्रेजीमें ही सारी काररवाई लिखी जाय, पर गवाहियाँ आदि जहाँतक हो सके गवाहोंकी भाषामें ही पूरी पूरी लिख ली जायँ यद्यपि सुरक्षा कानूनके अनुसार संक्षेपमें भी गवाहियाँ लिख लेनेसे काम चल जाता ।

जजने भोपटकरसे बचावके सब वकीलोंके नामोंकी सूची माँगी । भोपटकरने इसके लिए एक सप्ताह और समय चाहा जिसपर जजने कहा कि कानूनसे हम और समय देनेके लिए बाध्य नहीं हैं, फिर भी यह सहूलियत दे सकते हैं कि सुनवाईका काम १४ तारीखसे शुरू न होकर २१ से हो । सरकारी वकीलने कहा कि २१ को माउण्टवेस्टन भारतसे विदा होनेवाले हैं इसलिए सम्भवतः पुलिस उसमें फँसी रहेगी । जजने इसपर निर्णय दिया कि मामला २२ तारीखको शुरू हो ।

मामलेकी पेशीके पहले दिन मदनलालने कहा था कि हमें बचावके लिए कोई वकील नहीं चाहिये, पर आज उसने कहा कि भोपटकर हमारे बचावका भी इन्तजाम करा दें । शंकर किर्तूर्याने पहले दिन वकील चाहा था, पर आज कहा कि सरकार ही मेरे बचावके लिए वकील दे ।

प्रारम्भिक काररवाईकी तीसरी और आखिरी पेशी १४ जूनको हुई और आधे घण्टेतक चलती रही । भोपटकरने बचावके वकीलोंकी सूची अदालतको दी और कहा कि २२ तारीखमें सब वकील अदालतमें उपस्थित रहेंगे ; बैरिस्टर ओक नथूरामकी और श्री मणियार गोपाल गोडसेकी पैरवी करेंगे ।

सबूतकी गवाहियोंकी नकलें अदालतकी अनुमतिसे ७ अभियुक्तोंको दी गयीं । उनमें दो अंग्रेजी नहीं जानते थे ।

आज करकरे गान्धी टोपी और नेहरू शर्ट पहनकर आये थे । भोपटकरने अदालतसे अनुरोध किया कि पुलिसवालोंको जेलमें अभियुक्तोंसे मिलनेसे रोक दिया जाय । अदालतने कहा कि यह दिल्लीके चीफ पुलिस कमिश्नरका मामला है और उन्हींसे कहना चाहिये । यदि इस तरह पुलिसको रोकनेका अदालतको कानून कोई अधिकार हो तो उसे बतानेको भी अदालतने भोपटकरसे कहा । दिल्लीकी दौरा अदालतोंके रिवाजके अनुसार हफ्तेमें शुक्रवारतक केवल ५ दिन अदालत बैठे, इस आशयका अनुरोध सफाई और सबूत दोनों पक्षोंके वकीलोंने किया और अदालतने उसे इस शर्तपर मान लिया कि मुकदमेकी काररवाई जल्दी-जल्दी होती जायगी । दो तीन दिन सुनवाईका हाल देखकर यदि आवश्यकता हुई तो अदालतका समय सवरेका करनेके प्रश्नपर भी अदालतने विचार करनेका आश्वासन दिया ।

## अभियुक्तोंका संक्षिप्त परिचय

( १ ) नथूराम गोडसे—प्रधान अभियुक्त । यह गान्धीजीकी हत्याके तुरत बाद, दुर्घटना स्थलपर ही पकड़ा गया था । उम्र ३६ वर्ष । दर्जाका डिप्टोमा प्राप्त, पूनेमें दर्जाका काम करता था । १९३७ में सावरकरसे सम्पर्क हुआ । उनके साथ उनका निजी सेक्रेटरी बनकर देशभरका दौरा किया । बहुत दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका भी सदस्य था । १९४४ में पूनेसे 'अग्रणी' नामका मराठी पत्र निकाला । इसके बन्द होनेपर 'हिन्दू राष्ट्र' पत्रका सम्पादक हुआ ।

( २ ) ना. द. आपटेवी० एस.सी० वी० टी०—उम्र ३५ । अहमदनगरमें अध्यापकका कार्य करता था । वहाँ राइफल क्लब भी चला था ।

( ३ ) करकरे—उम्र ३५ । यह भी अहमदनगरका ही है और वहाँ एक होटल चलाता था ।

( ४ ) वडगे—उम्र ३५ । जिनके लिए लाइसेन्सकी जरूरत नहीं ऐसे छुरे आदि शस्त्र बेचनेकी पूनेमें दूकान करता था । बादमें मुखविर बन गया ।

( ५ ) मदनलाल—उम्र करीब २३ । गान्धीजीकी हत्याके १० दिन पहले प्रार्थना-सभाके स्थानसे ५० गज दूर बम फूटा था । उसी विस्फोट-स्थानपर इसकी गिरफ्तारी हुई थी । गिरफ्तारीके बाद जब इसकी तलाशी ली गयी तो कहा जाता है कि इसके पास एक हथगोला भी मिला था ।

( ६ ) शंकर किस्तैया—यह वडगेकी दूकानमें नौकर था ।

( ७ ) गोपाल गोडसे—उम्र ३२ । नथूरामका छोटा भाई । पिछले महायुद्धमें यह भारतीय सेनामें भरती हो गया था ।

( ८ ) सावरकर—उम्र ६५ साल । हिन्दू महासभाके भूतपूर्व अध्यक्ष । यौवनावस्थामें तेजस्वी । कार्य किये । पूना-कालेजमें पढ़ते समय ही अंग्रेजी राज्य-को उखाड़ फेकनेके लिए कोशिश शुरू की । लन्दन जाकर वैरिस्टर हुए, पर न्यायालयोंमें खड़े होनेकी अनुमति नहीं मिली । १९१० में इंग्लैण्डमें वादशाहके खिलाफ युद्ध करनेके पडयन्त्रमें शामिल होनेके अभियोगमें गिरफ्तार हुए । इस मामलेका नाम नासिक पडयन्त्र बेश था । वे एक जहाजपर भारत लाये जा रहे थे । जहाज जब मार्सेलीज (फ्रांस) के पास पहुँचा तो आप पहरेदारोंकी आँख बचाकर जहाजके छेदमेंसे समुद्रमें कूद पड़े और एक मील तैरकर किनारेपर पहुँचे, पर फ्रेंच प्रदेशमें फिर गिरफ्तार किये गये । उनकी गिरफ्तारीके सम्बन्धमें फ्रांस

और इंग्लैण्डमें मतभेद और झगड़ा हुआ और अन्तमें मामला हेगके अन्तरराष्ट्रीय न्यायालयके सामने गया। अन्तमें वे भारत लाये गये, उनपर मुकदमा चला और आजीवन कालापानीकी उन्हें सजा दी गयी। अंडमानकी जेलमें १४ साल बिताये। १९२४ में भारत लाये गये और रत्नागिरीमें नजरबन्द रखे गये। १९३७ में चम्बईमें पहली कांग्रेस सरकार स्थापित होनेपर उनके ऊपरसे सारे नियंत्रण-बन्धन हटा लिये गये। इसके बाद सावरकर हिन्दू महासभामें शामिल हो गये और उसके अध्यक्ष चुने गये। मराठीके बहुत बड़े साहित्यिक और समाज-सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।

( ९ ) परचुरे—ग्वालियरके एक डाक्टर।

---

## खास अदालत

स्पेशल जज श्री आत्माचरण आई. सी. एस.

### सचूतके वकील

श्री सी. के. दफ्तरी, ऐडवोकेट जनरल, बम्बई, प्रधान सरकारी वकील ।

श्री एन. के. पेट्रीगारा, बम्बई ।

श्री एम. जी. व्यवहारकर, बम्बई ।

रायबहादुर ज्वालाप्रसाद, पंजाब ।

पण्डित ठाकुरदास, दिल्ली ।

### जाँच अफसर

श्री जे. सी. नगरवाला, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, बम्बई ।

### सफाई पक्षके वकील

प्रधान—श्री ल. व. भोपटकर, पूना ।

( १ ) नथूराम गोडसेके लिए—वैरिस्टर वी. वी. थोक, बम्बई ।

( २ ) आपटे—श्री वी. डी. मॅंगले, बम्बई ।

( ३ ) करकरे—ऐडवोकेट नरहर दाजी डांगे, बम्बई ।

( ४ ) चडगे—? ( मुखविर बना )

( ५ ) मदनलाल—श्री पूरणचन्द वनर्जा ।

( ६ ) शंकर—श्री हंसराज मेहता, सीमाप्रान्त ( सरकारकी ओरसे ) ।

( ७ ) गोपाल गोडसे—श्री मोहनलाल मणियार ।

( ८ ) सावरकर—श्री ल. व. भोपटकर ।

—वैरिस्टर जमनादास मेहता

—श्री गणपतराय, दिल्ली

—श्री कुंजविहारी भोपटकर, पूना

( ९ ) परचुरे—श्री पी. एल. इनामदार, ग्वालियर ।

## आरोप-पत्र

### बडगे मुखविर बना

गान्धीजीकी मृत्युके ४ महीने ३ सप्ताह बाद गान्धी हत्याकाण्डके मुकदमेकी रोज-रोजकी काररवाई २२ जूनको दिनमें १० बजे लाल किलेमें शुरू हुई। सबसे पहले जजने अभियुक्तोंसे पूछा कि उनके वकीलोंका इन्तजाम हो गया या नहीं। बडगेको छोड़ और सब अभियुक्तोंके वकील उपस्थित थे। इसके बाद जजने अभियोग पत्र पढ़ सुनाया जो ६ फुलस्कैप पेजका था। फिर इसका अनुवाद करकरे-के लिए मराठीमें और शंकरके लिए तेलगूमें सुनाया गया। मराठी अनुवाद बम्बई-के चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटकी अदालतके दुभापिये श्री नवलकरने और तेलगू अनुवाद वेल्लारीकी कुमारी कमलम्माने सुनाया।

अदालतमें आज खान-मन्त्री श्री गाडगिल, न्याय-मन्त्री अम्बेडकर, श्रीमती अम्बेडकर और गृह-विभागके सेक्रेटरी श्री आर. एन. वनर्जी भी उपस्थित थे। आजकी सुनवाईके समय पहले-पहल दर्शकोंको उपस्थित रहनेकी अनुमति दी गयी थी। आज श्री जी. पी. हठीसिंह और श्री एच. बी. आर. आयंगरकी पत्नी श्रीमती आयंगर भी उपस्थित थीं।

अभियोग-पत्रका आशय यह है—

गान्धी-हत्याका मामला

सरकार बनाम नथूराम तथा ८ अन्य अभियुक्त

मैं, आत्माचरण, आप नथूराम गोडसे (३७), नारायण आपटे (३४), विष्णु करकरे (३७), मदनलाल पहवा (२०), शंकर (२०), गोपाल गोडसे (२७), विनायक सावरकर (६५) और दत्तात्रेय परचुरे (४९) पर ये अभियोग लगाता हूँ—

१—आप लोगोंने १ दिसम्बर १९४७ से ३० जनवरी १९४८ के बीच पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानोंपर आपसमें तथा दिगम्बर बडगे जिसे, माफी दे दी गयी है, गंगाधर एस. दण्डवते, गंगाधर जाधव और सूर्यदेव शर्माके साथ, जो अन्य कई अज्ञात आदमियोंके साथ फरार हैं, महात्मा गान्धीकी हत्याका



गैर-कानूनी काम करनेका पड़्यन्त्र किया और निश्चय किया। ऐसा कर आपने ताजीरात हिन्दकी दफा १२० वी और २०२ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया।

२—उक्त निश्चय और पड़्यन्त्रको कार्यान्वित करनेके लिए आप लोग (सावरकर और परचुरेको छोड़ अन्य ६ अभियुक्त) वडगेके साथ १० जनवरी और २० जनवरीके बीच—

ए (१) लाइसेन्सके बिना २ रिवाल्वर और बहुतसे कारतूस आदि शस्त्रास्त्र और गोली-बाहद दिल्ली ले गये और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (डी) के अनुसार दण्ड पानेका आपने काम किया।

(२) उक्त अपराध करनेमें एक-दूसरेकी सहायता की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (डी) और ताजीरात हिन्दकी दफा १०९ और ११४ के अनुसार दण्डके पात्र बने।

बी (१) दिल्लीमें अपने पास बिना लाइसेन्सके २ रिवाल्वर मय कारतूसके रखकर शस्त्र-कानूनकी दफा १० तीरी और दफा १९ (एफ) के अनुसार दण्डके भागी बने।

(२) दिल्लीमें उक्त अपराध करनेमें एक दूसरेकी सहायता की और इस प्रकारी ऐसा अपराध किया जिसमें शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (एफ) और ताजीरात हिन्दक दफा १४४ के अनुसार सजा हो सकती है।

(३) १० और २० जनवरीके बीच आप ६ अभियुक्तोंके वडगेके साथ ए (१) विस्फोटक रुई गन काटनके दो टुकड़े और ५ हथगोले मय बत्ती और सलाईके हत्या करनेके उद्देश्यसे रखे और विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (बी) के अनुसार दण्डनीय कार्य किया। (२) इसमें एक दूसरेकी सहायता कर विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और दफा ६ के अनुसार दण्ड पाने योग्य काम किया। बी (१) ये विस्फोटक पदार्थ गैरकानूनी ढंगसे अपने पास रखकर आपने विस्फोटक कानूनकी दफा ५ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया।

(२) इस काममें एक दूसरेकी सहायता कर उसी कानूनकी दफा ५ और ६ के अनुसार सजा पानेका काम किया।

(४) २० जनवरीको दिल्लीके विडला भवनमें—

ए (१) मदनलालने गैरकानूनी रूपसे गन काटनके टुकड़ेका विस्फोट किया जिससे जानमालकी नुकसान पहुँच सकता था। ऐसा कर विस्फोटक कानूनकी दफा ३ के अनुसार सजा पानेका काम किया गया।

( २ ) अन्य ६ अभियुक्तोंने मदनलालसे यह काम कराया और इस प्रकार विस्फोटक कानूनकी दफा ३ और ६ के अनुसार सजा पानेका काम किया ।

( ५ ) २० जनवरीको दिल्लीके विडला भवनमें गान्धीजीकी हत्या करनेके ऐसे प्रयत्नमें ( परचुरेको छोड़ ) आप सब लोगोंने ऐसे अपराधमें एक दूसरेकी मदद की जिसमें फ्रांसी या आजीवन कारावासका दण्ड मिलता है और इस प्रकार आपने ताजीरात हिन्दकी दफा ११५ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया ।

( ६ ) २८ जून और ३० जूनके बीच—

ए—( १ ) नथूराम गोडसे और आपटे विना लाइसेन्सके आटोमेटिक पिस्तौल नं० ६०६८२४ मय कारतूसके ग्वालियरसे दिल्ली ले आये और शस्त्र-कानूनकी दफा ६ अंग की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ ( सी ) के अनुसार दण्ड पानेका काम किया । ( २ ) नथूराम, आपटे और परचुरेने इस काममें एक दूसरेकी सहायता की और शस्त्र-कानूनकी-दफा १९ (सी) और ताजीरात हिन्दकी दफा ११४ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया ।

बी—१—दिल्लीमें नथूरामने अपने पास पिस्तौल-कारतूस रखकर शस्त्र-कानूनकी दफा १४ और १५ तोड़ी और दफा १९ (एफ) के अनुसार सजा पानेका काम किया । २—दिल्लीमें आपटे और करकरेने एक-दूसरेकी सहायता की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (एफ) और ताजीरात हिन्दकी दफा ११४ के अनुसार सजा पानेका काम किया ।

७—३० जनवरीको दिल्लीके विडला-भवनमें—

ए—(१) नथूरामने गान्धीजीकी जान-वृद्धकर हत्या कर ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ के अनुसार सजा पानेका काम किया । (२) आपटे-करकरेने नथूरामकी सहायता की और उनके समने यह काण्ड हुआ । ऐसा कर उन्होंने ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ और ११४ के अनुसार सजा पानेका काम किया । (३) मदनलाल, शंकर, गोपाल, सावरकर और परचुरेने वडगेके साथ नथूरामकी सहायता की और ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ और १०९ के अनुसार सजा पानेका काम किया ।

ह० आरमाचरण, आई. सी. एस. जज,  
२२ जून १९४८, लाल-किला, दिल्ली ।  
स्पेशल कोर्ट ।

यद्यपि बडगेको क्षमादान कर दिया गया था, फिर भी जबतक मुकदमेके लिए आवश्यक हो उसे कैदमें रखनेका निश्चय हुआ था। अभियोगपत्र पढ़े जानेके बाद जजने घोषणा की कि बडगे सरकारी गवाह बन गया है। इसके बाद वह कटघरेसे हटा लिया गया।

अनन्तर जजने सब अभियुक्तोंसे अलग अलग पूछा कि क्या आपने अपने ऊपर लगे अभियोग समझ लिये और क्या आप अपनेको दोषी मानते हैं या मुकदमा चलानेको कहते हैं ?

सब (आठों, अभियुक्तोंने अपनेको निर्दोष बताया और अपने ऊपर मुकदमा चलानेकी माँग की। नथूरामने खड़े होकर केवल इतना ही कहा—“मुझपर मुकदमा चलाया जाय। करकरने भी यही कहा। मदनलालने अपनेको निर्दोष बताया और कहा कि मैं एक वयान देना चाहता हूँ। जजने कहा कि सब अभियुक्तोंसे सवाल पूछ लेनेके बाद वयान दे सकते हो।

शंकरने पहले कहा कि मैं दोषी हूँ, पर बादमें तेलगूमें समझानेपर कहा कि मुझे जो कुछ मालूम है मैं सब बता दूँगा। पर उसने यह भी कहा कि मुझपर भी मुकदमा चलाया जाय।

सावरकरने केवल इतना ही कहा कि मैं निर्दोष हूँ।

आपटे, गोपाल गोडसे और परचुरेने कहा कि हम निर्दोष हैं, हमपर मुकदमा चलाया जाय। परचुरेने यह भी कहा कि मैं ग्वालियर राज्यका स्थायी निवासी हूँ। पर सरकारके वकीलने यह दलील स्वीकार नहीं की।

इसके बाद जजकी अनुमतिसे मदनलालने इस आशयका लिखित वयान दिया—

“मैं अपनेको निर्दोष समझता हूँ। महात्मा गान्धीको किसी भी प्रकारकी हानि पहुँचानेका कोई भी पडयन्त्र नहीं रचा गया था और मैं ऐसे किसी पडयन्त्रमें शामिल नहीं था।

“२० जनवरी १९४८ को जो घटना हुई वह तो केवल गान्धीजीकी उन दिनोंकी मुसलिमपरस्त नीतिके विरोधमें देशमें फैले व्यापक असन्तोषको प्रकट करनेके लिए थी। इससे अधिक उसमें कोई बात नहीं थी। मेरे अतिरिक्त उस घटनामें और किसीका हाथ नहीं था।”

नथूरामने कहा कि हमें कागज—पेन्सिल मिली है। हम यहाँ जो बातें लिख लेंगे उन्हें पुलिस न देख सके ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाय। अदालतने इसपर विचार करनेका आश्वासन दिया।

## पड्यन्त्रका विस्तृत विवरण—सवृत पक्षका कथन

मुकद्दमेकी सुनवाईका आरम्भ करते हुए सवृत पक्षके वकील श्री दफतरीने कहा—इस मामलेमें मुख्य अभियोग ३० जनवरीको महात्मा गान्धीकी हत्या करनेका है। प्रथम अभियुक्ते जिसे हम मुख्य अभियुक्त कह सकते हैं अपने हाथसे गान्धीजीकी हत्या की। यह बात सचकी, अभियुक्तोंको भी, मालूम थी कि गान्धीजी न केवल राष्ट्रीय नेता थे, पर उनकी प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें भी थी। उन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा और विश्ववन्धुत्व-भ्रातृत्वके सिद्धान्तोंके प्रचारमें खर्च किया। एक तरफसे यह ठीक ही था कि वे अपना कर्तव्य करते हुए मरने और वे मरे भी उन्हीं अहिंसा और भ्रातृत्वके सिद्धान्तोंके लिए ही। इन स्पष्ट बातोंको देखते हुए और हम नथूरामद्वारा की गयी हत्याके चरमदीद गवाहोंकी पेश करने उनके वयानोंको सुनते हुए हत्याके उद्देश्योंके सम्बन्धमें अधिक बहस मुवाहसा करना आवश्यक और व्यर्थ प्रतीत होता है। पर इस मामलेमें हत्याके समय केवल पहला अभियुक्त ही उपस्थित नहीं था, उसके साथ सात और अभियुक्त हैं और हत्याका उद्देश्य और अधिक महत्त्वका था तथा वह और भी स्पष्ट हो जायगा।

### २० जनवरीका विस्फोट

हत्या ३० जनवरीके दिन हुई, पर यह पहला ही प्रयत्न नहीं था। १० दिन पहले २० जनवरीको सावरकर और परचुरेको छोड़कर और सब अभियुक्त एक साथ दिल्लीमें थे। उस दिन मदनलालने उस स्थानके पास गन क्राउनचे एक विस्फोट किया जहाँ गान्धीजी रोज शामको प्रार्थना किया करते थे। विडला भवनमें वे कई दिन पहलेसे रह रहे थे और रोज शामको प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थनाके लिए वे अपने रहनेके कमरेसे ५ वजेके करीब वागके कोनेपर स्थित प्रार्थनास्थलपर जाया करते थे। कभी दर्शक अधिक आते थे, कभी कम, पर प्रार्थनाकी बात आमतौरसे लोग जानते थे। गान्धीजी किस तरह जाया करते थे इसको अच्छी तरह समझानेके लिए मैं बादमें विडला भवनका एक नकशा भी उपस्थित करूंगा।

### सभी अभियुक्त एकत्र थे

२० जनवरीको मदनलालने वती लगाकर देशी वम (गन क्राउनके एक टुकड़े) का विस्फोट किया। उस समय सावरकर और परचुरेको छोड़ और सब अभियुक्त प्रार्थना-स्थलपर या उसके आसपास उपस्थित थे। यह बहुत महत्त्वकी बात है। अंगर सवृत पक्षने यह साबित कर दिया कि ये लोग दो तीन दिन पहले दिल्ली आये थे, एक जगह एकत्र हुए, विस्फोटके समय वे सब उपस्थित थे और

सबके पास हथगोले और रिवाल्वर थे तो उनका उद्देश्य साफ मालूम हो जायगा । वे कोई संयोगसे एक जगह एकत्र नहीं हो गये थे । सबको मिलकर कोई एक काम करना था । अभियुक्त नं० ४ मदनलालने अभी मान लिया है कि “विस्फोट मैंने किया ।” इसने और जो बातें कही हैं उन्हें हम असत्य साबित करेंगे । केवल यही नहीं, हम तो यह कहना चाहते हैं कि उस दिन गान्धीजीकी हत्या करनेका इरादा था । हत्या कब की जाय इसे बतानेके लिए विस्फोट किया जानेवाला था । पर यह योजना निष्फल हुई ।

### हत्याके समय प्रथम तीन अभियुक्त उपस्थित

पूर्वनिश्चित योजनाके अनुसार उस दिन हत्या क्यों नहीं हुई उसके कारणोंका विवरण अभी मैं नहीं बताऊँगा । मदनलाल गिरफ्तार कर लिया गया । और लोग भाग गये, पर कहीं-कहीं गये इसका पता लग गया । अभी सिर्फ इतना ही बताना काफी है कि अभियुक्त नं० १, २, ३ तथा अन्य चम्पईमें फिर एकत्र हुए और बादमें ३० जनवरीको अभियुक्त नं० १, २, ३ नथूराम, आपटे और करकरे फिर दिल्ली आये । नथूरामके हाथसे छोड़ी गयी तीन गोलियोंसे गान्धीजीकी हत्या हुई, पर अभियुक्त नं० २ और ३ हत्याके समय बिड़ला-भवनमें या उसके आस-पास उपस्थित थे । यह कोई संयोगकी बात नहीं, बल्कि निश्चित योजनाके अनुसार था ।

कुछ समयसे यानी मार्च १९४४ से अभियुक्त नं० १ पूनेसे निकलनेवाले मराठी दैनिक ‘अग्रणी’ का सम्पादक था । अभियुक्त नं० २ की सहायतासे नथूरामने इसे निकाला था । नथूराम सम्पादक और आपटे जनरल मैनेजर जैसा था और पहले दोनों मालिक थे । मैं बताऊँगा कि यह पत्र उन्हीं बातोंका किस तरह प्रचार करता था जो गान्धीजीके सत्य, अहिंसा और आतृत्वके सिद्धान्तोंके खिलाफ रहा करती थीं । यही हत्याके पीछेका रहस्य है ।

यह सब लोग जानते हैं कि १५ अगस्तको हुए देश-विभाजनके पहले और बादमें देश बहुत अशान्त और चिन्ताजनक अवस्थासे गुजरा, पर इस स्थितिमें भी गान्धीजी मुसलमानोंके प्रति शान्तिका भाव रखनेपर हमेशा जोर देते रहे । १९४६से ही बङ्गाल और विहार और पञ्जावकी अशान्तिमें भी वे इसी बातका प्रचार करते रहे । विभाजनके बाद भी वे इसी बातको दोहराते रहे और उन्होंने नोआखाली जानेका निश्चय किया ।

### नथूराम विवेकभ्रष्ट हो गया

अब मैं केवल अभियुक्त नं० १ की बात कहूँगा । वह हमेशा ही कटु और विरोधी रहा, यह उसके पत्रके लेखोंसे स्पष्ट हो जायगा । वह

हिंसाका समर्थक था, बदला लेनेका समर्थक था, और उन सब बातोंका विरोधी था जिनका गान्धीजी प्रचार करते रहे। यह विरोध अन्तमें इतना अधिक कटु हुआ कि अभियुक्त नं० १ ने अपना विवेक खो दिया और वह मूर्खताके इस नतीजेपर पहुँचा कि हम जिसे ठीक नीति समझते हैं उसकी विजयके लिए एकमात्र रास्ता उस व्यक्तिकी खत्म करना था जो अहिंसाका प्रचार करता है, पर जिसे लाखों लोग मानते हैं। यदि वह विवेक-भ्रष्ट न होता तो उसे मालूम हो जाता कि किसी एक व्यक्तिकी मारनेसे उसके सिद्धान्त नष्ट नहीं हो जाते। गान्धीजीके वारेमें तो यह बात और स्पष्ट थी क्योंकि उनके व्यक्तित्व और उपदेशोंका प्रभाव सबपर पड़ता था। साथ ही अभियुक्त सम्भवतः यह भी समझता था कि गान्धीजीकी हत्या कर उसे खुद जनतामें अपने बदला लेनेके सिद्धान्तका प्रचार करनेका अवसर मिलेगा।

पर अभियुक्त नं० १ हत्याके लिए अकेला जिम्मेदार नहीं था। उसका अभियुक्त नं० ३ करकरेके साथ काफी दिनोंसे परिचय था और यह स्पष्ट है कि दोनों हत्यामें प्रत्यक्ष शामिल थे।

चौथा अभियुक्त मदनलाल पञ्जाबसे आया शरणार्थी है। वह भावुक है, दुस्साहसी है और चाहे जो काम करनेको तैयार था। उससे करकरेके साथ सबसे पहले अहमदनगरमें मुलाकात हुई। उसकी दुस्साहसपूर्ण प्रकृतिकी बात जानकर अभियुक्त नं० १, २ और ३ ने अपना काम उससे करानेकी ठानी।

पाँचवाँ अभियुक्त शंकर वडगेका नौकर है। वडगेको माफो दी जा चुकी है। पूनेमें वडगेकी हथियारोंकी दूकान थी। वह अभियुक्त नं० १, २ और ३ के सम्पर्कमें इसलिए आया कि इन्हें हथियार चाहिये थे और वडगे हथियार गोली-बारूद दे सकता था और उसने इन तीनोंको काफी हथियार दिये भी। २० जनवरीके पहले उसको भी शामिल होनेके लिए फुसलाया गया और वह इनकी बात मानने-तैयार भी हो गया। शंकर वडगेका नौकर था और उसने समझ-बूझकर अपने मालिकका साथ दिया और इस बातको अवश्य अच्छी तरह जानता था कि दिल्लीमें सबलोग क्यों आये हैं। दिल्लीमें आकर उसने खुद एक हथियार चलाकर देखा और २० जनवरीकी जब हत्याकी कोशिश की गयी वह खुद प्रार्थना-सभामें उपस्थित था।

गोपाल गोडसे अभियुक्त नं० १ का भाई है। वह खड़कीमें एक सरकारी दफ्तरमें नौकर था। झूठा वहाना बताकर उसने छुट्टी ली और सबके साथ दिल्ली आया।

इन सब लोगोंके पास तरह तरहके शस्त्रास्त्र और विस्फोटक थे। एक और अभियुक्त बावटर परचुरेका कहना है कि मैं ब्रालियरका निवासी हूँ। हम इस बातको स्वीकार नहीं करते। हमने अदालतको बहुतसे कागज दिये हैं जिनसे मालूम

हो जायगा कि उसने अपना काम बहुत वादमें किया । २० और ३० जनवरीके बीच जब अभियुक्त नं० १ और २ ग्वालियर गये, डाक्टर परचुरेने वह पिस्तौल प्राप्त की जिससे अन्तमें गान्धीजीकी हत्या की गयी । अभियुक्त नं० १ और २ उससे पिस्तौल लेकर दिल्ली आये और ३० जनवरीको हत्या की ।

### सावरकरके सहयोगके बिना हत्या न होती

अन्तमें बहुत सूत्र रूपसे मैं सावरकरका जिक्र करूँगा । उनका नाम मशहूर है । वे एक खास विचारधारावालोंके नेता रहे हैं और कई सालतक हिन्दू महासभाके अध्यक्ष रहे । यह सर्वविदित है कि वे कभी अहिंसाके प्रेमी नहीं रहे और न मुसलिमोंके पक्षकी नीतिके कभी समर्थक रहे । वे बम्बईमें दादरमें रहते थे । अभियुक्त नं० १ और २ का उनसे बहुत घनिष्ठ सम्पर्क रहा है । यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वे उन्हें अपना गुरु मानते रहे । अभियुक्त नं० १ और २ ने जो अस्त्रधार निकाला वह सावरकरका आशीर्वाद लेकर निकाला । सावरकरने रुपये पैसेसे उनकी मदद की । सावरकरको वे कितना मानते थे यह इसी बातसे मालूम हो जायगा कि पत्रके हरएक अंकके पहले पेजपर सावरकरका चित्र छपता था । बम्बईके सावरकरके घरमें राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा आते जाते रहे और अभियुक्त नं० १ और २ भी अक्सर उनके यहाँ जाते थे । इस बातका प्रमाण मौजूद है कि अभियुक्त नं० १ और २ का सावरकरसे बराबर सम्पर्क बना रहा । इस बातका प्रमाण है कि २० जनवरी की घटनाके कुछ ही पहले सावरकरसे उनका सम्पर्क हुआ था । इस बातका भी यथेष्ट सबूत है कि जो कुछ होने वाला था उसे न केवल वे अच्छी तरह जानते थे, पर उनके सहयोगके बिना यह काण्ड हो ही नहीं सकता था ।

### २० और २० जनवरीके बीच क्या हुआ

अब मैं बताऊँगा कि २० और ३० जनवरीके बीच हरएक अभियुक्तका हाल क्या था और प्रथम तीन अभियुक्तोंने मिलकर १० और २० जनवरीके बीच क्या किया ।

पहले अभियुक्त नं० १ को लीजिये ! १९३८ में हैदरावाद सत्याग्रह नामका एक आन्दोलन हुआ । यह हैदरावादमें वहाँकी आन्दोलन करनेवाली पार्टियोंकी सहायता कर जनताके लिए अधिकार पानेके हेतु किया गया था । ब्रिटिश भारतके भी बहुतसे लोग हैदरावाद जानेके लिए तैयार हुए । उसमें अभियुक्त नं० १ ने भी भाग लिया । वह गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा हुई । छूट आनेके बाद वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका काम करने लगा । यह संस्था उस समय सैनिक या उग्र राजनीतिक संस्था नहीं थी । इसके बाद इसने हिन्दू राष्ट्रदल नामकी एक संस्था खोली जिसका

राजनीतिक उद्देश्य वही था जो आर. एस. एस. का था, पर जो अधिक उग्र और सैनिक ढंगकी थी। उद्देश्य यह था कि हिन्दूधर्म इतना शक्तिशाली बनाया जाय कि वह हिन्दूसमाजकी रक्षा कर सके। इसके लिए कसरत करना, क्लब खोलना आदि कार्यक्रम बनाये गये। इसके बाद अभियुक्त नं. १ और २ ने सोचा कि अपने कार्यका प्रचार करनेके लिए कुछ और करना चाहिये। उनका कोई अखबार नहीं था इसलिए मार्च १९४४ में 'अग्रणी' निकालनेका निश्चय किया गया। २५ मार्च १९४८ को पत्रका पहला अंक निकला। इसके आविर्भावके लिए सावरकरने १५०००) दिया। उस साल गान्धीजीने अपनी एक प्रार्थनासभामें कहा था कि भारतमें यदि अलग मुसलिम राज हुआ तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। इसके बाद ऐसी ऐसी बातें होती गयीं कि दोनों सम्प्रदायोंके बीच कटुता बढ़ती गयी। केन्द्रमें अस्थायी सरकारके लिए एक योजना बनी। इसका बहुतसे राजनीतिक दलोंने और विशेषकर हिन्दू महासभाने विरोध किया। १९४६ में पूर्वी बंगालमें दङ्ग हुए। उस समय श्री सुहरावर्दी बंगालके प्रधान मंत्री थे। कहा गया कि दङ्गोंके लिए वे जिम्मेदार हैं। गान्धीजी नोआखाली गये। करकरे भी नोआखाली सम्भवतः इसलिए गया कि वहाँका हालतकी जाँच की जाय। गान्धीजीका उद्देश्य दोनों सम्प्रदायोंमें मेरु कायम करनी था। अभियुक्त नं. २ और ३ की तरह राय रखनेवाले इसे पसन्द नहीं करते थे। मैं खास तौरसे अभियुक्त शंकरकी बात करता हूँ। वह कोई कट्टर राजनीतिक विचारोंका आदमी नहीं है। पर अभियुक्त नं. ८ गान्धीजीकी नीतिके सम्बन्धमें कट्टर विचार रखता था।

इसके बाद पंजावमें दङ्ग हुए, फिर भी कांग्रेसद्वारा शासित प्रान्तोंमें बदलेकी कोई कार्रवाई नहीं करने दी गयी।

१५ अगस्तको देश-विभाजन हुआ और उसके बाद पंजावका हत्याकाण्ड। गान्धीजीने कह दिया कि बदलेकी कार्रवाईका हमेशा विरोध करूँगा। इसके बाद काश्मीरका मामला हुआ। कांग्रेस पार्टीने जनमत-गणनाका प्रस्ताव रखा। फिर हैदराबाद राज्यमें भी कुछ उपद्रव हुआ। अन्तमें गान्धीजीका अनशन हुआ। यह अनशन दोनों सम्प्रदायोंमें एकता स्थापित करनेके लिए और खासकर हिन्दुओंको मुसलमानोंके विरुद्ध कार्य करनेसे रोकनेके लिए था। मैंने ये सब बातें अभियुक्त नं. १ को ध्यानमें रखकर कही हैं, क्योंकि इसके अखबारमें इसीके सम्बन्धमें लेख रहा करते थे और गाली-गलौज भी रहा करती थी।

अभियुक्त नं. २ बहुत विद्वान है और अहमदनगरमें ६-७ सालतक अध्यापक था। १९४२ में अहमदनगरमें राष्ट्रीय दलका प्रारम्भ कर उसने अभियुक्त नं. १ का साथ देना शुरू किया। वह करकरेको पहचानता था जिसके अहमदनगरमें कई



होटल थे। १९४३ में कुछ महीने वह सेनामें रहा। १९४४ में दोनोंने मिलकर 'अग्रणी' निकाला। इसके बाद शस्त्रास्त्र एकत्र करनेके अतिरिक्त अखबारका काम छोड़कर वह और कोई दूसरा काम नहीं करता था। १९४७ में एक बमविस्फोटके सम्बन्धमें वह गिरफ्तार कर लिया गया था, पर बादमें रिहा भी हो गया।

अभियुक्त नं० ३ करकरे आर. एस. एस. का सदस्य था। १९३८-३९ में वह हैदराबाद सत्याग्रहमें शामिल हुआ और १९४१ में हिन्दू महासभाका सदस्य बना। राष्ट्रीय दलके सम्बन्धमें उसका अभियुक्त नं० १ और २ से सम्पर्क हुआ और उसने असेम्बलीके चुनावोंमें श्री जमनादास मेहताके पक्षमें काम किया। नवम्बर १९४६ में वह नोआखाली गया और अभियुक्त नं० १ और २ से उसकी घनिष्ठता बढ़ी। जनवरी १९४८ के लगभग उसने गल्लास्त्र आदि एकत्र करना शुरू किया और पहले दोनों अभियुक्तोंके साथ पडयन्त्रमें शामिल हो गया। इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिये कि पडयन्त्र पहले दो अभियुक्तोंने रचा और करकरे उसमें शामिल हो गया। तीनों पडयन्त्रमें पहलेसे ही थे और यह दिसम्बर या शुरू जनवरीमें रचा गया।

### शरणार्थी मदनलाल कैले फँसा

नवम्बर १९४७ में अहमदनगरमें चौथे अभियुक्त मदनलालसे उससे भेंट हुई। एक छोटीसी दुकान खोलनेमें इसने मदनलालकी मदद की। अभियुक्त नं० ३ की राजनीतिक कार्रवाइयों ऐसी थी कि शीघ्र ही अभियुक्त नं० ४ अपना पूरा समय अभियुक्त नं० ३ की सहायता करनेमें ही देने लगा। करकरे अहमदनगरमें नेता था और शरणार्थियोंमें वाम करता था। इसी काममें मदनलालसे उसका परिचय हुआ।

नवम्बर १९४७ के आसपास मदनलाल बम्बई आया। बम्बईमें उसकी माटु-गाके एक कालेजके कोई प्रोफेसर जैनसे मुलाकात हुई जिन्होंने अपने पुस्तक-प्रकाशनके काममें इसे सहायता करनेको कहा। वह कुछ समय बम्बईमें जैनकी किताबें बेचता रहा और फिर अहमदनगर वापस लौटा। दिसम्बरमें वह फिर प्रोफेसर जैनसे मिला। शुरू जनवरीमें पहले दो अभियुक्तोंसे अहमदनगरमें उसकी मुलाकात हुई। अहमदनगरमें इन लोगोंके विरुद्ध राय रखनेवालोंकी एक सार्वजनिक सभा ५ जनवरीको हुई थी जिसमें इसने प्लेटफर्मपर चढ़कर जवरदस्ती भाषण करना चाहा जिससे सभा भङ्ग कर देनी पड़ी। १० जनवरीको वह बम्बई आया और १२ को प्रोफेसर जैनसे मिला। उसने प्रोफेसर जैनसे इस बातका भी कुछ जिक्र किया कि वह दिल्ली किस सकसदसे जा रहा है। जैनने उसको ऐसा न करनेके लिए

समझाया-बुझाया पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और इसके बाद मदनलाल दिल्लीके लिए रवाना हो गया। जैनकी गवाही अदालतमें ली जायगी।

अभियुक्त नं० ७ एक डाक्टर है। वह कुछ वर्षोंसे ग्वालियरमें रहता है। हिन्दू सभासे उसका सम्बन्ध है। वह सार्वजनिक कार्यकर्ता था और इसी नाते गोडसेसे उसका परिचय था। जब गोडसे और आपटे उसके पास गये और हत्या करनेके लिए हथियार देनेको कहा तो उसने एक हथियार प्राप्त कर लिया और इन्हें दिया, यद्यपि अपने पासका हथियार उसने नहीं दिया। गोडसे जब ग्वालियर गया तो उसके पास एक पिस्तौल थी। वह खराब मालूम हुई इसलिए उसे नयी पिस्तौलका इन्तजाम करना पड़ा।

अब मैं श्री सावरकरके बारेमें कुछ कहता हूँ। वे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हिन्दू महासभाके अध्यक्ष रहे हैं। राजनीतिक नेता होनेके कारण समय समयपर वे जो वक्तव्य देते थे उनको कुछ लोग स्वीकार करनेकी दृष्टिसे और बहुतसे लोग उत्सुकता-वश पढ़ते रहे। हिन्दू राष्ट्रीय दलकी स्थापनामें उनका आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी पुस्तकोंको, जो बहुतसी हैं और कड़ी विचारधाराकी हैं, बहुतसे उनके समर्थक मार्ग-दर्शनके ख्यालेसे पढ़ते हैं। बहुतसी पुस्तकोंका पहले तीन अभियुक्तोंने बहुत प्रचार किया। जब जब सावरकर बम्बईके बाहर जाते तो गोडसे या आपटे उनके साथ जाते या साथ रहते। आखिरी बार १४ जनवरीको गोडसे और आपटे सावरकरके यहाँ गये। इसके ४ दिन बाद अभियुक्त बम्बईसे रवाना हुए यह बहुत महत्त्वकी बात है। दिसम्बर १९४४ आखीरमें या शुरु जनवरीमें पडयन्त्रकी पूरी रचना हुई।

अभियुक्त नं० ३ और ४, ९ तारीखको पूना गये और मदनलालका परिचय गोडसे-आपटेसे कराया गया। फिर करकरे-मदनलालको बडगेकी दूकान दिखायी गयी। बडगेका नौकर शंकर वहाँ था। इन लोगोंने कुछ हथगोले देखे, गनकाउनके टुकड़े भी देखे। १० जनवरीको करकरे और मदनलाल बम्बई आये और उसी दिन वे सावरकरके यहाँ गये। १० तारीखको वे प्रोफेसर जैनके यहाँ भी गये।

### नथूरामने अपने वीमोंका उत्तराधिकार कर दिया

१३ तारीखको जो कुछ हुआ उसमेंसे केवल यही एक बात बतलाना काफ़ी है कि नथूरामने आपटेकी पत्नीके नाम अपने २००० के वीमेका उत्तराधिकार कर दिया। यह आपटेकी जानकारीमें हुआ। १४ तारीखको गोडसे और आपटे बम्बई आये और दादरमें सावरकरके घर गये। वे बम्बईमें एक होटलमें ठहरे, रातमें ठाणामें जोशी नामके एक मित्रके यहाँ ठहरे। १४ को बडगे और शंकर भी बम्बईमें थे।

बडगेके पास कुछ विस्फोटक थे । एक थैलेमें ५ हथगोले और गनकाटनके दो टुकड़े रखे गये थे और थैला रख दिया गया ताकि वादमें उसे ले जाया जाय । उस दिन अभियुक्त नं० १ नथूराम गोडसेने अपने नामके ३००० के बीमेका उत्तराधिकार अपने भाई गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम किया । यह भी आपटेकी जानकारीमें किया गया । उसी दिन अभियुक्त नं. ६ गोपाल गोडसेने जो मोटर ट्रांसपोर्ट डीपोमें सिविलियन स्टोर की रका काम करता था, ७ दिनकी छुट्टीके लिए दरखास्त दी और १७ से २३ जनवरीतक उसकी छुट्टी मंजूर हो गयी । १५ को पहले चारो अभियुक्त उस जगह गये जहाँ हथगोलेका थैला रखा था । जब थैला खोला गया तब क्या हुआ इसका सबूत अदालतके सामने हैं । उस दिन वे जगह जगह घूमते रहे ।

### गोडसे-आपटेकी दिल्लीकी हवाई यात्रा

अभियुक्त नं. ४ किसी श्रीमती मोडकके यहाँ गया और उनसे कहा कि मैं कई मित्रोंके साथ दिल्ली जा रहा हूँ और आप शीघ्र ही कोई बड़ा समाचार सुनियेगा । उस दिन करकरे और मदनलाल पेशावर एक्सप्रेससे दिल्लीके लिए रवाना हो गये । १५ तारीखको दो दिन बाद १७ को चम्बईसे दिल्ली जानेवाले हवाई जहाजके दो टिकट खरीदे गये । ये टिकट करमरकर और एस० मराठे इन वनावटी नामोंसे निकाले गये पर ये वास्तवमें नथूराम और आपटेके लिए थे । वे विभिन्न समयोंमें विभिन्न नाम रखकर काम करते थे ।

अभियुक्त नं. १ और २ चम्बईसे चलकर दोपहरमें दिल्ली पहुँचे । १८ को बडगे और शंकर भी दिल्लीके लिए रवाना हुए । अभियुक्त नं. ३ और ४, १७ को दिल्ली पहुँचे । वे एक होटलमें ठहरे । मदनलालने अपना असली नाम लिखाया । अभियुक्त नं. ३ ने अपना नाम व्यास बताया । अभियुक्त नं. १ और २ भी दोपहरको दिल्ली पहुँचकर एक होटलमें ठहरे और अपना नाम देशपाण्डे बताया । १८ को पहले चारो अभियुक्त दिल्लीमें थे । १९ को बडगे और शंकर भी पहुँचे । रातको गोपाल भी दिल्ली पहुँचा । २० को आपटे, बडगे और शंकर सबेरे बिड़लाभवन गये । आपटेने बडगे और शंकरको जगह दिखायी और खासकर वह जगह दिखायी जहाँ गान्धीजी बैठे करते थे ।

उस समय उनके पास २ चन्दूकें, ५ हथगोले और गनकाटनके दो टुकड़े ( स्लैब ), विस्फोटक वत्ती और तार आदि थे । २० जनवरीको दोपहरके बाद ये शस्त्रास्त्र सब लोगोंको वींटे गये । शंकरको एक हथगोला दिया गया । मदनलालको एक चन्दूक और गनकाटनका एक टुकड़ा मिला । एक हथगोला और एक चन्दूक बडगेके पास रही । १-१ हथगोला गोडसे और करकरेने लिया ।

## २० जनवरीको ही हत्याकी योजना

योजना यह थी कि एक निश्चित संकेतपर गनकाटनका विस्फोट कराया जाय और इससे लोगोंमें जो तहलका मचे उसका लाभ उठाकर और हथगोले फेंके जायें तथा पिस्तौलसे गान्धीजीकी हत्या की जाय। योजनाके अनुसार विस्फोट तो हुआ, पर किसी कारणवश भीड़में घबराहट नहीं हुई और योजनाका अगला भाग कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस समय सब अभियुक्त विद्वलामवन गये थे इसे में सावित कहेंगा। निश्चित समयपर मदनलालने गनकाटनका विस्फोट कराया। लोगोंने उसे देखा और वह पकड़ लिया गया।

## बम्बईसे दिल्लीकी दूसरी हवाई यात्रा

२० को हुई इस घटनाके बाद उसी रातको बढगे और शंकर दिल्लीसे रवाना हो गये और जानेके पहले हिन्दू महासभा भवनके पीछे जमीनमें थैला, गनकाटनका एक टुकड़ा और कुछ कारतूस गाड़ दिये। बादमें पुलिसद्वारा यह निकाला गया। अभियुक्त नं. १ और २ ने भी दिल्ली छोड़ी पर वे दूसरे रास्तेसे गये। वे पहले कानपुर गये और फिर कल्याण और ठाणा और वहाँसे बम्बई गये। करकरे दूसरे दिन मथुरा होकर बम्बईके लिए रवाना हुआ। बम्बईमें वे सब ठाणामें अपने एक मित्रके यहाँ मिले। फिर २७ तारीखको अभियुक्त नं. १ और २ हवाई जहाजसे दिल्लीके लिए रवाना हुए और दोपहरको वहाँ पहुँचे। उसी दिन वे ग्वालियर गये और रातको वहाँ पहुँचे। वे डाक्टर परचुरेके यहाँ गये और २८ को पिस्तौल प्राप्त करनेका काम हुआ। २८ को वे दिल्लीके लिए रवाना हुए और दूसरे दिन दिल्ली पहुँचे। इस बीच अभियुक्त नं. ३ भी २८ तारीखको दिल्ली पहुँचा। उन्होंने पिस्तौल चलाकर देखी और इतमीनान कर लिया कि वह ठीक है।

३० तारीखको वे सब एक साथ प्रार्थनासभामें गये। वहाँ जो कुछ हुआ, बहुत थोड़ेमें बताया जा सकता है। गान्धीजी अपने कमरेसे पैदल प्रार्थना-मैदानकी तरफ आये। उनके वहाँ पहुंचनेपर अभियुक्त नं. १ उनके पास गया और 'नमस्ते गान्धीजी' कहकर उसने १॥-२ फुट दूरीसे अपनी पिस्तौलसे गान्धीजीपर गोलियाँ चलायीं। पिस्तौलमें ७ गोलियाँ थीं जिनमेंसे ३ चलायी गयीं। दो गोलियाँ शरीरके पार निकल गयीं। दोनों गोलियाँ और तीन खाली खोल बादमें पाये गये। विद्वलामवनके एक नौकरने अभियुक्तको घायल किया और वह पकड़ लिया गया। उसको चोटका इलाज भी किया गया। अभियुक्त नं. २ और ३ वहाँसे भागे और दिल्लीसे चलकर २ फरवरीको बम्बई पहुँचे। इस बार वे एक दूसरे होटलमें ठहरे। वे ठाणा

गये और उस आदमीको देखा जिसके यहाँ वे ठहरे थे। वे वहाँसे चले गये, पर फिर लौट आये। अभियुक्त नं. २, १४ फरवरीको पकड़ा गया। बादमें उसी दिन अभियुक्त नं. ३ भी पकड़ लिया गया। ६ फरवरीको बम्बईमें शंकर पकड़ा गया। ५ फरवरीको पूनेमें गोपाल भी पकड़ा गया। ६ फरवरीको जनसुरक्षा कानूनके अनुसार सावरकर भी नजरबन्द कर लिये गये। ७ फरवरीको परचुरे नजरबन्द किये गये। सावरकर और परचुरे मुख्यतः चन्दा एकत्र करनेके लिए जगह जगह घूमते रहे।

इसके बाद श्री दफ्तरोंने दाखिल किये गये कुछ कागज-पत्रोंकी ओर अदालतका ध्यान दिलाया। अप्रैल १९४७ और जनवरी १९४८ के बीच 'अग्रणी' में छपे लेखोंकी ओर उन्होंने जजका ध्यान दिलाया। लेखोंको पढ़ सुनाकर उन्होंने बताया कि अभियुक्त उस समय गान्धीजीकी नीतिके कितने विरोधी थे।

श्री दफ्तरोंका भाषण २ घण्टे १० मिनटतक होता रहा। वे धीरे-धीरे बोलते थे, पर खास जगहोंपर जोर देकर भाषण करते थे। उन्होंने कहा कि २४ जूनको १० बजे दिनमें अदालत विद्वलाभवन चलकर दुर्घटनाके स्थलका मुआइना करे।

अदालतने विद्वलाभवन जाना स्वीकार किया और अभियुक्तोंसे भी पूछा कि क्या वे भी जाना चाहेंगे। नथूरामने कहा कि मेरी कोई खास इच्छा नहीं है। आपटे, करकरे, गोपाल गोडसे और मदनलाल इन चार अभियुक्तोंने और उनके वकीलोंने कहा कि हम भी उसी समय चलेंगे। इसपर श्री दफ्तरोंने अपने साथ अभियुक्तोंको ले जानेपर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि अभियुक्त बादमें भी जा सकते हैं। मैं इनको दुर्घटनाके स्थलका नकशा भी दूँगा। अदालतने उनकी आपत्ति नहीं मानी और जहूरी कड़ा पुलिस बन्दोबस्त करनेके लिए कहा ताकि अभियुक्त वहाँ ले जाये जा सकें। जजने दर्शकों और पत्रकारोंको वहाँ जानेकी मनाही कर दी।

इसके बाद अदालत २४ जूनको दिनमें २ बजेके लिए उठ गयी।

# सचूत पक्षके गवाहोंके वयान

## ३ फरार अभियुक्तोंकी खोज जारी

२१ जूनको दिनमें २ बजे अदालत फिर बँटी । सबकी सम्मतिसे यह तय हुआ कि गवाहोंका वयान जज खुद जहाँतक हो सके केवल अंग्रेजीमें लिख लेंगे । आज सचूतके गवाहोंके वयान शुरू हुए । सबसे पहले ग्वालियर राज्यके एक हेड कान्स्टेबल ईश्वरदत्त मूलचन्दका वयान हुआ । वह अंग्रेजी समझता था, पर हिन्दीमें ही उत्तर देते हुए उसने कहा कि मैं ३० सालका ब्राह्मण हूँ । मैट्रिक पास हूँ । ९ सालसे ग्वालियरकी पुलिसमें और ५ सालसे खुफिया विभागमें काम कर रहा हूँ । मंडलीक नामक इन्स्पेक्टरके नीचे काम करता हूँ ।

सरकारी वकील श्री दफ्तरीने यह बतानेके लिए कि इस मामलेमें तीन अभियुक्त गंगाधर दण्डवते, गंगाधर जाधव और सूर्यदेव शर्मा अभीतक फरार हैं, गवाहसे पूछा गया कि क्या तुम इन तीनोंको जानते हो ? गवाहने कहा कि, हाँ, फरवरी १९४८ तक वे ग्वालियरमें थे, पर तबसे ग्वालियरमें नहीं हैं ।

श्री दफ्तरी — ग्वालियरके इन तीनोंके पते दे सकते हो ?

गवाहने पते दिये और कहा कि वे अब वहाँ नहीं हैं, ३ फरवरीके बादसे वे लापता हैं ।

श्री दफ्तरी — ३ फरवरीको क्यों तलाशी ली गयी ?

गवाह — २ फरवरीको ग्वालियर रक्षा आदेशके अनुसार उनकी खोज की गयी । मैंने खुद तलाशी ली, पर उनका पता नहीं लगा ।

गवाहने कहा कि इन तीनोंको दिल्ली, पूना और बम्बईकी पुलिस भी तलाश कर रही है । तीनोंकी खोजमें दिल्ली, पूना और बम्बईके पुलिस अफसर भी ग्वालियर आते-जाते हैं ।

श्री दफ्तरी — इनकी खोजमें तुम कर्मा ग्वालियरके बाहर भी गये थे ?

श्री दफ्तरी — इस सम्बन्धमें मैं दतिया गया था । दतियाकी पुलिस भी फरारोंकी खोज कर रही है ।

श्री दफ्तरी — क्या खोज अब भी जारी है ?

गवाह — हाँ ।

श्री दफ्तरी — क्या उनकी गिरफ्तारीकी कोई आशा है ?

गवाह—शायद जल्दी गिरफ्तारी होनेकी कोई आशा नहीं है ।

श्री दफ्तरी—जबसे ग्वालियरमें इनकी खोज हो रही है क्या तुम जानते हो कि गान्धी-हत्याकाण्डके मामलेमें इनकी जहरत है ?

गवाह—जबसे दिल्लीकी पुलिस ग्वालियर गयी, तबसे हम जानते हैं कि गान्धी-हत्याकाण्डमें भी इनकी जहरत है । फरवरीसे ही इनकी खोज हो रही है ।

इसके बाद श्री दफ्तरीने कहा कि इस गवाहका काम खतम हो गया ।

सफाईके वकील श्री डांगेने जिरह करते हुए पूछा—क्या ग्वालियरकी पुलिसने तुमको इन लोगोंकी तलाश केवल ग्वालियर राज्यमें, ब्रिटिश भारतमें नहीं, करनेका आदेश दिया था ?

जजने रोककर कहा कि मैं इस सवालका मतलब ही नहीं समझता, क्योंकि सवूत पक्षने गवाहको केवल यह बतानेके लिए पेश किया था कि तीन आदमी फरार हैं ।

डाक्टर परचुरेके वकील श्री इनामदारने जिरहमें पूछा—क्या तुम डाक्टर परचुरेको जानते हो ?

गवाह—हाँ, पिछले ५-६ सालसे जानता हूँ । परचुरे ग्वालियरमें डाक्टरों करते थे और मैं पिछले ६-७ सालसे उन्हें देख रहा हूँ । मैं यह नहीं जानता कि ग्वालियरमें डाक्टर परचुरेकी कोई सम्पत्ति है या नहीं । यह भी नहीं जानता कि फरार आदमियोंकी ग्वालियरमें जमीनें हैं या नहीं । ग्वालियर राज्य गजटमें तीनोंके फरार होनेके बारेमें कोई सूचना छपी थी या नहीं यह भी नहीं जानता । इनामदारने इजलासमें ग्वालियर गजटकी कतरनें पेश कीं जिनसे प्रकट होता था कि ग्वालियर सरकारने तीनों फरारोंके नाम प्रकाशित नहीं किये हैं ।

जलपानके बाद मदनलालके वकील श्री वनर्जाने अदालतमें एक दरखास्त दी कि सवूतकी ओरसे षडयन्त्र और हत्या दोनों अभियोग लगाये गये हैं इसलिए पहले उन्हें षडयन्त्रका अभियोग साबित करना चाहिये और फिर हत्याका । सवूतको घटनाओंके तारीखवार सिलसिलेमें और १९४४ से शुरू कर अपने गवाह पेश करने चाहिये ।

अदालतने यह दलील नहीं मानी और कहा कि सवूतकी ओरसे कोई भी गवाह चाहे जब पेश किया जा सकता है । यदि वे मुझे इस बातका इतमीनान न सकेंगे कि कोई षडयन्त्र रचा गया था तो मैं गवाहोंको रोक दूँगा ।

श्री वनर्जाने इसे मान लिया, पर कहा कि मुझे यह अधिकार रहे कि सवूतकी ओरसे षडयन्त्र साबित करनेके लिए पेश किये गये सब गवाहोंके बयान हो जायेंगे उसके बाद भी मैं किसी भी गवाहसे जिरह कर सकूँ ।

अदालतने कहा कि गवाह कानूनकी दफा १० के अनुसार बयान, जिन्ह और सचूतकी ओरसे फिर बयान यही क्रम रहता है ।

श्री बनर्जी अपनी बातको साबित करनेके लिए कोई कानून नहीं दिखा सके ।

### नाम बदलकर होटलमें ठहरे

इसके बाद दूसरा गवाह फतेहपुरी, दिल्लीके शरीफ हिन्दू होटलका जनरल मैनेजर रामलाल दत्त (पिताका नाम गोकुलचन्द्र मेहता, उम्र ५५ साल) पेश किया गया । उसने कहा कि १७ जनवरीको ३ आदमी होटलमें आये और १९ जनवरीतक कमरा नं० २ में ठहरे । मदनलालने अंग्रेजीमें रजिस्टरकी खानापूरी की । तीनोंने अपने नाम रजिस्टरमें बी. एम. व्यास, मदनलाल और अमचेकर (३३) लिखवाये । गवाहने अदालतके आदेशसे कठघरेमें जाकर मदनलाल और करकरेको पहचाना और कहा कि इन्होंने ही अपना-अपना नाम मदनलाल और व्यास लिखवाया था । बादमें गान्धाराम आत्माराम अमचेकर नामके एक आदमीको सरकारी वकील अदालतमें ले आये और गवाहने कहा कि यही वह तीसरा आदमी है जो होटलमें ठहरा था । जब ये लोग होटलमें ठहरे थे तो एक आदमी आया और उसने पूछा कि मदनलाल किस कमरेमें ठहरा है । मैंने अपने नीकरको उधे कमरा नं० २ में ले जानेको कहा । कठघरेमें जाकर गोपाल गोडसेकी दिखाकर गवाहने कहा कि यही वह आदमी है जिसने आकर मदनलालके बारेमें पूछा था । ऐसा करते समय अदालतने गवाहकी आँखसे ऐनक उतार देनेको कहा ताकि वह अपनी असली आँखोंसे अभियुक्तको पहचाने ।

गवाहने कहा कि तीनों आदमियोंने कहा था कि १९ नारीखको दिनमें ३ बजे हम जायेंगे, पर वे गये नहीं । मदनलालने कहा कि हम बादमें जायेंगे और जो कुछ अतिरिक्त बार्ज होगा उसे दे देंगे ।

### जजद्वारा दुर्घटना-स्थलका मुआइना

इसके बाद अदालत २५ जूनको १० बजेके लिए उठ गयी । आज अदालत बैठनेके पहले स्पेशल जज श्री आरामाचरण, श्री दफ्तरी और श्री भोपटकरके साथ और १० बजे विदलाभवन गये थे । आपटे, करकरे, मदनलाल और गोपाल गोडसे भी पुलिसके कड़े पहरेमें ले जाये गये थे । जजने प्रार्थनास्थलके चारों तरफका हाता देखा, वह स्थान भी देखा जहाँ हरया हुई थी । सचूतकी ओरसे दुर्घटना-स्थलका जो नकशा दिया गया था उससे मिलाकर जजने सब जगह देखी । गान्धीजीने अपने जीवनके आखिरी ५ महीने जिस कमरेमें विताये उसे भी जजने



देखा। सब लोग हत्या-स्थानपर भी गये जहाँ गान्धीजीके खूनकी आखिरी बूँदें गिरी थीं और जहाँ अब सीमेण्टका चबूतरा बनाया गया है। चबूतरेपर 'हाय राम', ५-१७ समय और ३० जनवरी १९४८ तारीख लिखी हैं। गोली लगनेपर गान्धीजीके मुँहसे 'हाय राम' के शब्द निकले थे।

करकरे और शंकरकी ओरसे जो मराठी और तेलगू दुभाषियेका काम कर रहे हैं उन्होंने आज अदालत में शपथ ली कि वे अदालतके प्रति वफादार रहेंगे। इन दुभाषियोंको अदालतने ही नियुक्त किया है। अदालतमें दुभाषियोंको बैठनेको सीट नहीं दी गयी। अतः वे खड़े ही रहे। आज भीड़ कम थी।

२५ जूनको अदालतका काम शुरू होनेपर परचुरेके वकील श्री इनामदारने एक दरखास्त दी जिसपर जजने कहा कि आप पडयन्त्रके अभियोगका और विवरण चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सूर्यप्रकाशकी तरह साफ साफ अभियोग लगा दिये गये हैं, अब और स्पष्टीकरण मैं नहीं कहूँगा। श्री इनामदारने कहा कि सरकारी वकीलने अपने वयानमें ग्वालियरका जिक्र किया और यह भी कहा कि २७ और २८ जनवरीको परचुरेने पडयन्त्रमें भाग लिया, पर अदालतने जो फर्द-जुर्म लगाया उसमें ग्वालियरका जिक्र नहीं है। इससे मेरे मुअक्किलता नुस्सान हो सकता है। अदालतने कहा कि अभियोग साफ साफ है और अब मैं उनमें कोई सुधार नहीं कर सकता।

इसके बाद रामलाल दत्तकी गवाहीका काम फिर शुरू हुआ।

श्री दफतरी—आपके होटलमें कितने नौकर हैं ?

गवाह—उस समय ७ नौकर थे।

दफतरी—किसी अभियुक्तने धोनेके लिए कपड़े दिये थे इसके बारेमें आप कुछ जानते हैं ?

गवाह—जी, एम. व्यास नाम बतानेवाले आदमीने मुझसे कहा था कि कपड़े धुलवानेका इन्तजाम करा दें। मैंने रामसिंह नौकरसे यह काम करनेके लिए कह दिया।

दफतरी—इन तीनों आदमियोंको आपने अपने होटलमें ठहरनेके बाद और भी कहाँ देखा ?

गवाह—हाँ, तीनोंको बम्बईमें देखा था।

अदालत—क्या आपने होटलमें देखा था ?

गवाह—हाँ, पहले होटलमें और बादमें बम्बईमें एक मजिस्ट्रेटके सामने। मुझे दिल्लीकी पुलिस अभियुक्तोंकी शिनाख्तके लिए बम्बई ले गयी थी। शिनाख्त वहीके एक मजिस्ट्रेटके सामने हुई थी और मैंने इन्हीं तीन आदमियोंको पहचाना था।

दफ्तरी—क्या आपको याद है कि दिल्लीकी पुलिसने आपको शिनाख्तके लिए बुलाया था ?

गवाह—हाँ, मुझे २५ जनवरीके करीब दिल्लीकी पुलिसने बुलाया था, पर मैं बीमार था इसलिए नहीं जा सका ।

दफ्तरी—आपके होटलसे शिनाख्तके लिए और किसीको भी बुलाया था ?

गवाह—हाँ, शान्तिप्रकाशको ।

अदालत—हम इस प्रदनका मतलब नहीं समझे । जब शान्तिप्रकाश आयेगे तब आपको वे यह बात बतायेंगे ।

दफ्तरी—अच्छी बात है, हुजूर ( सर ) ।

दफ्तरीने इसके बाद कहा कि इस गवाहसे मेरा काम खतम हुआ ।

करकरके वकील श्री बांगेने जिरह करते हुए पूछा—कितने दिनोंसे आप इस होटलके काममें हैं ?

गवाह—पिछले ७-८ महीनेसे । यहाँ आनेके पहले मैं पाकिस्तानमें रुईकी एक फैक्टरीमें मैनेजर था ।

बांगे—होटल खूब चलता है, हमने सुना है ।

गवाह—हाँ, उसकी उन्नति होती जा रही है ।

बांगे—रोज बहुतसे लोग आते और जाते होंगे । क्या आप याद करके बता सकते हैं कि रोजाना कितने लोग आपके होटलमें आते हैं ?

अदालतने बीचमें ही रोककर कहा कि गवाहने कल होटलका रजिस्टर देखकर बयान दिया था ।

बांगे—मैं उसका स्मरण करके जवाब देनेके लिए कह रहा हूँ ।

—याद करके क्या यह भी बता सकेंगे कि कौन लोग आपके होटलमें उतरने-वालोंसे मिलनेके लिए आते हैं ? क्या आप उन्हें पहचानते ?

गवाह—यदि कोई हमारे होटलमें ठहरता है तो हम उसे पहचान लेंगे । कोई मिलने आता है, उसे भी पहचान लेंगे ।

बांगे—मैं उन मिलनेवालोंके बारेमें पूछ रहा हूँ जो आपके यहाँ ठहरते नहीं ।

गवाह—पर यदि कोई किसीसे मिलने आता है तो मैं उसे रुकनेकी कहता हूँ और फिर अपने नौकरसे मुलाकात करानेके लिए कहता हूँ ।

बांगे—श्री रामलाल, कृपाकर जो पूछता हूँ उसीका उत्तर दें । आप अपने होटलमें कितने घण्टे रहते हैं ?

गवाह—मैं अपने होटलका मालिक हूँ इसलिए.....

बांगे—मेरे सवालका सीधा जवाब दीजिये ।

गवाह—सबेरेसे शामतक ।

डांगे—आपने कहा कि ये और मदनलाल आपके होटलमें आये । आपने कभी इनसे बातें भी की थीं ?

गवाह—व्याससे मुझसे दो-तीन बार बातचीत हुई ।

डांगे—क्या इस आदमीने आपसे कहा कि मेरा नाम व्यास है ?

गवाह—इसने यह कभी नहीं कहा कि मेरा नाम व्यास है, पर इसने रजिस्टरमें हस्ताक्षर करते हुए लिखा—बी. एम. व्यास । दस्तखत करते समय उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम बी. एम. व्यास है ।

डांगे—क्या आपको याद है कि कल आपने कहा था कि रजिस्टरपर मदनलालने खानापूरी की थी ?

अदालत—नहीं, आपने ठीक समझा नहीं । गवाहने कल कहा था कि नाम पहले हिन्दीमें लिखा गया, पर जब गवाहने उसे अंग्रेजीमें लिखनेको कहा तब मदनलाल आगे आया और अपने दोस्तके लिए दस्तखत की ।

डांगे—क्या आपने कभी उसे व्यास कहकर पुकारा था ?

गवाह—मैं उसे 'वावूजी' या 'लालाजी' कहा करता था ।

डांगे - जब कभी रजिस्टरपर कुछ काटा जाता है या बदला जाता है तो आप उसपर अपना दस्तखत करते हैं ?

डांगेने अदालतको बताया कि नं० ४७ काटकर नं० ४८ बनाया गया, पर कोई दस्तखत नहीं की गयी ।

अदालत—आपकी बात समझमें नहीं आयी । यदि आप अपने दोस्तको कोई चिट्ठी लिखते हैं और उसमें बीचमें काटकर ठीक करते हैं तो क्या हर बार कोई दस्तखत करते हैं ?

गवाहने कहा कि मेरे साक्षीदारने काटकूट की है ।

डांगे—क्या आप बता सकते हैं कि पिछले पेजपर मजमून लिखी जगहपर बहुतसी सादी जगह क्यों छोड़ दी गयी है ?

गवाह—मैं इसे बादमें बताऊँगा ।

अदालत—आप गवाहको बहुत बुद्धिमान मानते हैं क्या ?

डांगे—जी, हाँ ।

गवाह—१७ जनवरीको तीनों आनेवालोंके नाम पहले पेजपर एकके बाद नहीं लिखे जा सके इसलिए अगले पेजपर भी लिखा गया और पिछले पेजपर कुछ जगह छोड़ दी गयी ।

डांगे—व्यास होटलमें आया तब क्या पहने था ?

गव ह—बोती और ढोली बौहका कुर्ता ।

गवाहने कहा कि दिल्लीमें पुलिसने मेरा बयान किस दिन लिया यह मुझे याद नहीं । शायद २३ या २४ जनवरीको लिया । कुछ पुलिस कान्स्टेबलों और २१ अन्य गवाहोंके साथ मैं रेलपर शिनाख्तके लिए बम्बई ले जाया गया । बम्बईमें मुझे उसी कमरेमें ठहरना पड़ा जिसमें पुलिसवाले भी ठहरे थे । ४-५ दिन मैं बम्बईमें था । दिल्लीकी पुलिस मेरे साथ शिनाख्तके लिए कचहरी गयी थी इसलिए बम्बईकी पुलिससे मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा ।

डांगने करकरे (व्यास)को खड़ा रहनेके लिए कहा और गवाहसे पूछा—यह आपके होटलमें आया था तो यही कमीज और जाकिट पहने था ?

गवाह—मुझे याद नहीं ।

डांगेकी जिरहके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जाने जिरह की । उन्होंने पूछा—आपने कबसे कारवार शुरू किया ।

गवाह—शरीफ होटल पहले मुसलमानका था । मैंने ११ नवम्बर १९४७ को दिवालीके दिन इसे शुरू किया । मदनलाल जब ठहरा था तब उसका या किसी लड़कीका मामा होटलमें उससे मिलने नहीं आया था ।

अदालत—क्या आप मान लेंते हैं कि यही वह मदनलाल है जो होटलमें ठहरा था ?

बनर्जा—जी हाँ ।

—मदनलाल, जब होटलमें ठहरा था तब उससे मिलने कोई आया था ?

गवाह—मैंने किसीको नहीं देखा ।

बनर्जा—कमरा नं० ३ में ठहरे लोगोंसे मिलने कोई आया था ?

गवाह—मुझे याद नहीं ।

बनर्जा—१७ और १९ जनवरीके बीच कमरा नं० ४ में ठहरे लोगोंसे मिलने कोई आया था ?

गवाहने कहा कि केवल दिमागसे याद कर मैं नहीं कह सकता ।

गवाहने यह भी कहा कि मदनलालने मुझसे कहा था कि मैं भी पाकिस्तानसे आया हूँ । यह नहीं कहा कि मैं अपनी शादीके सिलसिलेमें आया हूँ । यह नहीं जानता कि वह शादीके लिए कोई लड़की देखनें सज्जी-मण्डी गया था । रजिस्टर हर दूसरे-तीसरे पुलिस देख जाती है । २४ जनवरीको पुलिसने रजिस्टर देखा था ।

बनर्जाके जिरह करनेके बाद गोपाल गोडसेने उठकर अदालतसे कहा कि गवाहसे सवाल पूछनेके पहले मैं अपने वकीलसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ ।

मणियारको अपने सुभक्तिलसे करीब एक मिनट बात करनेकी अनुमति अदालतने दी ।

मणियारने पूछा कि मदनलाल जब होटलमें ठहरा था तब गोपाल गोडसे उससे मिलने आया था यह बात आपने पुलिसमें दिये गये बयानमें कही है ?

गवाहने कहा कि मैं उसे पहचान सकता हूँ ।

श्री मणियार—क्या पुलिसने अपनी रिपोर्टमें यह भी लिख लिया था ?

अदालत—इसे वह कैसे बता सकता है । यह कोई जरूरी नहीं कि पुलिस अक्षर अक्षर बयान लिख ले ।

श्री मणियार—गोपाल गोडसे मदनलालसे मिलने कब आया था ?

गवाह—दोपहरके लगभग यह आया था । उसके आनेके बाद १९ तारीखको मदनलालने मुझसे कहा कि मैं २ बजेके बाद भी होटलमें ठहरूँगा ।

श्री मणियार—क्या उस समय आपके पास कोई बैठा था ?

गवाह—जब गोपाल गोडसे होटलमें आया तब मेरा साझीदार मेरे पास था ।

श्री मणियार—मैं कहता हूँ गोपाल गोडसेके आपके होटलमें आनेकी बात झूठी है और बनाबटी है ।

गवाह—गोपाल गोडसे व्यास और मदनलालसे मिलने नहीं आया यह बात ठीक नहीं है ।

श्री मणियारने अदालतसे कहा कि वस मुझे और कुछ नहीं पूछना है ।

श्री दफ्तरीने गवाहसे फिर सवाल पूछा कि क्या जो पुलिसवाले अफसर आपका रजिस्टर देखने होटलमें आते थे वे ही आपका बयान भी लेने आये थे ?

अदालत—यह स्पष्ट है कि वे पुलिसवाले दूसरे होंगे ।

### तीसरा गवाह

इसके बाद तीसरे गवाह शरीफ होटलके साझीदार शान्तिप्रकाशकी ( उम्र २६ साल ) गवाही शुरू हुई । गवाहने करकरोंको पहचाना और कहा कि यही १७ तारीखको व्यास नाम रखकर होटलमें आया था । उसके साथ और कौन आया था इसे मैं नहीं कह सकता । गवाहने गोपाल गोडसेको भी पहचाना और कहा कि यही वह बाहरी आदमी है जो व्यासके साथ आया था ।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैं होटलके काममें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता । जब मन होता है दिनभरमें ४-५ घण्टे आकर बैठता हूँ । बिल वसूल करना और हिसाब किताब देखना मेरा काम है । यदि कोई होटलमें ठहरा या मेरे साथ जिसका ताल्लुक आया उसे मैं पहचान सकता हूँ । व्यास

से मेरी मुलाकात आखिरी दिन करीब आधे घंटे तक हुई। उसने मुझे बताया कि हमलोग दो वजे नहीं, और बादमें जायेंगे। जब व्यास पहले पहल होटलमें आया तब भी मैं उपस्थित था। उसने अपना नाम रजिस्टरमें हिन्दीमें लिखा। दिल्लीकी पुलिसके साथ मैं शिनाख्तके लिए बम्बई गया था और प्रिसेस स्ट्रीट पुलिस थानेकी ऊपरकी मंजिलमें टिका था।

श्री डांगेने कहा कि गवाह बिना पूछे सवालेंका जवाब भी दे रहा है इसलिए अदालतको उसे लिखना नहीं चाहिये। अदालतने डांगेको हलकी सी फटकार बताते हुए कहा कि आप मेरे लिखनेमें दखल न दें। गवाहके अधूरे जवाब मैं नहीं लिखूंगा। वह समझानेके लिए कोई अधिक बात कहेगा तो मैं अवश्य लिख लूंगा।

श्री मणियारके एक प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने पुलिसको उस आदमीकी हुलिया बताया थी जो बाहरसे करकरे-मदनलालसे मिलने होटलमें आया था। किस दिन मेरा बयान पुलिसने लिख लिया यह मैं नहीं जानता।

जलपानके लिए उठनेके आधा घण्टा पहले अदालतकी बिजली आधे घण्टेमें १२ वार फेर हुई और बत्तियाँ पंखे बन्द होते रहे।

### चौथे गवाह खानसामाका बयान

जलपानके बाद अदालत जब बैठी तो होटलके बेयरा या खानसामा रामसिंह बल्द भानसिंह ( उम्र २२ साल ) का बयान शुरू हुआ।

श्री दफ्तरी—कठघरेमें बैठे लोगोंको देखो, इनमेंसे किसीको पहले भी देखा है ?  
रामसिंह कठघरेकी ओर गया और मदनलाल और करकरेकी पहचानकर कहा कि अंग्रेजी सालके पहले महीनेमें ये होटलमें आये थे।

दफ्तरी—वे कब होटलमें ठहरे थे इसे क्या तुम ठीक ठीक जानते हो ?

गवाह—मुझे अच्छी तरह याद है कि वे अंग्रेजी सालके पहले महीनेमें आये थे।

दफ्तरी—क्या तुम खुद उनकी खिदमतमें थे ?

गवाह—हाँ, मैं ही बेयरा था। नं० २ के अलावा और ५ कमरे मेरे जिम्मे हैं।

श्री दफ्तरीने श्री शान्ताराम आत्माराम अमचेकरको अदालतमें बुलाया और गवाहसे पूछा कि क्या तुमने इनको पहले कभी देखा है ?

गवाह—हाँ, उन दो आदमियोंके साथ, जिन्हें मैंने अभी बताया, ये भी कमरा नं० २ में ठहरे थे।

दफ्तरी—तुमने कहा कि इनको अंग्रेजी सालके पहले महीनेमें देखा था। आज भी देख रहे हो। इस बीच कभी और इन लोगोंको देखा था ?

गवाहने कहा कि दिल्ली जेलमें शिनाख्तके लिए हमें ले गये थे और बम्बई भी

ले गये थे तब दोनों चार देखा था । बम्बईमें मैं अपने दोनों मालिकोंके साथ रहा और ११-१२ दिन बम्बई देखता रहा ।

दफ्तरी—दिल्ली जेलमें जब तुम ले जाये गये तब क्या तुम्हारे दोनों मालिक तुम्हारे साथ थे ?

गवाह—वे वामार थे ।

अदालतने पूछा कि दिल्ली जेल और बम्बईमें क्या तुम शिनाख्तके लिए गये थे ? दफ्तरीने कहा कि उसने दिल्लीमें एक आदमीकी और बम्बईमें दूसरेकी शिनाख्त की ।

दफ्तरी—दिल्लीमें तुमने किसकी शिनाख्त की ?

गवाह—करकरकी ।

अदालतने कहा कि इस बातका साफ पता नहीं चलता कि गवाहने अभी जिन दो आदमियोंको पहचाना वे कौन थे ।

दफ्तरी—गवाहने पहले क्या कहा इसे आप देखिये तब बात साफ हो जायगी ।

दफ्तरी—रामसिंह, जब ये तीनों आदमी होटलमें ठहरे थे तो क्या इनमेंसे किसीने कपड़ा धोनेके लिए दिया था ?

गवाह—हाँ, मैंनेजने मुझसे कमरा नं० २ से कपड़ा लेनेके लिए कहा था । पञ्जाबी ( मदनलाल ) से मैंने कपड़ा लिया । कपड़े लेकर मैं लाण्डी गया और बादमें फिर धुल जानेपर वापस लाकर करकरको दिया ।

गवाहीके बाद सफाईके वकाल श्री डांगेने पूछा—तुम कहाँतक पड़े हो ?

अदालत—क्या वह पढ़ा-लिखा मालूम होता है ?

गवाह—मैं पढ़ना-लिखना नहीं जानता । मैं चारहो अंग्रेजी महीनोंके नाम नहीं बता सकता । एक और बेयरा हरि नामका उस समय काम करता था, पर बादमें वह होटल छोड़कर अपने घर चला गया ।

वनर्जी—तुम खुद लाण्डी कपड़े ले गये या हरिको दिये ?

गवाह—मैं खुद ले गया ।

अदालत—यह वह पहले ही बता चुका है ।

वनर्जी—यदि अदालत वह बयान देखे जो इसने पुलिसवालोंको लिखाया तो उसमें लिखा मिलेगा कि इसने लाण्डी ले जानेके लिए हरिको कपड़े दिये ।

अदालतने गवाहसे पूछा कि क्या तुमने पुलिससे कहा था कि हरि कपड़े लाण्डीमें ले गया था ?

गवाह—नहीं हुआ । गवाहने यह भी कहा कि मुझे ३२) और खाना मिलता है । होटलमें २० कमरे हैं और चार बेयरे । कमरा नं० १ खाली था । नं० ११ में

कोई ठहरा था, पर कौन ठहरा था मैं नहीं जानता। श्री वनजानि कहा कि जिरह खतम हो गयी।

### पाँचवाँ गवाह

इसके बाद होटलमें करकरे और व्यासके साथ ठहरे शान्ताराम आत्माराम अमचेकरको सवृत पक्षने अपना पाँचवाँ गवाह पेश किया। शान्ताराम ( उम्र ३० साल ) हिरलोक सावन्तवाडी ( बम्बई प्रान्त ) में रहता था।

शान्तारामकी गवाही अब तककी पाँचों गवाहियोंमें सबसे अधिक महत्त्वकी रही। शान्ताराम कराचीसे आया शरणार्थी है। उसने कहा कि मैं १५ जनवरीकी रातको ९। बजे बम्बईसे पेशावर एक्सप्रेसमें तीसरे दर्जेके डिब्बेमें दिल्ली चला। आते हुए करकरे और मदनलालसे अपने ही डिब्बेमें मुलाकात हुई और मैं उन्हींके साथ शरीफ होटलमें १८को और १९ की शाम तक ठहरा था। करकरेने गाड़ीमें मुझसे कहा कि मैं हिन्दू महासभाका एक कार्यकर्ता हूँ और इसी सिलसिलेमें दिल्ली जा रहा हूँ।

अमचेकर कराचीमें सरकारी नौकर था और १२ जनवरीको बम्बई पहुँचा। बरली शरणार्थी कैम्पमें वह ठहरा था और वहाँसे टिकट लेकर अपनी नौकरी पाकिस्तानसे हिन्दमें ट्रांसफर कराने वह दिल्ली आया था। गाड़ीमें दूसरे दिन सवेरे लोगोंने कहा कि ट्रेन ४-५ घण्टे लेट है। मैं सोचने लगा कि यदि मेरा काम दिल्लीमें उसी दिन नहीं हुआ तो मैं कहाँ ठहरूँगा। मराठी छोड़कर और किसी भाषामें मैं बोल नहीं सकता था। इतनेमें मराठीमें किसीकी बातचीत सुनी। मैंने सोचा यह हमारे मुलूकका है और गाड़ी यदि लेट पहुँची तो यह हमारी मदद कर सकता है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने कहा दिल्लीको और पूछनेपर अपना नाम करकरे बताया।

करकरेकी ओर उँगली दिखाकर गवाहने कहा कि यही वह आदमी है।

गवाहने आगे कहा—करकरेने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कराचीसे आया एक शरणार्थी सरकारी नौकर हूँ और अपनी नौकरी हिन्दमें ट्रांसफर कराने दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि यदि गाड़ी दिल्ली लेट पहुँची तो क्या मेरे रहनेका बन्दोबस्त आप कर दोगे? करकरेने कहा कि विड़ला मन्दिरमें कोई इन्तजाम कर दूँगा।

गवाहने मदनलालको दिखाकर कहा कि यह भी उसी डिब्बेमें था, पर मैं तब तक यह नहीं जान सका था कि मदनलाल भी करकरेके साथ जा रहा है, जधतक हम दिल्ली स्टेशनपर नहीं उतरे और करकरेने मदनलालको नहीं पुकारा।



गाड़ी शनिवार १७ जनवरीको दिनमें १२॥ बजे दिल्ली पहुँची। हमलोग स्टेशनसे तोंगेपर रवाना हुए और पहले हिन्दू महासभाके दफ्तर गये। वहाँ जगह नहीं मिली इसलिए विड़ला-मन्दिर गये। वहाँ भी जगह नहीं थी। तब हमने तागेवालेसे कहा कि चाँदनी चौकमें किसी होटलमें ले चलो। तोंगा जा रहा था तब शरीफ होटलका साइनबोर्ड दिखाई दिया। हमलोग होटलमें गये, यहाँ एक कमरा मिला जिसमें हम ठहरे। कमरेका नं० २ था। होटलमें मदनलालसे मेरी बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं मोसंबीका व्यापारी हूँ। अहमदनगरमें मोसंबी खरीदता हूँ और बम्बईमें लाकर बेचता हूँ। करकरे मेरे कारवारमें रुपया लगाता है। मदनलाल करकरेको 'सेठ' कहा करता था।

१७ को मैं दिल्ली पहुँचा और १९ को शामको बम्बईके लिए रवाना हुआ। १८ को सबेरे रविवारको हमलोग घूमनेके लिए जाना चाहते थे। करकरेने कहा कि हम स्टेशन जायेंगे क्योंकि कोई आनेवाला था।

दूसरे दिन मैं दफ्तर गया और फार्म भरकर ३ बजे वापस आया।

ट्रान्सफर व्यूरोके एक अफसरने इस बातकी ताईद की कि गवाहने दफ्तरमें आकर फार्म भरा था। उसने अदालतको फार्मकी कापी भी दी।

आज अदालत उठनेके पहले नथूरामने उठकर अदालतसे अनुरोध किया कि सुखविर बडगे और अभियुक्त शंकरको इस तरह रखा जाय कि बडगे शंकरसे या और किसी अभियुक्तसे मिल न सके। आजकल वे ऐसे रखे गये हैं कि एक-दूसरेसे मिल सकते हैं। अदालतने नथूरामकी बात मान ली और कहा कि हम बडगेको अलग-अलग जेलमें तो नहीं, पर एक ही जेलमें दूरके कमरेमें रखनेका आदेश देंगे।

इसपर सरकारी वकील दफ्तरने कहा कि वाकी अभियुक्त भी ऐसे रखे जायें कि एक-दूसरेसे मिल न सकें। जजने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं।

इसके बाद अदालत सोमवार २८ जूनके दिनमें १० बजेके लिए उठ गयी जब अमचेकरकी गवाही लेनेका काम जारी रहेगा। जजकी इच्छा थी कि शनिवारको भी अदालत बैठा करे, पर अभियुक्तोंके वकीलोंने कहा कि हफ्तेमें ६ दिन काम करनेसे गवाहोंसे मिलकर उनकी बातें सुननेका टाइम हमें नहीं मिलेगा। भोपटकरने कहा कि जबतक सख्त गरमी पड़ रही है तबतक तो हफ्तेमें ५ ही दिन काम हों। जजने कहा कि कल महीनेका आखिरी शनीचर है और दिल्लीको दौरा अदालतके रिवाजके मुताबिक मैं कल अशक्त नहीं कहूँगा, पर आगेसे शनिवारको भी अदालतका काम करनेपर मुझे सोचना पड़ेगा।

२८ जून १९४८

आज अदालतमें गान्धी-परिवारके श्री कन्ू गान्धी भी उपस्थित थे । यह पहला अवसर था जब गान्धी-परिवारका कोई व्यक्ति गान्धी-हत्या-काण्डके मुकदमेकी सुन-वाईके समय उपस्थित रहा हो । आज श्री अमचेकरकी गवाहीका काम जारी रहा । उन्होंने कहा—

ट्रान्स्फर ब्यूरोसे लौटनेके बाद मैं होटलमें अपने कमरेमें गया । करकरे, मदनलाल तथा एक और आदमी वहाँ था । करकरे और वह आदमी एक खटिया-पर बैठे थे और मदनलाल दूसरी खटियापर था । मेरे कमरेमें घुसते ही करकरेने मुझसे कहा कि मदनलाल श्री शादीके सिलसिलेमें हमलोग जालन्धर जा रहे हैं और होटल छोड़ देंगे तथा इस बीच महाराष्ट्र निवासमें रहेंगे । मैंने उनसे कहा कि मेरा काम खतम हो गया और मैं आज शामको ही बम्बई लौट जाऊँगा । मैंने करकरेसे पूछा कि बम्बईका आपका पता क्या है, पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई जहरत नहीं । मैं दो घण्टे तक कमरेमें रहा । बीचमें १५ मिनटके लिए टाउनहाल गया था । वहाँ शरणार्थियोंको रेलके टिकट मुफ्त बाँटे जाते थे, पर मुझे नहीं मिला और मालूम हुआ कि उस दफ्तरमें टिकट नहीं बटते । जानेके पहले करकरेने मुझसे कहा था कि हमलोग जल्दी क्रमरा छोड़ देंगे और टाउनहालसे जल्दी लौट आइये । वे होटल छोड़नेकी जल्दीमें थे, पर धोत्रीके यहाँसे कपड़े नहीं आये थे, इसलिए उन्हें देर हो रही थी ।

यह पूछनेपर कि कमरेमें उस समय जो तीसरा आदमी था वह कौन था, गवाहने कटघरेमें बैठे गोपाल गोडसेकी ओर इशारा किया । पूछनेपर गवाहने कहा कि मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई । शामको ५ बजे मैं होटल छोड़कर चला उस समय भी तीनों कमरेमें थे । करकरेको होटलके बिल मिले थे । मैंने उन्हें देखाकर अपने हिस्सेका २०) दे दिया । १७ तारीखको जब हम लोग दिव्रो पहुँचे, तो रेलसे उतरनेपर करकरेने मेरा टिकट माँग लिया, जब हम लोग गेटसे बाहर निकलने लगे तो करकरेने टिकट कलक्टरको टिकट नहीं दिया । मदनलाल और करकरेके पास मिलाकर एक बिस्तर और एक ट्रंक जो करीब डेढ़ फूट लम्बा होगा, था । ट्रैनमें बिस्तरपर करकरे ही सोया था और ट्रंककी चाभी भी उसके पास थी, क्योंकि जब ट्रंक गोलना पड़ता तब मदनलाल करकरेसे चाभी माँगता । पहले दिन होटलमें पहुँचनेके दो घण्टे बाद करकरे बाहर गया और मैं मदनलालके साथ चौदवी चाँक गया । मदनलालने कहा कि यहाँ मेरे मामा रहते हैं । मुझे सड़कपर छोड़कर वह एक घरमें

धुसा । १५ मिनट तक मैं उसकी राह देखता रहा, पर जब वह नहीं लौटा तो और घूमने चला गया । रातको मदनलालसे मैंने पूछा कि तुम लौट क्यों नहीं आये तो उसने कहा कि मामांने मुझे रोक रखा था । दूसरे दिन रविवारको मैं मदनलालके साथ सञ्जीमण्डी गया । वहाँ उसने मुझे एक मकान दिखाया, पर वह अन्दर नहीं गया । हम लोग होटल लौट आये, फिर सञ्जीमण्डी गये, क्योंकि मदनलालने कहा कि शादीके लिए एक लड़की देखने में अपने एक रिश्तेदारके यहाँ जाना चाहता हूँ । शामको जब हम सञ्जीमण्डी गये तो मदनलाल सवेरे दिखाये मकानके सामने कोनेवाले एक मकानमें गया । उसने कहा कि यहाँ वह लड़की रहती है । हम लोग उस घरमें करीब १ घण्टे तक रहे । ७ बजे शामको एक और शरणार्थी मदनलालके साथ आया । शामको होटलमें मदनलालने और मैंने साथ साथ खाना खाया । करकरे वहाँ नहीं था । मैं सोने चला गया, उस समयतक भी करकरे लौटा नहीं था । सवेरे जब सोकर उठा उस समय भी वह नहीं था । दूसरे दिन ट्रान्स्फर च्यूरोसे मैं लौटा तब मैंने करकरेको देखा ।

अभियुक्तोंकी शिनाख्तके लिए पुलिस मुझे अपने गाँवसे बम्बई ले गयी थी । चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटके सामने मैंने अभियुक्तोंको देखा था । इन लोगोंको मैंने पहले कभी नहीं देखा था ।

वयान खतम होनेके बाद जब श्री दफ्तरी अपनी जगहपर बैठे तो नथूराम गोडसेने खड़े होकर कहा कि अदालतमें शिनाख्त कराना ठीक नहीं है । अभियुक्तोंके चित्र अखबारोंमें छप गये हैं, मुकदमेकी फ़िल्म भी दिखायी जा रही है । अदालतमें ऐसी हालतमें किसीकी शिनाख्त करना बहुत आसान है ।

जजने कहा कि मेरे संतोष और अदालती रिकार्ड पूरा करनेके लिए शिनाख्तकी काररवाई कराना जरूरी था । गोडसेने कहा कि दिल्ली और बम्बईमें दो बार शिनाख्तकी काररवाई हो चुकी है । अब जब कि सबके फोटो छप चुके हैं, फिर अदालतमें भी शिनाख्त हो रही है ।

अदालतने कहा कि जब तक मजिस्ट्रेटके सामने शिनाख्त नहीं होती, अभियुक्त परदेके अन्दर रखे जाते हैं, पर उसके बाद उन्हें खुला ही रखते हैं । अभियुक्त आठ हैं और उनमेंसे किसी एकको पहचानना है यह आपके फायदेकी बात है । यह आपका भाग्य है कि अच्छे कपड़े पहननेको मिल रहे हैं और अच्छा बर्ताव हो रहा है, अन्यथा ऐसे अभियुक्त पैदल इधर-उधर घुमाये जाते हैं और सब कोई उन्हें देख सकता है । फिर भी अभियुक्तको कोई उज्र है तो वह अपने वकीलसे कहे और वकील अदालतको बतावे ।

श्री डांगेने अमचेकरसे जिरह की तो उन्होंने कहा—कराचीमें सिविल सप्लाई विभागमें नौकरी करनेके पहले मैं प्रूफरीडर था और ४०) पाता था। सरकारी नौकरीमें मुझे १३५) मिलता था। कराचीसे विना अपने अफसरकी अनुमति लिये मैं चला आया। ऐसा करनेपर भी बम्बई लौट आनेके बाद मैंने सोचा कि मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, इसलिए ट्रान्स्फर व्यूरीमें फार्म भरनेके लिए दिल्ली आया। करकरसे पहले पहल मेरी मुलाकात ट्रेनमें १६ जनवरीकी सवेरे ८ बजेके करीव हुई जब वह मराठीमें किसीसे बातचीत कर रहा था।

जजने श्री डांगेसे कहा कि मराठीमें आप सवाल न पूछें क्योंकि कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसे मैं आपत्तिजनक समझूँ।

श्री अमचेकरने आगे कहा कि मुझे राजनीतिमें दिलचस्पी नहीं है। हिन्दूसभाका क्या कहना है यह मोटे तौरसे जानता हूँ, पर उसकी नीतिके बारेमें विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं यह नहीं जानता था कि करकरे शरणार्थियोंमें भी काम करता था। यह भी नहीं जानता था कि अहमदनगरमें उसके कई होटल हैं जहाँ शरणार्थियोंको सुफ्तमें खाना दिया जाता है। करकरेने मुझसे कहा था कि बम्बईमें उसके कई होटल हैं। मदनलाल करकरेको 'सेठ' कहता था। 'सेठ' का मतलब मैं अमीर आदमी समझता हूँ। करकरेसे मेरा सम्बन्ध मामूली था। १८ जनवरीको करकरेने मुझसे कहा था कि कोई आनेवाला है। वह आदमी कौन था और वह आया या नहीं इसकी मैंने पूछताछ नहीं की। यह मेरी दिल्लीकी पहली यात्रा थी, इसलिए इसके बारेमें इतनी अधिक बातें याद रहीं।

डांगे वकीलने पूछा कि दिल्लीकी यह पहली यात्रा थी तो आप अकेले घूमने कैसे निकले थे ? इसपर अदालतने कहा कि आप क्या उनको १० सालका बच्चा समझते हैं ? वे कराचीसे बम्बई अकेले नहीं गये ?

गवाहने आगे कहा—जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास ९० रुपयेके करीव था, लौटते वक्त ५० के करीव रहा होगा।

श्री वनजाँके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैं २१ जनवरीको वापस बम्बई पहुँचा और २७ जनवरीको वहाँसे अपने गाँवके लिए रवाना हुआ। पुलिसने मुझे बुलाया तबतक मैं बराबर अपने गाँवमें ही रहा। हम जब दिल्ली पहुँचे तो मदनलालने कहा कि सब लोग मेरे मामाके यहाँ ठहरें। १८ को मैं मदनलालके मामाके यहाँ गया और उनसे सब बातें कीं। शामको जब हम उस मकानमें गये जो मदनलालकी भावी पत्नीके मकानके सामने था तो हमें चाय दी गयी और बहुत-सी औरतें मदनलालको देखने आयी थीं। मैं मदनलालके साथ १८ तारीखको एक सभामें भी गया था। इसमें पहले श्री जयप्रकाश नारायणने और बादमें पण्डित

जवाहरलाल नेहरूने भाषण किया। जब जयप्रकाश चोल रहे थे तो मदनलालने चिन्नाकर कहा कि मुझे वम्बईमें एक सभामें भाषण करने नहीं दिया गया तो इन्हें इस सभामें भाषण करने क्यों दिया जा रहा है। इसपर मैंने यह सोचकर कि मदनलालपर पुलिस या सुननेवालोंमेंसे कोई हमला कर सकता है उसका साथ छोड़ दिया।

१८ को मदनलालके साथ होटलमें जो आदमी आया उसने खाना खाया और वहीं रहा तथा दूसरे दिन मुझे ट्रान्स्फर व्यूरो ले गया। पर मुझे यह याद नहीं है उस व्यक्तिका परिचय मुझसे उस मकानमें किया गया जहाँ हम चाय पीने गये थे।

मणियार वकीलके जिरह करनेपर गवाहने कहा - करकरे और मदनलालके साथ होटलमें मैंने जिस आदमीको देखा था उसका नाम मैंने पुलिसको नहीं बताया था, पर आज जिस आदमीकी ओर इशारा किया वही करकरे और मदनलालके साथ रहा। वम्बईमें शिनाख्तकी काररवाई होनेके पहले मैंने गोपालकी कोई फोटो नहीं देखी थी।

श्री दफ्तरीके फिर पूछनेपर गवाहने कहा कि करकरे और मदनलालके साथ जो आदमी रहा उसका नाम मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने पुलिसको उसका नाम नहीं बताया।

जलपानके बाद जब अदालत बैठी तो मदनलालके वकीलने कहा कि मदनलालकी तबीयत ठीक नहीं है। मदनलालने भी कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, सिर दर्द हो रहा है और सामने जो बिजलीका बल्ब लटक रहा है उससे आँखोंकी तकलीफ हो रही है। अदालतने उसे बगलवाले कमरेमें कुछ देर आराम करनेकी अनुमति दी। इन्स्पेक्टरने कहा कि एक डाक्टर बुलाया गया है और वह पहुँचता ही होगा। उनके कहनेपर मदनलालकी धूपका काला चश्मा दिया गया ताकि बत्तीकी चमकाहटसे तकलीफ न हो। ४५ मिनटके बाद डाक्टर आया और मदनलालकी पासवाले कमरेमें ले जाया गया।

श्री दफ्तरीके कहनेपर अदालतने मुखविर बडगेको जेलसे अदालतमें लानेका आदेश इन्स्पेक्टरको दिया।

### छठे गवाहका वयान

छठे गवाह हीगनंदानीने कहा कि मैं सिंधी हूँ। उम्र ३९ साल है। गृह-विभागके ट्रान्स्फर व्यूरोमें क्लर्क हूँ। मेरा दफ्तर उन लोगोंकी अर्जियाँ लेता है जो अपनी नौकरियाँ हिंदमें बदलवाना चाहते हैं। एक अर्जों दिखलायी जानेपर गवाहने कहा कि यह डाकसे नहीं आयी है, इसलिए खुद कोई दे गया होगा। अर्जोंपर खाना-

पूरी होनेके बाद मैं दस्तखत करता हूँ । अर्जा नं० ५२८६ की खानापूरी शांताराम अमचैकर नामके एक आदमीने की । एक रजिस्टर भी रखा गया है जिसमें यही नम्बर है । गवाहसे जिरह नहीं की गयी ।

### सातवाँ गवाह

सवृतके सातवें गवाह रामचन्द्रने कहा कि मैं राजपूत हूँ, उम्र २३ साल है, नयी दिल्लीके मेरीना होटलमें आनेवालोंके नाम लिखनेका काम करनेवाला क्लर्क हूँ । आनेवालोंके नाम एक रजिस्टरमें लिखे जाते हैं । १७ जनवरीको २ आदमी आये और उन्होंने अपना नाम एम्. देशपांडे और एम्. देशपांडे लिखाया । गवाहने नथू-राम गोडसे और आपटेको पहचाना और कहा कि ये ही दो आदमी आये थे । एस्. देशपांडेने रजिस्टरमें खानापूरी की । उनको ४० नम्बरका कमरा दिया गया । होटलमें कई रजिस्टर हैं । दिनके रजिस्टरमें खर्चका हिसाब लिखा जाता है और उसीसे विल बनाये जाते हैं । इन दोनोंका आखिरी विल दूसरे क्लर्क श्री मार्टिन थेडियसने बनाया था । चिट्ठमें शराब आदिके खर्चका भी एक खाना है । यदि किसीको शराबकी जरूरत रहती है तो वह एक चिट्ठपर दस्तखत करता है । कभी कभी चिट्ठकी नकल भी रहती है और कभी नहीं । १७ जनवरीकी ऐसी ही चिट्ठपर और १८ जनवरीकी दो चिट्ठोंपर एस्. देशपांडेके दस्तखत हैं ।

१० मिनटके बाद मदनलाल अदालतमें वापस लाया गया और फिर रामचन्द्रकी गवाहीका रका काम शुरू हुआ । उसने कहा—२० जनवरीको रात ११ बजे पुलिस होटलमें एक आदमीको ले आयी । मैं उस समय होटलमें अपनी व्यूटीपर था । मैंने उस आदमीको देखा नहीं, उसके ऊपर कंबलकी तरह कोई चीज लपेटी गयी थी । उस समय मैंनेजर श्री सी. पन्नेको होटलमें थे । पन्नेकोके साथ पुलिस उस आदमीको सीढ़ीसे ऊपर ले गयी । मैं भी बादमें ऊपर ४० न० वाले कमरेमें बुलाया गया । पुलिसने कमरेकी तलाशी ली और टाइप किया हुआ एक कागज उसे मिला । पुलिस उसे ले गयी । (गवाहने उस कागजको अदालतमें भी पहचाना) नं० ४० के कमरेका वेधरा कालीराम कुल कपड़े ले आया और कहा कि ये इसमें टिके लोगोंके हैं । पुलिस उन कपड़ोंको ले गयी ।

सवृत पक्षने ८ कपड़े पेश किये और वे अदालतमें एक्जिचिउटके तौरपर रखे गये । इनमें एक -गरम सूट, सूती ट्राउजर, पापलीनका सफेद शर्ट, २ सफेद लुंगियाँ, बंबईया पैजामा, जवाहर कोट, एक रुमाल और एक तौलिया था जिसपर एन० बी० जी० लिखा था ।

श्री ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा— १७ जनवरीके पहले मैंने इन दो आदमियोंको कभी नहीं देखा था। वे जब होटलमें थे तो ताली लेते या जमा करते समय दिनमें १-२ बार दिखाई देते थे। दो बार दिल्ली जेलमें मैंने इनकी शिनाख्त की। २० जनवरीको पुलिस होटलका रजिस्टर देखने आयी और चेक कर दस्तखत कर चली गयी। ५ फरवरीको वह रजिस्टर तथा अन्य कागज पत्र ले गयी।

श्री मंगलेके पूछनेपर गवाहने कहा—मेरा काम आनेवालोंकी पूछताछ करना, उनके नाम रजिस्टरमें लिख लेना और जब वे जाने लगे तो बिल तैयार कर देना है। मुझे और कुछ नहीं करना पड़ता। ये दोनों जब आये तो मेरे सामने २-४ मिनट तक थे। आपटे खाकी हाफपैण्ट, सफेद शर्ट और ऊनी मफलर पहने था। मफलरका रङ्ग याद नहीं। नं० ४१ का कमरा एयर सर्कुलेशन आव इण्डिया लिमिटेडको दिया गया है। १७ से १९ जनवरीतक उसमें कंपनीके ६ अफसर ठहरे थे। ४२ नम्बरके कमरेमें १७ जनवरीको मेजर रेक्स नामका एक आदमी आया। वह दूसरे दिन चला गया। १९ तारीखको श्री जी० अब्रिलैंको नामका आदमी आया।

### आठवाँ गवाह

आठवाँ गवाह मेरीना होटलका बड़ा बेयरा नारायणसिंह था। नारायणसिंहने कहा कि मेरा काम और बेयराके कामोंपर नजर रखना और कभी कभी कोई बेयरा गैरहाजिर हो तो कमरोंमें चाय आदि देना है। गवाहने अभियुक्त करकरे और शंकरकी ओर इशारा कर कहा कि मैंने इन्हें कमरा नं० ४० में चाय पीते देखा है। वंबईमें मैंने इनकी शिनाख्त की थी। उस दिन कमरा नं० ४० में मैं ५ कप चाय ले गया था। पहली बार दो कप तो कमरेमें टिके लोगोंके लिए ले गया था, बादमें तीन कप बाहरसे मिलनेके लिए आये लोगोंके लिए ले गया था।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैंने होटलमें सैकड़ों लोगोंको चाय दी है।

श्री मेहताके जिरह करनेपर उसने कहा—उस दिन मैंने शंकर और करकरेको होटलमें करीब १५ मिनट देखा था। पहले भी एक दो बार होटलमें इन्हें देखा था।

नारायणसिंहने अदालतसे कहा कि मैंने वम-विस्फोटके २०-२५ दिन बाद पुलिसको बयान दिया था। पुलिसको मैंने इन दो आदमियोंकी हुलिया भी बतायी थी। उनकी ऊँचाई भी अन्दाज़ से पुलिसकी लिखायी थी।

श्री मेहताके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि यदि मैं किसीको एक-दो बार देखूँ या किसीको खास तौरसे देखूँ तो बादमें उसे पहचान लूँगा।

आज बडगे अदालतमें बगलवाले कमरेमें लाया गया था, पर किसी भी गवाहीमें उसका काम नहीं पढा इसलिए अदालतमें नहीं लाया गया। अदालतने उसे कल हाजिर रखनेका आदेश दिया।

### नौवाँ गवाह मेहरसिंह—२९-६-४८

आज अदालतमें सबसे पहले नयी दिल्लीके केन्द्रीय तामीरात-विभागके जङ्गल-विभागके सिपाही मेहरसिंहकी गवाही हुई। उसने कहा कि जिस दिन गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें वम-विस्फोट हुआ उस दिन मैं अपने दो साथी प्यारेलाल और कप्तानके साथ अपने क्षेत्रमें चकर लगानेके लिए रोजकी तरह गया था। दिनमें ११ बजे पाँचकुई पुलक्षेत्रके पास चार आदमी मिले। इसके अतिरिक्त उस दिन और कोई घटना नहीं हुई। मैंने उन लोगोंसे पूछा कि आप क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम बाहरसे शहर देखने आये हैं और घूम रहे हैं। उनके इस तरह घूमनेसे मेरे मनमें सन्देह हुआ था और इसीलिए मैंने वह सवाल पूछा था। इन लोगोंसे मेरी मुलाकात विड़ला-मन्दिर और हिन्दूसभा कार्यालयके पीछे करीब ३ फर्लागकी दूरीपर हुई थी।

शिनाख्तके लिए सरकारी वकील श्री दफ्तरीने अदालतसे कहा कि बडगेको कठघरेमें लाया जाय। इसपर वकील मँगलेने आपत्ति की और फिर गवाह एक दीवालके पीछे हटा दिया गया और बडगे लाकर अभियुक्तोंमें बँठा दिया गया। माफी मिलनेके बाद आज बडगे पहली बार अदालतमें लाया गया था। इसके बाद मेहरसिंह फिर अदालतमें लाया गया। कठघरेकी ओर जाकर उसने शंकर किस्तीया, गोपाल गोडसे, आपटे और बडगेकी ओर इशारा करके बताया कि ये ही वे ४ आदमी थे जिनको विस्फोटके दिन मैंने देखा था।

श्री मँगलेके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि इस घटनाके डेढ़ महीनेके बाद पुलिस मेरे पास आयी। विस्फोटके दिन इन लोगोंसे मेरी बातचीत ५-७ मिनट हुई होगी। जिस दिन बातचीत हुई और जिस दिन पुलिस आयी उन दोनों दिनोंके बीच मैंने इनमेंसे किसीको नहीं देखा। मैं सदर दफ्तरमें था जब पुलिसवाले मेरे पास आये थे। एक पुलिस सब इन्स्पेक्टर आया और मुझे तुगलक रोड पुलिस-स्टेशनपर ले गया। १ महीनेके बाद मुझे बम्बई ले जाया गया जहाँ एक नजिस्ट्रेटके सामने इन लोगोंकी शिनाख्त की गयी। जब मुझे तुगलक रोड पुलिस-स्टेशनपर ले गये थे उस समय आपटे और करकरे वहाँ नहीं थे।

श्री मँगलेने पूछा कि तुम जब बम्बईमें शिनाख्त कर रहे थे तब क्या आपटेने यह शिकायत नहीं की थी कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशनपर तुमने उसको पहले ही



देखा था। गवाहने कहा कि आपटेने यह शिकायत की थी कि बहुतसे लोगोंने मुझे गिरफ्तारीके समय देखा था। उसने मेरा नाम कोई खास तरहसे नहीं लिया था।

श्री वनजीके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि विस्फोटकी बात मुझे विस्फोटके दिन ही मालूम हुई। यह पूछनेपर कि क्या तुम्हारे पास रेडियो है, गवाहने कहा कि मैं शरणार्थी हूँ, मेरे घरपर पानी भी नहीं है। विस्फोटके दिन मैंने २॥ मीलका चक्कर लगाया था।

मेहता वकीलने पूछा कि जितने लोग उस जंगलमें जाते हैं सबकी रिपोर्ट तुम करते हो? गवाहने कहा कि नहीं, जब देखता हूँ कोई शरारत करनेके ख्यालसे आया है तो रिपोर्ट करता हूँ। इन चारोंसे मिलनेकी रिपोर्ट मैंने नहीं की थी क्योंकि आवश्यक नहीं समझा था।

श्री मणियार वकीलके जिरह करनेपर मेहरसिंहने कहा कि मैं कोई ४ सालसे नौकरी कर रहा हूँ। गोपाल गोडसेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि चारों आदमियोंमें यह भी एक था और इसीने मेरे सवालका जवाब दिया था।

### वाइविलकी खोज

इसके बाद मेरीना होटलके एंग्लो इंडियन मैनेजर श्री पचेको गवाही देने खड़े हुए। श्री दफ्तरीने कहा कि वे ईसाई हैं इसलिए कसम खानेके लिए वाइविलकी जरूरत है। कचहरीमें वाइविल नहीं थी। इसपर नथूराम गोडसेने खड़े होकर कहा कि जिस जेलमें मैं बन्द हूँ वहाँ एक वाइविल है। एक पुलिस अफसर उसे लानेके लिए तुरन्त भेजा गया और उसकी प्रतीक्षामें अदालतकी काररवाई कुछ देर रुकी रही। पुलिस अफसरके जानेके बाद निश्चय हुआ कि वाइविल लायी जाने तक किसी और गवाहकी गवाही ली जाय।

### दसवाँ गवाह

मेरीना होटलके बेशरा कालेरामने बयान देते हुए कहा कि जिस दिन विडला-भवनमें विस्फोट हुआ था वह दिन मुझे याद है। मैं उस दिन कमरा नं ४०, ४१, ४२ और ४५ की खिदमतमें था। ४० नम्बरके कमरेमें कौन ठहरे थे यह मुझे याद है। गवाहने नथूराम गोडसे और आपटेको पहचान कर कहा कि वे ही दो आदमी कमरा नम्बर ४० में ठहरे थे। वम फटनेके ३ दिन पहले रात ९ बजे सबसे पहले मैंने इन्हें कमरेमें देखा था। चौथे दिन दोनों होटल छोड़कर चले गये। वे आपसमें मराठीमें बोलते थे इससे मैंने समझा कि वे बम्बईकी तरफके रहनेवाले हैं। मैं बम्बई-

में काम कर चुका हूँ इसलिए मराठी समझता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। नथूरामकी तरफ इशारा कर गवाहने कहा कि इसीने मुझे ११ कपड़े धुलवानेके लिए दिये थे। मैंने कपड़े धोवोंको दे दिये, पर उनके वापस लानेके पहले ही दोनों होटल छोड़कर चले गये थे। पुलिसने जिस दिन मेरा बयान लिया उसी दिन कपड़े वापस ले आया था। कालेरामने उन दस कपड़ोंको भी पहचाना जिन्हें नथूरामने धुलवानेके लिए दिया था। उसने दोनों अभियुक्तोंको दिल्ली जिला जेलमें भी शिनाख्तके समय पहचाना था।

श्री थोक वकीलके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि कमरेमें ठहरे दोनों आदमियोंको मैं दिनभरमें २-४ वार देखता था। दोनों ३-४ दिन होटलमें ठहरे थे, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। उनकी शिनाख्तके लिए मैं चम्बई नहीं गया था। ये लोग चले गये उसके दो-तीन दिन बाद पुलिसने मेरा बयान लिख लिया। १०-१५ दिनके बाद मैं पहली बार शिनाख्तके लिए ले जाया गया और उसके ७-८ दिन बाद दूसरी बार ले जाया गया।

श्री मंगलेके जिरह करनेपर गवाहने कहा—कुछ हवावाज होटलके ४५ नम्बरके कमरेमें ठहरे थे। कुछ हवावाज ४१ नम्बरके कमरेमें भी ठहरे थे। ४५ नम्बरके कमरेमें कुछ कितने आदमी थे यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं। यह संख्या रोज-रोज घटती-बढ़ती थी। ४१ नम्बरके कमरेमें अधिकसे अधिक कितने आदमी थे यह कहना भी सम्भव नहीं।

जिस दिन दोनों होटलमें आये उस दिन रात ९ बजेके पहले मुझे इन दोनोंको देखनेका अवसर नहीं मिला था। मेरी ड्यूटी ९ के पहले ही शुरू हुई थी, पर मैं दूसरे कमरोंमें था। दस्तरसे मुझे रात ९ बजे कहा गया कि कमरा नं ४० में जाओ।

### ग्यारहवाँ गवाह—करकरेने शराब पी

इसके बादके गवाह मेरीना होटलके ही वेयरे गोविन्दराम शर्माने कहा कि विस्फोटका दिन मुझे याद है। उसने नथूराम गोडसे, करकरे, गोपाल गोडसे और चडगेको पहचाना और कहा कि इन्हें मैंने कमरा नं ४० में दुर्घटनाके ३ दिन पहले देखा था। मेरा काम 'वार' में और कमरोंमें शराब-शरबत परीसनेका था। पहले दिन मैंने इस कमरेमें विस्क्रीका एक पेग और दूसरे दिन दो पेग पहुँचाया था। करकरेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि दोनों दिन इसीने शराब पी थी।

श्री ओकके पूछनेपर गवाहने कहा कि करीब दो महीने बाद पुलिसने मेरा बयान लिया और इसके ४ दिन बाद मैं चम्बई ले जाया गया। मैं चम्बईमें ५ दिन

था। पुलिस मुझे स्टेशनसे सीधे मजिस्ट्रेटकी अदालतमें ले गयी। मैं और कहीं नहीं ले जाया गया था।

### वारहवाँ गवाह

जलपानके बाद मेरीना होटलके मैनेजर श्री पचेकोकी गवाही हुई। वाइविल मिल गयी थी और उन्होंने उसीसे कसम खायी।

गवाहने कहा कि जनवरी १९४८ में होटलमें दो आदमियोंके आनेकी बात मुझे याद है। उन्होंने अपना नाम देशपाण्डे लिखा था। १७ जनवरीको दोनों होटलमें आये और २० जनवरी तक रहे। वे जत्र आये तब मैं होटलमें नहीं था। विस्फोटका दिन भी मुझे याद है। २० जनवरीकी रातको कोई ११ बजे पुलिस होटलमें आयी। पुलिसवाले बहुतसे थे और उनके बीच हथकड़ी पहने एक आदमी था। उनके साथ आनेवाले पुलिस अफसरने मुझसे पूछा कि कमरा नं० ३२ में कौन ठहरा है? मैंने कहा कि उसमें एक ब्रिटिश अफसर है, इसके बाद हथकड़ी पहने हुए आदमीको पुलिस अफसरने बुलवाया। मैंने उस समय उस आदमीको पहले-पहल देखा। होटलमें जब वह लाया गया तब उसका मुँह ढँक लिया गया था, पर वह जब हम लोगोंके पास लाया गया तब मुँह खुला था। वहाँ उससे कहा गया कि तुम्हारे दोस्त जिस कमरेमें ठहरे हैं और जहाँ तुम शामको आये थे वह कमरा दिखलाओ। वह हमें कमरा नं० ४० में ले गया।

मदनलालकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि यही आदमी उस दिन हथकड़ी पहनाकर लाया गया था। गवाहने नथूराम गोडसे और आपटेको भी पहचाना और कहा कि देशपाण्डेके नामसे ये ही होटलमें ठहरे थे। गवाहने कहा कि दोनोंमेंसे एक नथूरामको मैंने पहली बार शिनाख्तमें पहचाना था, पर दूसरी बार नहीं पहचान सका।

श्री ओकके प्रश्नपर गवाहने कहा कि २० तारीखको पुलिसको जो मुँहजवानी वयान दिया उसके अलावा मैंने पुलिसको और कोई वयान नहीं दिया। विस्फोटके १५ दिन बाद पहली बार शिनाख्त परेड हुई। उस दिनके पहले ही गान्धीजीकी हत्या हो चुकी थी। अखबारोंमें मैंने हत्यके बारेमें पढ़ा था। मैंने यह भी पढ़ा था कि हत्यारेपर कुछ लोगोंने हमला किया था। २० जनवरीके १-२ दिन बाद पुलिसने मुझसे पूछताछ की थी। पहली शिनाख्तके समय नथूराम गोडसेने क्या पहना था यह मैं नहीं बता सकता। जेलमें जब उसे पहचाना तो उसमें कुछ फर्क था। पहली बार उसके सिरपर पट्टी बँधी थी।

### तेरहवाँ गवाह

तेरहवाँ गवाह मेरीना होटलका क्लर्क मार्टिन थेलियस था। इसने नथूराम गोडसेको पहचाना और कहा कि इसीने विठ मॉंगा और उसे चुकता किया। करकरे एक बार होटलमें मिलने आया था।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने कहा—विस्फोटके १९-२० दिन बाद मैंने करकरेकी शिनाख्त की। मुझे बम्बई नहीं ले गये थे। नथूरामकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि होटलका विठ इसने दिया। करकरे होटलमें क्यों आया था यह मैं नहीं जानता। इस बातका भी मुझे पता नहीं कि करकरेने शराब पी या नहीं।

सवूतके वकील विडला-भवनका नकशा पेश करना चाहते थे, पर सफाई-पक्षके पास नकशा नहीं था इसलिए अदालतने उसे पेश करनेकी अनुमति नहीं दी और कहा कि कठ अदालत बैठनेके पहले सफाई-पक्षको भी नकशेकी एक कापी दी जाय। और कोई गवाह नहीं था इसलिए अदालत जल्दी उठ गयी।

### चौदहवाँ गवाह—३०-६-४८

आज चौदहवें गवाह टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहकी गवाही हुई। गवाही-जिरहमें चार घंटे लगे। इतना समय इसके पहले किसी गवाहमें नहीं लगा था। आज केवल एक गवाहकी गवाही हो सकी। सुरजीतसिंह आया नहीं था इसलिए अदालतका काम शुरू होनेके पहले नथूराम, सावरकर और परचुरेको छोड़ और अभियुक्तों, उनके वकीलों, सरकारी वकीलों और जजने उस मोटरका मुआइना किया जिसमें बैठकर अभियुक्त २० जनवरीको विडला-भवन गये थे। इस मोटरकी विशेषता यह है कि सामान रखनेकी जगह पीछे न होकर ऊपर है।

गवाहने अपनी गवाहीमें कहा—२० जनवरीको विस्फोटके दिन मैं कुछ लोगोंको अपनी कारमें विडला भवन ले गया था। रीगल सिनेमा टैक्सी स्टैंडपर ये लोग मोटरमें बैठे। शामको ४ या ४। बजे चार आदमी मोटरमें बैठे। उनमेंसे एकने किराया तथा अन्य बातें तै कीं। पहले विडला-मंदिर, वहाँसे विडला-भवन और वहाँसे कनाट प्लेस चलनेको कहा गया। आपटेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि इतीने सब कुछ तै किया। किराया १२) तै हुआ था। मोटरमें ३ आदमी पीछे बैठे थे और दाहिना आदमी आगे मेरे साथ बैठा था। मुखविर वडगेको पहचान कर गवाहने कहा कि यही आगे बैठा था। गोपाल गोडसे, आपटे और शंकर किस्तैयाको पहचानकर कहा कि ये तीनों पीछे बैठे थे।

गवाहने आगे कहा—चारोंको लेकर मैं पहिले विइला-मंदिर गया। लोग उतर कर कहीं चले गये। १५-२० मिनटके बाद वे आये और मैं उन्हें विइला-भवन ले गया। वहाँ मैंने अपनी गाड़ी भवनके पीछेकी ओर खड़ी की। मैं रास्ता नहीं जानता था और कारमें बैठे आपटेने जिस रास्ते बताया उस रास्ते कार ले गया। विइला-भवन पहुँचनेपर उसमें बैठे लोग बायीं ओरसे उतरे और नौकरोंके कार्टरमेंसे होकर विइला-भवनतक गये। रास्तेमें २-३ आदमी और मिले जिनसे उन्होंने बातचीत की। मैं खुद प्रार्थना-मैदान चला गया इसलिए इसके बाद फिर मैंने नहीं देखा। मैं पहुँचा तब प्रार्थना शुरू नहीं हुई थी। मैं १५-२० मिनट वहाँ रहा। लाउडस्पीकर खराब था और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं मोटरमें लौट आया। कोई ५ मिनटके बाद ये लोग भी लौट आये। दाढ़ीवाला आदमी नहीं लौटा, पर उसकी जगह एक दूसरा आदमी आया। नथूराम गोडसेको पहचानकर कहा कि यही वह आदमी था।

इन लोगोंके लौट आनेके बाद हम लोग तुरत रवाना हो गये। ये लोग आते ही कहने लगे—मोटर चालू करो, मोटर चालू करो। मुझे विस्फोट जैसी कोई आवाज सुनाई दी, पर यह नहीं कह सकता कि वह आवाज मोटर चालू करनेके पहले हुई थी या मोटर चलनेके बाद। मैंने यह भी नहीं देखा कि ये लोग दीर्घत आये या मामूली चालसे चलते हुए। हम लोग भी उसी रास्ते लौटे जिस रास्ते आये थे और कनाट प्लेस पहुँचे। किराया देकर ये लोग चले गये।

गान्धीजीकी हत्याका दिन मुझे याद है। इसके ३-४ दिन बाद पुलिसके कामसे मैं अपनी मोटर तुगलक रोड पुलिस-स्टेशन ले गया था। दो सिख पुलिस अफसरोंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं २० जनवरीको अपनी कार विइला-भवन ले गया था। मैंने पुलिसको उस समय एक बयान दिया। ४-५ दिन बाद मैं दिल्ली जिला जेल ले जाया गया जहाँ मैंने नथूराम गोडसेकी शिनाख्त की। कुछ दिन बाद मैं फिर जिला जेल ले जाया गया। इस बार आपटेकी शिनाख्त की। बादमें बम्बई ले जाया गया जहाँ मैंने गोपाल गोडसे और बडगेकी शिनाख्त की।

अदालतमें भी गवाहने चारोंकी शिनाख्त की। बडगे नहीं था तो उसने कहा कि मैं नहीं है। बडगे फिर अदालतमें लाया गया और गवाहने शिनाख्त की। श्री ओक वकीलके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि गोडसेको मैंने दिल्ली जिला जेलमें सिरमें तौलिया लपेटे देखा था।

श्री मेंगलेके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि इसी मोटरको मैं लाहौरमें भी किरायेपर चलाता था। बादमें दिल्लीमें किरायेपर चलाने लगा और अब अपने

कामसे चलाता हूँ। किराया तय करनेवाले आदमीने उस दिन काला कोट, काला ट्राउजर और एक मफलर पहना था। किराया तय करनेमें १५ मिनट लगे होंगे।

जलपानके बाद जजने कहा कि श्री शिवनारायणकी एक दर्खास्त आयी है कि वे परचुरेका बचाव करेंगे।

श्री मेंगलेने गवाहसे जिरह जारी रखी। उसने कहा कि मैं जब बम्बई गया तो बहुतसे लोगोंसे जान-पहचान हुई और उनसे मिलने मैं वादमें विडलाभवन अक्सर जाता रहा।

श्री वनर्जाकी उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि मेरी कारमें बैठे लोगोंकी मैंने प्रार्थना-समामें नहीं देखा। प्रार्थना-मैद नके पास एक टैक्सी ड्राइवरसे मेरी मुलकात हुई थी। उसने मेरी कारमें बैठे लोगोंकी देखकर कहा था कि इन लोगोंको कल मैं अपनी मोटरमें विडलाभवन ले आया था।

श्री मेहताके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं निरक्षर हूँ और १९४० से ४७ तक लाहौरमें टैक्सी चलाता रहा। २० जनवरीके वारेमें लोग बहुत वातचीत करते रहे इसलिए वह तारीख मुझे याद है। लाहौरके परीमहल या शाह आलमीमें लगी आगकी ठीक तारीख इसलिए याद नहीं थी कि लोग उसके वारेमें इतनी चर्चा नहीं करते थे। दशैंके दिनोंमें मैं टैक्सी भी नहीं चलाता था। मेरी मोटरमें जो लोग बैठते हैं उन्हें ३-४ दिन वादतक मैं पहचान सकता हूँ। विस्फोटकी आवाज मैंने सुनी थी, पर यह नहीं कह सकता कि वह बमके विस्फोटकी थी या और किसी तरहके विस्फोटकी। मैंने पुलिसको रिपोर्ट इसलिए नहीं दी कि मैं समझता था, कि मेरा कारमें बैठे लोगोंसे विस्फोटसे कोई सम्बन्ध नहीं है। टैक्सी स्टण्डपर पहुँचनेके दो घण्टे बाद पता लगा कि विडलाभवनमें बम फटा था।

श्री मणियारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि गोपाल गोडसे अकेले ही मोटरके पास लौटा था या और लोगोंके साथ।

इसके बाद अदालत कलके लिए उठ गयी।

## १ जुलाई

आज सुनवाई प्रारम्भ होनेपर श्रीमती सुलोचना देवीका बयान शुरू हुआ। सुलोचना देवी राजपूत महिला हैं, अवस्था २५ वर्ष है और नयी दिल्लीमें अल्फुर्क रोडपर रहती हैं।

गवाहने बताया कि मेरी सबसे बड़ी लड़की ७ वर्षकी है और लड़का ३ वर्षका है जिसका नाम महेन्द्रसिंह है। मुझे याद है कि बम-विस्फोट विडलाभवनमें किस दिन और किस स्थानपर हुआ। मेरा घर बम-विस्फोटकी जगहसे केवल १०० फुट दूर है

और बम-विस्फोटके समय तो मैं केवल १३-१४ फुट ही दूर थी। ५ बजे मेरा लड़का घरसे बाहर चला गया था। लड़केको उसके जानेके ठीक ५ मिनट बाद हँदने में निकली थी। लड़का विड़ला-भवनके कर्मचारी क्वार्टरके पीछे वाले सर्कलमें गया था, मैं भी वहीं पहुँची और यहाँ मैंने उसे अन्य लड़कोंके साथ खेलता हुआ पाया। मेरे पहुँचते ही एक कार आकर खड़ी हुई जिसका रंग गहरा हरा था। कारमें कुछ सवारियाँ बैठी थीं। मैंने उन्हें उतरते हुए भी देखा। मेरे ख्यालसे कारसे चार व्यक्ति उतरे थे। ये सवारियाँ कारके निछेरे भागसे उतरीं और वे लोग २-३ व्यक्तियोंसे मिले। कार विड़ला-भवनके पार्श्वमेंसे होकर उस सर्कलमें आयी थी। इसके बाद वे चारों व्यक्ति वातें करते हुए विड़ला भवनके दरवाजेमें घुसे। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती कि वे प्रार्थनास्थलपर गये थे या नहीं। विड़ला-भवनके नौकर क्वार्टरोंमें रहने-वाले छोटारामको ५-७ महीनोंसे मैं जानती हूँ। मैं फूलसिंहको भी जानती हूँ। वह भी वहीं रहता है। कारमेंसे एक व्यक्तिने उतरकर इन क्वार्टरोंमें रहने वाले एक व्यक्तिसे बात की।

जिस स्थानपर बम-विस्फोट हुआ था, वहाँपर मैंने एक व्यक्तिको जाते हुए देखा था। मेरा ख्याल है कि यह व्यक्ति कारकी ओरसे आया था। मैंने उसे एक स्थानपर बम रखते और एक तीली जलाते हुए देखा। मैंने यह भी देखा है कि उस जलती हुई तीलीको उसने बमके साथ छुआ दिया। इसके बाद वह व्यक्ति अल्ट्रार्क रोडके क्वार्टरोंकी ओर आ गया और मैं अपने बच्चेको जवर्दस्ती उस स्थानके पाससे खींच लयी जहाँपर बम रखा गया था। मैंने एक धागे या तारमेंसे कुछ चिनगारियाँ भी निकलती हुई देखीं। जब बम फटा तो मैं उस व्यक्तिसे केवल ४-५ कदमके फासले पर ही थी जिसने बममें आग लगायी थी। बमसे मैं केवल १३-१४ कदम दूर थी। बम फटनेपर वहाँ बहुतसे लोग जमा हो गये।

३ व्यक्ति दीवार फाँद कर आये, जिनमेंसे एक फूलसिंह और दूसरा बन्दूकचारी पुलिस कान्स्टेबल था। तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था। उन्होंने मुझसे पूछा—'क्या हुआ ? मैंने बताया कि अमुक व्यक्तिने बम रखकर उसको दियासलाई दिखाई थी। इसपर तीनों आदमियोंने उसे पकड़ लिया। गवाहने मदनलालकी ओर इशारा करके बताया कि उसने बम रखा था और उसमें आग लगायी थी। बडगे, नथूराम गोडसे और आपटेको भी पहचान लिया जो कारमें बैठकर विड़ला-भवन आये थे और उन्होंने मदनलालसे बातचीत की थी। सुझे दिनाख्तकी परेडमें पहले दिही जेठ ले जाया गया और वहाँपर मैंने गोडसे और आपटेको पहचाना। इसके बाद बम्बईकी दिनाख्त परेडमें बडगेको पहचाना।

श्री दफतरीने गवाहसे पूछा कि क्या तुम उस कारको पहचान सकती हो ? इसपर गवाह, दफतरी और गोडसेके वकील श्री श्री ओक अदालतसे बाहर कार देखने गये । वहाँपर मुलोचनाने बताया कि यह वही कार है जो २० जनवरीको विद्वला-भवनमें आयी थी ।

वकील श्री श्री ओक द्वारा जिरह की जानेपर मुलोचनाने कहा कि सामान्यतः विद्वला-भवनके पीछेके सर्कलमें कोई कार या तांगा आदि आकर नहीं खड़ा होता । वम-विस्फोटके कुछ ही देर बाद पुलिसने मेरा बयान लिया था । मुझे नहीं मालूम था कि जिस धागे या तारको मैंने दियासलाईसे जलाये जाने हुए देखा वह वमसे सम्बंधित था ।

गवाहने अपने बयानमें कहा कि दिल्ली जेलकी पहली शिनाख्तमें १५ व्यक्ति थे । उस समय वे साधारण कपड़े पहने हुए थे । वहाँपर मैंने गोडसेको पहचाना था । वह सादे कपड़े पहने हुए था । सिरपर उसने कुछ न कुछ पहन रखा था किन्तु यह ठीक ठीक मैं नहीं कह सकती कि वह कोई पट्टी थी । २-३ और व्यक्ति भी अपने सिरोंपर कुछ बाँधे हुए थे ।

श्री मँगलकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि मेरा पति एक मोटर-ड्राइवर है । उनके पास अपनी कार है । गवाहने यह भी बताया कि मैं २०-२५ मिनटतक कारको ध्यानपूर्वक देखती रही । आये लोगोंको कारसे उतरनेमें भी कमसे कम ५ मिनट लगे होंगे । वमविस्फोटसे कोई धायल नहीं हुआ और मैं यह नहीं कह सकती कि जब वे व्यक्ति कारसे उतरे तो उन्होंने कौनसी पोशाक पहन रखी थी ।

श्री वनर्जाकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि विस्फोटके बाद मदनलालने भागनेका प्रयत्न नहीं किया । जब फूलसिंह और पुलिसका सिपाही उसे पकड़नेको आगे बढ़े तब भी वह नहीं भागा ।

इसके बाद शंकरके वकील श्री हंसराज मेहताने गवाहसे पंजाबीमें जिरह करनी चाही, किन्तु जजने इसपर आपत्ति प्रकट की और कहा कि पहले इंग्लिशमें जिरह की जानी चाहिये, बादमें चाहें तो वे पंजाबीमें कर सकते हैं ।

गवाहने यह बताया कि मैंने पहले कोई वम नहीं देखा था और जो वम फटा वह ईंटके समान दिखाई देता था । उसकी ऊँचाई २ इंच थी और वम-विस्फोटके बाद मैंने कारसे उतरनेवाले व्यक्तियोंको फिर नहीं देखा ।

जजने मुलोचनाने पूछा कि क्या वम विस्फोटसे किसी व्यक्तिको या स्थानको नुकसान पहुँचा ? उत्तरमें मुलोचनाने कहा कि विस्फोटसे दीवारमें एक छेद हो गया था । अनेक ईंटें बाहर निकल आयीं ।



## १६वाँ गवाह—फोटो लेनेका वहाना

जलपानके बाद सबूत पक्षकी ओरसे छोटराम नामक गवाह पेश किया गया । छोटराम नयी दिल्लीके विडला-भवनके एक क्वार्टरमें रहता है ।

छोटराम पहले कार क्लीनर था । किन्तु अब वह मोटर-ड्राइवर है । वह विडला-भवनमें पिछे ११ वर्षोंसे नौकर है । वह वहाँके एक क्वार्टरमें रहता है । ये क्वार्टर विडला-भवनके पिछे हिस्सेमें बने हुए हैं । उसने बताया कि विडला-भवनमें कुल ९ क्वार्टर हैं जिनमें नौकर रहते हैं ।

यदि मोटर गैरेजकी ओरसे इन क्वार्टरोंकी गिनती की जाय तो छोटरामका क्वार्टर नम्बर तीन है । उसने बताया कि बम फटनेकी दुर्घटनाकी तारीख मुझे याद है । जब बम फटा था तब मैं अपने क्वार्टरसे बाहर थोड़ी दूरपर बैठा था ।

गवाह छोटरामने यह बताया कि मैं विडला-भवनके चौकीदार फूलसिंहको जानता हूँ । बम-विस्फोटके समय फूलसिंह मेरे सामने खड़ा हुआ था । फूलसिंहके कमरे तथा मेरे कमरेके बीचमें केवल एक कमरा पड़ता है । विडला-भवनके पीछे खुला मैदान है । पिछे फाटककी तरफ यह मैदान पड़ता है । मैं जब वहाँ बैठा था तो उधरसे कुछ आदमियोंको लौटते देखा । वे उस मैदानमें कारसे उतरे थे । मैंने उस कारको रुकते देखा था । यह कार विडलाभवनके पीछेकी सड़कसे आयी थी । वह सड़कके बायें किनारेपर ठहरी थी । कारका रंग गहरा हरा था और उसके छतपर सामान रखनेकी जगह बनी थी ।

कारके रुकनेपर उसमेंसे चार आदमी निकले । वे बायें ओर उतरे और कारके चारों तरफ गये । उनसे आकर तीन या चार आदमी और मिल गये । उन्होंने तब आपसमें बातचीत की और फिर प्रार्थनासभाकी ओर चले गये । वे दो या तीनके गुट बनाकर गये । उन्होंने मेरे क्वार्टरके चारों ओर दो या तीन बार चक्कर भी लगाये । इसके बाद उनमेंसे तीन आदमी चले गये और उनमेंसे एक आदमी आकर मुझसे बातचीत करने लगा ।

इस आदमीने मुझसे कहा कि उसे उस जगह पहुँचा दे जहाँ म० गान्धी प्रार्थना किया करते हैं, ताकि वह उनकी फोटो ले सके । उसने जोर दिया कि गान्धीजीकी फोटो ले लेने दे । मैंने कहा कि यदि तुम गान्धीजीकी फोटो लेना चाहते हो तो केवल सामनेकी ओरसे ले सकते हो । लेकिन मैंने उससे यह नहीं पूछा कि वह पीछेसे ही फोटो क्यों लेना चाहता था । उसके पास कैमरा दिखाई न देता था । अतः मैंने पूछा कि कैमरा कहाँ है ? उसके पास एक बैग था जो काले कपड़ेका था, उसमें कुछ भारी चीज जान पड़ती थी । उसमें कैमरा न निकला । अतः वह कारकी

ओर दौड़कर गया, मानो वह कैमरा लेने जा रहा हो। इस तरह वह दरवाजेके बाहर निकल गया।

वे फाटकके बाहर कुछ देखभाल करने लगे तब उनमेंसे एक दीवालकी ओर गया जहाँ बादमें बम फटा था। जब वह आदमी दीवालसे हट गया तो इसके दो-तीन मिनट बाद ही बमका धड़ाका सुनाई दिया। फूलसिंह और एक सैनिक दीवार पर करके गये। मैं भी फाटकके बाहर लपका। जब बम फटा तो वे फाटक-पर खड़े थे और बम फटते ही कारकी ओर लपके।

मैंने एक आदमीको दीवारपर कुछ रखते और जलते देखा था। मैंने बम-विस्फोट करने वालेकी बाँह पकड़ ली। इसके बाद वह आदमी विड़लाभवनके पास पुलिस-शिबिरमें भेज दिया गया। मैं स्वयं वहाँ गया। एक थानेदारने उसकी तलाशी ली और उसकी जेबमेंसे एक बम बरामद हुआ। कुछ सैनिकोंने इस बमको उधेड़ा और फ्यूज बाहर निकाल लिया। यह बम फिर एक टीनमें रखकर कपड़ेसे बाँध दिया गया। इसपर विड़लाभवनकी मुहर लगा दी गयी।

इसके बाद गवाह कटघरेकी ओर बढ़ा और मदनलालकी ओर इशारा कर कहा कि यह व्यक्ति वही था जिसे फूलसिंह और रतनसिंहने पकड़ा था। इन लोगोंको श्रीमती सुलोचनाने बताया था कि मदनलाल वह है।

छोट्टरामने कटघरेमें फिर करकरेकी भी शिनाख्त की। कहा कि इस व्यक्तिने ही फाँटो लेनेकी वाद्यत मुझसे पूछा था।

“क्या आप कारमें आनेवाले कितना और आदमीको भी पहचान सकते हैं ?” छोट्टरामसे पूछा गया। गवाहने इसपर आपटे और नथूराम गोडसेको पहचाना। उसने कहा कि मैंने इन लोगोंको करकरेके साथ अपने क्वार्टरके पास देखा था।

बम-विस्फोटके कारण दीवारकी ईंटें टूट गयी थीं और इधर उधर जा गिरी थीं। इस विस्फोटसे २ फुट लम्बी-चौड़ी और १३ फुट गहरी जमीन विच्छिन्न हो गयी थी।

क्वार्टरका एक कोना भी क्षतिग्रस्त हुआ था। विड़लाभवन सड़कके बायें किनारेपर है जो अल्युमिनेम रोडको जाती है। अभियुक्तोंकी कार कच्ची सड़कसे पीछे-की ओर होकर आयी थी।

छोट्टराम गवाहने आगे बताया कि प्रार्थना-सभा में म० गान्धीकी हत्याके दिन मैं दुर्घटनाके बाद २०-२५ मिनट तक वहाँ रहा। मुझे वहाँ चञ्ची हुई गोलियों, दो खाली कारतूस तथा कंधेकी पेटो मिली थी। ये चीजें वहाँ पड़ी थीं जहाँ म० गान्धीको गोली मारी गयी थी। ये शिनाख्तके लिए पेश की गयीं और गवाहने उन्हें पहचान लिया। चली गोलियोंपर ११ तथा १२ नम्बर पड़ा था और पेटो पर १३। खाली

कारतूसोंपर ९ तथा १० नम्बर पड़ा था । गान्धीजीको घटनास्थलपरसे हटानेके वाद वहाँ कुछ रुधिर पड़ा रहा । गवाहने अभियुक्तोंवाली कार भी पहचान ली ।

ओकके पूछनेपर छोटारामने बताया कि मैंने बम-विस्फोटके वाद गोडसेको लग-भग १५-२० मिनट देखा था, ५ या ७ फुटकी दूरीसे देखा था । उस समय गोडसे टहल रहा था ।

गान्धीजीकी हत्याके ५ या ६ दिन वाद मैं नथूराम गोडसेको देखने गया था । वह जिस आदमीकी शिनाख्तकी गया था वह वह नहीं था जिसने गान्धीजीको मारा था । मैंने उसे ५ मिनटतक देखनेके वाद पहचान लिया था । वह शिनाख्तके समय २५-३० आदमियोंके साथ खड़ा किया गया था । मुझे यह याद नहीं कि वह उस समय क्या कपड़े पहने था ।

श्री मंगलेके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि मैं कारवलीनर था । अब कार-ड्राइवर हो गया हूँ, क्योंकि वलीनर नया आ गया है । जब बम फटा तब मैं वलीनर का ही काम करता था । इसके अलावा मैं और आकस्मिक कार्य भी कर दिया करता था । मेरी ल्युटीके घण्टे नियत न थे । मुझे ६५ रु० मासिक वेतन मिलता था । इस समय मुझे ८५ रु० मिलते हैं । जब कार वहाँ आयी तो मैंने इन लोगोंको ५-६ मिनटतक देखा था ।

## २ जुलाई—फोटो लेनेके लिए घूस भी देनी चाही

आज करकरेके वकील मंगलेने छोटाराम गवाहसे जिरह शुरू की ।

गवाहने बताया कि विड़ला-भवनके नौकर-कार्टरोंकी छतें ढल चुकी हैं । कारें प्रायः कार्टरोंके सामनेसे ही आकर खड़ी होती हैं, मुझे एक पञ्जाबी कार और दिल्ली कारमें भेद नहीं मालूम । मैं यद्यपि गान्धीजीकी प्रार्थनामें प्रायः जाया करता था, किन्तु २० जनवरीको मैं नहीं गया था ।

लोग प्रातः-सायं गान्धीजीके दर्शन करने आते थे । मैं भी उनके दर्शन करने जाया करता था किन्तु यह नहीं कह सकता कि एक महीनेमें कितनी बार जाता था । बहुतेसे लोग गान्धीजीका प्रार्थनाके समय फोटो लेने आया करते थे ।

मेरे कमरेके पासके गेरेजमें २० जनवरीको कोई मरम्मत नहीं हो रही थी, किन्तु विड़ला भवनके अतिथि-गृहके पीछे उस दिन मरम्मत अवश्य हो रही थी ।

करकरेकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि इसने उस दिन गान्धी टोपी पहनी हुई थी । मैंने यह भी देखा कि उसकी आँखें छोटी-छोटी हैं । करकरेने गान्धी-जीका चित्र खींचनेके लिए मुझे ५-१० रुपयेकी घूस भी देनी चाही, इससे मेरा सन्देह उसके प्रति और भी बढ़ गया । किन्तु उसे निकाल बाहर करनेका मुझे कोई

अधिकार नहीं था। बम-विस्फोटसे पूर्व इस विषयमें मैं विद्वला-भवनके अधिकारियों-को भी कुछ नहीं बता सका।

जहाँ बम फटा था, वहाँपर १५-२० अदमी इकट्ठा हो गये थे। मुझे यह नहीं मालूम कि उनमेंसे प्रार्थना-स्थलमें आये हुए कितने व्यक्ति थे, क्योंकि मैं दूसरे दर-वाजेसे बम-विस्फोटके स्थानपर गया था। अपने कार्टरके बाहर बैठ कर मैं रामधुनकी संगीतमय ध्वनि सुन सकता था जिसे गान्धीजीके साथकी लड़कियाँ गाया करती थीं।

बम-विस्फोटके बाद मैं सीधा अपने घर न आकर पुलिसका ध्यान उस घटनाकी ओर खींचनेके लिए चला गया। करकरकेको पहचाननेके दिन मुझे सुखार नहीं था।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि ३० जनवरीको मैं कुछ सामान खरीदनेके लिए बाजार गया था। आनेके बाद गान्धीजीकी हस्ताक्षर समाचार सुनते ही मैं दौड़ा-दौड़ा बध-स्थानपर गया और मैंने खाली गोलियाँ उठा लीं।

वकील श्री वनजीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि उन दिनों प्रार्थना ५ बजे शुरू होकर ५॥ बजे समाप्त हुआ करती थी। २० जनवरीको कारके पहुँचनेतक गीताका प्रवचन और सम्मिलित गान समाप्त नहीं हुआ था और न 'रामधुन' ही शुरु हुई थी।

मेरे और कारके बीच केवल ५०-६० फुटका अन्तर था। बम्बईमें मैंने ३ व्यक्ति-योंको पहचाना था। वहाँपर मैंने एक दाहीवालेकी शिनाख्त की थी। गवाहने बडगेकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वैसा ही आदमी है, पर मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि यह वही आदमी है जिसे मैंने बम्बईमें पहचाना था।

जो सवार कारसे उतरे वे और वे जिन व्यक्तियोंसे मिले वे सब नौकर क्वार्टरोंकी ओर आये। हो सकता है कि २० जनवरीको मैंने मजिस्ट्रेटसे यह कहा कि मैंने नथूराम गोडसेको मदनलालके साथ कारसे उतरते हुए देखा है। किन्तु मुझे यह निश्चय नहीं कि पुलिसको मैंने यह कहा है कि मदनलाल अन्य तीन व्यक्तियोंके साथ कारसे उतरा था। मेरा यह अनुमान था क्योंकि मैंने उन्हें कारके पीछेसे आते हुए देखा था। करकरकेके फोटो लेनेके लिए इजाजत लेने आनेसे पूर्व एक व्यक्ति क्वार्टरोंके हातेमें घूम गया था। मुझे यह नहीं मालूम कि कौनसा व्यक्ति पहले प्रार्थना-स्थलपर गया।

वकील श्री हंसराज मेहताके जिरह करनेपर शंकरकी ओर इशारा करने हुए गवाहने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि शंकर कारमें आया था, किन्तु उसे मैंने अपने क्वार्टरके सामने चलते फिरते देखा था। मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह कारसे उतरनेवाले व्यक्तियोंके पास खड़ा था और उसने किस प्रकारके कपड़े पहने हुए थे।

गवाहसे पूछा गया कि क्या वह 'साजिश' शब्दका अर्थ समझता है ? गवाहने कहा 'नहीं' । अस्त्रका अभिप्राय भी नहीं जानता ।

जलपानके बाद जब अदालतका इजलास फिर बैठा तो वचाव-पक्षके वकील श्री वनजाँने अदालतसे प्रार्थना की कि आवश्यकता हो तो मुझे अपने मुअकिल मदनलालके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तोंसे भी सलाह-मसविदा करनेकी इजाजत मिलनी चाहिये । वचाव-पक्षके प्रमुख वकील श्री एल. वी. भोपटकरने भी दनजाँके आवेदनका समर्थन किया और इतना और कहा कि वचाव-पक्षके सभ वकीलोंको अभियुक्तोंसे परस्पर मन्त्रणा करनेकी इजाजत होनी चाहिये ।

इसपर जजने कहा कि लिखित रूपमें अपना आवेदन पेश करें ।

इसी बीच पुलिस द्वारा पकड़ी गयी नकदीकी लीटानेके उनके आवेदनपत्रपर भी विचार किया गया । जजने कहा कि अभियुक्तोंके पास मिली सब चीजें अदालतमें प्रदर्शित करनेके लिए आवश्यक हैं ।

इसके बाद नथूराम विनायक गोडसे और आपटेकी एक संयुक्त प्रार्थनापर विचार किया गया, जिसमें पूनाके प्रेसिडेन्सी औद्योगिक बैंककी उनका रुपया उन्हें या उनके एजेण्टोंको देनेसे न रोकनेके लिए कहा गया था । जजने सुझाव पेश किया कि अभियुक्त अपने वकीलोंकी मार्फत सीधे स्वयं बैंकको लिखें । यदि बम्बई-पुलिसके आदेशानुसार बैंकने उनकी अदायगी बन्द कर रखी होगी, तो वे इस मामलेको अपने हाथमें ले लेंगे ।

### १७वाँ गवाह

इसके बाद विडला-भवनके चौकीदार भूरसिंहको गवाहीके लिए बुलाया गया । उसकी उम्र ३५ वर्ष है और वह पिछले २॥ सालसे विडला-भवनमें चौकीदारीका काम करता है । इससे पहले वह सेनामें नौकरी करता था । गवाहने बताया कि मेरा घर विडला-भवनके पीछे है । मेरे कमरेका नं० १ और छोट्टरामके कमरेका नं० ३ है । कम-विस्फोटके स्थानपर मैं उपस्थित था । उस दिन प्रार्थना शुरू होनेसे पहले मैं छोट्टरामके पास खड़ा था ।

हातेकी दीवारके बाहर एक खुला स्थान है, इसी खुले स्थानपर एक गहरे भूरे रंगकी कार, जिसके ऊपर कौरियर लगा हुआ था, आकर रुकी थी । मैंने समझा कि कार शायद एकदम अन्दर चली जायेगी, इसलिए कारको रोकना चाहिये, पर वह २२ नं० के कमरेकी दीवारके सामने जा खड़ी हुई । ४ आदमी कारमेंसे उतरे और २-३ व्यक्तियोंसे बात करने लगे । बादमें वे प्रार्थना-स्थलके अन्दर चले गये । लगभग ५ मिनट बाद ३-४ व्यक्ति वापस आ गये । एकको छोड़कर सब दरवाजेकी

और चल दिये और एक छोट्टरामके साथ हो लिया। उसने छोट्टरामसे गान्धीजीका चित्र उतारनेके लिए स्थानकी माँग की।

६ बजेकी ब्यूटीपर जानेके लिए मैं कपड़े बदलने कमरेके अन्दर चला गया। जब मैं कमरेके बाहर आया तो मैंने उनमेंसे किसीको न देखा और मैं प्रार्थनास्थलकी ओर चला गया। ४-५ मिनट बाद मैंने वमका घड़ाका सुना और पुलिस कान्स्टेबल रतनसिंह और मैं वकीके और दीवारकी कूदते फौंदते हुए वम-विस्फोट के स्थानपर पहुँचा। हमारे साथ एक फोटोग्राफर और एक सैनिक हवलदार भी था। बाहर खड़ी हुई मुल्लेबनाने हमें उस आदमीको दिखाया, जिसने वम रखकर उसमें आग लगायी थी। हमने उसे पकड़ लिया और विद्वलामवनके बाहरके पुलिसके खेमेमें ले आये। सब-इन्स्पेक्टर साहनीके आनेपर उस व्यक्तिकी तलाशी ली गयी तो उसके कोटके अन्दर दाहिनी जेबमें एक और वम मिला। मैंने वम बरामद होनेके मेमोपर हस्ताक्षर भी किये थे।

एक बन्द टिनका डिब्बा जिसमें वह फ्यूजरहित वम रखा हुआ था, अदालतमें पेश किया गया। गवाहने बताया कि उस हथगोलेमेंसे फ्यूज निकाल लिया गया था। इसके अतिरिक्त मदनलालके पाससे बरामद की गयी अन्य वस्तुएँ—एक सिगरेटका डिब्बा, दियासलाईकी डिब्बी, ५ और २ रुपयेके नोटोंसे युक्त एक चमड़ेका बटुआ, हरा कंथा, एक लड़कीका फोटो, कागजकी चिट, राशनकार्ड और एक उर्दूकी चिट्ठी भी दिखायी गयी।

इसके बाद बड़े अभियुक्तोंके कठघरेमें लाया गया और गवाहसे पूछा गया कि क्या वह इनमेंसे किसी व्यक्तिको पहचान सकता है, जो वमविस्फोटके लिए जम्मेदार हो? गवाहने मदनलालकी ओर संकेत किया और नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे और बडगेकी ओर लक्ष्य करके उसने बताया कि २० जनवरीको वम-विस्फोटसे पहले ये लोग मेरे क्वार्टरके सामने घूम रहे थे। गवाहने बताया कि गान्धीजीकी हत्याके बाद मैं जयपुर चला गया था और कुछ दिनों बाद वहाँसे लौटा।

श्री डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि मुझे याद नहीं है कि पुलिसको अपने बयानमें यह कहा हो कि मैंने चार व्यक्तियोंकी कारसे उतरते देखा है। जब वे कारसे उतरे तब भी मैंने उनकी शकल नहीं देखी। उसे यह भी नहीं मालूम कि वे २-३ व्यक्ति कहींसे और कब आये थे, जिनके साथ कारसे उतरनेवाले ४ व्यक्तियोंने बातें कीं। छोट्टरामके पास जो व्यक्ति आया था उसने उससे पंजाबीमें बातचीत की। २० जनवरीको लगभग ७०० व्यक्ति प्रार्थनासभामें आये थे। जो वम फटा, उसपर किसीकी दृष्टि नहीं गयी। वम-विस्फोटके बाद भी प्रार्थना जारी रही। डांगेने करकरेकी ओर इशारा करके पूछा कि उसने उस

करनेवाला कोई शरणार्थी नहीं था। दूसरी चार भी आपत्ति उठानेवाला शरणार्थी तो नहीं मालूम देता था।

जलपानके वाद अदालतका इजलास जब फिर बैठा तो जजने श्री रामसिंह उपालको मदनलालका अतिरिक्त वकील होनेकी इजाजत दे दी।

श्री वनजानि प्रार्थना की कि चूँकि सुलोचना देवीके पुलिसको दिये गये वयानमें और अदालतको दिये गये वयानमें अन्तर है, इसलिए उसकी गवाही दुवारा ली जानी चाहिये। इसपर कुछ वहस भी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि शिनाख्तका प्रत्येक मेमो अदालतकी फाइलमें रखा जाना चाहिये।

जजने कहा कि बम्बईकी शिनाख्त मेमोकी सब फाइलें तो उनके पास हैं किन्तु दिल्लीकी सब नहीं हैं। किन्तु वचाव पक्षके वकील जब उन्हें देखना चाहेंगे, मुझे दिखानेमें कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री वनजानि कहा कि जिस दिन सुलोचनाकी गवाही ली गयी थी उस दिन उसका शिनाख्त मेमो उचित जगहमें नहीं था, इसलिए पुनः उसकी गवाही ली जानी चाहिये। किन्तु अदालतने इस बातको स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद गवाह साहनीसे डांगेने फिर जिरह शुरू की। गवाहने कहा मैंने कुरानके कुछ हिस्से और वाइविल पूरी पढ़ी है। मुझे यह पता नहीं कि गान्धीजी शुरूमें हिन्दूके विभाजनके विरुद्ध थे किन्तु बादमें इसमें सहमत हो गये थे। मैं भारतके बँटवारेका विरोधी था।

इसके बाद गवाहसे पूछा गया कि क्या गान्धीजी रहीम और करीमको राम और कृष्णके साथ एक कर देना चाहते थे? गवाहने कहा कि रहीमका मतलब है दयालु और करीमका मतलब है परोपकारी। मेरे खयालमें गान्धीजीके इन शब्दोंके उच्चारणका यही अभिप्राय रहा है कि भगवान् दयालु और परोपकारी हैं। 'रघुपति राघव'..... भजनमें हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतिको मिला देनेसे किसीको क्षोभ नहीं होता था।

गवाहने कहा कि २० जनवरीको मैंने वैयक्तिक तौरपर रिपोर्ट की थी। ६-६॥ बजे उस दिन मैं गान्धीजीके साथ था। विस्फोटके बाद भी प्रार्थना जारी रही, केवल कुछ थोड़ी-सी खलवली मची थी। बम-विस्फोटसे किसीको चोट नहीं आयी। जबतक मैं प्रार्थना-स्थलपर रहा, मदनलालको गान्धीजीके सामने पेश नहीं किया गया।

श्री वनजानि मदनलालको देखनेकी इच्छा भी प्रकट नहीं की। बम-विस्फोटके बाद गान्धीजीसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं यह नहीं कह सकता कि बम-विस्फोटके बाद भी प्रार्थना जारी रही, किन्तु लोग अभी उसी प्रकार बैठे अवश्य थे। गवाहसे पूछा गया कि गीताका 'स्वधर्ममें निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' श्लोक

ठीक है या गलत । गवाहने कहा ठीक है, और मैं भी इसे ठीक मानता हूँ । मैं यह नहीं कह सकता कि सबककी बत्तियाँ विडला-भवनके मुख्य फाटकके समीप थीं या नहीं और जनवरीमें दिल्लीमें सार्वजनिक बत्तियाँ जलनेका समय ५-३० था । मदनलालको जब पुलिसके खेममें ले जाया गया, तो मैं दरवाजेपर था । मदनलाल विलकुल मेरे पास था और वहाँपर मैंने रिपोर्ट लिखी । तम्बूमें इतना प्रकाश नहीं था कि व्यक्तिके चेहरेको या उसके पासमे वरामद हुई चीजोंको अच्छी तरह देखा जा सके । उस दिन विडला-भवनके हातेमें इधर-उधर घूमने-फिरनेवाले व्यक्तियोंके सम्बन्धमें मैंने किसीसे कुछ नहीं सुना ।

गवाहने श्री मेहताकी जिरहके उत्तरमें कहा कि मैंने अपनी आँखोंके सामने किसी हिन्दू या सिखको कत्ल किये जाते हुए या उनकी जायजाद फूँके जाते हुए नहीं देखा । मैंने हिन्दू सिखोंके मकानोंको फूँकते हुए जरूर देखा है । १९४७ के अप्रैलमें मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनाया गया था, उससे पूर्व मैं रात्रलपिण्डीमें बकालत करता था । रात्रलपिण्डीमें ५० हिन्दू और सिखोंके शव मैंने खर्च गिने थे, जो अपने-आप मरे हुए मालूम नहीं देते थे । हो सकता है कि विडला-भवनके पीछे नौकरोंके क्वार्टरके यहाँ मैं एक बार गया होऊँ ।

### ६ जुलाई—१९वाँ गवाह—गोपाल गोडसेने विस्फोटकी खबर रेडियोपर सुनी

आज इजलासके बैठनेपर फ्रन्टियर हिन्दू होटलके मैनेजर रामप्रकाश गवाहका बयान लिया गया । गवाहने बताया कि २० जनवरी १९४८ को गोपाल और जी. एम. जोशीके नामसे गोपाल गोडसे और करकरे मेरे होटलमें आकर ठहरे थे । ये व्यक्ति हिन्दुस्तानी भाषा बोला करते थे ।

श्री डांगेकी जिरहके जवाबमें गवाहने बताया कि मैं प्रतिदिन १०-१२ घन्टे काम करता हूँ । यह होटल दिल्ली जंक्शनसे ५०० फुटकी दूरीपर है । मुझे यह नहीं मालूम कि होटलमें आते समय करकरेने कौनसी पोशाक पहन रखी थी । २ महीनेके बाद बम्बईकी शिनाख्त परेडमें मैंने करकरेको पहचाना था । उस समय तो उसने कुर्ता और पायजामा पहना हुआ था ।

गोपाल गोडसेसे परामर्श करके मणियार द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि गोपाल गोडसे होटलमें एक कमरा लेनेके लिए उसके पास आया था । उस समय एक कमरा खाली था । मैंने उसे वह कमरा दिखा दिया था । गवाहने यह भी बताया कि २० जनवरीकी रातको नौ बजे रेडियोपर खबर होनेके समय गोपाल गोडसे होटलके कार्यालयमें १५-२० मिनट तक बैठा रहा । अगले दिन सुबह जब वह होटल छोड़कर गया, तो उस समय मैं उपस्थित नहीं था । मैं नहीं



कह सकता कि वह कैसी पोशाक पहनकर होटलमें आया था। उन्हें होटलकी दूसरी मञ्जिलका ४ नं० का कमरा दिया गया था।

### २० चाँ गवाह महासभा-भवनके पीछे बम गाड़े गये थे

अगला गवाह चमनलाल ग्रोवर था। उसने बताया कि फरवरीमें मैं तुगलक रोड-के पुलिस थानेमें बुलाया गया। मैं लोदी बस्तीमें एक भोजनालय चलाता हूँ। थानेमें बन्द कमरेमेंसे एक व्यक्तिको मेरे सम्मुख लाया गया। उस व्यक्तिने बताया कि वह हिन्दू महासभा-भवनके पीछे उस स्थानको दिखायेगा, जहाँ एक बम तथा अन्य विस्फोटक द्रव्य गाड़े हुए थे। इसके बाद सुझे, मेरे साथी मनोहरलालकी और उस व्यक्तिको, पुलिस दो कारोंमें हिन्दू महासभा-भवन ले गयी। मैं जिस कारमें गया था वह बन्द थी। जिस व्यक्तिका मेरे साथ ले जाया गया था, उसने कुर्ता धोती पहनी हुई थी। जब उसे पुलिसकी हिरासतमेंसे निकाला गया था तो उसपर बुर्जा डाल दिया गया था। उसके साथ केवल बम्बईकी पुलिसके अधिकारी थे। गवाहने कठपूरेके समीप जाकर शंकरकी ओर निर्देश करके कहा कि इसी व्यक्तिको पुलिस उसके साथ हिन्दू महासभा-भवन ले गयी थी। इसके बाद शंकर हमें हिन्दू महासभा-भवनके पीछे ले गया और भवनकी नौकर बस्तीके पिछेकी दीवारके पास जाकर बताया कि यहाँपर एक बम गाड़ा गया था। उसने स्वयं अपने हाथसे उस जगह जमीनको खोदा और एक हथगोला निकाला, जो ईंटजैसा मालूम देता था। इसके अतिरिक्त २५-२६ कारतूस भी मिले। कारतूस कपड़ोंमें लपेटे हुए थे और अखबारसे बँधे थे। उसी समय वहाँपर उन वस्तुओंकी सूची बनायी गयी। पुलिसने उन सबको अपने कब्जेमें कर लिया। इसके बाद शंकरसे पूछा गया कि अन्य दो हथगोले कहाँ हैं। इसपर वह हमें उस स्थानसे ४५ गज दूर एक मद्रासी स्कूलके पीछे ले गया और वहाँपर एक पत्थरके नोचेपे उसने दो हथगोले खोदकर निकाले।

इन वस्तुओंकी प्राप्तिका उसी समय मेमो बनाया गया, जिसपर मैंने और मनोहरलालने हस्ताक्षर किये। इसके बाद हम तुगलक रोड पुलिसके थानेमें लौट आये और वहाँपर विस्फोटक विशेषज्ञोंकी सहायतासे पुलिसने उनमेंसे फमूज निकलवा लिये। इसके बाद उन वस्तुओंको पैक करके ऊपर मुहर लगा दी गयी। यहाँ भी एक मेमोपर मनोहरलाल मेहता और मैंने हस्ताक्षर किये।

जिस मुहरका प्रयोग किया गया था उसपर सी. एल. जी. (चमनलाल ग्रोवर) के संक्षिप्त हस्ताक्षर थे। उस समय मनोहरलाल, शंकर, मेरे और पुलिसके सिवा वहाँपर और कोई नहीं था। गड़े हुए बमोंकी खोज करते समय शंकरका

बुर्का हटा दिया गया था। अन्य सब अवसरोंपर उसके ऊपर बुर्का डला रहा। जब ये वस्तुएँ वरामद की जा रही थी उसी समय उसके आसपासके स्थानोंका खाका भी खींच लिया गया। पी ४४ नम्बरका चित्र यही खाका था।

### जंगलमें पिस्तौल दागनेका अभ्यास किया गया

जलपानके पश्चात् गवाह चमनटाल गोबरने बताया कि मैं बादमें भी तुगटक रोडके थानेमें ले जाया गया था। मध्याह्नके दो बजे दो बन्द किये हुए व्यक्तियोंके पास पुलिस मुझे लें गयी। यह पूछे जानेपर कि क्या तुम अभियुक्तोंमेंसे उन दो व्यक्तियोंको पहचान सकते हो उसने कठवरेके पास जाकर नारायण दत्तात्रेय आपटे और करकरेको पहचाना। आपटेने कहा कि वह उन्हें उस स्थानपर ले जायेगा जहाँ एक पेड़पर पिस्तौल दागनेका अभ्यास किया गया था। इस वार जब मैं उन बन्द किये हुए व्यक्तियोंके साथ कारमें गया तो मेरे साथ लक्ष्मीकान्त जैन भी था। हम हिन्दूमहासभा-भवनकी ओर गये जहाँ बम्बईकी पुलिसका एक अफसर भी मौजूद था। वह पेड़ कौन-सा है? आपटेने यह पूछनेपर वह हिन्दू महासभा-भवन और मद्रासी स्कूलके बीचकी सड़कके दोनों मकानोंके पीछे ले गया। वहाँसे एक सूखे नालेको पार करके हम काफी दूरतक जङ्गलमें गये। तब उसने एक पेड़की ओर इशारा करके कहा कि यह वही पेड़ है। वृक्षपर चार गोलियोंके निशान थे और तनेमें कुछ दूरी परसे ही वृक्षकी ६ शाखाएँ फूट रही थीं। यह एक विचित्र पेड़ था। एक शाखापर दो और दो शाखाओंपर एक-एक गोलीका निशान था। एक ही शाखापर दोनों गोलियोंके निशान एक-दूसरेसे एक-एक फुटकी दूरीपर थे। ये निशान जमीनकी सतहसे सिर्फ २॥ फुट ऊँचे स्थानपर थे। अन्य दो निशान ३ और ३॥ फुटकी ऊँचाईपर थे। आपटेने बताया कि इस वृक्षसे ५ गजकी दूरीपर एक पत्थरपर बैठकर मैं इस वृक्षपर निशाना साधा करता था। पेड़के पास कुछ खाली कारतूस भी पाये गये। कारतूसोंके खोओंको पुलिसने अपने कब्जेमें कर उनको पैक कर दिया और उनपर अपनी और गवाहकी मुहर लगवा ली। तनेमें जहाँ गोलीके निशान थे उन भागोंकी काट लिया गया। गोलीके निशानसे युक्त पेड़के ३ टुकड़े अदायतमें पेश किये गये। इस सारे कार्यमें करकरे भी हमारे साथ रहा। जङ्गलमें ही एक 'पञ्चनामा' तैयार किया गया जिसपर यथाविधि मैंने हस्ताक्षर कर दिये। पुलिस जब आपटे और करकरेको उस स्थानपर ले जा रही थी तो उनपर बुर्का डाल रखा गया था।

श्री लोकद्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि मैं प्रथम वार पु  
गवाह बना हूँ। एक कांस्टेबल मेरे पास रेस्टोरेण्टमें आया और उसने मुझसे

सी. आई. डी. के पुलिस-अफसर तुम्हें बुलाते हैं। पहली तलाशी ११ फरवरीको और दूसरी २६ फरवरीको ली गयी थी। गवाहने कहा कि भंगी-वस्तीमें मैं दो बार प्रार्थना-सभामें गया था। दूसरी बार जब मैं गया तो कुरानकी आयतोंका पाठ पढ़ा गया था किन्तु किसीने उसपर कोई आपत्ति न उठायी।

श्री मंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जो कान्स्टेबल मेरे पास आया था उसने मुझे यह भी बताया कि थानेमें बम्बई-पुलिसका एक अधिकारी भी है। उसने मुझे पुलिस-अफसरका नाम नहीं बताया और न मैं कान्स्टेबलका नाम ही जानता था। मुझे उस समय यह नहीं पता था कि मुझे किसलिए बुलाया जा रहा है। कान्स्टेबलने भी मुझे यह नहीं बताया। वह मेरे पास २॥ बजे आया था और मैं लगभग ३॥ बजे थाने पहुँचा। मार्गमें लक्ष्मीकान्त जैनको भी मैं साथ ले चला। वहाँ जाकर हमने देखा कि बम्बई-पुलिसका वह अधिकारी हमारा पूर्वपरिचित ही है। हमने उनका अभिवादन किया।

इसके बाद आपटे और करकरेको कोठरीके बाहर लाया गया और उन्हें भी बैठनेके लिए कुर्सी दी गयी। उनको हथकड़ी लगी हुई थी। उस समय उनके ऊपरसे बुर्का हटा दिया गया था। ये लोग कुर्सीपर बैठे नहीं। बम्बई-पुलिसके उस अधिकारी 'नगरवाला' ने हमारे सामने आपटेसे प्रश्न किये। मैंने नगरवालासे कुछ नहीं पूछा। मैंने आपटेसे भी यह नहीं पूछा कि वह वक्तव्य क्यों देना चाहता है। जंगलमें जाकर सब काररवाई करनेमें हमें ४५ मिनट लगे। बम्बई-पुलिसके कुछ व्यक्तियोंने 'पञ्चनामा' अंग्रेजीमें भी लिखा था।

शंकरके वकील हंसराज मेहताद्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि मैं रावलपिण्डी रहता था। पंजावके वैठवारेसे मेरी सब सम्पत्ति छूट गयी। मेरा यह विश्वास नहीं था कि गान्धीजी मुस्लिम पक्षपाती नीतिका उपदेश देते हैं। ११ फरवरीको थानेमें मनोहरलाठके साथ जानेके पूर्व मैंने सी. आई. डी. के अफसरको पहले नहीं देखा था। हमारे पहुँचनेके १५ मिनट बाद शंकर कोठरीसे बाहर लाया गया था। वहाँपर पुलिसने मुझसे कहा कि उसे गान्धी-हत्याकाण्डकी जाँचमें सेवाओंकी आवश्यकता है। शंकरसे थानेमें कुछ नहीं पूछा गया। शंकर टूटी-फूटी हिन्दुस्तानीमें बोल रहा था, किन्तु मैं उसकी बोली समझ रहा था। बुर्का उसी तरहका था जैसा कि मुस्लिम महिलाएँ पहना करती हैं। हम ११ फरवरीकी रातको १॥ बजे हिन्दू महासभा-भवन पहुँचे थे। उस समय वहाँपर दूसरा और कोई आदमी नहीं था।

जब बम रखनेके स्थानको खोदनेके लिए शंकरको हिन्दू महासभा-भवन ले जाया गया, तब उसके केवल एक हाथमें हथकड़ी थी और सिरपरसे बुर्का उतरा हुआ था

## ७ जुलाई—२१ वाँ गवाह

आज आगराके विस्फोटक परीक्षक श्री एस. सी रायक्री गवाही हुई।

गवाहने कहा कि मैं कलकत्ता विश्वविद्यालयका एम एस-सी. हूँ और पिछले सात वर्षोंसे भारत सरकारके शस्त्र कारखानेमें विस्फोटक रसायनज्ञके तौरपर काम कर रहा हूँ। मेरा काम विस्फोटकोंके बारेमें भेजी गयी रिपोर्टोंकी जाँच करना था।

भारतके मुख्य विस्फोटक परीक्षककी मार्फत दिल्लीकी सी. आई. डी.से मेरे पास ९ फरवरी १९४८ को एक पत्र आया। पत्रके साथ दो पार्सल भी थे। देवकीनन्दन हेड कान्स्टेबल उन्हें मेरे पास लाया था। मुहुरें ज्योंकी त्यों थीं। पैकटोंपर लगी मुहरोंके अलावा उन्हीं मुहरोंके दो नमूने भी साथ भेजे गये थे। मैंने इन पैकटोंको खोला और देखा कि अन्दर रखे हुए हथगोलोंकी बनावट बिल्कुल सही थी। उनका वजन २॥ पौण्ड था। ये अत्यन्त भयानक विस्फोटक थे। डिब्बेकी अच्छी तरह साफ किया गया, जिससे कोई विस्फोटक अन्दर न रह जाय। हथगोला एक उत्तम त्रिट्रिय विस्फोटक था जो व्यक्तियोंकी मारनेके काममें लाया जाता है। दूसरे डिब्बेमें भी विस्फोटक द्रव्य थे। मैंने अपनी जाँचकी रिपोर्ट अधिकारियोंको २० फरवरी १९४८ तक दे दी थी।

दिल्ली सी. आई. डी. का ही एक दूसरा पत्र मुझे १२ फरवरीका भेजा हुआ मिला। पत्रके साथ ४ मुहरबन्द पार्सल भी आये थे। मुहर बिल्कुल ठीक थी। उनमें हथगोले भरे हुए थे। जाँच करनेसे मालूम हुआ कि उनमेंसे दो हथगोलोंमें त्रैरियम नत्रित भरा गया है और दो अन्यमें वैराटोल। मालूम होता था कि वैराटोल वाले ये हथगोले त्रिट्रियम बने हैं। एक तीसरे हथगोलेसे मालूम होता था कि ये खडकी (पूना) के शस्त्र कारखानेके बने हुए हैं। अधिकारियोंके निर्देशानुसार उनके अन्दरके तत्व मैंने नष्ट कर दिये थे। विस्फोटक द्रव्यसे रहित हथगोले वापस दिल्लीकी सी. आई. डी. को भेज दिये गये।

गवाहने कहा कि डिटोनेटर और फ्यूज भयंकर विस्फोटकोंके विस्फोट करनेमें काम आते हैं। अधिकारियोंके निर्देशानुसार डिटोनेटर और फ्यूज मैंने हटा दिये थे। इनके पार्सलमें एक औंस शुष्क हुईमें १ पौण्ड गीला गनकाटन रखा गया था। यह एक उत्तम विस्फोटक होता है। उस समय यह बिल्कुल ठीक हालतमें था।

जो हुई गवाहकी दिखायी गयी थी उसपर डा. एन. के. मैत्रके हस्ताक्षर थे।

## २२ वाँ और २३ वाँ गवाह—दिल्लीसे दम्बई टेलिफोन

पुलिस फोटोग्राफर कुँवर सिंहने कहा कि बिडला-हाउसके नौकरोंके क्वार्टरके दो फोटो मैंने खीचे। उन्होंने अदालतमें इनको पहचाना।

टेलिफोन रेवेन्यू नयी दिल्लीके एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर श्री पी. आर. कैलासकी गवाही इसके बाद हुई। उन्होंने कहा कि दिल्लीसे जितने ट्रंक टेलिफोन किये जाते हैं उन सबका लेखा मेरे दफ्तरमें रखा जाता है। अदालतमें एक चिट पेश किया गया जिसमें १९ जनवरीको दिल्ली ८०२४ नम्बरसे वम्बई ६०२०१ नम्बरको टेलिफोन किये जानेकी बात लिखी थी। गवाहने कहा कि १९ जनवरीको दिनमें ९-२० पर यह कॉल दर्ज कराया गया। यह पर्सनल अर्जेण्ट था और 'दामले या कसिया' के लिए दर्ज कराया गया था। दिल्ली ८०२४ नम्बर नयी दिल्ली रीडिंग रोड हिन्दू समाके अवैतनिक आफिस सेक्रेटरीके नाममें है। बातचीत नहीं हो सकी इसलिए इसके लिए केवल २।।] चार्ज किया गया। जिससे बातचीत करना चाहते थे वह नहीं मिले। विल भेजा गया और १९ मईको उसका रुपया मिल गया।

अन्य वकीलोंने जिरह करनेसे इनकार किया। यह नम्बर भोपटकरका था इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जिरह करूँगा। उन्होंने यह पहले पहल जिरह की थी। गवाहने कहा कि उस समय वम्बईमें जो आपरेटर था उसीने यह चिट तैयार की है। ऐसी ही चिटें दिल्लीसे हुई सारी बातचीतोंके लिए आती हैं।

भोपटकरने कहा - चिटके नीचे देखिये कुछ कटा हुआ है। अदालतने चिट देखी। उसमें 'दाल' नाम काटकर 'डेमेली' बनाया गया था। दूसरा नाम 'कसिया' था।

गवाहने कहा कि मैं ठीक नाम नहीं जानता, जो चिटमें लिखा है वही जानता हूँ। पुलिसने मुझसे कुछ सवाल जरूर पूछे थे, पर कोई बयान नहीं लिया था। मैंने पुलिससे यह नहीं कहा था कि कॉल ११-१५ पर तुक किया गया। वम्बई-वालोंने पहले ११ वजे फिर ११-५० पर उस आदमीको बुलानेकी कोशिश की थी। मैं यह भी नहीं जानता कि १९ मईको विलका रुपया किसने दिया।

ट्रंककॉलका चिट पेश किया गया तो उसमें वम्बईका नं० ६०२१० लिखा था। गवाहने कहा कि मैंने जाँच नहीं की कि वम्बई ६०२१० कौन है।

### २४ वाँ और २५ वाँ गवाह

इसके बाद दिल्ली स्टेशनके एक टिकट-वावू लाला बन्नीनाथकी गवाही हुई। उसने कहा कि २० जनवरीको ४ वजे दिनसे १२ वजे रातके बीच मेरी ड्यूटीमें मैंने कानपुरके लिए पहले दर्जेके तीन टिकट बेचे। टिकट नं० ६१४ ए, ६१४ बी और ६१५ थे। यह नहीं कह सकता कि पहले दोनों टिकट (एक ही टिकटके दो भाग) एक साथ बेचे या अलग-अलग। कानपुर होकर जानेवाली (एक गाड़ी) हावड़ा एक्सप्रेस ९ वजे रातको दिल्लीसे रवाना हुई।

नक्शानवीस श्री एन. एन. कपूरने कहा कि पुलिसके कहनेसे मैंने विड़गा-भवनके बाड़ेके दो नकशे बनाये थे।

सवृतका और कोई गवाह नहीं था इसलिए अदालत जल्दी उठ गयी। जजनें सवृत पक्षको आगाह किया कि उसे पर्याप्त गवाह बुलाने चाहिये। दफ्तरीने कहा कि अगले गवाहकी गवाहीमें पूरे दो दिन लगेंगे।

### ८ जुलाई—४ गवाहोंके बयान

आज अदालतमें दिल्ली जंक्शन स्टेशनके बुकिंग क्लर्क सुन्दरलाल ( २८ ) ने नथूराम गोडसे और आपटेको पहचानकर कहा कि ये ही दो २९ जनवरीको स्टेशनके रेलवे रिटायरिंग हममें ठहरे थे। करकरेको पहचानकर गवाहने कहा कि ३० जनवरीको यह भी उसी कमरेमें आया था। २९ जनवरीको दोपहरको १२ बजे नथूराम अपना नाम विनायकराव बताते हुए आया और एक दो चारपाईवाले कमरेको रिजर्व करनेके लिए कहा। मैंने कहा कि अभी कोई कमरा खाली नहीं है, पौन घण्टेके बाद आइये। १ बजे विनायकराव अपने मित्रके साथ आया और एक कमरा उनको दिया गया। विनायकरावने सेकेण्ड क्लासके दो टिकट दिखाये, एक पूनेसे था और एक म्वालियरसे। ३० जनवरीको विनायकराव फिर आया और कहने लगा कि हम और रहेंगे, पर मैंने कहा कि नियमानुसार २४ घण्टेमें अधिक कोई नहीं रह सकता और स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्टकी अनुमतिके बिना टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता। १ बजे भी ये लोग नहीं गये इसलिए मैं इनके कमरेमें गया। उस समय एक और आदमी वहाँ खड़ा था। मेरे कमरा खाली करनेके लिए कहनेपर विनायकरावने उस तीसरे आदमीसे विस्तर बाँधनेको कहा। मैं कोई १५ मिनट खड़ा था और जब सामान बाहर निकाला जाने लगा तो दफतर वापस लौट गया। कमरेमें तीनों मराठीमें बातचीत कर रहे थे।

जिरहमें वकील श्री ओकके यह पृष्ठनेपर कि २८ मईको अखबारोंमें गवाहने अभियुक्तोंके चित्र देखे या नहीं; गवाहने कहा कि नहीं। रसीदपर १२ काटकर १३ बनाया गया था उसके बारेमें पूछनेपर गवाहने कहा कि यह उसी समय बनाया गया था जब रसीद दी गयी थी। गवाह कुछ वहरा था इसलिए सवाल आदि करनेमें कुछ दिक्कत हुई।

इसके बाद रेलवे क्वार्टरमें रहनेवाले विश्रामगृहके परिवारक हरिकिशनकी गवाही हुई। उसने कहा कि मुझे गान्धीजीके हत्या-दिवसका स्मरण है और यह भी याद है कि २९-३० जनवरीको ६ नं० के कमरेमें लोग टिके हुए थे। उन तीन व्यक्तियोंमेंसे एकने दो रुपये देकर कपड़े धुलवानेके लिए दिये। उस व्यक्तिको गवाहने नथूराम गोडसेके रूपमें पहचाना। ६ नं० के कमरेमें ठहरते समय उसने साथ दो और आदमी थे। उनमेंसे एकके पास कुछ सामान भी था। जिस व्यक्तिने मुझे दो रुपये दिये थे उसने उज्ज रूप्योंको विश्राम-गृहके मोर्चाको देनेके लिए कहा

था जो विश्राम-गृहमें जूतोंपर पालिश किया करता था। यह पूछे जानेपर कि क्या वह अभियुक्तोंमेंसे उन अन्य दो व्यक्तियोंको पहचान सकता है, अभियुक्तने कहा हाँ। ( किन्तु वह केवल करकरेको ही पहचान सका )। ३० को १२॥ बजे मैंने उनसे कमरेको खाली करनेके लिए कहा। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि शीघ्र ही खाली कर देंगे; किन्तु उन्होंने पूछा कि क्या वे २४ घण्टेके लिए और नहीं ठहर सकते? मैंने कहा, मुश्किल है। इसके बाद वे अपना सामान पहले दर्जेके वेस्टिंग रूममें ले गये।

इसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशनपर जूतोंपर पालिश करनेवाले जन्नु मोचीकी गवाही हुई। उसने बताया कि गान्धीजीकी हत्याके एक दिन पहले ६ नं० के कमरेमें ३ बाबू आकर ठहरे थे उनमेंसे एकके जूतोंपर मैंने पालिश भी की थी। उसी पालिश करानेवाले व्यक्तिने मुझे कपड़े धुलवानेके लिए भी दिये थे और उनकी जल्दी मॉर्ग की थी। इसीलिए ५ कपड़ोंकी धुलाई उसने दो रुपया दी थी।

यह पूछे जानेपर कि क्या वह उस व्यक्तिको पहचान सकता है, जिसने उससे अपने जूतेपर पालिश करायी थी तो जन्नुने कठघरेके पास जाकर नथूराम विनायक गोडसेको पहचाना। यह पूछे जानेपर कि क्या वह अन्य दो व्यक्तियोंको भी पहचान सकता है, गवाहको थोड़ी देरके लिए अदालतसे बाहर ले जाया गया। इसी बीचमें अभियुक्तोंने अपने स्थान बदल लिये और करकरेने तो ऐनक भी पहन ली। फिर भी गवाहने अन्दर आकर आपटे और करकरेको पहचाना। जन्नु ३० ता० को सुबह जब कपड़े धुलवाकर लाया, तो बाबू वहाँपर नहीं थे। उसने वैरा हरिकृष्णको वे कपड़े सौंप दिये।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं सदर बाजारमें रहता हूँ और दिल्ली स्टेशनपर मोचीका काम करके २-३ रुपये प्रतिदिन कमा लेता हूँ।

अगला गवाह पुलिस हेड कान्स्टेबल देवकीनन्दन था। उसने कहा कि ९ फरवरी १९४८ को तुगलक रोड पुलिस-थानेमें एच. सी. काबुलसिंहने मुझे दो मुहरबन्द पार्सल दिये थे। मैं उन्हें सी. आई. डी. के अफसरोंके पास ले गया। मुझे उन पार्सलोंको आगराके विस्फोटक परीक्षकके पास ले जानेको कहा गया। १० फरवरीको प्रातः जब मैंने वे पार्सल विस्फोटक परीक्षकको सौंपे तब तक वे ठीक वैसे ही थे। तुगलक रोड पुलिस थानेके काबुलसिंहसे १३ फरवरीको ४ मुहरबन्द पार्सल और मिले। उनको भी मैं पहले तो सी. आई. डी. के अफसरोंके पास ले गया और उसी दिन वे भी मैंने आगराके विस्फोटक परीक्षकको पहुँचा दिये।

२८ अप्रैलको मुझे फिर आगरा भेजा गया और २९ अप्रैलको दो मुहरबन्द पार्सल

निरीक्षकके पाससे लाकर मैंने फव्वारेके पासकी कोतवालीमें सौंप दिये।

## ९ जुलाई—एक दिनमें ८ गवाह

आज अदालत जब घड़ी तो अभियुक्त मदनलालकी ओरसे एक दरखास्त इस आशयकी दी गयी कि महात्मा गान्धीकी यात्राओं, भाषणों और लेखोंके सम्बन्धमें कानूनी मान्यता देनेके लिए अदालत 'देहली डायरी' पुस्तकको स्टैण्डर्ड किताब मान ले ।

आज अदालतमें पहले पहल गवाहोंने ३० जनवरीको हुए गान्धीजीके हत्या-काण्डका विस्तृत विवरण सुनाया ।

आज सबसे पहले शाही भारतीय वायुसेनाके साजेंन्ट रामचन्द्रकी सवृत पक्षकी ओरसे गवाही हुई । उन्होंने बताया कि मुझे अम्बालासे दिल्ली स्थानान्तरित किया गया था और मैं गान्धीजीकी शामकी प्रार्थनाओंमें जाया करता था । एक दिन एक साधुने संस्कृतमें कुछ आपत्ति की थी, संभवतः वह कुरानके पाठके सम्बन्धमें थी । 'रघुपति राघव राम रहीम, पतितपावन कृष्ण करीम' गाने मैंने कभी नहीं सुना था । २० जनवरीकी शामको विड़लाभवनके पीछे नौकरोंके द्वारके हातेकी दीवारके पास गनक्राउनके एक टुकड़ेका विस्फोट होते हुए देखा था । उस समय गान्धीजी प्रार्थनासभामें भाषण कर रहे थे । मैं वम फटनेके स्थानकी ओर भागा और दीवार फँदकर पास ही खड़ी हुई एक पंजाबी लड़की सुलोचनादेवीसे मैंने पूछा कि वम-विस्फोट किसने किया है । जब सुलोचना देवीने पास खड़े हुए एक व्यक्तिकी ओर इशारा किया तो मैंने उस व्यक्तिको पकड़ लिया ।

बादमें एक पुलिस कान्स्टेबल और विड़लाभवनके चौकीदारने भी मदनलालको पकड़ लिया । इसके बाद रामचन्द्र गवाह कटघरे के पास गया और मदनलालकी ओर संकेत करके कहा कि इसी व्यक्तिको मैंने पकड़ा था । गवाहने आगे कहा—मदनलालने मेरी पकड़ छुड़ानेकी कोशिश की किन्तु उसे सफलता नहीं मिली । पुलिस कान्स्टेबलने अपनी रायफल मदनलालकी ओर कर दी । मुझे यह नहीं मालूम कि रायफलमें कारतूस थे या नहीं । उस समय सुलोचना कुछ उत्तेजित मालूम देती थी ।

इसके बाद तुगलक रोड पुलिस थाने के स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टर अमरनाथकी गवाही ली गयी । अमरनाथका काम प्रार्थनाके समय, विड़लाभवनकी देखभाल करना था । गवाहने अपने बयानमें कहा कि मेरी ज्यूटी साथ ४१ वजेसे शुरू होती थी । मेरे नीचे १ हेडकान्स्टेबल और ४ कान्स्टेबल काम करते थे । ३० जनवरीकी गान्धीजीकी हत्याके दिन मैं गान्धीजीके पीछे खड़ा था । मैंने एक गोलीकी आवाज सुनी और धुओं भी उठता हुआ देखा ।

मैं तुरन्त ही हत्यारेकी ओर भागा और मैंने उसे गर्दन और कंधोंसे पकड़



लिया। परन्तु मेरे पकड़ने तक वह दो गोलियाँ और चला चुका था। सार्जेन्ट देशराजने कातिलकी कलाई पकड़ ली और उसके हाथसे पिस्तौल छीन ली जिसमेंसे चार कारतूस और मिले।

वहाँपर इकट्ठी हुई भीड़ने उसी समय कातिलपर हमला करना शुरू कर दिया। मैं, इस डरसे कि कहीं लोग उसे मार ही न डालें, कातिलको वहाँसे हटाकर कुछ दूर एक दूसरे स्थानपर ले गया। किन्तु अवतकके हमलोंसे उसे एक घाव हो चुका था, और उसमेंसे खून बह रहा था। इतना बयान दे चुकनेके बाद गवाह अभियुक्तोंके कठपरेके पास गया और गोली चलानेवाले व्यक्तिके रूपमें उसने नथूराम गोडसेको पहचाना।

गोडसेके वकील श्री ओक जव गवाहसे जिरह करने लगे तो नथूराम गोडसेने खड़े होकर जज से कहा कि मैं यह नहीं चाहता कि मेरा वकील मुझसे सम्बन्धित ३० जनवरीकी घटनाके प्रत्यक्षदर्शी सबूत पक्षके गवाहसे कोई सवाल पूछे।

अगले गवाह गान्धीजीके निकट रहनेवाले श्री नन्दलाल मेहता थे। उन्होंने कहा कि मैंने हत्यारेको गान्धीजीपर गोली चलाते हुए देखा था क्योंकि मैं उस दिन गान्धीजीके साथ ही प्रार्थनामें जा रहा था। जव गान्धीजी लड़खड़ाकर गिर रहे थे, मैंने उन्हें सहारा दिया और उनका सिर गोदमें टिका दिया। गान्धीजीके प्राणपखेरु तुरन्त ही उड़ गये। पहले मैंने गान्धीजीके ऊपरी वस्त्रोंमें खून जमा हुआ देखा। बादमें स्नान कराते हुए मुझे मालूम हुआ कि उनके शरीरपर गोलियोंके ३ घाव हैं। मैंने पुलिसकी सूचनारिपोर्टपर हस्ताक्षर किये थे।

जलगानके बाद अदालतके फिर बैठनेपर हेडकान्स्टेबल काबुल सिंहने गवाही देते हुए कहा कि २० जनवरी, १९४८ को मदनलालके पाससे वरामद किये गये हथियार तुगलक रोडके पुलिस थानेमें रखे गये थे। ३० जनवरीको स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टर अमरनाथने भी थानेमें कुछ हथियार रखवाये थे, जिनके विषयमें कहा जाता था कि ये नथूराम गोडसेके पाससे मिले हैं। ११ फरवरीको ४ मुहरबन्द पैकेट और २५ रिवाल्वरके कारतूस जमा कराये गये। मुहरबन्द पैकेटोंमें तीन हथगोले, ३ दाहक, एक डिटोनेटर और एक गनकाटनका टुकड़ा रखा हुआ बताया जाता था। ये वही हथियार थे जो अभियुक्त शंकरने हिन्दू महासभाभवनके पीछेकी जमीनमेंसे निकालकर पुलिसको दिये थे।

२६ जनवरीको २ मुहरबन्द पैकेट और २ मार्चकी एक और पैकेट जमा कराया गया था। २ मार्चको जमा कराये गये पैकेटमें लकड़ीके ३ टुकड़े थे। ये वही टुकड़े थे, जिनपर हिन्दू महासभाभवनके पीछेके जंगलमें गोली मारनेका अभ्यास किया गया था। इन तीनों टुकड़ोंपर ४ गोलियोंके निशान थे।

तुगलक रोड पुलिस थानेका सिपाही रत्नसिंह अगला गवाह था। उसने कहा कि २० जनवरीको विड़लाभवनकी निगरानीमें तैनात किये हुए लोगोंमें मैं भी था। उस दिन जब मैंने विस्फोटका शब्द सुना तो तुरन्त तेजीसे उसी ओर गया। मेरे पास एक रायफल और ५० कारतूस थे। मैंने एक दीवार फाँदी और वहाँपर एक पञ्चाबी लड़कीको खड़ी देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह बम-विस्फोट करनेवाले व्यक्तिको जानती है। उस लड़कीने पास ही खड़े एक व्यक्तिकी ओर इशारा किया। मैंने अपनी रायफल मदनलालकी ओर करके कहा कि यदि तू भागनेकी कोशिश करेगा, तो मैं तुझे गोली मार दूँगा। मैंने उसे पकड़ लिया। साजेंन्ट रामचन्द्र और चौकीदार भूरसिंहने भी उसे पकड़ लिया ( गवाहने कठघरेके पास जाकर मदनलालको पहचाना ) रस्तेमें मुझे मजिस्ट्रेट साहनी मिले और हम मदनलालको वाहरके पुलिस खेमेमें ले गये। ३० जनवरीको भी मैं ड्यूटीपर था। गान्धीजीकी वायीं ओरसे मैंने गोली दागनेकी २-३ आवाजें सुनीं। एक इन्स्पेक्टर और साजेंन्टने हमलावरको पकड़ लिया। साजेंन्टने हत्यारेके हाथसे पिस्तौल छीन ली। जिस स्थानपर गान्धीजीकी गोली मारी गयी थी, वहाँपर मैंने कारतूसोंके दो खोल, और दो ज्ञाया कारतूस पड़े हुए देखे। मैं उनकी देखभाल करता रहा।

उसने नथूराम गोडसे और आपटेकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इन दो व्यक्तियोंमेंसे कोई एक ३० जनवरीको पकड़ा गया था। मुझे यह निश्चय नहीं, कि इतनेसे किसने उस दिन गान्धीजीपर गोली चलायी थी।

६ठा गवाह तुगलक रोड पुलिस थानेका सहायक सब-इन्स्पेक्टर धालूराम था, जो इस समय करील वागके थानेमें काम करता है। उसने अपने वयानमें कहा कि मैं २ फरवरीको उन पार्सलोंको फिल्लौरकी एक रसायनशालामें जाँचके लिए वहाँ ले गया था। २ फरवरीको ही मैं उन पार्सलोंको वापस लेकर दिल्ली चला आया।

दिल्ली प्रान्तके नाँगलोई पुलिस थानेका सहायक इन्स्पेक्टर परशुराम अगला गवाह था। फरवरी और मार्चमें वह दिल्लीके तुगलक रोड पुलिस थानेमें काम करता था। उसने अपने वयानमें बताया कि मैं २ मार्चको तीनों तनोंके टुकड़ोंको एक ही पैकेटमें रखकर, जिसका भार ८-१० सेर तक हो गया था, उनपर हुए गोलियोंके छेदोंकी जाँचके लिए एक अन्य स्थानको ले गया।

अगला गवाह हेडकान्स्टेबल धरमसिंह था; जो ३० जनवरी १९४८ को विड़लाभवनमें ड्यूटीपर तैनात था। महात्मा गान्धीजीकी जब हत्या की गयी तो वह उनके दाहिने हाथकी ओर था। मैंने गान्धीजीपर गोली चलायी जाते हुए देखा था। गवाह कठघरेके पास गया और नथूराम गोडसेको पहचानकर बोला—यही वह व्यक्ति है जिसने गान्धीजीपर गोली चलायी थी।

इसके बाद जाँचके लिए अन्य कोई गवाह नहीं था, इसलिए अदालत सोमवार-के लिए स्थगित हो गयी । ]

१२ जुलाई

आज अदालतकी काररवाई शुरू होनेपर 'दिल्ली डायरी' पुस्तकको अदालतद्वारा स्वीकार कर लेनेका अनुरोध करनेवाली मदनलालकी अर्जी पेश हुई । मदनलालके वकील श्री वनजीने कहा कि मेरे मुअकिलका कहना है कि उसने जो कुछ किया महात्मा गान्धीके कार्यों और नीतिके विरुद्ध अपना विरोध-प्रदर्शन करनेके लिए किया । इसके लिए जरूरी है कि अदालत किसी एक पुस्तकको जिसमें गान्धीजीके लेखों, भाषणोंका संग्रह हो, सन्दर्भके लिए मंजूर करे । 'दिल्ली डायरी' में गान्धीजीके सितम्बर-१९४७ से जनवरी १९४८ तक किये गये भाषणोंकी रिपोर्ट है और राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादने उसकी भूमिका लिखी है ।

सरकारी वकील दफ्तरीने अर्जीको स्वीकार करनेका विरोध किया । अदालतने कहा कि यह अर्जी उस समय पेश की जानी चाहिये जब सफाई पक्षके गवाहोंके बयान लेनेका काम शुरू हो, अर्जीपर अन्तिम निर्णय उसी समय किया जायगा । इस बीच अदालतने 'दिल्ली डायरी' की एक कापी दाखिल करनेके लिए श्री वनजीसे कहा ।

३८ वें गवाह—सिविल सर्जन

आज सबसे पहले नयी दिल्लीके इरविन हास्पिटलके सुपरिण्टेण्डेंट और सिविल सर्जन लेफ्टनेण्ट कर्नल पी. एन. तनेजाका बयान हुआ । उन्होंने ३१ जनवरीको ८॥ बजे विड़ला-भवनमें गान्धीजीके शवकी परीक्षा की थी । उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि गान्धीजीकी मृत्यु पिस्तौलसे छोड़ी गयी गोलियोंसे लगी चोटसे शरीरके अन्दर रक्तस्राव होनेसे जो धक्का लगा उसके कारण हुई ।

गवाहने कहा कि गान्धीजीके शवकी शिनाख्त डाक्टर जिवराज मेहताने भी की थी । उनके शरीरपर पाँच घाव मँने देखे । एक घाव छातीकी दाहिनी ओर गहरा, दबा और अण्डाकार था । दो और घाव दाहिनी ओर थे ।  $3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}''$  के थे और शरीरकी दूसरी ओर ये  $2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$  हो गये थे । तीनों सम्भवतः पिस्तौलकी गोलियोंके थे । बाँकी दो घाव पीछेकी ओर गोली निकल जानेके थे । ( गवाहने डाक्टरकी भाषामें घावोंका पूरा वर्णन किया । ) गवाहने कहा कि विड़ला-भवन पहुँचते ही मुझे रक्तसे सनी एक घोती दिखायी गयी । मुझे शव-रिपोर्ट और पुलिसकी रिपोर्ट

दिखायी गयी। गवाहने इन दोनों रिपोर्टों और अपनी रिपोर्टकी अदालतमें शिनाख्त की। ( गोडसेकी इच्छाके अनुसार इनसे जिरह नहीं की गयी। )

### ग्वालियरके गवाह

अगले गवाह ग्वालियरके जगदीशप्रसाद गोयलने अपने बयानमें कहा कि मैं डाक्टर परचुरेको १९४१ से जानता हूँ ( गवाहने उनकी शिनाख्त भी की। ) वे 'हिन्दूराष्ट्र-सेना' के 'सर्वाधिकारी' थे। हिन्दू युवकोंको संघटित करनेके लिए यह बनायी गयी थी। परचुरेके कहनेसे मैं भी इसमें शामिल हुआ था और रोज परेडमें जाता रहा। मैं सावरकरके सेक्रेटरी दामलेको भी जानता हूँ। वे १९४१ में ग्वालियर आये थे। दामलेके साथ आपटे भी ग्वालियर आया था ( गवाहने कठघरेमें आपटेकी ओर इशारा कर कहा। ) इसके बाद २८ जनवरी १९४८ को आपटेको मैंने ग्वालियरमें डाक्टर परचुरेके दवाखानेमें देखा। कठघरेमें नथरामकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि यह भी उसी दिन डाक्टर परचुरेके यहाँ था। दो साल पहले भी मैं गोडसेसे मिला था। उस समय वह 'अग्रणी'का सम्पादक था। ('अग्रणी' वादमें 'हिन्दू-राष्ट्र' हुआ। ) २८ जनवरीको सवेरे करीब ९ बजे मुझे डाक्टर परचुरेके यहाँसे जहरी बुलावा आया। मैंने खबर दी कि दफ्तर जाते समय आऊँगा। १०॥ बजे मैं दवाखाने गया। डाक्टर परचुरे नहीं थे, पर गोडसे और आपटे वहाँ बैठे थे। मैं रुका नहीं और दफ्तर चला गया। मैं ग्वालियरके दण्डवते ( फरार अभियुक्त ) को भी जानता हूँ। २८ जनवरीकी रातको करीब ९ बजे वह मेरे घर आया और कहने लगा कि गोडसेको एक पिस्तौलकी जरूरत है। मुझसे उसने कहा कि मैं अपनी पिस्तौल बेच दूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक ही पिस्तौल है इसलिए मैं बेच नहीं सकता। दण्डवतेने कहा कि दूसरी पिस्तौल मिल जायगी और ५००) भी मिलेंगे। इसपर मैंने अपनी पिस्तौल दण्डवतेको दे दी। १० बजे दण्डवते फिर आया और एक देशी रिवाल्वर और ३००) देने लगा। मैंने इनकार किया और कहा कि या तो पिस्तौल लौटा दो या ५००) दो। दण्डवते इसपर चला गया। पिस्तौलके साथ मैंने ७ राउण्ड कारतूस भी दिये थे। ( गवाहने इन चीजोंको अदालतमें पहचाना। ) २ फरवरीकी मैं डाक्टर परचुरेसे मिला और उनसे कहा कि मेरे पिस्तौलका अच्छा उपयोग नहीं किया गया। परचुरे कुछ बोले नहीं।

इसका बयान शुरू होनेके पहले परचुरेके वकील इनामदारने इनका बयान लेनेपर आपत्ति उपस्थित करते हुए कहा था कि मेरा मुअकिल ग्वालियर राज्यका प्रजाजन है। जजने यह विवाद वादमें उठानेको कहा।

श्री इनामदार वकीलकी जिरहके उतरमें गवाहने बताया कि मैं फरार हो गया था, पर अप्रैलमें झांसीमें पकड़ा गया। लेकिन वारमें पुलिसने रिहा कर दिया। जबसे पुलिसने मुझे हिरासतसे छोड़ा है तबसे पुलिस द्वारा कोई निगरानी नहीं की गयी। मैं पुलिसके साथ दिल्लीमें हूँ, क्योंकि मुझे भय है कि ग्वालियर जानेपर सार्वजनिक सुरक्षा आर्डिनेन्सके अन्तर्गत मुझे हिरासतमें न ले लिया जाय।

उसने बताया कि मुझे हिरासतसे रिहाईका कोई लिखित आदेश देखनेको नहीं मिला। मैं जानता था कि ग्वालियरमें एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा था। संघियों और राष्ट्रसेनाके बीच एक झगड़ा भी चल रहा था। राष्ट्रसेनाका मैं भी सदस्य था। मैं मधुकर कालेकी भी जानता था; किन्तु मैं यह नहीं जानता कि वह संघी थे। वे ग्वालियर राज्य सरकारके कर्मचारी हैं।

उसने बताया कि पिस्तौलका कोई लाइसेंस मेरे पास नहीं था। मैंने यह पुलिससे छिपाकर रखी थी। (गवाहके पास और भी कोई ऐसी लिखा-पढ़ी न थी जिससे सिद्ध हो सके कि यह पिस्तौल उसकी ही थी।)

उन दिनों विभिन्न राजनीतिक दलोंके नेता ग्वालियरमें अपने मतोंका प्रचार करने आते-जाते थे। ग्वालियरकी विभिन्न संस्थाएँ 'ब्रिटिश' भारतकी संस्थाओंसे स्वतंत्र थीं। २४ जनवरी १९४८ को कांग्रेसके हाथमें ग्वालियरका शासन आया। ग्वालियरमें हिंदू महासभा विरोध दलके रूपमें थी। डा० परचुरे हिंदू महासभाके एक नेताओंमेंसे हैं। ग्वालियर सरकारने जनवरी १९४८में डा० परचुरेको नजरबन्द कर लिया क्योंकि उस समय ग्वालियर अंतरिम सरकारमें हिस्सा लेनेके लिए हिंदू महासभा सत्याग्रह करनेका इरादा कर रही थी। अभीतक ग्वालियर सरकारमें हिंदू महासभाको कोई भाग नहीं मिला है।

### दिल्लीसे सावरकरके घर बम्बई फोन किया गया

जलपानके बाद आजके तीसरे गवाह सरदारीलाल वर्माका बयान लिया गया। आप दिल्ली ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजके सुपरवाइजर हैं। वह अपने साथ एक ट्रंक-कॉल टिकट लाये थे जिससे साबित होता था कि १९ जनवरी १९४८ को दिल्लीके ८०२४ नम्बरके फोनसे बम्बईके ६०२०१ नम्बरको फोन किया गया। यह फोन दिल्लीकी हिन्दू महासभाके जनरल-सेक्रेटरीकी ओरसे बम्बईके दो व्यक्तियों—दामले और कासारके लिए किया गया था। यह फोन पहली बार उस दिन सवेरे ११ बजे करनेकी कोशिश की गयी और फिर ११-५५ पर, किन्तु दोनों बार बम्बईमें जिनके लिए फोन किा गया था वह उपलब्ध न हो सके। अतः फोनका कॉल रद्द कर दिया गया और प्रेषकसे २५ प्रतिशत महसूल वसूल किया गया। बम्बई फोनका उक्त नम्बर ६०२०१ वी. डी. सावरकरके फोनका नम्बर है।

बचाव पक्षके वकीलोंके नेता श्री एल. वी. भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाह सरदारीलालने कहा कि मैं अपने दफ्तरकी लिखापट्टीके आधारपर यह बता रहा हूँ कि यह ट्रंककॉल किसने किया था। मुझे व्यक्तिगत रूपसे इसका कुछ ज्ञान नहीं। दिल्लीसे प्रतिदिन लगभग १५०० ट्रंककॉल होते हैं। बाहरके कॉलोंका भी लेखा रहता है। बम्बईके उस कॉलमें 'दामले' का दिल्लीका शब्दविन्यास 'डिमल' हो गया था, जब कि बम्बईमें इस नामको 'डिमेलो' लिखा गया। दूसरा नाम दिल्लीमें 'कसर' लिखा गया और फोन नं० ८०२४ था। किन्तु श्री भोपटकरने कहा कि यह नाम 'कसाई' लिखा है और नं० ८१२४ है। लेकिन अदालतने यह स्वीकार नहीं किया।

ट्रंककॉल टिकटपर 'कंसिल्ड' शब्द लिख दिया गया था। किन्तु बादमें वह काट दिया गया। गवाहने यह बात मान ली कि यह शब्द वास्तवमें काट दिया गया था। श्री भोपटकरने कहा कि ११-५५ बजेके नीचे भी कुछ लिखा है। इसपर गवाहने बताया कि पेंसिलसे '१२' लिखा गया था। यह अक्षर मिट गये हैं, लीपापोती नहीं की गयी है।

गवाहने कहा कि यह कॉल रद्द नहीं किया गया क्योंकि प्रेषकसे २५ प्रतिशत महसूल ले लिया गया था। टिकटका यह महसूल २-१२ आना था, किन्तु उसपर १ रु० १५ आना कैसे लिखा गया, यह मैं नहीं जानता।

अगली गवाही दिल्लीकी टेलीफोन आपरेटर सिख लड़की कु० बलवन्त कौरकी हुई जो १९ जनवरी ४८ को बम्बईके स्विचबोर्डपर थी। उसने कहा कि कॉल पानेवाले व्यक्ति उपलब्ध न थे, अतः मैंने ९१ नम्बरको उसकी सूचना दी कि कॉल रद्द कर दिया जाय। इन्क्वायरी सेवज्ञानमें उस समय एक नयी कर्मचारिणी कु० जी० फर्नेस थी। उन्होंने टिकटपर 'कंसिल्ड' लिख मारा। उनका यह लिखना गलत था। अतः उसे काटना पड़ा। कु० फर्नेस अभी जनवरीमें ही इस विभागमें आयी हैं। श्री भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें कु० कौरने कहा कि मुझे तब बम्बई-आपरेटरका नाम मालूम न था। मैंने दोनों बार बम्बईके ६०२०१ नम्बरसे पूछनेपर यही जवाब पाया कि सम्बद्ध व्यक्ति उपलब्ध नहीं।

आज अन्तमें गवाही २६ वर्षीया एंग्लो-इंडियन लड़की कु० जी० फर्नेसकी हुई। इनसे शपथ लेनेके लिए जेलसे वाइचिल भेगवायी गयी। अतः अदालतकी कार्यवाही १५ मिनटतक स्थगित रही। इस लड़कीने अगस्त १९४७ में टेलीफोन एक्सचेंजमें पैर रखा और जनवरी ४८ में इन्क्वायरी विभागमें आ गयी। उसने बताया कि मैंने गलतीसे 'कंसिल्ड' शब्द लिख दिया था और बादमें उसे काटकर वहाँ हस्ताक्षर किये थे। मैंने गलतीसे १२ लिखे थे और बादमें उन्हें मिटानेकी कोशिश की। मुझे ठीक मालूम नहीं कि 'कंसिल्ड' शब्द किसने काटा था। शंकर

किस्तैयाके वकील श्री मेहताकी जिरहपर इस गवाहने कहा कि 'बम्बई बोर्ड' तथा 'इन्व्वायरी विभाग' एक ही कमरेमें केवल ५ गजके अन्तरपर हैं ।

### १३ जुलाई

आज मुकदमेकी सुनवाई फिर शुरू होनेपर सबूत पक्षके अगले गवाह गरीबाका बयान लिया गया । इसकी उम्र ५० वर्ष है और यह ग्वालियरमें तौंगा हाकनेका काम करता है ।

गरीबाने अपने बयानमें कहा कि मुझे यह मालूम है कि गान्धीजीको कब कत्ल किया गया था । गान्धीजीकी हत्यासे दो-तीन दिन पहले मैं ग्वालियर स्टेशनसे रात ११ ॥ बजे दो आदमियोंको ले गया था, जो बम्बई एक्सप्रेससे आये थे और पहले दूसरे दर्जेके टिकटके दरवाजेसे स्टेशनसे बाहर निकले थे । मार्गमें घोड़ेकी लगाम टूट जानेसे मैंने उन लोगोंको दूसरे तौंगेमें भेज दिया । वे दोनों व्यक्ति परचुरेके पास जा रहे थे ।

गवाह कठघरेके पास गया और उसने-तौंगेमें सवार होनेवाले व्यक्तियोंको पहचाना, जो नथूराम गोडसे और आपटे थे । गवाहने उन्हें बम्बईमें भी पहचान लिया था ।

श्री ओकने अपने मुर्दाकल नथूराम गोडसेसे सलाह करके गवाहसे जिरह न करनेका फैसला किया । आपटेके वकील मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गरीबाने कहा कि ग्वालियर स्टेशनपर उन्हें देखनेके दो महीने बाद उसने उन्हें बम्बईमें देखा था । मैंने रेडियोपर गान्धीजीके कत्लका समाचार सुना था ।

करकरेके वकील डॉंगेकी जिरहके उत्तरमें गरीबाने कहा कि मैं गत ३० सालसे चला रहा हूँ, इस धरसेमें मैंने सैकड़ों मुसाफिरोंको इधरसे उधर पहुँचाया है । परचुरेके वकील डॉंगेने पूछा—'परचुरे जहाँ रहता था उस मुहल्लेमें कितने घरोंपर लाल निशान थे ?' गरीबाने कहा—मुझे नहीं मालूम ।

गान्धीजीकी हत्याके ८ दिन बाद गरीबा ग्वालियर रेलवे स्टेशनपर सब-इन्स्पेक्टर माण्डलिकसे मिला था । माण्डलिक सबेरे ५ बजे दिल्लीसे आये थे । माण्डलिकने मुझे कहा कि यह अफवाह है कि जो दो व्यक्ति परचुरेके घरमें ठहरे थे, उनका गान्धीजीकी हत्यासे गहरा सम्बन्ध है । तब मैंने माण्डलिकको बताया कि दो व्यक्तियोंको तो मैं ही परचुरेके घरकी तरफ आधी दूरीतक ले गया था । दो घण्टे बाद मुझे थाने बुलाया गया । ग्वालियर स्टेशनपर मेरा कोई बयान नहीं लिया गया । माण्डलिक मुझे बम्बई ले गये और मैं उन्हींके साथ ठहरा था । गवाह

गरीबाने आगे बताया कि जिस रातको मैं उन दो व्यक्तियोंको परचुरेके घरपर ले जा रहा था, उस दिन चाँदनी खिली हुई थी ।

इसके बाद एक मुसलमान तौंगेवाले जुम्माको गवाहीके लिए बुलाया गया । गरीबाने तौंगेके खराब हो जानेके बाद वही उन दोनों व्यक्तियोंको परचुरेके घरतक पहुँचा आया था । उसने बताया कि गान्धीजीकी हत्याकी खबर मुझे ४-५ दिन बाद लगी और उनकी हत्यासे ३ दिन पूर्व मैं दो मुसाफिरोंको तौंगेमें बिठाकर परचुरेके घर ले गया था । मैं स्वयं तो यह नहीं जानता था, कि परचुरे कहाँ रहता था; किन्तु मुझे गरीबाने, उसके घरकी दिशा बता दी थी, और कहा था कि उसका घर लाल है । मुसाफिरोंने मुझे (१८) किराया दिया । गवाह कठघरेके पास गया और नथूराम गोडसेको लक्ष्य करके बोला कि इसीने मुझे किराया दिया था ।

परचुरेके वकील इनामदारकी जिरहके जवाबमें जुम्माने कहा कि मैं परचुरेके घरसे १००-१२५ कदमकी दूरीपर रहता था । पिछले साल ग्वालियरमें भी काफी हिन्दू-मुसलिम दंगे हुए । मैंने सुना था कि परचुरे एक हिन्दूसहासभाई नेता है, इसलिए मैं ग्वालियर शहरमें जाकर रहने लगा था । गान्धीजीकी हत्याके ६-७ दिन बाद थानेमें मेरा बयान लिखा गया था, और मैं माण्डलीकके साथ शिनाख्तके लिए बम्बई गया था ।

### कानपुर रेलवे स्टेशनके ३ कर्मचारियोंकी गवाहियाँ

इसके बाद कानपुर रेलवे स्टेशनके जाँचकर्त्ता शिवप्यारेलाल दीक्षितका बयान लिया गया । उसने कहा कि २१ जनवरीको नथूराम गोडसे कानपुर स्टेशनके वेस्टिंग रूममें ठहरा था । उसके साथ एक और भी आदमी था । (६।।) प्रतिदिनके किरायेपर उन्हें १ नं०का विश्रामगृह दिया गया । गवाहने नथूराम गोडसेको पहचाना । वह गोडसेकी शिनाख्तके लिए बम्बई भी गया था । इस गवाहसे किसाने जिरह नहीं की ।

अगला गवाह कानपुर रेलवे स्टेशनके जाँच-पड़ताल कार्यालयका क्लर्क ए० बी० सक्सेना था । इसीने गोडसेके लिए रजिस्टरमें कमरा दर्ज किया था । कमरा रिजर्व करानेवाले व्यक्तिको उसने पहचाना जो गोडसे था । गवाहने कहा उस समय मैंने उसके साथ किसी व्यक्तिको न देखा था । मैं उसकी शिनाख्तके लिए बम्बई भी गया ।

इसके बाद एक ऐंग्लो इण्डियन महिला एज्जेलिना कोल्स्टनकी गवाही ली गयी । कानपुर स्टेशनपर विश्रामगृहकी सफाई और उसके फर्नीचरकी देखभाल करना उसका काम था । गवाहने बताया कि २२ जनवरीको दिनके ११ बजे मैंने दो व्यक्तियोंको विश्रामगृहके १ नं० के कमरेकी ओर जाते हुए देखा । उन्होंने मैंले कपड़े पहने हुए



थे, इसलिए मैंने जाँचपड़ताल की कि वे विश्रामगृहमें ठहरनेके अधिकारी हैं या नहीं। बादमें मैंने देखा कि नीचे एक मुसाफिर चिन्ना रहा है—“नाथूराम। नाथूराम !! गाड़ी आली।” तभी मैंने एक आदमीको अपना विस्तर और अटैचीकेस लेकर नीचे उतरते हुए देखा। वह गाड़ी लखनऊ-बम्बई मेल थी, जो कानपुर होकर बम्बई जा रही थी। गवाहने, गोडसे और आपटेको पहचानकर कहा कि ये दोनों २१-२२ जनवरीको कानपुर स्टेशनके विश्रामगृहमें ठहरे थे। बम्बईकी शिनाख्त परेडमें भी मैंने इन्हें पहिचाना था।

आपटेके वकील मंगलेकी जिरहके जवाबमें गवाहने कहा कि मैं नवम्बर १९४७ के अन्तमें मैट्रन वनी और अप्रैलमें श्रीमती बावेर्सके स्थानपर स्थायी रूपसे मैट्रन बन गयी। नवम्बरसे पहले मैं टिकट कलेक्टर थी। विश्रामगृहका निरीक्षण २३ जनवरीको होनेवाला था, इसलिए उस दिन स्टेशन मास्टरने मुझे सब कुछ अधिकाधिक स्वच्छ रखनेकी हिदायत दी थी।

बचाव पक्षके वकीलने पूछा कि क्या वह तुम्हें अयोग्य समझता था, उसने उत्तर दिया कि मैं अयोग्य होती तो नवम्बरमें मुझे स्थायी रूपसे यह पद क्यों मिलता। इसपर अदालतमें खूब हँसी हुई।

आजके ६ ठे गवाह रघुपतिराव होंडा थे, जो दिल्लीके स्टेशनपर मार्गदर्शकका काम करते हैं। रघुपतिराव उस समय पहले दर्जेके वेटिंग रूममें मौजूद थे, जब ३० जनवरीको पुलिसने कुछ चीजोंको हस्तागत किया था। उस समय उन चीजोंकी प्राप्तिका एक मेमो बनाया था, जिसपर होंडाने हस्ताक्षर किये थे। उन चीजोंमें ८ कमीजें और सराठीकी ६ कितावें थीं। ४ कमीजोंपर एन. वी. जी. अक्षर लिखे थे। इस गवाहसे बचाव पक्षके किसी भी वकीलने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा।

इस समय नथूराम गोडसेने यह इच्छा प्रकट की कि उन चीजोंमेंसे अदालतको जनकी आवश्यकता न हो, वे उसे लौटा दी जायें। अदालतने प्रमुख सरकारी वकील पी. के. दफ्तरीकी यह हिदायत कर दी कि जो चीजें इनके कामकी न हों, वे गोडसेको लौटा दी जायें। श्री दफ्तरीने कहा कि यदि बचाव पक्षके वकील इस आवश्यकता पर एक आवेदनपत्र लिखेंगे, तो फालतू चीजोंको लौटानेकी व्यवस्था कर सकेंगे।

जब एक गोलियोंवाली दवाईकी बीसीकी लौटानेका सवाल पैदा हुआ, जो ३० जनवरीको स्टेशनपरसे बरामद हुई थी, तो जजने कहा कि ये गोलियाँ तबतक नहीं लौटायी जा सकती, जबतक कि कोई रसायनज्ञ अच्छी तरह उनकी परीक्षा न कर ले। कारण स्पष्ट ही है। गोडसेने कहा कि मुझे उन गोलियोंकी आवश्यकता ही नहीं है।

अभियुक्त परचुरेके वकील इनामदारने यह युक्ति पेश की कि चूँकि मेरा मुअकिल ग्वालियरका निवासी है, उसे अदालतमें कानूनी तौरपर पेश नहीं किया गया है और इसीलिए सवृतके पक्षकी मौखिक और लिखित गवाहियाँ भी गैरकानूनी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परचुरेने ग्वालियरमें एक सिविल जजके सामने बयान देते हुए अपना अपराध स्वीकार किया था, मजिस्ट्रेटके सामने नहीं, जब कि कानूनी दृष्टिसे मजिस्ट्रेटके सामने वैसा किया जाना चाहिये था।

सवृतकी ओरसे पी. के. दफ्तरीने कहा कि कानूनी सुद्धोंपर पीछे बहस करेंगे। इस बीचमें गवाहीमें यह तो सिद्ध होने दो कि परचुरेने ग्वालियरमें एक मजिस्ट्रेटके सामने अपना वक्तव्य दिया था। इसलिए दफ्तरीने आगे ग्वालियरके प्रथम कोर्टके मजिस्ट्रेट सैयद मंजरअली रिजवीकी गवाहीके लिए बुलाया।

परचुरेके वकील इनामदारने तुनककर इसपर आपत्ति प्रकट की और कहा कि इस परिस्थितिमें गवाहको बुलाकर उनकी झोंसा दिया गया है। वहीं पुलिससे प्राप्ति-का वह मेमो मिला है, जिसके आधारपर यह नयी गवाही ली जायगी, इसलिए उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिये।

अदालतने श्री पी. के. दफ्तरीकी हिदायत की कि वे बचाव पक्षके वकीलकी 'प्राप्तिमेमो' की एक प्रतिलिपि दे दें। इसके बाद मुकदमेकी सुनवाई कलके लिए स्थगित हो गयी।

## १४ जुलाई

आज अदालतमें परचुरेके वकील इनामदारने एक अर्जी पेश की जिसमें कहा गया था कि पुलिसने जो कवली जवाब लिया वह उनकी और उनके परिवारकी जान, माल और जेठकी धमकी देकर लिया गया था। इसलिए उसे अदालत चुशीसे दिया बयान न समझे।

मदनलालके वकील श्री वनर्जाने अदालतमें आज 'दिल्ली डायरी' की एक प्रति दाखिल कर दी।

डाक्टर परचुरेकी पत्नी श्रीमती सुशीलाबाई परचुरे आज मुकदमेकी सुनवाई देखती रहीं। वे कल जेलमें अपने पतिसे मिली थीं।

आज मुकदमेकी सुनवाई आरम्भ होनेपर अभियुक्त मदनलालके वकील श्री वनर्जाने प्रार्थना-पत्र पेश करके सवृतके गवाह ग्वालियर नगरके प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेट सैयद मंजरअलीके गवाही देनेके विरुद्ध आपत्ति उठायी।

श्री वनर्जाने आपटेके उन कथित बयानोंके विरुद्ध आपत्ति उठायी जो कि उसने गवाहके सामने गोरसेके चारेमें दिये थे। वनर्जाने कहा कि

बयान दिये थे वे भारतीय दण्डविधानकी १६४ वीं धाराके अनुसार उसी हालतमें स्वीकार्य हो सकते हैं जब कि उसने बयानमें अपने विषयमें ही कहा हो, किसी अन्यके विषयमें नहीं।

प्रार्थना-पत्रके अनुसार आपटेने अपने बयानमें कहा था कि वह गवाहको उस स्थानपर ले जा सकेगा जहाँ कि गोडसेने ग्वालियरमें परचुरेके मकानपर पिस्तौल चलाकर उसकी आजमाइश की थी कि वह ठीक निशाना लगाती है या नहीं।

इसके उत्तरमें सवूतके वकीलने कहा कि आपटेके बयानकी वहाँतक स्वीकार किया जा सकता है, जहाँतक उसका सम्बन्ध पिस्तौलकी प्रयुक्त गोलियोंकी खोज-चीन तथा वह जिस दीवारपर चलायी गयी थी उसके देखनेसे सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जिनके विषयमें उसका बयान स्वीकार किया जा सकता है। आपने कहा कि इस प्रार्थना-पत्रपर विचार करनेका समय वह होता जब कि गवाह अपनी गवाहीके दौरानमें उसके चारों ओर जो कुछ कहना चाहता कह चुकता।

इसके बाद मंजरअलीको अपना बयान देनेके लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैं २७ फरवरी १९४८ को अभियुक्त परचुरेके मकानपर गया था। मेरे साथ पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट खिज़्र मुहम्मद और सी. आई. डी. इन्स्पेक्टर माण्डलिक भी थे। हम सब पहले रेलवे स्टेशनके पास पार्क होटलमें गये।

उन्होंने आगे बताया कि तब एक पुलिस अफसर आपटेको होटलके जीनेसे नीचे उतारकर लाया। आपटेने तब हमें बताया कि वह डा० परचुरेके घरमें उस दीवारको हमें दिखा सकता है, जिसपर निशाना साधनेके लिए पिस्तौलकी गोलियाँ चलायीं गयी थीं। हमारी इस पार्टीमें जो वहाँ मयी थी, बम्बई और ग्वालियर दोनों पुलिस थी। पार्क होटलमें यह पार्टी एक विशेष कारमें परचुरेके घर गयी। कारके शीशे रंगीन थे, उनको चढ़ा लिया गया ताकि कारमें बैठे हुए लोगोंको न देख सकें।

मंजरअलीने फिर कहा कि हम सब लोग पहले परचुरेके घरमें घुसे, बादमें ओर मुड़नेपर हमें एक सैकड़ा रास्ता मिला जिससे हम मकानके पीछे पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर अभियुक्त आपटेने बताया कि जब कभी वह उस जगह जाया करता था तो इस मार्गसे न आकर बायीं गलीसे होकर निकल जाया करता था।

सवूतके वकीलने कहा कि यह बयान इसलिए पेश किया गया है ताकि यह साबित हो जाय कि अभियुक्त आपटे, परचुरेके घर तथा उसके पड़ोससे कितना अधिक परिचित था।

गवाह मंजरअलीने फिर कहना आरम्भ किया कि उसके बाद अभियुक्त आपटेने मकानके पीछे दीवारपर वह लक्ष्य-स्थान बताया जहाँपर निशाना लगाया जाता था तथा वह जगह भी बताया जहाँ जब गोबसे निशानावाजी सीखता, तो वह स्वयं खड़ा होकर देखा करता था। गवाहने कहा कि मैंने दीवारपर प्रयुक्त गोलियोंके तीन निशान अपनी आँखपे देखे हैं। हमारी पार्टीके एक सदस्य गन्नासिंहने मेरा ध्यान इन गोलियोंके छेदोंकी ओर आकर्षित किया था। दीवारके नीचे प्रयुक्त गोलीका टुकड़ा मिला था। यह टुकड़ा अदालतमें पेश किया गया जिसे दिखानेके लिए जमा कर लिया गया।

यह प्रयुक्त गोलीका टुकड़ा जो दीवारके पास पड़ा मिला था, जब एक सोनारसे तुलनाया गया तो यह वजनमें पाँच रत्ती कम एक तोला निकला। इसे एक लिफाफेमें बन्द कर दिया गया और उसपर गवाहोंके हस्ताक्षर नियमित रूपसे करवा लिये गये। इस लिफाफेपर कोई सील मुहर नहीं लगायी गयी। ( यह लिफाफा अदालतके सामने पेश हुआ तो पता चला कि उसमें प्रयुक्त गोली रखा हुआ है और इसपर बम्बई सी. आई. डी. की मुहर लगी है। इसके बाद एक अप्रयुक्त कारतूस भी अदालतमें दाखिल कर लिया गया।

तत्पश्चात् अदालतमें वह लिफाफा खुलवाया गया जिसपर गवाहोंके हस्ताक्षर थे। अदालतने वह गवाही स्वीकार नहीं की जो अप्रयुक्त कारतूसके बारेमें पेश की गयी कि वह कहाँसे मिला है। ( डा० ) परचुरेके मकानका खाका और उस समय गवाहोंने जो पंचनामा तैयार किया था, उसकी तीन तीन प्रतियाँ तैयार की गयीं। उन प्रतियोंपर मजिस्ट्रेट मंजरअलीके हस्ताक्षर किये गये। आपटेके वकील श्री मंगलेको जवाब देते हुए गवाह मंजरअलीने कहा कि २७ फरवरीको दिनके ११-११॥ बजेके बीच पुलिस उनके इजलासमें आयी थी। सूचना मिलते ही मैं एक जीपकारमें बैठकर उनके साथ पार्क होटल जा पहुँचा जहाँ मेरे सामने आपटे लाया गया। इसके बाद हम सब आवरण-युक्त कारमें बैठ गये और परचुरेके घर गये। हम परचुरेके घरपर दो घण्टे तक रहे। गवाहने कहा कि मुझे यह माझम नहीं कि अभियुक्त परचुरेके पास कोई हथियार या गोली-बाहद थी या नहीं।

मदनलालके वकील श्री बनर्जाको पूछनेपर, गवाहने बताया कि मैं १ अगस्त १९३८ को फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट बना। मेरे पास इस समय ग्वालियर गजटकी ऐसी कोई प्रति नहीं जिससे मैं अपनी इस नियुक्तिको साबित कर सकूँ। मैं नहीं जानता कि किस कानूनके अनुसार मैं डा. परचुरेके घर जा सकता पुलिससे इस बारेमें कोई पूछ-ताछ नहीं की कि कोई मुकदमा ग्वालियर निवासी आपटेके विरुद्ध दायर है। मैं स्वयं जानता था कि हिन्दू डेमीनि

के विरुद्ध एक मुकदमा दायर है। किन्तु मुझे इस मुकदमेसे सम्बन्ध रखनेवाले कोई कागज अभी तक देखनेको न मिले थे। मुझे इतना मालूम है कि एक मजिस्ट्रेट पुलिसके साथ जॉब-पड़तालके लिए तमी जा सकता है जब भारतीय दण्ड-विधानकी १५७ धाराके अन्तर्गत उसकी अदालतसे रिपोर्ट दर्ज करायी जाय। मुझे यह मालूम नहीं कि यदि मुझे अभियुक्तके घरकी तलाशीका वारण्ट जारी करनेका अधिकार नहीं था तो मैं पुलिसके साथ नहीं जा सकता था। मेरे इजलासमें ऐसी कोई फाइल नहीं जिसका सम्बन्ध इसी मुकदमेसे होता। क्योंकि मैंने सारी फाइलें बम्बई पुलिसके हवाले कर दी थीं।

परचुरेके वकील श्री इनामदारको जवाब देते हुए गवाह मंत्रअलीने कहा कि मुझे परचुरेके घर ले जानेके लिए बम्बई पुलिसका एक अफसर आया था। उस समय मैंने अपने इजलासका काम शुरू नहीं किया था। न मुझे अपने इजलासमें यह सूचना दी गयी थी कि मुझे एक ऐसे मामलेको निबटाना है जो हिन्द डोमिनियनसे सम्बन्धित है। मुझे सारा भेद तब बताया गया जब मैं उस जीपकारमें बैठा था जो होटलकी ओर जा रही थी। मैं न तो इस क्षेत्रमें सर्वोच्च अधिकारी था और न इस प्रकारके अधिकारीके अधीन ही था। मैंने किसी पुलिस अफसरसे इसकी पूछताछ न की कि उन्होंने जॉब-पड़तालके लिए इससे सम्बन्ध रखनेवाले सर्वोच्च अधिकारीसे आज्ञा ले ली है या नहीं। मैंने आपटे अथवा बम्बई या ग्वालियर पुलिसको कोई आदेश नहीं दिया कि वह पार्क होटलसे मेरे साथ परचुरेके घर चले। मैंने जो कुछ किया, वह सब ग्वालियर पुलिसकी प्रार्थनापर किया। मैं आपटेके कहनेपर पार्क होटलसे परचुरेके घर गया।

पुलिस अफसरोंकी तथा मेरी तलाशी परचुरेके घरमें घुसनेसे पूर्व किसीने नहीं ली। न मैंने यह पूछा कि परचुरे इस समय घरपर था या नहीं। जब हम परचुरेके घर पहुँचे थे तो उससे पहले हमें यह अफवाहें सुननेमें आ चुकी थीं कि ग्वालियर राज्य अर्थ-विभागके सेक्रेटरी श्री के. एस. परचुरे भी उसी घरमें रहते हैं। आप अभियुक्त परचुरेके भाई हैं। मैंने यह नहीं पूछा कि उस समय सेक्रेटरी परचुरे कहाँ। इस घटनासे पूर्व मुझे परचुरेकी गिरफ्तारीकी खबर मिले एक सप्ताह हो था।

गवाहने फिर कहा कि घरमें घुसनेसे पहले मैंने यह नहीं पूछा कि घरके भीतर कोई वालिग आदमी है या नहीं। सेक्रेटरी परचुरेका लड़का जिसकी उम्र १५ वर्ष है, घरमें था। लेकिन अब हम लोग परचुरेके घरके चारों ओर गये तो हमारे साथ उस घरका कोई वालिग व्यक्ति न था। परचुरेके घरका पिछला आँगन खुला हुआ है और उसके ऊपर कोई छत नहीं। मैंने उस दीवारको जिसपर गोलियोंके

छेद थे, दूसरी ओरका भाग नहीं देखा। मुझे यह ज्ञात नहीं कि यह दीवार कितनी लंबी है। वहाँ दूसरी ओर एक पंनाला भी था लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि वह पिछले आँगनसे कितनी दूर होगा।

मैंने प्रयुक्त गोली, पंचनामा तथा मकानका नक्शा बम्बई पुलिसको दे दिया था। मैंने जो कुछ किया उसकी रिपोर्ट ग्वालियरके अधिकारियोंको नहीं दी, लेकिन पंचनामेकी एक प्रति मेरे इजलासमें पड़ी हुई है। मैंने पंचनामेपर आपटेके हस्ताक्षर नहीं कराये। परचुरेके मकानका पिछला आँगन विलकुल साफ था और जब हमने उसे देखा तो जान पड़ता था कि उसे प्रयोगमें लाया जा रहा है। मुझे उपयुक्त कारतूसके बारेमें कुछ मालूम नहीं। (यह कारतूस बचहरीमें एक बड़े बिना सील मुहरके लिफाफेसे निकाला गया) मैं आपटे तथा किसी भी बम्बईके पुलिस अफसरकी पहचान नहीं जानता था। बम्बईके एक पुलिस अफसरने मुझे आपटेको पहचानवाया था।

### ग्वालियरसे पिस्तौल प्राप्त करनेकी कहानी

जलपानके वाद दूसरे गवाह ग्वालियर राज्यके २२ वर्षीय क्लर्क मधुकर केशव कालेने सवृतकी ओरसे गवाही देते हुए कहा कि १९४०-४१ से मैं हिन्दू राष्ट्रीय सेनासे सम्बन्धित हूँ और परचुरेकी गत ५-७ वर्षोंसे भली-भाँति जानता हूँ। मई १९४७ से पूर्व मैं प्रायः डाक्टर परचुरेके घर आया जाता करता था। इसके वाद मैंने वहाँ जाना बन्द कर दिया क्योंकि मैं सरकारी नौकरीमें चला गया था।

परचुरे सेनाका एक महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी था। मैं दण्डवतेकी भी जानता हूँ, वे भी सेनाके एक पदाधिकारी थे। (दण्डवते तीन फरार अभियुक्तोंमेंसे एक हैं) महात्मा गान्धीकी हत्यासे पूर्व जनवरी मासमें मैं एक या दो बार परचुरेसे मिला। २८ जनवरीको जब मैं बैंक रुपया लेने जा रहा था तो दिनके १२॥ बजे परचुरेके मकानपर गया था। मैं परचुरेके घर उससे यह बात-चीत करने गया था कि २४ जनवरीको ग्वालियरमें कांग्रेस सत्ता आरुढ़ हो गयी थी उसके विषयमें हिन्दू महासभा क्या कदम उठा रही है? यद्यपि महाराज तथा हिन्दू महासभामें यह समझौता हो गया था कि मन्त्रिमण्डलमें सभाके तीन सदस्य लिये जायेंगे पर इसके बावजूद भी कांग्रेसको मन्त्रिमण्डल बनानेके लिए आमन्त्रित किया गया।

गवाहने बताया कि जब मैं डा० परचुरेके मकानमें घुसा तो उस समय डा० परचुरेके अतिरिक्त तीन अन्य व्यक्ति और थे। इनमेंसे एक व्यक्ति तो दण्डवते थे, जिसे मैं जानता था, पर अन्य दो व्यक्तियोंकी नहीं जानता था। बादमें पता चला कि उन दोनों व्यक्तियोंके नाम नथूराम गोडसे तथा नारायण आपटे हैं। (गवाहने कठघरेमें जाकर गोडसे तथा आपटेकी शिनाख्त भी की।)

कालेने बताया कि जिस समय मैं परचुरेके घर गया तो गोडसे और आपटे पिस्तौलके घोड़ोंको दवानेकी असफल चेष्टा कर रहे थे। जब घोड़ा दवानेमें असफल रहे तो उन्होंने दण्डवतेसे कहा कि हमें बढ़िया-सी पिस्तौलें ला दो। दण्डवतेने कहा कि पिस्तौलें नालू हालतमें हैं। लो मैं तुम्हें घोड़ा दवाकर दिखाऊँ।

इसके बाद दण्डवते उन्हें आँगनमें ले गया। मैं भी उनके साथ गया। दण्डवतेने कारतूस लगाकर एक पिस्तौल भरी तथा हवामें गोली छोड़ी। तत्पश्चात् दोनोंने भी गोली चलानेकी कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। उन्होंने दण्डवतेसे कहा कि हमें तुम एक अच्छी-सी पिस्तौल ला दो। हमें जल्दी ही ग्वालियरसे चले जाना है, क्योंकि हमारी पार्टीके साथी खाना हो चुके हैं।

दण्डवतेने कहा कि मैं शामतक एक पिस्तौल ला दूँगा और तुम लोग रातकी गाड़ीसे चले जाना। यह वार्तालाप आँगनमें हुआ था। उस समय परचुरे आँगनमें नहीं था। मैंने भी एक पिस्तौल शायमें लेकर देखी थी। ये देशी पिस्तौलें थीं। दण्डवतेने भी मुझे बताया था कि ये पिस्तौलें देशी हैं।

गोडसे तथा परचुरे दोनों इस बातके लिए तैयार हो गये कि हम राततक डा० परचुरेके घर ठहरे रहेंगे। इसके पश्चात् मैं उक्त तीनों व्यक्तियोंके साथ दूसरी मंजिलपर डा० परचुरेके निजी कमरेमें गया। दण्डवतेने परचुरेसे कहा कि तुम इन दोनोंको अपनी लाइसेन्सशुदा पिस्तौल दे दो। पर परचुरेने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि लाइसेन्सशुदा पिस्तौल दे दूँ।

बादमें हम सब फिर नीचेके कमरेमें उतर आये। जीनेमें ही ग्वालियरकी राजनीतिपर बात-चीत शुरू हो गयी। परचुरेने बताया कि वह इस सिलसिलेमें क्या करनेवाले हैं, क्योंकि महाराजने महासभासे भी समझौता किया हुआ था। परचुरे कांग्रेसकी नीति तथा सिद्धान्तोंके जहर विरोधी थे पर वह हिंसाकी सीमा-तक जानेको तैयार नहीं थे।

मैं १॥ बजेके करीब परचुरेके घरसे बैक गया और रुपया निकाल कर अपने घर चला गया। २९ जनवरीको मैं परचुरेसे नहीं मिला। ३० जनवरीको शामके ६ बजेके आस पास मैं परचुरेसे मराठा बोर्डिंग हाउसके सामने मिला।

कालेने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि इस समयतक मैंने रेडियोपर सुन लिया था कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी। यह बात मैंने परचुरेको बताया। परचुरेने पूछा कि गान्धीजी स्वयं मरे या किसीने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि २० जनवरीको प्रार्थना-सभामें बम-विस्फोट हो चुका था। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि क्या घटना घटी। तत्पश्चात् मैं परचुरेके साथ उनकी दूकानतक गया। मधुकर खिरे नामक एक अन्य व्यक्ति भी उनकी दूकानपर आया।

इसके बाद ग्वाळियर नगरमें गान्धीजीकी हत्याके बारेमें बहुत-सी अफवाहें फैल गयीं। इस समयतक मैंने हत्यारेका नाम नहीं सुना था। मैंने परचुरेसे कहा कि गान्धीजीकी मृत्युके कारण दूकान बन्द कर दो। परचुरे इसपर राजी हो गये और अपना दवाखाना बन्द कर दिया। मैं अपने घर लौट गया।

३१ जनवरीको मैंने सुना कि गान्धीजीके हत्यारेका नाम नथूराम विनायक है। मैंने सोचा हो न हो यह वही नथूराम विनायक गोडसे है जिसे कि मैंने तीन-चार दिन पहले परचुरेके घर देखा था।

### हत्याके पड़्यन्त्रका सुराग ग्वाळियरसे लगा

गवाहने बताया कि मैं गंगाधर पटवर्धन तथा शंकर पवारको जानता हूँ। २८ जनवरीको ही मैंने डा० परचुरेके लड़केसे गोडसे तथा आपटेके नाम सुने थे। मैंने १ फरवरीको सारी कहानी अपनी माँको सुनायी और दूसरे दिन अपने मित्रोंको जिनमें पटवर्धन तथा पवार भी थे। पटवर्धनने मुझे धमकाकर पूछा कि मुझे यह सारी कहानी कैसे मालूम हुई।

२ फरवरीको पटवर्धन एकसे अधिक बार मेरे घर आया था तथा मैं उसी दिन पवारके घर दोपहरको गया था। पवार भी उस दिन मेरे घर आया था।

जब मधुकर खिरे मेरे घर २ फरवरीको आया तो मैंने यह बात उसे भी बताया। पटवर्धन भी उस समय उपस्थित था। उसने मुझपर जोर दिया कि मैं सारी घटनाकी सूचना सरकारको दे दूँ। मैंने कहा मैं किसी अधिकारीको बताऊँगा। तत्पश्चात् पटवर्धन मुझे कारमें बिठाकर गृहमन्त्री श्री घुगेके मकानपर ले गया। मैंने सारी घटना संक्षेपमें गृहमन्त्रीको बताया।

तीन फरार अभियुक्तोंमेंसे जी. एन. जाधवको भी मैं जानता हूँ। १ या २ फरवरीको प्रातः उससे भेंट हुई थी। मैं यह भी जानता हूँ कि परचुरे सार्वजनिक भाषण भी किया करते थे। (गवाहने कठघरेमें जाकर परचुरेकी शिनाफ्त की। उसने बम्बईकी शिनाफ्त परेडमें भी परचुरे, गोडसे तथा आपटेको पहचाना था।)

२८ जनवरीको मैंने डा० परचुरेके मकानमें दण्डवतेको १०-१०) रुपयेके बिल कुछ नोट गोडसेको देते हुए देखा। मैंने हिन्दू राष्ट्रीय सेनामें ही दण्डवतेको बोलते देखा, सार्वजनिक रूपसे नहीं।

परचुरेके वकील श्री इनामदार द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि १९४१-४२ से पूर्व मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमें था। संघ तथा हिन्दू राष्ट्रीय सेनामें काफी झगडा चला था रहा था। मैं गोडसेको 'हिन्दू राष्ट्र' के सम्पादकके रूपमें जानता था। मैं स्वयं यह पत्र पढ़ा करता था। (तत्पश्चात् १-२ नवम्बर १९४७



की पत्रकी दो प्रतियाँ अदालतके रिकार्डोंमें शामिल कर ली गयीं । जजने इसपर कहा कि अदालतको इस बातसे कोई सरोकार नहीं कि इनमें क्या लिखा है । )

जहाँतक मुझे याद है 'हिन्दू राष्ट्र'में संघके खिलाफ कुछ नहीं छपता था । परचुरे संघका स्वयंसेवक नहीं था । मेरी वहन दिल्लीके लेडी हार्डिंज कालेजमें पढ़ती है और उसे ग्वालियर सरकारकी ओरसे छात्रवृत्ति मिलती है । मेरे पिता डाक्टर थे और ४५ वर्षकी उम्रमें उनका देहान्त हुआ था । मैं राज्यका सरकारी कर्मचारी हूँ । मेरी विधवा माँको सरकारसे हरजानामें अलाउंस मिल रहा है । मैं पटवर्धनकी गत ७ वर्षोंसे जानता हूँ । वह पुलिसका भेदिया था । वैसे वह किताबें, नेशनल सेविंग्स सार्टीफिकेट बेचता था तथा बीमा कम्पनीका एजेण्ट था । खिरे तथा पटवर्धन एक ही मकानमें रहते हैं पर एक ऊपरकी मंजिलमें, दूसरा नीचेकी मंजिलमें । मैं खिरेके यहाँ प्रायः आया जाता करता था । पवारको भी मैं ९ वर्षसे जानता हूँ । खिरेका पिता तांगेवाला था और खिरेका कोई पेशा नहीं ।

२८ जनवरीको न दण्डवतेने न गोडसे-आपटेने मेरी उपस्थितिपर आपत्ति प्रकट की और न परचुरेने । मुझे यह ज्ञात नहीं कि परचुरेके पास लाइसेन्सशुदा हथियार है या नहीं । राज्यमें जिनके पास लाइसेन्सशुदा हथियार हैं, उनमेंसे मैं किसीको नहीं जानता पर देशी बन्दूकें अवश्य देखी हैं ।

गवाहने यह भी बताया कि ग्वालियर थानेमें मैं ३ फरवरीसे ११ फरवरीतक पुलिसकी हिरासतमें रहा । नजरबन्दीकी हालतमें ही मुझे बम्बई ले जाया गया तथा वहाँ वहाँ पुलिसके सदर मुकामपर रखा गया था । इन्स्पेक्टर मांडलिक वहाँ मेरे साथ ठहरे थे ।

पुलिस वादमें मुझे एक शिनाफ्त परेडमें ले गयी । पुलिसका एक हवलदार मुझे बम्बईसे ग्वालियर वापस लाया और फिर ग्वालियर थानेमें नजरबन्द कर दिया ।

## १५ जुलाई

आज परचुरेके वकील श्री इनामदारने श्री एम० के० कालेसे जिरह करनी फिर शुरू की । कालेने कहा कि मेरी माता सदैव गान्धीजीका समर्थन करती थीं । ३० जनवरी १९४८ को मैंने परचुरेसे कहा था कि वह गान्धीजीकी स्मृतिमें अपना दवाखाना बन्द रखे । मैं अपने परिवारमें सबसे बड़ा पुरुष सदस्य हूँ । मुझे गान्धीजीकी हत्याके बारेमें उसी दिन पता चल गया था जिस दिन कि वापूजीकी हत्या हुई थी पर यह बात मैंने अपनी माताको अगले दिन बताया । मेरी माताने मुझे किसी बातके लिए भला-बुरा नहीं कहा । मैं दो फरवरीको रातके ८॥ बजे ग्वा-

लियरके गृहमंत्रीके घर पहुँचा था और आध घण्टे तक वहाँ रहा। वहाँसे मैं सीधा अपने घर आया। मैं गृहमन्त्रीकी ही कारमें उनके घर गया। जब मैं गृहमन्त्रीकी सारी बातें बता रहा था तो पटवर्धन, खिरे तथा भावे नामक तीन व्यक्ति उपस्थित थे। उसी दिन आधी रातके बाद २॥ बजे मुझे पुलिसने गिरफ्तार कर लिया। हवालातमें मैंने डा० किशोर, रामचरन तथा अन्य ५-६ व्यक्तियोंको देखा। पवार उस समय हवालातमें नहीं था। हिन्दू महासभाके नेतागण परचुरेके घरपर ठहरा करते थे। महासभासे मेरा अर्थ खालियर राज्य हिन्दू महासभासे है। मैंने पटवर्धनको जो विवरण बताया था, उसके लिए उसने मुझे किसी प्रकारका 'बखशीश' देनेका वादा नहीं किया था, न उसने मुझे यह धमकी दी थी कि यदि मैं उसे सारी घटना नहीं बताऊँगा तो वह मुझे खालियर नगरमें हुई दो हत्याओंमें फँसवा देगा जिनके बारेमें तबतक कोई पता नहीं चला था।

### ५१ वाँ गवाह

इसके बाद सबूतकी ओरसे खालियर राज्यके २० वर्षीय छात्र एम० वी० खिरेने अपनी गवाही दी। इससे मराठीमें जिरह की गयी। इस्तगासेके प्रमुख वकील श्री पी० के० दफ्तरीके वीमार होनेसे उनके स्थानपर श्री पेटीगारा काम कर रहे थे।

खिरेने अपने बयानमें बताया कि मैं डा० परचुरेकी गत ५-६ वर्षोंसे जानता हूँ। मैं प्रायः हिन्दू राष्ट्रीय सेनाकी परेडोंमें जाया करता था। परचुरे इस सेनाका संवाल्क था। मैं तीन-चार साल पहले परचुरेके साथ एक बार दिल्ली आया था। मुझे गान्धीजीकी हत्याके दिनके बारेमें स्मरण है। जिस दिन गान्धीजीकी हत्या हुई थी, उसी दिन शामको ६ बजे मुझे इसका पता लग गया था। खबर सुनते ही मैं परचुरेके दवाखानेकी ओर चल पड़ा। मैंने दवाखाने पहुँचकर परचुरेसे कहा कि गान्धीजीकी हत्या हो गयी है और अब गान्धीजीके सिद्धान्तोंका विरोध करते रहना सम्भव न होगा। इसपर परचुरेने मुझसे कहा कि यदि तुम गान्धीजीके विचारोंसे इतने प्रभावित थे तो अपनी पत्नीको तो कहीं गान्धीजीको देनेको तैयार नहीं थे।

मैंने परचुरेसे पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने गान्धीजीकी हत्या की हो। परचुरेने उत्तर दिया कोई हम जैसा व्यक्ति होगा। इसके बाद मैंने परचुरेसे कहा कि दिवंगत आत्माके प्रति आदर प्रकट करनेके लिए अपनी दूकान बन्द कर दो। परचुरेने इसपर दवाखाना बन्द कर दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने घर चला जाऊँ, पर बादमें मैंने अपना विचार बदल दिया और परचुरेके साथ राजपूत बोर्डिंग हाउस तक गया। वहाँ जाकर परचुरेने आवाज लगायी

“रामदयाल सिंह, रामदयाल सिंह” । ( मैं रामदयाल सिंहको केवल शकलसे ही जानता था । ) जब सिंह बाहर आया तो परचुरेने उससे ( रामदयाल सिंहसे ) कहा कि मैंने ( परचुरेने ) अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम अपने हिस्सेका काम पूरा करो । परचुरेने यह भी कहा कि हमारा आन्दोलन सफल होकर रहेगा । इसके बाद उन दोनोंमें कोई बातचीत नहीं हुई ।

जब गवाह यह बयान दे रहा था तो डांगेने जजसे कहा कि गवाहने अदालतके सामने जो व्यवहार किया तथा उत्तर देनेमें जो विलम्ब किया इसे नोट कर लिया जाय । इसपर जजने कहा कि गवाहने मराठीसे अंग्रेजीमें बोलनेकी कोशिश की इसलिए कुछ उलझनमें पड़ गया ।

इसके बाद गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैं परचुरेके घर गया । घरमें उस समय रेडियो बज रहा था । फिर कुछ मिठाई मँगायी गयी और वॉटी गयी । रूपा नामक व्यक्ति मिठाई लाया था । मुझे यह याद नहीं कि किसने मिठाई मँगायी थी । रूपा हमेशा परचुरेके साथ रहा करता था । परचुरेका उससे कोई रिश्ता न था । रूपा भी हिन्दू राष्ट्रीय सेनाका एक सदस्य था । मुझे भी मिठाई दी गयी । उस समय परचुरेके परिवारके व्यक्ति रेडियो सुन रहे थे ।

तत्पश्चात् मैंने परचुरेसे कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ । परचुरेने पूछा किस कामसे । मैंने उसे यह नहीं बताया और अपने घर चला गया ।

सबूत पक्षके वकीलने बीचमें पूछा कि—“तो तुम दिल्ली क्यों आना चाहते थे ?” गवाहने उत्तर दिया—“मैंने विचार किया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिये ।”

गवाहने अपने बयानमें यह भी बताया कि मैं ३० जनवरीको रातके ९ बजे श्री पटवर्धनसे मिला । हम दोनों एक ही मकानमें रहते थे, पर अलग अलग मंजिलोंमें । पटवर्धनके मिलनेपर मेरी और उसकी बात-चीत गान्धीजीकी हत्याके विषयमें होती रही । कुछ अन्य व्यक्ति भी उस समय उपस्थित थे । बात-चीतके दौरानमें मैंने कहा था—“गान्धीजीका हत्यारा कोई महाराष्ट्र निवासी होना चाहिये ।”

मैं उसी रात ( ३० जनवरीको ) ११॥ बजेवाली गाड़ीसे दिल्लीको रवाना हो गया । मैं ३१ जनवरीको दिल्लीमें रहा । मैंने गान्धीजीकी अर्थाका जुल्स देखा । ३१ जनवरीको रातको मैं न्वालियरको रवाना हो गया और अगले दिन प्रातः न्वालियर पहुँचा । मैं स्टेशनसे सीधा परचुरेके घर गया । उस समय परचुरे घरपर नहीं था । तदुपरान्त मैं परचुरेसे कतई नहीं मिल सका । हाँ, पटवर्धनको मैंने लौटनेपर उसके मकानपर देखा था । दिल्लीसे लौटनेपर एक दिन सड़कपर अकस्मात् ही कालेसे भेंट हो गयी । मैं २ फरवरीकी शामको कालेके घर गया । उस समय काले अपने घरमें अकेला ही था । थोड़ी देर बाद ही कालेके घर पटवर्धन भी आ

गया। कालेने बताया कि मैंने गोडसे तथा आपटेको देखा था। पटवर्धन इस सम्बन्धमें और अधिक विवरण जानना चाहता था। पर कालेने कहा कि यह सब मैं किसी अधिकारीके सामने कहना अधिक पसन्द करूँगा।

इसके बाद पटवर्धन चला गया और ५ मिनटके अन्दर ही एक कार लेकर लौटा। काले, पटवर्धन, भावे और मैं ग्वालियर राज्यके गृहमन्त्री श्री सुठेके घर कारमें बैठकर गये। कालेने वहाँ बताया कि उसने क्या क्या देखा और क्या क्या वह जानता है। मैं फिर घर लौट आया। (गवाहने कठघरेके पास जाकर परचुरेकी शिनाख्त की।)

आपटेके वकील मंगले द्वारा जिरह की जानेपर कहा कि तीन-चार वर्ष पहले जब परचुरे हिन्दू महासभाके अधिवेशनमें भाग लेने दिल्ली आया था तो मैं उसके साथ दिल्ली आया था। उस समय ४० स्वयंसेवक भी परचुरेके साथ दिल्ली आये थे।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मुझे यह कुछ ध्यान नहीं कि जब ३० जनवरीको रामदयाल सिंहकी परचुरेसे बातचीत हुई तो वह क्या क्या कपड़े पहने था। उस समय रामदयाल सिंह जल्दीमें नहीं मालूम पड़ता था। रामदयाल सिंह हिन्दू महासभाके कामोंमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था।

राजपूत सेवासंघ (ग्वालियर) २४ जनवरीके बाद हिन्दू महासभासे सौंठगॉठ करनेकी कोशिश कर रहा था ताकि अन्तरिम सरकारमें उसे भी कुछ स्थान मिल जाय। उसी दिन (२४ जनवरीको) राज्यमें कांग्रेसने अन्तरिम सरकार बनायी और हिन्दू महासभाने २४ जनवरीसे २८ जनवरीतक विरोधी प्रदर्शन किया। पर राजपूत सेवासंघ प्रदर्शनमें शामिल नहीं हुआ।

मैं जानता हूँ कि परचुरे हिन्दू महासभाकी गतिविधियोंका, जिनमें उक्त प्रदर्शन भी शामिल है, प्रबन्धकर्ता था।

ग्वालियरके गृहमन्त्रीने भावे, पटवर्धन तथा मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा था। उन्होंने कालेका वक्तव्य भी नहीं लिखा था।

गलाण्डे नामक व्यक्तिको भी मैं जानता हूँ पर ३० जनवरी और २ फरवरी को मेरी गलाण्डे और पटवर्धनसे संयुक्त रूपसे कोई बातचीत नहीं हुई थी।

### ‘हत्या करनेवाला अपना ही आदमी है’—परचुरे

जलपानके बाद दूसरे गवाह रामदयालसिंहने अपनी गवाही दी। रामदयालसिंह की उम्र ३७ वर्ष है और जमींदार है। यह राजपूत सेवासंघका अध्यक्ष है। जब रामदयालसिंह गवाही देनेके लिए आया तो एक सफेद लम्बा कोट पहने था जिसके बटन सोनेके थे। यह सिरपर पीली गान्धी-टोपी लगाये था।

रामदयालसिंहने अपने वयानमें कहा कि मैं पहले एक पत्रका सम्पादक तथा मालिक था। मैं चार-पाँच सालसे परचुरेकी जानता हूँ। गान्धीजीकी हत्याके दिन ही मैंने दूसरेके मुँहसे यह खबर सुन ली थी। उस समय मैं राजपूत बोर्डिंग हाउसमें ठहरा हुआ था। खबर सुननेपर मैंने बोर्डिंग हाउसमें एक शोक-सभा करनेका आयोजन किया। उसी समय परचुरेसे मुलाकात हुई। जब मैं परचुरेसे मिला था तो मैं झण्डेके लट्टेके पास खड़ा था। उस समय यही ७-७॥ बजे होंगे। अंधेरा हो चला था। मैं अपने मित्रोंसे उस समय बात-चीत कर रहा था। मेरे मित्रोंमें जगन्नाथसिंह नामका एक व्यक्ति था। शोक-सभाकी काररवाई उस समयतक शुरू नहीं हुई थी। परचुरेने मेरे समीप आकर कहा—“एक अच्छा काम तो हुआ। हिन्दूधर्मका विरोधी मार डाला गया। अब हिन्दूधर्म सुरक्षित रह सकेगा। जिस व्यक्तिने गान्धीजीको मारा है, वह अपना ही आदमी है। जिस व्यक्तिने कुछ दिन पहले वम फेंका था वह भी हमारा ही आदमी था। यह बात ठीक है कि जिस पिस्तौलसे गान्धीजीको मारा गया है, वह यहीं (ग्वालियर) से गयी थी। जिस व्यक्तिने गान्धीजीकी हत्या की है वह दक्षिण भारतसे आया और ग्वालियर होकर दिल्ली गया था।”

गवाहने कहा कि मैंने परचुरेकी उक्त बातोंका कुछ भी जवाब नहीं दिया, पर जगन्नाथसिंहने कहा—“जुप रहो और अपना रास्ता देखो।” परचुरे मेरे पास जब आया था तो उसके साथ दो अन्य व्यक्ति थे। मैं उनमेंसे किसीकी नहीं जानता। जब परचुरे मुझसे बात-चीत कर रहा था तो दोनों व्यक्ति उसके पीछे दस कदमपर खड़े थे। उनमेंसे किसीने भी बात-चीतमें भाग नहीं लिया। तत्पश्चात् परचुरे और उसके दोनों साथी मेरे पाससे चले गये।

जब परचुरे चला गया तो मैंने जगन्नाथसिंहसे कहा कि परचुरेमें यह आदत है कि काम कोई और करे, और स्वयं उसकी वाहवाही लूटना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस समय परचुरेने जो कुछ भी कहा है, उसमें कुछ राज जहूर है। आज प्रातः जब मैं परचुरेसे मिला था तो उसने जो लंबा वक्तव्य मेरे सामने झाड़ा था, मैं यह विश्वास करने लगा हूँ।

इसके बाद मैं शोक-सभामें भाग लेने चला गया।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि राजपूत-सेवा-संघ एक राजनीतिक तथा सामाजिक संस्था है। संघने माँग की थी कि ग्वालियर-मन्त्रिमण्डलमें उसे भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। संघने ३० जनवरीको इस बातके विरुद्ध प्रदर्शन करनेकी योजना बनायी कि उसे मन्त्रिमण्डलमें प्रतिनिधित्व

क्यों नहीं दिया गया । हिन्दू महासभाने २४ जनवरीसे ३० जनवरीतक विरोधी प्रदर्शन किया ।

गवाहने यह भी बताया कि ३० जनवरीकी शामको परचुरेने मुझसे यह कहा था कि मैंने अपने हिस्सेका काम कर दिया और अब आप अपना काम पूरा करो । यह बात सही नहीं कि परचुरेने मुझे बातचीत करनेके लिए बुलाया था । उसके साथी कैसे थे, मैं यह नहीं बता सकता । मैं खिरे तथा जी. पटवर्धनको जानता हूँ । मैं यह नहीं जानता कि उस समय परचुरेके साथ खिरे था या नहीं । जगन्नाथ सिंहने शोक-सभामें भाग नहीं लिया । वह मेरे पास परचुरेके आनेसे आघ घण्टा पहले आया था ।

इसके बाद तीसरे गवाह जगन्नाथ सिंहने अपना बयान दिया । जगन्नाथ सिंह ग्वालियरमें जंगलोंका ठेकेदार है । गवाहने बताया कि मैं ३० जनवरीको राजपूत बोर्डिंग हाऊस रामदयालसिंहसे कांग्रेससे पदासीन होनेसे उत्पन्न समस्याओंपर विचार करने गया था । मैं परचुरेको जानता हूँ । मैं ३० जनवरीको प्रातः परचुरेके घर गया । उस समय परचुरेने मुझसे कहा कि एक ही सप्ताहमें कोई बड़ी घटना घटनेवाली है । उसके बाद हमने ग्वालियर राज्यके मन्त्रिमण्डलमें भाग लेनेके लिए क्या कदम उठायें इसपर विचार-विमर्श किया ।

तत्पश्चात् उसी दिन शामको ७ बजे राजपूत बोर्डिंग हाऊसके समीप मैं परचुरेसे मिला जब कि वह रामदयालसिंहसे बातचीत कर रहा था । वह भी राजपूत बोर्डिंग हाऊसमें हुई शोक-सभामें भाग लेने आया था ।

परचुरेने रामदयालसिंहसे बातचीत करते हुए कहा कि मेरा एक काम ही गया । हिन्दूधर्म अब नष्ट होनेसे बच जायगा । गान्धीजी हिन्दूधर्मके द्रोही थे । औरंगजेबके अवतार थे । हत्या करनेवाला मेरा अपना आदमी है । बम फेंकनेवाला मदनलाल भी अपना ही आदमी है । इसपर मैंने परचुरेसे चले जानेको कहा । वह एक-दो मिनटमें चला गया । मैं भी कुछ देर बाद चला गया क्योंकि शोक-सभामें देर थी । परचुरेके चले जानेपर मैंने रामदयालसिंहसे कहा—“ऐसा मालूम होता है जैसे परचुरे शेखी बघार रहा हो । पर आज सबेरे उसने मुझसे जो कुछ कहा था, उसे देखते हुए उसके इस कथनमें कुछ संत्य मालूम पड़ता है ।”

कठघरेमें जाकर जब गवाहने शिनाख्त की तो श्री सावरकरकी ओर इशारा करके उन्हें परचुरे बताया । अपने स्थानपर आनेपर उसने कहा—अरे डाक्टर साहब इनके पीछे हैं । कठघरेके पास दुबारा जाकर उसने परचुरेकी शिनाख्त की । आपटेने शिकायत की कि गवाह शिनाख्त करनेमें असफल रहा तो सवृत गवाहसे कुछ बात की है । सवृत पक्षके वकील पेंटीगाराने इसका विरोध

पूछा कि ठीक-ठीक चताइये कि किस व्यक्तिने गवाहसे बात-चीत की। आपटेने इसका कुछ उत्तर न दिया। पेटीगाराने कहा कि सावरकरपर तेज रोशनी पड़ रही है इसलिए गवाहने उन्हें परचुरे समझा। परचुरे तथा सावरकर दोनों ही काली टोप पहने तथा चदमा लगाये थे। दोनोंके गाल चिपके हुए थे और दोनोंका रंग एक था।

परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि राजपूत चौडिंग हाऊसमें परचुरेने रामदयालसिंहको आवाज नहीं दी। वे स्वयं एक दूसरेके समीप पहुँच गये थे। उस समय अँधेरा होनेसे मैं यह नहीं बता सकता कि परचुरेके साथ कौन थे। परचुरेके कथनके बारेमें मैंने पुलिसमें रिपोर्ट नहीं की।

### १६ जुलाई—५४ वाँ और ५५ वाँ गवाह

आजकी सुनवाईमें श्री पी. के. पेटीगाराके बीमार हो जानेसे सवृत पक्षकी ओरसे श्री सी. जे शाहा वकील थे।

सवृत पक्षकी ओरसे दिल्लीके एक लम्बरदार गूगन सिंहकी गवाही ली गयी। गवाहने कहा कि ३० जनवरीको मैं बिड़ला हाऊसकी प्रार्थनासभामें मौजूद था। उस दिन बापूजीकी हत्याके बाद एक पिस्तौल, ४ भरे हुए कारतूस, २ चले हुए कारतूसोंके खोल, २ प्रयुक्त गोलियाँ तथा कंधेकी पट्टी मिली थी। अगले दिन भी जब मैं प्रातः बिड़ला हाऊस गया तो एक खाली कारतूस और मिला। दोनों ही दिन प्राप्त वस्तुएँ पैकेटोंमें बन्द करके उनपर अपनी सुहर लगा दी। ७ फरवरीको मैं तुगलक रोड थाने गया। वहाँ मेरी सुहरसे एक पैकेटपर जिसमें हथगोले थे, सुहर लगायी गयी।

वचावके किसी भी वकीलने गवाहसे जिरह नहीं की।

सवृत पक्षके दूसरे गवाह विहारीलालने जो पार्लेमेण्टरी स्ट्रीट थानेमें सव-इन्सपेक्टर हैं, कहा कि ३० जनवरीको मैं तुगलक रोड थानेमें छूट्टीपर तैनात था। सी. आई. डी. के सुपरिण्टेण्डेण्टकी आज्ञासे मैं दिल्ली जंक्शन स्टेशनपर गया। जिस समय मुझे यह आता दी गयी, उस समय नथूराम गोडसे उपस्थित था। सी. आई. डी. के सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझसे कहा कि मैं गोडसेका विस्तर आदि इन स्टेशनसे ले आऊँ जो कि गोडसे फर्स्ट क्लासके वेटिंगरूममें छोड़ आया था। आज्ञा मिलनेपर मैं वेटिंगरूममें गया और वहाँसे विस्तर तथा किरमिचके दो थैले लाया। ( गवाहने अदालतमें गोडसेका विस्तर पहचान लिया )। इन थैलोंमें कुछ कपड़े, किताबें तथा अखबार थे। विस्तरमें भी कुछ कपड़े थे। ( गवाहने इन वस्तुओंकी भी अदालतमें पहचाना )

वेटिंगरूममें ही इन वस्तुओंकी प्राप्ति की रसीद बनायी गयी और इस रसीदपर

मैंने हस्ताक्षर किये । उस समय रेलवे पुलिसका सब-इन्सपेक्टर तथा कुछ अन्य व्यक्ति मौजूद थे जो कि तलाशीके गवाह थे । इसके बाद मैं सारा सामान थाने लाया और वहाँ जमा कर दिया ।

गोडसेके वकील श्री वी. वी. ओकने अदालतके सामने आपत्ति उठायी कि प्राप्त पुस्तकोंमेंसे किसीपर भी मेरे मुअकिलके हस्ताक्षर नहीं हैं और न उनपर उसका नाम ही लिखा है ।

इसके उत्तरमें जजने कहा कि सचूत पक्ष इस बातका दावा तो नहीं कर रहा है ।

श्री ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि जब मैं वेटिंगरूम गया तो गोडसे को अपने साथ नहीं ले गया । मैं पुलिसमें गत २२ वर्षोंसे नौकरी कर रहा हूँ । जब मैं गोडसेका सामान लेने स्टेशन गया था तो वेटिंगरूममें ताला नहीं लगा था ।

आज केवल ५० मिनट अदालतका काम हुआ ।

## १९ जुलाई

आज सचूत पक्षकी ओरसे सर्वप्रथम ग्वालियरके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री आर० वी० अटलकी गवाही हुई ।

सचूत पक्षके मुख्य वकील श्री दफ्तरीके पूछनेपर गवाहने अपने बयानमें कहा कि मैं सितम्बर १९४७ में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बना और राज्यकी सरकारी नौकरीमें १९३२ से हूँ । १७ फरवरी १९४८ को ग्वालियर पुलिसके सुपरिण्टेण्डेंट थोरात पाटिलने मुझे एक पत्र भेजा । यताते हैं कि यह पत्र सी० आई० डी० के इन्सपेक्टर बालकिशनने लिखा था । पत्रमें लिखा था कि मैं डी० एस० परचुरेका बयान लूँ । यह पत्र मुझे १७ फरवरीकी शामके ६ बजे मिला था । स्वयं थोरात पाटिल इसे मेरे पास लाये थे ।

इसके पश्चात् मैंने इस पत्रपर यह लिख दिया कि इस सम्बन्धमें कल अर्थात् १८ फरवरीकी बयान लिये जायेंगे । मैंने पुलिसको आज्ञा दी कि वह अभियुक्तको अगले दिन प्रातः अदालतमें पेश करे । थोरातने मुझसे कहा कि यदि अभियुक्तको अदालत लाया गया तो भारी भीड़ भड़कम हो सकती है । दूसरे, अभियुक्त सेनाके अधिकारमें हैं अतः इसे अदालतमें पेश करनेमें भी दिक्कत हो सकती है । थोरातने मुझसे यह भी कहा था कि अभियुक्त किलेमें नजरबंद है ।

अगले दिन थोरात कुछ अन्य पुलिस अफसरोंके साथ आया और मुझसे प्रार्थना की कि मैं किलेमें चलकर ही अभियुक्तका बयान लूँ । इस बातमें मैं राजी हो गया । मैंने किले जाना इसलिए स्वीकार किया था ताकि अदालतके सामने भीड़ एकत्र न हो । पहले भी कई बार अदालतमें बाहर तथा अन्दर प्रदर्शन हुए हैं ।



गवाहने आगे बताया कि मैं कारमें बैठकर किले गया। थोरात, खिज़मसुहम्मद तथा एक या दो अन्य पुलिस अफसर भी उस समय मेरे साथ थे। जब हम किलेमें अभियुक्तकी कोठरीकी ओर गये तो किलेके कमाण्डेण्ट मेजर छत्रेको भी अपने साथ ले लिया। अभियुक्त चूँकि फौजी नजरबंदीमें था अतः किलेके कमाण्डिंग अफसर बिना हम अभियुक्त तक नहीं पहुँच सकते थे। कोठरीके पास आकर बार रोक दी गयी और हम लोग जीनेपर चढ़कर परचुरेकी कोठरीमें गये। परचुरेकी वारिकके सामने एक फौजी संतरी खड़ा था। मेजर छत्रे पहले कोठरीमें घुसे और हमलोग उनके पीछे पीछे गये। कोठरीमें घुसनेपर मैंने परचुरेसे पूछा कि क्या यह सही है कि तुम अपना बयान देना चाहते हो? परचुरेने कहा—हाँ।

इसके बाद मैं और परचुरे कोठरीके पिछले भागमें गये। मैंने मेजर छत्रेसे कहा कि यहाँ एक मेज तथा दो कुर्सियाँ डलवा दी जायँ और रक्षाके लिए दो फौजी जवान तैनात कर दिये जायँ। मैं और परचुरे जहाँ बैठे थे उससे पचास पचास गजकी दूरीपर कोठरीकी दोनों दीवारोंके पास उन दोनों फौजी जवानोंको खड़ा किया गया था। मेजर छत्रे बादमें नीचे कारके पास चले गये।

तत्पश्चात् मैं और परचुरे अकेले रह गये। मैंने एक घंटेतक परचुरेको समझाया कि जानता फौजदारीकी दफा १६४ के मातहत इकवाली करते हुए बयान देनेका महत्त्व क्या है। मैंने परचुरेको यह भी बता दिया कि इकवाली बयान देनेपर भी सजा होना निश्चित है। कानूनके अन्दर कोई भी व्यक्ति तुम्हें इकवाली गवाह बननेके लिए लाचार नहीं कर सकता। इतनी सारी बातें बता देनेके बाद भी परचुरेने कहा कि मैं इकवाली बयान ( दोष स्वीकार करते हुए दिया गया बयान ) देनेको तैयार हूँ। जब मुझे यह संतोष हो गया कि अभियुक्त स्वेच्छासे इकवाली बन रहा है तो फिर मैंने परचुरेसे कहा कि अब अपना बयान दो। अभियुक्त ४५ मिनट तक अपना बयान देता रहा। जब अभियुक्त वे सब बातें कह चुका जो कि उसे कहनी थीं तो मैंने उससे फिर कहा कि अभी इकवाली न बनो। मैंने परचुरेको इस बातपर विचार करनेके लिए आधे घण्टेका समय दिया। इसके बाद भी जब परचुरेको अपना बयान देनेको उत्सुक पाया तो उससे प्रश्न करने लगा तथा उसके उत्तर सुनने लगा।

उका यह बात भली भाँति ज्ञात थी कि मैं फ्लॉक्लास मजिस्ट्रेट हूँ।

मैंने परचुरेको यह छूट दी थी कि वह चाहे अंग्रेजीमें चाहे मराठीमें अपना बयान दे। उसने अंग्रेजीमें ही बयान देना पसंद किया और फलतः अंग्रेजीमें ही बयान लिया गया था। मैंने शब्द प्रतिशब्द अभियुक्तका बयान लिखा। जब वह अपना बयान दे रहा था तो मैंने केवल उससे यही कहा कि समय कम है अतः जल्दी जल्दी अपना बयान दे दो। बयान लेते समय मैंने परचुरेसे कोई भी प्रश्न

नहीं पूछा। जब अभियुक्तका वयान पूरा हो गया तो मैंने सारा लिखा हुआ वयान पढ़कर उसे सुनाया। बादमें मैंने उक्त कागज परचुरेके हाथमें दिया ताकि वह चाहे तो स्वयं भी पढ़ ले। तत्पश्चात् मैंने उससे कहा कि वह वयान लिखे हुए कागजके प्रत्येक पृष्ठपर दस्तखत करे। फिर मैंने उसपर आवश्यक बातें लिख दीं और अपने हस्ताक्षर किये।

इसके बाद मैं और परचुरे कोठरीके दरवाजेपर फिर आये और मेजर छत्रेको बुलाकर मैंने अभियुक्तको उन्हें सौंप दिया। बादमें मैं कारकी ओर चला आया।

### परचुरेका इकवाली वयान

तब गवाहने अदालतमें परचुरेका ऊपर कथित वयान पढ़ा। अभियुक्त परचुरेने अपने वयानमें कहा था कि—“यह वयान देते समय पुलिसने न मुझे कोई धमकी दी और न मुझसे कुछ वादा किया है। मैं अपनी इच्छासे यह वयान दे रहा हूँ।

“मैं १९४१ से नथूराम गोडसेको व्यक्तिगत रूपसे जानता हूँ, पर गोडसेका नाम १९३९ से ही सुन रखा था। २७ जनवरीको रातको ११ बजे गोडसे तथा आपटे मेरे घर आये थे। गोडसेने मुझसे कहा था कि मैं कुछ विशेष कार्यसे यहाँ आया हूँ। मैं २ फरवरीसे पहले ही एक भयानक काण्ड करने जा रहा हूँ और वह काण्ड है महात्मा गान्धीकी हत्या।

“गोडसेके पास एक रिवाल्वर था, पर वह एक अच्छा-सा रिवाल्वर चाहता था। मैंने उससे कहा कि मैं किसी भी हालतमें अपनी लाइसेन्सयुद्धा पिस्तौल देनेकी तैयार नहीं, पर दूसरी पिस्तौल ला देनेका वादा किया। मैंने अपने पुत्र नीलकण्ठ तथा नौकर रूपाकी भेजा कि जाकर दण्डवतेको बुला लाओ। २८ जनवरीको दोपहर बाद जब मैं घर लौटा तो देखा कि गोडसे, आपटे और दण्डवते एक देशी पिस्तौलकी आजमाइश कर रहे हैं। वे उसकी परीक्षा करने आँगनमें गये। मैं उनके साथ नहीं गया।

“शामको दण्डवते ११-१२ कारतूस और एक स्वचलित पिस्तौल लेकर मेरे घर आया। उसने कहाँसे यह पिस्तौल प्राप्त की, यह मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि इसकी कीमत ५०० रु० है। इसपर आपटेने दण्डवतेको ३०० रु० दिये और श्वाकी रुपये बादमें अदा करनेका वादा किया।

“उसी दिन रातको तीनों तौंगमें बैठकर चले गये।

“२९ जनवरीको मैंने अपने भाईसे कहा कि मैंने गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए गोडसे तथा आपटेको एक-पिस्तौल दिखवानेमें सहायता की है। इस बातको सुनते

ही मेरे भाईको एक धक्का-सा लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं इस झमेलेमें क्यों पड़ा ?

“३० जनवरीको जब मैंने सुना कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी तो मैंने १६० की मिठाई मँगवायी और अपने घर तथा मित्रोंमें वँटवायी। हिन्दू राष्ट्रीय सेनाके १०-१५ सदस्योंने मिठाई ली।

“मैं यह नहीं जानता कि गोडसे तथा आपटे जो रिवाल्वर अपने साथ लाये थे वह उन्होंने अपने पास रखा या दण्डवतेको दे दिया था। मेरे पास एक टूटी हुई स्टेनगन भी थी जिसे मैं मुरारमें अपने एक मित्रके यहाँ रख आया था।”

गवाहने परचुरेका वयान पढ़नेके बाद अपना वयान जारी रखते हुए कहा कि जब मैं अभियुक्तका वयान लिख रहा था, उस समयपर पुलिसका कोई भी आदमी हमारे पास न था। जहाँ कार खड़ी थी, सड़कका वह भाग भी कोठरीसे या बाहरी बरामदेसे नहीं दिखाई देता था।

मैं परचुरेका इकवाली वयान लेने किलेको सवेरे ७ बजे गया था। मैं परचुरेका वयान घर लौटनेपर अपने साथ लाया था। दो-तीन दिन बाद मैंने मुहरबन्द लिफाफेमें परचुरेका वयान इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डियामें जमा कर दिया था। इस लिफाफेपर मेरी मुहर लगी हुई थी। मैंने परचुरेका वयान ६ अप्रैलको ग्वालियर-के वैदेशिक तथा राजनीतिक विभागके सेक्रेटरीको दे दिया था।

तत्पश्चात् गवाह कठघरेके पास गया और परचुरेकी शिनाख्त की।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैं १९४५ से परचुरेको ग्वालियरके एक निवासी, एक टावटर तथा हिन्दूसभाके नेताके रूपमें जानता हूँ। मुझे यह पता नहीं कि हिन्दूसभामें परचुरेकी असली स्थिति क्या है या ग्वालियरमें उसकी क्या सम्पत्ति है ?

मैं ग्वालियरमें एक सिटी सब जज होकर आया था। १७ सितम्बर १९४७ को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था। इससे पूर्व साम्प्रदायिक दंगोंके मुकदमे नूनेके लिए मैं स्पेशल जज बनाया गया था और जाबता फौजदारीके अनुसार मुझे पद देनेका अधिकार था। १७ सितम्बर १९४७ को मेरे अतिरिक्त ग्वालियरमें ४ क्लास मजिस्ट्रेट और थे। १७ सितम्बरको साम्प्रदायिक अशान्तिग्रस्त इलाकोंमें ग्वालियर भी अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जिस किलेमें अभियुक्त नजरबन्द रखा गया था वह ग्वालियर-क्षेत्रका ही एक भाग है।

१७ फरवरीको मैंने यह नहीं कहा था कि मुझे किले ले चलनेकी अपेक्षा अभियुक्तको ही जेलमें क्यों न लाया जाय। जब मैं परचुरेका वयान लेनेको तैयार हो गया था, उससे पूर्व मैंने यह नहीं पूछा था कि मेरी अदालतमें परचुरेके

विरुद्ध कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। मुझे यह याद नहीं आ रहा है कि मैंने पुलिससे पूछा था कि परचुरेके विरुद्ध क्या मुकदमा है। सी. आई. डी. इन्स्पेक्टर वालकिशनने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट थोरातके हाथ जो प्रार्थना-पत्र भेजा था, उसके अनुसार परचुरेपर एक अभियोग था। मैंने थोरातसे यह नहीं पूछा था कि वालकिशन परचुरेके विरुद्ध कोई जॉच-पड़ताल कर रहा है या नहीं। मैं क्यान लेनेको इसलिए तैयार हो गया था कि खालियर पुलिसके सुपरिण्टेण्डेण्ट थोरातने मुझसे आकर ऐसा करनेको कहा था। मैंने थोरातसे यह भी नहीं पूछा था कि वालकिशनको खालियर राज्यके इस मामलेकी खोज-बीन करनेका अधिकार है या नहीं।

किलेमें मैंने अभियुक्त परचुरेसे तीन घण्टेतक बातचीत की। इस समयमें मुझे अभियुक्तकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका अध्ययन करनेका अवसर मिला। मैंने उसे ज्वराक्रान्त नहीं देखा था। न उसने ही मुझे यह कहा कि मुझे खुश आ रहा है। मैंने अभियुक्तकी नाड़ी नहीं देखी थी। मुझे यह भी पता नहीं कि परचुरेका अंगूठा सूजा हुआ था या नहीं। मैंने यह भी नहीं देखा कि अभियुक्तकी गरदन घूमती है या नहीं। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह दवा खा रहा है या नहीं। किलेके डाक्टरसे भी मैं नहीं मिला था।

गवाहने आगे बताया कि उस दिन ही मैंने प्रथम बार खालियरका किला देखा था। अतः मैं यह नहीं बता सकता कि किलेमें किस तरफ सिंधिया स्कूल है और किस ओर आर्टनेस फैक्टरी है जहाँ जानेपर पावंदी लगी हुई है। मैं यह नहीं जानता कि जिस जगह अभियुक्तकी कोठरी थी, वह प्रतिबंधित क्षेत्र था या नहीं। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि किलेमें जिस जगह परचुरे रखा गया था वहाँ औरंगजेबने अपने भाई सुरादपर अत्याचार किये थे तथा उसे मार डाला था।

इसपर जजने पूछा कि आप औरंगजेबके समयके वारेमें क्यों प्रश्न कर रहे हैं ? इसके उत्तरमें अभियुक्त परचुरेके वकील श्री इनामदारने कहा कि मैं यह प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस स्थानपर परचुरेको रखा गया था, वह कैसा स्थान था।

इसपर जजने हँसते हुए पूछा कि “क्या आपके कथनका अर्थ है कि लालकिलेमें औरंगजेबके समयमें किसीपर अत्याचार नहीं हुआ ?”

जिरह की जानेपर गवाहने आगे कहा कि जब मैंने इम्पीरियल बैंक आफ इण्डियामें परचुरेका इकवाली बयान दाखिल किया था तो मैंने यह पूछताछ नहीं की थी कि कौनसी अदालत अभियुक्तपर मुकदमा चला रही है। मुझे पता है कि खालियर जाय्ता फौजदारीकी १३६ वीं धाराके अनुसार उस मजिस्ट्रेटको अभियुक्तका इकवाली बयान मुकदमा सुननेवाले मजिस्ट्रेटकी अदालतमें भेज देना

जिसने वह वयान लिया हो। पर मैंने ग्वालियरके कानून मंत्रिको सूचित किया था कि मैंने अभियुक्तका इकवाली वयान बैंकमें दाखिल कर दिया है। मुझे मेरे किसी उच्च अधिकारीने यह आज्ञा नहीं दी कि मुझे क्या करना चाहिये। जबतक मैंने वयान बैंकमें दाखिल नहीं किया तबतक यह मेरे पास ही रहा। जबतक मैंने इसे बैंकमें जमा नहीं किया था उससे पहले किसी पुलिस अफसरको नहीं दिखाया था।

गवाहने यह भी कहा कि मैं नहीं कह सकता कि जिस जगह परचुरे नजरबंद करके रखा गया था, वह जेल क्षेत्र है। वह स्थान पुलिस थानामें भी नहीं था। यदि यह पुलिस थानेका क्षेत्र होता तो मुझे मालूम हो जाता पर मैंने इस बारेमें जोच-पड़ताल नहीं की थी कि वह स्थान किस क्षेत्रमें है।

१८ फरवरीको प्रातः गवाहका वयान लेने किले जानेसे पूर्व मुझे पता नहीं था कि अभियुक्त कितने अरसेसे नजरबन्द है। वयान लेनेके बाद मैंने कोई आज्ञा इस आशयकी नहीं निकाली कि अभियुक्तको जेलमें स्थानान्तरित कर दिया जाय। मैं यह नहीं जानता कि सब-इन्सपेक्टर मांडलिक भी मेरे साथ किले गया था या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि मांडलिक कौन है। मैं इतना भर जानता हूँ कि कुछ पुलिस अफसर जो मेरे साथ किले गये थे, ग्वालियर पुलिसके नहीं थे। मुझे यह नहीं मालूम कि वे दिल्ली पुलिसके थे या नहीं।

मुझसे कभी भी पुलिसने यह आज्ञा नहीं ली कि अभियुक्तको नजरबंद रखें। मैंने चौफ एक्स्ट्राडिंग अधिकारीके सामने यह मामला नहीं रखा। १८ फरवरीको जब मैं परचुरेका इकवाली वयान लेने गया तो मुझे यह ज्ञात नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा। जब मैं वयान लिखने गया था तो अपने साथ कुछ कागज तथा ग्वालियर ज्वाबता फौजदारीकी एक प्रति लेता गया था। मैं अपनी अदालती मुहर किलेमें नहीं ले गया था। वयानपर अपनी अदालती मुहर तो मैंने अप्रैल १९४८ में कभी लगायी थी। ( अर्थात् वयान लेनेके लगभग १॥ महीने बाद ) जब मैं वयान लिखने गया था तो अदालती मुहरें बनने गयी थीं।

### मुकदमेकी फिल्म गैर कानूनी

उत्तरप्रान्त, विहार, पूर्वी पंजाब आदि प्रांतों में 'महात्माजीका मुकद्दमा' 'गोडसेका मुकद्दमा' नामक छोटी फिल्म का प्रदर्शन गैर कानूनी करार दिया गया था।

# मुखविर वडगेका वयान

२० जुलाईसे २१ जुलाईतक सुनवाई

२० जुलाईको मुखविर दिगम्बर रामचन्द्र वडगेको सवृत पक्षने अपनी ओरसे वयान देनेको पेश किया । वडगे पहले एक अभियुक्त था, पर बादमें मुखविर हो गया और उसे क्षमादान दे दिया गया ।

अपना वयान देते हुए वडगेने कहा कि पूनामें मेरा शस्त्र-भण्डार चल रहा था और मैं शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद बेचा करता था । मैं १९४० में हिन्दूसभाके सदस्योंके सम्पर्कमें आया । तभीसे मैं महासभाके अधिवेशनोंमें भाग लिया करता था । इन अधिवेशनोंमें मैं किताबें तथा शस्त्रास्त्र बेचा करता था । मैंने श्री विनायक दामोदर सावरकरके भाषण सुने हैं । मैं १९४४-४५ में सावरकरसे मिला था । सावरकरके अंग-रक्षक अण्णा कासारको भी मैं जानता हूँ । कासारके हाथों तो मैंने कुछ खंजर बेचे थे ।

गोडसे और आपटेको मैं १९४०-४१ से जानता हूँ । सावरकरके सेक्रेटरी दामलेसे भी मेरा सम्पर्क था । मैं २-३ वर्षोंसे करकरेको जानता हूँ । वडगावकर नामक व्यक्तिको भी मैं जानता हूँ ।

एक बार १९४४ में पूनामें मैंने हिन्दूराष्ट्र दलको एक बैठकमें भाग लिया था, जिसमें सावरकरने भाषण किया । सावरकरने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेसकी नीति हिन्दू-हितोंके लिए घातक है और हमें मुसलमानोंका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिये । अगर मुसलमान जरा भी लूटें तो हमें ईंटका जवाब पत्थरोंसे देना चाहिये । हमें शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग सीखनेके लिए सेनामें अधिकसे अधिक संग्रामें भरती होना चाहिये ।

१९४७ में मैं हिन्दू महासभाके बम्बई स्थित कार्यालयमें प्रति मास दो बार जाया करता था । यह दफ्तर दादरमें था । जब भी मैं बम्बई जाता तो महासभाके दफ्तरमें जाना कभी न भूलता था ।

मुझे याद है कि परमेकर तथा पण्डित चखलेके कार्यके सिलसिलेमें एक सभा सावरकरके निवासस्थानपर हुई थी । मेरे अतिरिक्त २०-२५ व्यक्ति इस सभामें आये थे । इन सबका एक समूह-बद्ध फोटो भी लिया गया जिनमें मैं भी था ।

प्रश्न—“क्या तुमने कभी भी आपटेको शस्त्रास्त्र दिये ?”

उत्तर—“हाँ, मैंने कई बार आपटेको शस्त्रास्त्र दिये ।”

अदालतने इस प्रश्नोत्तरको इसी रूपमें लिखा क्योंकि सफाईके वकीलने इस बातपर आपत्ति उठायी थी कि सवृत पक्षने एक दोहरा (लीडिंग) प्रश्न-पूछा है ।

बड्ढेने अपने वयानमें आगे कहा कि आपटे पहले-पहल जुलाई-अगस्त १९४७ में मुझसे शस्त्रास्त्र लेने आया था । आपटेके साथ उस समय करकरे भी था । पूनामें मेरी दूकानपर आपटे शस्त्रास्त्र लेने आया था और मुझसे कहा कि “कुछ प्रभाव-शाली व्यक्ति भी तुमसे शस्त्रास्त्र तथा गोली-ब्राह्मद खरीदना चाहते हैं । इस समय तो तुम मुझे एक स्टेनगन दे दो ।” आपटे तथा करकरेके लिए एक स्टेनगन मैंने गुरुदयालसिंहकी मार्फत प्राप्त की । यह स्टेनगन आपटेको यरवडा जेलके पीछे दी गयी थी और आपटेने १२०० रु० दिये थे । जुलाई, अगस्त तथा दिसम्बर १९४७ के बीच मैंने आपटे तथा करकरेको ३००० रु० की कीमतके शस्त्रास्त्र तथा गोली-ब्राह्मद बेचे थे ।

एक चार नवम्बर १९४७ में मैं अपने परिवारके साथ भोर राज्य तीर्थयात्राके लिए बैलगाड़ीमें जा रहा था । येरवण्डणे नामक स्थानपर मोटर साइकिलपर चढ़ा हुआ आपटे मिला तो उसने मुझसे पूछा—‘मुझे वह ‘चीज’ चाहिये ।’ ( यह ‘चीज’का अर्थ हथियार तथा गोली-ब्राह्मद था ) मैंने उससे कहा कि लौटनेपर मैं इसका प्रबन्ध कर दूँगा ।

आठ-दस दिन बाद मैं तीर्थयात्रासे लौटकर पूना पहुँचा था । पूना लौटनेके एक दो दिनके अन्दर मैंने वे वस्तुएँ प्राप्त कर लीं जिनकी आपटेको आवश्यकता थी । चीजें जुटा लेनेके बाद मैं हिन्दूराष्ट्र दलके दफ्तर गया और आपटेको सूचना दी कि सारा सामान तैयार है । आपटेने उत्तर दिया कि जब दलके लोग लौट आयेंगे तो मैं सभी चीजें ले आऊँगा । इसके बाद मैं उस स्थानसे चला आया । दिसम्बरके अन्तिम सप्ताहमें आपटे मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या ‘वह सामान’ अब भी तुम्हारे ही पास है या कहीं और । मैं एक या दो दिनमें करकरेको तुम्हारे पास वह सामान लेने भेजूँगा ।

इसके बाद आपटे ९ जनवरी १९४८ को शामके ६॥ बजे मेरे यहाँ आया और कहने लगा कि ‘वह सामान’ करकरे तथा कुछ अन्य व्यक्तियोंको दिखा देना जो कि उसके साथ दो-तीन घण्टे बाद आयेंगे । उसी रात ८॥ बजे करकरे तथा तीन अन्य व्यक्ति आये । अन्य तीनों व्यक्ति मदनलाल, ओमप्रकाश तथा चोपड़ा थे । मैंने इससे पहले मदनलालको कभी नहीं देखा था । करकरेने इन तीनों व्यक्तियोंका मुझसे तथा मेरा उनसे परिचय कराया ।

इसके बाद करकरेने मुझसे कहा—भाई, ‘वह सामान’ जो तुम्हारे पास है,

दिखाओ। मैंने अपने नौकर शंकरसे वह सामान लानेको कहा। नौकरके सामान लानेपर उसे मदनलालने लिया था और कहा था कि मैं इनको चलाना जानता हूँ। यह 'सामान' गनकाउनके टुकड़े, हथगोले, कारतूस, पिस्तौलें तथा बममें आग लगानेके तार थे। इन लोगोंने यह सामान देखा और चले गये।

१० जनवरीको प्रतः १० बजे आपटे मेरे पास आया और हिन्दूराष्ट्र दलके दफ्तरमें मुझे लिवा ले गया। वहाँ नथूराम गोडसे उपस्थित था। आपटेने मुझसे गनकाउनके दो टुकड़े, २ रिवाल्वर तथा ५ हथगोले माँगे थे। उस समय मैं दफ्तरके बाहर आपटेके पास ही खड़ा था। गोडसे दफ्तरके अन्दर खड़ा था।

मैंने आपटेको बताया कि इस समय रिवाल्वर तो मेरे पास है नहीं, शेष सामान मैं दे सकूँगा। फिर आपटे कहने लगा कि अच्छा, गनकाउनके ये दो टुकड़े तथा ५ हथगोले ही दे दो। यह सामान मुझे बम्बईमें चाहिये। इसकी जो कीमत होगी मैं दे दूँगा।

मुखविर बडगोने आने कहा कि आपटेको मैंने बताया कि मैं यह सामान चालीसगँवमें अवस्थित अपने मकानको बेचनेके बाद बम्बईमें जाकर दे सकूँगा। आपटे इतने समयकी प्रतीक्षा करनेकी तैयार हो गया। इस वार्तालापके पश्चात् आपटेने गोडसेको भी बाहर बुला लिया और उसे हमारी वार्तासे परिचित कराया और कहा कि "हमारा एक काम तो पूरा हो गया।"

इसके बाद आपटे तथा गोडसेने कहा कि मैं (बडगो) यह सामान १४ जनवरी-तक बम्बईमें हिन्दू महासभाके दफ्तरमें पहुँचा दूँ।

१२ जनवरीको अपना वह मकान बेचकर मैं अगले दिन पूना लौट आया। उसी दिन शामको मैंने अपने नौकर शंकरसे कहा कि वह इस सामानकी बम्बई ले जाय और १४ जनवरीकी शामको गोडसे तथा आपटेको दे दे। दो गनकाउन स्लाव, ५ हथगोले, बममें आग लगानेवाले तार तथा कुछ विस्फोटक आदि खाकी थैलेमें बन्द करके उसे दे दिये।

१४ जनवरीको मैं शंकरके साथ बम्बईको रवाना हो गया। बम्बई पहुँचनेपर हम लोग सीधे दरके हिन्दू महासभाके दफ्तर गये। उस समय आपटे तथा गोडसे वहाँ थे नहीं। जब मैंने पूछा कि वे कहाँ गये हैं तो बताया गया कि वे शीघ्र ही आनेवाले हैं। आधे घण्टेतक हम लोग इन्तजार करते रहे। फिर भी जब वे न आये तो हम चाय पीने नीचे उतरे।

जब हम नीचे उतर रहे थे तो मार्गमें आपटे जीनेपर चड़ता हुआ मिनट गया। मुझे देखते ही वह कहने लगा कि "बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गये। हमें यह सामान कहाँ रखनेका इन्तजाम करना चाहिये। आओ नीचे आओ!" यह कहकर



मैंने शंकरके हाथसे वह थैला ले लिया और आपटेके साथ हो लिया । ४-५ कदम ही हम आगे चल पाये थे कि पटरीपर गोडसे भी मिरु गया ।

हम वहाँसे चलकर शिवाजी पार्कमें स्थित सावरकरके निवासस्थानपर आये । शंकर हमारे साथ नहीं आया था । वहाँ पहुँचकर आपटेने मेरे हाथसे थैला ले लिया और केवल गोडसेको साथ लिये हुए अन्दर गया । मुझे व.हर ही थोड़ी देर के लिए ठहरनेकी कहा । ५-१० मिनट बाद वे फिर बाहर आये । वह थैला भी आपटेके हाथमें था ।

हम तीनों फिर वापस हिन्दू महासभाके दफ्तर गये । मैंने शंकरको भी आवाज देकर बुलाया । फिर आपटेने एक कार ली और हम चारो कारमें बैठकर भुलेश्वरमें दीक्षित महाराजके मकानपर गये । मैं दीक्षित महाराजको १९४०-४१ से जानता हूँ । हम चारो मकानमें अन्दर गये । उस समय रातके १०॥ बजे थे और दीक्षित महाराज सो रहे थे । शंकरको बाहर ही छोड़ हम लोग और भी अन्दर घुसे । हमने नौकरसे कहा कि इस थैलेको सवेरे तक रख लो । हम आकर सुवह ले जायेंगे । नौकर इस बातपर राजी हो गया ।

हम फिर दादरमें हिन्दू महासभाके दफ्तरमें आये । वहाँ मुझे तथा शंकरको कारसे उतार दिया गया । आपटेने गोडसेको कुछ रुपये दिये । इनमेंसे गोडसेने मुझे ५०) किराये भाड़ेके लिए दिये । आपटे तथा गोडसेने मुझसे वादा किया कि हम अगले दिन आपसे मिलेंगे । आप हिन्दू महासभाके दफ्तरमें ही सोयें ।

महासभाके दफ्तरमें मुझे मदनलाल मिला । मैंने मदनलालसे पूछा कि करकरे कहाँ हैं । मदनलालने कहा कि वह ( करकरे ) ठाणा गया है । ( ठाणा बम्बईके समीप एक जिला है ) वह एक दो दिनके अन्दर अन्दर लौट आयेगा ।

अगले दिन १५ जनवरीको प्रातः ८॥ बजे आपटे तथा गोडसे महासभाके दफ्तरमें आये । उस समय शंकर, मदनलाल, मैं तथा दफ्तरसे सम्बन्ध रखनेवाले दो तीन व्यक्ति और मौजूद थे । आपटेने हम लोगोंको अपने साथ आनेको कहा । आपटे आगे चला और हम पीछे हो लिये । मदनलालने उस समय तक कपड़े नहीं पहने थे अतः वह पंछे रह गया और मैं तथा शंकर, आपटे और गोडसेके साथ अग्रणी प्रिंटिंग प्रेस आये । यहाँ करकरे भी हमें मिल गया । हम प्रेसमें घुस गये । जोशी नामक कोई व्यक्ति इस प्रेसका मालिक था । आपटेने शंकरसे कहा कि वह बाहर ही ठहरे । बाकी चारों—मैं, गोडसे, आपटे तथा करकरे—प्रेसमें घुस गये तथा जोशीसे मिले । मुझे यही बैठकर बाकीके लोग जोशी सहित और भी भीतर बढ़ गये । एक घण्टे बाद ये लोग बाहर आये । जोशीको वहाँ छोड़कर हम लोग सभी हिन्दू महासभाके दफ्तर लौट आये ।

महासभाके दफ्तरमें पहुँचनेपर करकरेने मदनलालसे कहा कि विस्तर उठा लाओ और मेरे साथ आओ। सब बाहर निकल आये। शंकरको छोड़कर हम सब उस टैक्सीमें बैठ गये जिसे कि आपटे लाया था। टैक्सीमें बैठकर हम लोग दीक्षित महाराजके घर आये। मदनलाल ने अपना विस्तर बाहरके हालमें रखा और खुद भी वहीं रुक गया। शेष पाँचो व्यक्ति अन्दर चले गये। दीक्षित महाराज वहीं थे। सभी उस थैलेको लेने गये थे जो कि वे कल रात यहीं छोड़ गये थे।

मैंने दीक्षित महाराजसे कहा कि वह थैला लाइये। वह तुरन्त तो थैला नहीं मँगा सके पर एक घण्टे बाद थैला लाया गया। मैंने वह थैला खोला और सारा सामान आपटेको दिखाया। बादमें मैंने थैला बन्द करके आपटेको दे दिया और आपटेने वह थैला करकरेको पकड़ा दिया। करकरेसे आपटेने यह भी कहा कि हम थैला लेकर मदनलालके साथ फ्रंटियर या पंजाब मेलसे दिल्लीको रवाना हो जायेंगे। करकरेने थैला मदनलालको दे दिया और उसे विस्तरमें बाँधनेको कहा। इसके बाद करकरे तथा मदनलाल वहाँसे रवाना हो गये।

### ‘गान्धी, नेहरू और सुहरावर्दीको खतम करो’

शेष हम सब वहीं बैठकर दीक्षित महाराजसे बातचीत करने लगे। आपटेने दीक्षित महाराजसे कहा कि हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यसे दिल्ली जा रहे हैं अतः एक या दो रिवावर दे दो। दीक्षित महाराजने कहा कि मेरे पास रिवावर तो नहीं है पर एक पिस्तौल है जिसे कि मैं देना नहीं चाहता। आपटेने दीक्षितसे कहा कि आप एक रिवावर दिलानेकी पूरी पूरी कोशिश कौजियेगा तो दीक्षितने उत्तर दिया —“हाँ मैं कोशिश करूँगा।” इसके बाद हम सब बाहर निकल आये और आँगनमें आकर खड़े हो गये। आपटेने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी दिल्ली चलना चाहते हो। मैंने पूछा—क्यों? आपटेने कहा कि सावरकरने निश्चय किया है कि गान्धीजी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा हसन शहीद सुहरावर्दीको खतम कर दो और यह काम हमें सौंपा है। अगर तुम भी हमारे साथ चलो तो तुम्हारा सफर-खर्च हम करेंगे।

बडगेने आगे बयान देते हुए कहा कि मैंने आपटेको जवाब दिया कि मैं बम्बईसे दिल्ली सीधा नहीं जा सकता क्योंकि पूना जाकर कुछ घरेलू काम धाम करना है। फिर मैं दिल्ली चरूँगा। इसपर गोडसेने भी कहा कि मैं भी पूना जाना चाहता हूँ ताकि अपने भाई गोपाल गोडसेसे पूछ सकूँ कि उसने १ रिवावर लानेका जो प्रबन्ध करनेको कहा था वह किया या नहीं। गोपाल गोडसे भी बम्बई आकर हमारे साथ-साथ दिल्ली चलनेवाला था।

फिर हम लोग टैक्सिमें बैठकर काटन एक्सचेंजकी विल्डिंग आये। गोडसे तथा आपटे मकानमें अन्दर गये और २०-२५ मिनट बाद वापस आ गये। मैं कारमेंसे उतर पड़ा। आपटेने मुझसे कहा कि आप बोरीबन्दर (विक्टोरिया टरमीनस) स्टेशनपर १७ जनवरीको प्रातः मुझसे मिलना। इसके बाद मैं वापस महासभा दफ्तर आ गया।

इसी दिन शामको महासभाके मकानके सामने मदनलालसे मिला। मदनलालने मुझे बताया कि गाड़ी छूट गयी और हम दिल्ली न जा सके। करकरे स्टेशनपर पड़ा हुआ है। मैं कुछ कामसे यहाँ आया हूँ। रातकी गाड़ीसे ही हम लोग अब जा सकेंगे।

१५ जनवरीको रातकी गाड़ीसे मैं शंकरके साथ पूना रवाना हो गया-। मैं पूनाके देशमुख नामक व्यक्तिको जानता हूँ। हम अगले दिन आधी रात बाद २ बजे पूना पहुँचे। मैं पूनाके आमदार खरातको जानता हूँ। इससे मैं १६ जनवरीको पूनामें मिला था। मैं कुछ 'सामान' उसे देना चाहता था जो कि वह रियासत कांग्रेस वालोंके हाथ बेच आये। मैं चाहता था कि सारा सामान आज ही विक्रि जाय क्योंकि उसी दिन मुझे आपटे आदिके साथ दिल्ली आना था। जब मैं खरातके घरसे लौट रहा था 'हिन्दूराष्ट्र' कार्यालय में मैं एन० वी० गोडसेसे मिला। जब मैं हिन्दूराष्ट्रके दफ्तरसे आगे निकल गया तो गोडसेने दो आवाजें देकर मुझे बुलाया था। गोडसेने मुझे बुलाकर मुझसे पूछा था कि क्या मैं दिल्ली चलनेको तैयार हूँ तो मैंने 'हाँ' कहा था।

गोडसे बादमें एक छोटी सी पिस्तौल लाया और मुझे देकर कहा कि इसके बदलेमें एक बड़ा रिवाल्वर ला दो, यदि बड़ा रिवाल्वर न मिल सके तो यही लौटा लाना। बादमें मैं हैदराबाद राज्य कांग्रेसके एक कार्यकर्ता श्री शर्माके यहाँ गया जिनके हाथ मैंने ३२ बोरका एक रिवाल्वर बेचा था। मैंने शर्मासे जब पिस्तौलके बदले रिवाल्वर देनेकी कहा तो वे इस बातपर राजी हो गये और चार कारतूस तथा रिवाल्वर दे दिया।

रातकी २ बजकर ४० मिनटपर मैं शंकरके साथ बम्बईको रवाना हो गया। १७ जनवरीको प्रातः बम्बई पहुँचकर मैंने शंकरको दादर स्टेशनपर उतार दिया और मैं विक्टोरिया टरमीनस चला गया। प्लेटफार्मके बाहर मुझे आपटे तथा गोडसे मिल गये। आपटेने कहा कि दिल्ली चलनेसे पूर्व कुछ रुपया इकट्ठा कर लें। आपटे टैक्सी लाया। उसमें बैठकर हम लोग गवर्नमेंट गेटरोड लालबागमें बम्बई डाईंग वर्क्स गये और उसके मालिक सेठ चरनदास मेघजी मथुरादाससे मिले। मैंने आपटे तथा गोडसेका उससे परिचय कराया।

## सावरकरका आशीर्वाद

वहाँसे हम तीनों हिन्दूमहासभाके दफ्तर, दादर आये और शंकरको भी अपने साथ ले लिया। सबके कारमें बैठ जानेपर गोडसेने कहा कि हमें श्री सावरकरके अन्तिम दर्शन करने उनके घर चलना चाहिये। इसपर हम सावरकरके घर गये। शंकरको बाहर ही रुकनेको कहकर हम लोग सावरकरके मकानमें घुसे। आपटने सुझे नीचेकी सजिटके एक कमरेमें ठहरनेको कहा और स्वयं गोडसे सहित ऊपर चला गया। वे ५-१० मिनटमें वापस आये। सावरकर आगे आगे थे। सावरकरने गोडसेको संबोधित करके कहा कि—जाओ, और सफलतापूर्वक वापस आओ। 'यशस्वी होऊन या'। फिर इसी कारमें बैठकर हम रुझा काजेज गये। टैक्सीमें आपटने कहा कि—तात्याराय ( सावरकर ) ने भविष्यवाणी की है कि गांधीजीके १०० वर्ष समाप्त हो गये। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होगा।

( आपटने यह मराठीमें 'गांधीची शंभर वर्षे भरली' कहा था। सवृत पक्षके वकीलके जोर देनेपर अदालतने ये मराठी शब्द रोमन लिपिमें लिखे। गोडसेके वकील श्री ओकने ये शब्द लिखे तथा सवृत पक्षके प्रमुख वकील श्री दफ्तरी इसे देखते गये थे। )

बादमें हम अफजुलपुलकरके मकानपर गये और वहाँ १५-२० मिनट ठहरे। मैं इस व्यक्तिकी जानता हूँ। उससे ऐसी वास्तुके बारेमें बातचीत करना चाहता था जिसे पहननेपर गौली भी पार नहीं जा सकती थी। मैंने आपटे तथा गोडसेसे उसका परिचय कराया। हम सबने हैदराबाद राज्यके बारेमें परस्पर बातचीत की। फिर उसने हमें १०० रु० दिये।

## २१ जुलाई

आज सबसे पहले मदनलालके वकील श्री बनर्जीने अदालतका ध्यान इस ओर दिलाया कि महात्मा गान्धीने अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें जो भाषण दिल्लीमें किये थे उनका अधिकृत रिकार्ड अदालत रखे। बनर्जीने यह भी कहा कि अदालत इस कार्यको शीघ्र करे क्योंकि सरकारी मुक़दमिर चङ्गेने कल अपने वयानमें कहा था कि जिन लोगोंको खत्म करनेकी योजना बनायी गयी थी उनमें श्री सुहरावदीन्हा भी नाम था। इसलिए यह सिद्ध करना परस आवश्यक है कि महात्मा गान्धी तथा सुहरावदीन्हामें क्या सम्बन्ध था। इस बातका गान्धीजीकी उन वक्त्रताओंसे पता चल सकेगा जो उन्होंने अपने अन्तिम दिनोंमें दी थी।

सवृत पक्षके मुख्य वकील श्री दफ्तरीने कहा कि यदि इस प्रकारका कोई प्रमाण मिल जाता है तो मुझे उसे स्वीकार करनेमें कतई आपत्ति नहीं है, पर मेरी समझमें यह नहीं आता कि अदालत किसी भी पुस्तकको आधिकारिक प्रमाण कैसे मान लेगी जबतक कि उसे यह मालूम न हो कि उस पुस्तककी कौन-सी लाइन, कौन-सा पैरा या पन्ना मुकदमेसे सम्बन्ध रखता है।

जज श्री आत्माचरणने अरना निर्णय देते हुए कहा कि मुझे इस सम्बन्धमें कोई भी पुस्तक स्वीकार करनेमें कोई आपत्ति नहीं, पर अदालत उसमें वर्णित विषयके लिए उत्तरदायी न होगी। पर मैं इस पुस्तक या उसके किसी भागको तभी अधिकृत प्रमाण मानकर रिकार्डमें रखूँगा जब कि इसका उचित समय आयगा।

परचुरेके वकील श्री इनामदारने एक लिखित प्रार्थना-पत्र अदालतमें पेश किया कि कल जब मुखविर अपना वयान दे रहा था, तो २ सदाख पुलिसमैन उसके पीछे खड़े थे, इन दोनोंको वहाँसे हटा दिया जाय। बहुतसे पुलिसवालोंके उपस्थित होनेसे गवाहपर एक प्रकारका दबाव पड़ता है। मुखविर तो स्वतन्त्र और सवृत पक्षकी ओरसे गवाही देनेवाला होता है। उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है।

सवृत पक्षके वकीलने कहा कि मुखविरपर पहरा रखनेके दो कारण हैं, एक तो वह भाग न जाय, दूसरे कोई उसे मार न डाले या अपहरण न कर ले, जैसा कि कई मुकदमोंमें हो चुका है। मुखविर अभी नजरबन्द ही है।

इसपर जजने निर्णय दिया कि सशस्त्र पुलिसवालोंका पहरा तो रहेगा, पर जहाँ खड़े थे उससे कुछ अधिक दूर।

फिर मुखविर बडगे कठघरेमें गवाही देनेके लिए लाया गया। कठ जहाँसे उसने अपना वयान छोड़ा था, आज वहाँसे आगे वयान देते हुए बडगेने कहा— अफजुलपुरकरसे १०० रु० लेकर हम कालेके घरको कारमें रवाना हुए। कालेका घर दिखानेके लिए हमने पाटनकरको साथ ले लिया। गोडसे, आपटे, पाटनकर तथा मैं कालेके घरमें अन्दर गये। शंकरको कारपर बाहर ही छोड़ गये थे। पाटनकरने गोडसे तथा आपटेका परिचय कालेसे कराया और स्वयं चलता बना। फिर गोडसे तथा आपटे कालेके अँग्रेजीमें बात करने लगे जिसे मैं कतई न समझ सका।

५-७ मिनट बाद काले जीनेसे चढ़कर ऊपर गया और नोटोंकी एक गट्टी लाकर गोडसेको दे दी। १००-१०० रु० के १०-१५ नोट इस गट्टीमें थे।

हम सब फिर बम्बई डार्इंग वर्क्स गये। उस समय मालिकका छोटा भाई वहाँ था। मैं तथा शंकर वहाँ बैठ गये और गोडसे तथा आपटे टैक्सीमें बैठकर कहीं चले गये। १॥ घण्टे बाद आपटे उसी टैक्सीमें लौट आया और गोडसे एक दूसरी टैक्सीमें किसी कामसे चला गया था। आपटेके आनेतक डार्इंग वर्क्सका मालिक भी

लौट आया था। उससे १५ मिनट तक आपटेने अँग्रेजीमें बातचीत की। हम सब फिर टैक्सीमें बैठे और दीक्षित महाराजके घर आये। शंकरजी कारमें छेड़कर मैं तथा आपटे अन्दर गये। आपटे दीक्षितजीमें रिवाल्वर लेना चाहता था। दीक्षित महाराजने उसे एक छोटीसी पिस्तौल दिखायी। जब आपटे उसे ही लेनेको तैयार हो गया तो दीक्षित महाराजने कहा कि जबतक रुपया नहीं दे दोगे, मैं उसे नहीं दूँगा। आपटेने कहा भुल्लमे दादा महाराजने एक रिवाल्वर देनेका वादा किया है। आप यह पिस्तौल ही मुझे दे दें, पर दीक्षित महाराज साफ नाँ कर गये और हमलोग वहाँसे चले आये।

पहले हम लोग जुद्ध हवाई अड्डेपर गये, बादमें सन्ताक्रुज अट्टे गये। आपटेने मुझे ३५० रु० दिये और मुझसे कहा कि आप शंकरके साथ आज रातको दिल्ली रवाना हो जाओ। इसपर मैं और शंकर उम्मी टैक्सीमें बैठकर पटवर्धनसे मिलने कुर्श आये। वह उस समय वहाँ था नहीं। मैंने वहाँ रुकनेका निश्चय किया और टैक्सीवालेको (५५॥२) देकर रसीद ली और उसे विश किया। हम लोग वहाँ रातके ९॥ बजेतक रहे। पटवर्धनने मुझे ४००) दिये।

१८ जनवरीको मैं और शंकर फिर दीक्षित महाराजके यहाँ गये, पर न तो वहाँसे रुपया ही प्राप्त हुआ और न हथियार ही मिले। वहाँसे हम दोपहर बाद २॥ बजे विकटोरिया टरमोनास स्टेशन पहुँचे और इण्टर क्लासमें बैठकर पंजाब-सेलसे दिल्ली रवाना हो गये।

### दिल्ली आगमन और हत्याकी तैयारी

हम १९ जनवरीको रातके ९॥ बजे दिल्ली पहुँचे। एक तीनोंमें बैठकर हम हिन्दू महासभाके दफ्तर गये। वहाँ हमें मदनलाल हालमें ही मौजूद मिला। मदनलालने हम लोगोंका परिचय नधूराम गोडसेके छोटे भाई गोपाल गोडसेसे कराया। इसके जरा देर बाद ही गोडसे, आपटे तथा करकरे भी आ पहुँचे। ये लोग मुझसे, गोपात्र, मदनलाल तथा शंकरसे इसी हालमें सोने की कहकर चले गये और अगले दिन सबेरे आनेका वादा कर गये।

२० जनवरीको सबेरे ८॥ बजे आपटे तथा करकरे हमारे पास आये और मदनलालको ईंधनके लिए कुछ रुपये देकर चले गये। आधे घण्टे बाद लौटनेपर आपटेने मुझे तथा शंकरको बिडला हाउसतक अपने साथ चलनेकी कहा। हम लोग कारमें बैठकर बिडला हाउस गये और दरवाजेपर कार रोक दी। आपटे तथा मैं कारसे उतरकर बिडला हाउसमें घुसने लगे तो दरवाजेपर खड़े चपरासीने हमें टोका। आपटेने कहा कि हम गान्धीजीके सेक्रेटरीसे मिलने जा रहे हैं। दरवानेने कहा था

एक पर्चापर अपना नाम तथा भेंटका कारण लिख दीजिये। आपटेने पर्चा लिखकर उसे दे दी। पर्चा लेकर जब दरवान अन्दर गया तो काला सूट पहने एक वलिष्ठ व्यक्ति बाहर आया। आपटेने इस व्यक्तिकी ओर इशारा करते हुए मुझे बताया कि यह 'सुहरावर्दी' है, प्रार्थनाके समय यह भी गान्धीजीके पास बैठ करता है।

इतनेमें दरवान लौट आया और मैं तथा आपटे अन्दर गये और एक छुले मैदानमें भाये जहाँ प्रार्थना हुआ करती थी। आपटेने एक स्थान दिखाकर कहा कि गान्धीजी और सुहरावर्दी वहाँ बैठ करते हैं। आपटेने मुझे एक झरोखा या खिड़की दिखायी। डोरी खींचकर उसने खिड़की खोली और कहा कि इसमेंसे एक रिवाल्वर चलाया जा सकता है और हथगोला भी फेंका जा सकता है। जहाँतक सम्भव हो, गान्धीजी तथा सुहरावर्दी दोनों खत्म कर दिये जाने चाहिये। दोनों नहीं तो एक को तो मार ही देना चाहिये।

फिर हम मंचकी दूसरी ओर गये। आपटेने इशारेसे दो स्थान दिखाये। एक स्थान तो सामने दीवारके पास था और दूसरा दीवारके समीप बायीं ओरकी था। उसने कहा कि दोनों स्थानपर एक एक गन-फाटन स्थाव रख दिया जाय और आग लगा दी जाय ताकि इनके धडाकेसे लोगोंका ध्यान अंधरकी ओर आकर्षित हो जाय।

आपटेने मुझसे कहा कि अपनेकी फोटोग्राफर बताकर इस पीछेके कमरेमें घुसा जा सकता है और झरोखेसे गोली चलायी जा सकती है तथा हथगोला भी फेंका जा सकता है। हम लोग कमरेमें तो नहीं घुसे पर उस स्थानकी देखभाल करके लौट आये।

हम २० जनवरीकी ११॥ बजे बिड़ला हाउससे सारी जगह आदि देखकर हिन्दू महासभा भवन लौटे। महासभा भवनमें मुझे छोड़कर आपटे बाहर चला गया और २०-२५ मिनट बाद लौटा। लौटनेपर आपटेने गोपाल गोडसेसे कहा कि हमें-जंगलमें चरकर अपने रिवाल्वरोंकी परीक्षा कर लेनी चाहिये। गोपाल तथा मैं अपने साथ एक एक रिवाल्वर दिल्ली लाये थे। फिर आपटे, गोपाल, शंकर तथा मैं महासभा भवनके पीछे जंगलमें गये। एक रिवाल्वर जो ३८ बोरका गोपालके साथ था तथा ३२ या २२ बोरका दूसरा रिवाल्वर शंकरके पास था।

जब हम जंगलमें गये तो देखा कि गोपालका रिवाल्वर पूरी तरह चालू हालतमें है। फिर आपटेने शंकरकी पिस्तौल देखी और उसमें चार कारतूस भरकर शंकरसे चलानेकी कहा। जब गोली पेड़के तनेतक नहीं पहुँची तो आपटेने कहा कि यह किसी कमकी नहीं। फिर गोपालने अपने ही रिवाल्वरकी मरम्मत करनी शुरू की और शंकरसे कहा कि महासभा भवन जाकर मेरे थैलेमेंसे तेलकी शीशी तथा चाकू ले आओ। वृद्धके अनुसार शंकर थे चीजें ले आया। जब गोपाल

गोडसे रिवाल्वरको ठीक कर रहा था तो जंगलके तीन चौकीदार आ गये । उनमेंसे एकने पूछा—“तुम यहाँ क्या कर रहे हो ?” जयतक ये चौकीदार हमारे नजदीक तक आये, हमने वह रिवाल्वर जमीनपर बिछे हुए । चादरके नीचे छुपा दिया । गोपाल गोडसेने उनसे पंजाबीमें बात की और वे चले गये ।

तब आपटेने कहा कि यहाँ बैठना तो बेकार है और हम सब लौटकर महासभा भवन आये जहाँ मदनलाल और करकरेको हालमें बैठा पाया । आपटेने करकरेसे कहा कि तुम मदनलालके साथ मेरीना होटल जाओ, हमलोग थोड़ी देरमें आयेंगे । मदनलाल अपना विस्तरा हिन्दू महासभा भवनमें ही छोड़ गया था । इन लोगोंके जानेके कुछ देर बाद आपटेने गोपाल गोडसेसे कहा कि अब आप सब लोग भी मेरीना होटल जाइये । और गोपाल तुम वह ‘सामान’का थैला लेते जाना । गोपालने थैला ले लिया और हम सब मेरीना होटल आये । होटलकी तीसरी मंजिलके एक कमरेमें हमने नथूराम गोडसेको विस्तरपर लेटे हुए पाया । गोपालने थैला कमरेमें रख दिया । फिर मैं तथा शंकर बाकीके लोगोंको उसी कमरेमें छोड़कर खाना खाने नीचे उतर आये ।

हम लोग खाना खाकर जब लौटे तो देखा कि गोपाल गोडसे रिवाल्वरको ठीक कर रहा है । कमरेमें घुसकर कमरेके अन्दरसे किवाड़ लगा लिये गये । फिर आपटे, करकरे, मदनलाल तथा मैं स्नान-गृहमें गये । नथूराम तथा शंकर स्नान-गृहके समीप खड़े हो गये । हम चारोंने गन काटनके टुकड़ों तथा हथगोलोंमें उटोनेटर, प्रायमर तथा फ्यूज वायर लगाने आरम्भ किये । इस समय नथूरामने मुझे आवाज देकर कहा—बडगे यह हमारा अन्तिम प्रयत्न है । काम पूरा होना चाहिये । देखो सारी चीजें ठीक लगायी जायँ । ( बडगे, हा आमचा शेवट चा प्रयत्न आहे, काम हे झालेच पाहिजे हे व्यवस्थित जोडा )

इस समय सफाईके वकीलने आपत्ति की कि मराठीमें बडगेने जो कुछ कहा है उसका अंग्रेजीमें अर्थ “मेरा अन्तिम प्रयत्न” होता है न कि “हमारा अन्तिम प्रयत्न ।” जजने गवाहके मराठी शब्द ही लिख लिये ।

**शस्त्रास्त्र बटे—नकली नाम रखे गये—भेष बदला गया**

बडगेने आगे कहा कि हथगोले तथा गनकाटन टुकड़े ठीक करके हम कमरेमें आये । तब तक गोपालने भी रिवाल्वर ठीक कर लिया । आपटेने कहा कि अब हमें यह तय करना चाहिये कि कौन क्या पदार्थ लेगा ? अच्छा, एक एक हथगोला तथा एक एक गनकाटन स्लाच मदनलाल तथा शंकरको दे दिया जाय । नथूराम, गोपाल तथा करकरे एक एक हथगोला और मैं तथा बडगे एक एक



रिवाल्वर लें। मैंने कहा कि लोगोंमें तहलका मचानेके लिए एक गनकाउन स्लाव ही काफी है, दो ले चलना बेकार है। एक गनकाउन स्लाव तथा एक हथगोला तो मदनलालको दे दो। एक एक हथगोला तथा एक एक रिवाल्वर मैं और शंकर लें। वाकीके लोग एक एक हथगोला लें। और नथूराम तथा आपटे संकेत देते रहें। इसपर आपटेने कहा कि मदनलाल तो दीवारके पास एक गनकाउन स्लावमें आग लगा दे। धड़ाका होते ही बडगे फोटोग्राफर बनता हुआ पीछेके कमरेमें घुस जाय और झरोखेमेंसे गान्धीजीकी गोली मार दे तथा एक हथगोला फेंके। मैं मदनलालकी इशारा दूँ तथा नथूराम मुझे इशारा देता रहे। वाकीके लोग प्रार्थना सभाके लोोंमें घुलमिल जायँ।

आपटेने कहा कि सभी निम्न प्रकार अपने बनावटी नाम रख लें—गोडसे—देशपाण्डे, करकरे—व्यास, आपटे—करमरकर, बडगे—बण्डोपन्त तथा शंकर तुकाराम। मदनलाल तथा गोपालके झूठे नाम क्या रखे गये यह मुझे याद नहीं। आपटे यह भी चाहता था कि हम लोग अपने कपड़े बदल लें। नथूराम फौजी तरहके खाकी कपड़े पहने। आपटेने नीले रंगकी पतलून तथा कोट पहना। करकरेने जवाहर शर्ट, धोती तथा गांथी टोपी, मदनलालने अंग्रेजी फैशनसे कोट, कमीज तथा पतलून, गोपालने कमीज, नेकर तथा कोट, बडगेने धोती तथा जवाहर कट पहनी। शंकरने कोट कमीज, धोती तथा टोपी पहनी। करकरेने एक्टरकी भाँति अपनी मूँछें तथा भौहें ज्यादा बारीक कर लीं और माथेपर लाल टीका लगा लिया।

इसके बाद आपटेने मदनलालको देने के लिए करकरेको एक हथगोला और एक गनकाउन स्लाव दिया। उसने मुझे तथा शंकरकी एक एक हथगोला तथा एक एक रिवाल्वर दिया। इसके बाद मदनलाल तथा करकरे विडला हाउसकी रवाना हो गये। १५ मिनट बाद एक टैक्सीमें आपटे, शंकर, गोपाल तथा मैं विडलाहाउसको चले दिये। नथूरामने २० मिनट बाद आनेका वादा किया। हम चारों मरीना होटलसे चकरकर पहले हिन्दू महासभा भवन गये।

## २२ जुलाई

अपना बयान जारी रखते हुए बडगेने बताया कि २० जनवरी १९४८ को विडलाभवनके प्रार्थना मैदानमें उस समय क्या गुजरा जब कि मदनलालने गनकाउन स्लावमें पत्तीता लगाकर भीषण विस्फोट किया था।

बडगेने कहा कि मैं अपना रिवाल्वर तथा हथगोला हैण्डबैगमें छिपाकर ले गया था। मरीना होटलसे पहले हम सब महासभाभवन गये और वहाँसे विडलाभवन। हम लोग कारमें बैठकर विडलाभवनके पीछे ही गये थे और वहाँपर कार रोककर

हम सब उत्तर पढ़े । हम तीन चार कदम ही बढ़े होंगे कि मदनलाल मिल गया । आपटेने मदनलालसे पूछा—“तैयार हो क्या ?” मदनलालने उत्तरमें कहा—“हाँ, मैं तैयार हूँ ।” मैंने दीवारके पास गनक्राउन स्लाव लगा दिया है । केवल उसमें दियासलाई छुआनेकी देर है । इसी समय मैंने करकरेको अन्दरसे आते तथा मंचके पीछेकी ओर किसीसे बातें करते देखा । यह वही स्थान था जो कि सुबह आपटे मुझे दिखाने ले गया था ।

### घडगे डर गया—हत्याका प्रयत्न विफल

करकरेने आपटेसे कहा कि बहुत देर की, प्रार्थनासभा शुरू हो चुकी है । गान्धीजी भी आ गये हैं और मैंने कमरेमें घुसकर किसी एक आदमीको झरोखेसे फोटो लेनेकी व्यवस्था भी ठीकठाक कर ली है । आपटेने मुझे फोटोग्राफर बनकर झोला लिये हुए अन्दर घुस जानेकी कहा ।

कमरेके समीप मैंने २-३ आदमियोंको बैठे हुए देखा । यह विचार आते ही कि यदि कुछ गड़बड़ी कमरेमें हो गयी तो मैं वहीं पकड़ जाऊँगा, मैं डर गया । नथूरामने कहा—“डरो मत । हमने सब लोगोंके भाग निकलनेका प्रवन्ध कर लिया है ।” और नथूराम, आपटे तथा करकरे सुझपर जोर डालने लगे कि मैं अन्दर चला जाऊँ । पर मैंने कहा कि मैं कमरेमेंसे गोली दागनेकी अपेक्षा गान्धीजीके सामने जाकर वहाँसे गोली दागना ज्यादा पसन्द करूँगा । आपटे तथा गोडसे इसपर राजी हो गये । मैंने शंकरको इशारा दिया और हम दोनों टैंकसीकी ओर चले गये । बाकीके लोग वही बात करते तथा घूमते रहे ।

मैंने अपना तथा शंकरका रिवाल्वर निकाल लिया और उन्हें तौलियोंसे लपेटकर हैण्डवेगमें रख लिया और हैण्डवेग कारमें रख दिया । अपना हथगोला शंकरकी पकड़ाकर मैंने शंकरको हिदायत कर दी कि जब तक मैं कुछ इशारा न दूँ तुम कुछ मत करना । फिर मैं अन्य लोगोंके पास लौट आया । मैं अपनी कमीजकी जेबोंमें हाथ डाले वहाँ खड़ा हो गया ताकि वे समझें कि रिवाल्वर मेरे पास ही है । गोडसे और आपटेसे कहा कि मैं तैयार हूँ । आपटेने एक बार फिर पूछा कि क्या तुम तैयार हो । मैंने कहा—“हाँ” और मैं प्रार्थनासभाकी ओर बढ़ गया । शंकर भी मेरे साथ आया ।

इसी समय आपटेने मदनलालकी पीठपर हाथ रखा और कहा 'चलो' और मदनलालकी मैंने उस स्थानकी ओर जाते देखा जहाँ कि दीवारमें स्लाव रखा गया था । मैं और शंकर प्रार्थना सभामें चले गये । करकरे हमारे पीछे आया । मैंने देखा कि गान्धीजीके पास २०-३० खियाँ चैठी हुई हैं । मैं गान्धीजीसे १५-२० कदम-

की दूरीपर दाहिनी ओर जाकर खड़ा हो गया। करकरे तथा शंकर भी मेरी दाहिनी ओर कुछ दूरीपर खड़े हुए। तीन चार मिनट बाद चढ़े जोरका धड़ाका हुआ। जिस ओरसे धड़कैकी आवाज आयी थी, उधरसे मैंने धुआँ निकलते देखा। धड़ाका सुनकर ५-६ आदमी उधरको दौड़े। गान्धीजीने उपस्थित जनताको हाथ जोड़कर शान्त रहनेको कहा। मैंने देखा कि ५-६ मिनट बाद मदनलाल पकड़ लिया गया। उपस्थित जनता शान्त रही। मैंने यह भी देखा कि मदनलालको गिरफ्तार करके दरवाजेके सामने लगे खेमेमें ले जा रहे हैं। फिर मैंने खेमेमेंसे ४-५ आदमियोंको जो पुलिसवाले लगते थे, अपनी ओर आते देखा। मुझे भय हुआ कि कहीं मदनलाल इनके साथ हो और वह मुझे देख न ले। अतः अपना मुँह छिपानेके लिए दूसरी तरफको मुँह फेर लिया। कुछ देर बाद जब मैंने फिर पीछेकी ओर निगाह डाली तो देखा कि जनता उधर जाने लगी है। मैंने शंकरको इशारा किया कि मेरे साथ साथ आओ और प्रार्थनामें उपस्थित भीड़में मिलकर यहाँसे निकल चलो।

प्रार्थनासभासे निकलकर हमने एक ताँगा किया और महासभा भवन आये। मैंने नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे तथा आपटेको प्रार्थना-सभामें नहीं देखा। मैंने शंकरसे कहा कि महासभा भवनके पीछे जङ्गलमें जाकर हथगोलोंको फेंक आओ। जब शंकर वहाँसे चला गया तो मैं दिल्लीसे चल देनेके लिए अपना विस्तरा बाँधने लगा। तबतक गोडसे तथा आपटे आ गये और आपटेने पूछा कि क्या हुआ। मैं उसपर नाराज होकर झुँझा पड़ा तथा उनसे चले जानेको कहा।

तब तक शंकर लौट आया। मैं और शंकर महासभा भवनसे बाहर निकल आये और ताँगा करके नयी दिल्ली स्टेशन आये। मैंने तीसरे दर्जेके दो टिकट बम्बईके लिए खरीदे। मैंने स्टेशनपर कुछ पुलिसके सिपाहियोंको घूमते हुए देखा। मैं डर गया। बाहर आकर मैंने दूसरा-ताँगा किया और पुरानी दिल्ली स्टेशनपर आया। रातको ११।१० बजेवाली गाड़ीसे बम्बईको रवाना हो गया। हम २२ जुलाईको दिनके ११।१ बजे कल्याण स्टेशनपर उतरे। वहाँसे हम पूनाके लिए गाड़ीमें बैठे और उसी दिन शामके ४।१ बजे पूना पहुँचे।

मैं ३१ जनवरीको प्रातः ५-५।१ बजे पूनामें गिरफ्तार किया गया था।

हिन्दू महासभाके भवनके पीछे जो हथगोला बरामद हुआ तथा मदनलालके पास जो हथगोला मिला था उसको बङ्गोने अदालतमें पहचाना।

यह पूछे जानेपर कि तुमने ये हथगोले कहाँसे प्राप्त किये, बङ्गोने कहा कि खड़की शस्त्रागारसे मैंने ये हथगोले मँगाये थे। मैं इसे शस्त्रागारमें काम करनेवाले लोगोंसे खरीदा करता था। पर मुझे यह नहीं मालूम कि इन्हें कौन बनाता है?

गवाह बडगेने यह भी बताया कि पूनामें "हिन्दूराष्ट्र" का दफ्तर कच्चे मकानमें है। दफ्तरके पास ही आपटे तथा गोडसेने अपने लिए एक खेमा लगा रखा था। इस पत्रका पहले नाम था "दैनिक अग्रणी", बादमें इसका नाम बदलकर "हिन्दूराष्ट्र" कर दिया गया था।

प्रश्न—“तुम लोगोंने अपने वनावटी नाम क्यों रखे थे ?”

उत्तर—करकरेने कहा था कि हमें प्रार्थना-सभामें एक दूसरेको बुलानेकी आवश्यकता पड़े। अगर हमने असल नामसे आवाज दी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वनावटी नाम ही रखना अच्छा समझा। बडगेने यह भी बताया कि आपटे हिन्दू महासभाका एक कार्यकर्ता है और नथूराम गोडसे उसका एक प्रमुख नेता है। वह मुझे महासभाके सभी वार्षिक अधिवेशनोंमें ले जाता था। मैं महासभाके लिए चन्दा एकत्र करता तथा सदस्य बनाया करता था।

मैं बम्बईमें दिल्ली आनेको इसलिए राजी हो गया था कि एक तो गोडसे तथा आपटेका बहुत दिनोंका मुलाहिजा था, दूसरे हम सब एक ही दल महासभामें काम करते थे। तीसरी बात यह थी कि गोडसे और आपटे कभी कभी मुझे अपनी दूकान चलानेकी आर्थिक मदद भी देते थे। मैंने समझा था कि ताल्याराव (अर्थात् सावरकर) ने हमें आज्ञा दी है जिसका हर हालतमें पालन करना चाहिये। अतः मैं इनके साथ दिल्ली आनेकी राजी हो गया था। जबसे मेरा गोडसे तथा आपटेसे परिचय हुआ है मैं उनकी आज्ञाका पालन करता रहा हूँ।

इसके बाद गवाह कठघरेके पास गया और उसने सभी अभियुक्तोंकी शिनाख्त की। जब उसने परचुरेकी भी शिनाख्त की तो सब अभियुक्त सुसकराने लगे। इसपर बडगेने कहा कि परचुरेको मैंने तीन-चार वर्ष पहले कानपुरमें महासभाके अधिवेशनमें देखा था।

जज श्री आत्माचरणने वे पत्र भी अदालतके रिकार्डमें शामिल कर लिये जो कुछ समय पहले बडगेने सावरकर तथा उनके सेक्रेटरी दामलेकी लिखे थे। ये पत्र सावरकरकी फाइलमें मिले।

बडगेने अदालतको करकरेका अपने नाम २९ मई १९४७ का लिखा हुआ पत्र दिया। करकरेने पत्रमें बडगेकी लिखा था कि मेरे लिए अपने किसी एक मित्रके हाथ बम भेजो, पर एक वारमें १० बमसे अधिक नहीं। पत्रमें जहाँ भी उसका अर्थ 'बम' से होता था उसने 'पुस्तक' और 'वस्तु' लिखा था।

बडगेने अपने बयानमें कहा कि ३१ जनवरीको गिरफ्तार हो जानेके बाद मैंने पुलिसकी हरवंस सिंह, देशमुख तथा आमदार खरातके घर दिखाये थे।

## बडगेसे जिरह

सबूत पक्षके मुख्य वकील श्री पी० के० दफ्तरिने जय प्रथ पृछने बन्द कर दिये तो सफाई पक्षके मुख्य वकील श्री एल. बी. भोपटकरने जिरह आरम्भ की। भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें बडगेने कहा कि "दिल्ली-यात्रा" के लिए हमें केवल एक स्थान कुर्लामें कालेसे रुपये प्राप्त हुए। दूसरे स्थानसे ४००) मिले थे, वे मेरे निजी व्यवहारके थे, उनका दिल्ली-यात्रासे कोई सम्बन्ध नहीं था।

मैं यह जानता हूँ कि हिन्दू महासभाकी नीति तथा कार्यक्रम अ. भा. हिन्दू महासभा समिति निर्धारित करती है और कार्यकारिणीका यह कर्तव्य होता है कि वह इस कार्यक्रमपर अमल करे। हिन्दू महासभाका अन्तिम अधिवेशन दिसम्बर १९४६ के अन्तिम सप्ताहमें गोरखपुरमें हुआ था। श्री सावरकरने इस अधिवेशनमें भाग नहीं लिया था। गत तीन-चार वर्षोंसे सावरकरका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और वे महासभाके कार्योंमें सक्रिय भाग नहीं ले रहे थे।

बडगेने आगे कहा कि यह बात गलत है कि सावरकर गत तीन वर्षोंसे मकानके बाहर भी नहीं निकले हैं। वे १९४६ से बड़ी-बड़ी सभाओंमें भाग नहीं लेते थे, पर कुछ छोटी असर्वजनिक सभाओं तथा सामाजिक सभाओंमें भाग लेते रहते थे। कभी-कभी ये सभाएँ उनके मकानमें और कभी निकटस्थ स्थानपर हुआ करती थीं।

मैं हिन्दू महासभामें १९४१ से काम करता हूँ। मैं हिन्दू संघटन निधिके लिए चन्दा एकत्र करता था और उसका २५ प्रतिशत पारिश्रमिकके रूपमें मुझे मिलता था। हिन्दू महासभाके सदस्य भरती करनेके लिए मुझे ३०)-३५) प्रति मास मिला करते थे। मुझे यह ज्ञात नहीं कि यह निधि हिन्दू महासभाने खोली थी या उसके अधिकृत थी। रुपया महासभाके अध्यक्ष श्री एल० बी० भोपटकरकी सलाहसे खर्च किया जाता था।

बडगेने कहा — "सावरकर मराठीके माने हुए लेखक तथा कवि है। यह सत्य है कि सारे भारतमें सावरकरसे श्रेष्ठ मराठी या अंग्रेजीमें भाषण करनेवाला नहीं है। मैं इन्हें हिन्दुओंका ही नेता नहीं समझता वरन् एक देवता समझता हूँ।"

सावरकर लगातार ६ वर्षों तक हिन्दू महासभाके अध्यक्ष रहे थे। मैंने सावरकर की मराठीकी पुस्तकें पढ़ी हैं और मेरे विचारसे किसीने भी मराठीमें आपसे अच्छी पुस्तकें नहीं लिखीं। मैं सावरकर तथा उनके जैसे विचारवाले लेखकोंकी पुस्तकें बेचा करता था। मैंने कांग्रेसकी किताबें कभी नहीं बेचीं। सावरकरके महाराष्ट्र ही में बहुतसे अनुयायी नहीं वरन् सारे भारतमें हैं। यद्यपि मैं कई बार सावरकरके घर गया था पर उनसे केवल एक बार मिला था। मैं श्री ए० एस० भिडे तथा आर०

दामलेको जानता हूँ । मिसे सावरकरके ही मकानमें बायीं ओरको रहता है, पर दामले कहाँ रहता है यह मुझे ज्ञात नहीं । हाँ, वह सावरकरके ही मकानमें मिला करता था ।

वडगेने आगे वयान देते हुए कहा कि मुझे यह ज्ञात है कि १५ अगस्त १९४७ को श्री सावरकरने अपने मकानपर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा तथा हिन्दू महासभाका झण्डा—दोनों—फहराये थे । मैंने अपने घरपर केवल महासभाका ही झण्डा फहराया था । जहाँतक मुझे ज्ञात है - पूजाके सभी महासभाइयोंने अपने घरोंपर महासभाका झण्डा फहराया था, तिरंगा नहीं ।

वडगेने यह भी बतलाया कि हिन्दू महासभाने एक प्रस्ताव पास करके अपने अनुयायियोंको केवल सभाका झण्डा फहरानेका आदेश दिया था । महासभाइयोंने इस बात पर बड़ा विरोध प्रकट किया था कि सावरकरने सभाके निर्णयके विरुद्ध तिरंगा झण्डा फहराया । मैंने, नथूराम गोडसे, आपटे और करकरेने भी इसका विरोध किया था । गोडसे, आपटे तथा करकरेसे इस संबंधमें मैंने बातचीत की थी ।

### २३ जुलाई

नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकने अदालतमें प्रार्थनापत्र पेश करके आपत्ति प्रकट की कि चम्बईके कुछ पत्र अदालतकी काररवाईकी मोटे मोटे शीर्षक देखकर छापते हैं । यह अदालतके प्रति वृणा प्रकट करनेके समान है । मैं यह नहीं चाहता कि इन पत्रोंके विरुद्ध कोई काररवाई की जाय, पर मैं यही चाहता हूँ कि ये भविष्यमें ऐसे मोटे मोटे शीर्षक न दें । जजने इसके लिए हामी भर ली ।

बचाव पक्षके प्रमुख वकील श्री एल० वी० भोपटकरके जिरह करनेपर वडगेने कहा कि महासभाकी नीति विभाजित भारतको फिर एक करनेकी है । भारतसंघके मंत्री डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जीने मंत्रिमंडलमें शामिल होनेसे पूर्व श्री सावरकरसे अवश्य स्वीकृति ली होगी । उन्होंने अ० भा० हिन्दू महासभाके अध्यक्ष श्री भोपटकरकी भी स्वीकृति ली होगी ।

मैं जानता हूँ कि देशके विभाजनके बाद महासभाकी नीति नेहरू मंत्रिमंडलका साथ देने तथा कांग्रेस सरकारसे कंधेसे कंधा भिड़ाकर चलनेकी रही है । महाराष्ट्र प्रान्तीय हिन्दू महासभाके वार्षिक अधिवेशनमें भोपटकरने प्रस्ताव पेश किया था कि महासभाकी नेहरू सरकारका साथ देना चाहिये । गोडसे तथा आपटेने इस प्रस्ताव का बड़ा विरोध किया था । इसपर जो विवाद हुआ था उसमें भोपटकरने कहा था कि महासभाकी राजनीतिक संस्थाके रूपमें भंग हो जाना चाहिये । जिस समय श्री भोपटकरने यह कहा था, नथूराम गोडसेने भोपटकरपर वार करनेके लिए एक

चाकू निकाल लिया था। आपटेने गोडसेका ही समर्थन किया था। यह अधिवेशन दिसम्बर १९४६ में हुआ था (इसपर भोपटकरने कहा कि गवाह सन्न भूल रहा है।)

आपटे तथा गोडसेका दृष्टिकोण सर्वथा स्वतंत्र था। हाँ, कभी कभी वे महासभाके नेताओंसे परामर्श कर लिया करते थे। गोडसे तथा आपटे कभी कभी महासभाकी नीतिकी अपने पत्र (पहले 'दैनिक अग्रणी' बादमें) 'हिन्दू राष्ट्र'में आलोचना किया करते थे।

१९३७ से पहले मैं कांग्रेसका सदस्य था। उन दिनों मैं किरानेकी दूकान करता था। १९३७ में मैं पूना आया और नौकरीके लिए कई स्थानोंकी खाक छानो। १९३८ में पूना म्युनिसिपलिटिमें कांग्रेसी कौंसिलरोंका बहुमत था। म्युनिसिपलिटिमें कोई नौकरी दिलानेके लिए श्री अत्रेके मकानपर मैंने सत्याग्रह किया था। श्री अत्रे म्युनिसिपलिटिकी कांग्रेस पार्टीके नेता थे। अत्रेने मुझे नगर-निर्माण योजना विभागमें (१८-२०) मासिककी जगह दिलायी और मैंने अनशन तोड़ दिया। वहाँ मैंने दो तीन महाने काम किया।

फिर मैंने नामजोशी द्वारा श्री जी० वी० केतकरसे कहलगाया कि मुझे नौकरी दिला दीजिये। श्री केतकरने मुझे हिन्दू संघटन निधिके तथा हिन्दू अनाथ आश्रमके लिए चन्दा एकत्र करनेका काम सौंपा। यह धन प्रत्येक हिन्दूके लिए व्यय होता था, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दलका क्यों न हो।

मैंने १९४२ में अपने घरका कुछ सामान बेचकर ७५ रु० से १०० रु० तककी पूँजीसे शस्त्रभंडारकी दुकान खोली थी। मैंने शंकर नामक नौकरकी जो कि इस मुकदमेका एक अभियुक्त है, सितम्बर-अक्टूबर १९४६ में नौकर रखा। मैं एम० टी० कुशकर्णसे शस्त्रास्त्र खरीदा करता तथा बेचा करता था। कुलकर्णकी दुकानका नाम 'हिन्दू भण्डार' था।

१९४०-४१ में मेरी मुलाकात दीक्षित महाराजसे हुई। वह किसी संस्थाके धर्माध्यक्ष थे। दीक्षित महाराज कट्टर सनातनी थे। मुझे यह ज्ञात नहीं कि दीक्षित महाराज कांग्रेसमें काम करते थे या नहीं और अगस्त १९४२ में कांग्रेसका छिपकर काम किया था या नहीं। मैं दीक्षित महाराजको भी शास्त्रास्त्र तथा गोली वारुद दिया करता था, पर मैंने यह कभी नहीं पूछा कि धर्माध्यक्षकी हथियारोंकी जरूरत क्योंकर पड़ी। मुझे हथियारोंके दाम बराबर मिल जाते थे अतः किसी बातकी चिन्ता नहीं किया करता था।

बम्बईमें जब भी साम्प्रदायिक दंगे हुआ करते, दीक्षित महाराज मुझसे हथियार खरीदते थे। मैं जो हथियार उन्हें देता उनमें ६ से ९ इंच लम्बी कटारें, बघनखे आदि होते (शिवाजीने इसी बघनखेपे अफजल खाँ को मारा था।) मैंने

दीक्षित महाराजको लाइसेंस वाले हथियार जैसे पिस्तौल, रिवाल्वर, बाइब्री नईके टुकड़े तथा विस्फोटक भी दिये। दीक्षित महाराजके पास उनके लिए लाइसेंस नहीं था। मैंने जून-जुलाई १९४७ में दीक्षित महाराजको १५० प्रति सैकड़के हिसाब से १००० विस्फोटक, ५०० रु० में एक पिस्तौल तथा २०० रु० में बाइब्री नईका एक टुकड़ा दिया था।

दादा महाराज दीक्षित महाराजके भाई थे और वैष्णवोंके बल्लभसम्प्रदायके गुरु थे। मैंने दादा महाराज के हाथ १२८० रु० में पूनामें विस्फोटक पदार्थके ४० पैकेट बेचे। मैं तो यही जानता हूँ कि दादा महाराज पक्के सनातनी हैं। कांग्रेसी हैं या नहीं यह मुझे नहीं मालूम।

मैं आमदार खरातको जानता हूँ, पर होनाजी गणपतसे परिचित नहीं हूँ। खरात कांग्रेस समाजवादी था और मेरे मकानके सामने रहता था। मेरे उससे मैत्रीपूर्ण सम्बंध थे। जबसे खरातका विवाह १९४६ में हुआ, तभीसे मैं उसे जानता हूँ। मैंने १६ जनवरी १९४८ की शामको ७।। बजे खरातको विस्फोटक पदार्थोंके दो बंडल दिये थे और कहा था कि यह हैदराबाद राज्य कांग्रेसके कार्यकर्त्ताके सिवा और किसीको न देना। खरात इन कार्यकर्त्ताओं में बाबासाहब परांजपे, देशमुख, शोपराव तथा नायकको जानता था। मैंने खरातसे यह भी कहा था कि इन चारोंमेंसे जो भी यह बंडल ले, वह जितना रुपया दे वही ले आना। कीमत पहलेसे ही तय थी जिसे ये लोग जानते थे।

जब मैं दिल्लीसे २२ जनवरीको पूना पहुँचा था तो खरातसे नहीं मिला था। मैं गान्धीजीकी हत्याके एक दिन बाद ३१ जनवरीको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बीचके ९ दिनोंमें मैं हैदराबाद राज्य कांग्रेसके किसी कार्यकर्त्तासे नहीं मिला। मैं किसीसे भी मिलने मिलाने नहीं गया क्योंकि मुझे गिरफ्तार हो जानेका भय था। मैं जानता था कि मदनलाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सोचता था कि यदि मैं खरातके घर गया तो खरात वह दोनों बंडल मुझे लौटा सकता है और मुझे भय था कि यदि मैं बंडल लिये रहा तो पुलिस कहीं मुझे भी न पकड़ ले।

बी० डी० सावरकरने १९४५-४६ में हिन्दुओंको शस्त्रास्त्र देनेके लिए मेरी विशेष प्रशंसा की थी। मैं उस समय उन्हीं लोगोंके हाथ शस्त्रास्त्र बेचना करता था जिनके पास लाइसेंस नहीं होता था। हथियारोंके बेचनेके सिलसिलेमें सुझरर दो तीन बार मुकदमा चल चुका है, पर हर बार मैं छूट गया। मैं हमेशा उन हथियारोंका हिसाब-किताब रखता था जो कि कानूनन विक सकते थे।

३१ जुलाईको मेरे मकानपर भीड़ने आक्रमण किया। चार सान्मानमें जिसमें एकाउण्ट बुक भी थी, आग लगा दी। महात्मा गान्धीकी हत्याकी खबर सुनकर कुछ



भीड़ने हिन्दू महासभाके प्रमुख व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियोंके घरोंपर आक्रमण किया जिनका कि महात्मा गान्धीकी हत्यामें हाथ होनेका सन्देह हुआ। इस सिलसिलेमें नथूराम गोडसेके अखबारके दफ्तर तथा पूनामें मेरे घरपर भी हमला हुआ।

वडगेने बताया कि अभियुक्त शंकरका काम था खंजर आदिकी मूठोंपर पालिश करे, निजी साइकिल रिक्शा चलाये, समाचार लाये, ले जाये तथा मैं जब और जहाँ अपने साथ ले जाऊँ, चले। आरम्भमें उसकी तनखाह २०) प्रति मास तथा खाना थी। बादमें उसकी तनखाह बढ़ाकर ३०) कर दी। वह पिस्तौल तथा हथगोले भी लाया ले जाया करता। शंकरपर मेरा पक्का विश्वास था और अब भी है।

मैं एक बार नवम्बर १९४६ में अवैध रूपसे शस्त्रास्त्र बेचनेपर गिरफ्तार कर लिया गया था और बादमें जमानतपर रिहा कर दिया गया था। इस बीच शंकर मेरी वहनसे २०० रु० लेकर भाग गया। मैंने इस दरसे कि कहीं पुलिस मुझे उसको भगानेके लिए जिम्मेवार न समझ बैठे, २४ नवम्बर १९४६ को उसपर मुकदमा चला दिया। उस मुकदमेमें क्या हुआ यह मुझे ज्ञात नहीं।

मैं ए० एस० भिदेको जानता हूँ जो 'फ्री हिन्दुस्तान' नामक अंग्रेजी साप्ताहिकका सम्पादक था और हिन्दू महासभाका कार्यकर्ता था। वडगेने यह भी बताया कि अपना कासार सावरकरके चम्बईसे चाहर जानेपर उनका अंगरक्षक होता था। सावरकरके मकानपर दो गुरखोंका पहरा रहता था जो वहाँ जीनेके नीचे रहते थे। मैं वडगावकर नामक व्यक्तिको जानता हूँ जो हिन्दू संघटन निधिके लिए चन्द्रा एकत्र करनेमें १९४०-४१ में मेरा सहायक था। मैंने उसे अन्तिम बार १९४५ में शोलापुरमें देखा था।

१९४३-४४ में मैं नथूराम गोडसेके साथ महासभाके कानपुर अधिवेशनके वाद दिल्ली आया था। इसके बाद मैं १९ जनवरी १९४८ की रातको दूसरी बार दिल्ली आया था।

जब मैं २० जनवरीको दिल्लीसे पूनाको रवाना हुआ तो दिल्लीमें हुई सारी घटनाको भूलनेकी पूरी पूरी चेष्टा की। अतः मैंने शंकरसे यह भी नहीं पूछा कि तुमने उन दोनों हथगोलों, एक गनकाटन स्लाव तथा अन्य वस्तुओंको महासभाके पीछे जंगलमें कैसे फेंका। मुझे इन फेंकी हुई वस्तुओंकी कीमत ५००) की भी चिन्ता न थी। एक गनकाटन स्लावकी कीमत २०० रु० तथा एक हथगोलेकी कीमत १५०) होती है। मैं अपने साथ पूना ऐसी कोई चीज लौटाकर नहीं ले गया था जिससे कि घरपकड़का कोई भय हो।

वडगेने एक प्रश्नके उत्तरमें यह भी बताया कि मैं भारत तथा हैदराबादके सम्बन्धकी कड़ता समझता हूँ और एक समय आयेगा जब भारत तथा हैदराबाद-

में लड़ाई होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि हैदराबाद राज्यमें भी हिन्दू महासभाकी एक शाखा है।

मैं दीक्षित, पटवर्धन तथा प्रवी गचन्द्र सेठियाकी भी जानता हूँ।

२६ जुलाई

## श्री आत्माचरणको मार डालनेकी धमकी

आज काररवाई फिर शुरू होनेपर जज आत्माचरणने बताया कि मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली है जिसमें मुझे मार डालनेकी धमकी दी गयी है।

यह भेद उन्होंने उस समय खोला जब वचाव पक्षके वकील श्री बनर्जीके उस प्रार्थनापत्रपर विचार किया जा रहा था जिसमें अदालतके अन्दर आते हुए कानूनकी पुस्तकोंवाले थे और सूटकेसोंकी भी तलाशीपर आपत्ति प्रकट की गयी थी।

सबूत और वचाव दोनों पक्षोंके वकीलों श्री पी० दे० दफ्तरी और बनर्जीने भी यह प्रकट किया कि उन्हें भी मार डालनेकी धमकीके पत्र मिल चुके हैं।

श्री बनर्जीने अदालतके हातेमें तलाशी ली जानेपर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि मेरी आपत्ति सिद्धान्तपर आश्रित है। मैं अपनी कानूनकी किताबें अदालतमें नहीं ला पाता हूँ इससे मेरी युक्ति प्रत्युक्तिमें बाधा पड़ती है।

श्री पी० दे० दफ्तरीने इस महत्वपूर्ण मुकदमेमें सुरक्षाके उपायोंकी आवश्यकत बतलाया और कहा कि जब सभीकी तलाशी ली जाती है, तो किसी व्यक्तिको उसमें अपना अपमान अनुभव नहीं करना चाहिये। स्त्रियोंके भी धैर्यकी तयाशी ली जाती है यद्यपि उनमें लिपस्टिक और फेसपाउडरसे बड़कर खतरनाक चीजें नहीं मिलती।

श्री दफ्तरीने उदाहरण भी प्रस्तुत किये, जिनमें अदालतमें मुखविरोंकी गोली मार दी जानेकी घटनाएँ थीं। एक अन्य उदाहरणमें उन्होंने बताया कि जज-पर लकड़ीका कुंदा भी फेंका गया था।

जजने कहा कि वे सुरक्षाके लिए बर्तें गये उपायोंमें कोई ढील नहीं कर सकते। यदि वचाव पक्षके वकील पहलेसे ही सूचित कर दिया करें तो अदालत स्वयं उनके लिए पुस्तकोंका प्रवन्ध कर देगी।

श्री बनर्जीने अदालतका सुझाव स्वीकार कर लिया।

बढगेकी जिरहके फिर शुरू होनेसे पूर्व वादी पक्षके वकील श्री दफ्तरीने कहा कि बढगेकी जुकाम और बुखार है इसलिए जिरह कालतक स्थगित कर दी जाय।

जजने कहा कि यदि गवाह चाहेगा तो उसे कुर्सी दे दी जायगी, किन्तु जिरह स्थगित नहीं की जा सकती। इसके बाद जिरह शुरू हुई।

भोपटकरके एक प्रश्नके उत्तरमें मुखविर बढगेने कहा कि मुझे मांस्ट्रम है कि वम्बई सरकारने 'अग्रणी' से ४-५ वार जमानत माँगी थी। अन्तिम जमानतकी रकम ६,००० रु० थी। उसने कहा कि हो सकता है कि मैंने इसमें ४-५ रु० दिया हो।

बढगेने कहा कि मैं हैदराबादकी राज्य कांग्रेसको नकद दाम मिलनेपर ही हथियार देता था, किन्तु अपने परिचितोंको उधार भी दे दिया करता था।

आपटेको मैं जो चीज बेचता था उसपर लाभसहित पूरी कीमत वसूल करता था इसलिए कमीशनपर बेचनेका तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, कभी कभी मैं कोई चीज आपटेको बिल्कुल मुफ्त भी दे देता था, क्योंकि इसके पूर्व अनेक अवसरोंपर वह मेरी सहायता कर चुका था। इस सहायताका स्वरूप यह था कि उसकी बदौलत धनी आदमी मेरे पास सामान खरीदने आ जाते थे, और आपटे और गोडसेने मुझे समय समयपर ५, १०, ५० तथा १०० रु० की भी सहायता दी है।

१० जनवरीको गोडसे और आपटेको मैं गनकाटनके टुकड़े और ५ हथगोले देनेको राजी हो गया। मेरे पास रिवाल्वर कोई था नहीं। आपटेने गोडसेसे कहा कि हमारा एक काम पूरा हो गया है। यह सुनकर आपटेसे मैंने पूछा कि दूसरा काम क्या है। उसने मुझसे कहा कि यह मैं बादमें बताऊँगा।

मैंने आपटेसे यह नहीं पूछा कि वह वस्तुओंको पूना न भिजवाकर बम्बई क्यों भिजवा रहा है, क्योंकि मैं आपटेके आदेशमें ननु नच नहीं किया करता था। आपटेसे मुझे १००-२०० रुपयोंकी आर्थिक सहायता मिली होगी। अन्य अनेक प्रकारोंसे भी उसने मेरी बड़ी सहायता की।

गवाहने आगे कहा कि मैं हथियारोंका ज्यादा स्टॉक नहीं रखता था। आर्डर मिलनेपर वे हथियार मँगकर मैं आर्डर देनेवालेके पास भेज दिया करता था, तथापि कुछ हथियार मैं अपनी दुकानके पीछेके वृक्षकी तहमें छिपाकर रखता था।

आपटेने मुझे उन हथियारोंकी कीमत पूनामें नहीं चुकायी। उसने कहा कि वह बम्बईमें उनकी कीमत अदा कर देगा, किन्तु बम्बईमें पहुँचनेपर यह निश्चय हुआ कि मैं भी उनके साथ दिल्ली चले, इसलिए वहाँ पर भी दाम लेनेका सवाल नहीं उठा। बढगेने कहा कि स्वयं भी मैंने उनकी कीमत नहीं माँगी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आपटे अपने आप ही बिना कहे कीमत चुका देगा। १५ जनवरीको आपटेने मुझे ५०) देकर कहा कि यह तुम्हारा पूनासे अब तकका सफर-खर्च है। मुझे यह विश्वास था कि हथियारोंकी भी कीमत मुझे बादमें चुका दी जायगी।

बढगेने आगे कहा कि यदि आपटेने १५ जनवरीको बम्बईमें उन चीजोंकी कीमत दी होती तो मैं अवश्य ले लेता। पूनासे मेरा और शंकरका सफर-खर्च तो

केवल १०) हुआ था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मुझे ये ४०) ज्यादा क्यों दिये गये हैं। मैंने समझा कि बादको सब हिसाब कितना ठीक कर लिया जायेगा।

१५ जनवरीको दीक्षितजी महाराजके घर वह सामानका धैला खोला गया। जो वहाँ उपस्थित थे उनको मैंने हथगोला चलाना सिखाया। दीक्षित महाराजने हथगोलेके प्रयोगकी छोटी छोटी बातोंपर मेरे प्रयोगकी कुछ गलतियोंको सुधारा। वहाँपर गोडसे, करकरे, मदनलाल और आपटे भी उपस्थित थे।

दीक्षित महाराजने कहा, मदनलालको तो मैं जानता हूँ, यह ( करकरे ) कौन है। मैंने बताया कि करकरे अहमदनगर हिन्दू महासभाका एक अच्छा कार्यकर्ता है।

उसके बाद १८ जनवरीको प्रातः ८॥ बजे शंकरको साथ लेकर मैं पुनः दीक्षित महाराजके पास गया। मैंने उन्हें एक रिवाल्वर दिखाया और उसके लिए ३५०) की माँग की। दीक्षित महाराजपर मेरे ७५०) पहलेके उधार थे, वे भी मैंने माँगे, मुझे पैसेकी बड़ी आवश्यकता थी। मैंने दीक्षित महाराजको झूठ बताया कि मैं वह रिवाल्वर खरीद कर लाया हूँ।

मुझे गोडसे और आपटेके साथ दिल्ली चलनेके लिए कहा गया, उसके बाद १५ जनवरीको दीक्षित महाराजके पास नहीं गया।

१५ जनवरीको जब मैं और आपटे दीक्षित महाराजके घर गये थे तो आपटेने दीक्षितको बतलाया था कि उनके दलने ४० हजार रुपयेके गोला बारूद और हथियार जमा कर लिये हैं और वे कश्मीर जा रहे हैं। जब करकरे और मदनलाल हथियारोंके उस धैलेको लेकर दीक्षित महाराजके घरसे चले गये तो आपटेने दीक्षित महाराजसे कहा कि हम एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। दीक्षित महाराजके यह पृष्ठनेपर कि वह महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आपटेने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि हम बादको बतलायेंगे। दो दिन बाद आपटेने दीक्षितको बतलाया कि हम कश्मीर जा रहे हैं। मैंने अकेलेमें दीक्षितसे केवल १७ जनवरीको भेंट की थी, न तो १५ जनवरीको और न १८ जनवरीको।

१५ जनवरीकी रातको बम्बईसे पूना जाते हुए हमने टिकट न लेकर केवल प्लेटफार्म टिकट लिया था और पूनामें टिकट कलेक्टरको २) देकर हम स्टेशनसे बाहर निकल आये।

१७ जनवरीकी हम बम्बई फिर गये और गोडसे, आपटे और शंकरके साथ हम विनायक दामोदर सावरकरके पास गये। मैं और शंकर तो नीचे ही रहे। गोडसे और आपटे ऊपर सावरकरसे मिलने गये। जिस कमरेमें हम थे उसीमें अण्णा कादार और जी० दामले भी थे, किन्तु हममें कोई बातचीत नहीं हुई। मैं यह नहीं बत सकता कि आपटे और गोडसेके यह बतानेपर कि वे गान्धीजीको हत्या करने दिल्ली

जा रहे हैं, कालेने उन्हें १२०० रु० दिये थे। वे आपसमें अंग्रेजीमें बातचीत कर रहे थे, जिसे मैं समझ नहीं सकता। इससे पूर्व बोरीबन्दरपर गोडसे-आपटेने मुझसे कहा था कि हमें दिल्ली जानेके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिये। इसलिए मेरा अनुमान है कि गोडसे और आपटेकी आवश्यकताको जानकर ही कालेने उन्हें १२०० रु० दिये होंगे।

आपटेने सान्ताक्रूज हवाई अड्डेपर शंकर और मुझे दिल्ली आ सकनेके लिए ३५०) दिये थे। आपटेने कहा कि हम अधिक धन इकट्ठा नहीं कर सके, इसलिए मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ यही बहुत है। यह आपटेको दिये गये हथियारोंकी कीमत नहीं थी। दिल्लीमें अवानक कोई गड़बड़ी हो जानेकी सम्भावनासे धरने आपको सुरक्षित करनेके लिए मैंने पटवर्धनसे ४००) उधार लिये थे, किन्तु वे वापस नहीं चुकाये।

२० जनवरीको प्रातः दिल्लीमें हिन्दू-महासभा भवनमें जब मैं आपटेसे मिला तो मैंने आपटेसे और धन नहीं माँगा। किन्तु मैंने उसे एक पुर्जा दिखाया जिसमें यह लिखा था कि ३५०) मेंसे मैंने कितना खर्च किया है। बम्बईके टैक्सरी झाडवरसे मिली हुई रसीद भी मैंने आपटेको दे दी। आपटेने उन्हें फाड़ डाला और कहा कि ऐसे हिसाब-किताबकी कौन पर्वाह करता है ?

मैंने अपने नौकर शंकरको गान्धीजीके सारनेका पूरा पड़यन्त्र २० जनवरीको मैरीना होटलमें हम सबके एकत्र होनेतक नहीं बताया था। इसके बाद सबको हथियार बाँटे गये। आपटे होटलसे पहले उतर आया; शंकर, गोपाल गोडसे और मैं पीछे उतरे। तब मैंने शंकरको बताया कि मैं एक व्यक्तिपर हथगोला फेंककर गोली चलाऊँगा। और तुम्हें भी उस व्यक्तिके विरुद्ध यही करना होगा। और मैंने उसे बताया कि वह एक बूढ़ा आदमी है और उसका नाम 'गान्धी' है।

२० जनवरीको मैंने प्रार्थना-स्थलमें हसन शहीद सुहरवर्दीको नहीं देखा। वम विस्फोट होनेके थोड़ी देर बाद ही मैं वहाँ से चला आया और कह नहीं सकता कि बादमें क्या हुआ। मैंने विस्फोटका शब्द सुना था, मदनशालको पकड़कर ले जाये जाते हुए भी देखा था, किन्तु मेरा मन इतना विक्षुब्ध था कि मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि महात्मा गान्धी क्या कह रहे हैं। मैंने केवल उनको हाथ उठाकर भीड़की शान्त रहनेकी अपील करते हुए देखा था।

मैंने फोटोग्राफर बनकर प्रार्थना-स्थलके पीछेके कमरेमें घुसना स्वीकार कर लिया था जिसकी दीवारके पीछेसे मैं अपना काम पूरा करता। मैंने इसकी भी पर्वाह नहीं की कि फोटोग्राफर बननेके लिए मुझे कोई कैमरा भी मिल सकेगा या नहीं। मेरे पास जो थैला था, प्रतीत होता था, कि इसमें कोई कैमरा है। किन्तु इसमें था

हथगोला और एक रिवाल्वर । यह कन्वासंका खाकी रंगका १२ इंच लम्बा ६ इंच चौड़ा था । करकरेके पास भी एक था ।

अपना और शंकरका रिवाल्वर तौलियेमें लपेटकर जब मैंने कारमें ही छोड़ दिया, तो टैक्सी ड्राइवर उस समय वहाँ नहीं था । मुझे उन रिवाल्वरोंको वहाँ छोड़ जानेमें विल्कुल भय नहीं लगा, क्योंकि मैं डरता ही क्यों, रिवाल्वर मिलनेपर टैक्सी ड्राइवरकी आफत आती, वही पकड़ा जाता । ( इसपर अदालतमें सबको हँसी आ गयी । ) और भी हँसी हुई जब वडगेने यह कहा कि मैंने अपने साथ गोला रखना पसन्द किया क्योंकि उसके गान्धीजीपर फेंक देनेसे मेरे हाथमें कुछ नहीं रहता और मैं वेदाग वच जाता । इसके विपरीत रिवाल्वरसे तो गोली ही निकलकर गान्धीजीके लगती और रिवाल्वर मेरे हाथमें रह जाता, जिससे मैं आसानीसे पकड़ा जाता । उसने कहा मेरी अपनी विलक्षण दाढ़ी और बाल हैं, जिनके कारण आसानीसे पहचाने जानेका भय था । इसलिए मैंने हथगोला भी शंकरको दे दिया और उससे कहा कि जबतक संकेत न मिले उस हथगोलेका उपयोग न करो ।

### मदनलाल, वडगे और शंकरको छोड़ सब भाग गये

वडगेने कहा कि यदि नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, और गोपाल गोडसेने पहले हथगोला फेंका होता, तो मैं शंकरको भी हथगोला फेंकनेके लिए जरूर इशारा करता । परन्तु मदनलालने ज्यों ही गनकाउनके टुकड़ेसे विस्फोट किया वे चारो टैक्सी लेकर दूबा हो गये । उसने कहा कि कारमें रिवाल्वर इसलिए छोड़ दिये थे, क्यों कि मैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं समझता था । गान्धीजीको मारनेके लिए हथगोले ही काफी थे । यह सुझाव केवल प्रार्थना-स्थल जानेके बाद ही सूझा ।

### २७ जुलाई

आज बचाव पक्षके प्रमुख वकील श्री एल० वी० भोपटकरने सुखचिर वडगेसे चौथे दिन जिरह जारी रखी ।

भोपटकरके प्रश्नके उत्तरमें वडगेने कहा कि १९-२० जनवरीको हिन्दूमहासभा-भवनके जिस कमरेमें मैं तथा शंकर ठहरे थे, उसमें ताला नहीं लगा था । गोपाल गोडसेने जिस थालमारी "बहु सामान" रखा था, उसमें भी ताला नहीं था ; हाँ, उसके किवाड़ बंद रहे ।

अन्य हथगोलोंसे पहचाननेके लिए मेरे हथगोलोंपर लाल गुणा ( X ) का चिन्ह लगा था तथा एक लालपट्टी उनके चारो ओर लपेटी हुई थी । मैंने अबतक कुल ५०-६० हथगोले बेचे हैं । ये सब हथगोले मैंने खड़ी शम्शागारके कुछ कर्मचारियों तथा अकर्मचारियोंके मित्रोंसे खरीदे थे ।

इसपर ये हथगोले अदालतमें पेश किये गये, तो उनपर वह निशान लगे हुए थे जो कि बडगेने बताये थे। बडगेने कहा कि इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिससे यह सिद्ध हो कि ये हथगोले मैंने आपटेको दिये थे। यह सब कार्य इतने गुप्त रूपसे किया गया था कि इसका कोई रेकार्ड ही नहीं मिल सकता।

अदालतने बडगेके इस बयानको अदालती रेकार्डमें रखनेसे इन्कार कर दिया कि महात्मा गान्धीने आमरण अनशन इसलिए किया था कि भारत पाकिस्तानको ५५ करोड़ दे दे। चूँकि गवाहको अनशनके कारणका कोई सीधा ज्ञान नहीं था, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि अनशनका क्या कारण था। उसने चाहे कुछ भी पत्रोंमें पढ़ा हो या दूसरोंके मुँहसे सुना हो, वह कथित बात ही है, तथ्य नहीं। इसलिए उसके इस बयानको अदालत कानूनी रेकार्डमें नहीं रख सकती।

जिरहके उत्तरमें बडगेने आगे कहा कि दिल्लीसे पूना लौटनेपर मैंने अपना सारा घर देखा-भाला ताकि कहीं कोई आपत्तिजनक चीज घरमें न हो। मैंने शंकरसे भी यही करनेको कहा था। मेरे घरमें उस समय जो ६००-७०० तलवारें तथा खजर थे, उनकी मुझे कुछ चिन्ता न थी। मैंने कहीं चाहर आना-जाना तथा पुराने मित्रोंसे मिलना-जुलना बन्द कर दिया था। एक प्रकार २३ जनवरीसे ३१ जनवरीतक मैं अपने घरमें छिपा रहा।

मैं हिन्दू राष्ट्रके दफ्तरके सामनेसे तो निकल जाता पर कभी भी अन्दर घुसकर नहीं गया। मैंने यह पूछताछ भी नहीं की कि नथूराम गोडसे, करकरे, आपटे, गोपाल गोडसे पूना आ गये या नहीं। मैंने इन आठ दिनोंमें किसीको भी नहीं देखा।

३० जनवरीको मैं पूनाके उपनगर शिवाजीनगरमें यात्राको गया। यह स्थान सर चुन्नीलाल मेहताके बँगलेके पीछे एक जंगलमें पहाड़ीपर था और चतुःश्रृंगी-जीके मन्दिरसे दूर था।

इसके अगले दिन मैं गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी कोतवाली बुधवार पेटमें बन्द कर दिया गया। वहाँसे मुझे छावनीके थानेमें ले जाया गया। शंकर मेरे साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। चम्बरई जेलमें मैंने शंकरको फरवरीके दूसरे सप्ताहमें देखा था। मैं ४ फरवरीको चम्बरई जेलमें भेजा गया था और वहाँ २४ मईको दिल्ली आनेतक ठहरा रहा। मुझे २१ जूनको ५॥ बजे सरकारी क्षमादान दिया गया था।

जब सरकारी क्षमा-दानपर भी जिरह करनेकी श्री भोपटकरने इच्छा व्यक्त की

तो जज श्री आत्माचरणने क्षमा-दानकी आज्ञाकी मूठ प्रति उन्हें दे दी। यह क्षमा-दान-आज्ञा जजने दी थी।

बडगेने जिरहके उत्तरमें आगे बताया कि मैं बम्बईमें ४ फरवरीसे २४ मईतक पुलिसकी हिरासतमें रहा। मैं सी. आई. डी. की स्पेशल ब्रांचकी बिल्डिंगमें रखा गया था। जबतक मेरा बयान नहीं ले लिया गया, मैं सबसे पृथक् रखा गया था। बयान ले लिये जानेपर मेरे कमरेमें शंकर आ गया था। बादमें गोपाल गोडमे तथा मदनलाल भी मेरे ही कमरेमें रखे गये थे। मेरी गिरफ्तारीके बाद १८-२० दिनमें ही मेरा बयान लिया गया था। बयान देते समय मैंने यह इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि मैं मजिस्ट्रेटके सामने ही बयान दूँगा। पर पुलिससे मैंने यह अवश्य कहा था कि मैं सारी बातें सच-सच कह देना चाहता हूँ, फिर उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो, चाहे मुझे इसके लिए फाँसी भी क्यों न हो जाय।

अपनी गिरफ्तारीकी एक घटनाका जिक्र करते हुए बडगेने कहा कि १९४३ में एक दिन सावंत तथा अणारकर नामक दो छोटे थानेदार एकदम मुझपर दौड़ पड़े और मुझे खूब पीटा। मुझे यह ज्ञात न हो सका कि मुझे इस प्रकार क्यों पीटा गया। बादमें मुझे पता चला कि पुलिसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि मेरे पास पिस्तौलें तथा रिवाल्वरें रहती हैं, इसलिए वे अकस्मात् यों आक्रमण न करते तो सम्भव था कि मैं उनपर आत्मरक्षार्थ पिस्तौल चला देता।

उस समय मैं पिस्तौलें तथा रिवाल्वर नहीं बेचता था। अतः जब पुलिसने मेरे घर तथा दूकानकी तलाशी ली तो कोई चीज बरामद न हुई और मैं रिहा कर दिया गया। मैंने सबसे पहली बार १९४७ के मध्यमें पिस्तौल और रिवाल्वर बेचा था।

मेरी गिरफ्तारीके बाद और पुलिसकी बयान देनेतक पुलिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था।

संवृत पक्षके प्रधान वकील श्री दफ्तरने जजसे पूछा कि क्या इस कथनका यह अर्थ निकलता है कि बडगेके साथ बयान ले लेनेके बाद बुरा व्यवहार किया गया? जजने कहा—इसका आवश्यक रूपसे यह अर्थ नहीं निकलता। इसपर भोपटकरने कहा कि जब गवाहका बयान ले लिया गया तो फिर बुरा बर्ताव करनेकी आवश्यकता ही क्या थी?

भोपटकरने आज ११ बजकर ५५ मिनटपर अपनी जिरह समाप्त की। फिर नधूराम गोडसेके वकील श्री वी० वी० ओकने बडगेसे जिरह करना आरम्भ किया।

जजने हँसते हुए श्री ओकसे पूछा कि आपकी जिरह भी भोपटकरकी जिरहकी भाँति लम्बी-चीड़ी होगी?

श्री ओकने उत्तर दिया—“बजी बहुत छोटी होगी।”



श्री ओकके प्रथके उत्तरमें बडगेने बताया कि मैंने ये बख्ताख हईरावाद राज्य-कांग्रेस तथा हिन्दुओंके लाभार्थ एकत्र किये थे ।

२० जनवरीको प्रार्थना-सभामें शंकरने अपना एक हथगोला तथा रिवाल्वर अपने कोटकी जेबोंमें रखा था । जिस समय मैंने तथा शंकरने अपनी पिस्तौलें निकालकर तौलियामें लपेटीं और उन्हें टैक्सीमें रखा उस समय कोई भी आदमी दूरतक दिखायी नहीं देता था ।

२० जनवरीकी शामकी प्रार्थना-सभामें वम फटनेके बाद जब मैं आया तो मुझे यह पता नहीं कि करकरे आदि अन्य व्यक्ति कहाँ गये । जब मदनरायने गनकाउनके टुकड़ेमें आग लगाकर विस्फोट किया, उसके बाद मैंने इन्हें नहीं देखा ।

मैं जानता हूँ कि गान्धीजी जहाँ भी रहते वहाँ प्रार्थना-सभा किया करते थे, पर मैं २० जनवरीसे पूर्व कभी भी उनकी प्रार्थना-सभामें नहीं गया । एक बार आपटेने नयी दिल्ली (भंगी बस्ती) में गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें प्रदर्शन किया था । उसने (आपटेने) यह बात एक वर्ष पूर्व पूनामें एक सभामें भाषण करते हुए कही थी । आपटेके कथनानुसार उसने (आपटेने) प्रार्थना-सभामें एक जुद्धसका नेतृत्व किया तथा गान्धीजीसे बात करनी चाही थी । आपटेसे गान्धीजी मिले नहीं । आपटेका कहना था कि वे डरके मारे अन्दर घुस गये थे ।

जब आपटेने प्रदर्शन किया था तो नथूराम गोडसे भी वहाँ था । उस दिन आपटेके साथियों तथा कांग्रेसियोंमें परस्पर संघर्ष हो गया था ।

२॥ बजे आपटेके वकील श्री मँगलेने बडगेसे जिरह करनी शुरू की । मँगलेके प्रथके उत्तरमें बडगेने कहा कि मैंने किसी अंग्रेजी स्कूलमें शिक्षा नहीं पायी । मैं केवल मराठी लिख-पढ़ सकता हूँ । मैंने १९२७ में स्कूलसे पढ़ना छोड़ा था ।

बडगेने आगे कहा कि मैंने १९४७ में पूनामें वीर सावरकर वाचनालय खोला था जिसमें मराठी पत्र मँगया करता था । ये पत्र महासभा विचारधाराके होते थे । यह वाचनालय मेरी पुस्तककी दूकानका एक भाग था । उसमें एक मेज पड़ी थी तथा कुछ कुर्सियाँ पड़ी थीं जिनपर कि पाठक बैठते थे ।

मैं देशकी राजनीतिक प्रगतिमें दिलचस्पी लेता था और विभिन्न राजनीतिक दलोंकी गतिमें भी दिलचस्पी रखता था । देशकी राजनीतिक घटनाओंकी जानकारी रखनेके लिए मराठी पत्र पढ़ा करता था । मैं दैनिक 'अग्रणी' की नीति जानता था जो कि बादमें 'हिन्दू राष्ट्र' के नामसे निकला करता था । इसे पण्डित नथूराम गोडसे तथा नाना साहब आपटे निकाला करते थे । इस पत्रने विभाजनका विरोध किया था । पत्रका मत था कि मुसलमानोंको खुश करने तथा अहिंसाकी कांग्रेसकी नीति देशके लिए हितकर नहीं है ।

बडगेने कहा कि पत्रका मत था कि हिंसाका जवाब हिंसासे दिया जाय, पर यह हिंसा आत्मरक्षार्थ ही, आक्रमणके हेतु नहीं।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि नथुराम गोडसेने पूनामें जो हिन्दू राष्ट्रीय दल चलाया था, उसका उद्देश्य चुनारवाँमें महासभाकी मदद करना, सभाका प्रचार करना, महासभाकी बैठकोंमें शान्ति रखना तथा साधारणतः धनुशासन सिखाना था।

श्री ओकने बताया कि दल च्यॉथ स्काट्ट अधीनस्थानके सदस्य था।

बडगेने जिरहके उत्तरमें कहा कि मैं पूनाके गुरुद्वारेमें रहनेवाले गुरुदयालसिंह नामक सिखसे शस्त्रास्त्र खरीदा करता था। गुरुदयालके पास लाइसेन्स नहीं था और वह पूनाके पंजाबियोंको हथियार बेचता था। मैं कान्से नामक एक व्यक्तिको भी जानता हूँ। वह रविवारपेठ (पूना) में रहता था। उसकी साइकिलकी दूकान थी जो मेरी दूकानके सामने थी। यह खड़की आर्टिमेन्स फॅक्टरीमें काम करता था। वह मेरे हाथ गनकाटनके टुकड़े, कारतूस, फ्यूज वायर तथा विस्फोटक पदार्थ आदि शस्त्रास्त्र भी बेचा करता था।

जजने श्री मॅंगलेसे पूछा कि 'इस प्रकारके प्रश्न करनेसे आपका क्या तात्पर्य है ?'

श्री मॅंगलेने कहा कि 'मैं यह दिखानेकी चेष्टा कर रहा हूँ कि बडगेका सम्पर्क कैसे लोगोंसे था ?'

जज—'सवृत पक्षने भी तो यही प्रश्न किये थे।'

मॅंगले—'मैं सवृत पक्षकी अपेक्षा इसे अधिक स्पष्ट कर देनेकी चेष्टा कर रहा हूँ।'

श्री दफ्तरीने कहा कि गवाहका कहना है कि मैं विभिन्न व्यक्तियोंसे हथियार खरीदता था और पता नहीं कि वे खड़की शस्त्रागारके बने होते थे या नहीं।

श्री मॅंगले—'सवृत पक्ष इस बातमें दिलचस्पी नहीं लेता कि वे हथियार कहाँसे आते थे। मैं कहता हूँ कि वे लोग खड़की शस्त्रागारसे सुराकर 'सामान' लाते थे और गवाहके हाथों बेचते थे।'

बडगेने आगे कहा - दरवानसिंह नामक एक सिखसे गनकाटनके टुकड़े, हथगोले, कारतूस, पिस्तौल, रिवाल्वर तथा विस्फोटक पदार्थ खरीदा करता था। उससे मैंने ४००० रु० का सामान तथा गुरुदयालसिंह से १०००० रु० का सामान खरीदा था।

खड़की शस्त्रागारमें काम करनेवाले एक व्यक्ति कृष्णसिंहसे भी मेरा परिचय है। वह मद्रासी था सिख नहीं। कृष्णसिंह तथा कान्सी दोनोंने मिलकर मुझे १५००० रु० कीमतका सामान बेचा।

२८ जुलाई

आज अदालतमें कानून मंत्री डा० अंबेडकर अपनी पत्नीके साथ कुछ देरके लिए उपस्थित थे ।

सबसे पहले सफाई पक्षके एक वकील श्री जमुनादास मेहताने बम्बईके दीक्षित महाराजके मकानका नक्शा अदालतमें पेश किया और जजको उसका कारण समझाया ।

श्री मंगले द्वारा की गयी जिरटका उत्तर देते हुए मुखविर बडगेने कहा कि १५ जनवरीको बम्बईके हिन्दू महासभा दफ्तरमें आपटेने मुझसे यह नहीं कहा था कि गान्धीजीके अनशनके विरुद्ध केवल प्रदर्शन करनेके लिए दिल्ली चलना है ।

श्री मंगले—क्या आपटेने १५ जनवरीको सवेरे बम्बईके हिन्दू महासभाके दफ्तरमें तुमसे यह नहीं कहा कि हिंदू सरकारने पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देनेसे इन्कार कर दिया है ?

बडगे—नहीं ।

मंगले—क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा था कि अनशनके विरुद्ध प्रदर्शन करनेके लिए स्वयंसेवक एकत्र करना आवश्यक है ?

बडगे—नहीं ।

मंगले—क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा था कि काफी संख्यामें स्वयंसेवक एकत्र नहीं हो रहे हैं इसलिए तुम मेरे खर्चेसे दिल्ली चलो ?

बडगे—नहीं ।

मंगले—क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा कि दिल्ली चलकर तुम न केवल प्रदर्शनमें सहायता कर सकते हो, पर वहाँ शरणार्थियोंको खूब ऊँचे ऊँचे दामोंपर शल्लाघ भी बेचकर अपना फायदा कर सकते हो ?

बडगे—नहीं

बडगेने कहा कि मेरे और आपटेके बीच ऐसी कोई बातचीत कभी नहीं हुई । गवाहने कहा कि मैं नथूरामके हस्ताक्षरसे परिचित नहीं और उनका दस्तखत पहचान नहीं सकता । गोडसेसे मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली ।

२० जनवरीको सवेरे आपटे और बडगे जब विड़ला हाउसमें प्रार्थना-स्थलका सुआदना कर रहे थे तो किसीने भी टोंका नहीं था । आपटेने दीवालकी जालीका नाप जिस डोरीसे लिया था वह हथगोलेके नापकी थी । आपटेने पहले हथगोलेका व्यास नाप लिया था और यह देखना चाहता था कि जालीके छेदमेंसे हथगोला जा सकता है या नहीं । नापजोख करनेके बाद आपटेने मुझसे कहा कि हथगोला आसानीसे अन्दर फँका जा सकता है ।

बडगेने कहा कि आपसे मुझसे कहा था कि हथगोला डेरमें रखो, और फिर नीचेकी ट्रिपग दबाओ और पिस्तौलको नलीसे उसे दूसरी ओर डकेल दो ।

पौने बारह बजे मँगलने जिरह खतम की और करकरेके वकील डंगेने सबाल पूछना शुरू किया । उन्होंने जब पूछा कि 'बडगे, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है', तो अदाअतमें हँसी हुई ।

बडगेने जवाब दिया "अभी विलकुल ठीक नहीं हुई ।"

जजने कहा—आप उनका सजाक उड़ा रहे हैं या और कुछ ?

बडगेने कहा—मैं पहले कांग्रेसवादा था और फिर महासभावादी, पर कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका कार्यकर्ता नहीं था । मैं १९४२ के 'भारत छोड़ो' प्रस्तावके बारेमें जानता हूँ । युद्धमें कांग्रेसके असहयोगकी बात भी जानता हूँ । पूनेका महाराष्ट्र व्यायाम-मण्डल जानता हूँ जहाँ युद्धके लिए सेनाके अफसरोंकी भरती होती थी । सरकार रुपयेसे इस संस्थाकी सहायता करती थी और मण्डल जिन उम्मेदवारोंको चुनता था उन्हें भरती कर लेता था । श्री एल. बी. भोपटकर मण्डलके संस्थापक थे । मैं गोडसेको पण्डित और आपटेको नानाराव कहा करता था । मुझे लोग हिन्दू राष्ट्र सेवकके नामसे जानते थे ।

महाराष्ट्रमें अण्णासाहब और नानासाहब अप्पाराव और नानाराव हो जाते हैं । 'साहब' शब्द उर्दू है, इसलिए मराठी भाषा शुद्ध करनेके लिए यह किया जाता है । करकरे अहमदनगरका है और डेक्कन गेस्ट हाउसका मालिक था, जहाँ हिन्दू शरणार्थियोंको युद्धमें रहने खानेको दिया जाता था । करकरे हिन्दू शरणार्थियोंकी सेवा करने पूर्वा बंगाल नौआखाली भी गया था । वह अपने साथ १०० खंजर ले गया था । मुझसे उसने ये खरीदे थे । उसने मुझसे ५०) का एक इन्पातका जाकट भी लिया था जिससे नौआखालीके दंगाग्रस्त क्षेत्रमें मुसलमानोंके छुरेसे रक्षा हो । इस जाकटसे छुरेसे रक्षा हो सकती थी, पर गोलीसे नहीं । उसके बाद मैंने गोलीसे बचाने-वाले जाकट भी तैयार कराये, जिनका द.म ७५) और १५०) के बीच होता था । करकरेने मुझसे ९ जनवरीको यह नहीं कहा कि मदनलाय, चौपड़ा और ओमप्रकाश शरणार्थी हैं । यह भी नहीं कहा था कि ये भी अहमदनगरसे आये थे । मुझसे मदनलालका परिचय यह कहकर कराया गया कि वह साहसी, उस्तादी और अच्छा लफका है । २० जनवरीको उसकी गिरफ्तारीके बाद ही मैंने अखबारोंमें पढ़ा कि वह शरणार्थी था । मेरा भाई एन. आर. बडगे बम्बई-पुलिसमें नौकर है । इस समय वह पूनेमें है । मैंने चार्लिसगाँवका अपना मकान उसके हाथ १०००) में बेचा । मैंने १९३४-३५ में स्वेच्छासे ही कांग्रेससे इस्तीफा दिया, क्योंकि कांग्रेसके सिद्धान्तोंसे मैं सहमत नहीं था । मैं ५ सालतक कांग्रेसमें था । १५ जनवरीको गोडसे,

आपटे और करकरे जब शिवाजी प्रिंटिंग वर्क्सके मैनेजर श्री जोशीसे बात-चीत करने अन्दर गये थे तब मैं बाहर ही था। मुझे उन लोगोंने बाहर छोड़ा इससे मुझे अपमान नहीं मालूम हुआ, क्योंकि मैं यही नहीं समझ सका था कि मुझे वे लोग वहाँ ले ही क्यों गये थे ?

९ और २० जनवरीके बीच मुझे कभी आपटे और कभी नथूराम गोडसे या दोनों आदेश देते रहे।

श्री ढांगे—इन दिनों रुपयेका लेन-देन कौन करता था ?

श्री दफ्तरी—मुझे इस प्रदनर सख्त आपत्ति है। यह अस्पष्ट और साधारण है।

जज—आपका उद्देश्य क्या है ? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि कथित पञ्चन्त्रका रुपये-पैसेवाला संवाक्य कौन था ? इसलिए जबतक आप यह नहीं पूछते कि कोई खास लेन-देन किसने किया तबतक गवाह क्या जवाब दे सकता है ?

गवाहने कहा—जब करकरे और मदनलाल दिल्लीके लिए रवाना हुए तो मेरे सामने आपटेने उनको कोई रुपया-पैसा नहीं दिया। आपटेने जब मुझसे कहा कि रुपया इकट्ठा करना चाहिये तब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने यह समझा कि और रुपयेकी उसको जरूरत है।

श्री ढांगे—क्या तुम जानते हो कि १७ जनवरीकी गान्धीजीकी हालत चिन्ता-जनक हो गयी थी ?

जज—गवाह इसका जवाब कैसे दे सकता है ? उसे इसकी जाती जानकारी तो नहीं हो सकती थी।

ढांगे—पर उसने रेडियोपर सुना होगा।

जज—चाहे सुना हो चाहे न सुना हो इससे क्या होता है। वह तो सुनी बात ही होगी। यहाँ वह दर्ज नहीं की जा सकती।

ढांगे—सारी दुनिया जानती थी कि अनशनके बाद गान्धीजीकी हालत खराब होती जाती थी।

जज—इससे मुकदमेमें कोई मदद नहीं मिलती। आपको यही प्रश्न पूछनेकी जिद है तो दरखास्त दीजिये। जब मैं उसका फैसला दूँगा तब वह अदालती रेकार्डमें आ सकता है अन्यथा नहीं।

ढांगे—मैं दरखास्त दूँगा।

श्री वनजाँ—सबूत पक्षने ऐसे ही सवाल पूछे थे और अदालतने उन्हें पूछने दिया था। टेक्सनी हाइवरों और नौकरानियोंसे पूछा गया था—“गान्धीजी ३०

जनवरीको करल किये गये इसे आप जानते हैं ?” उन्होंने अपनी आँखोंसे यह बात नहीं देखी होगी । उन्होंने भी सुनी हुई बात ही कही होगी ।

जज—सघूतके वकीलोंने वे प्रश्न कुछ और बातें साबित करनेके लिए पूछे थे, हत्याकी बात साबित करनेके लिए नहीं । लेकिन आपके सवाल तो यही बात साबित करनेके लिए पूछे जा रहे हैं कि गान्धीजीकी हालत संकटपूर्ण होती जा रही थी और इसीलिए मैं यह सवाल नहीं पूछने दे रहा हूँ ।

श्री डांगेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा—मैंने किसी आदमीपर गोली नहीं चलायी है । मैंने करकरेके हाथ २०० से २५० तक खंजर बेचे । खरीद चिन्नीकी रोज मैं ढायरी रखता था पर गान्धीजीकी हत्याके बाद भीड़ने मेरी दूकानपर हमला किया तब ये सब चीजें जल गयीं । फिर भी गैरकानूनी द्रवियारोंकी खरीद विक्रीका मैं कोई हिसाब नहीं रखता था । मैं स्कूलमें बहुत तेज था और मेरा पहला नम्बर रहा करता था ।

जीवन भरमें मैंने एक बार हजामत बनवायी और वह भी १९४२ में जब पिताजीकी मृत्यु हुई ।

श्री डांगे—क्या तुम जानते हो कि केवल साधू लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, तुम्हारी तरह प्रपंचवाले लोग नहीं ।

गवाह—शिवाजी महाराज साधू नहीं थे, पर उन्हें भी दाढ़ी थी और परिवार था ।

डांगे—तुम पुलिसकी हवालातमें थे तब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा रहा ?

गवाह—मैं स्वस्थ और मजबूत रहा ।

डांगे—तुम्हारी एक आँख दूसरीसे छोटी क्यों है ?

गवाह—मेरे पिताने मुझसे कहा कि जब मैं ११ महीनेका था तो कोई चीज मेरी बाँधी आँखमें चली गयी जिसे निकाल डालना पड़ा । नतीजा यह हुआ कि मेरी आँख छोटी रह गयी ।

श्री डांगे—तुम शिवाजीके पुत्र संभाजीको जानते हो ?

गवाह—हाँ ।

डांगे—क्या तुम जानते हो कि संभाजीने मुसलमान होनेसे अच्छा मर जाना समझा ?

जज—मैं इतिहासकी बातें गवाहसे नहीं पूछने दूँगा ।

२९ जुलाई

करकरेके वकील श्री डांगेने अदालतके समक्ष एक पत्र उपस्थित किया और

निम्न बातोंपर आपत्ति उठायी—( १ ) कल अदालतने बडगेके इस बयानको अस्वीकार कर दिया कि १७ जनवरीको गान्धीजीकी हालत अनशनके कारण चिन्ता-जनक थी। ( २ ) करकरेका बडगेको लिखा पत्र अदालतमें दिखानेके लिए न रखा जाय।

दूसरी आपत्तिके वारेमें जजने पूछा कि आपको यह आपत्ति क्यों है ? श्री डांगेने कहा कि यह पत्र फाड़कर आठ टुकड़े कर दिया गया था, फिर बादमें उसे जोड़कर चिपकाया गया है। इस पत्रकी दूसरी ओर क्या था, यह किसीको ज्ञात नहीं। कोई यह भी नहीं कह सकता कि यह पत्र क्यों फाड़ा गया और कब फाड़ा गया।

सचूत पक्षके वकील श्री पी० के० दफ्तरीने इस प्रार्थनापत्रका इस आधारपर विरोध किया कि यह आपत्ति उचित समय उठायी जानी चाहिये थी। गवाहीमें पहले यह सिद्ध किया जाना चाहिये कि यह पत्र क्यों और किन स्थितियोंमें फाड़ा गया।

प्रथम आपत्तिके वारेमें जजने फैसला दिया कि बडगेने गान्धीजीकी अवस्थाके वारेमें पत्रोंमें जो भी पढ़ा या रेडियोसे जो भी सुना वह सुनी हुई बात है, अतः स्वीकार नहीं की जा सकती। डांगे—“मान लीजिये कि आपटेने उससे ऐसा कहा।”

जज—उस हालतमें इसे स्वीकार किया जा सकता है। यदि आप गवाहसे यह पूछना चाहते हैं कि उसने यह बात आपटेसे सुनी या नहीं, तो मैं इस प्रश्नको पूछनेकी स्वीकृति दे सकता हूँ।

इसके बाद गवाह बडगे कठघरेमें लाया गया। डांगेके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि यह बात सच नहीं है कि १७ जनवरीको आपटेने मुझसे कहा था कि महात्मा गान्धी इस समय अनशन कर रहे हैं और उनकी हालत चिन्ताजनक है।

इसके बाद मदनलालके वकील श्री वनर्जने बडगेसे जिरह करनी आरंभ की। वनर्जके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि २० जनवरीको शामको मैं प्रार्थना-सभामें २०-२५ मिनट ठहरा था। जब मैंने अरनी ओर पुलिसके तीन चार सिपाहियोंको आते देखा तो समझा कि मदनलाल भी उनके साथ है।

बडगेने पुलिसके सामने जो बयान दिया था, उसमें कहा था कि मैंने देखा कि मदनलालको खेमेमेंसे तीन-चार सिपाही लेकर निकले और वे उसे जहाँ बम फटा था, वहाँ ले जा रहे थे। अदालतमें बडगेको उक्त बयान दिखाया गया और वचाव पक्षके वकीलने पूछा कि क्या तुमने इस आशयका कोई बयान पुलिसको दिया था। बडगेने उत्तरमें कहा कि मैंने इस तरहका कोई बयान पुलिसको नहीं दिया वरन् यह कहा था कि तीन चार पुलिसमैन मदनलालको मेरी ओर लिये आ रहे थे, मैं इससे डर गया और समझा कि कहीं वे मुझे तथा शंकरको गिरफ्तार करने न आ रहे हों।

जब मैं हिन्दू महासभाके दफ्तर आया तो गोभूषिकी बेला थी और बत्तियों जलनेका समय था। ३१ जनवरीको सब-इन्स्पेक्टर ओकने मुझे गिरफ्तार किया था। थाने आनेवाले मजिस्ट्रेटका नाम देसाई था। मजिस्ट्रेटने मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। मुझे तथा अन्य अभियुक्तोंको पुलिसकी हिरासतमें रखनेके लिए रिमाण्ड लेनेको हमें दूसरे मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया था। इस मजिस्ट्रेटका नाम ब्राउन था। वह बम्बईका चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट था।

जब २४ मईको मुझे दिल्ली लाया गया था तो लाल किलेकी जेलमें नहीं रखा गया था। मैं जिस जेलमें रखा गया था उसका नाम नहीं जानता। (सबूत पक्षके प्रधान वकीलने बताया कि बढगे तथा अन्य अभियुक्त लालकिला जेलमें लाये जानेसे पूर्व सेण्ट्रल जेलमें रखे गये थे।) बम्बईमें मुझे पुलिसकी हवालतमें रखा गया था, जेलमें नहीं। पूनामें गिरफ्तार करके मैं बम्बई लाया गया था। बम्बई लानेके तीसरे दिन ही अर्थात् ५ फरवरीको फिर मुझे पूना लाया गया। ६ फरवरी या इसके आस-पास मुझे फिर बम्बई ले जाया गया। ८ फरवरीके आस-पास मुझे एक बार फिर पूना ले जाया गया। बादमें पुलिसके एक दलको खरातके घर और नाग-मोडे और शेठारके घर ले गया था। इस समयतक मैंने पुलिसमें कोई बयान नहीं दिया था। केवल पुलिसके प्रश्नोंका उत्तर ही देता रहा।

जब जब पुलिस मुझे पूना ले गयी, शंकरको भी पुलिस पूना ले गयी थी क्योंकि शंकर मेरा नौकर था और जहाँ भी मैं जाता, वह 'सामान' लेकर जाता था। जब मैं पुलिसको अपना बयान दे चुका, तब शंकर मेरे पास ही नजरबन्द करके रखा गया था।

२७ मईको मुझे अदालतमें पेश किया गया और अज्ञातने मुझसे पूछा था कि क्या तुम कोई वकील करना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं वकील करना नहीं चाहता, मैं सारी बात सच सच कह देना चाहता हूँ। जूनके आरम्भमें मैंने प्रार्थनापत्र दिया था कि मुझे बम्बईके डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्री जे० नगरवालामें भेंट करनेकी स्वीकृति दी जाय। नगरवाला चीफ पुलिस प्रासीक्यूटर थे। मैंने नगरवालामें कहा कि मैं सारी बातें सच सच बताना चाहता हूँ। नगरवालाने कहा कि अच्छा मैं प्रयत्न करूँगा। इस सिलसिलेमें जब कुछ नहीं हुआ तो २४ जूनको मैंने नगरवालामें मुन्हा-कात करनेके लिए एक और प्रार्थनापत्र दिया। वे मुझसे मिले। मैंने उनसे कहा—मैं सारी सचाई बताना देना चाहता हूँ। नगरवालाने कहा कि उस हालतमें आपको गवाहके रूपमें गवाही देनी होगी, पर मैंने अपना बयान देनेपर जोर दिया। मैंने कहा कि मुझे इस बातकी परवाह नहीं है कि मुझे अदालतमें गवाहके रूपमें उपस्थित किया जायगा या नहीं तो नगरवालाने कहा कि मैं एडवोकेट जनरलसे सलाह



मशविरा कर लें और यदि आवश्यक समझा गया तो गवाहके रूपमें पेश किया जायगा ।

१४ जूनको मुझे अन्य अभियुक्तोंके साथ अदालतमें पेश किया गया । उस दिन मैंने अदालतसे प्रार्थना नहीं की कि मैं सारा भेद खोल देनेको तैयार हूँ ।

जब मैं वम्बईमें पुलिसकी हिरासतमें था तो मईके मासमें मेरी पत्नी रुक्मिणी मुझसे मुलाकात करने आयी । मैंने उससे कहा कि तुम मेरे सारे इन्टुलतलव रुक्का तथा महत्त्वपूर्ण चिट्ठियाँ ले आओ । वह चूँकि अपढ़ थी अतः यह जरूरी था कि कोई एक आदमी उसे सारी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाये ताकि वह उनमेंसे महत्त्वपूर्ण पत्र ही लाये । वह १५ दिन बाद पत्र लेकर पूना लौटी थी । अदालतमें बी ९० नम्बरका जो पत्र दिखाया गया है, उसे मेरी पत्नी ही लायी थी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता ( यह बडगेके नाम लिखा करकरेका पत्र था ) । मैंने यह पत्र पुलिसको नहीं दिया था ।

बडगेको खॉसी आ रही थी । और वह अस्वस्थ था । अतः उसकी प्रार्थनापर स्पेशल अदालतमें सबसे पहली बार उसे बैठनेके लिए स्टूल दिया गया ।

पुलिस अफसर पिण्डोने २२ फरवरीको मेरा वयान लिया था । नगरवाला मुझसे मराठीमें प्रश्न करते और मराठीमें दिये मेरे उत्तरोंका अंग्रेजीमें अनुवाद करते थे, क्योंकि पिण्डो मराठी नहीं जानता था । मेरा वयान हलदीपुर नामक सिपाहीने टाइप किया था । मेरा वयान दो दिनमें लिया जा सका था ।

श्री वनर्जीकी जिरहके उत्तरमें अपनी गवाही देते हुए मुखविर बडगेने कहा कि वम्बईसे दिल्ली रवाना होनेसे पूर्व मेरे पास लगभग ९००) थे । जब मैं १९ जनवरीको दिल्ली पहुँचा तो मेरे पास लगभग ६८०) रह गये थे ।

मैंने इस बातपर ध्यान नहीं किया कि नयी दिल्लीके जिस होटलमें नथूराम गोडसे ठहरा था उसके कमरेमें ताला चाभी थी या नहीं । मैंने यह भी नहीं देखा कि कमरेके अन्दरकी आलमारीमें ताला चाभी थी या नहीं । मैंने गोडसेसे यह नहीं कहा था कि इस "सामान"को नयी दिल्लीके होटलमें रखना महासभा भवनमें रखनेकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित होगा ।

श्री वनर्जी—वया यह सच नहीं है कि १९ जनवरीकी रातको नयी दिल्ली महासभा-भवनमें आपटे, गोडसे तथा करकरेने तुम्हें बुरा-भला कहा था कि वम्बईमें तुम्हें स्वयंसेवक लानेके लिए ३५०) दिये थे, फिर स्वयंसेवक क्यों नहीं लाये और देरसे क्यों आये ? बडगे—“नहीं ।”

वनर्जी—मदनलालको हथगोला क्यों दिया गया था ?

बडगे—यह तय किया गया था कि जैसे ही मदनलाल गनकाउन स्लावसे

विस्फोट करे, मदनलाल सहित हम सब एक साथ महात्मा गान्धीपर गोली चढ़ायें तथा हथगोले फेंकें ।

बडगेने आगे बताया कि मैं करकरेको उस समय तक देखता रहा। जबतक कि खेमेसे तीन चार पुलिसवालोंको मैंने अपनी ओर आते हुए न देखा। इसके बाद करकरे मुझे नहीं दिखायी दिया। वह कहाँ गया, उसपर क्या होती, मुझे यह ज्ञात नहीं ।

मैं तथा शंकर दिल्लीमें बेचनेके लिए अपने साथ ४ हथगोले, २ रिवाल्वर तथा २ गनक्राउन स्लाव नहीं लाये थे। मैं तो बस एक रिवाल्वर तथा उसके लिए ४ कारतूस लाया था। मुझे यह याद नहीं कि वह रिवाल्वर '३२ बोरका था ना '२२ बोरका ।

यह बात सच नहीं है कि मैंने उस सामानको हिन्दू महासभा भवनके पीछे डरकर गाड़ दिया था कि कहीं २० जनवरीको शामको बिदला हाउसमें गिरफ्तार न कर लिया जाऊँ। यह बात भी सच नहीं है कि शरणार्थी होनेके कारण मदनलालने कहा था कि मैं पीड़ित हूँ और किसीको हानि नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तो बस गन-क्राउन स्लावसे धड़ाका कर दूँगा और बादमें गिरफ्तार हो जाऊँगा ।

शंकरके वकील श्री मेहताने बडगेसे शामके ३ बजकर १० मिनटपर जिरह शुरू की ।

बडगेने जिरहके उत्तरमें बताया कि शंकरकी अवस्था २०-२२ वर्षकी होगी। वह मेरे यहाँ लगभग १८ महीनेसे नौकरी करता था। मैं पहले उसे २०) तनफ्वाह देता था, बादमें बढ़ाकर ३०) कर दिये थे। उसके अतिरिक्त वह मेरे घर ही रहता था, खाता तथा मेरे यहाँसे ही कपड़े लेता था। शंकर अधिकांशतः घरका काम-काज करता था। इसके अतिरिक्त जहाँ भी जरूरी होता था, वह 'सामान' लेकर जाया करता था। वह एक आज्ञाकारी नौकर था और कभी भी काम करते समय बड़बड़ता नहीं था। उसने कभी भी मेरी बात नहीं टाली। कभी कभी वह दृठ कर बैठता था, पर वह वैसे ही होता था जैसे कोई बालक अपने पितासे क्रूरता है।

सबसे पहले अण्णा बोनकर शंकरको मेरे पास लाया था। अण्णा बोनकरकी बड़ईगिरीकी दूकान थी। वहाँ पहले शंकर १॥ से २ ६० रोजपर काम करता था। वह पढ़ा-लिखा न था।

मेरी गलीमें ही मेरी बहिन रहती थी, पर मेरे घरसे थोड़ी दूरपर। एक दिन मैंने अपनी बहिनके घरसे २०० ६० लानेके लिए शंकरको एक पुर्जा दिया था। शंकर इसी प्रकार मेरी ओरसे और लोगोंसे भी रुपया वसूल करता था। मैं अपने रिश्तेदारोंसे उधार नहीं लिया करता था।

शंकरको 'सामान' देकर मैं अकेले ही उसे बम्बई भेज देता था और मैं खुद बादमें जाया करता था। कभी-कभी मैं उसके साथ-साथ जाता।

बढ़ने आगे कहा कि महात्मा गान्धीकी हत्याके पड़्यन्त्रमें मैंने जान-बूझकर भाग लिया था। मैं इसका परिणाम भोगनेको तैयार था। अतः मेरे बच जाने या छूट जानेकी चेष्टा करनेका कोई प्रयत्न नहीं उठता। पूनामें हो रहे दंगेके कारण मेरे दिमागमें कुछ चिन्ता रहती थी, वरना मुझे अपने भविष्यके बारेमें कतई चिन्ता नहीं थी। मेरी गिरफ्तारी हो जानेपर मेरा भाई नारायण मेरी पत्नी तथा परिवारको लेकर केवल एक बार मुलाकात करने बम्बई आया था। नारायण बम्बई पुलिसमें एक सिपाही है। यह बात गलत है कि जब मैं और शंकर मेरीना होटल गये तो मैंने जरने कहा था कि यह भिखारियोंके आनेकी जगह नहीं है। मेरी आमदनी १९४७ में प्रति-मास ५० से लेकर २००० तक होती थी, पर महीनेके आखीरमें कुछ बचता नहीं था। अपनी परवरिश करना और देश-सेवा करना मेरा उद्देश्य था इसलिए मैं हिन्दुओंको मुफ्तमें हथियार दिया करता था। धन बचाकर अमीर होनेकी बात मैंने कभी नहीं सोची। मेरी पत्नी और बच्चोंको संभालनेवाला कोई नहीं है। वे भूखों मर रहे होंगे। मैं गिरफ्तार हुआ तो उनको उनके नसीबपर छोड़ दिया। यह बात ठीक नहीं है कि मैंने शंकरसे २० जनवरीको सवेरे हिन्दू महासभाके दफ्तरके पीछे 'सामान' गढ़ देनेके लिए कहा ताकि जब आवश्यकता पड़े वह दिल्लीमें शरणार्थियोंके हाथ बेचनेके लिए या बम्बई वापस ले जानेके लिए निकाला जा सके। शंकर २० जनवरीको दिनभर हिन्दू महासभाके दफ्तरमें नहीं रहा, वह मेरे साथ मेरीना होटल गया और वहाँसे विड़ला भवन और मेरे साथ ही वहाँसे महासभा-भवन वापस आया।

यह भी सच नहीं है कि मैंने इसलिए महासभाके दफ्तरके अलमारेमें ताला नहीं लगाया कि शंकर वहाँ देख भाल करता रहा।

५-१० की छोटी-मोटी रकम छोड़कर मैंने शंकरको दिल्ली जानेपर या बम्बई लौटनेपर कोई रकम नहीं दी।

### ३० जुलाई

आशा थी कि आज मुखविर बड़गसे बचाव पक्षके वकीलोंकी जिरह समाप्त हो जायगी और वाकीके दिनमें अदालतकी ओरसे गवाहका बयान उसे सुनाया जायगा ताकि गवाह सुनकर उसपर हस्ताक्षर कर दे। अतः आज अदालतकी काररवाई ११। बजे आरम्भ हुई।

आरम्भमें गोपाल गोडसे तथा ( डा० ) परचुरेके वकील श्री इनामदारने अदालतका ध्यान इस ओर दिलाया कि सवूत पक्षने मुखविरकी सबसे अन्तमें गवाही

देनेकी पेश किया है, इससे मेरे सुअधिकृत गोपाल गोलघेके प्रति बहुत सी भ्रान्त धारणाएँ पैदा हो गयी हैं। मैं जानता हूँ कि सवृत पक्षको दस बातके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे जिस क्रमसे गवाह पेश करना चाहते हैं, वैसे पेश न करके किसी और क्रमसे गवाह पेश करें। पर मैं यह धाशा अवश्य करता हूँ कि वे इस क्रमसे गवाहोंको भविष्यमें पेश करें ताकि मेरे सुअधिकृतका मामला न बिगड़े।

### अभियुक्त शंकरने खुद बडगसे जिरह की

अभियुक्त शंकर क्रिस्तय्याने उठकर अदालतसे कहा कि कल मेरे वकील नेहलाने बडगसे जो प्रश्न पूछे वे मेरी पूर्व सहमतिके अनुकूल न थे, अतः मैं स्वयं बडगसे जिरह करना चाहता हूँ। जजने सवृत पक्षसे सलाह-मदाविरा करके उसे जिरह करनेकी आज्ञा दे दी। शंकरसे कहा गया कि वह माइक्रोफोनपर आकर जोरसे प्रश्न करे। शंकरने तेलगूमें प्रश्न किये और तेलगूके दुभाषिये एम० कमलन्माने इशका अनुवाद किया।

शंकरके प्रश्नके उत्तरमें बडगने बताया कि मेरीना होटलमें मेरी और शंकरकी बातचीत मराठीमें हुई थी। मैंने शंकरको होटलमें कोई हिदायत नहीं दी थी पर जब हम जीनेसे नीचे उतर रहे थे, तो मैंने शंकरको बताया कि हथगोला ( वम ) तथा पिस्तौल कैसे चलाते हैं और इनका क्या उपयोग करना है। मैंने शंकरको यह नहीं बताया कि होटलके कमरेमें अन्य अभियुक्तोंसे क्या क्या बातें हुईं। जब हम लोग कमरेमें अन्दर हथगोलों तथा गनकाटन सजाव्योंको ठीक कर रहे थे, तो शंकर हमारे साथ नहीं था, वह अलग खड़ा रहा।

महासभा-भवनके पीछे जब शंकरने पेटकी ओर पिस्तौल चलायी थी तो आपटेने उससे पिस्तौल चलानेकी कहा था। शंकरने अपनी इच्छासे गोरी नहीं चलायी। शंकरने पिस्तौल चलानेमें असमर्थता तक प्रकट की थी, पर आपटेने उससे कहा था कि घोड़ा तो दबाओ।

२० जनवरीको प्रातः जब आपटे, मैं तथा शंकर बिशला हाऊस गये थे तो मैंने शंकरको कुछ करनेकी हिदायत नहीं दी। वह केवल कारके पास खड़ा रहा और हम दोनों अन्दर प्रार्थना-स्थल देखने चले गये थे। २० जनवरीकी शामकी प्रार्थना-सभामें जब हम गये थे तो शंकर गान्धीजीकी वायों ओर खड़ा था। शंकरने सुझने कभी भी यह प्रश्न नहीं किया था—आखिर यह सब क्यों हो रहा है ?

शंकरने मुझसे पूनामें यह भी नहीं पूछा कि हम लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं। मैंने ही उसे बताया था कि गोडसे तथा आपटेके कहनेपर हम दिल्ली जा रहे हैं। जब मैं,

गोडसे, आपटे तथा शंकर, सावरकरके मकानपर बम्बईमें गये थे तो शंकर कारके पास खड़ा रहा और मकानमें नहीं घुसा था ।

शंकर—मान लो कि गान्धीजीकी हत्याके लिए ही यह सारा पड्यन्त्र चल रहा था, तो क्या मैं उसके बारेमें जानता था ?

बडगे—“पूना, बम्बई तथा दिल्ली आनेपर भी तुम्हें तबतक इसका पता नहीं था जबतक कि मैं और तुम मेरीना होटलके जीनेमें नीचे नहीं उतर रहे थे और मैंने तुम्हें बताया था कि गान्धीजीकी हत्याका पड्यन्त्र हो रहा है, यद्यपि तुम सबके साथ आते जाते रहते थे ।

इसके बाद इनामदारने १२ बजे जिरह आरम्भ की । बडगेने जिरहके उतारमें कहा कि १९ जनवरीको मैं, शंकर, गोपाळ गोडसे तथा मदनलालके साथ रात ११॥ बजे तक जागता रहा । २० जनवरीको प्रातः ५ बजे उठा और कसरत की । उस दिन सवेरे बूँदावादी हो रही थी और लगभग ७॥ बजे तक होती रही ।

२० जनवरीको गो गल गोडसेके पास एक विस्तर तथा लोहेका बक्स था । मैंने पुलिसको दिये अपने बयानमें कहा था कि करको तथा मदनलाल “सामान” (अर्थात् वम तथा बाहुदी रुई आदि ) मेरीना होटल ले गये, पर पुलिसने सामानका अर्थ विस्तर आदि लगाया ।

हिन्दू महासभाका प्रचारक तथा कितानें बेचनेवाला होनेके कारण मुझे बोलने ( वातचीत करने ) की बहुत आदत थी, पर मैंने भाषण कभी नहीं दिया ।

बडगेने कहा कि यह बात सर्वथा गलत है कि २० जनवरीको मेरीना होटलके उस कमरेमें जिसमें नथूराम ठूरा था, मैंने बिड़लाभवनमें २० जनवरीको हुए काण्डके सिलसिलेमें हुई गरमागरम बहसमें भाग लिया था । वहाँ तो ऐसी कोई बहस हुई ही न थी ।

बडगेने आगे बताया कि यह बात भी गलत है कि नथूराम गोडसेने हम लोगों से कहा था—‘ मेरे सिरमें दर्द है । मुझे तंग न करो । अगर आप लोगोंको बहस करनी है तो स्नानशुद्धमें चले जाओ ।’

२० जनवरीको जब मैं गान्धीजीकी दाहिनी ओर २० कदमपर खड़ा था, तो किसिने आपत्ति नहीं की थी । पहले तीन चार मिनट तक मैं गान्धीजीकी ओर मुँह किये खड़ा था । जब मैंने देखा कि मदनलालको पुलिसके सिपाही गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो मैं भीड़की ओर मुँह करके खड़ा हो गया । वहाँ ५-७ आदमी खाकी वरदी पहने हुए थे, पर उनके पास कोई हथियार न था । मैं नहीं कह सकता कि वे पुलिसके आदमी थे या फौजके । जब मैं प्रार्थना-सभामें था तो टैम्बो ड्राइवर बया कर रहा है यह मैं नहीं देख रहा था ।

जब मैं प्रार्थना-सभासे महासभाके दफ्तर पहुँचा तो जल्दी ही मैं दिल्ली स्टेशन-को रवाना हो गया। मैं महासभामें कोई २५ मिनट रहा हूँगा। मैं जब वहाँसे चला तो दफ्तरके हाट या कमरेके दरवाजेमें ताला नहीं लगाया। मैंने कमरा भी किसीको नहीं सौंपा। मदनलाल तथा गोपाल गोडसेके विस्तर वहाँ पड़े हुए थे।

गवाह बढगेने आगे कहा कि २० जनवरीको महासभा-भवनका चौकीदार सुझे नहीं मिला। १९ जनवरीको जब मैं रातमें महासभा-भवन पहुँचा तो चौकी-दारसे मिला था। मैंने उससे पूछा कि हमारे ठहरनेके लिए कौनसी जगह है। सुझे उसका नाम नहीं मालूम पर उसका रंग काला था। मैं नहीं कह सकता कि उसका नाम रामसिंह था या कुछ और। उसकी अवस्था यही २८-३० वर्ष-की होनी।

श्री इनामदार—उसका रंग कितना काला था ?

गवाह पक्षके वकील श्री डांगेकी ओर उँगली उठाकर बढगेने कहा कि इनके जितना काला होगा, पर इनके इतना तगड़ा नहीं था।

वकील इनामदारने जब बढगेसे पूछा कि जब रिवाल्वर चलते हैं तो निशाना कैसे साधते हैं, तो बढगेने बताया कि रिवाल्वर चलानेके लिए पहले उसे कानके समीप लाओ, हाथ सीधा करो और घोड़ा दबा दो।

मध्य जनवरीमें जब मैं बम्बई गया था तो मेरा ध्यान अपने उसी उद्देश्यकी ओर रहा जिसके लिए मैं वहाँ गया था। अतः मैं नहीं कह सकता कि उन दिनों वहाँ प्रदर्शन हो रहा था या नहीं।

बढगेसे जिरह २ बजकर ४५ मिनटपर समाप्त हुई।

श्री दफ्तरी बढगेसे फिर प्रश्न करना चाहते थे। अतः उन्होंने इसकी स्वीकृति माँगते हुए सबसे कहा—“मुखबिरने अपनी सारी गवाहीमें ‘देखा’ और ‘मिला’ शब्दोंका भेद रखा है।”

जज—“उसके बयानका मराठीसे अंग्रेजीमें अनुवाद किया गया है। इसलिए इन शब्दोंका भेद मैं इस समय कैसे कर सकता हूँ।”

श्री दफ्तरी—“मैं केवल यह चाहता हूँ कि श्रीमान्जि इन शब्दोंका भेद ध्यानमें रखें।” दफ्तरी गवाहसे इसलिए प्रश्न करना चाहते थे कि जिरहमें बहुतसी बातें ऐसी आ गयी हैं जिनके विषयमें कि गवाहने अस्पष्ट तथा सन्दिग्ध बातें कही हैं। सचूत पक्षके वकीलने कुछ महत्वपूर्ण कागज तथा सामान अधिकृत रेकार्डके रूपमें स्वीकार किये जानेकी प्रार्थना की, ताकि कुछ अस्पष्ट बातोंका अर्थ साफ हो जाय।

श्री दफ्तरी चाहते थे कि निम्न बातोंके स्पष्टीकरणके लिए अशरत गवाही स्वीकार कर ले—(१) सावरकरके मकानमें सड़क कितनी दूर है। (२) गोडने

तथा आपटे किन किन व्यक्तियोंसे सलाह किया करते थे। (३) जूटके थैलेको अदालत प्रदर्शनार्थ रखी वस्तुओंमें शामिल कर ले तथा (४) वे प्रार्थना-पत्र जो कि मुखविरने श्री जे० नगरवालाको दिये थे जिनमें कहा गया था कि मैं सारी सचाई खोल देना चाहता हूँ।

जूटके थैलेके बारेमें जजने कहा कि थैलेका अदालती प्रदर्शनार्थ वस्तुओंमें शामिल करनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

बडगेने अदालतमें वह थैला पहचाना जिसमें रिवाल्वर और दृशगोला रखकर वह प्रार्थना-समा ले गया था।

इसी थैलेमें उसने २० जनवरीको प्रार्थना-सभामें जाकर वह रिवाल्वर बंद करके ट्रैन्सीमें रखा था। इस थैलेमें एक पेंसिल, दौतका मंजन, साबुन तथा एक दीशा भी था।

श्री दफ्तरीके द्वारा प्रश्न करनेपर बडगेने बताया कि सावरकरके मकान और सड़कके किनारेके बीच जहाँ कि-कार खड़ी हुई थी, १५ से २० फुट तकका फासला है। इस फासलेमें सड़ककी पटरी भी शामिल है। दीक्षित महाराजके घर तथा काटन एक्सचेंजकी बिल्डिंगके बीच ११-२ फर्लांगका फासला है।

बडगेने जिरहके दौरानमें कहा था कि गोउसे तथा आपटे स्वतन्त्र बुद्धिसे काम करते थे, पर वे कभी कभी कुछ व्यक्तियोंसे सलाह मशविरा भी किया करते थे।

श्री दफ्तरी—“वे ‘कुछ व्यक्ति’ कौन कौन हैं ?”

बडगे—“अ० भा० हिन्दू महासभाके तत्कालीन अध्यक्ष।”

श्री दफ्तरी—“कोई और ?”

बडगे—ये प्रायः तादयाराव (सावरकर), अण्णाराव भोपटकर तथा जी० बी० वैतकरसे सलाह मशविरा किया करते थे।

बवाव पक्षकी ओरसे केवल इनामदारने यह इच्छा प्रकट की कि श्री दफ्तरी द्वारा द्वारा प्रश्न करनेपर मैं द्वारा जिरह करना चाहता हूँ। श्री इनामदारके प्रश्नोंके उत्तरमें बडगेने कहा कि जिस थैलेकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले शिनाख्त की है, वह मुझे गिरफ्तारीके बाद कभी भी नहीं दिखाया गया। मैंने इस थैलेकी इससे पहले कहीं भी शिनाख्त नहीं की।

### २१ जुलाई

आज पहले पहले शनिवारकी अदालतकी काररवाई हुई। पिछले नौ दिनोंमें बडगेने जो गवाही दी उसकी ६८ पेजकी रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनायी गयी और उसपर अदालतने बडगेका हस्ताक्षर लिया। बडगेने कुछ परिवर्तन सुझाया जिसे अदालत-

ने लिख लिया। ३० जनवरीको नथूरामके पास विदला-भवनमें ५९२) की रकम मिली थी। वह उसे आज लौटा दी गयी। आपटेकी कुछ किताबें देनेकी भी अनुमति अदालतने दी, पर कहा कि पहले सरकारी वकील उन किताबोंको देख ले।

शंकरके वकील श्री हंसराजने अदालतमें दर्खास्त दी कि शंकरने कल खुद ही बढगेसे जिरह की, इसपर मुझे आपत्ति है। मैं हर बार अपने मुअकिलसे सलाह लेकर जिरहके सवाल पूछा करता था फिर भी शंकरने आपत्ति की है। इससे मालूम होता है कि २९ जुलाईकी रातमें कुछ ऐसी बात हुई है जिससे शंकरने यह नया शिगूफा छोड़ा। ऐसी स्थितिमें शंकरके वकीलका काम करनेमें मेरी स्थिति विकट हो गयी है। अदालत मुझे इस मामलेमें सलाह दे।

अदालत सोमवारको इस दर्खास्तपर त्रिचार करेगी।

## अदालतोंके सभी रेकार्ड मात

गान्धी-हत्याकाण्डके सुलतानी गवाहकी आज जब गवाही समाप्त हुई तो मोटे अन्दाजके अनुसार उसने करीब इतनी सामग्री कही, जिससे कि २०० पृष्ठकी किताब आसानीसे बन सकती है। जज श्री आत्माचरणने जो कुछ नोट किया उसमें भी २५ हजारके करीब शब्द और ३२ दोनों तरफ छपे हुए पृष्ठ हैं।

बढगेकी गवाही आजका दिन मिलाकर पूरे १० दिन चाल रही। इस समयमें उसने ४० घण्टेसे अधिक समय गवाहीमें दी और यद्यपि वह थोड़ा ही अस्वस्थ है, लेकिन, फिर भी पूर्ववत् स्वीकृतिसे अन्त तक उत्तर देता रहा।

बढगेकी गवाही दिल्ली और बम्बईकी अदालतोंके सभी रेकार्ड मात करती है।

यद्यपि बढगेकी शाही माफीनामा मिल गया है, लेकिन उसकी मुक्ति तभी होगी, जब अदालत फैसला सुना देगी। इसमें अभी नहींनोंकी देर है।

## २ अगस्त

आज सूच्यत पक्षकी ओरसे पूर्वी पंजाबकी वैज्ञानिक प्रयोगशालाके लार्देक्टर डा० डी. एन. गोयल अगले गवाहके तौरपर पेश किये गये।

गवाहने कहा कि मैं १९३५ से पंजाबकी सी. आर्. टी. प्रयोगशालाका अध्यक्ष



रहा और पंजाबके वैंटवारेके बादसे पूर्वी पंजाबकी सी. आई. डी. प्रयोगशालाका अध्यक्ष हूँ ।

सहायक सव-इन्स्पेक्टर धालराम दिल्लीके डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिससे १ पत्र और ४ मुहरबन्द पार्सल लाया था, जिनपर ९ फरवरी १९४८ की तिथि अंकित थी ।

पुलिस ट्रेनिंग स्कू के प्रिंसिपल डी. सी. लालने अपने हस्ताक्षर करके उन पत्रोंको प्रमाणित किया था । श्री लाल इस समय जाऊन्धरकी पुलिसके डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरल हैं । मैं श्री लालके हस्ताक्षरको पहचानता हूँ । जो वस्तुएँ सहायक सव-इन्स्पेक्टर मेरे पास लाया था, मैंने उनकी जाँच करके, उनपर अपनी रिपोर्ट लिख, उनको लौटा दिया ।

गवाहने भागे बताया कि मुझे यह जाँच करनेके लिए कहा गया था कि बी. और सी. पार्सलोंमें बन्द ३ खाली कारतूस क्या ए. पार्सलमें रखी हुई पिस्तौलसे छोड़े गये थे ? ३९ नं० की प्रदर्शित वस्तु ( एक्जिजिट ) वही पिस्तौल है, जो ए. नम्बर के पार्सलमें रखी हुई थी ।

बी. पार्सलमें दो प्रयुक्त गोलियाँ थीं, जिनपर अब ११ और १२ नं० पढ़ा हुआ है ।

सी. पार्सलमें खाली कारतूसका खोल था, जो यहाँपर ५५ नं० की वस्तु है ।

पार्सल डी. में ४ अप्रयुक्त कारतूस थे । मैंने परीक्षणके लिए उनको पिस्तौलमें भरकर चलाया, ये कारतूस डूबहू, शकल सूरत और मारमें भी ए. और बी. पार्सलके कारतूसोंके सदृश थे ।

बी. और सी. पार्सलोंके खाली कारतूस अवश्य ही ए. नम्बरके पार्सलमें रखी हुई पिस्तौलसे चलाये गये होंगे ।

मैंने तीनों प्रयुक्त कारतूसोंकी सूक्ष्मवीक्षण यंत्रसे भी जाँच की और यह निश्चय करनेके लिए कि वे ए. पार्सलकी पिस्तौलसे छोड़े गये थे, उन तीनों कारतूसोंके खोलोंकी परस्पर जोड़ी बनाकर जाँच की ।

दो भिन्न भिन्न पिस्तौलोंसे छोड़े हुए दो कारतूसोंपर एक जैसे चिह्न नहीं पड़ते । एक ही प्रकारके दो अस्त्र भी कारतूसोंपर एक जैसे चिह्न नहीं बनाते । तीनों प्रयुक्त कारतूसोंपर विलकुल सदृश निशान थे ।

मैंने स्वयं डी. पार्सलके अप्रयुक्त कारतूसोंको लेकर उन्हें ए. पार्सलकी

पिस्तौलसे छोड़ा। उसके बाद मैंने उन्हें वी. और सी. पार्सलके खाली कारतूसोंके मिजाया। उनपर विलकुल उनके समान ही निशान पड़े थे।

मैंने उनके दो माइक्रो फोटो भी लिये। उन दोनों फोटोंमें विलकुल एक ही तरहके निशान थे।

मैंने प्रयुक्त की हुई सब गोलियोंकी जाँच की और यह देखा कि उन कदर ६ लीकें थीं। पहले मैंने उन लीकेंकी बिना अणुवीक्षण यन्त्रकी सहायताके जाँच की। उसके बाद अणुवीक्षण यन्त्रसे भी देखा कि न केवल वे लीकें किन्तु अन्य भी स्थूल आँखसे न देखनेवाले अत्यन्त छोटे छोटे-निशान भी, सबपर एक जैसे बने हुए थे।

मेरे पास इस समय ४ खाली कारतूसोंके खोल मौजूद हैं। इनके अन्दरकी गोलियोंको मैंने अपने परीक्षणके लिए चलाया था। अदालतने इन खोलोंको अपनी दर्शनीय वस्तुओंमें शामिल कर लिया।

अपनी गवाही जारी रखते हुए गवाह गोयलने कहा कि ३ मार्चको मुझे दिल्लीकी सी. आई. डी. के पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टसे एक सुहरबन्द पार्सल मिला था, जिसके साथ एक पत्र भी था जिसपर १ मार्चकी तारीख पड़ी हुई थी। पार्सलमें लकड़ीके ३ टुकड़े थे जो प्रदर्शनीय वस्तुओंमें, ३३, ३४, और ३५ नं० की हैं। मैंने उनकी जाँच की और यह परिणाम निकाला कि इन लकड़ियोंपर अवश्य ही वे गोलियोंके निशान हैं। तथापि इन लकड़ियोंमें कोई गोली नहीं मिली। लकड़ियोंपर बने हुए निशान इस प्रकारके थे, कि केवल ऊपरी देखरेखसे तो वे ऐसे माट्टम पड़ते थे, जैसे वे चाकू जैसी किसी काटनेवाली वस्तुके निशान हों। इसके बाद गोलीके वास्तविक निशानोंकी मैंने सूक्ष्म रासायनिक परीक्षा की, जिससे मुझे वहाँ पर सीसे और शोरेकी उपस्थितिका ज्ञान हुआ। इनसे मैं इसी परिणामपर पहुँचा कि वे निशान गोलियोंके ही हैं।

मैं पंजाब विश्वविद्यालयका डी० एस०सी० हूँ।

नथूराम गोडसेके वकील ओककी निरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यदि १०-१२ फुटकी दूरीसे लकड़ीके टुकड़ेपर गोली चलाई जाय, तो उसमें खतमके निशान पड़ भी सकते हैं, और नहीं भी पड़ सकते। किन्तु यदि

गोली नहीं है, जिसे लकड़ीके टुकड़ेपर प्रहार किया गया है, तो लकड़ीपर शोरा मौजूद नहीं हो सकता ।

इसके बाद आपटेके वकील मैंगलेने गवाहसे जिरह की । गोयलने बताया कि पिछले १४ सालसे मैं भिन्न भिन्न प्रकारके हथियारोंकी जाँच किया करता हूँ । रिवाल्वरके कारतूस पिस्तौलके कारतूससे भिन्न होते हैं । ३२ बोरके पिस्तौलका कारतूस ३२ के बोरके रिवाल्वरसे नहीं छोड़ा जा सकता ।

बचाव पक्षके वकील श्री वनजीने अदालतसे कहा कि बडगेको माफी देकर उसे मुखविर बना लेनेके लिए अदालतको अधिकार देनेवाला आर्डिनेंस उस आर्डिनेंसकी शक्तिसे बाहर चला जाता है, जिसके मातहत यह खास अदालत वैठायी गयी है । उन्होंने कहा कि इस आधार अदालतमें बडगेकी गवाही अस्वीकार्य हो जाती है ।

श्री वनजीने आगे कहा कि २१ जूनको तीसरे पहर बडगेको माफी देनेके लिए जब अदालतका इजलास वैठा था, तब न बडगे और न उसका वकील ही उपस्थित था । इस प्रकार बडगेको शाही माफी देना अदालतके अधिकारसे बाहरकी बात है ।

जज श्री आत्माचरणने कहा कि यदि वनजी चाहें तो वे अभी यह प्रश्न उठाकर उसपर विवाद कर सकते हैं । किन्तु वनजीने कहा कि वे इस प्रश्नको बादमें उठावेंगे ।

आपटेके वकील मैंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाह डा० गोयलने कहा कि सम्भवतः पिस्तौलके कारतूस रिवाल्वरसे नहीं छोड़े जा सकते ।

इसके बाद करकरेके बचावपक्षीय वकील डांगेने गवाहके साथ जिरह की । गवाहने बताया कि इन कारतूसोंकी जाँच करते समय मैंने उन निर्देशोंका ध्यान रखा, जो साथ भेजे गये एक पत्रमें लिखे थे । भेजे गये कारतूसोंकी जाँचके लिए मुझे डी० पार्सलके चारो उपयुक्त कारतूसोंको स्वतः चलाना पड़ा । यदि पार्सलमें और कारतूस होते, तो मैं और भी चलाकर अपने अनुसन्धानको पुष्ट कर सकता था ।

मदनलालके वकील श्री वनजीके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि जिन लकड़ियोंकी मैंने परीक्षा की थी, उनमें मैंने यह नहीं पता लगाया कि कुल कितना सीसा है । हो सकता है कि सीसेके साथ ओषजन मिश्रणसे सीसेका

ओषित बन गया हो । उस ओषित समाससे मैंने सीसेके तत्वको अलग नहीं किया ।

इसके बाद गोपाल गोडसे और डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारने गवाहके साथ जिरह की । गवाहने बताया कि मैंने जाँच करते समय लकड़ीके टुकड़ेमे विद्यमान सीसेको नत्रकाम्लमें नहीं बोला । मुझे नहीं मालूम कि पेड़के तनेमें नत्रकाम्ल होता है या नहीं ।

इसके बाद अदालतने अभियुक्त शंकरसे पूछा कि गवाहसे क्या तुम भी कुछ जिरह करना चाहते हो ? शंकरने कहा कि मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है क्योंकि मुझे इस गवाहमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब जजने उससे पूछा कि उसके वकील हंसराज मेहताने शनिवारको अदालतको जो आवेदनपत्र दिया था उसके विषयमें तुम्हें क्या कहना है ।

हंसराज मेहताने यह पूछा था कि जब अभियुक्त शंकरने स्वयं गवाह वडगोसे जिरह की, तो अब मेरी सेवाओंकी आवश्यकता नहीं है ।

शंकरने कहा कि मेरे वकील जेलमें या अदालतमें मुझसे जो बात करें उसके लिए मैं एक तेलगू जननेवाला दुभाषिया चाहता हूँ, जिससे भविष्यमें भाषाके विषयमें कोई कठिनाई न हो । स्मरण रहे कि शंकर केवल तेलगू जानता है, और उसके वकील तेलगू समझ नहीं सकते ।

इसके बाद सरकारी वकील श्री पी. के. दफ्तरीके पुनः सवाल पूछनेपर गवाहने बताया कि दिल्ली पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलके पत्रसे उनके परीक्षणों और गणनाओंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

इसके बाद अदालतने गवाहसे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की—

वैज्ञानिक प्रयोगशाला सी० आई० डी० डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरलकी अध्यक्षतामें है । प्रयोगशालाके स्थानीय अध्यक्ष पुलिस ट्रेनिंग स्कूलके सिस्-पल हैं । गवाहको पुलिस विभागसे वेतन मिलता है ।

अगले गवाह चम्पईके सी ग्रीन होटल, मैरीन ड्राइवके मैनेजर सत्यवान भिलाजी राठेको पेश किया गया । पी० के० दफ्तरीके एक प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि पुलिस १२ फरवरीको मेरे होटलमें आयी थी वर लंदेरे रजिस्टर देखने आयी थी, जिसकी सूचना शामको ४॥ बजे मेरे होटल आने-

पर मुझे दी गयी । उसी दिन रातको १०॥ बजे फिर पुलिस आयी और मेरे रजिस्टरको ले गयी उस समय भी मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था ।

अगले दिन सायं ४॥ बजे मैं स्वयं सी० आई० डी० के दफ्तर गया । रजिस्टरमें नारायणराव डी० और वी० कृष्णाजीके बारेमें मुझसे पूछा गया । पुलिसने मेरा बयान लिखा । मुझे याद है कि जिन परिस्थितियोंमें उन दिनों उन व्यक्तियोंके लिए कमरे रिजर्व किये गये थे । २ फरवरी १९४८ को नारायणराव नामका एक व्यक्ति होटल आया, और दो आदमियोंका कमरा ठहरनेके लिए रिजर्व कराया । मैं उसे पहिलेसे नहीं जानता था । इस व्यक्तिने रजिस्टरपर स्वयं हस्ताक्षर किये और अपना नाम नारायणराव बतलाया । नारायणरावने कहा कि मेरा एक मित्र भी है, जो अभी स्टेशनपर ही है ।

गवाह कठघरेके पास गया और नारायण दत्तात्रेय आपटेके पास जाकर बोला कि यही नारायणराव डी० है ।

गवाहने आगे कहा कि मैंने तो नारायणरावके कथित मित्रको कभी नहीं देखा, कमरेमें नारायणराव ही अकेला रहा ।

रजिस्टरमें नारायणरावने केवल अपना नाम लिखा था । रिजर्व किये हुए कमरेका नम्बर मेरे हाथका लिखा हुआ है । दूसरा वी० कृष्णाजीका नाम भी नारायणरावके हस्तलेखमें है ।

३ और ४ फरवरीको १ न० और ए-६ नम्बरके कमरे खाली होनेवाले थे । नारायणरावने दो सुलहनामे तैयार किये जिनपर क्रमशः नारायणराव डी० और वी० कृष्णाजीके हस्ताक्षर थे । २ फरवरीको ७॥ बजे शामको मैं होटलसे चला गया । अगले दिन १०॥ बजे मैं फिर होटलमें आया । उस समय मैंने नारायणरावके साथ एक महाराष्ट्रिय महिलाको देखा ।

४५ मिनट बाद नारायणराव मुझसे मिला और उसने कहा कि होटलने मुझे दो शय्याका कमरा नहीं दिया, इसलिए अब मैं इस होटलको छोड़ रहा हूँ । उसने कहा कि मैं 'आर्यपथिकाश्रम' जा रहा हूँ और ११-१५ पर वह चला गया ।

उसी दिन शामको नारायणराव फिर होटल आया—वह धोती भूल गया था । उसने मुझे प्रत्येक कमरेके ११) किरायेके दिये । इसके बाद मैंने नारायणरावको पुलिस शिनाख्त परेडमें और फिर उसके बाद आज यहाँ पर देखा है ।

गवाहसे फिर जिरह नहीं की गयी ।

### ३ अगस्त—अभिनेत्री कुमारी शान्ता मोडककी गवाही

आज पूनेमें दक्षिण जिमखानामें रहनेवाली अभिनेत्री शान्ता मास्कर मोडककी गवाही ली गयी ।

शान्ताने कहा “मैं पूनामें रहती हूँ, काम अधिकांश मेरा बम्बईमें ही है । मेरा भाई शिवाजी पार्क, बम्बईमें रहता है । मुझे याद है कि १४ जनवरीको मैं पूना एक्स्प्रेसमें बैठकर पूनासे बम्बई गयी थी । मैंने दूसरे दर्जेका टिकट खरीदा था । जब मैं खिड़कीके पास अग्ने लिए जगह हूँढ़ रही थी तो एक व्यक्तिने पूछा कि मुझे किस चीजकी जरूरत है । मैंने उससे कहा कि मैं खिड़कीके पास बैठना चाहती हूँ । उस महानुभावने कहा कि मैं आपको अपना स्थान दिये देता हूँ, आप शौकसे बैठिये । वह उठ गया । तब मैं उसकी जगहपर बैठ गयी । इसके बाद वह मेरे सामने ही एक बेंचपर बैठ गया । प्रत्येक बेंच पर दो सीट होती हैं । जब गाड़ी चल रही थी, तो एक दूसरा महानुभाव आया और उस व्यक्तिकी बगलमें आकर बैठ गया । मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों महानुभाव एक दूसरेसे परिचित हैं ।”

गवाहने उक्त दोनों व्यक्तियोंकी पहचानमें कठघरेमें खड़े हुए आपटे और नथूराम गोडसेकी ओर इशारा किया ।

गवाहने कहा कि जिस महानुभावने मुझे अपनी सीट दी थी उसने मुझसे पूछा “क्या आप ‘बिम्बा’ हैं ?” मैंने कहा—“हाँ” । थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसके साथ मेरा वार्तालाप भी हुआ करता था । दोनों महानुभाव आपसमें भी बात करते थे । जब दादर स्टेशन पास आ गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ‘आप कहाँ जा रही हैं ?’ मैंने कहा—‘मैं शिवाजी पार्क जाऊँगी ।’ मैंने उनकी आपसी बातचीतसे पता लगाया कि वे शिवाजी पार्कमें साबरकर-सदन जा रहे थे । मैंने उनसे कहा कि जैसे तो मुझे अपने भाईके स्टेशनपर ही आ जानेकी आज्ञा है, लेकिन अगर वह नहीं आया, तो हम सब इकट्ठे साथ ही शिवाजी पार्क चलेंगे । उन्होंने मेरी बात मंजूर कर ली ।

स्टेशनपर मेरा भाई आ गया और उसकी जीपपर हम सब रवाना हुए । मेरे भाईने मुझसे कहा था कि वह जीपको अपने पाठसे निकालना चाहता

है। उन महानुभावोंने कहा कि उस जीपको वे खरीद लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनोंतक न तो वे पूनामें होंगे, न बम्बईमें। लौटनेपर जीपको खरीद लेंगे। मेरे भाईका घर और सावरकर-सदन एक सड़कपर उसके एक ही ओर पास-पास हैं। दोनोंके बीचमें खुला स्थान है।

उस रातको हम उन दोनों महानुभावोंको 'सावरकर-सदन' छोड़कर अपने घर लौट आये। मैंने केवल यही देखा कि वे सावरकर-सदन जा रहे थे।

बादमें पुलिस मुझे उनकी शिनाख्त करनेके लिए बम्बई ले गयी।

नथूराम गोडसेके वकील श्री ओककी जिहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने उन महानुभावोंको सावरकर-सदनमें घुसते हुए नहीं देखा।

करकरके वकील डांगेको गवाहने जवाब दिया कि मैं बम्बई विश्वविद्यालयकी स्नातिका हूँ। मैं प्रति दिनको घटनाओंका व्योरा लिखनेके लिए अपने पास कोई डायरी नहीं रखती। यह बात सच है कि दोनों महानुभावोंमेंसे एकने मुझसे यह कहा था कि हम गाँवोंमें प्रचारकार्य करते हैं। मैंने उन्हें १४ जनवरी, १९४८ से पहले कभी नहीं देखा।

सावरकरके वकील एल० वी० भोपटकरकी जिहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यह सच है कि बम्बईके चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट ब्राउनके सामने मैंने अपना बयान दिया था। पुलिसके सामने भी मैंने अपना वक्तव्य दिया था। मजिस्ट्रेटको मैंने अपने बयानमें यह नहीं बताया था कि उन दोनों महानुभावोंने मुझसे यह कहा था कि अभी तो वे बम्बई और पूनासे वाहर जा रहे हैं, लौटनेपर वे जीपको खरीदनेकी बात सोचेंगे। पहले मेरा बयान पुलिसके सामने लिया गया था।

इसके बाद आपटेके वकील मेंगलेने जिह की। गवाहने कहा कि मैं १२ फरवरी १९४८ को पुलिस थाने गयी थी। उस समय और उसके बाद मैंने किसी भी सरकारी उच्चाधिकारीको न तो फोन किया और न उसके पास कोई सन्देश ही भेजा।

परचुरे और गोमाल गोडसेके वकील इनामदारकी उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि मैं क्राफर्ड मार्केट थानेमें पुलिसको बयान देने गयी थी। उस समय मुझे कोई भी अभियुक्त नहीं दिखायी दिया।

## ६१ वाँ गवाह

दूसरा गवाह एल्फिंस्टन होटल, बम्बईका साझेदार कादमरी लाल था ।

उसने कहा कि २४ जनवरीको दो व्यक्ति मेरे पास आये थे । मैंने उन्हें दो घट्टिया भौंवाला एक कमरा दिया था । २६ जनवरीकी शामको उनमेंसे एक व्यक्तिने कहा कि हम प्रातः ही होटल छोड़कर चले जायेंगे, नौकरको उससे पहले ही चाय दे जानेका आदेश दे दिया जाय ।

गवाह कठघरेके समीप गया और होटलमें ठहरनेवाले एक व्यक्तिके रूपमें उसने आपटेको पहचाना ।

गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि इसके बाद ५ फरवरीको मध्याह्नमें १॥ बजे मैं होटलकी गैलरीमें दूने खड़े हुए देला । एल्फिंस्टन होटलके प्रमुख भागने फोन मिला कि पुलिस २४ जनवरीको ६ नं० के कमरेमें ठहरे हुए व्यक्तियोंके विषयमें छानबीन कर रही है । मैंने रजिस्टरको उलटपट्ट कर देखना शुरू किया ।

५ नं० के कमरेमें जो दो मुसाफिर ठहरे थे, वे भी गैलरीमें बाहर आये हुए थे । होटलके गोविन्द नौकरने मुझसे कहा कि ६ नं० के कमरेमें ठहरनेवाले दो व्यक्तियोंमें से एक तो यहीं खड़ा मानूस देता है । गोविन्दको यह मानूस था कि उन व्यक्तियोंकी छानबीन करनेके लिए मेरे पास बड़े होटलसे हिदायत आयी है ।

गैलरीमें खड़े हुए उन दो व्यक्तियोंमेंसे एक मेरे पास आया और उसने पूछा कि क्या बात है । मैंने उनसे कहा कि कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब ।

इसके बाद रजिस्टर उठाकर मैं बड़े एल्फिंस्टन होटल चला । वहाँसे मुझे बम्बईके सी० आई० डी० आफिसमें ले जाया गया । वहाँसे मैं पुलिसके साथ पुनः होटल वापस आया । जब पुलिस चली गयी तो मुझे यह मानूस हुआ कि उधर ५ नं० के कमरेमें ठहरे हुए व्यक्ति भी चले गये हैं ।

गवाहने कठघरेके पास जाकर आपटेकी पहचान की और कहा कि ५ फरवरीको ५ नं० के कमरेमें ठहरनेवाला और चादको बाहर गैलरीमें खड़े हुए दो व्यक्तियोंमेंसे एक यह था ।

गवाहने कहा कि मैं बम्बईकी शिनाख्त परेडमें भी गया था और वहाँ भी मैंने अभियुक्तको पहचाना था । अन्य किसी अवसरपर मैंने उसे नहीं देखा ।



इस गवाहके साथ जिरह नहीं की गयी ।

### तीन और गवाहोंके वयान

तीसरे गवाह 'वम्बई लाण्डी' पूनाके मालिक नरसिंह भागजी पेश किये गये । गवाहने कहा कि मैं पूनामें 'वम्बई लाण्डी' का १९ सालसे मालिक हूँ । उसने कहा कि मैं नथूराम विनायक गोडसेको जानता हूँ । ( गवाहने गोडसेको पहचाना ) मैं ग्राहकोंके कपड़ोंको अलग अलग करनेके लिए—उनपर संक्षिप्त हस्ताक्षर डाल देता हूँ । वादमें गवाहने ४ कमीजोंको पहचाना जिनपर एन० वी० जी० लिखा था, जो नथूराम विनायक गोडसेकी थीं । गवाहने कहा कि ये नाम अमिट स्याहीसे लिखे जाते हैं ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेरीना होटलमें वरामद किये गये कपड़े गवाहको दिखाये गये । गवाहने उन्हें पहचानकर बताया कि ये गोडसेके ही हैं । उनपर अमिट स्याहीसे एन० वी० जी० लिखा था ।

गोडसेके वकाल श्री वी० वी० ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मेरी दुकान सदाशिव पेठमें है । मुझे अनेक रथानोंसे धुलनेके लिए कपड़े मिला करते हैं किन्तु नथूराम गोडसेने व्यक्तिशः आकर मुझे कभी कपड़े नहीं दिये ।

अदालतमें दिखायी गयी कमीजोंमेंसे एक कमीज ऐसी भी थी, जिसपर एन० वी० जी० के सिवा और भी कुछ लिखा था, किन्तु यह मिटा दिया गया था । यह बात सच नहीं है कि ये कपड़े मुझे पूनाके शनिवार पेठके एन० वी० गाडगिलने दिये होंगे । सदाशिव पेठके नारायण विष्णु गोखलेको मैं जानता भी नहीं । अपने ग्राहकोंसे लिये हुए कपड़ोंकी जो रसीद मैं उन्हें देता हूँ, उसकी एक कार्बान प्रतिलिपि भी अपने पास रखता हूँ ; जिसे सामान्यतः एक मास वाद मैं नष्ट कर देता हूँ । मैं अंग्रेजी जानता तो नहीं किन्तु इतना जानता हूँ कि इस भाषामें संक्षिप्त हस्ताक्षर किस प्रकार लिखे जाते हैं ।

श्री पी० दफ्तरीने अदालतको एक आवेदन पेश किया जिसमें लिखा था कि मुखविर बडगेकी जिरहमें कुछ ऐसे प्रदन पूछे गये हैं जिनमें उसके विना लाहसँसके हथियार बेचनेपर उसके चरित्रपर दोषारोपण किया गया है ।

'गवाहने उत्तर दिया था कि मेरे पास हथियार बेचनेका लाहसँस निस्सन्देह नहीं था किन्तु लाहसँसके लिए मैंने प्रार्थनापत्र भेज रखा है ।'

‘गवाहने आगे कहा था कि मेरे प्रार्थनापत्रका अनेक व्यक्तियोंने समर्थन किया था, जिनमें भोपटकर भी थे ।’

दुबारा जिरह करते हुए बहगोका प्रार्थनापत्र और कागज दिखाये जानेकी इजाजत नहीं दी गयी ।’

‘यह आवेदन कथित सत्वोंको रेकार्डमें लानेके लिए पेश किया जा रहा है । उच्युक्त प्रश्न और वस्तुओंके दिखानेकी इजाजत न देना कानून-विरुद्ध है ।’

जजने कहा कि इस प्रार्थनापत्रपर वे अपना निर्णय बादमें देंगे ।

अगले गवाह ‘आर्यपथिकाश्रम’के मैनेजर गयामसाद दुबकी गवाही ली गयी । उसने कहा कि मैं आपटेको १॥ सालसे जानता हूँ, क्योंकि प्रायः वह मेरे होटलमें आकर ठहरा करता था । ( गवाहने कठपरेके पास जाकर आपटेको पहचाना । )

गवाहने कहा कि २३ जनवरी १९४८ को आपटे एक स्त्रीके साथ मेरे होटलमें आया था । उन्होंने रजिस्टरपर हस्ताक्षर नहीं किये थे, क्योंकि वे दोनों होटलसे बाहर चले गये थे । २४ जनवरीको रातको १ बजे वे वापस आये । मैंने २॥ बजे तक उनके कमरेमें बिजली जलती हुई देखी । मैं वहाँ गया और देखा कि दोनों आपसमें बातें कर रहे हैं ।

प्रातः ६ बजे सुझे फिर उनके दर्शन हुए । मैंने आपटेसे रजिस्टरमें अपने हस्ताक्षर करनेके लिए कहा । आपटेने जवाब दिया कि मैं इस महिलाको स्टेशनपर छोड़ने जा रहा हूँ, वहाँसे लौटकर मैं हस्ताक्षर कर दूँगा ।

११॥ बजे वह वापस आया और फिर बिना हस्ताक्षर किये कहीं बाहर चला गया । उसने फिर यही कहा कि मैं लौटकर हस्ताक्षर कर दूँगा ।

२४ जनवरीको रातभर वह महिला आपटेके साथ रही । अगले दिन सुबेरे वे दोनों चले गये । मैंने आपटेके कथनानुसार रजिस्टरमें उसका नाम डॉ० नारायण लिख दिया ।

५ फरवरीको प्रातःकाल आपटेने फिर होटलमें एक अलग कमरा देनेकी माँग की, लेकिन कोई खाली कमरा न था । आपटे प्रायः अंग्रेजी ढंगकी पोशाक पहनता था, किन्तु उस दिन वह भारतीय ढंगमें आया था । उसने

मैले कपड़े पहने हुए थे और उसके पास कोई सामान नहीं था। इसका कारण पूछनेपर उसने कहा कभी कभी ऐसे भी होता है।

इसके बाद अगले गवाह छोटे एल्फिस्टन होटलके सेवक गोविन्द विश्वनाथ मलेकरकी गवाही हुई।

गवाहने बताया कि २४ जनवरीको ६ नं० के कमरेमें ठहरे हुए दो व्यक्तियोंको पुलिस तलाश कर रही थी। मैंने उन व्यक्तियोंको देखा था। २७ जनवरीको प्रातः ६॥ बजे वे होटल छोड़कर चले गये। मैं रात्रिके समय उनकी परिचर्या किया करता था।

उनके होटलमें ठहरनेके समय २४ जनवरीसे २७ जनवरी तकके अरसेमें एक महानुभाव और एक महिला उनसे अलग अलग मिलने आयी थीं। गवाहने होटलमें ठहरनेवाले दो व्यक्तियोंसे मिलने आनेवाले व्यक्तिके रूपमें अभियुक्तोंमेंसे गोपाल गोडसेको पहचाना।

मलेकरने आगे अपने बयानमें कहा कि जो व्यक्ति २ फरवरीको ५ नं० के कमरेमें आकर ठहरे थे, उनको मैं जानता हूँ, उनमेंसे एकका नाम नारायणराव है और दूसरा इसका मित्र है। उसने कठघरेमें आपटे और करकरेको पहचाना, जो फरवरीके प्रथम सप्ताहमें ५ नं० के कमरेमें आकर ठहरे थे।

वे होटलमें ३ फरवरीको आये थे और ५ को चले गये। इस बीचमें उनके पास अनेक मुलाकाती भी आये थे।

पुलिस और होटलके मालिक कादमीरी लालने २४ जनवरीको ६ नं० के कमरेमें ठहरनेवाले व्यक्तियोंके विषयमें छान-बीन की। मैंने बादमें उन व्यक्तियोंको शिनाख्त परेडमें पहचान लिया था।

करकरेके वकील डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि अनेक मुसाफिर आकर होटलमें ठहरते हैं और उनके पास अनेक मुलाकाती भी आते हैं। मैं २० नं० के कमरेमें ठहरे हुए ३०-३५ मुसाफिरोंकी परिचर्या किया करता था।

गोपाल गोडसेके वकील इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मुझे यह तो ठीक याद नहीं कि किस तिथिको मुलाकाती ६ नं० के कमरेमें ठहरे महानुभावसे मिलने आये थे, लेकिन मेरा अनुमान है कि वे सम्भवतः

२५ जनवरीको आये थे । दो मुलाकाती अल्पा-अलग तारीखोंमें उनसे मिलने आये थे ।

### ४ अगस्त--आपटे-करकरेकी गिरफ्तारीका हाल

आज बम्बईके पावर्सके अपोलो होटलके अग्यागत क्लर्क कैण्डो पिण्डोकी गवाही हुई ।

गवाहने कहा कि १३ फरवरी, १९४८ को दो व्यक्ति दो-सत्रा दो बजे मेरे होटलमें टहरने आये थे । कठघरेमें खड़े हुए व्यक्तियोंमेंसे गवाहने उनको पहचाना । वे आपटे और करकरे थे ।

गवाहने आगे अपने बयानमें कहा कि उस समय उनके पास कोई सामान नहीं था । वे उस समय रजिस्टरमें अरना नाम लिखकर चले गये । रातको ८ बजे वापस आये, उस समय उनके पास सामान भी था । नारायण आपटे मेरे होटलमें रहते भी आ चुका है, किन्तु उस दिन उसने अपना नाम आर० विष्णु और अपने साथीका एन० कारीनाथ बताया ।

१४ फरवरी, १९४८ को ११ बजे दो पुलिस अफसर होटलमें आये, किन्तु वे मुसाफिर उस समय होटलमें नहीं थे । पुलिस अफसर उनके धानेकी वही होटलमें प्रतीक्षा करने लगे ।

आपटे ५-४५ बजे बास आया । एक पुलिस अफसरने उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया । दूसरा मुसाफिर ( करकरे ) ८-४५ पर वापस आया और वह भी गिरफ्तार कर लिया गया ।

उस समय तो मैं उनका नाम नहीं जानता था लेकिन रातको सुझे १० बजे मादम हुआ कि वे आपटे और करकरे थे ।

अगला गवाह बम्बईके मैजस्टिक होटलका निरीक्षक माइकेल पैट्रिक केरी था । उसने 'पञ्चनामे' पर अपने हस्ताक्षर होनेका प्रमाण पेश किया । ( यह गवाह उस समय भी उपस्थित था, जब दोनों अभियुक्तोंकी तलाशीमें उनके पाससे अनेक वस्तुएँ बरामद की गयी थीं । )

इस अवसरपर बचाव पक्षके वकील और अभियुक्त करकरे और आपटे-ने अदालतकी अनुपति लेकर उन बरामद की हुई वस्तुओंको देखना चाहा । इसपर वे वस्तुएँ उन्हें दिखा दी गयीं ।

गवाहने तीसरे दर्जे के दो टिकटों और ३१ जनवरी को भेजे गये एक्सप्रेस तारकी रसीद पहचानी, जो आपटेके पाससे बरामद हुई थी ।

डांगे ( करकरेके वकील ) की जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जब करकरे गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास कुल १३ रेल टिकट थे ।

द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि जिस पुलिस अफसरने तलाशी ली थी, वह स्वयं बम्बईके डिप्टी कमिश्नर जे० डी० नगरवाल थे ।

अदालतने अभियुक्त आपटे और उसके वकील मंगलेको इस बातकी इजाजत दे दी कि वे ब्राउनके सामने लिखी गयी रिपोर्टको आद्योपान्त पढ़ सकते हैं ।

### प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैनकी गवाही

जलपानके पश्चात् शिवाजी पार्क, बम्बईके रहनेवाले तथा रामनारायण रुहपा कालेजके प्रोफेसर श्री जगदीशचन्द्र जैनकी गवाही ली गयी ।

गवाहने अनेक किताबें लिखी हैं । अक्तूबर १९४७ के दूसरे सप्ताहमें गुप्त नामक एक व्यक्तिने उससे मदनलाल शरणार्थीका परिचय काया था । गवाहने कहा कि मैंने मदनलालको कोई काम दिलानेकी कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली ।

निराश होकर मदनलालने मुझसे कहा कि यदि चमराजीका काम भी मिले, तो मैं उसे कर लूंगा । मैंने उसे हतोत्साह न होनेके लिए कहा और उसे २५ प्रति शत कमीशनपर पुस्तकें बेचनेके लिए दीं । तदनुसार २६ अक्टूबर, १९४७ से उसने पुस्तकें बेचना शुरू कर दिया, किंतु यह काम उसने १० दिन तक ही किया ।

बादमें मदनलालने मुझसे कहा कि मैं पटाके भी बेचता हूँ । इसके बाद वह फल बेचनेके लिए अहमदाबाद चला गया । मैंने उसे किताबें भी वहाँपर बेचनेके लिए दीं ।

कुछ दिनों बाद सूद नामक व्यक्तिको साथ लेकर मदनलाल फिर मेरे पास आया और ३०० किताबें ले गया ।

तीन सप्ताह बाद मदनलाल फिर वापस आया और उसने मुझसे कहा कि आरकी (४०) की किताबें बिक गयी हैं । मदनलालने उनका पैसा मुझे नहीं

दिया । मदनलाल फिर अहमदनगर चला गया और वहाँपर करकरेके रोटरसे उसने मुझे १ दिसम्बर और ९ दिसम्बरको दो पत्र लिखे, जिनमें किताबोंकी कीमत चुकानेकी असमर्थताके लिए क्षमायाचना की गयी थी ।

पत्रोंको अदालतकी प्रदर्शनीय वस्तुओंमें शामिल कर लिया गया ।

गवाहने आगे कहा — जनवरीके प्रथम सप्ताहमें मदनलाल फिर एक सेटको लेकर मेरे पास आया और बोला कि इस सेटकी अहमदनगरमें फलोंकी दुकान हैं । (गवाहने अभियुक्तोंमेंसे मदनलालको पहचाना ।)

दो दिन बाद मदनलाल पुनः आया और उसने बताया कि “अहमदनगरमें मैंने हिन्दू मुस्लिम एकताका पाठ पढ़ानेवाले रावसाहब पटवर्धनपर हमला कर दिया । पुलिस भी हिन्दू पक्षपाती थी, इसलिए उसने मुझसे कुछ न कहा, केवल मेरा खजूर ले लिया । हिन्दुओंके हितके लिए अहमदनगरमें एक स्वयं-सेवक दल बनाया गया था, उसमें मैं भी शामिल हुआ । अहमदनगरमें एक पार्टी खड़ी की गयी थी, जिसे करकरे आर्थिक सहायता देता था । सावरकरने मेरे कारनामोंको सुनकर मुझे अपने पास बुलाया । दो घण्टे तक हमारी बातें हुईं और अन्तमें पीठ पपथपाकर शाबाशी देते हुए सावरकरने मुझे अपने कार्य-को जारी रखनेके लिए कहा ।”

मदनलालने फिर मुझसे यह भी कहा कि “एक पार्टी महात्मा गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए हथियार और गोलाबारूद भी जमा कर रही है । हमारी योजना यह है कि मैं पहले एक बम फेंककर प्रार्थना-सभामें आतंक और खलवली पैदा कर दूँगा और उस गड़बड़ीमें हमारी पार्टीके अन्य आदमी गान्धीजीको खत्म कर देंगे ।”

मैंने मदनलालको ऐसा न करनेके लिए बहुत समझाया, किन्तु मदनलाल दुबारा आनेका वचन देकर उस समय वहाँसे चला गया । मदनलालने मुझसे कहा कि मैं अपने साथियोंके साथ हिन्दू महासभा-भवनमें ठहरा हुआ हूँ । वह जल्दीमें था, क्योंकि उसका कहना था कि करकरे सदा मेरे पीछे परछाई की भाँति लगा रहता है और मुझे अकेला नहीं छोड़ता । मदनलालने मुझे १५) दिये । अभी मेरे १५) उसके पास और बाकी थे ।

मैंने मदनलालकी बातको गम्भीरतासे विलकुल नहीं सीखा, क्योंकि उन दिनों प्रायः प्रत्येक शरणार्थी गान्धीजीको सुरा-भला कहता रहता था ।

मदनलाल फिर मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं आवश्यक कार्यसे दिल्ली जा रहा हूँ, लौटनेपर आपसे मिलूँगा ।

इसके बाद गवाहने करकरेको पढ़चाना, जो सेठ बनकर मदनलालके साथ उसके पास आया था ।

गवाहने कहा कि मुझे याद है कि दो दिन बाद सेण्ट मैरिस होस्टलमें जयप्रकाश नारायण भाषण करने आये थे । मैंने सोचा कि मैं, मदनलालके सुँह सुनी हुई सारी गत उन्हें बताऊँ, किन्तु अत्यधिक भीड़के कारण मैं उन्हें केवल यही बता सका कि सम्भवतः दिल्लीमें गान्धोजीको मारनेका षडयन्त्र किया जा रहा है ।

२१ जनवरीको प्रातः मैंने अखबारमें यह पढ़ा कि दिल्लीमें प्रार्थना स्थल-पर २० जनवरीको एक बम विस्फोट किया गया और इस सिलसिलेमें मदनलाल नामका एक व्यक्ति पकड़ा गया है ।

उस समय भारतके गृहमन्त्री सरदार पटेल बम्बईमें ही मौजूद थे । मैंने सोचा कि मैं उन्हें वह सब कुछ बता दूँ, जो मुझे मदनलालसे ज्ञात हुआ है । मैंने उनके घर टेलीफोन किया । वहाँसे उत्तर मिला कि वे इवार्ड अड्डेयर जा चुके हैं । मैं बम्बई प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्ष एस. के. पाटिलसे भी सम्पर्क स्थापित न कर सका ।

उसी दिन शामको ४ बजे मैं बम्बईके प्रधान मन्त्री श्री बाल गंगाधर खेर तथा गृह मन्त्री श्री सुरारजी देसाईसे मिला और मैंने इन्हें गान्धीजीकी हत्याके षडयन्त्रके विषयमें जो कुछ सुना था, सब बता दिया ।

इससे पूर्व बचाव पक्षके वकील एल. बी. भोपटकरने एक आवेदनपत्र पेश किया था, जिसमें डा० जैनकी गवाहीके कुछ अंशोंको स्वीकार करनेपर आपत्ति प्रकट की गयी थी ।

श्री पी०के० दफ्तरीने कहा कि बचाव पक्षके वकील उस गवाहकी गवाहीके विषयमें पहलेसे ही कैसे आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, जब कि वह गवाह अभी तक अदालतमें पेश नहीं किया गया है । उन्होंने कहा कि बचाव पक्षके वकीलको जब किसी गवाहकी गवाहीपर आपत्ति प्रकट करनी हो, तो वह उसी समय की जानी चाहिये । भोपटकरने उनका सुझाव मान लिया, किन्तु यह कहा

कि मैंने यह आपत्ति इसलिए उठायी थी कि वादमें सरकारी वकील कहीं यह शिकायत न करें कि वे उसके लिए बिलकुल तैयार न थे ।

जजने अपना फैसला दिया कि गवाहीके औचित्य या अनौचित्यका प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जिस समय गवाही ली जा रही हो ।

श्री भोपटकरने अदालतके सामने एक दूसरा आवेदनपत्र पेश किया जिसमें दो ऐसे कानूनी उदाहरण दिये गये थे जिनसे यह प्रतिपादित होता था कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा एक पड्यन्त्रकारीके वक्तव्यके आधारपर पेश की हुई गवाही उस पार्टीके दूसरे पड्यन्त्रकारीके पक्ष वा विपक्षमें दी नहीं जा सकती ।

#### ५ अगस्त

अदालतमें श्री दफ्तरीने आज दो पत्र प्रदर्शित वस्तुओंमें शामिल करनेके लिए पेश किये ।

ये पत्र डा० जगदीशचन्द्र जैनने पुलिसको दिये थे । ये पत्र जगदीशचन्द्र जैनके पतेपर मदनलालको लिखे गये थे । मदनलालने दिल्लीसे लौटकर उन पत्रोंको लेनेके लिए कहा था, पर २० जनवरीको दिल्लीमें पकड़े जानेके कारण वह लौट नहीं सका ।

श्री जे० सी० जैनने कहा कि तब मैंने उन पत्रोंको बम्बईके टिप्प्री कमिश्नर जे० डी० नगरवाशको दे दिये ।

मदनलाल जब करकरेको मेरे पास लाया था, तबके सिवा मैंने कभी करकरेको नहीं देखा । उसके वाद करकरेको मैंने सिर्फ बम्बईकी शिनाख्त परेटमें और कल यहाँपर अदालतमें देखा था ।

सावरकरके वकील एल. वी. भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मुझे ठीक ठीक वह तारीख याद नहीं जब समाजवादी नेता जयपकाश नारायणने एक सार्वजनिक सभामें भाषण किया था । उस बैठकके जुटानेमें मैंने कोई भाग नहीं लिया । उस समय हमारे कांग्रेसके विस्मयल वी० वी० देशपाण्डे थे । कालेजके अधिकांश प्रोफेसर महाराष्ट्रीय हैं । मैं सावरकरका घर जानता हूँ । मेरा घर उनके घरसे ४ फर्लागसे कुछ कम दूरीपर उसी सड़कपर है ।

पुलिससे पहले पहल मेरा सम्पर्क इसी घटनाके सम्बन्धमें हुआ जब वह मेरा



वयान लेने आपी थी । इस विषयमें २१ जनवरी १९४८ से लेकर १७ फरवरी १९४८ तक मैंने किसीको कोई पत्र नहीं लिखा । पुलिस द्वारा मेरे वयानके नोट किये जानेके १० दिन बाद मजिस्ट्रेटने मेरा वयान लिखा ।

मजिस्ट्रेटके सामने मैंने यह नहीं कहा था कि मदनलालने मुझे यह बताया है कि उनका श्ल हथियार और गोलाबारूद जमा कर रहा है जो जंगलमें गाड़ दिये जाते हैं । मैंने मजिस्ट्रेटको मदनलालका यह कथन भी नहीं बताया कि उसने हिन्दू मुसलिम एकताका पाठ पढ़ानेवाले रावसाहब पटवर्धनपर हमला किया था, और चूँकि पुलिस भी हिन्दू पक्षगतिनी ही थी, इसलिए उसने मुझसे कुछ भी न कहा, और उस समय मेरे पास एक खंजर भी था ।

मैंने मजिस्ट्रेटको यह भी नहीं बताया था कि मदनलालने मुझसे कहा था कि सावरकरने मुझे बुलाकर दो घण्टेक बातचीत की और मेरी पीठ थपथपाकर मुझे अगना काम जारी रखनेके लिए कहा ।

मैंने मजिस्ट्रेटको यह कहा था कि बम्बईके गृहमन्त्री और प्रधान मन्त्रीको महात्मा गान्धीजीको मारनेके इस षड्यन्त्रका पता लगानेमें मैंने अपनी सेवाएँ अर्पित की थी । मैं एक नागरिक होनेके नाते सरकारकी मदद करना चाहता था । गृहमन्त्रीने मुझसे कहा कि पुलिस मामलेकी जाँच कर रही है और आवश्यकता हुई तो आपको सूचित कर दिया जायेगा ।

गवाहने आगे अपने वयानमें कहा कि मदनलालने मेरी २००) की किताबें बेचीं । मैंने पुलिसको यह नहीं कहा कि करकरे भी मेरी किताबें बेचा करता है । मैंने स्वतः अपनी उपस्थितिमें शरणार्थियोंको कांग्रेस और उसके नेताओंकी आलोचना करते हुए देखा और सुना है ।

आपटेके वकील मंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं प्रति दिन अखबार पढ़ता हूँ और जनवरीमें बम्बईसे बाहर कहीं नहीं गया । मैं बम्बईके गवर्नरका नाम नहीं जानता । मैं भी युक्त प्रांतका रहनेवाला हूँ और बम्बईके गवर्नर भी युक्त प्रांतके ही रहनेवाले हैं ।

मैंने अखबारोंमें पढ़ा था कि भारतके पास पाकिस्तानके ५५ करोड़ रुपये हैं । मैंने यह भी पढ़ा था कि भारत इस रकमको पाकिस्तानको देना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि इसका प्रयोग उसीके विरुद्ध काश्मीरके युद्धमें किया जायेगा । मुझे यह नहीं मालूम कि यह रकम गान्धीजीके उदास करने

से पहले या उपवास वर चुकनेके बाद कब पाकिस्तानकी दी गयी । मैंने यह भी पढ़ा था कि गान्धीजीने ७ दिनके बाद अपना उपवास तोड़ दिया था ।

१९४२ में तत्कालीन भारतीय सरकारने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनके सिल-सिलेमें मुझे गिरफ्तार कर लिया था । तब मैं कांग्रेसी था ।

करकरेके वकील डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मेरी किताबें ॥१॥ से लेकर ३५॥ के मूल्य तककी थीं । मदनलालने वे पुस्तकें मुझे लौटा दी थीं जिन्हें वह बेच नहीं सका था ।

मैंने करकरेको प्रथम बार तभी देखा था जब मदनलालके साथ सेट बनकर वह मेरे पास आया था । उस समय मैंने सचमुच ही उसे एक पैसेवाला आदमी समझा था ।

मैं मदनलालके जीवनमें दिलचस्पी लेता था, क्योंकि वह शरणार्थी था । मैंने ऐसा एक भी हिन्दू महासभाई नहीं देखा जिसने शरणार्थियोंके लिए कुछ किया हो । मैंने मदनलाल और करकरेको यह भी नहीं बताया कि मैं कांग्रेसी हूँ ।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि जो पुस्तकें मैंने मदनलालको बेचनेके लिए दी थीं वे प्रायः अर्थशास्त्र या राजनीतिकी थीं ।

मदनलालका परिचय पहले पहल गुप्त नामके एक महाशयने मुझसे कराया और कहा कि मदनलाल पुष्पा नामकी एक कन्याको मुसलमानोंके पंजेसे छुड़ाना चाहता है । मैंने उस कन्याको प्राप्त करनेमें मदनलालकी कोई सहायता नहीं की ।

जनवरीमें मैंने सरदार वल्लभभाई पटेलका एक भाषण सुना था, किन्तु मुझे याद नहीं कि अपने भाषणमें सरदार पटेलने उन ५५ करोड़ रुपयोंकी ओर कुछ संकेत किया था या नहीं । मैं गान्धीजीको मारनेके पड़यन्त्रकी रचना देने किसी थानेपर नहीं गया, क्योंकि मैं किसी पुलिस अफसरको जानता नहीं था ।

२१ जनवरीको बम्बईके प्रधान मन्त्री श्री जी० खेर और गृहमन्त्री गुरारजी देसाईको मैंने अपना कोई बयान नहीं दिया था, केवल उनसे बातें की थीं ।

यह बात सच नहीं है कि मदनलालने मुझसे यह कहा हो कि रावसारव पटवर्धन काश्मीरके विषयमें भाषण करते हुए शोल अब्दुल्लाका पक्ष ले रहे थे, इसलिए मैंने उनपर हमला किया ।

मदनलालने मुझे उन व्यक्तियोंके नाम नहीं बताये जिनके साथ वह बम्बईके हिन्दू महासभाभवनमें ठहरा था ।

उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि अहमदनगरकी सभाके संघर्षमें उसे चाकूका घाव लगा था ।

यह बात सच नहीं है कि मदनलालने गान्धीजीकी हत्याके उद्देश्यसे एकत्र किये जाते हुए शस्त्रालोंकी ठीकठीक तादाद मुझे बता दी थी ।

### ९ अगस्त

श्री बनर्जीने आज प्रो० जगदीशचन्द्र जैनके साथ जिरह जारी रखी ।

गवाहने कहा कि मदनलालने मुझे यह नहीं बताया कि कौन-सा और कितना हथियार और गोलाबारूद उन्होंने अहमदनगरके पास जंगलमें छिपा रखा है ।

मैंने अपना बयान १७ फरवरी, १९४८ को अपने घरमें पुलिसको दिया था । बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नर नगरवाला भी वहाँ मौजूद थे । उन्होंने मेरा बयान लिखा ।

गोपाल गोडसे और परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने अपने पास मदनलालके साथ हुई बात-चीतकी कोई डायरी नहीं रखी है । यह बात सच नहीं है कि मजिस्ट्रेटको अपना बयान लिखानेसे पहले मैं बम्बईकी खुफिया पुलिसके हेडक्वार्टरमें गया था । जो पुलिस आफिसर मेरा बयान लिखने मेरे घर आये थे, वे मेरे मजिस्ट्रेटके पास बयान लिखाने के लिए जाते हुए साथ नहीं गये थे ।

गवाहने बताया-कि मेरी किताबें प्रकाशक अपनी कीमतपर ही छापते थे । जो विस्तारपूर्वक व तें मैंने पुलिस आफिसरोंको अपने घर बयान देते हुए बताया थी, वे मैंने मजिस्ट्रेटके समक्ष अपने बयानमें इसलिए नहीं कही कि मैं यह समझता था कि उन विस्तारकी बातोंको दुबारा कहना आवश्यक नहीं है । मजिस्ट्रेटको मैंने अपना केवल संक्षिप्त बयान दिया था । मदनलालने अहमदनगरके पास जंगलमें गाड़े हुए हथियारोंकी न तो मुझे कीमत बताया थी और न यह बताया था कि वे किस आकार-प्रकारके हैं ।

## ६८ वाँ गवाह

श्री जैनके बाद फ्रेडरिक होटल बम्बईके सहायक मैनेजर श्री जान फ्रेड्सने कहा कि मैंने उस पंचनामेंबर हस्ताक्षर किये थे, जो लेंसडाउन रोड कोरावा बम्बईके अग्रेलो होटलमें १४ फरवरीको रात ९-४२ पर पुलिस तथा अभियुक्त आपटे और कारकरेकी उपस्थितिमें तैयार किया गया था ।

आपटेके वकील मंगलेने ३१ जनवरीकी 'लोकशक्ति'के तथा 'विवा' अखबारके ३१ जनवरी और १ फरवरीके अंक गवाहको दिखाये । गवाहने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये आपटेके विस्तरेमें मिले थे ।

इसके बाद सरकारी वकील श्री दत्तरीने १८ जनवरी और २२ जनवरीके 'हिन्दू राष्ट्र' के दो अंक दिखाये जिन्हें अदालतने प्रदर्शित वस्तुओंमें शामिल कर लिया ।

## महंत श्री कृष्णजी महाराजकी गवाही

इसके बाद मोटा मन्दिर बम्बईके महंत श्रीकृष्ण जीवनजी महाराजकी गवाही ली गयी । गवाह वैष्णव सम्प्रदायके संस्थापक बल्लभाचार्यका वंशानुगत हैं । १९४२ से वह कापेसका सदस्य है । उसके पास उद्वाकेका ए लाइसेंस था, जो अब समाप्त हो चुका है ।

गवाहने कहा कि मैं आपटेको जानता हूँ ( गवाहने कटघरेके पास जाकर आपटेको पहचाना ) मैं सावरकरसे दो बार मिला हूँ और एक बार मुभाषचन्द्र बोससे भी मिला हूँ ।

मैं यह सुनकर कि आपटे दिल्लीमें होनेवाली पाकिस्तान विधान परिषदको तथाह कर देना चाहता है, उसके पास गया । पंढरपुर जाते हुए वीचमें मैं पूना रका और मैंने वहाँपर आपटेके घरकी पृष्ठताड की ।

मैं आपटेसे मिला और उससे कहा कि मैंने सुना है कि तुम पाकिस्तान विधान परिषदको उद्घोषनेकी फिरमें हो । आपटेने कहा—जात तो ऐसी ही है, किन्तु उसके लायक मेरे पास श्रमिथार और गोलाबारूद नहीं है । मैंने आपटेसे कहा कि किन्हाल तो मैं पंढरपुर जा रहा हूँ, वहाँमे लॉटनेर तुमसे इस विषयमें वाचीत करूंगा ।

मैं पंढरपुर गया । वहाँ मुझे एक आरमी मिला जिसे आपटेने भेजा था

और कहा था कि शीघ्र ही उससे जाकर मिलें। ( करकरेकी ओर दिखाकर गवाहने कहा कि यही वह आदमी था। )

आपटेने मुझसे कहा कि गोआमें दो गोला फंरनेवाले मार्टर विक रहे हैं, जिनकी कीमत ४,०००) है। मैंने उससे कहा कि यदि मैं उनके लिए मार्टरकी व्यवस्था भी न कर सकूँ, तो भी वे श्री जिना और श्री लियाकत अली खॉंको मारनेकी अपनी कोशिश जारी रखें। आपटेने कहा कि मेरे पास दो पिस्तौलें हैं, किन्तु उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम मुझे दो रिवाल्वर लाकर दो। आपटे या करकरेने मुझे दो पिस्तौलें दीं जिनमेंसे एक मैंने अपने भाई दीक्षित महाराजको दे दी। जब पिस्तौलें मुझे दी गयीं उस समय मैं उन्हें कोई रिवाल्वर न दे सका। उसके बाद आपटे मुझे बम्बईमें मिला और उसने मुझसे रिवाल्वरोंकी माँग की, लेकिन मैं रिवाल्वर न दे सका, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं।

आपटेने मुझे उस समय कहा कि मुझे पाकिस्तानको हथियार ले जानेवाली गाड़ीको उड़ानेके लिए अग्निप्रेक्षक ( आग उगलनेवाले यन्त्र ) चाहिये। वह अग्निप्रेक्षक खरीदनेके लिए ५,०००) चाहता था। किन्तु मेरे पास पैसा नहीं था। आपटेने कहा कि यदि मैं उसे कार दे दूँ, तो वह हैदराबादकी सीमापर चुँगी चौकीको लूट लेगा। मैंने इस उद्देश्यके लिए अपनी स्टेशन वैगन गाड़ी दे दी।

अक्टूबर १९४७ में आपटे मुझे पूनामें मिला। उसने मुझसे कहा कि अपने उद्देश्यमें मुझे कोई बहुत सफलता नहीं मिली। इसपर मैंने उससे अपनी गाड़ी ले ली।

मैंने पाकिस्तान जानेवाली हथियारोंकी गाड़ीको उड़ानेके लिए आपटेको हथगोले और डाइनामाइट देने चाहे। यह दिन शायद ११ अक्टूबर १९४७ था। आपटेने मुझसे कहा कि गाड़ी १६ अक्टूबरको पाकिस्तान जायगी, १४ को तुमसे मिलूँगा। किन्तु उस दिन वह मेरे पास नहीं आया। दिवालीसे ६ दिन पहले आपटे मेरे घर आया, उसने पूनामें अपने 'हिन्दूराष्ट्र' प्रेसका मुझसे उद्घाटन करनेके लिए कहा। मैंने स्वीकार कर लिया। प्रसंगवश आपटेने मुझसे कहा कि वह गाड़ी समूची पाकिस्तानको नहीं गयी, किन्तु थोड़ा थोड़ा करके वे हथियार पाकिस्तान भेजे गये हैं।

नथूराम गोडसेकी ओर इशारा करते हुए गवाहने कहा कि वह भी पूना और बम्बईमें आपटेके साथ मेरे पास आया था। दोनोंमें ट्रेनको उड़ानेके सम्बन्धमें बातचीत हुई। मैं जबतक अभिप्रेक्षकको देख न लूँ, तबतक उसपर पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए आपटे मुझे खड़की आदि स्थानपर ले गया।

आपटेने कहा कि मैं बडगोको बुलाऊँगा जो हमें विस्फोटक द्रव्य देगा। बुलानेपर बडगो आ पहुँचा। बडगो गनकाउनके टुकड़े तथा विस्फोटकोंसे भरे हुए कई डिब्बे ले आया। मैंने बडगोसे ४० पैकेट लेकर आपटेको दे दिये। उनकी कीमत मैंने दीक्षित महाराजके द्वारा चुकानेकी व्यवस्था की। ( इसी समय पार्श्व भागसे बडगो अदालतमें लाया गया और गवाहने उसे पहचाना। )

गवाहने कहा कि १७ जनवरीको अपने छोटे भाईके साथ हवाई जहाजसे मैं अहमदाबाद गया। आपटे और गोडसे भी उसी हवाई जहाजमें बैठे थे। वे अगली सीटपर बैठे थे। उनके पीछे देखनेपर मैंने हाथ हिलाया, तब उनहो मेरी उपस्थितिका ज्ञान हुआ। बदलेमें उन्होंने भी हाथ हिलाया। हम सब अहमदाबाद उतर गये।

जब हम हवाई जहाजसे उतरकर अड्डेके कार्यालयकी ओर जा रहे थे तो मैंने आपटेसे कहा, तुम लौग तो बहुत हाँकते हो, लेकिन करके तुमने कुछ भी नहीं दिखाया। आपटेने उत्तर दिया कि उचित समयपर तुम्हें सब कुछ मान्य हो जायगा।

## २० अगस्त

गोस्वामी श्रीकृष्ण जीवनजी महाराज उर्फ दादा महाराजकी गवाही आज भी जारी रही। उन्होंने कहा कि अहमदाबादके स्वामी नारायण मन्दिरमें प्रवेश पानेके लिए हरिजनोंने जो सत्याग्रह शुरू किया था उसका विरोध करनेके लिए मैं १७ जनवरीको वहाँ गया और १९ को बम्बई वापस आ गया। आपटे-गोडसे २६ जनवरीको मेरे घर मुझसे मिले और रिवास्वर माँगा। मेरा उनपर विश्वास नहीं रहा इसलिए मैंने इनकार कर दिया। हरिजन आन्दोलनका विरोध करने में पंढरपुर भी गया था। नोआखाली काण्डमें जवरदस्ती

मुसलमान बनाये गये हिन्दुओंको फिर हिन्दू बनानेके लिए मैं नोआखाली भी गया था ।

भोपटकरके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि स्वतन्त्रता-दिवसके पहले ९ अगस्त १९४७ को मैं श्री सादरकरकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें हुए हिन्दू कन्वेंशनमें शामिल होने दिल्ली आया था । मुझे यह याद नहीं कि उसमें नेहरू सरकारका समर्थन करनेवाला प्रस्ताव मंजूर हुआ था या नहीं । मैंने नेहरू सरकारका विरोध किया था, पहले भी मैंने नेहरू सरकारका समर्थन नहीं किया और आगे तबतक समर्थन नहीं करूँगा जबतक उसकी वर्तमान नीति नहीं बदलती । नेहरू सरकारकी पाकिस्तानके प्रति शमन-नीति मुझे अच्छी नहीं लगती । हिन्दू परिषदमें सादरकरने अपने भाषणमें कहा था कि हिन्दुओंको अब अपने मतभेद भूलकर किसी भी आक्रमणका सामना करनेके लिए तैयार हो जाना चाहिये और राज्यके षाथ मजबूत करने चाहिये । १९४७ में जन्माष्टमीके दिन मैं गृहमन्त्री श्री मुरारजी देसाईके घर गया था और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि भारतीय संघमें मुसलमानोंको मार डालनेके लिए किये गये किसी भी हिंसात्मक पडयन्त्रमें मैं सहायता न दूँगा । गृहमन्त्रीको मेरे बारेमें गलतफहमी हो गयी थी, इसलिए मैं उनके घर गया था । मैंने श्री मुरारजीसे यह नहीं कहा कि मैंने आपटेको कहा था कि आप कमसे कम श्री जिना और श्री लियाकतअली खॉंको मार डालिये । वे दोनों पहले ही पाकिस्तान चले गये थे । पाकिस्तान विधान परिषद या पाकिस्तान जानेवाली शस्त्रालय ट्रेनको उड़ा देनेके बारेमें भी मैंने मुरारजी भाईसे कुछ नहीं कहा था । गान्धीजीकी नीति नेहरू सरकारकी नीतिसे अलग थी । गान्धीजी देशविभाजनके खिलाफ थे ।

श्री डांगे द्वारा की गयी जिरहमें गवाहने कहा कि मैंने गीताका अध्ययन किया है और उसपर प्रवचन भी करता हूँ । 'स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' गीतामें कहा है । इसमें स्व, पर, और धर्म इन तीनों शब्दोंकी व्याख्या करना जरूरी हो जाता है । धर्मका अर्थ उपासना और कर्तव्य भी होता है । अहिंसाका मतलब होता है काया, वाचा या मनसे भी किसीको कष्ट न पहुँचाना । सत्याग्रहका योद्धेमें अर्थ 'निष्क्रिय प्रतिकार' हो सकता है । मेरी राय है कि हरिजनोंको मन्दिरोंमें प्रवेश नहीं करना चाहिये । पंढरपुरके

मन्दिरके लिए साने गुरुजीने अनशन किया और श्री विश्वासराव डावरेने उनपर फौजदारी मुकदमा चलाया इसे भी मैं जानता हूँ ।

श्री बनर्जाके इस प्रश्नपर कि मन्दिरोंमें कुरानकी आयतें पढ़नेसे हिन्दुओंको क्रोध आ सकता है या नहीं, गवाहने कहा कि मेरे भाई ही खुद कुरानकी आयतोंका पाठ करते हैं ।

श्री इनामदारके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि मैं १९४६ में दिवालीके बाद जोआखाली गया था और मैंने धर्मभ्रष्ट ४ हजार आदमियोंको हिंदू धर्ममें फिर शुद्ध कर लिया था । सुहरावर्दी सरकारके खिलाफ बहुतसे लोग शिकायत करते थे और हिन्दुओंपर बहुत अत्याचार हो रहा था और आतंक छाया था ।

श्री दफ्तरीने फिर गवाहसे प्रश्न पूछे । उसने कहा कि बम्बईमें जब शिनाख्तकी काररवाई हुई तो मैंने समझा था कि जिनके नाम मैं जानता हूँ उन्हें पहचानना है । करकरेको नामसे मैं नहीं जानता था इसलिए उसकी शिनाख्त मैंने नहीं की ।

### ७० वाँ गवाह

इसके बाद ओरिएण्टल गवर्नमेण्ट सेक्युरिटी बीमा कम्पनीके एक्जुअरी श्रीधर नारायण वैद्यका बयान हुआ । उन्होंने कहा कि नथूराम गोडसेने ३ और २ इस कार ५ हजारके दो बीमे कराये थे । १४ जनवरी १९४८ को पहले बीमेका श्रीमती सिधु गोपाल गोडसेके नामपर और १३ जनवरीको दूसरे बीमेका श्रीमती चंपू नारायण आपटेके नामपर नथूरामने उत्तराधिकार कर दिया । बीमेको दोनों पालिसियाँ कम्पनीके प्रधान कार्यालयमें हैं ।

### ११-१२ अगस्त

अभियुक्त शंकर किस्तियाके बीमार हो जानेके कारण ११ और १२ अगस्तको मुकदमेकी सुनवाई स्थगित थी । मद्रास हाइकोर्टके एडवोकेट एन. पंचनाथनने ११ को अपना बकालतनामा पेश किया ।

### १३ अगस्त

आज एअर इण्डिया इंटरनेशनल सर्विसके यात्रियोंके लिए एवाई यात्रामें



चाय पान आदिकी व्यवस्था करनेवाली नौकरानी कुमारी खोर्ना वेनब्रिजका दयान लिया गया । कु० वेनब्रिजने बताया कि बम्बईके सांताक्रूज हवाई अड्डेसे दिल्लीको जो एअर इंडिया हवाई जहाज सीधा आया था उसमें नथूराम गोडसे तथा आस्टे भी यात्री थे । उसने इन दोनों व्यक्तियोंको अदालतमें पहचान लिया ।

गवाहने कहा—मैं एअर इंडिया हवाई जहाजोंमें पिछले २६ सहीनोंसे नौकरी करती आ रही हूँ ।

२७ जनवरीको मैं उस हवाई जहाजपर काम करती थी जो बम्बईके सांताक्रूज हवाई अड्डेसे सबेरे ९ बजे उड़ा था । यह जहाज मार्गमें विना रुके सीधा दिल्ली आता था । जब हवाई जहाज अड्डेसे चल पड़ता था तो मैं यात्रियोंसे टिकट एकत्र करती थी और उनके नाम यात्री-तालिकामें दर्ज कर देती थी ।

२७ जनवरीको जिन यात्रियोंने यात्रा की उनमें वी० राव तथा एन० राव नामक दो यात्री भी थे ।

जब जहाज अड्डेसे उड़ता है तो उससे पहले यात्रियोंके सामानकी सूची भी मुझे दे दी जाती है । उस दिनकी सूचीमें यात्री सामानके सम्बन्धमें वी० नारायणराव तथा एन० विनायक रावके नाम भी दर्ज हैं । सूचीके अनुसार दोनों यात्री साथ साथ यात्रा कर रहे थे । अतः उन दोनोंने अपना सामान इकट्ठा करवा दिया था ।

जब पुलिसने मुझे पूछा कि क्या 'राव' नामक दो यात्रियोंका नाम मुझे याद है जिन्होंने २७ जनवरीको एअर इंडिया हवाई जहाजसे यात्रा की थी, तो मैंने कहा कि मुझे याद है । मुझे यह भी याद है कि इनमेंसे एक यात्री मेरे पास कई बार आया और काफी तथा मिठाइयोंके लिए आदेश दिया । उसने साधारणसे अधिक बार काफी और मिठाइयोंकी माँग की । जो व्यक्ति काफी माँगने आता था वह आस्टे था ।

श्री ओककी जिरहपर गवाहने बताया कि वह यात्री-सूची, सामान-सूची तथा हवाई जहाजकी सूची वादमें प्रधान कार्यालयमें दाखिल कर दी गयी थी । जब मैंने इन व्यक्तियोंकी शिनाख्त परेडमें पहचान की तो वे सूचियाँ मेरे पास न थीं ।

## पड्यंत्रकी वात पहलेसे मालूम थी

सवृत पक्षके गवाह अंगदसिंहकी गवाहीके सम्बन्धमें वचाव पक्षके प्रधान वकील श्री भोपटकरके उज्रको सुननेके बाद अदालतने सवृतके प्रधान वकीलके तर्कोंको स्वीकार करते हुए इस गवाहका बयान भारतीय गवाही कानून, १८७२ की १५७ धाराके अंतर्गत लिखे जानेका निर्णय किया। अतः अंगदसिंह अदालतमें बुलाया गया और आज उसका बयान लिया गया। अंगदसिंह बम्बईका एक दलाल है।

गवाह अंगदसिंहने कहा—मेरा कार्यालय फोर्ट, बम्बईमें है। मैं प्रो० जे० सी० जैनको पिछले दो वर्षोंसे जानता हूँ। मैं प्रो० जैनसे सप्ताहमें दो तीन बार मिला करता था। मैं मदनलालको जानता हूँ। (गवाहने मदनलालको अदालतमें पहचान लिया।) गवाहने बताया कि मैं पहले पहल २६ अक्तूबर १९४७ को प्रो० जैनसे उनके घर मिला था। उस दिन शिवाजी पार्कमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका प्रदर्शन था। इस अवसरपर प्रो० जैनने मदनलालका परिचय मुझे कराया था और मुझसे कहा था कि इस व्यक्तिके लिए कहीं रोजगार तलाश कर दीजिये। यद्यपि मदनलाल उस समय चपरासीका काम करनेको तैयार था लेकिन मैंने उससे कहा कि आप कुछ पढ़े-लिखे आदमी हैं, अतः आप किसी व्यापारकी ओर ध्यान दें। मदनलालको मेरा यह सुझाव पसन्द नहीं आया।

जब मैं बादमें १० जनवरी अथवा ११ जनवरी १९४८ को प्रो० जैनके पास लगभग सायं ७ बजे उनके मकानपर गया तब मदनलाल वहाँ न था। बादमें वह वहाँ आ धमका। उसने तब अहमदनगरकी अपनी हलचलोंका वर्णन सुनाया। उसने कहा कि अहमदनगरमें एक पार्टी बनायी गयी है जिसकी आर्थिक सहायता सेठ करकरे करता है। मदनलालने बड़े रोचक ढंगसे उस घटनाका वर्णन किया जब कि रावसाहब पटवर्धनने एक समान भाषण किया था। मदनलालने भाषण करते समय पटवर्धनकी हँसली पकड़ ली थी और उनकी छातीपर चाकू तानकर उनसे ललकार कर कहा था कि अब आप फिर कहें कि हिन्दू और मुस्लिमोंकी भाई-भाईकी तरह रहना चाहिये। इसके बाद मदनलालने अपनी जेबसे अखबार निकाले और उन्हें प्रो० जैनके हवाले किया और कहा कि इन अखबारोंने उसकी कितनी प्रशंसा की है।

दो दिन बाद में प्रो० जैनसे जब मिला तब वह मुझे बड़े चिंतित दिखायी दिये । उन्होंने मुझे बताया कि मदनलालने उनसे कहा है कि उसकी पार्टीने महात्मा गान्धीकी हत्याका पड़यन्त्र किया है और उसके सिलसिलेमें हथियार और गोला-बारूद एकत्र किया जा रहा है तथा वैरिस्टर सावरकरका इस पड़यन्त्रके पीछे हाथ है । मैंने प्रो० जैनसे कहा कि बहाह ! आप भी एक शरणार्थी ( मदनलाल ) की गप्पवाजीका खयाल करते हैं । फिर भी मैं उनके इस सुझावको मान गया कि इस खबरकी सूचना अधिकारियोंको दे देनी चाहिये ।

२१ जनवरी १९४८ को मैं प्रो० जैनसे फिर मिला । इससे पहले मैं अखबारमें यह पढ़ चुका था कि दिल्लीमें विड़लाभवनकी प्रार्थना-सभामें महात्मा गान्धीकी हत्याके प्रयत्नमें एक बम फटा और इस सिलसिलेमें मदनलाल पकड़ लिया गया । प्रो० जैन और मैंने आशंका की कि कहीं महात्मा गान्धीकी हत्याका पड़यंत्र सच्चा साबित न हो । अतः हम लोगोंने अधिकारियोंको उसकी सूचना देनेका निर्णय किया । प्रो० जैनने बम्बईके प्रधान मन्त्री श्री बा० गं० खेरसे सम्पर्क स्थापित किया और उनसे मिलनेके लिए सायं ४ बजेका समय ले लिया । लेकिन मुलाकातके लिए मैं न जा सका ।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरकी जिरहमें गवाह अंगदसिंहने बताया कि मैं अब समाजवादी हो गया हूँ । बम फटनेके तीन दिन बाद मैंने समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता और श्री हरीशको बताया कि महात्मा गान्धीकी हत्याके लिए एक पड़यन्त्र रचा गया है । मेरा बयान पुलिसने गत फरवरीके अंतिम सप्ताहमें लिखा है ।

गवाहने बताया कि मुझे यह याद नहीं कि मैंने पुलिसको यह भी कहा था कि मैंने सरदार पटेल तथा एस. के. पाटिलसे भी मिलनेकी कोशिश की थी । मुझे खयाल है कि मैंने पुलिससे यह कहा था कि सेठ करकरे उस पार्टीको आर्थिक सहायता दे रहा है । सेठ करकरेने अहमदनगरमें उन फलोंकी दूकानोंपर अधिकार कर लिया था जिन्हें मुसलमान छोड़कर चले गये थे ।

गवाहने फिर बताया कि मैं सावरकरको नहीं जानता । मैंने पुलिसको यह बता दिया था कि प्रो० जैनसे मदनलालने कहा था कि वह ( मदनलाल ) सावरकरके घर आ-जा चुका है और सावरकरने उसकी बहादुरीके लिए उसकी पीठ ठोककर शाबाशी भी दी है ।

ओकरी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं कांग्रेस महासमितिके बम्बई अधिवेशनमें उपस्थित न था जब कि भारत-विभाजनका प्रस्ताव स्वीकृतिके लिए उसके सामने रखा गया था ।

श्री डांगेकी जिरहमें गवाहने कहा कि मेरा प्रो० जैनसे पहला सम्पर्क १९४५ या १९४६ में हुआ था । प्रो० जैनको मेरे वोटकी आवश्यकता थी, क्योंकि वे बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस समितिके चुनावमें उम्मेदवार बनकर खड़े थे । प्रो० जैन उस चुनावमें असफल रहे ।

### १६ अगस्त

आज श्री डांगेने अंगदसिंहसे जिरह जारी रखी ।

गवाहने कहा कि मदनलाल जब अहमदनगरके कारनामोंका बखान कर रहा था मैंने सोचा कि वह शेखी मार रहा है । मैंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें कोई हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मैं एक आरेशनके कारण १॥ वर्ष तक बीमार रहा ।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीके एक सवाङके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं २१ जनवरी, १९४८ को दिल्ली आया था ।

गवाहने कहा कि मुझे याद नहीं कि मदनलालने प्रोफेसर जैनसे यह कहा हो कि स्वयंसेवक दलने ही अहमदनगरसे मुसलमानोंको भगाया है । पुलिसको अपना बयान देते हुए मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवकके 'संघट' की तारीख अवश्य बतायी थी ।

इससे पूर्व अदालतने 'दिल्ली डायरी' को, जिसमें गान्धीजीके प्रार्थना-भाषण थे, रेकार्डमें अंकित करनेसे इन्कार कर दिया ।

एक अन्य प्रश्नका उत्तर देते हुए अंगदसिंहने कहा कि मेरी उपस्थितिमें मदनलालने प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैनको यह नहीं बताया था कि अहमदनगरकी एक सभामें रावसाहब पटवर्धन कदमीरके प्रधान मंत्री शैल अष्टकाकी तारीफ कर रहे थे ।

इसके बाद गोपाल गोडसे और परचुरेके वकील श्री इनामद... गवाहने जिरह की । गवाहने बताया कि प्रोफेसर जैन और मुझमें इतलिए कि हम दोनों साहित्यमें दिलचस्पी लेते थे और दोनों युक्तप्रान्त

सच नहीं है कि जब प्रो० जैन कुछ चिन्तित दिखायी दिये थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका वचा तो बीमार नहीं है ।

अगला गवाह इन्ग्लिश लॉ ऑफ इण्डियाकी बम्बई शाखाके पेन्शनर गणपतराव भीमराव अफजलपुरकर था । गवाहने कहा कि महासभाके लिए चन्दा जमा करनेवालेके तौरपर पूनाके बडगेको मैं गत ५ वर्षोंसे जानता हूँ ।

बडगेको अदालतमें पेश किया गया और गवाहने उसे पहचान लिया ।

गवाहने कहा कि बडगेको अन्तिम बार जनवरीके मध्य दो आदमियोंके साथ देखा था । बडगेने मुझे उन दोनों व्यक्तियोंका परिचय कराते हुए कहा था कि ये हिन्दू महासभाके सदस्य हैं और हैदराबादमें सत्याग्रह करने वहाँ जा रहे हैं । तब उन सबने आसमें हैदराबादकी स्थितिपर विचार किया ।

गवाहने अमियुक्तोंमेंसे नथूराम गोडसे और आपटेको पहचाना, जो उस दिन बडगेके साथ थे । बडगे द्वारा परिचय कराये जानेसे पूर्व मैं यह नहीं जानता था कि उनमेंसे एक तो 'अग्रणी' का सम्पादक है और दूसरा व्यवस्थापक ।

मैंने बडगेको १००) दिये, क्योंकि वह हैदराबाद संघर्षके लिए पैसे माँग रहा था । वे तीनों मेरे साथ १५ मिनटतक रहे । बडगे एक बार मेरे पास इस्पातका जाकेट ( कवच ) ब्रेचने आया । वे दिन हिन्दू और मुसलमानोंके दंगोंके थे और मालूम नहीं था कौन, कब, किसकी कोखमें छुड़ा भोंक जाय । इसलिए मैंने अपने पुत्रके लिए बडगेसे एक इस्पाती जाकेट खरीद लिया । बडगेको मैंने उसके ५०) दिये ।

गोडसेके वकील श्री ओकके एक प्रश्नका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि बम्बईकी शिनाख्त परेडमें मैंने बडगेको पहचाना था पर मुझे यह मालूम नहीं था कि आपटे कौन है, और गोडसे कौन है ? लेकिन मैंने बताया कि ये दोनों व्यक्ति बडगेके साथ पहली मुलाकातके समय मौजूद थे । अदालतमें आज गवाहने आपटे और गोडसेको पहचानते हुए कहा कि अब मैं कह सकता हूँ कि आपटे कौन है और गोडसे कौन है, क्योंकि अखबारोंमें उनके फोटो और नाम छप चुके हैं और मैंने उन्हें देखा है ।

इसके बाद आपटेके वकील श्री मंगलेने जिरह शुरू की । जिरहके जवाबमें मैंने कहा कि मैंने लोहेका जाकेट ५०) में ३ मास पहले खरीदा था,

जब कि बडगे गोडसे और आपटेके साथ मुझसे मिलनेके लिए आया था । जब मैंने बडगेको १००) दिने थे तो वे दोनों आपसमें यह चर्चा कर रहे थे कि ये दाम कम हैं ।

इसके बाद श्री भोपटकरने जिरह शुरू की । एक प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि १०० रु० मैंने बडगेको वैयक्तिक तौरपर नहीं दिये थे ।

इसके बाद अदालतने चरनदास मेघजी मथुरादासकी जो बम्बई यूनिजन डाइंग मिल्सके हिस्सेदार हैं, गवाही ली । गवाहने बय न देते हुए कहा कि मैं बडगेको १९४७ के शुरूसे जानता हूँ, जब कि वह मेरे पास इस्पातके जाकेट बनानेकी योजना लेकर आया था और मुझे उसमें आर्थिक सहायता देनेके लिए, कहा था । मैंने बडगेको ४००) दिया । २ मासके पश्चात् बडगेने एक इस्पाती जाकेट मुझे दिया था ।

जनवरी १९४८ के मध्यमें बडगे गोडसे और आपटेके साथ मेरे पास आया और उनका परिचय कराते हुए कहा कि ये दोनों व्यक्ति 'हिन्दू राष्ट्र' का संचालन करते हैं । ( गवाहने बडगे, आपटे और गोडसेको अदालतमें पहचाना । )

गवाहने कहा कि वे मुझसे अग्नि-प्रेक्षक हथियार और गोला बारूदके लिए ५,००० रु० माँगते थे और उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ दिनों बाद मुझे यह भी मादम हो जायगा कि इस रकमकी मददने क्या गुल खिलता है ।

मैंने उन्हें बताया कि मैं कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, लेकिन अपने मित्रोंसे पूछकर यदि कुछ सम्भव हुआ तो करूँगा । आपटे द्वारा वाधित किये जानेपर मैंने उन्हें १०००) दिया । यह बातचीत मकानके बाहर हुई थी, किन्तु रुपया मकानके अन्दर दिया गया था, जिसे लेकर आपटे चला गया ।

इसके बाद आपटे १९ फरवरीको पुलिसके साथ मेरे पास आया ।

श्री ओकके प्रश्नके उत्तरमें कहा कि बम्बईमें मजिस्ट्रेटके सामने मैं गोडसेको पहचान नहीं सका । आपटेके वकीलकी जिरहमें गवाहने कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, और मुझे पता नहीं था कि हिन्दू सरकारने गान्धीजीके अनशनके कारण ५५ करोड रुपया पाकिस्तानको देना मंजूर कर लिया था ।

मैं बडगोके साथ सदा मराठी भाषामें बात करता रहा हूँ । मैंने अपने निजी हिसाबसे आपटेको १०००) दिया था, लेकिन यह कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि मैं अपने निजी खर्चका कोई हिसाब-किताब नहीं रखता ।

यह बात सच नहीं है कि मैंने १९ फरवरी १९४८ को यह बताया था कि मैंने कोई रकम आपटेको नहीं दिया । जाँचके सिलसिलेमें पुलिस मेरी कैक्टरीका बहीखाता अपने साथ ले गयी थी ।

डांगोके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि जब मुझे बडगोने इस्पाती जाकेट दिया था, तो मैंने उसके मूल्यके विषयमें बडगोसे कुछ नहीं पूछा था ।

शिनाख्त परेडमें मैंने गोडसेके वजाय करकरेकी नथूराम गोडसेके रूपमें शिनाख्त की थी ।

मैंने 'हिन्दू राष्ट्र' की नीतिके सम्बन्धमें गोडसे और आपटेसे कुछ नहीं पूछा था, जब गोडसे और आपटेका परिचय बडगोने मुझसे कराया था ।

### १७ अगस्त

अभियुक्त शंकर और मुखनिर बडगोकी बीमारीके कारण आज सुकदमेकी सुनवाई न हो सकी । अब सुनवाई २० अगस्तको होगी ।

### २० अगस्त

वाग्ने यूनियन डाइंग मिल्सके हिस्सेदार श्री चरनदास मेघजी मथुरादाससे श्री डांगे वकीलने जिरह शुरू की । गवाहने कहा कि मैं राजनीतिमें दिलचस्पी नहीं लेता । रजाकारोंके अत्याचार रोकनेके लिए मैंने १०००) दान दिया था । गान्धी-स्मारक निधिमें भी कुछ रकम देना चाहता हूँ पर अभी दी नहीं है ।

श्री भोमटकरके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि आपटे हैदराबाद स्टेट कांग्रेसका सदस्य है या नहीं, यह प्रश्न मैंने उससे नहीं पूछा था । उसने मुझे हथगोले और आग उगलनेवाला यन्त्र भी नहीं दिखाया था ।

इसके बाद खड़की (पूना) के मोटर ट्रांसपोर्ट स्टोर सव-डीपोके सिविल असिस्टेंट सेक्युरिटी अफसर श्री लेस्ली पर्सीवल पाण्डेकी गवाही हुई । उन्होंने कहा कि मैं अभियुक्त गोपाल गोडसेको जानता हूँ । २८ अक्टूबर १९४० को उसने इण्डियन आर्मी आर्डनेन्स कोरमें अस्थायी स्टोरमैनकी नौकरी शुरू

की। जनवरी १९४८ में वह अस्थायी सिविलियन असिस्टेण्ट स्टोर कीमत हुआ। १५ जनवरीको उसने ८ दिनकी छुट्टी माँगी, पर वह मंजूर नहीं हुई! इसपर उसने १७ जनवरीसे २३ जनवरी तक छुट्टी माँगी। कैप्टन हाण्डने छुट्टी मंजूर की। २४ को छुट्टी थी और २५ को रविवार था। वह २६ को फिर कामपर आया।

श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि गोपाल गोडसेने २ से ४ फरवरीतक पुलिसके पहरेमें काम किया। २२ फरवरीको वह बर्खास्त कर दिया गया।

### नथूरामको हत्यास्थलपर पकड़नेवाले मालीकी गवाही

इसके बाद विडला-भवनके माली रघुनाथ नाइककी गवाही हुई। उसने कहा कि हत्याके दिन मैं प्रार्थना-स्थानपर उपस्थित था। सोढ़ी चढ़कर गान्धीजी ५-७ कदम गये होंगे इतनेमें एक आदमी उनके सामने आया। गान्धीजीके साथ उस समय आभा गान्धी, मनुवेन, नन्दलाल मेहता और गुरुबख्श सिंह थे। मैं गान्धीजीसे १०-५ कदम दूर था। मैंने पिस्तौलकी गोलियोंकी तीन आवाजें सुनीं और उधर दौड़ गया। मेरे हाथमें खुरपा था जिससे मैंने आक्रमणकारीके सिरपर प्रहार किया और उसे पीछेते पकड़ रखा। पुलिसने उसके हाथसे पिस्तौल छीन ली। इसके बाद पुलिस और एक सैनिकने उसे पकड़ रखा।

नथूरामको पहचान कर गवाहने कहा कि इसीने गान्धीजीपर आक्रमण किया था। नथूरामके कहनेपर मालीसे जिरह नहीं की गयी।

### दीक्षित महाराजकी गवाही

इसके बाद बम्बईके माता मन्दिरमें रहनेवाले बम्बई पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदायके आदिगुरु और गोस्वामी कृष्णजी महाराजके भाई गोस्वामी दीक्षित महाराजकी गवाही हुई। गवाहने कहा कि १९३९ से मैं सार्वजनिक कार्य कर रहा हूँ। १९४२ से राजनीतिमें भी भाग लेता हूँ। १९४६ के आखिरमें मैंने बडगोसे ३५०) के खंजर आदि लेकर बम्बई प्रान्तमें मुसलिम रियासतोंके पासके गाँववालोंको आत्मरक्षाके लिए बाँटे थे। १९४७ के आखिर तक बडगो ३-४ वार मेरे यहाँ आया। कभी शंकरकी भी वह साथ ले आता रहा। मेरे भारने





था। मैंने उससे पूछा कि आप लोगोंके कश्मीर जानेकी बात मालूम हुई थी, तो आप इतनी जल्दी लौट कैसे आये ? आपटेने कहा कि हमने लगभग ३०-४० हजारके शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद खरीदा है और आधेसे अधिक दिल्लीके भी आगे भेज चुके हैं। बाकी भेजनेके लिए हम लौट आये हैं। इसके बाद उसने कहा कि दिल्लीके भी आगे बिना रिवाल्वरके जाना खतरनाक है, इसलिए एक रिवाल्वर दीजिये। दादा महाराजने रिवाल्वर देना स्वीकार किया है यह भी उसने कहा। इसके बाद गोडसेके पाससे एक रिवाल्वर लेकर आपटेने दिखाया और कहा कि यह ३००) में लिया है और इसीके साथ जोड़ीका एक और रिवाल्वर चाहिये।

### २१ अगस्त

दीक्षित महाराजका वयान आज फिर आगे लिखा गया।

गवाहने कहा—जनवरी १९४८ के अंतिम सप्ताहमें मैंने माता मन्दिरमें जेसलमेरकी सभामें भाग लिया जो उधी दिन शामको आमन्त्रित की गयी थी। मैं वीमार होनेके कारण वहाँ एक आराम कुर्सीमें लिटाकर ले जाया गया था। उस समय गोडसे ( नथूराम ) मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मैंने हथियारोंका प्रवन्ध कर लिया है ? इसके उत्तरमें मैंने 'न' कर दिया। जनवरी १९४८ में मेरे पास एक पिस्तौलका लाइसेन्स था। महात्मा गान्धीकी हत्याके सात दिन बाद, दादा महाराज बनारससे लौटे। मैंने उनसे पूछा कि महात्मा गान्धीकी हत्याके सिलसिलेमें गिरफ्तार किया गया यह गोडसे कौन है ? दादा महाराजने इसपर मुझे बताया कि यह गोडसे वही व्यक्ति है जो जेसलमेर-सभामें मुझसे मिला था। जून-अक्तूबर १९४७ की अवधिमें, मैंने बडगोसे ५७ हजार रुपयेके हथियार खरीदे थे। मैंने बडगोसेको दादा महाराजके हिसाबमें १२८० रुपये और भी अदा किये थे।

श्री भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि जो हथियार मैंने बडगोसे खरीदे थे वे मुफ्त वाँटे गये थे। मैंने दादा महाराजसे नहीं पूछा कि उन्होंने उन हथियारों और गोला-बारूदका क्या किया था जो उन्होंने खरीदे थे। मैं समाजवादका समर्थक हूँ और मेरा विचार राजनीतिक क्षेत्रमें मेरे भाई दादा महाराजसे भिन्न है।

## तबले और डुग्गेके अन्दर खंजर

मैं समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायणसे तीन या चार बार मिल चुका हूँ । मैंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें कोई सक्रिय भाग नहीं लिया । अगस्त-आन्दोलनके समय समाजवादी नेता श्री अच्युत पटवर्धन माता मन्दिरमें तीन दिन ठहरे थे जहाँ मैं स्वयं रहता था ।

दिल्लीमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें बम-विस्फोट होनेके पश्चात् मैंने अखबारोंमें पढ़ा कि मदनलाल नामक एक व्यक्ति इस सम्बन्धमें गिरफ्तार किया गया है । पर उस समय तक मैं यह नहीं जानता था कि मदनलाल वस्तुतः कौन है । जिस दिन 'जेसलमेरकी सभा' हुई थी, उस दिन प्रातः आपटे तथा गोडसेने मुझे बम-विस्फोटके बारेमें बातचीत नहीं की थी ।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि मैंने बडगोसे ३५० रु० के खंजर खरीदे थे । बडगो तबले तथा डुग्गेके अन्दर छिपाकर खंजर मेरे पास लाया करता था ।

मेरी वैयक्तिक आर्थिक आमदनी २००० से ४००० रु० तक थी । मैं आमदनी तथा खर्चका कोई हिसाब-किताब नहीं रखता था । यह रूपया दूसरे लोग प्रेमपूर्वक मुझे भेंटमें दे जाया करते थे ।

१९ अप्रैल १९४७ के बादसे मेरे पास एक पिस्तौलका लाइसेंस है । उस समय कांग्रेस मन्त्रिमण्डल प्रान्तमें बन चुका था । मुझे यह याद नहीं कि उस समय श्री मुरारजी देसाई गृहमन्त्री थे । १९४२ में बम्बईकी खुफिया पुलिस मेरी निगरानी रखती थी । मैं यह नहीं कह सकता कि खुफिया पुलिसने मुझपर कब तक निगरानी रखी । मेरे भाईके पास भी पिस्तौलके लाइसेंस थे । जिस छोटीसी आलमारीमें मैं अपनी पिस्तौल रखता था, उसको मैं ताला नहीं लगाता था, क्योंकि जब भी कभी मैं बाहर जाता तो कमरेमें ताला लगाया जाता था । जब मैंने बडगोसे हथियार तथा गोला-बारूद खरीदा तो मुझे वह बात भली प्रकार मालूम थी कि उसके पास शस्त्रास्त्र बेचनेका लाइसेंस नहीं है ।

मैं हिन्दू महासभाकी नीतिसे कुछ मामलोंमें असहमत हूँ, पर हिन्दुओं तथा हिन्दुओंके अधिकारोंकी रक्षाको उसकी नीतिसे अब भी सहमत हूँ ।

### नथूरामने स्वयं जिरह की

श्री डांगेकी जिरहके बाद स्वयं नथूराम गोडसेने अदालतकी अनुमति पाकर गवाहसे प्रश्न किये । गोडसेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया कि समाजवादी नेताओंसे मेरा वनिष्ठ सम्पर्क रहा है । मैं यह जानता हूँ कि समाजवादी नेताओंका उद्देश्य हिन्दुओंको शक्तिसम्पन्न बनाना नहीं था, पर हैदराबादमें उनके कार्यकर्ताओंको देखकर मैं यह समझता कि वे यह सब कुछ हिन्दुओंको शक्तिशाली बनानेके लिए कर रहे हैं ।

गवाहने आगे बताया कि मैंने समाजवादी नेताओंसे भारत-विभाजनके बारेमें कभी भी बहस करके उनका दृष्टिकोण जाननेका प्रयत्न नहीं किया । भारत-विभाजनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी । मुझे यह ज्ञात नहीं कि विभाजनके प्रश्नपर अ० भा० कांग्रेस महासमितिके अधिवेशनमें समाजवादी दल तटस्थ रहा या नहीं ।

गवाहने यह भी बताया कि दादा महाराजने 'जैसलमेरकी सभा' का सभापतित्व किया था । यह बात सच है कि पाकिस्तानी हमलावर्गोंने जैसलमेर राज्यपर हमला किया था और यह सभा हमलेका विरोध करनेके लिए माता-मन्दिर बग्घईमें हुई थी ।

मुझे यह याद नहीं कि इस सभामें किसी वक्ताने इस आशयका भाषण किया था कि नहीं कि जहाँ एक ओर पाकिस्तान जैसलमेर तथा हिन्दुओंपर आक्रमण कर रहा है वहाँ दूसरी ओर हमारी सरकार महात्मा गान्धीके अनशनके दवाबमें आकर पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपये दे रही है । अतः हमारी सरकारका यह काम हमारे प्रति विश्वासवात है । इस सभामें बहुतसे वक्ताओंने भाषण किये थे । हो सकता है कि कुछ वक्ताओंने ऐसा भी कहा हो ।

गवाहने आगे बताया कि यह बात सच है कि इस सभामें केन्द्रीय सरकारकी पाकिस्तानी पोषक नीतिकी कड़ी आलोचना की गयी थी । मेरे भाईने जो इस सभाके सभापति थे, कोई आपत्ति नहीं उठायी थी ।

सवृत पक्षके प्रमुख वकील श्री दफ्तरीने अदालतका ध्यान इस अवांछनीयताकी ओर आकृष्ट कराया कि एक अभियुक्त और उसके वकील दोनोंको एक ही गवाहसे जिरह करनेकी अनुमति क्यों दी गयी ।

नथूराम तथा करकरेके वकीलने इस आपत्तिका विरोध करते हुए कहा कि वकीलकी जिरहके बाद भी अभियुक्तको गवाहसे जिरह करनेकी अनुमति देनेका अधिकार अदालतको होता है। जब अदालत दो अभियुक्तों शंकर किस्तव्या तथा नथूराम गोडसेको जिरह करनेकी अनुमति दे चुकी तो अब सबूत पक्षके प्रधान वकीलने क्यों आपत्ति उठायी।

इसके उत्तरमें श्री दफ्तरीने कहा कि वकीलके जिरह कर चुकनेपर भी शंकर किस्तव्याको जिरह करनेकी अनुमति इसलिए दे दी गयी थी कि उसने यह शिकायत की थी कि मेरे वकीलने गवाहसे वे प्रश्न नहीं पूछे जिन्हें कि मैं पुछवाना चाहता था। फिर यदि मैंने प्रथम अवसरपर अभियुक्तोंको जिरह करनेकी अनुमति दी जानेपर आपत्ति नहीं उठायी तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आगे भी आपत्ति नहीं उठा सकता। मैं यह जानता हूँ कि वकीलके जिरह कर चुकनेपर भी गवाहसे अभियुक्तको जिरह करनेकी अनुमति देना अदालतके अधिकारकी बात है, पर मेरी आपत्तिका उद्देश्य यह है कि अदालत इन अधिकारोंका समुचित प्रयोग करे।

२३ अगस्त

“मैं राष्ट्र-पितातक शरणार्थियोंकी पुकार पहुँचाना चाहता था”

आज अभियुक्त मदनलालने अपने वकील श्री बनर्जी द्वारा एक आवेदनपत्र पेश किया।

आवेदनपत्रमें कहा गया है कि २१ अगस्तको गवाह दीक्षितजी महाराजकी जिरहमें मेरे हिन्दू महासभासे सम्बन्धित होनेके विषयमें कुछ पर्यालोचन हुआ था। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न तो मैं हिन्दू महासभाका सदस्य हूँ और न कभी रहा हूँ। मैं प्रत्येक घटनापर या वस्तुपर एक शरणार्थी होनेके नाते विचार करता था, किसी राजनीतिक दलके सदस्यके रूपमें नहीं।

गान्धीजी द्वारा पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देनेके लिए भारत सरकारको बाध्य करनेके कारण मेरी आत्माको बहुत आघात लगा। ऐसा मालूम होता था कि दिल्लीके मुसलमानोंकी गुनगुनाहट तो गान्धीजीकी स्पष्टतः सुन पड़ती है, किन्तु राष्ट्र-पिता और भारत सरकारके डिक्टेटर तक शरणार्थियोंकी आसमानको फाड़ देनेवाली हृदयविदारक चीत्कारों उनके पासतक नहीं पहुँचती। उन्हें पहुँचानेके लिए मैंने २० जनवरीको बम-विस्फोट किया था।

माता मन्दिरके दीक्षित महाराजकी जिरह आज भी जारी रही। मँगलेकी जिरहका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि १५ अगस्त, १९४७ को दादा महाराजने मरम्मतके लिए मुझे एक पिस्तौल दी थी। जैसेकमेरकी बैठक १५ जनवरीके १०-११ दिन बाद की गयी थी।

श्री वनजीके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैंने मदनलालकी पुस्तकें एक शरणार्थीको सहायता पहुँचानेके ख्यालसे खरीदी थी। जब मदनलाल मेरे पास किताबें बेचने आया था, तो प्रसंगवश मैंने उससे पंजाबकी स्थितिपर बातचीत की थी।

माता मन्दिरमें 'विग्रह' के पास तथा भजन और कीर्तनवाले स्थानपर तथा जहाँ लोग 'विग्रह' का दर्शन करनेके लिए एकत्र होते हैं, कुरानके पाठकी इजाजत नहीं दी जाती। मैंने थोड़ी-सी कुरान पढ़ी है।

वकील इनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा मुझे नहीं मालूम कि विक्रमी संवत्की आज कौनसी सौर तिथि है। मुझे १५ जनवरीकी तारीख याद है, क्योंकि उसके दो दिन बाद श्रीमारीमें कृश हो जानेके कारण मैं गिर पड़ा था और मुझे चोट आयी थी। मैं नोआखालीकी घटनाओंको देखकर हिन्दुओंकी सहायता करनेमें अधिक दिलचस्पी लेने लगा।

दुवारा जिरह की जानेपर दीक्षित महाराजने कहा कि स्वयं खजूरोंके लिए लाइसेन्सकी आवश्यकता नहीं है तथापि बढगे उन्हें तबले और ढगोमें छिपाकर इच कारण लाता था कि बम्बईके पुलिस कमिश्नरने खजूर तो फया, एक लकड़ी भी हाथमें लेकर चलना बन्द कर रखा था।

### गृहमन्त्री मुरारजी देसाईकी गवाही

सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतको एक आवेदन पत्र पेश किया जिसमें 'इण्डियन एविडेंस एक्ट' की १५७ वीं धाराके मातहत प्रो० जगदीशचन्द्र जैनकी गवाहीको पुष्ट करनेके निमित्त बम्बईके गृहमन्त्री मुरारजी देसाईको पेश करनेपर आपत्ति प्रकट की गयी थी।

उन्होंने कहा कि बचाव पक्षकी युक्ति यह है कि विधिके अनुसार प्रो० जगदीशचन्द्र जैनकी गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए उसकी पुष्टि भी अप्राप्त है।

न्यायाधीशने अपना फैसला दिया कि स्पष्टतः मुरारजी देसाई गवाही देनेसे नहीं रोके जा सकते। हमें क्या मालूम कि वे किस प्रकारकी गवाही देंगे, इसलिए उनकी गवाही सुन लेनी चाहिये। उसे स्वीकार करने या न करनेके सवालपर पीछे विचार कर लिया जायगा।

इसके बाद न्यायाधीशकी अनुमतिसे सवृत पक्षने मुरारजी देसाईको पेश किया । उन्हें बैठनेके लिए एक कुर्सी दी गयी ।

उन्होंने कहा कि मैं बम्बई सरकारका गृहमन्त्री हूँ । मेरे पास गृह और राजस्व विभाग हैं । अपने कार्यका पारिश्रमिक भी मैं लेता हूँ । अपराध और उनकी जाँचका कार्य गृहविभागके अन्तर्गत आता है ।

मुझे अब मालूम हुआ है कि प्रो० जगदीशचन्द्र जैन कौन हैं । मैंने पहले पहल उन्हें २१ जनवरी १९४८ को देखा था । उस दिन लगभग सायं ४ बजे वे प्रधान-मन्त्री वा. गं. खेरसे मिलने आये थे । प्रधान मन्त्रीने मुझे बुलाया । सचिवालयमें मैं उनके पासके कमरेमें ही था । मैं प्रधान मन्त्रीके कमरेमें गया जहाँ मैंने उनके साथ एक व्यक्तिको बैठे हुए देखा जिसके विषयमें मुझे अब मालूम हुआ है कि वे प्रो० जगदीशचन्द्र जैन थे ।

प्रो० जैनने मुझे सारी कहानी सुनायी । उन्होंने कहा—“मैंने सुना है कि कल दिल्लीमें बिड़ला-भवनके प्रार्थना-स्थलके समीप एक बम-विस्फोट हुआ है, इस सम्बन्धमें जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उसे मैं जानता हूँ । इसका नाम मदनलाल बताया गया है । मैं उन तत्वोंको भी जानता हूँ, जिनसे प्रेरणा पाकर यह बम-विस्फोट किया गया है ।”

प्रो० जैनने कहा था “मदनलालके साथ मेरा परिचय एक शरणार्थीके तौरपर हुआ । मैंने उसे पैसोंकी मदद भी दी है । दिल्लीके बम-विस्फोटकी घटनासे ३-४ दिन पहले वह बम्बईसे दिल्ली रवाना हुआ । दिल्ली जानेसे पूर्व मदनलालने मुझसे बातें की थीं और बताया था कि हमसे एकने एक बड़े नेताकी हत्या करनेका निश्चय कर लिया है । बहुत जोर देनेपर मदनलालने मुझे यह बताया कि वह बड़ा नेता महात्मा गान्धी हैं ।”

मुरारजी देसाईने आगे कहा कि प्रो० जैनने मुझसे यह भी कहा—“मदनलालके साथ अहमदनगरके करकरे नामक एक व्यक्ति भी मेरे पास आया था । मदनलालने मुझे करकरेके कारनामे भी बताये । करकरे मदनलालको सावरकरके पास ले-गया, जहाँ उसकी सावरकरसे दो घण्टेतक बातचीत हुई और अन्तमें सावरकरने मदनलालके कामोंपर तथा उसकी योजनापर पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया ।” मदनलालने मुझे यह भी बताया था कि हथियार और गोला-बाहुद अहमदनगरके पास जंगलमें गाड़ रखे गये हैं ।

मुरारजीने कहा—मैंने उस समय तुरन्त ही जे० सी० जैनसे पूछा कि तभी आपने मुझे सूचित क्यों नहीं कर दिया । उन्होंने कहा कि ‘शरणार्थी’ प्रायः गान्धीजी और कांग्रेसको कोसते रहते हैं, मैंने मदनलालकी बातोंको गम्भीरतासे नहीं लिया, इसलिए पहले नहीं आया ।

प्रो० जे० सी० जैनसे यह सूचना मिलते ही मैंने खुफिया पुलिसके अध्यक्ष जे० डी० नगरवालाको बुलवाया। नगरवाला किसी अन्य कार्यमें व्यस्त होनेके कारण तुरन्त ही मेरे पास नहीं आ सके, किन्तु मैंने उन्हें हिदायत कर दी कि रातको मेरे अहमदाबाद जानेसे पूर्व वे स्टेशनपर अवश्य मिल लें।

नगरवाला स्टेशनपर रातको ८-१५ बजे मिले। मैंने जे० सी० जैन द्वारा कही गयी सारी कथा उन्हें सुना दी और उन्हें ३ विशेष निर्देश दिये। १. करकरेको एकदम गिरफ्तार कर लिया जाय, २. सावरकरके घर और उनकी गतिविधिपर सख्त निगरानी रखी जाय और ३. इस पडयन्त्रमें शामिल लोगोंके बारेमें अधिकतम अधिक जानकारी प्राप्त की जाय।

### सरदार पटेलको २२ जनवरीकी सारी बातें बतानी

मैं २२ को सबेरे अहमदाबाद पहुँचा और वहाँपर सरदार वल्लभभाई पटेलसे मिलना, जो पहले ही वहाँ पहुँच गये थे। सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरीको मैंने प्रो० जे० सी० जैनका वृत्तान्त और उसपर अपनी कार्रवाई दोनों सुना दी।

अदालतके उठनेसे पूर्व दफ्तरीने न्यायाधीशसे कहा कि यह आपके ध्यानमें लाया जा चुका है कि नथूराम गोडसे स्वयं श्री मुरारजी देसाईसे जिरह करना चाहते हैं। दफ्तरीने कहा कि बचाव पक्ष भी इस बातपर सहमत है कि गवाहसे अभियुक्त और उसका वकील दोनों जिरह नहीं कर सकते। यदि अभियुक्त स्वयं ही जिरह करना चाहता है, तो उनका वकील फिर इस मामलेमें कोई हाथ नहीं डाल सकता।

बल दफ्तरीके इस प्रस्तावपर खुफि-प्रयुक्ति होगी और उनके बाद मुरारजी देसाईकी गवाही जारी रहेगी।

### २४ अगस्त

बम्बईके गृहमन्त्रीकी गवाही आज भी जारी रही।

श्री देसाईने कहा—२१ जनवरीको जब श्री नगरवाला स्टेशनपर मुझसे मिले थे तो मैंने उन्हें पडयन्त्रकी जानकारी देनेवालेका नाम नहीं बताया था। प्रो० जैनने मुझसे कहा कि मैं उनका नाम प्रकट न करूँ किन्तु उन्होंने उस पडयन्त्रका पता लगानेमें आवश्यकता पड़नेपर सब प्रकारकी सहायता देनेका आश्वासन दिया था।

गान्धीजीकी हत्याके ३-४ दिन बाद प्रो० जैनने मुझसे कहा कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, मैं पुलिसको गुले तौरपर सहायता देनेके लिए तैयार हूँ। तब मैंने नगरवालासे उनका परिचय करा दिया। २१ जनवरी १९४८ के बादसे मैं पडयन्त्रके रहस्यकी जाँचमें लगा रहा।



इसके बाद जिरह शुरू हुई । पहले भोपट करने देसाईसे जिरह की ।

देसाईने कहा कि २१ जनवरी १९४८ के बादसे नगरवालासे परिचय कराने तक मैं जे० सी० जैनसे तीन बार मिला । पहली मुझकात सचिवालयमें हुई और बादकी दो मेरे घरपर । मुझे यह नहीं मालूम कि नगरवालाने प्रो० जैनसे कितनी मुलाकातें कीं । प्रो० जैनसे मैं दूसरी बार २४ जनवरी १९४८ को और तीसरी बार ३४ फरवरी १९४८ को मिला ।

मैंने असेम्बली भवनमें अपने कार्यालयके पुलिसके सामने वक्तव्य दिया । नगरवालाने मेरा वक्तव्य लिखा । मुझे नहीं मालूम कि प्रो० जे० सी० जैनने मुझसे पहले इस पद्यन्त्रके विषयमें किसी पुलिस अफसरसे कहा हो ।

सचिवालयमें प्रो० जैनके मुखसे ही प्रथम बार मुझे यह मालूम हुआ कि गान्धीजीको मारनेके लिए कोई पद्यन्त्र किया जा रहा है । समय समयपर मैं नगरवालासे पूछता रहता था कि पद्यन्त्रकारियोंका पता लगानेमें कितनी प्रगति की है । मैंने नगरवालासे यह नहीं कहा कि वे विशेषतः सावरकरके पास जाकर प्रो० जैनके कथनकी सत्यताका पता लगायें ।

२१ जनवरीको स्टेशनपर मैंने नगरवालासे प्रो० जैनके घरकी भी निगरानी रखनेके लिए नहीं कहा था ।

मैं दादा महाराज और दीक्षित महाराजको जानता हूँ । मैं दोनोंसे केवल एक बार मिला हूँ । १९४८ में वम्बईमें मैंने यह अफवाह सुनी थी कि दादा महाराज हथियार और गोलाबारूद जमा करनेमें व्यस्त हैं । मुझे यह नहीं मालूम था कि दादा महाराज उन हथियारोंको समाजवादियोंको बँट देते हैं । अब मुझे यह बात अखबारोंमें प्रकाशित दादा महाराजके वयानसे मालूम हुई है ।

मुझे मालूम है कि सावरकर सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे, गिरफ्तारीकी तिथि मुझे मालूम नहीं ।

श्री मंगलेकी जिरहका जवाब देते हुए देसाईने कहा कि मैं १८ वर्षोंसे कांग्रेसी हूँ और सरदार वल्लभभाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद, राजकुमारी अमृत कौर, मौलाना अबुलकलाम आजाद और डा० अम्बेडकरको जानता हूँ ।

मैं कांग्रेस महासमितिके अधिवेशनमें भाग लेने तथा अपनेसे सम्बन्धित एक सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए दिल्ली गया था, केन्द्रीय सरकारसे पद्यन्त्रके विषयमें कोई निर्देश पाने नहीं, यद्यपि महत्त्वपूर्ण विषयोंपर मैं केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलकी सलाह लिया करता हूँ । मैं यथासम्भव भारतके प्रान्तों तथा देशकी राजनीतिक गतिविधिसे परिचित रहता हूँ ।

अखबारोंमें मैंने पढ़ा था कि गान्धीजी १३ जनवरीसे उपवास कर रहे ।

गान्धीजीका मैं सम्मान करता था इसलिए मुझे उनके स्वास्थ्य और कुशल-क्षेमकी बड़ी चिन्ता हुई ।

मैंने अखबारोंमें यह भी पढ़ा था कि भारतको पाकिस्तानके ५५ करोड़ रुपये देने हैं, किन्तु भारत कश्मीरकी लड़ाईके कारण उन्हें नहीं दे रहा है । परन्तु मैं ठीक ठीक तिथि नहीं जानता कि कब भारत सरकारने ५५ करोड़ न देनेका निश्चय किया और कब उसने अपने इस निश्चयको उलट दिया ।

१७ जनवरीको चौपाटी ( बम्बई ) की बैठकमें सरदार पटेलने भाषण किया था, तो मैं भी उपस्थित था । मैंने गान्धीजीके उपवासके विषयमें सरदार पटेलसे कोई विशेष बात नहीं की । सरदार पटेलके बम्बईके आवासकालमें मैं उनसे ३-४ बार मिला, परन्तु किन विषयोंपर मेरी उनसे बातचीत हुई, यह मुझे याद नहीं ।

मैं यह नहीं कह सकता कि भारत द्वारा पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देनेका समाचार मैंने गान्धीके उपवासकालमें या उपवासकालके बाद पढ़ा था ।

श्री हांगेके प्रदनेके उत्तरमें गुरारजीने कहा—मई १९१८ से मई १९३० तक मैंने सरकारी नौकरी की । १९३० में मैंने त्यागपत्र दे दिया । १९३७ से १९३९ तक बम्बईकी सरकारमें मैं एक मन्त्री भी रहा हूँ । उस समय मैं गृहमन्त्री नहीं था, श्री के० एम० सुंशी गृहमन्त्री थे । उस समय भी साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ।

बम्बईकी सरकार शरणार्थियोंमें दिलचस्पी लेती थी । मुझे याद नहीं कि करकरे-से कोई इस आशयका पत्र मिला हो जिसमें उसने अहमदनगरमें ५००० शरणार्थियोंकी बसानेकी बात कही हो । उस समय मेरे पास इस प्रकारके बहुतसे वैयक्तिक प्रस्ताव आया करते थे ।

जनवरी, १९४८ के प्रथम सप्ताहके अन्तमें मुझे मालूम हुआ कि अहमदनगरका कोई करकरे नामक व्यक्ति शरणार्थियोंको उपद्रव करनेके लिए भड़का रहा है ।

२१ जनवरी, १९४८ को जब प्रो० जैन सचिवालयमें मुझसे मिले थे, तो मैंने उनसे मदनलाल और उनके पारस्परिक सम्बन्धके विषयमें पूछताछ नहीं की थी । न मैंने प्रो० जैनसे यह पूछा कि उन्होंने मदनलालको कितने रुपये दिये हैं । मुझे उनकी बात विरङ्गल सची प्रतीत हुई ।

गवाहोंको जाँच लेनेका मुझे बड़ा अनुभव है, क्योंकि मैं ११ साल तक मजिस्ट्रेट रह चुका हूँ । प्रो० जैनने जिस प्रकार घटना सुनायी उससे मैं इसी परिणामपर पहुँचा कि प्रो० जैन स्पष्ट और सत्य बात कह रहे हैं ।

मैंने अपने सेक्रेटरीकी मार्फत अहमदनगरकी पुलिसको करकरेकी गिरफ्तार कर लेनेका आदेश दे दिया था । मैंने नगरवालोंको हिदायत की थी कि वे इस पद-

यन्त्रका पता लगानेके लिए पूनाके डी० आई० जी० और सी० आई० डी० से सम्पर्क स्थापित करें ।

अधिकांश जनता महात्मा गान्धीको राष्ट्रपिता समझती रही है । मैं २१ जनवरी, १९४८ को अहमदावाद इसलिए गया था कि सरदार पटेल उस अस्पतालकी आधारशिला रख रहे थे जिसका मैं एक ट्रस्टी था ।

मैं भारतका घंटवारा करनेके पक्षमें नहीं था ।

प्रो० जैनकी आशांका और इस अवस्थामें कोई हानि न देखकर मैंने नगरवालाको प्रो० जैनका नाम नहीं चताया ।

मैं गान्धीजीको व्यक्तिशः जानता हूँ । उनकी प्रार्थनामें मैं केवल दो बार गया हूँ । प्रार्थनाओंमें सुरानके उद्धरण भी पढ़े जाते थे ।

कुछ शरणार्थी बम्बईमें आकर मुझसे मिले । शरणार्थियोंकी सहायताका कार्य मेरे जिम्मे नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें शरणार्थी अफसरके पास जानेके लिए कहा ।

मुझे यह याद नहीं कि प्रो० जैनने मुझसे यह कहा हो कि वे सारी घटना जयप्रकाश नारायणकी भी सुनाना चाहते थे ।

वकील श्री वनर्जाके प्रश्नके उत्तरमें श्री देसाईने कहा—जहाँ तक मैं जानता हूँ अभियुक्तोंका कोई भी केस मेरे सामने पेश नहीं किया गया और मैंने केसको वापस लेनेकी कोई आशा भी नहीं दी । मुझे याद नहीं कि बम्बईके चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटसे आपटे, फरकरे और गोपाल गोडसेके विरुद्ध केसकी लौटा लेनेके लिए आवेदनपत्र मिला हो ।

इसके बाद वकील ओकने देसाईसे जिरह की । श्री देसाईने जवाबमें कहा कि १७ वर्षोंसे मैं कांग्रेस महासमितिका सदस्य हूँ । १९४२ में बम्बई तथा इलाहाबादमें कांग्रेस महासमितिके जो अधिवेशन हुए थे, उनमें मैं उपस्थित था । मुझे यह याद नहीं कि इलाहाबादवाले अधिवेशनमें श्री राजगोपालाचारीने सुसलमानोंकी आत्मनिर्णयका अधिकार देनेका प्रस्ताव पेश किया था या नहीं । बिना प्रस्तावकी देखे मैं कुछ नहीं कह सकता ।

इसके बाद ओकने 'इण्डियन ईयर बुक' से वह प्रस्ताव पढ़ा । श्री देसाईने कहा मुझे नहीं मालूम मैं उस समय बैठकमें उपस्थित था या गाड़ी पकड़नेके लिए पहले ही चठकर चला गया था ।

मुझे तो तथाकथित राजगोपालाचारी फार्मूलेका सार भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं उसमें दिलचस्पी ही नहीं लेता था ।

मुझे याद है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकी मतभेद होनेके कारण कांग्रेस

छोड़नी पड़ी थी। वे एक प्रकारसे मुस्लिम लीगसे समझौता करना चाहते थे, जिसमें कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती थी।

१९४२ में इगहाबादकी कांग्रेस महासमितिके श्री जगन्नारायणने भारतकी विभक्त करनेके किसी भी प्रस्तावके विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और सम्भवतः वह पास भी हो गया था।

सितम्बर, १९४५ में कांग्रेस महासमितिकी बैठक हुई और उसने फैसला किया कि चुनाव लड़े जायें।

मैं ९ अगस्त १९४२ से जुलाई १९४५ तक जेलमें रहा। उस समयतक सब कांग्रेसी कैदी और नजरबन्द छोड़ दिये गये थे।

मैं बम्बईकी धारा सभाका सूरतके ग्रामीण हिन्दू निर्वाचन क्षेत्रसे सदस्य चुना गया था। यह मैं भी मानता हूँ कि जिस प्रकार हिन्दू महासभा एक साम्प्रदायिक संस्था थी, उसी प्रकार मुस्लिम लीग भी साम्प्रदायिक संस्था थी।

चुनावके समयके सब कांग्रेस घोषणापत्रोंको याद रख सकना कठिन है।

कांग्रेसने १९४५-४६ का चुनाव मातृ देशकी आजादी और उसकी इन्डिपेंडेंट प्रान्तोंके लिए स्वायत्त शासनको लेकर लड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि १९४५ के कांग्रेस महासमितिके संकल्पमें आत्मनिर्णयका अधिकार पास कर दिया गया था या हटा दिया गया था। बिना कागजके मैं यह नहीं बता सकता।

बैठवारेकी मॉग एक साम्प्रदायिक संस्था मुस्लिम लीगकी थी।

मुस्लिम लीगने यह चुनाव स्पष्टतः भारतके विभाजनकी घोषणापर लड़ा था। बम्बईमें एक भी गैर-मुस्लिम लीगी कांग्रेसके टिकटपर आम मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रसे नहीं चुना गया, केवल एक मुसलमान जमींदार क्षेत्रसे कांग्रेसके टिकटपर चुना गया था।

एक गैर-लीगी मुसलमानको मैं अनिवार्यतः राष्ट्रवादी नहीं मानता। मैं १९४७ की कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें उपस्थित था, जिसमें ३ जूनकी विभाजन योजनापर विचार किया गया था। अधिवेशनमें इस बैठवारेकी योजनापर आम धारणाएँ हीं थीं और न कोई सुझा हीं थी। इसे तो अनिवार्य समझा गया था।

२५ अगस्त

आज वकील धोकरने श्री देसाईके साथ जिरह जारी रखी।

श्री मुरारजी देसाईने कहा—मुझे धुँपली रगूति है कि १४-१५ जून १९४७ को हुई कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें विभाजनका संकल्प एकमतसे पास नहीं

हुआ था। अनेक समाजवादियोंने संकल्पके पक्षमें मत नहीं दिये थे, यद्यपि कुछ पक्षमें भी थे।

अधिवेशन जब शुरू हुआ था, तो महात्मा गान्धी उपस्थित नहीं थे। बादमें आ गये थे। मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्हें घुलाया गया था। मेरा ख्याल है कि अधिवेशनमें गान्धीजीने अपने भाषणमें विभाजन-संकल्पका समर्थन किया था। मुझे याद नहीं कि गान्धीजीके इस कथनपर किसाने आलोचना की हो कि केन्द्रीय सरकार पंजाव, कलकत्ता और नोआखालीके दंगोंको काबूमें करनेमें असमर्थ रही है, इसलिए यदि भारतका वेंटरारा किया गया तो स्थिति और बिगड़ जायगी।

प्रांतों और प्रादेशिक इकाइयोंके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए भी कांग्रेस प्रांतोंको यह अधिकार देनेके विरुद्ध थी कि वे जब चाहें भारत संघसे अलग हो जायें। मैं नहीं कह सकता कि इस संकल्पके प्रस्तुत करनेसे पहले प्रांतोंसे भी सलाह ली गयी थी या नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, विभाजनके प्रश्नपर प्रांतोंमें कोई जनमत नहीं लिया गया।

प्रेसपर नियन्त्रण रखना मेरे हाथमें है। मुझे याद है कि धुलियामें देवगिरिकरकी अध्यक्षतामें मराठी पत्रकारोंका वार्षिक सम्मेलन हुआ था। देवगिरिकर एक बार एक शिष्टमण्डल भी मेरे पास लाये थे। वे एक प्रमुख कांग्रेसी हैं।

मैं जानता हूँ कि नथूराम गोडसे 'अग्रणी' और 'हिन्दूराष्ट्र' का सम्पादक था। मुझे याद नहीं कि उसके अखबारसे कितनी जमानत माँगी गयी थी। मेरा ख्याल है कि उससे जमानत माँगी गयी, वह जव्त कर ली गयी और फिर दूसरी जमानत माँगी गयी। मैं नहीं कह सकता कि कितनी बार जमानत माँगी गयी। जमानत इसलिए माँगी जाती थी कि वह मुसलमानोंके विरुद्ध घृणा फैलाता और हिंसाके लिए उत्तेजित करता था। जहाँ तक मुझे याद है नथूराम गोडसेने जमानत जव्त करनेके विरुद्ध बम्बईके हाईकोर्टमें अपील की थी। मेरा ख्याल है कि वह प्रार्थना नामंजूर कर दी गयी थी। सद्भावना प्रकट करनेके ख्यालसे १५ अगस्त, १९४७ (स्वाधीनता-दिवस) को जव्त की गयी सब जमानतें लौटा दी गयी और भविष्यमें अच्छा कार्य करनेकी उनसे अपील की गयी।

मुझे याद नहीं कि पत्रकारोंका जो शिष्टमण्डल मेरे पास आया था उसमें नथूराम गोडसे भी था या नहीं। हो सकता है कि शिष्टमण्डलके नेता देवगिरिकरने मुझसे कहा हो कि जमानत जव्त करके उसे लौटा देनेका कार्य तो ऐसा है मानों दण्ड देकर उसपर न्यायकी मरहमपट्टी कर दी गयी हो। मेरा ख्याल है कि उन्होंने यह भी कहा था कि अपराधी सम्पादककर मुकदमा चलाया जाना चाहिये।

## गोडसे उत्तेजित हो गया

जब गोडसेके वकीलने सुरारजी देसाईसे पूछा कि क्या उन्हें पत्रकारोंके काम असन्तोषकी जानकारी थी तो अभिव्यक्त नथूराम गोडसे खड़ा हो गया और कहने लगा—“मेरे अखबारका दमनपर दमन किया गया जिससे मेरा खून खौल उठा। इस विषयमें मैं कई बार गृहमन्त्रांसे भी मिला।”

अगले प्रदर्शका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि प्रेस ऐक्टके मातहत प्रेसोंके विरुद्ध काररवाई प्रेस सलाहकार समितिकी अनुमति लेकर की जाती थी। वह समिति सम्पादक सम्मेलनकी चुनी हुई है जिसमें गृह विभागके सेक्रेटरी एक सरकारी नामजद सदस्य हैं।

‘अग्रणी’से जब प्रथम बार जमानत माँगी गयी थी, तब प्रेस सलाहकार समितिये अनुमति नहीं ली गयी थी। उसके बाद उस जमानतकी जर्की और पुनः जमानतकी माँग प्रेस सलाहकार समितिकी अनुमतिसे की गयी थी। अर्थात् १९४६ से लेकर अबतक ९०० मामलोंकी रिपोर्ट की गयी है।

द्वारा जिरह की जानेपर श्री देसाईने बताया कि २१ जनवरी, १९४८ से १०-१२ दिन पहले भी एक दूसरे मामलेको लेकर मैंने गृहविभागके सेक्रेटरीकी मार्फत करकरेको पकड़नेकी आज्ञा दी थी।

## ७९वाँ गवाह—छात्र वसंत जोशी

श्री देसाईकी जिरहके बाद शांतासदन ठणामें रहनेवाले विद्यार्थी वसन्त गजानन जोशीकी गवाही ली गयी।

गवाहने कहा कि मेरे पिता ‘शिवाजी मुद्रणालय’ के मालिक हैं। मेरा परिवार ३ सालसे ठणामें रह रहा है। इससे पूर्व हम पूनामें तथा उससे भी पहले अहमदनगरमें थे, जहाँ मेरे पिता अमरीकी मिशन दाई स्कूलमें काम करते थे।

- मैं विष्णु रामचन्द्र करकरेकी जानता हूँ। १९४३ से वह हमारे परिवारसे परिचित है (गवाहने कठघरेमें करकरेको पहचाना।) मैंने उसे अहमदनगरमें देखा था।

मैं आपटेको भी जानता हूँ। वह अहमदनगरमें हमारे घर आना करता था (गवाहने आपटेको पहचाना।)

(गोडसेकी ओर इशारा करते हुए)—मैं नथूराम गोडसेको भी जानता हूँ। पहले पहल मैंने उसे २५ जनवरी १९४८ को देखा था। उस दिन आपटे और करकरेके साथ वह ठणामें मेरे घरपर आया था।

29/1

२५ जनवरी, १९४८ को प्रातः ५॥ या ६ वजे करकरे एक बक्स लिये हुए मेरे घर आया। मैं उस समय घरके बाहर सो रहा था। करकरेने आवाज लगायी तो हम सब जाग उठे। इसके बाद पिताका दिया हुआ एक तार भेजनेके लिए मैं तो बम्बई चला गया और मेरे पिता और करकरे बातचीत करते रहे।

तारघर जाकर मैंने पिताका तार भेज दिया।

वह तार अदालतमें गवाहकी दिखाया गया। गवाहने उसे पहचान लिया।

मैं नथूराम गोडसेके छोटे भाई गोपाल गोडसेको भी जानता हूँ। वह भी २५ जनवरीको सायं ४ वजे एक ट्रक लेकर मेरे पास आया था। उस समय भी करकरे मेरे घरपर ही था। उसी दिन रातको ९ वजे नथूराम गोडसे और आपटे भी आये। वे दोनों तथा गोपाल गोडसे और करकरे चारो आपसमें बातचीत करने लगे। मेरे पिता उस समय भोजन कर रहे थे।

आध घण्टे बाद आपटे और गोडसे मेरे घरसे चले गये। बादमें गोपाल गोडसे भी पूना चला गया, किन्तु करकरे रातभर हमारे घरपर ही रहा।

२६ जनवरीको सवेरे जब मैं कालेज गया, तो करकरे हमारे घरपर था, किन्तु जब मैं शामको लौटा तो करकरे जा चुका था, पर उसका सन्दूक अभी वही पड़ा था।

३० जनवरी, १९४८ की रातको रेडियोपर मैंने गान्धीजीकी हत्याकी खबर सुनी। अगले दिन मैं कालेज नहीं गया।

### १३ फरवरी तक आपटे-करकरे ठाणामें थे

५ फरवरीको आपटे और करकरे हमारे घर आये और बीचमें दो दिन छोड़कर १३ फरवरी तक वहाँ रहे।

२६ जनवरी और ५ फरवरी १९४८ के मध्य इन चारों व्यक्तियोंमेंसे मैंने किसीको भी नहीं देखा।

वकील श्री मंगलेके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि आपटे और करकरे ठाणाके मेरे घरपर आते-जाते रहते थे, किन्तु ५ फरवरीसे पहले आपटे कभी मेरे घरपर ठहरा नहीं था। करकरे १९४७ में एक बार ठहरा था। मार्च १९४७ तक मैं पूनामें रहता था।

ठांगेने उससे जिरह की। गवाहने कहा कि पूनामें मैं अपनी नानीके घर रहता था। २५ जनवरीको सवेरे करकरेके आवाज देनेसे मैं तो नहीं जागा, किन्तु मेरे माता-पिता उठ बैठे थे।

श्री इनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि २५-जनवरीको गोपाल गोडसे

मेरे घर आया था, तो मैं भोजन कर चुका था। वह उस दिन रातको किस समय मेरे घरसे गया, यह मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता।

### २६ अगस्त—८० वाँ गवाह

आज बम्बईके टैक्सी ड्राइवर ऐतप्पा कृष्णा कोटियनने गवाही देते हुए कहा कि १७ जनवरी १९४८ को बम्बईमें नथूराम गोडसे, आपटे, शंकर और बडने मेरी टैक्सीमें घूमे। बोरीवन्दरपर सवेरे ७ के करीब पूनेसे ट्रेन आनेके समयके बाद तीन आदमियोंने मेरी टैक्सी किरायेपर ली की। उनके पास एक विस्तर था। पहले लालबागकी ओर चलनेको कहा गया। यूनियन डाइरिज मिलके हातेमें लाकर मैंने गाड़ी खड़ी की। १०-१५ मिनटके बाद दादरके लिए हम लोग रवाना हुए। वहाँपर लेडी जमशेदजी रोडपर मारुतीके मन्दिरके पास गाड़ी खड़ी की गयी। शंकर वहाँ गाड़ीपर बैठा। वहाँसे शिवाजी पार्क गये। वहाँ चारो उतरकर पासके मकानमें गये। वहाँसे दादरकी दिन्दू कालनीमें हम गये। १५ मिनट वहाँ रुकनेके बाद हम कुर्ला गये। डाक्टर पटवर्धनकी दूकानके पास गाड़ी खड़ी की। वहाँ एक आदमी और मोटरमें चढ़ा। वहाँसे पहाड़ीतक गये। इसके बाद चारो उतरकर पहाड़ीपर पैदल गये। वहाँसे लौटकर हमने पाँचवें आदमीको वहाँ उतार दिया जहाँ वह चढ़ा था। फिर हम बाम्बे डाइरिज मिल लौटे। वहाँसे नथूरामने सोमग्या सालियनकी मोटर किरायेपर ली और वह उसमें चला गया। वचे तीनों आदमियोंको लेकर मैं भुलेश्वर मोईवाडा लेन गाड़ी ले गया। तीनों उतरकर पैदल लेनके अन्दर गये। थोड़ी देरमें नारायण आपटे वापस आया। वहाँसे मैं मरीन ड्राइव प्रीन होटल गाड़ी ले गया। होटलमेंसे नथूराम और एक स्त्री बाहर आयी। एक नौकर दो थैले ले आया। वहाँसे हम एयर इण्डिया दफ्तर गये। दो आदमी सामानके साथ वहाँ उतर गये और आपटे वापस आया। वहाँसे बोरीवन्दर आये जहाँ वह स्त्री उतर गयी। भुलेश्वरमें आपटे उतर गया। दो और आदमियोंको लेकर वह आया और हम फिर बाम्बे डाइरिज हाउस गये। थैला उतारकर हम एयर इण्डिया आफिस फिर गये। नथूराम वहाँ था जिससे आपटेने यातचीत की। वह वापस आया और हम लालबाग चले। रास्तेमें आपटेने पूछा कि सान्ताक्रूज जानेको कितना समय लगेगा और जाने लायक पेट्रोल है या नहीं। बाम्बे डाइरिज पहुँचनेपर वहाँ रुके दोनों आदमी मोटरमें आ गये। वहाँसे हम जूहू और वहाँसे सान्ताक्रूज गये। आपटे उतरकर दादर गया। बडनेने कालिना चलनेके लिए कहा। वहाँ एक युवकको वह ले आया। बाम्बे एनिमल हास्पिटलके पास गाड़ी खड़ी की गयी। वहाँसे पटवर्धनके दफ्तारानेके पास हम फिर लौटे। तीन आदमी वहाँ उतर गये। शंकरने विस्तर निकाला और



सुझाये किराया पूछा । मीटर देखकर मैंने ५५ रुपया १० आना कहा । बडगेके कहनेपर मैंने रसीद दी ।

### ८१ वाँ गवाह

टैक्सी ड्राइवरकी गवाहीके बाद बम्बई असेम्बलीके हरिजन सदस्य गणपत सम्भाजी खरातका बयान हुआ । उन्होंने कहा कि मैं १॥ सालसे बडगेको पहचानता हूँ । बडगे मेरे यहाँ कोई चीज रखनेके लिए रातको ९ बजे आया था । उसके पास २ बण्डल थे । एक चोरेमें बँधा था और और दूसरा धैलेमें था । सामान रखकर वह चला गया । उसी दिन नागमोडे और शेलार भी मेरे यहाँ आये । दोनोंको एक एक बण्डल मैंने दे दिया । कुछ दिनके बाद पुलिस तलाशीमें आयी, तो मैं उनको इन दोनोंके यहाँ ले गया । वहाँ एक बण्डल खोलते ही उसमें शस्त्रास्त्र और गोली-चाहद निकला ।

फिर जिरहमें गवाहने कहा कि मैंने समझा था कि बण्डलमें खंजर होंगे इसलिए उन्हें खोलकर नहीं देखा था । समाजवादी कार्यकर्ता लिमये और गोरे किसी कामके लिए शस्त्रास्त्र एकत्र कर रहे हैं यह मैं नहीं जानता था । दिल्लीके विस्फोटके बादमें दो चार बडगेके यहाँ गया था, पर उससे मुलाकात नहीं हुई ।

### ३० अगस्त—८२ वाँ गवाह

आज दिल्लीके एक व्यापारी सरदार गुरुवचन सिंहकी गवाही हुई ।

गवाहने बताया कि मैं महात्मा गान्धीको जानता हूँ । मैं प्रायः प्रतिदिन प्रार्थना-सभामें जाया करता था । मैं बिड़ला हाउसमें गान्धीजीका काम किया करता था । गान्धीजी सितम्बर १९४७ से बिड़ला हाउसमें ठहरे थे और मैं वहाँ रोजाना सबेरे तथा शामको जाया करता था ।

जिस दिन गान्धीजीकी हत्या की गयी थी उस दिन भी मैं बिड़ला-भवन गया था । उस दिन मुझे शामके तीन बजे बुलाया गया था ताकि मैं भेंट करनेवालोंकी सहायता कर सकूँ । उस दिन सरदार पटेल तथा कुमारी मणिवहन पटेल सबसे बादमें महात्माजीसे मिलकर गये थे ।

गान्धीजीकी प्रार्थना-सभाका समय साधारणतः संध्याके ५ बजे था । उस दिन ५ बजनेके कुछ पूर्व ही मैंने गान्धीजीको स्मरण कराया कि ५ बजनेवाले हैं और प्रार्थनाका समय हो रहा है । इसके थोड़ी देर बाद सरदार पटेल तथा कुमारी मणिवहन पटेल वहाँसे चली गयीं ।

गवाहने आगे बताया कि जब मैंने महात्माजीको यह बताया कि आपको आज कुछ देर ही गयी है तो वे प्रार्थना-स्थलकी ओर लपककर चले । उस दिन आराम

सिंह नामक एक व्यक्तिने मुझे ५ मिनटके लिए विह्वला-भवनमें रोक लिया । उससे बात करके मैं प्रार्थना-सभाकी ओर चला आया ।

उस दिन भीड़ हटानेवाला कोई नहीं था

जब कि गान्धीजी प्रार्थना-स्थलको जाया करते तो एक या दो आदमी उनके सामने चलकर आगेसे लोगोंको हटाते जाते थे, पर ३० जनवरी १९४८ को कोई भी व्यक्ति नहीं था जो सामनेके लोगोंको हटाता । मैं जल्दी जल्दी गान्धीजीके सामनेकी ओर बढ़नेकी कोशिश कर रहा था, पर जब मैं उनकी दाहिनी ओर बराबरमें आया, मैंने गोली चलनेकी आवाज सुनी । फिर दूसरी गोली चलनेकी आवाज हुई । मैंने सामने ही एक व्यक्तिको खड़े पाया जो हाथमें पिस्तौल लिये हुए था । मैंने उसके हाथपर अविलम्ब आघात किया । मेरे ख्यालसे मेरे आघात करनेके बाद ही उसने तीसरी गोली चलायी ।

इसके बाद बहुतसे आदमियोंने हत्यारेको पकड़ लिया । महात्मा गान्धीने जो आभा गान्धी तथा मनु गान्धीके कन्धोंपर हाथ रखे आ रहे थे, अपने हाथ जोड़ लिये और "हे राम" कहते हुए नीचे गिर गये ।

इसके बाद गान्धीजीको विह्वला-भवन लाया गया । विह्वला-भवनमें ही कुछ देर बाद आपने अन्तिम साँस तोड़ते हुए महायात्रा की ।

कठवरेमें जाकर गवाहने हत्यारेके रूपमें नथूराम गोडसेकी शिनाख्त की ।

गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि रातको ९ बजेके लगभग जब गान्धीजीके शरीरपरसे चद्दर उतारी गयी तो उनके कपड़ोंमें एक खाली कारतूस पाया गया । श्री देवदास गान्धीने मुझे यह कारतूस दिखाया ।

मैं श्री शहीद सुहरावर्दीको जानता हूँ । प्रार्थना-सभामें मैंने उन्हें एक या दो बार देखा है । वे गान्धीजीको देखने विह्वला-भवन आया करते थे । जिस दिन बम-विस्फोट हुआ था उस दिन भी मैं विह्वला-भवनमें था, पर प्रार्थना-सभामें सम्मिलित नहीं हुआ था । उस दिन दिनको ११॥ बजे श्री सुहरावर्दी गान्धीजीको देखने आये थे ।

ओरुके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि महात्मा गान्धी भंगी बस्तीमें दो वर्ष पूर्व १॥ महीने तक ठहरें थे । प्रार्थना-सभाओंमें कभी कुरानकी आयतें पढ़ी जाती थी और श्रीमद्भगवद्गीताके श्लोक बादमें पढ़े जाते थे । बादमें गान्धीजी अपने भाषणमें प्रार्थनामें गाये गये भजनोंका अर्थ समझाया करते । यदि कोई सख्त गुरु ग्रंथ साहचर्ये कोई भजन आदि कहनेकी इच्छा प्रकट करता तो गान्धीजी उसे भी भजन कहनेकी धारा दे देते ।

गवाहने यह स्वीकार किया कि प्रार्थना-सभामें कुरानकी आयतें पढ़नेके विरुद्ध दो तीन चार प्रदर्शन हुआ था। कहा कि मुझे यह याद है कि गान्धीजीने जनवरी १९४८ में अनशन किया था और गुरुगोविन्दसिंहके जन्मदिनके दिन अनशन तोड़ा था। तब तक पश्चिमी पंजाबसे हजारों शरणार्थी दिल्ली आ चुके थे।

श्री चनर्जाके प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं किंगजवे कैम्पमें गान्धीजीके साथ गया था जहाँ शरणार्थियोंने प्रार्थना-सभामें कुरानकी आयतें पढ़नेका विरोध किया था। अनशनके बाद मैं गान्धीजीके साथ महरौलीके उर्स भी गया था। भंगी वस्तीमें मैंने प्रार्थनासभाके मैदानमें श्री सुह्रावर्दीको गान्धीजीके समीप बैठे नहीं देखा। भंगी वस्तीमें कभी भी इसलिए प्रार्थना नहीं रुकी कि किसी व्यक्तिने कुरानकी आयतें पढ़नेका विरोध किया हो।

श्री इनामदारके प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि जिस दिन गान्धीजीने अनशन आरम्भ किया था उस दिन मैंने देखा कि पण्डित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद विदलाभवन आये थे।

श्री मंगलेके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने आगे बताया कि मुझे यह याद नहीं कि मैं १३ जनवरी १९४८ को दिल्लीमें था या नहीं। मुझे यह भी याद नहीं कि उस दिन मैं कहाँ था।

“आपकी स्मरण-शक्ति बड़ी कमजोर है।”

“आप मेरा अपमान कर रहे हैं।”

“क्या आप डायरी रखते हैं ?”

“हाँ, मैं एक डायरी रखता हूँ; पर उसे यहाँ नहीं लाया हूँ।”

“जब आपकी स्मरण-शक्ति इतनी कमजोर है तो आपको अपनी डायरी साथ लानी चाहिये थी।”

“मुझसे किसीने डायरी लानेको नहीं कहा था।”

श्री मंगले (जजसे) — मैं चाहता हूँ कि आप गवाहसे डायरी पेश करनेको कहें।

जज—मैं डायरी पेश करनेकी अनुमति नहीं दे सकता।

गवाहने अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें कहा कि मैं डायरीमें अपने निजी तथा व्यवसाय-सम्बन्धी कार्योंको नोट करके रखता था, गान्धीजीके अनशनके विषयमें मैंने कभी कोई बात नोट नहीं की।

इसके बाद श्री मंगलेने कहा कि अब आगे जिरह करनेसे कोई लाभ नहीं।

८३ वाँ गवाह

इसके बाद पूनाके जिला मजिस्ट्रेटके दफ्तरके एक क्लर्क श्री प्रभाकर लक्ष्मण

आफलेकी गवाही ली गयी। गवाहने बताया कि जिला मजिस्ट्रेटके यहाँ समाचार-पत्रोंके डिक्लेरेशन देने आदिके लिए जो व्यक्ति आते हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ, अतः इस सम्बन्धके सारे रेकार्ड भी मेरे पास ही रहते हैं।

प्राप्त रेकार्डोंके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि नयूराम गोठसे १ मान्चे १९४४ से 'दैनिक अग्रणी'का मुद्रक तथा प्रकाशक है।

बम्बई सरकारने १७ सितम्बर १९४६ को नयूरामको उससे 'दैनिक अग्रणी' का प्रकाशक तथा 'हिन्दू राष्ट्र' सुप्रणालयका कोषर होनेके कारण ३०००—३०००) की दो जमानतें माँगी थीं। ३ जुलाई १९४७ को ये जमानतें जप्त कर ली गयीं और ६००० रु० की नयी जमानतें फिर माँगी गयीं।

३ जुलाईको बम्बई सरकारने गोठसेके नाम एक सूचना जारी करके उससे श्री शिवाजी प्रिण्टिंग प्रेसका कोषर होनेकी हैसियतसे २००० रु० की नयी जमानत माँगी थी और 'अग्रणी' का प्रकाशक होनेकी हैसियतसे २००० रु० की जमानत जमा करनेकी सूचना दी गयी थी।

५ अप्रैल १९४७ को जो उसने 'हिन्दू राष्ट्र' पत्र प्रकाशित करनेके लिए डिक्लेरेशन प्राप्त करनेके लिए प्रार्थना-पत्र दिया। गोठसे श्री शिवाजी प्रिण्टिंग प्रेसका कोषर था। पर जब ५००० रु० जमानत माँगी गयी तो नारायण दत्तात्रेय आस्टे-ने श्री शिवाजी प्रिण्टिंग प्रेसका कोषर होनेके लिए डिक्लेरेशन २९ जुलाई, १९४७ को दायित्व किया। यह डिक्लेरेशन दायित्व करनेसे पहले उसने पहले तक्य की गयी ५००० की जमानतके रुपये दायित्व कर दिये।

श्री दफ्तरी—क्या जप्त की हुई ६०००) की जमानतके रुपये 'विभाजन' उत्सवके अवसरपर लौटा दिये गये थे ? ( यहाँ वकील 'विभाजन' कह गया जब कि उनका तात्पर्य 'स्वाधीनता' से था। )

गवाह—स्वाधीनता दिवसपर जप्त की हुई सभी जमानतें वापस कर दी गयी थीं।

### ८४ वाँ गवाह

इसके बाद श्री मधुसूदन गोपाल गोलवलकरका बयान हुआ।

गवाहने बताया कि जनवरी १९४८ महीनेमें मैं स्वालियर स्टेशनपर टिकट खोटेनेवाला बाबू था। स्टेशनपर इस आशयका एक रजिस्टर रखा जाता है कि कौन सी गाड़ी कब आती है और कब रवाना होती है।

बम्बई-अमृतसर एक्सप्रेसके स्वालियर आनेका सही आदन रातको ११ बजे-कर २२ मिनट है। पर २८ फरवरी १९४८ की रातको वह गाड़ी रातके २ बजे आयी और २। बजे स्वालियरसे रवाना हुई।

परचुरे तथा गोपाल गोडसेके वकील श्री इनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि पूर्व तथा परिवर्तनसे आनेवाली सभी गाड़ियाँ एक ही लाइनपर आकर खड़ी होती हैं, क्योंकि ग्वालियर स्टेशनपर एक ही प्लेटफार्म है।

३१ अगस्त—८५ वाँ गवाह—गोडसे चार भाई हैं

आज पूनाके उच्चम इञ्जीनियरिंग लिमिटेडके मैनेजर श्री पाण्डुरंग विनायक गोडबोलेकी गवाही हुई। गवाहने कहा कि मैंने उच्चम इञ्जीनियरिंग फर्ममें १९४२ में नौकरी की थी जब कि इसका मालिक दत्तात्रेय विनायक गोडसे था जो कि अभियुक्त नथूराम गोडसेका भाई है। इस फर्मसे मैंने १९४३ से नौकरी छोड़ दी, पर १९४५ में मैं फिर इसी फर्ममें काम करने लगा। १९४७ में यह फर्म एक लिमिटेड कम्पनी बन गयी।

दत्तात्रेय गोडसेके तीन भाई नथूराम, गोपाल और गोविन्द हैं। इन्हें १९४२ से शकल-सूरतसे पहचानता हूँ। मैं नारायण दत्तात्रेय आपटेकी भी आकृतिसे पहचानता हूँ। गोपाल गोडसे खड़कीमें रहा करता था। गोपाल गोडसेके पिताका मकान उसी हातेमें है जिसमें कि यह इञ्जीनियरिंग फर्म है। ३० जनवरी १९४८ से ८-१० दिन पहले गोपाल गोडसे रातकी ९॥-१० बजे मेरे घर आया था। उसने कहा कि मैं आपके यहाँ एक रिवाल्वर तथा कुछ कारतूस रखना चाहता हूँ। ये चीजें कपड़ेके एक थैलेमें थीं। मैंने उसका थैला अपने वदसमें रख लिया। इसके बाद गोपाल गोडसे चला गया।

३० जनवरीको मैंने सुना कि नथूराम गोडसेने महात्मा गान्धीकी हत्या कर दी। मैं भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं गोपाल गोडसेके रखे हुए सामानसे मैं चकरमें न आ जाऊँ। उसी समय मेरा मित्र गोपाल विष्णु काले मेरे यहाँ आया। मेरी उससे इस विषयमें बातचीत हुई और यह निर्णय किया गया कि इस सामानको फेंक दिया जाय। पर मुझमें साहस नहीं था कि मैं उस झोलेको फेंक आऊँ। इसपर कालेने कहा कि मैं स्वयं ही यह कार्य कर दूँगा। मैंने वह थैला उसे दे दिया।

८ फरवरी १९४८ को जब मैं अपने घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल गोडसेको कुछ पुलिस अफसर पकड़े हुए थे और वे एक कारसे उतरे। गोपाल गोडसे मेरे पास आया और मुझसे उन कारतूसों और रिवाल्वरके बारेमें पूछा। मैंने बताया कि उन्हें मैंने अपने मित्र कालेको दे दिया था। इसके बाद मैंने उन्हें कालेका घर दिखाया। मैंने कालेके घर जाकर उससे पूछा कि उस थैलेका



करता था। उसने मुझसे अपने पत्र 'अप्रणी' के लिए मेरी कम्पनीके विज्ञापन माँगे थे।

मुझे यह स्मरण है कि जनवरी १९४८ में बडगे तथा आपटे मेरे पास एक तीसरे व्यक्तिके साथ आये थे। इस तीसरे व्यक्तिका नाम नथूराम गोडसे बताया गया था। गोडसेने कहा कि मैं और आपटे चाहते हैं कि 'हिन्दूराष्ट्र'की प्रकाशक लिमिटेड कम्पनी मजबूत हो जाय और अच्छी तरह चल निकले। इसलिए हम छपाईका कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। इस कार्यके लिए हम आपसे ३००० रु० की सहायता चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं इस समय केवल १००० रु० ही अपने हिसाब-किताबसे कर्ज दे सकता हूँ। गोडसे इस बातपर राजी हो गया। मैंने १००० रु० गोडसेको दे दिया। गोडसेने कहा मैं पूनासे रसीद भेज दूँगा।

### राजाजीके भाषणपर आपत्ति

इससे पूर्व मदनलालने अपने वकील श्री बनर्जीकी मार्फत एक प्रार्थना-पत्र अदालतमें दिया कि गवर्नर-जनरल श्री सी० राजगोपालाचारीने १४ अगस्त १९४८ को अपने ब्राह्मकास्टमें कहा था—“हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महारामा गान्धीकी मृत्यु। जिन लोगोंने गान्धीजीकी हत्या की है, उन्होंने हमारे देशको वह सबसे बड़ी हानि पहुँचायी है जो कि किसी राष्ट्रका बड़ेसे बड़ा शत्रु भी नहीं पहुँचा सकता। जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तभी वे (गान्धीजी) हमसे छीन लिये गये।” उनके इस कथनसे मुकदमेकी निष्पक्षतामें बाधा पड़ती है और अदालतके सामने मुकदमा पूरा होनेसे पूर्व ही लोगोंकी मेरे तथा मेरे साथी अभियुक्तोंके प्रति दुर्भावना पैदा होती है।

### ८७ वाँ गवाह

तीसरे गवाह रामचन्द्र मोहिनीराज पाटनकरका बयान हुआ। वह बम्बईके तारघरमें तारवाबू था।

गवाहने बताया कि मैं कुरलामें गत ३० वर्षोंसे रहा हूँ। मैं अपने पड़ोसी आर० के० पटवर्धनको जानता हूँ। मैं बडगेको भी जानता हूँ। दो-तीन साल पहले बडगे हिन्दू महासभाके लिए चन्दा एकत्र करनेके लिए मेरे पास आया था। मेरा इससे घनिष्ठ परिचय हो गया था।

लौटस इंक मैनुफैक्चरिंग कम्पनीके काले नामक व्यक्तिको भी मैं जानता हूँ। एक बार मैं बडगे तथा उसके दो मित्रोंको, जनवरी मासके मध्यमें, कालेके घर ले गया था। मैं वहाँ ठहराना था क्योंकि मुझे ख्यूट्टीपर दिनकी १२ वजे जाना था।

जब मैं उस दिन रातके ८॥ वजे घर लौटा तो मुझे पता चला कि पटवर्धनने

मुझे फौरन बुलवाया है। मैं बहाँ गया और वड्डेको बैठा पाया। पत्रवर्धनको २०० रु० की आवश्यकता थी। मैंने २००) दे दिये। उस समय पत्रवर्धनके पास कुछ और रुपये थे। उसने वे रुपये तथा मेरे दिये हुए रुपये इकट्ठा कर वड्डेको दे दिये।

### ८८ वॉ गवाह

अगले गवाह सदाशिव पेठ, पूनाके गोविन्द विष्णु काळेने बताया कि जनवरी १९४८ में मैं मिलिटरी एकाउण्ट्स विभागमें काम करता था। १० वर्षसे मैं पाण्डु-ग वि० गोडबोलेको जानता हूँ। ३० जनवरी १९४८ को रातको मैं उनके घर गया था और गान्धीजीकी मृत्युके बारेमें बातचीत करता रहा। उस समय गोड-

### गोडसे और उपन्यास

नयी दिल्ली, ३१ अगस्त। मालूम हुआ है कि नथूराम गोडसेने अपना वक्तव्य लिखना शुरू कर दिया है। अदालतसे बाहरका समय वह अधिकतर अपना वक्तव्य तैयार करनेमें ही बिताता है।

अपना शेष समय वह हिन्दी और मराठी उपन्यासों तथा अन्य पुस्तकोंके पढ़नेमें बिताता है।

अन्य अभियुक्तोंने भी अपने अपने वक्तव्य तैयार करने शुरू कर दिये हैं।

रले हतबुद्धि हो रहा था। उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक रिवाल्वर है जिसे मैं फेंक देना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं उसे फेंक आऊँगा। उसने मुझे कपड़ेका एक थैला दिया जिसमें एक रिवाल्वर तथा ५ कारतूस थे। मैंने फर-गुसन कालेज रोडके समीप कारतूस तो ३-४ फरवरीको के तथा रिवाल्वर ५ फरवरी १९४८ को फेंका था।

८ फरवरीको पुलिस गोडबोलेको लेकर मेरे घर आयी। गोडबोलेने मुझसे रिवाल्वर वापस माँगा। मैंने कहा कि मैं उसे कुछ ही फेंक आया हूँ। मैं पुलिसको लेकर उस स्थानपर गया भी, पर रिवाल्वरका पता न चला।

जिरहमें गवाहने कहा कि जब गोडबोलेने मुझे थैला दिया था तो मैंने उसे गोलछर नदी देखा था, पर मैंने कारतूस टटोल कर मालूम कर लिये थे, वनेकि। अलगसे मालूम होते थे। मैंने कारतूसोंको पहले कूड़ेदानोंमें फेंक दिया, बादमें



मैंने रिवाल्वरको भी झोले समेत फेंक दिया। मैंने पुलिसको वह स्थान दिखाया जहाँ कि मैंने कारतूस फेंके थे, पर पुलिस कूड़ादानीमें कारतूसोंको ढूँढ़नेको तत्पर न थी।

### १ सितम्बर—८९ वाँ गवाह

आज गुलाब हिन्दू होटल, बम्बईके मालिक शिवा नागेश शेटीने गवाही दी। शेटीने अपने बयानमें कहा कि मैं एक होटलका मालिक हूँ। मुझे याद है कि क्राफर्ड मार्केटके समीपस्थ सी० आई० डी० के दफ्तरमें मैं बुलाया गया था। वहाँ एक रजिस्टर पेश किया गया। वहाँ एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर हस्ताक्षर किये। एक व्यक्तिने जिसने अपना नाम प्रभाकर नानाभाई वैद्य बताया था, वह रजिस्टर पेश किया था। गवाहने अदालतमें रजिस्टर तथा पंचनामा पहचाना।

अन्य प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि रजिस्टरमें दो खानोंमें खाना-पूरी की गयी है। मेरे साथ एक और व्यक्ति था। उसने भी उस पंचनामे और रजिस्टरपर दस्तखत किये थे। फिर उस रजिस्टरको पुलिस ले गयी थी।

### ९० वाँ गवाह

पैरामाउण्ट फिल्मस आफ इण्डियाका एक कर्मचारी यशवन्त शान्ताराम बोरकरने गवाही देते हुए कहा कि ११ मार्च १९४८ को मैं सी० आई० डी० के दफ्तरमें बुलाया गया। उस दिन एक व्यक्ति अन्दर लाया गया जिसने अपना नाम नथूराम गोडसे बताया था। एक सफेद कागज उसे दिया गया और उससे अंग्रेजीमें लिखाया गया। गोडसेने उस कागजपर लिखकर तीन-चार स्थानोंपर दस्तखत किये।

( गवाहने अदालतमें इस कागजको पहचाना और बताया कि मैंने भी इस कागजपर दस्तखत किये थे। )

इसके बाद मेरी उपस्थितिमें आपटे, करकरे, मदनलाल और गोपाल गोडसे अलग अलग लये गये। उनसे भी अलग अलग कागजोंपर लिखाकर दस्तखत कराये गये। मैंने भी इन कागजोंपर अपने हस्ताक्षर किये थे।

श्री डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि यद्यपि मेरी भाषा कोकणी है, पर मैं मराठी भी अच्छी तरह जानता हूँ। करकरेको यह नहीं बताया गया था कि उससे चार-बार हस्ताक्षर करनेकी क्यों कहा गया है।

श्री बनर्जाके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि ११ मार्च १९४८ को ही

मैं पहली बार सी० आर्इ० डी० के दफ्तर गया था । मैं वह नहीं कह सकता कि उस समय कोई मजिस्ट्रेट था या नहीं ।

श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि मेरी उपस्थितिमें अभियुक्तों-को यह नहीं बताया गया था कि उनसे यह सब कुछ किसलिए लिखा जा रहा है, पीछे कहा गया हो तो मैं नहीं जानता ।

### ११ वाँ गवाह

अगले गवाह विनयकुमार शान्तराम प्रधानने पिछले गवाह रामचन्द्र शान्तराम बोरकरके बयानकी पुष्टि करते हुए गवाही दी । गवाहने अपने बयानमें बताया कि मैं मार्च १९४८ में जे० जे० स्कूट आफ आर्टस् चम्बईमें पढ़ता था । मुझे याद है कि मैं सी० आर्इ० डी० के दफ्तरमें गया था । वहाँ जिस समय पाँच व्यक्तियों-को लिखनेको कहा गया था उस समय मैं उपस्थित था । मैंने भी उन कागजोंपर हस्ताक्षर किये थे ।

श्री मंगले द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि नथूराम गोडसेसे कोई भी बात मराठीमें लिखनेको नहीं कही गयी थी । इसके बाद मैं फिर कमी सी० आर्इ० डी० के दफ्तर नहीं गया ।

श्री डॉंगेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि करकरेने कागजपर जो वी० वाई० एस० ( V. Y. S. ) लिखा है, उसे यह लिखनेके लिए नहीं कहा गया था ।

श्री इनामदारके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया कि एक पुलिस अफसरने अभियुक्तोंको उस पत्रके आधारपर लिखनेको कहा था जिसे कि वह अन्य पत्रोंके साथ अपने साथ लाया था ।

### २ सितम्बर—१२ वाँ गवाह

आज नयी दिल्लीके स्पेशल फास्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री कृष्णचन्द्रने गवाही दी ।

गवाहने अपना बयान देते हुए कहा कि फरवरी १९४८ में मैं नयी दिल्लीमें स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था । मुझे याद है कि पुलिसने मुझे ७ फरवरी और २८ फरवरीको दो दिनांक परेडें देखनेको कहा था ।

पहली बार तो सेण्ट्रल जेलमें नथूराम गोडसेकी दिनांकत बडोगेने की थी । बादमें मेरीना होटलके वाग्भ्यागत परिचारक हर्क रामचन्द्र, मैंनेहर श्री सी० पनेको, कालीराम धैरा और श्री मार्टिन वाग्भ्यागत परिचारकने गोडसेकी दिनांकत की थी । 'विप्लव-भवगमें रहनेवाली सुलोचना देवीने भी गोडसेकी दिनांकत की थी कि यहाँ व्यक्ति वम-विस्फोटके दिन दूसरे व्यक्तिके साथ विप्लव-भवन आया था ।

विडला-भवनके छोटरामने भी शिनाख्त की थी कि यही व्यक्ति मदनलालके साथ बैठकर टैक्सीमें आया था। टैक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने शिनाख्त करके बताया था कि यही व्यक्ति २० जनवरीको तीन अन्य व्यक्तियोंके साथ मेरी टैक्सीमें बैठकर विडला-भवन आया था। इसके अतिरिक्त तीन अन्य गवाहोंने भी शिनाख्त की थी।

दूसरी शिनाख्त परेड २८ फरवरी १९४८ को आपटे और करकरेके वारेमें सेण्ट्रल जेठमें हुई थी। इस परेडमें मेरीना होटलके सी० पचेको, रामचन्द्र और कालीरामने आपटेको पहचाना तथा अभ्यागत परिवारक श्री मार्टिनने करकरेकी शिनाख्त की थी। टैक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने आपटेकी ओर इशारा करते हुए बताया था कि इस व्यक्तिने २० जनवरी १९४८ को रीगल सिनेमाके पाससे टैक्सी किरायेपर की थी। छोटरामने आपटे और करकरेको पहचानते हुए कहा था कि ये व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियोंके साथ ४११-५ वजे विडला-भवन गये थे। विडला-भवनके चौकीदार भूरासिंहने आपटे और करकरेकी ओर इशारा करते हुए कहा था कि जब ये लोग विडला-भवन आये थे तो मैं दरवाजेपर बैठा हुआ था। सुलोचना देवीने भी आपटेको पहचाना था। दोनों अवसरोंपर कोई पुलिस अफसर मौजूद न था।

गवाहने बताया कि मुझे यह याद है कि परसुरेका इक्वाली वयान ग्वालियरके गृह-विभागसे मैंने प्राप्त किया था और वादमें एक पुलिसके अफसरको दे दिया कि वह उसे इस विशेष अदालतके सिपुर्द कर दे।

ओकके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि मैं ३१ जनवरी १९४८ को पार्ल-मेण्ट स्ट्रीट थाने गया था और पुलिसकी हिरासतमें नथूराम गोडसेकी रखनेका रिमाण्ड मैंने दिया था।

श्री मंगलेके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि १९४३ में मुझे लकवा मार गया था जिससे चेहरेपर कुछ विरूपता आ गयी है। दूसरी शिनाख्त परेड शामकी ४१ वजे हुई थी।

### कई प्रार्थना-पत्र पेश

आज नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकने दो प्रार्थना-पत्र पेश किये। पहले प्रार्थना-पत्रमें सबूतकी ओरसे दी गयी उस दरखास्तका हवाला दिया गया था जिसमें वम्बईके गृह-मन्त्री श्री मुरारजी देसाईसे पूछे गये कुछ प्रश्नोंको रेकार्डमें दर्ज करनेकी अदालतसे प्रार्थना की गयी थी। प्रार्थना-पत्रमें कहा गया है कि सबूतकी आपत्ति कानूनकी दृष्टिसे मजबूत नहीं है। मुरारजी देसाईसे पूछे गये प्रश्न पूछनेसे हमारा इरादा यह मालूम करनेका था कि २० जनवरी १९४८ को हुए परेडसे पूर्व देशकी राजनीतिक स्थिति क्या थी।

दूसरे प्रार्थना-पत्रमें कहा गया था कि संघूतके गवाह सरदार गुदबचनसिंहका यह बयान अदालतके रेकार्डमें नहीं रखा गया है कि महाराजा गान्धीने मुझे कहा था कि मैंने इसलिए अनमान किया है कि दिखेंके सुप्रसन्नमान आजार्डसे सबकोपर चल-फिर नहीं सकते। यह कथन किर्सासे सुनी हुई बात नहीं है। अतः गवाहका यह बयान भारतीय गवाही कानूनकी ६० वीं धाराके अनुसार र्ककार्क होना चाहिये।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरने श्री दफ्तरीके प्रार्थना-पत्रके उत्तरमें एक प्रार्थना-पत्र दिया कि बम्बईके गृह-मन्त्री श्री देसाईने इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया था—“सावरकरके घर और उनकी गतिविधिपर कर्दा निगरानी रखनेकी आज्ञा देना क्या आपकी दृष्टिमें अच्छा काम था ?” चूंकि यह प्रश्न बारम्बार किया जा सकता है। अतः जजने इसे रेकार्डके लिए नहीं लिखवाया। यह ठीक ही किया है।

### मजिस्ट्रेटसे जिरह

इसके बाद श्री हांगेने गवाह कृष्णचन्द्रमे जिरह की। गवाहने कहा कि शिनासत परेड हीनेसे पहले जेलके सुपरिण्टेण्टने मुझे दिखा दिया था कि करकरे कौनसा है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसने शिनासत परेडमें बाहरी व्यक्तिकी बर्था नहीं रूखा किया। मैंने स्वयं १२ विचारार्थीन कैदियोंकी परेडमें अभिदुक्तके साथ खड़ा किया था। आपटे तथा करकरे महाराष्ट्रीयसे नहीं लगते थे। मैं यह नहीं कह सकता कि उन १२ विचारार्थीन कैदियोंमें कोई महाराष्ट्रवासीका लगता था या नहीं।

पहली शिनासत परेडमें गोटेसेके सिरपर पट्टी नहीं बँधी थी। हाँ, एक कपड़ा वह अपने सिरमें बाँधे हुए था।

श्री वनजीके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया कि २१ जनवरी १९४० को मैंने पुलिसको रिमाण्ड दिया था कि वह मदनलालको अपनी हिरासतमें रखे। इसके बाद मदनलालको हिरासतमें रखनेके लिए मुझसे रिमाण्ड नहीं माँगा गया।

इनामदारके जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि जिस परेडमें परसुरेका श्कवाली बयान ग्वालिगरसे आया था, उसपर भारत सरकारकी मुहर लगी हुई थी। मुहरका नमूना मेरे पास नहीं आया। मैंने इस परेडको गोलकर उमी दिन फिर उसपर मुहर लगा दी थी।

दुबारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि शिनासत परेडमें मैंने कार शीन आवनिचौकी गोटेसेकी भीति सिरमें कपड़ा बाँध लेनेकी कहा था।

श्री ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैंने जेठसे कपड़ा लानेको कहा था । मैंने किसी व्यक्तिविशेषसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने सिरमें कपड़ा बाँधी । वह कपड़ा तौलिया तथा हमाऊ जैसा था । मुझे यह याद नहीं कि मैंने ३१ जनवरी १९४८ को गोडसेके सिरपर कोई चोट देखी थी या नहीं ।

### ९३ चाँ गवाह

दूसरे गवाह भारत सरकारके शरणार्थी विभागके एक कर्मचारी श्री एस० आर० सहगलने गवाही देते हुए कहा कि १९ जनवरी १९४८ को मैं ईस्टर्न कोर्ट दिल्लीमें ट्रंक एक्सचेंजमें तैनात था । ट्रंक टेलीफोनकी लिख लेना मेरा काम था ।

१९ जनवरीको प्रातः ९ बजेकर २० मिनटपर दिल्लीसे टेलीफोन नं० ८०२४ से बम्बईको ६०२०१ नम्बर टेलीफोनसे मिलानेको कहा गया । जब ट्रंक कॉल लिखाया जाता है तो एक टिकटपर दिल्लीके टेलीफोनका नम्बर तथा बाहर जिस स्थानके लिए टेलीफोन मिलानेको कहा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है ।

### ३ सितम्बर—९४ चाँ गवाह

आज बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवेके एक कर्मचारी श्री रमणलाल देसाईने गवाही दी ।

गवाहने कहा कि जनवरी और फरवरी १९४८ में मैं विलेपार्ले स्टेशनपर तैनात था । मैं गत ६ वर्षोंसे रेल विभागमें काम कर रहा हूँ । मेरा काम बाहरसे आनेवाले व्यक्तियोंके टिकट एकत्र करना तथा उन्हें हर दो घण्टे बाद एक रजिस्टरमें चढ़ाना है । मैं इन टिकटोंको रजिस्टरपर चढ़ानेका काम टिकट कलेक्टरके दफ्तरमें किया करता था । डाकगाड़ियाँ इस स्टेशनपर नहीं रुकतीं । पहले मैं इन टिकटोंको स्टेशनके हिसाबसे सिलसिलेवार लगा लेता, बादमें रजिस्टरमें टिकटोंके नम्बर चढ़ाता हूँ । मैं इन टिकटोंको चढ़ाते समय एक प्रति कारबन लगाकर और तैयार करता था ।

३० जनवरीको मैं टिकट चढ़ानेकी खूट्टीपर प्रातः ७ बजेसे ११ बजे तथा शामको ४ बजेसे ८ बजे तक था । उस दिन दादर स्टेशनसे विलेपार्लेके लिए जारी किये ०५८३० नम्बरसे लेकर ०५९४० नम्बर तकके टिकट आये ।

०५८९१ नम्बरका टिकट जो आपटेके पास पकड़ा गया था, और अदालतमें पेश किया गया था, गवाहको दिखाया गया ।

गवाहने टिकट देखकर कहा कि यह टिकट विलेपार्ले स्टेशनपर प्राप्त किया गया था । उस दिन ०५८३० से ०५८३४ नम्बरके टिकटोंका पता नहीं लगा । ३० जनवरी १९४८ को यह टिकट नं० ०५८९१ दोपहरकी चारह बजेसे शामके चार बजे तक एकत्र किया जाना चाहिये था ।

२४ घण्टेमें जो टिकट एकत्र किये जाते हैं, वे सब एक बंडलमें बाँधकर बम्बई सेण्ट्रल स्टेशन भेज दिये जाते हैं। वहाँसे यह बण्डल अजमेर भेज दिया जाता है। स्टेशनपर दर्ज किये गये टिकटोंकी कारबनकी तैयार की गयी प्रति भी इस बण्डलके साथ भेजी जाती है। जब एक टिकट एक यात्रीसे प्राप्त कर लिया जाता है तो उस टिकटकी किसी दूसरे व्यक्तिको देनेका किसीको अधिकार नहीं। ०५८९१ नम्बरका टिकट तीसरे दर्जेका था।

बम्बईके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि जो टिकट (०५८३० से ०५८३४) प्राप्त नहीं हुए वे दादर स्टेशनसे बाँटे गये हंगे। उस दिन विलेगार्ले स्टेशनपर दादरसे बाँटे गये १०६ टिकट एकत्र किये गये थे। टिकट बाँधकर उनका बण्डल रस्तरमें रखा जाता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति दफ्तरके कमरेमें नहीं घुस सकता। चादमें एक रेलवे गार्डके हाथों यह बण्डल बम्बई सेण्ट्रल स्टेशन भेज दिया जाता है। प्रायः उसी रातको ये बण्डल बम्बई सेण्ट्रल स्टेशनसे अजमेरको भेज दिये जाते हैं। मैं बम्बई सेण्ट्रल स्टेशनपर भी काम कर चुका हूँ। मैंने ३१ जनवरी १९४८ को टिकटोंके इन बण्डलोंको बम्बई भेजे जानेसे पूर्व जाँच पड़ताल तथा मिलाप किया था। इस बातकी पूरी सावधानी रखी गयी थी कि कहीं टिकट गिर न जाय।

श्री डॉंगेकी जिरहका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि विलेगार्ले स्टेशनपर एक रजिस्टर रहता है जिसपर कि मैं आने-जानेका समय लिखा करता था। मेरे नाम जो सम्मन जारी किया गया था उसमें कोई भी कागज लानेके लिए मुझसे नहीं कहा गया। रजिस्टरपर दर्ज किये गये नम्बरकी कारबन लगाकर निकाली प्रति भी ३१ जनवरीको अजमेर भेज दी गयी थी। (यह कारबन प्रति अदालतमें दिखायी गयी थी) कभी कभी बगैर टिकटवाले व्यक्ति गिरफ्तार भी हो जाते हैं। जब बहुत अधिक भीड़ होती है तो बहुतसे यात्री एकदम दरवाजेसे निकल जाते हैं और उनमेंसे किसीके पास टिकट होता है, किसीके पास नहीं।

इसके पूर्व नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकने अदालतमें एक प्रार्थनापत्र इस आशयका दिया कि प्रार्थना-सभामें खाली कारतूसका खोल मिला और श्री देवदास गान्धीने यह खोल गवाह सरदार गुरुबचन सिंहकी दिया। यह गवाही तबतक विचारणीय नहीं हो सकती जब तक कि स्वयं श्री देवदास गान्धीका बयान अदालतमें न लिया जाय। इसलिए मैं अदालतसे प्रार्थना करता हूँ कि वह सचूत पक्षमें यह पता लगकर निश्चय कर ले कि श्री देवदास गान्धी गवाहकी रूपमें पैदा किये जायेंगे या नहीं। अदालतने इस प्रार्थनापर अभी कोई निर्णय नहीं दिया।

गवाह श्री रमणलाल देसाईसे श्री इनामदारने जिरह की। गवाहने बताया कि यदि कोई व्यक्ति विलेगार्ले स्टेशनका टिकट ले और किसी अन्य स्टेशनपर उतर

जाय तो जिस स्टेशनपर उससे वह टिकट लिया जायगा, वहाँसे वह टिकट फिर विलेगल्ले स्टेशन नहीं भेजा जायगा। विलेगल्ले स्टेशनके अधिकारी उस टिकटको गुम-शुदा कहेंगे। जब सारे टिकटोंका बण्डल बाँधा जाता है, तो उसमें छेद कर दिया जाता है।

दुबारा प्रश्न किये जानेपर गवाहने इस तथ्यका हवाला देते हुए कि आपटेके पास जो टिकट पाया गया था उसमें छेद नहीं है, कहा कि यह टिकट बण्डल बाँधनेसे पहले, पर रजिस्टरमें दर्ज होनेके बाद, निकाल लिया गया होगा।

श्री. बांगेके प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि रजिस्टरमें टिकट दर्ज हो जानेपर फिर दुबारा चेकिंग नहीं होती है।

### १५ वाँ गवाह

अगले गवाह एल्फिस्टन रोड स्टेशनके टिकट क्लर्कर जान गोडसने अपने बयानमें कहा कि २ फरवरीको मैं व्यूटीपर था। मैंने उस दिन टिकट एकत्र किये और उन्हें रजिस्टरमें दर्ज भी किया था।

इसी समय आपटेके वकील श्री मॅगटेने कहा कि इस गवाहकी गवाही इस मुकदमेमें अप्रासंगिक है। आपने अदालतसे प्रार्थना की कि २ फरवरी १९४८ की तारीखके टिकटसे कोई अनुमान न लगाये, क्योंकि इस तारीखके टिकट न तो मेरे मुअकिलने पेश किये हैं और न सवृत पक्षकी ओरसे पेश किये गये हैं।

सवृत पक्षके वकील श्री दफ्तरोंने कहा कि यदि मैं यह प्रमाणित कर दूँ कि अभियुक्तोंके पास जो टिकट था वह अवैध था तो आगे चरकर अदालत उन टिकटोंको प्रामाणिक नहीं मान सकती जो कि उसकी गिरफ्तारीके समय पुलिसको मिले थे। इसके बाद अदालतको इस विषयपर फैसला देनेका अधिकार है। अदालतने दोनों पक्षोंकी बात सुनकर आगे गवाही लेनेकी अनुमति न दी।

### १६ वाँ गवाह

इसके बाद चम्बईमें जिमनाशियम रोडपर स्थित एक होटलके मालिक रघु परमेश्वर नायककी गवाही हुई।

गवाहने कहा कि मुझे याद है कि मैं सी० आई० डी० के दफ्तरमें बुलाया गया था और एक रजिस्टरकी कुछ खानापूरी मुझे दिखायी गयी थी। मेरे सामने एक पंचनामा तैयार किया गया था। मैंने उस पंचनामे तथा रजिस्टरपर अपने हस्ताक्षर किये थे।

## ६ सितम्बर—१७ वाँ गवाह

आज बम्बई बर्मीदा रेलवेके असिस्टेण्ट एकाउण्ट्स अफसर श्री नाथुराम शम्भारान-  
दी गवाही हुई।

गवाहने बताया कि मेरे विभागमें रोजाना वे टिकट बायस होकर आया करते  
ये जो कि विभिन्न स्टेशनोंपर यात्रियोंसे लिये जाते हैं। ३० जनवरी १९४८ को  
बेलेगाले स्टेशनपर जो टिकट यात्रियोंसे लिये गये थे उनकी रिपोर्ट धनमेरमें सुने  
मेली थी।

इस रिपोर्टसे तो यह सिद्ध होता है कि ०५८११ नम्बरका टिकट बिलेगाले  
स्टेशनपर यात्रीने लिया है। यह भी सम्भव नहीं है कि एक ही दिन में एक ही  
नम्बरके दो टिकट हों। प्रत्येक स्टेशनके एक व्यक्तिके लगभग टिकट छाने हैं और  
जब स्टेशनपर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हों, वहाँ भी एक बार छपे टिकट  
प्राप्त होनेमें कमसे कम २ महीने लग जाते हैं।

जिरहमें गवाहने कहा कि इस रिपोर्टमें ऐसा लगता है कि इसकी तारीख २१  
। बदल कर ३० की गयी हो। जितने टिकट बाँटे जाते हैं प्रायः उनके १५ प्रति  
शत टिकट गुम हो जाते हैं।

## ९८ वाँ गवाह

इसके बाद दादर स्टेशनके टिकट कलेक्टर श्री मंडसकी गवाही हुई। गवाहने  
तया कि ३१ जनवरी १९४८ को सेंट्रलस्ट रोड स्टेशनसे दादर तकका टिकट  
नम्बरका नं० ६७४० था, दादर स्टेशनपर शामके ४ बजेसे १२ बजे रातके बीचमें  
ले लिया था। मैंने लिखा था कि ६७८१ नम्बरका टिकट गुम है ( करकरके पास  
लिप्तको जो टिकट मिला था, उसका नम्बर ६७४० है। )

ठाणासे दादर तकका टिकट, जिसका नम्बर १७३८ है, दादर स्टेशनपर ०  
बजे शामसे १२ बजे रातके बीच प्राप्त किया गया था।

जिरहमें गवाहने बताया कि केवल गुमशुदा टिकटोंके नम्बर नोट किये जाते हैं।

इससे पूर्व करकरके बर्काल भी यांगिने इस वाजानका एक प्रार्थनापत्र अदालतमें  
पेश किया कि निरय प्राप्त किये गये टिकटोंकी चशमिर्जाओ रजिस्टर है, उसकी कारबन  
लगाकर तैयार की गयी ३० जनवरी १९४८ की चापी ३ सितम्बरकी अदालतकी  
दर्शनीय वस्तु मान ली गयी है, यह अवैध है। अतः इसमें सम्बन्धित क्यूत पत्रकी  
गवाही स्वीकार न की जाय। इसके लिए यह दलील दी गयी थी कि ३वाह वाजानके  
अनुसार किसी भी फागजकी कारबन लगाकर तैयार की गयी प्रति औबल क्यूत नहीं  
होता। दूसरे यह प्रति जिस व्यक्तिके पास होता है, उसने पेश नहीं की।



३ सितम्बर १९४८ को सञ्चालित पक्षकी ओरसे श्री जान गोव्सने जो कागज पेश किये हैं, उनके बारेमें भी इसी तरहकी आपत्ति इसी प्रार्थना-पत्रमें उठायी गयी है।

गवाह श्री मैडसने और जिरहके उत्तरमें कहा कि जब बहुत भीड़ होती है तो दादर स्टेशनपर कुछ व्यक्ति बिना टिकट दिये भी निकल सकते हैं। ६७४० तथा १७२८ नम्बरके टिकट दादर स्टेशनपर लिये गये होंगे।

### ९९ चाँ गवाह—टिकट एकत्र करनेका रहस्य

इसके बाद ठाणा स्टेशनके टिकट कलेक्टर श्री जयप्रकाश कुद्रेभियाने गवाही दी। गवाहने बताया कि २ फरवरी १९४८ को मैं शामके ४ बजेसे रातके १२ बजे तक व्यूट्रीपर था और उसके अगले दिन प्रातः ८ बजेसे शामके ४ बजे तक व्यूट्रीपर था।

इसी समय आपटेके वकील श्री मँगलेने आपत्ति उठायी कि इस गवाहकी गवाही अनियमित करार दे दी जाय क्योंकि यह २ फरवरी १९४८ को ठाणा स्टेशनपर प्राप्त २१३१ नम्बरके टिकटके सम्बन्धमें होगी।

श्री दफ्तरीने कहा कि अभियुक्तने ऐसे काफी टिकट एकत्र करनेका प्रयत्न किया है जो कि कानूनन उसके पास नहीं रहने चाहिये। अभियुक्तने ३० जनवरीसे १४ फरवरी तकके टिकट जान चूसकर एकत्र किये थे ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि घटनाके दिन मैं वहाँ था ही नहीं। अदालतने श्री मँगलेकी आपत्ति स्वीकार कर ली तथा आगे गवाही लेनेसे इनकार कर दिया।

इसके बाद बम्बई की आपरेटिव इन्डियोरेंस सोसाइटीके चीफ एजेण्ट तथा कुलकर्णी कम्पनीके साक्षीदार श्री दत्तात्रेय रामचन्द्र काटेने गवाही दी। गवाहने अपने बयानमें कहा कि मुझे याद है कि २२ तथा २३ मार्च १९४८ को मैं बम्बईके सी० आई० डी० पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था। ५ व्यक्तियोंको अलग अलग बुलाकर उनसे कागजपर लिखनेकी कहा गया। मैंने भी उन कागजोंपर हस्ताक्षर किये थे। लिखनेके लिए दो फाउण्टेनपेन दिये गये थे।

ये पाँच व्यक्ति मदनलाल, करकरे, नथूराम गोडसे, आपटे तथा गोपाल गोडसे थे। अन्तमें एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर हस्ताक्षर किये। पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवाला भी उस समय उपस्थित थे। दूसरे दिन भी इन लोगोंसे कागजोंपर लिखवाया गया था। इस दिन गोपाल गोडसे पहले आया था और इसके बाद मदनलाल, करकरे, आपटे और नथूराम गोडसे आये थे। मैंने भी उन कागजोंपर हस्ताक्षर किये थे। बादमें एक पंचनामा तैयार किया गया था। मैंने उस पंचनामपर भी हस्ताक्षर किये थे।

### ७ सितम्बर—१०० वाँ गवाह

आज बम्बईके एक मेकेनिक श्री परेराकी गवाही हुई। गवाहने कहा कि ७ मार्च १९४८ को मैं खुफिया पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया। मैं वहाँ गया। नथूराम गोडसे, आपटे तथा करकरे लाये गये और उनसे एक सफेद कागजपर लिखनेकी कहा गया। इसके बाद एक पंचनामा तैयार किया गया। मैंने कागजों तथा पंचनामा दोनोंपर अपने हस्ताक्षर किये।

जिरह करनेपर गवाहने बताया कि गवाहोंको एक फाइलमेंसे कुछ बोला गया था जो कि पुलिसके सब-इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरके पास थी।

### १०१ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईके निवासी एक बलर्क श्री एस० चार्ड्स सुर्वेने गवाही देते हुए कहा कि १० मार्च १९४८ को मुझे खुफिया पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था। वहाँ नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल तथा गोपाल गोठसेको बुलाया गया और मेरी उपस्थितिमें एक-एक कागजपर कुछ लिखवाया गया था। गवाहने यह बताया कि मैंने भी उन कागजों तथा पंचनामेपर हस्ताक्षर किये थे। श्री हल्दीपुरने पंचनामा लिखा था। श्री हल्दीपुरने इन व्यक्तियोंको अपना बोला हुआ लिखनेकी बाध्य नहीं किया था। उन्होंने किसी दायरेके स्पेलिंग ( हिजजे ) नहीं बोले थे और न मदन लालसे किसी विशेष तरीकेसे कोई विशेष पत्र लिखनेकी कहा था।

### १०२ वाँ गवाह

भारत साइकिल कम्पनी, ग्रेण्ड ट्रंक रोड लुधियानाके श्री विहारीलाल घुटारामने गवाही देते हुए कहा कि मैं ३० जनवरी १९४८ को विद्वला-भवनमें उस समय मौजूद था जब कि नथूराम गोडसेकी तलाशी ली गयी थी और गोठसेके पान बहुतसी वस्तुएँ निकली थीं। इन चीजोंमें एक तो जेबकी चाबरी तथा खालियरके सिक्के भी थे।

गवाहने बताया कि उस दिन पहली ही चार में प्रार्थना-सभामें गया था। मैं गान्धीजीकी दाहिनी ओर खड़ा था। मैं भीपाल या खालियर कभी नहीं गया। मैं लायलपुरका रहनेवाला हूँ। प्रार्थना-सभामें ही नथूरामके पाससे खालियर छाना गया था।

### ८ सितम्बर—१०३ वाँ गवाह

गवर्नर-जनरल राजाजीके भाषणके सम्बन्धमें आपत्ति करते हुए मदनलालसे वकीलने जो अर्जी दी थी उसके बारेमें आज उन्होंने कहा कि ईशरामदाके बारेमें

भारत कोई कारगर कदम उठा रहा है। हैदराबादका उपद्रव दवानेके लिए मदनलाल भी उत्सुक है, इसलिए उसने अपनी अर्जों वापस ले लेनेकी कहा है।

आज सदाशिव पेठ, पूनाके त्र्यंबक हरि जाचरकी गवाही हुई। गवाहने कहा कि मुझे यह याद है कि मैं जौं चले चौकीमें पंच बननेके लिए बुलाया गया था। वहाँ जानेपर आमदार खरात नामक व्यक्तिकी मौजूद पाया। उसने शेअर नामक व्यक्तिसे कपड़ेका वह थैला पेश करनेकी कहा जो उसके पास था। थैला खोला गया। उसके अन्दर जो वस्तुएँ थीं, उनकी सूची तैयार की गयी। वहाँ एक पंचनामा तैयार किया गया तथा मुझे पढ़कर सुनाया गया। मैंने पंचनामेपर हस्ताक्षर किये। थैलेकी वस्तुओंमें पिस्तौल जैसा एक हथियार, दो हथगोले तथा कारतूसोंकी एक पेटी थी।

### १०४ वाँ गवाह—असाधारण जेबोंका कोट-पैण्ट

अगले गवाह नारायण गणेश दावकेने अपने बयानमें कहा कि मैं पूनाकी दर्जियोंकी एक फर्म दावके एण्ड कम्पनीका मालिक हूँ। मैं आपटे (अभियुक्त) को जानता हूँ, क्योंकि वह गत तीस वर्षोंसे मेरे यहाँ कपड़े सिलवाता है। मेरी दूकानसे आपटेके घर केवल एक मिनटका रास्ता है।

अदालतमें दो कपड़े पेश किये गये। गवाहने इन कपड़ोंको पहचानते हुए कहा कि यह ऊनी सूट मेरी दूकानका सिला हुआ है। यह कोट पतलून मेरी दूकानपर १९ नवम्बर १९४६ को डाला गया था और ५ दिसम्बर १९४६ को तैयार माँगा गया था। आपटेने इसकी सिलाई ३०) दी थी। इस कोट तथा पैण्टकी जेबोंकी गहराई असाधारण थी। पुलिस आपटेकी लेकर १७ अप्रैल १९४८ को मेरी दूकानपर आयी और यह ऊनी सूट मुझे दिखाकर पूछा कि यह सूट किसने तैयार किया है। मैंने पुलिसको रजिस्टर दिखाकर कहा कि यह सूट मैंने तैयार किया है। इसके बाद एक पंचनामा तैयार किया गया और पुलिस मेरा रजिस्टर ले गयी जो कुछ दिनों बाद मुझे लौटा दिया गया।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं पूनाके सराठी विद्यालयमें शारीरिक शिक्षाका शिक्षक भी रहा हूँ। मुझे यह याद नहीं कि मैंने आपटेकी शारीरिक शिक्षा दी या नहीं। यह हो सकता है कि आपटेने मुझसे दस मं.स पूर्व महात्मा गान्धीकी प्रार्थना सभामें प्रदर्शन करनेकी एक स्वयंसेवकके रूपमें अपने साथ चलनेकी कहा हो।

### १०५ वाँ गवाह

अगले गवाह बम्बई गैस कम्पनीके एक कर्मचारी श्री विनायक शंकरराव दलवीने अपना बयान देते हुए बताया कि १६ अप्रैल १९४८ को मुझे माफर्ड मार्केटके

समीप स्थित सी० आई० डी० के दफ्तरमें पंच होनेके लिए बुलाया गया था । पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवाला ने मुझे एक कोट दिनाया । मैंने उस कोटपर हस्ताक्षर किये थे ।

इसके बाद मैं कोट लेकर एक कमरेमें गया जहाँ एक व्यक्ति बैठा था जिसने अपना नाम आपटे बताया था । मैंने उससे पूछा यह कोट किसका है ? आपटेने यह स्वीकार किया कि यह कोट मेरा है । इसके बाद आपटेने बक्ससे एक पैग्ट निकाला और कहा कि इस कोट और पैग्टसे पूरा सूट होता है । इसके बाद पंचनामा तैयार किया गया ।

### ९ सितम्बर—१०६ वाँ गवाह

आज सदाशिव पेठ पूनाके ब्रोकर महादेव गोविन्द कुलकर्णीकी गवाही ली गयी । गवाहने अपने बयानमें कहा कि ३० जनवरी १९४८ को रातमें २॥ बजे मुझिस सदाशिव पेठके मकानके एक कमरेमें मुझे पंच वननेको बुला ले गयी जहाँ नथूराम गोडसे रहता था । यह वह कमरा था जो मैंने अनगल नामक एक व्यक्तिकी किरायेपर उठा दिया था । तलाशी लेनेपर कमरेमें कुछ चीजें बरामद हुई थीं । एक पत्र तथा एक चेकके अतिरिक्त एक अलमारीके ऊपर मोम जैसा कोई पदार्थ पड़ा पाया था जिसमेंसे दुर्गन्ध निकल रही थी ।

जिरहमें गवाहने कहा कि अनगलही ५) प्रति मास किरायेपर यह कमरा दिया गया था । मैं यह नहीं जानता कि अनगल नथूराम गोडसेसे किराया लिया करता था या नहीं । जो चिपकन पदार्थ अलमारीपर पड़ा था, उसे उठानेसे पहले एक पानीभरी बाल्टीमें डाला गया था क्योंकि वह विस्फोटक पदार्थ था ।

### १०७ वाँ गवाह

अगले गवाह ग्वालियरके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री दिनकर पांडुरंगराव मोराल पाटिलने बयान देते हुए कहा कि मैं ग्वालियर राज्यमें गत ११ वर्षोंसे नौकर हूँ । गत जनवरी-फरवरी मासमें मध्यभारतकी सरदकालीन राजधानी लखनऊमें पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट था । मैं डॉक्टर परचुरेकी जानता हूँ । वह ग्वालियर हिन्दू समाजा अध्यक्ष तथा हिन्दू राष्ट्र संघका संयोजक था ।

सार्वजनिक शान्ति-स्थापना आर्गिनेन्सके अन्तर्गत उन दिनों दिन ४० कारमि-योंकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी गयी थी, उनमें डा० परचुरेका नाम सर्वप्रथम था और ३ फरवरी १९४८ को प्रातः वे गिरफ्तार किये गये थे । ग्वालियरके इन्स्पेक्टर-

जनरल पुलिसकी आज्ञाके अनुसार परचुरेको फौजी अधिकारियोंके सुपर्द कर दिया था ताकि उसे ग्वालियर किलेमें कैद किया जाय ।

गवाहने आगे बताया कि १४ फरवरीको चम्बई और दिल्ली पुलिसके अफसर गान्धी हत्याकाण्डके सिलसिलेमें ग्वालियर आये थे । ग्वालियरके इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिसने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं उनकी उस कार्यमें सहायता करूँ । १६ फरवरीको ग्वालियर सेनाके कमाण्डरसे आवश्यक स्वीकृति लेकर इन अफसरोंको मैं ग्वालियर किले ले गया ताकि वे डा० परचुरेको देख सकें ।

किलेमें डा० परचुरे उनकी वारिकसे दवाखानेके कमरेमें लाये गये । मेरे परचुरेका परिचय उन अफसरोंसे कराया । इन पुलिस अफसरोंने परचुरेसे जो भी प्रश्न पूछे, उनका परचुरेने उत्तर दिया । इसके बाद परचुरेको फिर उनकी वारिकमें भेज दिया गया ।

पुलिस अफसरोंको बयान दे चुकनेके बाद मेरी जानकारीमें कोई भी पुलिस अफसर फिर परचुरेके पास नहीं जा सका । अगले दिन १७ फरवरी १९४८ को मैं परचुरेको पिछले दिनके बयानके सिलसिलेमें मुरार ले गया । ग्वालियर सेनाके कमाण्डरकी आवश्यक स्वीकृति इसके लिए ले ली गयी थी । चम्बई और दिल्लीके पुलिस अफसर भी उस समय मौजूद थे । एक मजिस्ट्रेट भी बुला लिया गया था । परचुरे हम लोगोंको एक स्थानपर ले गया जहाँपर एक स्टेनगन बरामद हुई । स्टेनगन बरामद होनेके बाद परचुरे फिर किले पहुँचा दिया गया । इस सिलसिलेमें एक रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी । १६ या १७ फरवरीको परचुरेने हममेंसे किसीसे भी यह शिकायत नहीं की कि मेरा स्वास्थ्य खराब है या किलेमें मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ।

स्टेनगन बरामद होनेमें केवल एक घण्टा लगा था । १८ फरवरी १९४८ को प्रातः किलेमें ग्वालियरके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिमें डा० परचुरेने अपना इकबाली बयान दिया था । १९ फरवरीको परचुरे किलेसे पुलिस हवालामें भेज दिया गया । पुलिसकी हिरासतमें परचुरे २४ अप्रैल १९४८ तक रखा गया । इसके बाद वह चम्बई पुलिसके हवाले कर दिया गया ।

२० जनवरी १९४८ को परचुरे ग्वालियरके मजिस्ट्रेटके सामने मूठ बयान लेने और अभियुक्तके स्थानान्तरणके सिलसिलेमें पेश किया गया । स्थानान्तरणके कानूनी काररवाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि २३ अप्रैलको अभियुक्त ग्वालियरके पोलिटिकल ( वाय ) मन्त्रीके आज्ञानुसार चम्बई पुलिसके हवाले कर दिया गया ।

गंगाधर जाधव, गंगाधर सखाराम दंडवते तथा सूर्यदेव शर्माको मैं जानता हूँ । ये लोग अभी तक फरार हैं । सरकार इन लोगोंको इसी मुकदमेके सिलसिलेमें

गिरफ्तार करना चाहती थी। इनकी गिरफ्तारीके घांटे निकल चुके हैं। १७ फरवरी-को १० परचुरेको दिवस पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ दिखाया गया था।

जिरहमें गवाहने कहा कि जबमे मैं लखनऊ में हूँ तबसे मेरी जानकारीमे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिन्दू राष्ट्रीय सेवा संघके सदस्योंमें कमी भी कराई नहीं हुई। सार्वजनिक सुरक्षा आर्डिनैन्सके अन्तर्गत जो व्यक्ति फरवरीमें गिरफ्तार किये गये थे, उनमेंसे कुछ तो हाई कोर्टकी आज्ञामे तथा शेष स्वालियरके गृहमन्त्रीकी आज्ञामे रिहा कर दिये गये थे। स्वालियरमें कॉन्सि पार्टीमे २४ जनवरी १९४८ को सरकार सँभायी थी। मुझे यह याद नहीं कि मैंने अपने किसी मातहत अफसरको यह जाँच करनेकी आज्ञा दी हो कि परचुरे भारतका नागरिक है या नहीं।

मेरा कयाल है कि परचुरेका भाई मुकदमा शुरू होनेतक नजरबन्द रहा। परचुरेके भाईका लखनऊ भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पर मैं यह ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि वह कब रिहा कर दिया गया था। स्वालियर-किल्ला-क्षेत्रका घासन किला-कमाण्डरके हाथमें रहता है।

स्टेनगन मिलनेके बारेमें जो मुकदमा शुरू किया गया था, वह पुराणिक नामक एक व्यक्ति तथा परचुरेके विरुद्ध था। यह सब है कि यह मुकदमा फिर बेवक पुराणिकपर ही चलाया गया था।

जो पुलिस अफसर स्वालियर गये थे, वे मेहमान-गृहमें ठहराये गये थे। स्वालियरके जिला-मजिस्ट्रेटने मुझसे यह नहीं कहा था कि मैं इस मुकदमेके सिल-सिलेमें भारत डोमीनियनकी पुलिसकी सहायता करूँ। मुझे तो इस आदेशकी आज्ञा स्वालियरकी पुलिसके इन्स्पेक्टर-जेनरलने दी थी।

२७ फरवरी १९४८ को मैं आपटेकी लेकर परचुरेके घर गया था तो परचुरेकी पत्नी ही वहाँ थी। ( बादमें गवाहने इस बातपर सन्देह प्रकट किया कि उस दिन २७ फरवरी ही तारीख थी। ) मैं आपटेकी लेकर परचुरेके घर यह मात्स करने गया था कि आपटे और गोहसे उसके घर गये थे या नहीं।

साधारणतः कैदी स्वालियरकी सेंट्रल जेलमें रखे जाते हैं, पर परचुरे इसलिए किले भेजा गया था कि जेलमें रखनेसे जो प्रदर्शन जेलके सामने हो सकते थे, वे न हो सकें। जब परचुरे किलेमें कैद रखा गया था, तो कौनने ही उसे रखा दिया था। गृहत्तर स्वालियर जिसमें किलेका क्षेत्र भी शामिल है, साम्प्रदायिक तौरपर उपद्रवप्रस्त घोषित कर दिया गया था।

मुझे यह नहीं मात्स कि परचुरेका भाई अब भी नौकर है या नहीं। २४ जनवरी १९४८ को दिवस मद्रासमा पार्टीमे मोतीगढ़में एक प्रदर्शन किया था। मुझे यह याद नहीं कि इस सिलसिलेमें हुई एक सभामें परचुरेने भाषण किया था या नहीं।

मुझे यह ज्ञात है कि परचुरे समझौता बोर्डका एक सदस्य था जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सम्प्रदायोंमें शान्ति ब्रया अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना था ।

### १० सितम्बर—१०८ वाँ गवाह

पूनाके एक डाक्टर पी० डी० गोखलेकी गवाही हुई । गवाहने कहा कि १० अप्रैल १९४८ को मैं पूना छावनी थानेमें पंच बनानेके लिए बुलाया गया था । उस समय श्री नगरवाला तथा पुलिसके अन्य अफसर भी वहाँ मौजूद थे ।

रजिस्टरमें एक सूटकी नाप लिखी हुई थी जो मुझे दिखायी गयी थी । मैंने रजिस्टरपर हस्ताक्षर किये थे । इस सम्बन्धमें एक पंचनामा तैयार किया गया था । एक ऊनी सूट भी उस समय पेश किया गया था ।

### १०९ वाँ गवाह

अगले गवाह वी० टवल्यू० इनामदारने अपने बयानमें कहा कि १३ अप्रैल १९४८ को पुलिसके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे आनन्द आश्रमकी तलाशीका गवाह बनानेकी बुलाया था । उस आनन्द आश्रममें आपटेका परिवार रहा करता था ।

सबूत पक्षके वकीलने दो पत्र तथा एक फोटो अदालतमें पेश किया । फोटोमें सावरकर, नथूराम गोडसे, आपटे आदिका संयुक्त चित्र था । इन्हें पहचानते हुए गवाहने कहा कि मकानकी तलाशी लेते समय ये पत्र तथा फोटो बरामद हुए थे । उस समय एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर किये थे । श्री नगरवाला तथा अन्य पुलिस अफसर वहाँ मौजूद थे । मकानमें उस समय एक स्त्री तथा एक पुरुष था ।

जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जनवरी-फरवरी १९४८ में मैं सदाशिव पेठ, पूनामें रहता था । ३० जनवरी १९४८ को रातको रेडियोसे मैंने महात्मा गान्धीकी हत्याकी खबर सुनी थी । उस दिन महात्मा गान्धीकी हत्याके कारण उत्तेजित भीड़ने पूनामें बहुतसे महासभाइयोंके मकान तोड़-फोड़ डाले थे । मैंने इन क्षतिग्रस्त मकानोंको देखा था । उससे ३१ जनवरीसे पूनामें कर्फ्यू लागू कर दिया गया था । जोगलेकर नामक एक व्यक्तिका तिमिंझला मकान पूर्णतया जलाकर खाक कर दिया गया था । लक्ष्मी रोडपर पूना गेस्ट हाउसके सामनेका मकान भी जला दिया गया था । मैं कांग्रेसी हूँ ।

### ११० वाँ गवाह

तीसरे गवाह शिवकन्नकुंज विलचन्दने अपने बयानमें कहा कि मैं २३ मई १९४८ को सी० आई० डी० के दफ्तरमें पंचनामाका गवाह होने गया था । वहाँ

२५-४० वर्षकी एक स्त्रीने एक तह किया हुआ कागज मुफियाके सच इन्स्पेक्टर श्री प्रधानको दिया था। जब इस कागजकी तह खोली गयी तो उसमें कागजके ८ टुकड़े निकले। एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर किये। इस स्त्रीका नाम रुक्मिणीबाई बढगे था।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं मराठी भाषा नहीं जानता। जो स्त्री आयी थी वह मराठी बोलती थी। कागजके वे आठों टुकड़ एक अन्य कागजपर चिपकाये गये थे।

### १११ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईके टेलीफोन इन्स्पेक्टर श्री फ्रांक रेनिलोने गवाही दी। गवाहने कहा कि ८ मार्च १९४८ को मैं सी० आई० टी० के दफतरमें पत्र बनने गया था। वहाँ नथूराम गोडसे, आपटे तथा करकरेको वारी वारीय सुझाकर उनसे लफ्दे कागजोंपर लिखवाया गया था। सी० आई० टी० के इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरने इन लोगोंसे बोलकर लिखवाया था।

### ११२ वाँ गवाह

अगले गवाह जनार्दन दिनकर सावलेकरने जो कि बम्बईके सेन्ट्रल टेब्युप्राफ आफिसके शिकायत विभागका हेडक्लर्क था, गवाही दी। उसने अपने बयानमें बताया कि मुझे २५ जनवरी १९४८ को व्यास नामक एक व्यक्ति द्वारा आपटेकी भेजे एक तारकी जांच-पड़ताल करनेकी कहा गया था। चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटके धातानुसार मैंने यह तार २९ मार्च १९४८ को पुलिसको दे दिया था।

### १३ सितम्बर—११३ वाँ गवाह

#### चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनकी गवाही

आज बम्बईके चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री ए० एन० ब्राउनका संयुक्त पक्षकी धोरसे बयान लिया गया। गवाहने कहा—मैंने महा मा गान्धी हत्याकाण्डके सिल-सिलेमें कुल ११ शिनाकृत परेडें करवायीं। वे परेडें २१ फरवरी, २, १९, २३, २४ ( दो बार ), ३० ( दो बार ), ३१ मार्च तथा ८ अप्रैल १९४८ को हुईं। शिनाकृत परेडें विस्तृत निष्पत्तापूर्वक हवा सभें इम्पिए इनमें मैंने फातरेरी मजिस्ट्रेटोंका पत्र नियुक्त किया। मैं स्वयं शिनाकृत-परेडेंके लिए अभियुक्तोंको लेने एस्पेडानेड पुलिस हवायतमें गया। मैंने अभियुक्तको अन्य व्यक्तियोंके साथ कहा भी चेंचोंपर बैठ जानेकी आज्ञा दी। मैंने उनसे यह भा कहा कि वे अपने इच्छानुसार अपने कपड़े बांधवा। सरकी टारी आदि बदल सकते हैं। उन्हें अपनी



बैठनेकी जगह भी बदलनेका अवसर दे दिया गया था। किन्तु साथमें यह भी कह दिया गया था कि जब शिनाख्त परेड आरम्भ हो जायगी तो उन्हें फिर अपनी-अपनी जगहसे न उठने दिया जायगा।

इसके बाद मैं शिनाख्त करनेवाले गवाहोंको लेनके लिए मजिस्ट्रेटके कार्यालयमें गया। मैंने गवाहोंसे जिसे भी यह पहचानते हों, शिनाख्त करनेको कहा।

शिनाख्तके बाद मैंने प्रत्येक गवाहको अपने कमरेके पासके कमरेमें रखा जिसपर देखभाल करनेको एक आनरेरी मजिस्ट्रेट तैयार था। मैंने गवाहोंसे पूछा कि वह शिनाख्त किये जानेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंको किस प्रकार पहचानते हैं। इसके बाद गवाहोंके बयान लिखे गये।

मैंने अपने कमरेमें पंचनामा लिखा जब कि शिनाख्त करनेवाले गवाह उपस्थित थे। मैंने गवाहोंसे कह दिया था कि पंचनामामें क्या लिखा जा रहा है तथा जहाँ कहीं भूलचूक हो वहाँ वे वता दें। इसके बाद मैंने स्वयं पंचनामा पढ़कर सुना दिया। जो लोग वहाँ थे उन सबने उसे सुना। अभियुक्तोंसे पूछ लिया गया था कि उन्हें उसमें कुछ सुधार करवाना है या नहीं, लेकिन किसीने कुछ नहीं कहा।

इसके बाद मैंने पंचनामेपर हस्ताक्षर कर दिये और पंचनामा लिखते समय जो टाइम हुआ था वह भी उसीपर लिख दिया गया। शिनाख्त परेडके समय अथवा मेरे कमरेमें कोई पुलिस अफसर मौजूद न था।

सभी ११ शिनाख्त परेडोंमें इसी प्रकार काम किया गया। पहली परेडमें सभी अभियुक्त तथा अन्य लोग खड़े रहे। लेकिन बादकी परेडोंमें बैठा गये थे जिससे बादमें समय अधिक लगा। मैं पंचनामा देखे बिना शिनाख्त किये गये अभियुक्तोंके नाम बतानेमें असमर्थ हूँ।

२१ फरवरी, १९४८ की शिनाख्त परेडमें ११ आदमी खड़े किये गये थे। इस परेडमें नथूराम गोडसे तथा आपटे पहचान लिये गये थे। इनको काले नामक गवाहने पहचाना था और उसने बताया कि मैंने २८ जनवरी १९४८ को डा० परचुरेके मकानपर गोडसे तथा आपटेको देखा था। कुमारी लीना बेनविजने उन्हें पहचानते हुए बताया था कि वह २७ जनवरी १९४८ को चम्बईसे दिल्ली आनेवाले हवाई जहाजपर यात्रा कर चुके थे।

२ मार्च १९४८ की परेडमें संदिग्ध व्यक्तियोंके साथ २४ आदमी खड़े हुए थे। इसी परेडमें मदनलाल, एन० वी० गोडसे, गोपाल गोडसे तथा शंकर किस्तय्या-पहचान लिये गये थे। स्वामी कृष्णजीवनजी महाराजने गोडसे, आपटे तथा वडगेको पहचाना था। दीक्षित महाराजने मदनलालको किताने वेंचनेवाले पञ्जाबी शरणार्थीके रूपमें पहचाना था। उन्होंने वडगे, आपटे तथा गोडसेको भी पहचाना था।

गवाह कद्मीरीलालने आपटेकी एल्फिस्टन मदनमें ठहरनेवाले व्यक्तिके रूपमें पहचाना था । सत्यवानने सी ग्रिन होटलमें ठहरनेवाले आपटेकी पहचाना । २ फरवरी १९४८ को कौटायमने बढगे, गोडसे, आपटे और शंकर किस्तप्याकी पहचाना । डा० जे. सी. जैनने करकरे और मदनलालको पहचाना जो उनके पास गये थे । चरणदासने करकरेकी नथूराम गोडसे बताया था ।

१६ मार्च १९४८ को अभियुक्तोंके साथ १९ व्यक्ति और शिनाख्त परेडमें बैठाये गये । कु० दांताबाईने आपटे और नथूराम गोडसेकी पहचान लिया जिन्होंने उसके साथ बम्बईमें पूना तक यात्रा की थी । श्री रत्नाकरने बढगे और आपटेको पहचाना । अमचेकरने गोपाल गोडसे, मदनलाल और करकरेकी पहचाना ।

२३ मार्च को तीन संदेख व्यक्तिोंके साथ १७ व्यक्ति और बैठाये गये । इस दिन पाँच शिनाख्त करनेवाले व्यक्ति ये । इस दिन नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे तथा आपटे चार गवाहों द्वारा पहचाने गये । एक पाँचवें गवाह आनन्द-बिहारीलालने नथूराम गोडसेकी जगह अन्य गलत व्यक्तिको पहचाना ।

२४ मार्चकी परेडमें मदनलाल, बढगे, करकरे, गोपाल गोडसे तथा शंकर किस्तप्या पहचाने गये । इसी दिन फिर दुबारा परेड हुई । ३० मार्चको ६ गवाहोंने गोपाल गोडसे, बढगे तथा किस्तप्याको पहचाना । इसी दिन तीसरे गहर फिर एक परेड हुई जिसमें सात अभियुक्त पहचाने गये । मार्च ३१ को ९ वीं शिनाख्त परेडमें पाँच व्यक्ति पहचाने गये ।

सवूत पक्षके प्रधान वकील श्री दफ्तरीने इस गवाहसे ८ अप्रैल १९४८ को हुई दसवीं शिनाख्त परेडके बारेमें कोई पूछताछ नहीं की । ९ अप्रैल १९४८ को ११ वीं परेडमें नथूराम गोडसे, आपटे तथा बढगे पहचान लिये गये । इस दिन गोडसेका साथी गलत व्यक्ति पहचाना गया । गवाह जी० वी० अफजलपुलकर गोडसे और आपटेको अलग-अलग न पहचान पाये ।

गवाह श्री प्राउनने कहा कि मैंने जान्ता फौजदारीकी १६४ धाराके अंतर्गत पुलिसको गवाहोंके बयान भी लिखवाये । मैं इस अवसरपर वकील अयवा पुलिस अफसरको पास नहीं फटकने देता था ।

मैंने गवाहोंसे कइ दिया था कि वे यह बयान स्वेच्छापूर्वक दे रहे हैं । मैं उनका बयान एक-एक अक्षर ज्योंका त्यों दर्ज नहीं कर रहा था । मैंने सिर्फ प्रासंगिक अंश ही उनके बयानोंके लिखे थे ।

जिन्ह करनेर मजिस्ट्रेट श्री प्राउनने बताया कि मैंने डा० परचुरेकी छोडकर सभी अभियुक्तोंकी समय-समयपर पुलिसकी हिरासतमें लौटा दिया था । प्रवेड बार

हिरासतसे लौटनेपर मैंने उनसे पूछा कि उनको किसी प्रकारकी पुलिससे शिकायत तो नहीं ।

गवाह. घाउनने यह भी कहा कि जहाँतक मुझे याद है नथूराम गोडसे तथा आपटेने मुझसे २४ मार्च १९४८ को पंचनामा लिखे जानेके समय शिकायत की थी कि दिल्लीमें शिनाख्त करनेवाले गवाहोंको उन्हें पहचनवानेका अवसर दिया गया था । गवाह श्री घाउनने आगे बताया कि बम्बईमें शिनाख्त-परेडके अवसरपर मुझे वहाँ एक पञ्जाबी पुलिस अफसर दिखायी दिया था जिसे मैंने समय रहते निकाल बाहर किया । मुझे यह याद नहीं कि ये अभियुक्त पुलिस-हिरासतमें कहीं रहे गये थे, किन्तु नथूराम गोडसे तथा आपटेने मुझसे शिकायत की थी कि पुलिस उनको अपने वकीलोंसे सहाह लेनेका सुविधा नहीं देती । अत मैंने एक पुलिसके अफसरको बुलाकर निश्चित हिदायतों की कि अभियुक्तोंको अपने वकीलोंसे सलाह लेने दी जाय । १६ फरवरीसे २४ अप्रैलकी अवधिमें आपटेने जो प्रार्थनापत्र दिये उनमें वकीलसे सहाह लेनेकी कोई इच्छा प्रकट नहीं की गयी थी । ४ मई १९४८ को सावरकरकी ओरसे श्री एस. वी. देवधर वकील उपस्थित हुए थे । अन्य अभियुक्तोंके लिए कोई दूसरा वकील था । २२ मई १९४८ को मैंने सावरकर और परचुरेको छोड़कर अन्य सब अभियुक्तोंको स्थानान्तरित करके दिल्ली भेजनेका आदेश दे दिया था ।

शिनाख्त परेडमें रजिस्ट्रारके कार्यालयसे शिनाख्त करनेवाले गवाहको लानेमें केवल २ मिनट लगते थे । मैं नहीं कह सकता कि रजिस्ट्रारके कार्यालयमें क्या होता था । उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रारके कार्यालयमें एक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त था ।

इन शिनाख्त-परेडोंके अतिरिक्त मैंने कभी कोई शिनाख्त परेडका भार नहीं सम्भाला था । मैंन जास्ता फौजदारीकी १६४ धाराके अंतर्गत कुछ गवाहोंसे पूछताछ भी की थी । बम्बईमें चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी सिफारिशपर आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाते हैं । एक हवलदार, एक नायक तथा ८ फान्स्टेबल शिनाख्त परेडके अवसरपर व्यूटीपर तैनात किये गये थे । मैंने पंचनामाका विवरण हिन्दुस्तानीमें पढ़कर सुनाया था जिसे बम्बईका कोई भी व्यक्ति समझ सकता है । मैं मराठी भाषामें नहीं बोला था । मदनलाल पहली बार ६ फरवरी १९४८ को मेरे सामने पेश हुआ था । मैंने मदनलालके सम्बन्धमें ९ बार उसे पुलिसकी हिरासतमें रखनके आदेश दिये थे । १९०२ के बम्बई पुलिस ऐक्टकी ७० वीं धाराके अनुसार मुझे ऐसा करनेका अधिकार है ।

मुझे याद है कि शंकर तेलगु बोलता था और इसके लिए तेलगु-भाषी व्यक्तियोंको

युलाना पढ़ा था। किस्तग्या ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जिनासत परेडोंमें जगहें बदली थीं। एक बार तो उसने जिना टोपी पहनी थी। सावरकरने एक बार शिकायत की थी कि सब अभियुक्त साथ-साथ क्यों रखे गये हैं। डा० जे० सी० जैनेने अपना बयान अंग्रेजीमें दिया था। श्री जैनेने जो कुछ कहा था वास्तवमें वही लिखा गया। डा० जैनेने पढ़कर अपने बयानपर हस्ताक्षर किये थे। मैंने डा० बार्डका बयान भी लिखा था।

### १४ सितम्बर—११४ वाँ गवाह

#### सावरकर सदनकी तलाशीका विवरण

श्राज दादर ( बम्बई ) के श्री गजानन बालकृष्ण कवठगकरका बयान लिया गया।

गवाहने बताया—मुझे याद है कि ३१ जनवरी, १९४८ को मैं शिवाजी पार्क-के सावरकर सदनमें पंचका काम करनेको बुलाया गया था। मकानकी तलाशीके समय मैं उपस्थित था। मकानका मालिक भी बीजूद था। इस मकानकी बैठकमेंसे कुछ फाइलोंका एक ढेर हिरामतमें ले लिया गया था। इसी समय एक पंचनामा लिखा गया था जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं। तलाशीमें १॥ घण्टा लगा था।

जब मैं सावरकर सदन पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई भीड़ नहीं दिखायी दी। न वहाँ कोई झगड़ा-बावैला हो रहा था। मकानके पीछे कोई भीड़ जमा थी, यह मुझे मालूम नहीं। जब मैं मकानकी दूसरी मण्डलपर पहुँचा तो मुझे खिड़कियोंके शीशे टूटे पड़े मिले।

जिरहमें गवाहने कहा कि फाइलोंकी कोई सूची मेरे सामने नहीं बनायी गयी। पुलिसने मुझे तलाशीका कोई वारंट नहीं दिखाया था।

पंचनामामें बंदूक तथा फाइलोंकी संख्या लिखी गयी थी। मैंने फाइलोंकी बंदूकोंमें बाँधे जानेसे पूर्व गिनवाया नहीं था।

### ११५ वाँ गवाह

दूसरा गवाह दिल्लीकी खुफिया पुलिस शाखाका एक पुलिस इन्स्पेक्टर दसबन्दा-सिंह पेश हुआ। उसने बताया कि जनवरी १९४८ को मेरी प्यट्टी हुगलक रोड पुलिस थानेके अन्तर्गत थी। २० जनवरी १९४८ को मैं बिड़ला-मदन गया था। मैंने वहाँ मदनलालको देखा था। वहाँ मुझे मजिस्ट्रेटने एक पहले ही तैयार किया हुआ बयान दिया था। इसके बाद मदनलाल मुझे सौंपा गया। तलाशी देनेपर मदनलालके कोटकी दाहिनी बगलसे एक हथगोला बरामद हुआ था।

मैं मदनलालको बम-विस्फोट स्थलपर ले गया था। यह विस्फोट दीवारमें

## सरकारका ४ लाख खर्च

नयी दिल्ली, १४ सितम्बर । महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेमें सरकार अब तक लगभग ४,००,००० रु० खर्च कर चुकी है । खुफिया पुलिस और पुलिसने षड्यन्त्रका पता लगानेमें जो भी खर्च किया तथा गवाहोंके आने-जाने आदिपर जो खर्च किया गया है, वह इसमें शामिल नहीं है ।

सबूत पक्षके प्रधान वकील श्री सी. के. दफ्तरीको प्रति दिन १५०० रु० दिया जाता है । होटलमें ठहरने तथा आने-जानेका जो खर्च होता है उसे इसके अतिरिक्त सरकार देती है । दिल्लीमें एक कार तथा एक नौकर रखनेकी भी सुविधा सरकारने दी है जिसका आ दफ्तरीको कुछ नही देना पड़ता । बम्बईमें गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेके सम्बन्धमें आपने जो कार्य किया है, उसके लिए आपको प्रति घण्टा ७५ मिलेगा ।

सबूत पक्षके अन्य दो वकील श्री एन. के. पेट्रीगारा तथा श्री जे. सी. शाहको ६००-६०० प्रति दिनके हिसाबसे दिया जाता है । होटलमें ठहरने तथा आने-जानेका मत्ता इनको इसके अतिरिक्त मिलता है । बम्बईमें इन लोगोंने जो कार्य किया उसका इनको ३०-३० प्रति घण्टेके हिसाबसे दिया गया है ।

सबूत पक्षके सहायक सलाहकार रायबहादुर जवालाप्रसादको जिन दिनों अदालतका इजलास नहीं खुलता, उन दिनोंके लिए प्रति मास १००० रु० मेहनताना दिया जाता है । इसके अलावा अदालतमें जिस दिन आप उपस्थित होते हैं उस दिनका २५० प्रति दिनके हिसाबसे दिया जाता है । श्री हंसराज मेहताको, जो अभियुक्त शंकर किस्तग्याके वकील हैं, अदालतमें उपस्थित होनेके दिनोंका ३२ प्रति दिनके हिसाबसे दिया जाता है ।

लाल किलेमें अदालतका कमरा बनाने तथा कैम्प जेलमें परिवर्तन करने आदिमें सरकारका ४७००० व्यय हुआ है । अदालतके अन्य कर्मचारियों, गवाहोंके खाने तथा अन्य फुटकर बातोंमें २७ मईसे, जिस दिन कि मुकदमा आरम्भ हुआ है, ८ सितम्बरतक १९००० खर्च हो चुका है । गवाहोंके खाने-पीनेपर ही ६००० खर्च हुआ है ।

इस समय इस मुकदमेका सारा खर्च दिल्ली प्रान्तकी सरकार उठा रही है । जब यह मुकदमा समाप्त हो जायगा तो इस खर्चकी वापसीका प्रश्न दिल्ली प्रान्तीय-सरकार, भारत-सरकारके सामने पेश करेगी ।

हुथा था। यहाँ विस्फोटके कारण ३८ इंच लम्बी तथा १९ इंच गहरी छेद हो गयी थी। घटना-स्थलके निरीक्षणके समय काफी उजाला था।

मैं मदनलालको बिदला भवनके भीतर भी ले गया था जहाँ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जमा थे। मैंने वहाँ गवाहोंके घयान किये। रात ९.११-१० बजे मैं मदनलालको पार्समेण्ट स्ट्रॉट थानेमें ले गया। मदनलालकी सूचनापर मैं रातको ११ बजे मेरीना होटल गया जहाँसे फिर हिन्दू-मना कार्यालयमें गया।

( इस काररव ईमें पहले मदनलालने अपने वकील श्री बनर्जी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिलाया कि श्री घाउनने शिनाकृत परेडोंके सम्बन्धमें कुछ अभियुक्तोंके घयान दर्ज नहीं किये हैं जो भारतीय गवाह कानूनको धारा ९ के अन्तर्गत लिये जा सकते थे। )

### १५ सितम्बर

आज पहले इस प्रश्नपर विचार हुआ कि मदनलालके वक्तव्यके बाद, मेरीना होटलके एक कमरेकी ओर, जिसमें कहा जाता है कि नथूराम गोडसे और थापटे भाकर ठहरे थे मदनलालका संकेत करना और उस कमरेमें श्री आशुतोष आदिनीये वक्तव्यकी एक प्रतिलिपिका हॉना 'पता लगाये गये' तथ्य कहे जा सकते हैं या नहीं।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने दायीज दाँ कि भारतीय गवाह ऐक्टकी २७ वीं धारामें उल्लिखित तथ्य 'पता लगाये गये'के अलग-अलग टाई कोर्टोंमें अलग-अलग अर्थ-लगाये जाते हैं।

श्री दफ्तरीने कहा कि मदनलालके घयानसे इस काण्डके सम्बन्धमें कुछ तन्वी-की जनकारी मिली है जिनकी दर्ज कर लिया जाय।

न्यायाधीशने बचाव पक्षकी दलीलको पुष्ट करते हुए सीमित अर्थोंमें २७ वीं धाराका प्रयोग करनेका फैसला दिया।

इसके बाद अपनी गवाही जारी रखनेके लिए दिल्लीके सुफिया विभागके इन्स्पेक्टर सरदार दशबन्दा सिंह बुलाये गये। गवाहने कहा कि मदनलाल सुडे मेरीना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें ले गया। यहाँपर होटलका मैनेजर भी था। मैंने रजिस्टर चेक किया, बादमें उसे जन्त कर लिया। कमरेमें जो चागाज मिले, उन सबपर मैंने हस्ताक्षर किये।

इसके बाद मदनलाल सुडे हिन्दू महासभा भवन ले गया जहाँ उमने एड कमरेकी ओर इशारा किया। मेरे साथके वन्द्य पुलिस अफसर मदनलालके घयान कमरेमें चले गये, मैं स्वयं आफिसमें ही रहा।

१३ जनवरी १९४८ को मैं फिर मेरीना होटल गया। कालीरामने सुडे ५४

कपड़े लाकर दिये । उन कपड़ोंका प्राप्ति मेमो बनाया गया । उसपर मैंने हस्ताक्षर किये और कालीरामका वयान लिखा ।

इससे अगले दिन मदनलालके सूचनानुसार मैं शरीफ होटलमें रजिस्टर चेक करने गया ।

२० जनवरीको मैं विदला-भवन गया । तब तक मदनलालके काण्डकी जाँच मैं कर रहा था । इसके बाद इसका मामला मझे पुलिस अधिकारियोंने अपने हाथमें ले लिया ।

९ फरवरी, १९४८ को हथगोला और 'इगनाइट सेट' विस्फोटक विभागको भेज दिये गये ।

११ फरवरीको शंकर पुलिसको हिन्दू-महासभा भवन ले गया । भवनके पीछे दो स्थानोंसे हथगोले, कारतूस, गनफाटनके टुकड़े, तथा डिटोनेटर भी मिले । उस समय बम्बईके डिप्टी कमिश्नर नगरवाला भी मौजूद थे ।

१८ फरवरी, १९४८ को वह टैक्सी फन्जेमें ले ली गयी जिसपर चढ़कर, कड़ा जाता है कि, अभियुक्त विदला-भवन गये थे ।

२५ फरवरीको आपटे और करकरे हवाई जहाजसे दिल्ली लाये गये । अगले दिन आपटे और करकरे हमें हिन्दू महासभा-भवनके पीछेके जंगलमें ले गये । नगरवाला भी उपस्थित थे । वहाँपर लकड़ोंके ३ टुकड़े और खाली कारतूसोंका १ डिब्बा मिला ।

१८ मार्चको मैं फिर मेरीना होटल गया । वहाँके कुछ कागज और रजिस्टरको अपने फन्जेमें कर लिया । मैंने होटलके दो परिचारक नारायणसिंह और गोविन्दसिंहके वयान भी लिखे ।

सावधानीके ख्यालसे अभियुक्त बन्द कारोंमें ले जाये जाते थे, जिससे उन्हें कोई देखे नहीं । किसी भी पुलिस अफसरको नगरवालाकी इजाजतके बिना अभियुक्तोंसे बातचीत करनेका अधिकार नहीं था ।

### कमीशन भेजनेकी प्रार्थना

इससे पूर्व सवृत पक्षने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके जे० एस० पराजपेकी मौखिक समीक्षा करनेके लिए एक कमीशन बम्बई भेजनेकी प्रार्थना की थी ।

मुखविर बडगेकी सूचनाके आधारपर जी० जी० शेलार, तथा एन० टी० नाग-मोडेके घरसे पूनामें कुछ विस्फोटक द्रव्य मिले थे । गोडसेके कमरेमें कोई चिपकनी वस्तु भी मिली थी । इन विस्फोटकोंकी जाँच श्री परांजपेने की थी ।

प्रार्थनापत्रमें कहा गया है कि विस्फोटकोंकी जाँच करते हुए पराजपे सख्त धायल हो गये हैं। वे दिल्ली नहीं लाये जा सकते, इसलिए एक कमीशनको बम्बई भेजकर वहाँपर उनकी मौखिक समीक्षा की जाय। ( पर घादमें भी उनकी हालत गवाही लेने लायक नहीं थी, इसलिए उनकी गवाही नहीं ली गयी। यह गवाही २३ सितम्बरको ली जानेवाली थी। )

गवाह दसवन्दा सिंहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैंने अनेक गवाहोंसे जिरह की। पुलिस स्टेशनमें मैंने केवल सुरजीत सिंहके साथ जिरह की थी और उस समय नथूराम गोडसे वहाँ मौजूद था।

जिरहमें गवाहने कहा कि जब मैंने अभियुक्त गोडसेको देखा था तब उसके सिरपर पट्टी नहीं बँधी थी। तुगलक रोड पुलिस स्टेशनके एक छोट्टेसे कमरेमें गोडसे रखा गया था। २७ फरवरीको आपटे दिल्लीसे खालियर ले जाया गया और अगले दिन खालियरसे वापस भी ले आया गया। २० जनवरीको मैं मदनलालको साथ लेकर विस्फोटके स्थानपर ही जाँच करनेके लिए गया था। उस समय दृष्टी हुई दीवार फिर बना दी गयी थी। माल्म नहीं इसके लिए पहले इजाजत ले ली गयी थी या नहीं। मुझे काण्डकी छानबीनमें सरदार पटेल या मुरारजी देसाईसे कोई निर्देश नहीं मिले। प्रार्थना-स्थलपर शान्ति रखनेके लिए १ मुख्य कांस्टेबल और ४ सिपाही तैनात रखे जाते थे। २० जनवरीको हेड कांस्टेबल धर्मसिंह अपनी ल्यूटीपर था।

### २६ सितम्बर—१९६ वाँ गवाह

आज नयी दिल्लीके द्विष्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार जसवन्त सिंहकी गवाही ली गयी।

गवाहने कहा कि मैं सन् १९४५ में नयी दिल्ली आया था। तुगलक रोड और छावनीके घाने मेरे अधिकारमें हैं। २० जनवरी १९४८ को मुझे ज्ञात हुआ कि प्रार्थनास्थलपर बम फटा है। समाचार पाकर ६-६॥ बजे सायं मैं विदला भवन गया।

विदला-भवनके बाहरके तम्बूमें मैंने मदनलाल, मजिस्ट्रेट साहनी, तुगलक रोडके पुलिस सब-इन्स्पेक्टर सरदार दसवन्दासिंह तथा अन्य पुलिस अफसरोंको देखा।

इसके बाद मैं विस्फोट-स्थलपर गया। वहाँपर छानबीन करनेके बाद विदला-भवनमें आकर एक कमरेमें मदनलालने मैंने पृच्छा की।

९॥ बजे रातको मदनलालको कारमें बैठाकर पार्लमेंट स्ट्रीटके घानेपर ले गया जहाँ पुलिसके उच्च अफसरोंने उससे प्रश्नोत्तर किये।

२१ जनवरीको प्रातः ११ बजे मदनलालकी बतानी हुई सूचनाके आधारपर



मैं मेरीना होटल गया। मदनलालने मुझे ४० नं० का कमरा बताया। शुद्धमें मैंने होटलके मैनेजरसे बातचीत की, तब हमने ४० नं० के कमरेकी तलाशी ली, जहाँ हमें टाइप किया हुआ कागज मिला। प्रासिका एक मेमो बताया गया, किन्तु उसपर मेरे हस्ताक्षर नहीं थे।

इसके बाद मदनलालकी हिन्दूम्हासभा भवनके ३ नं० के कमरेमें ले गया। उसकी तलाशी ली गयी, किन्तु कोई-आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। इसके बाद हमने मदनलालको वापस पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेमें लाकर बन्द कर दिया।

श्री नगरवालाको इस घटनाकी सूचना देनेके लिए मैं इन्स्पेक्टर बालकृष्णके साथ बम्बई गया। हम दोनों २४ जनवरीको दिल्ली लौट आये।

२१ जनवरीको मदनलाल सिविल लाइन्सके थानेमें भेज दिया गया, जहाँ वह ३ फरवरीतक रखा गया। कार्यवाहक अफसरको यह आदेश दिया गया था कि मदनलाल विलकुल अलग एक कमरेमें रखा जाय और उसे किसीको देखने न दिया जाय।

३० जनवरी १९४८ को सायं ५। बजे मुझे मालूम हुआ कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी है, मैं तुरन्त ही बिड़ला-भवन गया। मैं नन्दलालसे मिला और मैंने उनका वयान लेकर दर्ज करनेके लिए उसे तुगलक रोड थाने भेज दिया। इसके बाद मैंने १-२ गवाहोंकी और जाँच की। जिस कमरेमें गान्धीजीका शव रखा हुआ था, उसके द्वारपर मैंने एक सन्तरी बैठा दिया था।

मैं घटनास्थलपर गया और देखा कि माली रतनसिंह उस स्थानकी रक्षा कर रहा है। मुझे वहाँपर खाली कारतूसोंके २ बक्स, २ खाली खोलियाँ तथा खूनसे लथपथ पेटी मिली। एक पंचनामा तैयार किया गया और वे सब वस्तुएँ कब्जेमें कर ली गयीं।

इसके बाद मैं पुनः उस कमरेमें गया जहाँ उनका शव रखा गया था। मैंने उनके शरीरके घावोंकी जाँच करके उनकी एक सूची तैयार की। उस समय बिड़ला-भवनमें मैंने नथूराम गोडसेको नहीं देखा। रातको ७ बजे मैंने उसे पहला बार पार्लमेंट स्ट्रीटके पुलिस थानेमें देखा। मैंने एक मेडिकल अफसर भी गोडसेके लिए भेजा था क्योंकि उसने मुझे अपने सिरके घावके विषयमें लिखित शिक्षायत की थी।

३१ जनवरीको प्रातः ९।। बजे बिड़ला-भवनमें श्री देवदास गान्धीने मुझे एक बुलाया हुआ कारतूस दिया। ४ फरवरीको मदनलाल हवाई जहाजसे बम्बई भेजा गया। मैं उसके साथ नहीं गया।

टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहका वयान मैंने ४ फरवरी १९४८ को लिया था।

३० जनवरीसे लेकर ३ फरवरीतक नथूराम गोडसे पार्लमेंट स्ट्रीटके मामले और बादमें ६ फरवरी तक तुगलक रोडके थानेमें रखा गया ।

६ फरवरीको रोडसे अदालतकी हिरासतमें दे दिया गया और एक डाक्टरकी सलाह लेकर उसके सिरकी पट्टी खोल दी गयी ।

११ फरवरी, १९४८ तक नथूराम गोडसे जिला जेलमें रखा गया । उस दिन वह कई अन्य पुलिस अफसरोंके साथ बन्दे ले जाया गया । श्री नगरवाला भी उनमें शामिल थे । १० फरवरीको नगरवाला शंकर क्रिस्तम्याकी साथ लेकर आये थे । शंकर तुगलक रोडके थानेमें रखा गया । अगले दिन गोडसेके साथ वह भी फिर बन्दे ले जाया गया ।

२५ फरवरीको नगरवाला आपटे और करकरेको दिल्ली ले आये थे तुगलक रोडके थानेमें रखे गये ।

२६ फरवरीको आपटे करकरेके साथ हमें हिन्दू महासभा भवनके पीछेके जंगलमें ले गया । श्री नगरवाला भी उपस्थित थे । वहाँपर कुछ वस्तुएँ मिली, जिन्हें मैंने अपने फलजेमें कर लिया ।

२७ फरवरीको आपटे बवालियर ले जाया गया और अगले दिन दिल्ली वापस ले आया गया ।

१ मार्चको आपटे और करकरे फिर बन्दे ले जाये गये । ५ अप्रैलको नथूराम गोडसे बन्देसे दिल्ली लाया गया और वह यहाँ ९ अप्रैल तक रहा ।

२४ मई, १९४८ को सावरकर और परचुरेको छोड़कर सब अभियुक्त एवाई जहाजसे दिल्ली लाये गये । सावरकर २५ को तथा परचुरे २५ या २६ मईको दिल्ली लाये गये ।

गवाहोंसे जंगलके पहरेदार मेहरसिंह तथा टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहसे प्रश्नोत्तर तुगलक रोडके थानेमें किये गये थे ।

जब मामलेकी छानबीनके लिए अभियुक्त बाहर निकाले जाते थे, तब उनका स्वरूप प्रकट न होने देनेकी पूरी सावधानी रती जाती थी ।

बन्देकी एक शिनाख्त परेठमें मैं अन्दर चला गया था, तो जाटन बहुत नाराज हुए और मुझे बाहर चले जानेके लिए कहा । इसके बाद मैं उस स्थानपर फिर कभी नहीं गया ।

२० जनवरीके बादसे विद्वान-भवनमें और अधिक पुलिस २४ घण्टे नियुक्त की जाती रही ।

जिरामें गवाहने बताया कि गोडसेके बाबोका हत्या पार्लमेंट स्ट्रीटके

पानेमें किया गया । गोडसेने उस समय जो बुश कोट पहना हुआ था वह खूनसे सना था । गोडसेकी दवाईके लिए डाक्टर प्रति दिन नहीं बुलाया जाता था । घाव मामूलो थे और गोडसेने उनका बाकायदा उपचार किये जानेकी कोई इच्छा प्रकट नहीं की ।

६ फरवरी, १९४८ को गोडसेको सेंट्रल जेल मेजनेसे पहले सरकारी डाक्टरसे सलाह नहीं ली गयी, क्योंकि वह तुगलक रोड थानेसे ९ मील दूर रहता था । ३० जनवरीको पार्लमेण्ट स्ट्रीटके थानेके बाहर मैंने ऐसी कोई मीड़ नहीं देखी जो नथूराम गोडसेको देखनेके लिए एकत्र हुई हो ।

मुझे याद है कि ओम् बाबाने जनवरी, १९४८ में उत्रास किया था । वे कैद करके पार्लमेण्ट स्ट्रीटके थानेमें रखे गये थे । यह कहना ठीक नहीं कि जब ओम् बाबाकी अवस्था बिगड़ गयी, तो वे हिन्दूमहासभा भवनमें रखे गये । ओम् बाबा २० जनवरी १९४८ से पहले रिहा कर दिये गये थे । हिन्दू महासभा भवनके ३ नम्बरके कमरेकी तलाशमें आम् बाबा वहाँपर मौजूद न थे । परचुरेके बारेमें यह विभागसे हमें कोई हिदायत नहीं मिली । परचुरेके साथ उसका भाई भी २५-२६ मईको दिल्ली लाया गया ।

### २० सितम्बर

आज अदालतमें आपटे, करकरे और गोपाल गोडसेकी पत्नियाँ उपस्थित थीं । आज नयी दिल्लीके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार जसवंत सिंहके साथ जिरह जारी रही । उन्होंने कहा कि दिल्ली और नयी दिल्लीके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट, पं. जगन्नाथ तथा ए. एन. भाटियाने भी मदनलालसे प्रश्नोत्तर किये थे । सिविल लाइन्सका थाना मेरे अधिकार क्षेत्रमें नहीं है । मैंने बाबोकी रिपोर्ट ३० जनवरी १९४८ को तैयार की थी । मैंने वम-विस्कोटके स्थानका फोटो लेनेका भी आदेश दिया था । जनवरीमें मैं ४ या ५ बार प्रार्थना-सभामें गया । बिड़ला-भवनमें दिसम्बर १९४७ से एक रक्षक तैनात कर दिया गया था जिससे कोई उपद्रव न हो । (जजने घोषित किया कि मैं पुनः बिड़ला-भवन जाकर घटनास्थलकी जाँच करूँगा । ) २० जनवरीकी घटनाके स्थलपर जानेसे पहले १० मिनट तक मैं खेमेमें रुका । मदनलालका बयान पार्लमेण्ट स्ट्रीटके थानेमें लिया गया था । मदनलाल पार्लमेण्ट स्ट्रीटके थानेसे सि

के थानेमें इसलिये नहीं भेजा गया था कि वहाँ उसमें कोई बकील न मिल सके, अथित एक बकील उससे थानेमें जाकर मिला था, श्री नगरवायाने मामलेकी छान बीनमें मुझे प्रो० जगदीशचन्द्र जैनके विषयमें कुछ भी नहीं बताया। टैक्सि ड्राइवर सुरजीतमिश्रके विरुद्ध बिना लाइसेन्सके टैक्सि चयानेवर काफ़ीकार्ड इसलिये नहीं को गयी कि वह एक शरणार्थी था और उसने लाइसेन्सके लिए अर्जी दे रखी थी। गान्धी-दृत्याकाण्डके अनुशीलन और जाँच-पड़तायके लिए एक विशेष स्टाफकी नियुक्ति की गयी थी जिसका त्तर मुकाम तुमन्क रोडका थाना था।

इसके पहले आज अदालतमें ३ दरखास्तें दी गयीं। सरकारी बकीलकी ओरसे दी गयी एक दरखास्तमें कहा गया था कि ९ सितंबरको गोराल पाटिलसे गवाहीमें पूछा गया था कि क्या परचुरेने आपसे यह शिवायत को थी कि मैं बीमार हूँ। यह प्रश्न अदालतने पूछने नहीं दिया था, उसे इसे पूछने देना चाहिये था।

अदालतने इसे स्वीकार नहीं किया।

दूसरी दरखास्तमें कहा गया था कि एक प्रश्न यह पूछा गया था कि पुलिस २० जनवरांको मेरीना होटल क्यों गयी थी। यह हर्षलए पूछा गया था कि मदनलालने कहा था कि मैं अपने २ दोस्तोंके साथ उस होटलमें ठहरा था और जहाँ ठहरा था वह कमरा दिखा सकता हूँ। अदालतने इस प्रश्नको गवाही कानूनकी दफा २७ के अनुसार पूछने नहीं दिया था। इसे भी उसे पूछने देना चाहिये था।

तीसरी दरखास्त मदनलालकी ओरसे दी गयी थी। इसमें कहा गया था कि मैं जब पुलिसकी हिरासतमें था तब २० जनवरांके मेरीना होटलत एक और हिन्दू महाशभा भवनका एक कमरा पुलिसको दिखाया था। अदालत इसपर विचार करे। क्योंकि जब यह दिखाया गया था तब मैं पुलिसकी हिरासतमें था।

उसके बाद ग्वालियरके हमीरियल बैचके हेड क्लर्क श्री बालराम लालकी गवाही ली गयी। गवाहने बतया कि ग्वालियरके प्रथम दर्जेके मजिस्ट्रेट श्री आर बी० अटलने २० फरवरी १९४८ को बैचमें एक नुरसुद्ध विषयका जमा करवाया था जो ६ अप्रैल, १९४८ को वापस दे दिया गया। २०

फरवरी और ६ अप्रैलके बीच किसी भी समय वह लिफाफा वापस नहीं लिया गया था, क्योंकि ऐसा होता तो वह बात रजिस्टरमें दर्ज रहती ।

जिरहमें गवाहने कहा कि यह लिफाफा श्री अटलके निजी हिस्सामें जमा किया गया था । इसका सार ग्व.श्वियरकी खुफिया पुलिसके इन्स्पेक्टरको बता दिया गया था । पत्रमें क्या था यह किसीको नहीं मालूम । जहाँ तक मुझे मालूम है ग्वालियरमें कोई अदालत अपने रेकार्ड वैकममें नहीं जमा कराती ।

तीसरे गवाह नामदेव तायप्पा नागमोडेने, जो पूनामें १४ सालसे रहता है और पूना म्युनिसिपलिटिमें क्लर्क है, बताया कि मैं आमदार (एम० एल० ए०) खरातको १२ वर्षोंसे जानता हूँ । हम दोनों एक ही उपजातिके हैं और एक ही गलीमें रहते हैं ।

खरातने मुझे एक बण्डल अपने पास रखनेको दिया जिसे मैंने अपने घरके सामनेके मन्दिरमें रख दिया । पुलिस आयी और उस बण्डलको ले गयी । पुलिसके उस बण्डलको खोलनेपर ही मुझे मालूम हुआ कि उस बण्डलमें क्या था ?

यादका गवाह होनाजी गणपत शेकर था । वह भी पूनाकी म्युनिसिपलिटिमें क्लर्क है । उसने बताया कि मैं खरातको जनवरीसे जानता हूँ । मेरे बयानसे ३ सप्ताह पहले खरातने एक बण्डल दिया था । उस बण्डलको मैंने अपने घरके एक कोनेमें जाकर रख दिया । मुझे नहीं मालूम था कि उस बण्डलमें क्या है ।

### ३ अभियुक्तोंकी सरदार पटेलको बधाई देनेकी इच्छा

दिल्ली, २० सितम्बर । अभियुक्त नथूराम गोडसे, आपटे और मदनलालने अदालतसे प्रार्थना की कि हमें हैदराबादकी विजयपर सरदार पटेलको बधाई देनेवाला एक संदेश भेजनेकी इजाजत दी जाय ।

अदालतने कहा कि आर लोगोंको दिल्लीके चीफ कमिश्नरको उसके लिए अर्जी भेजनी चाहिये, जिनके आधिपत्यमें आप लोग हैं ।

पुलिस एक दिन खरातके साथ मेरे घर आयी और उसने बण्डलको अपने आधिपत्यमें कर एक पञ्चनामा तैयार किया ।

जिरहमें गवाहने कहा कि ३ सप्ताह तक मैंने उस बण्डलको अपने घरपर रखा । मैं नहीं कह सकता कि खरातने मुझे वह बण्डल किसलिए अपने पास रखनेको दिया था ।

अगला गवाह इन्जिनियरिंग कालेज पूनाका एक विद्यार्थी श्री अरुण करमचन्द्र गान्धी था । उसने बताया कि ८ फरवरी, १९४८ को रात ७ बजे पुलिसने मुझे नागमोडेके घर पंच बननेके लिए बुलाया । वहाँ दो पञ्च तथा श्री नगरवाला पहले ही मौजूद थे । नागमोडेके साथ मुझे मन्दिरमें ले गये । वहाँ कपड़ेमें लिपटा हुआ एक बण्डल पाया गया, जिसपर मेरे हस्ताक्षर लेकर पञ्च-नामा तैयार किया गया । मैंने पहले कभी वास्तुी कर्कका टुकड़ा नहीं देखा था । यह पहला ही अवसर था जब मैं किसी मामलेमें पञ्च बनाया गया था ।

### २१ सितम्बर

आज बम्बईके शंकर गणपत घाटगेकी गवाही ली गयी । गवाहने बताया कि १५ मार्च १९४८ को पञ्चका काम करनेके लिए मैं बम्बईके खुफिया पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था । वहाँ मैंने नथूराम गोडसेको देखा, जिससे एक कागजपर मराठीमें कुछ लिखनेको कहा गया था । इस पञ्चनामपर मेरे हस्ताक्षर थे ।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं पञ्च इसलिए बनाया गया था कि बादमें मैं गोडसेके हस्ताक्षर पहचान सकूँ । पहले-पहल मैंने गोडसेको खुफिया पुलिसके दफ्तरमें ही देखा था । कागजपर लिखनेके लिए गोडसे अपने पास एक पेन रखता था । मैं नहीं जानता कि यह कहाँका बना हुआ है । मैं जाँसेली नहीं हूँ, तो भी खद्दर पहनना अच्छा समझता हूँ ।

इसके बाद पूनाकी खुफिया पुलिसके टिप्प्री सुपरिन्टेण्डेंट श्री एन. वा. देऊलकरकी गवाही ली गयी । गवाहने कहा कि सन् १९२६ में मैं पुलिसमें भरती हुआ और १९४७ से पूनाकी खुफिया पुलिसका टिप्प्री सुपरिन्टेण्डेंट हूँ । बम्बईके पुलिस इन्स्पेक्टर-जनरलसे मुझे दिशामत मिली थी कि मैं गान्धीजीके हत्याकाण्डके विषयमें छान-बीन करूँ । तदनुसार ३१ जनवरीको रात ८ बजे मैं पूनाके थानेमें गया । वहाँ मैंने मुसदिर घाटगेकी बन्द गावा । उसके मैंने सवाल-जवाब किये । २ फरवरीको मैं बम्बई गया और ३ को एमर्जेंसी-से दिल्ली आया । वहाँ मुझे शत हुआ कि मुगलक रोडके थानेमें नथूराम गोडसे

बन्द है। मैंने न तो उसे देखा और न उसके कोई बातचीत की। गोडसेको मैंने पहले-पहल दिल्ली जेलमें ८ फरवरीको देखा। तब उसके कोई पट्टी नहीं बँधी हुई थी। ११ फरवरीको जब हमने शंकर किस्तय्याको देखा तो श्री नगरवाला भी उसके साथ थे। शंकर किस्तय्या हमें हिन्दू-महासभा-भवनके पीछेके जंगलमें ले गया। वहाँपर कुछ वस्तुएँ मिलीं, जिनका पञ्चनामा तैयार किया गया। १४ फरवरीको मैं ग्वालियर गया और यहाँ पाटिलके सहयोगसे मैंने वहाँपर कुछ गवाहोंकी समीक्षा की। १६ फरवरीको मैं परचुरेसे प्रश्रीत्तर करनेके लिए ग्वालियरके किलेमें गया। प्रश्न पूछनेके बाद परचुरेने यह इच्छा प्रकट की कि स्थितिको अधिक स्पष्ट करनेके लिए किसी मजिस्ट्रेटके सामने उसका बयान ले लिया जाय। मैंने स्थानीय पुलिससे एक मजिस्ट्रेटके सामने परचुरेका बयान लिखनेको कहा। १८ फरवरीको ग्वालियरके किलेमें परचुरेका बयान लेनेके लिए मजिस्ट्रेटके साथ मैं भी गया था तथा अन्य पुलिस अफसर भी मौजूद थे। २० फरवरीको मैं ग्वालियरसे बम्बई चला गया और २४ फरवरीको बम्बईसे चलकर २६ को दिल्ली आ गया। मुझे मालूम हुआ कि आपटे और करकरे दिल्लीमें ही हैं, किन्तु मैंने उन्हें देखा नहीं। २७ फरवरीको आपटेको साथ लेकर मैं फिर ग्वालियर परचुरेके घर गया। परचुरेके घरकी तलाशी ली गयी। कुछ वस्तुएँ मिलीं जिनका पञ्चनामा तैयार किया गया। अगले दिन आपटेको मैं वापस दिल्ली ले आया। ३ मार्च १९४८ को मैं बम्बई लौट गया। १५ मार्चको मैंने गोडसेके हस्ताक्षरके नमूने लिये। सब मराठी अखबारोंकी फाइलें रखना मेरे कर्तव्यका एक भाग है। 'अप्रणी' और 'हिन्दू राष्ट्र' मराठीके अखबार हैं। ये अखबार इसलिए पढ़े जाते हैं कि यदि कोई आपत्तिजनक बात हो, तो वह खुफिया पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरलके ध्यानमें लायी जाय। दफ्तरमें कुछ अखबार १ सालके लिए और कुछ २ सालतकके लिए रखे जाते हैं।

अदालतमें नथूराम गोडसे द्वारा सम्पादित मराठी पत्रके सम्पादकीय लेख पेश किये गये, तो बचाव पक्षके वकीलने कहा कि सम्पादकोंको दूसरेके विचारों और क्रियाओंपर टीका-टिप्पणी करनेका अधिकार है इसलिए यह दिखानेके लिए कि इन सम्पादकीय लेखोंमें किसीके विरुद्ध विष उगला गया है अदालतके रेकार्डमें

नहीं लाना चाहिये । पड़पर्वके आरोपर इन कागजोंको पेय करनेसे मुकदमे-पर उसका अवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता है ।

अदालतने इस मामलेको तबतक लटकाये रखा जबतक सूत्र और वचाव दोनों पक्ष इस प्रकारकी गवाहीके त्वीकार करनेके विषयमें कानूनमेंके कोई नियम न हूँद लें ।

इसके बाद पुलिस अफसरने अपनी गवाही जारी रखते हुए कहा कि मैं परचुरेको जानता हूँ ( उसने कठघरेमें परचुरेको पहचाना । )

जिरहमें गवाहने कहा मैं नारायण पेठ पूनाका रहनेवाला हूँ । 'अमनी' का एक कर्मचारी भी उठी हातेमें रहता था, किन्तु मैं वह नहीं कह सकता कि वह सम्भावकीय विभागका था या नहीं । ८ फरवरीको दिल्ली जेलमें मैंने गोडसेको देखा था । मुझे नहीं मालूम कि उस समय उसकी चिकित्सा की जा रही थी या नहीं । जुलाई १९४४ में मैं पांचगणीमें नियुक्त किया गया था । मैं गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें जाया करता था । २२ जुलाई, १९४७ को भाग्ये द्वाप किया गया जोरदार प्रदर्शन भी मैंने देखा था । जनवरी १९४८ में मैं पूनामें नहीं था इसलिए उस मास मैंने 'हिन्दूराष्ट्र' नहीं पढ़ा । करकरेके विषयमें मैंने कोई जाँच-पड़ताल नहीं की । ३१ जनवरीको मैंने बडोदे प्रदन किये थे, लेकिन उसका बयान नहीं लिखा । ८ फरवरीको दिल्ली जेलमें सरदार जसवन्त सिंह भी मेरे साथ थे, किन्तु गोडसेसे भेंट करते समय नहीं थे । मकर ११ फरवरीको जब हिन्दू-महासभा-भवनके पीछे हमें ले गया था, तो उसका मुँह कपड़ेसे ढका हुआ था और उसके बायें छुथमें हथकड़ी पड़ी थी ।

### २२ सितम्बर

आज भी पूनाकी छुफिया पुलिसके लिप्टी मुजरिण्टण्डेण्ट श्री देवलकरके साथ वचाव पक्षकी जिरह जारी रही । उत्तरमें गवाहने कहा कि पुलिसके कानकी शिक्षा मैंने नासिकमें पायी है । एक गवाहकी परीक्षा करते समय मैं उसका नाम-धाम, उसकी अवस्था, व्यवसाय और सम्बन्धियोंके विषयमें पूछा करता हूँ । ग्वालियरमें गान्धीजीकी हत्याके सम्बन्धमें मैंने किसी व्यक्तिके विरुद्ध कोई दस्ता तैयार नहीं किया । मैंने १५ फरवरीको एम० के० काले तथा एन० जी० परचुरेसे प्रदन किये थे । मैं १६ फरवरीको तीसरे पहर परचुरेके घर गया था ।



पर मैंने अभियुक्त परचुरे और के० एस० परचुरेकी पत्नीसे प्रश्न किये । मैंने ग्वालियरमें एक स्टेनगन मिलनेके मेमोपर हस्ताक्षर किये थे । जब मैंने अभियुक्त परचुरे और के० एस० परचुरेकी पत्नियोंसे प्रश्न पूछे थे, तब ग्वालियरके डी० एस० पी० थोरात पाटिल भी मौजूद थे । मैंने इस विषयमें कोई छानबीन नहीं की कि परचुरे ब्रिटिश भारतकी प्रजा है या रियासती भारतकी ।

### राजज्योतिषीकी गवाही

इसके बाद ग्वालियरके ज्योतिषी श्री सूर्यनारायण व्यास गवाहीके लिए बुलाये गये । श्री व्यासने कहा कि मैं ग्वालियर, नवानगर, कश्मीर और वड़ोदाका राज ज्योतिषी हूँ । मैं सदा उज्जैनमें रहता हूँ । मेरे पिता भी ज्योतिषी थे ।

( गवाहको एक कुण्डली दिखायी गयी । गवाहने उसे पहचाना कि वह परचुरेके पिता सदाशिव गोपाल परचुरेकी है । )

सदाशिव गोपाल परचुरे मेरे पिताके पास आये थे, उस समय मैं भी उपस्थित था । श्री सदाशिव स्वयं ही जन्मपत्री लाये थे । यह सन् १९२१ की बात है । सदाशिव गोपाल परचुरेका रंग गोरा था । वे पूनाकी तरफकी पगड़ी पहनते थे और साथमें एक छड़ी रखते थे । जन्मपत्रीके अनुसार कह सकते हैं कि सदाशिव गोपालका जन्म पूनामें हुआ था ।

इसपर बचाव पक्षने कहा कि परचुरेके पिताकी जन्मपत्री रेकार्डमें शामिल नहीं की जा सकती क्योंकि यदि परचुरेके दादा अपने पुत्र सदाशिव गोपाल परचुरेकी जन्मपत्री लाये होते तब तो गवाहकी गवाही मानी जा सकती थी, इस कल्पनाके आधारपर कि सदाशिव गोपालके जन्मकी तिथि उनके पिताको तो याद हो सकती है, किन्तु गवाहके पिताको स्वयं सदाशिव गोपाल परचुरेने अपनी जन्मपत्री दी थी, तो उनको अपने जन्मकी तिथि और स्थानका कैसे पता हो सकता है ।

इससे पूर्व एल० वी० भोपटकरने अभियुक्त सावरकरकी ओरसे एक अर्जी पेश की जिसमें कहा गया था कि सबूत पक्षने सावरकरको यह सूचना दी थी कि वे उनकी फाइलमेंसे प्राप्त १४३ पत्रोंको पेश करना चाहते हैं । कहा जाता है कि इन १४३ पत्रोंमेंसे सावरकरको ७४ नथूराम गोडसेसे, २७ आपटेसे और ११ परचुरेसे मिले थे । परचुरेके पत्र १९४० से १९४३ तकके हैं और गोडसे

और आपटेके १९३८ से १९४६ तकके । इन अभियुक्तों द्वारा १९४६ वा ४७ में लिखा हुआ कोई भी पत्र नहीं है ।

सचूत पक्ष इनमेंसे २९ पत्रोंपर अधिक निर्भर है, बाकी पत्रोंसे वह सावरकरका गोडसे, आपटे और परचुरेसे सम्बन्ध दिखाना चाहता है ।

सावरकरका कथन है कि वह सचूत पक्षके लिए अनुचित है । अभियोगके समयकी सीमा १ दिसम्बर १९४७ से ३० जनवरी १९४८ तक है । १ दिसम्बर १९४७ से पहले जो कुछ कहा गया, किया गया श्रीर लिखा गया है, उससे अभियुक्तोंके इरादोंकी जाँच नहीं की जा सकती ।

सावरकरकी प्रार्थना है कि इन पत्रोंको गवाहीके रूपमें शामिल न किया जाय ।

सचूत और बचाव पक्ष दोनोंकी दलीलें सुननेके बाद अदालतने गवाहसे जिरह फिर शुरू करायी ।

गवाहने कहा कि जन्मपत्रीमें फलित ज्योतिषके अनुसार पूनाकी अक्षांश और देशान्तर रेखाएँ भी लिखी हुई थीं । मैंने फलित ज्योतिष करने वितासे सीखा है । १८ वर्षकी उम्रमें मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी । कई सन्धेमें उजैनमें ही रहता हूँ । जन्मपत्रीसे यह नहीं मादम पड़ता था कि यह अभियुक्त परचुरेके पिताकी है । उसमें सदाशिव गोपाल परचुरेके माता या पिताका भी उल्लेख नहीं था । यह जन्मपत्री विशारीलाल फर्कने लिखी है, इसका प्रमाण कुछ नहीं । मेरे पिताने इसे नहीं लिखा । मैंने इसको पहले पहल १९२१ में देखा था । मैं परचुरेको नहीं जानता था । यह बात सही है कि ग्वालियर सार्वजनिक सुरक्षाके मातहत परचुरेपर एक दावा दायर किया गया था, किन्तु बादमें ग्वालियर सरकारने उसे वापस ले लिया ।

### हवाई अट्टेके अधिकारीका बयान

इसके बाद अगले गवाह पालम हवाई अट्टेके पत्राष्ट टेन्टिनेण्ट एम. के. नेरकरने बताया कि मैं शाही भारतीय हवाई सेनाका एक सैनिक हूँ और पालमका दफ्तर मेरी आधीनतामें है । मेरे दफ्तरमें प्रत्येक हवाई जहाजके उड़ने और उतरनेका रिकार्ड रखा जाता है । २७ जनवरी १९४८ को सान्ताक्रुज हवाई अट्टेसे एयर इण्डियाका हवाई जहाज दोपहर १२-४० पर आकर उतरा था ।

जिरहमें गवाहने कहा कि हवाई जहाजके उतरनेका रेकार्ड मैंने अपने हाथसे नहीं लिखा, क्योंकि २७ जनवरीको हवाई अड्डेपर मैं उपस्थित नहीं था।

### २७ सितम्बर

आज एयर इण्डिया लिमिटेडके यातायात विभागके क्लर्क श्री० पी० जयरमणने अपने बयानमें कहा कि १५ फरवरी १९४८ को एम० करमरकर तथा एस० मराठे नामक व्यक्तियोंके लिए बम्बईसे दिल्ली १७ जनवरीको हवाई यात्राके लिए दो सीटें रिजर्व करा दी गयी थीं। टिकटोंपर ट्रेफिक असिस्टेण्ट श्री डी० एन० सेनने खानापुरी की थी। २१ जनवरी १९४८ को डी० नारायण राव और डी० विनायक राव नामक व्यक्तियोंके लिए दो सीटें रिजर्व करायी गयी थीं। ये लोग २७ जनवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली आये थे। इस वार ट्रेफिक असिस्टेण्ट श्री गोमसेने रिजर्व करायी थीं। दोनों वार १५४) प्रति सवारीके हिसाबसे किराया लिया गया था।

गवाहने बताया कि अपने मित्रोंके नामसे भी सीटें रिजर्व करायी जा सकती हैं।

इसके बाद पब्लिक इन्स्ट्रक्शन विभाग पूनाके दफ्तरके क्लर्क श्री डी० बी० गहसकरने गवाही देते हुए बताया कि पूनाका डेफन कालेज १९३३-३४ में बन्द कर दिया गया और वहाँके सारे रजिस्टर पब्लिक इन्स्ट्रक्शन विभाग डाइरेक्टरके यहाँ भेज दिये गये थे। गवाहने अदालतमें एक रजिस्टर पेश कि जिसमें एस० जी० परचुरेके नामकी खानापुरी थी।

गवाहने बताया कि वी. ए. के वादकी पढ़ाई तथा अनुसन्धान-कार्य भी डेफन कार्जमें हो रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस रजिस्टरमें खानापुरी की गया है। मैंने इस बारेमें पूछताछ नहीं की है कि एस. परचुरेने दाखिलेके बारेमें प्रार्थनापत्र दिया था या नहीं।

अगले गवाह बम्बई पुलिसके इन्स्पेक्टर श्री वी. एस. हल्दीपुरने अपने गवाहीमें बताया कि मैं १९३९ से बम्बई पुलिसमें नौकरी कर रहा हूँ १९४७-४८ में मैं भ्रष्टाचार विरोधक शाखामें था। १२ फरवरी १९४८ मैं पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवालाकी आज्ञासे प्रीन होटल गया था वहाँ कुछ पूछताछ की थी।

१४ फरवरी १९४८ को प्रातः ७ बजे मैं अपोलो होटल गया था । मैंने वहाँका रजिस्टर देखा और कुछ जाँच पड़ताल की थी । रजिस्टरमें जिन व्यक्तियोंका हवाला था, उनमेंसे २ व्यक्ति मेरे वहाँ जानेपर होटलमें न थे । अतः मैंने होटलकी निगरानी रखी थी । शामको ५, बजे एक व्यक्ति टैक्सीमें बैठकर वहाँ आया । उससे मैंने कुछ प्रश्न किये और उसे गिरफ्तार करके तुरन्त सी. आई. डी. के दफ्तरमें भेज दिया । मैंने इसके बाद भी होटलकी निगरानी जारी रखी । शामको ८ बजकर २५ मिनटपर दूसरा व्यक्ति आया । उससे कुछ पूछ-ताछ करनेके बाद मैंने उसे भी गिरफ्तार किया । ( गवाहने आपटे तथा करकरेको उन व्यक्तियोंके रूपमें पहचाना जिन्हें कि उसने उस दिन गिरफ्तार किया था । )

टेलीफोनपर सूचना देनेपर श्री नगरवाला प्रथम व्यक्ति ( आपटे ) के साथ होटल आये । इसके बाद आपटे तथा करकरेकी तलाशी ली गयी । होटलके कमरा नं० २९ की, जिसमें वे ठहरे थे, तलाशी ली गयी ।

१८ फरवरीको मैं आर्य पथिकाश्रम गया । वहाँ आनेवाले लोगोंके बारेमें रजिस्टरमें देखा । १९ फरवरीको मैं आपटेके कहनेसे उसके साथ लालबाग गया । वहाँ मैंने बम्बई यूनियन डाइंग मिल्सके दफ्तरमें चरनदास नामक एक व्यक्तिको पाया । सी. आई. डी. के दफ्तरमें चरनदासका बयान लिखा गया । २२ फरवरीको मैं एल्किन्स्टन एनैक्स होटल गया और कुछ जाँच-पड़ताल करते कुछ खानापूरा देखी । मैं इसी होटलमें २४ फरवरीको फिर गया और होटलके हिस्सेदार श्री खन्ना तथा होटलके नौकर मालेंकरके बयान लिये ।

इसके पूर्व अभियुक्त आपटेने एक प्रार्थना-पत्र अदालतमें पेश किया कि सबूत पक्षको इस आशयकी सूचना दे दी जाय कि पूनाके कलक्टर श्री एच. डी. बर्वेने मेरे घरसे जो दो पत्र प्रातः किये हैं तथा ३० जनवरी और १४ फरवरी १९४८ के बीचके मेरे चार पत्र, जो श्री नगरवालाकी आज्ञासे जब्त कर लिये गये थे, श्री नगरवालाको अदालतमें पेश करने होंगे ।

करकरेकी ओरसे दिये गये प्रार्थना-पत्रमें कहा गया कि पुलिस तलाशी और जाँच पड़तालमें कुछ कागज और पत्र मेरे घरसे ले आयी थी । अदालतमें प्रार्थना है कि वह सबूत पक्षको आज्ञा दे कि उपर्युक्त कागज अदालतमें पेश किये जायें ताकि करकरे आवश्यक कागज उनमेंसे ले सके ।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने प्रार्थना-पत्र दिया कि ग्वालियरके ज्योतिषी सूर्यनारायण व्यासकी गवाही सर्वथा अस्वीकार्य है क्योंकि जन्म-पत्रिका जन्म-तिथिके बारेमें सचूत मानी जा सकती है, जन्मस्थानके बारेमें नहीं। दूसरे, इस जन्मपत्रिकामें वर्णित बातोंको साबित करनेके लिए गवाही-कानूनके अनुसार गवाह तलब किये जाने चाहिये। इस विषयमें सचूत पक्ष कोई भी प्रमाण नहीं दे सका है। तीसरे, जन्मपत्रिका लिखनेवाले व्यक्ति विहारीलालको एस. जी. परचुरेके जन्मके बारेमें जानकारीके विशेष साधन प्राप्त न थे। इस बातका सचूत नहीं है कि विहारी सदाशिवके मातापितासे मित्र था जिन्हें कि उसके जन्मके बारेमें प्रामाणिक बात मालूम थी। सदाशिवको स्वयं आने जन्मके बारेमें विशेष जानकारी नहीं हो सकती। अतः भारतीय गवाही-कानूनकी धारा ३२ (५) की सारी शर्तें इस बारेमें पूरी नहीं होतीं।

श्री हल्दीपुरने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैंने एकसे अधिक बार अभियुक्त नथूराम गोडसे, आपटे, मदनलाल, करकरे तथा गोपाल गोडसेकी हस्तलिपिके नमूने लिये थे। मैंने स्वयं अपनी हस्तलिपिमें पंचनामे तैयार किये थे। जिन कागजोंपर अभियुक्तोंकी हस्तलिपिके नमूने लिये गये थे, उन्हें हस्तलिपि-विशेषज्ञके पास भेजनेसे पूर्व मैंने अभियुक्तोंकी हस्तलिपिके चारों ओर लाल पेन्सिलसे लकीर खींच दी थी। जब भी मैंने अभियुक्तोंकी हस्तलिपि लिखायी, मैंने दो पञ्चोंको बुझ लिया था। मैंने उन्हें पञ्चनामे आदिका सारा कार्यक्रम बता दिया था। एकके बाद दूसरा अभियुक्त लाया गया था। अभियुक्तोंको सफेद कागजके टुकड़े दे दिये गये थे और उनपर उनसे लिखनेको कहा गया था। प्रत्येक बार पञ्चनामा तैयार किया गया था और पञ्चोंने उनपर अपने हस्ताक्षर किये थे। कागजोंकी मेरे पास एक फाइल थी। मैंने इस फाइलमें निशान लगा दिये थे कि अभियुक्तोंको क्या बोचना है। विड़ला-भवनमें मैं महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभाओंमें एकसे अधिक बार जा चुका हूँ। मैंने उस बरामदेका पेन्सिलसे खाका भी बनाया है जिसमें बैठकर महात्मा गान्धी प्रार्थना-सभाओंमें भावण किया करते थे।

मैं बम्बईके सी० आई० डी० दफ्तरको मनीषाँति जानता हूँ। मैंने इस दफ्तरका भी पेन्सिलसे खाका बनाया है। मैंने इस खाकेमें उस स्थानपर निशान गाये हैं जहाँ कि अभियुक्त रखा गया था। इस खाकेमें मैंने श्री नगरवालाका

कमरा भी दिखाया है। इस खाकेकी अनुक्रमणिकामें मैंने बहुत-सी बातें दिखायी हैं जिन्हें कि मैं जानता था।

## २८ सितम्बर

आज भी श्री हस्दीपुरकी गवाही जारी रही। उन्होंने कहा कि अभियुक्तोंकी हस्तलिपि जिन कागजोंपर ली गयी थी, उनमेंसे कुछपर मैंने कुछ अक्षर लिख लिये थे जो कि अभियुक्तोंके नामके थे। कुछ कागजोंपर मैंने अक्षर नहीं लिखे थे क्योंकि ये हस्तलिपि विशेषज्ञके पास नहीं भेजे गये थे।

पञ्चनामा तैयार करनेके पश्चात् मैं पत्रोंके सामने वह पञ्चनामा अंग्रेजीमें ही पढ़कर सुना देता था। यदि पत्र अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं समझता था तो मैं उसे मातृभाषामें समझा देता। पञ्चनामोंपर हस्ताक्षर करानेसे पूर्व ही मैं उन्हें सुना या समझा देता था।

जिरहमें गवाहने कहा कि इस मुकदमेकी जब छानबीन हो रही थी तो सी० आर्द० डी० के दफ्तरकी दूसरी मंजिलमें कियों भी बाहरी व्यक्तिको नहीं आने दिया जाता था। मैंने पेन्सिलसे जो खाका सी० आर्द० डी० दफ्तरका खोला है उसमें उस स्थानको कुछ कुछ काला कर दिया है जहाँ कि अभियुक्त बैठे थे। मैंने किसी भी व्यक्तिको शिनाख्त परेडमें मदद नहीं दी। मैं तो केवल उन पुलिस अफसरोंमें एक था जो कि शिनाख्तके लिए अभियुक्तोंको अदायत ले जाया करते थे।

इस मामलेमें मैं अभियुक्तोंको रिमाण्ड दिलाने तथा शिनाख्त परेडके लिए ले जाया करता। दिल्लीसे जो शिनाख्त करनेवाले गवाह आये वे प्रिन्सिपल स्ट्रीटके थानेमें ठहराये गये थे। मैंने यह नहीं देखा कि कोई भी शिनाख्त करनेवाला व्यक्ति नगरवालासे मिलने सी० आर्द० डी० के दफ्तर गया हो।

शिनाख्त परेड समाप्त हो जानेपर अभियुक्तोंको उनके मित्रों तथा सम्बन्धियोंसे श्री नगरवालाकी स्वीकृति ले लेनेपर मिलने और बातचीत कर देने दिया जाता था। मैं यह नहीं कह सकता कि सी० आर्द० डी० के दफ्तरवालोंने इस प्रकार हुई मित्राहियोंकी संख्या तथा रेकाउंड रखा है या नहीं।

२८ जनवरी १९४८ से इस मुकदमेकी खोजबानमें सहायता देने की आशा दी गयी थी। 'इस मुकदमे' से मेरा अर्थ बच-बिरहोड तथा गा-

हत्याकाण्ड है ! ( तुरन्त ही अपनी गलती ठाक करते हुए गवाहने कहा कि २८ जनवरी १९४८ को मुझे वम. त्रिस्फोटके मामलेमें सहायता देने तथा ३० जनवरीको हत्याकाण्डके मुकदमेकी खोजबीनमें सहायता देनेकी आज्ञा दी गयी थी । )

मैं यह नहीं कह सकता कि हस्तलिपिका नमूना लेनेके लिए आपटेको मैंने उस तारमेंसे बोला था या नहीं जो कि हिन्दू महासभा, दिल्लीके सेक्रेटरीके नाम आपटेने भेजा था । मुझे तारकी वास्तव कुछ भी याद नहीं ।

मैं इस मुकदमेके विलसिलेमें ५ अप्रैल १९४८ को या उसके आसपास दिल्ली आया था । मैं तारीखोंके बारेमें नहीं कह सकता कि अभियुक्त सी० आई० डी० दफ्तरमें कब लाये गये थे । मेरा ख्याल है कि अभियुक्त अन्तिम रूपसे मर्डके तृतीय सप्ताहमें दिल्ली लाये गये थे ।

सफाई पक्षके वकील श्री वनजीने आज तीन प्रार्थनापत्र अदालतके सामने पेश किये ।

पहले प्रार्थनापत्रमें डेफ़न कालेजके उस रजिस्टरके बारेमें कहा गया जिसको श्री म्हासकरने कल पेश किया था । प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि ए० जी० परचुरेके बारेमें जो खानापूरी की गयी है उसके बारेमें कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह खानापूरी विषयक गवाही अस्वीकार्य है ।

दूसरे प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि मदनलालकी हस्तलिपिके नमूने लेनेके सम्बन्धमें सबूत उसके चार गवाहोंकी गवाही वैध नहीं है क्योंकि जब मदनलाल पुलिसकी हिरासतमें था और उसके विरुद्ध लगाये गये अभियोगोंकी छानबीन पुलिस कर रही थी, तो इन प्राइवेट नागरिकोंको हस्तलिपि लेनेका कोई कानूनी अधिकार नहीं । अतः इन गवाहोंकी गवाही मान्य नहीं होनी चाहिये ।

तीसरे प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि कल ३॥ वजे शामको जब अदालतकी काररवाई समाप्त हो गयी थी तो तेलगूकी दुभाषिया श्री नगरवाला तथा श्री उमरखॉके पास गयी । बादमें उसने लौटकर कुछ बात शंकरसे तेलगूमें कही ।

प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि यह दुभाषियेका काम नहीं है कि वह अभियुक्त तथा उच्च पुलिस अफसरोंके बीच संदेशवाहकका काम करे । दुभाषियेका उचित गवाहके कठघरेके पास है न कि अभियुक्तके पास ।

दुमापिया जो भी अर्थ समझाये वह इतनी जोरसे होना चाहिये कि उस और वकील सभी मुन सकें । जैसे कल किया गया, दुमापिया किसी विशेष अभियुक्तके पास जाकर फुसफुसाकर बातचीत नहीं कर सकता ।

श्री हल्दीपुरसे जिरह जारी हुई तो उन्होंने कहा कि आपटे १४ फरवरी १९४८ को गिरफ्तार किये जानेके बाद बम्बईमें सी० आर्० डी० के दफ्तरमें ही रखा गया था । बम्बईके डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्री नगरवाला रेंजसल क्रॉच नं० १ तथा नं० २ के इन्चार्ज थे ।

आपटे उस कमरेमें रखा गया था जहाँ कि जनवरी १९४८ के पूर्व इन्स्पेक्टर कामत बैठा करते थे । जहाँ तक मुझे ज्ञात है इन्स्पेक्टर बाइब्राल्टी कमी भी उस कमरेमें नहीं बैठते थे । अगस्तके महीनेमें पुलिसका फोटोग्राफर विडलामवनका फोटो लेने भेजा गया था ।

इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं करकरेको लेकर कमी भी छाणा नहीं गया । करकरेको हस्तलिपिका नमूना मिलान करनेके लिए हस्तलिपि-विशेषज्ञके पास भेज दिया गया था । जो कुछ मैंने करकरेको बोला था, वही करकरेने लिखा था । अभियुक्तसे हस्तलिपि लिखनेके लिए कई कागजोंपर लिखाया गया था ताकि विशेषज्ञको कठिनाई न हो ।

चौकीदार छोट्टरामके मकानके पिछले भागका नक्शा लेने मैं कल स्वेच्छसे विडलामवन गया था । कल अदालतमें हुई बहससे मेरी समझमें यह आया कि मुझे विस्तृत खाका पेश करनेकी आवश्यकता है ।

सी० आर्० डी० का दफ्तर कमी भी पुलिस थाना न था और न इसके पहले वहाँ कोई अभियुक्त रखा जाता था । मेरी क्यूट्ट चरी थी कि मैं इस मुकदमेके बारेमें छानबीन करनेके लिए श्री नगरवालाको सहायता दूँ ।

अदालत जब आजका इज्जाम समाप्त करके उठने ही वाली थी कि मदनमाल-के वकील श्री बनर्जीने आज प्रातः पेश किये प्रार्थनापत्रकी यह आपत्ति वापस ले ली कि तेलगूकी दुमापिया महिलाको अभियुक्तके पास नहीं बैठना चाहिये । जजने रुफार्डके वकील तथा अभियुक्तसे पूछा कि क्या दुमापिया गवाहोंके बट-घरेसे ही अभियुक्त या गवाहके कथनका मापान्तर करे, तो उन्होंने कहा कि हम वर्तमान प्रबन्धको चालू रखना ही पसन्द करेंगे



२९ सितम्बर

आज भी श्री हलदीपुरसे जिरह जारी रही । उन्होंने कहा कि मैं वम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटकी अदालततक अभियुक्तको पुलिस हिरासतमें रखनेके लिए रिमाण्ड लेने ले गया था, पर रिमाण्डके लिए प्रार्थनापत्र मेरे सीनियर अफसरने पेश किया था । मैंने यह पूछताछ नहीं की कि उस मुकदमेमें अभियुक्तोंका क्या चालान किया गया । मैंने इस मुकदमेकी प्रथम रिपोर्ट भी नहीं देखी । इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं पूना भी नहीं गया । डा० जे० सी० जैनसे भी मैंने कोई बातचीत नहीं की ।

जहाँ तक मुझे मालूम है श्री उमरखॉ इस मुकदमेकी छानबीन करनेमें श्री नगरवालाकी सहायता करते थे । श्री उमरखॉका दफ्तर सी० आई० डी० दफ्तरकी निचली (पहली) मंजिलमें था । दण्डोंके दिनोंमें वम्बईमें एक विशेष पुलिसदल वम-विस्फोटके मामलोंकी छानबीन करनेके लिए था, पर यह दल जनवरीमें भङ्ग हो गया था ।

मैं श्री सावरकरके साथ हवाई जहाजमें २५ मई १९४८ या इसके आसपास आया था । १९ जून १९४८ से मैं दिल्लीमें ही हूँ । मैं श्री नगरवालाके साथ कभी भी स्पेशल जेठ नहीं गया जहाँ अभियुक्त बन्द हैं । पर मैं कई बार इन अभियुक्तोंको लेकर यहाँकी जेठ गया हूँ ।

जब सवृत पक्षकी ओरसे एक गवाह यह सिद्ध करने को पेश किया जाने वाला था कि सावरकरका अन्य अभियुक्तोंसे सम्पर्क था, तो सफाई पक्षकी ओरसे इस गवाहीको वैधतापर आपत्ति की गयी । इसपर श्री दफ्तरीने कहा कि यह गवाही भारतीय साक्षात् कानूनकी ११ वीं धाराके अन्तर्गत है तथा यह गवाही श्री सावरकरके उस वक्तव्यका खण्डन करनेके लिए दिलायी जा रही है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मेरा अन्य अभियुक्तोंसे कोई सम्बन्ध न था । यह वक्तव्य अदालतकी प्रामाणिक वस्तुओंमें है । इसपर भोपटकरने कहा कि जिन स्थितियोंमें कथित वक्तव्य दिया गया है, उसका भी खयाल किया जाना चाहिये ।

इससे पूर्व सवृत पक्षके प्रधान वकील श्री सी० के० दफ्तरीने तीन प्रार्थनापत्र अदालतमें दिये । पहले प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि अभियुक्त करकरसे प्राप्त हुए कुछ कागज तथा सामान उसके वकील श्री डांगेको दिखा दिये जायँ ।

दूसरे प्रार्थनापत्रमें इस बातसे इन्कार किया गया कि पूनाके कलक्टर श्री

एस० जी० वर्धने अभियुक्त आपटेके घरसे कोई सामान तथा पत्र लिये । आपटेकी खानातलाशीमें जो पत्रादि मिले थे अदालतके सामने पेश किये जा चुके हैं । दो 'अन्य स्थानों' से प्राप्त जो दो पत्र पुलिसके पास और हैं वे सफाई-के बकीलको दिखाये जा सकते हैं ।

तीसरे प्रार्थनापत्रमें कहा गया था कि चम्बईके खुफियाके डिप्टी सुररिण्टे-ण्डेण्ट श्री देऊळकरकी यह गवाही वैध मानी जाय कि परचुरेने इफवाली बयान देनेकी स्वयं इच्छा व्यक्त की थी तथा दुर्व्यवहारकी कोई शिकायत नहीं की थी । अदालतने पहले इसे अस्वीकार कर दिया था ।

श्री भोपटकरने श्री सावरकरके वक्तव्यको स्पष्ट करते हुए एक प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया । सावरकरने दावा किया था कि 'मेरा अन्य अभियुक्तोंके साथ कभी भी किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रहा ।' श्री भोपटकरने बताया कि सावरकरके इस दावेका अर्थ यह नहीं कि उनका इन अभियुक्तोंमेंसे किसीके साथ कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा; प्रत्युत सावरकरका सम्बन्ध नथूराम, आयटं, परचुरे और बडगेसे तो अति दीर्घकालसे चला आ रहा है क्योंकि हिन्दू महा-सभाके कार्यसे इन लोगोंका व्यापक सम्पर्क रहा है ।

श्री भोपटकरने आगे बताया कि सावरकरने इन लोगोंके साथ जिस 'सम्पर्क' का विरोध किया है, उसका अर्थ इतना ही है कि महात्मा गान्धीकी हत्याके सिलसिलेमें इन अभियुक्तोंने जो कुछ भी पढ्यत्र किया हो, उससे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा । पुलिसने जब अन्य अभियुक्तोंके साथ गिरफ्तारीके बाद सामूहिक कोटो लिया था तो उन्होंने उसका विरोध किया था ।

इसपर सवृत पक्षके बकील श्री दफ्तरीने अपना वह मत दुहराया कि इस पढ्यत्रमें सावरकरका अन्य अभियुक्तोंके साथ कदाँतक सम्पर्क रहा है, उसका निर्णय सावरकरके घरसे बरामद हुए पत्र-व्यवहार द्वारा किया जाना चाहिये । अतः इस बारेमें गवाही ली जाय ।

श्री दफ्तरीने आज अदालतमें एक अन्य प्रार्थना-पत्र देकर श्री इनहीं द्वारा दुभापियेपर लगाये गये आरोपोंका खण्डन किया ।

श्री दफ्तरीने बताया कि दुभापियेने केवल अपनी बेतन वृद्धिके बारेमें केवल एक मिनटतक श्री नगरवाला (सी. आई. टी. अहमर) से बातचीत की थी । अन्य पुलिस अफसर धी उमर खाँसे उसने कतई बातचीत नहीं की । यह

आरोप विलकुल मिथ्या है कि उसने इस मुकदमेके बारेमें किसी पुलिस अफसरसे कोई बातचीत की, और बादमें वह अभियुक्त शंकरसे कुछ बातचीत करने लगी ।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि यदि दुभाषिये और शंकरमें कुछ बातचीत हुई भी तो यह बात सर्वथा मिथ्या है कि उसने वहां बात अभियुक्तसे कही जो कि उसमें और पुलिस अफसरोंमें हुई थी ।

अन्तमें श्री दफ्तरीने कहा कि सी. आई. डी. पुलिस अफसर तथा अभियुक्तोंमें बिना अदालतकी अनुमतिसे कभी किसी प्रकारकी बातचीत नहीं हुई । अतः श्री वनजीके आरोप सर्वथा अनावश्यक हैं ।

### २० सितम्बर—सावरकरकी फाइलोंमें १० हजार पत्र

आज पूनाकी सी. आई. डी. पुलिसके इन्स्पेक्टरकी श्री ए. आर. प्रधानकी गवाही हुई ।

श्री सावरकर तथा कुछ अभियुक्तोंमें हुए पत्र-व्यवहारको प्रामाणिक सामग्री माननेके विषयमें कल भोपटकरने जो आशक्ति उठायी थी, उसपर निर्णय देते हुए जजने कहा कि जो २९ पत्र आपटे तथा गोडसे द्वारा लिखे बताये जाते हैं, वे कुछ सीमातक प्रासंगिक हैं और प्रामाणिक सामग्री मान जा सकते हैं ।

गवाह श्री प्रधानने अपने बयानमें कहा कि बम्बई पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल श्री राणाने मुझे इस मुकदमेमें श्री नगरवालाकी सहायता करनेकी आज्ञा दी थी । मैं ३ फरवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली आया था और १२ फरवरी १९४८ को प्रातः २ बजे बम्बई लौट गया था ।

२१ फरवरी १९४८ को मुझे आज्ञा हुई थी कि सावरकरके मकानसे प्राप्त फाइलोंको मैं पढ़ जाऊँ । ये फाइलें प्राप्त करते समय जो पञ्चनामा तैयार किया गया था, वह भी मैंने देखा था । पञ्चनामाके अनुसार कुल १४३ फाइलें ली गयी थीं जो कि वहाँ मौजूद थीं ।

कई फाइलें पढ़नेके बाद मुझे पता चला कि नथूराम गोडसे तथा आपटेने कुछ पत्र संयुक्त रूपसे तथा कुछ पृथक्-पृथक् श्री सावरकरको लिखे थे तथा सावरकरने भी उनके उत्तर कभी संयुक्त रूपसे और कभी अलग-अलग दिये थे । तारीखोंके हिसाबसे मैंने फाइलोंपर नम्बर डाल दिये थे ।

नथूराम गोडसे द्वारा लिखित १७ पत्र अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें शामिल कर लिये गये । जिरहमें गवाहने कहा कि मेरी मुख्य ड्यूटी फाइलें पढ़ना था । १२ से १४ फरवरीतक मैंने नथूराम गोडसेके कमरेकी (नगरानी की थी । १५ फरवरीको मैं पूना और अहमदनगर गया था । १८ फरवरीको लौटकर बम्बई गया था । १९ से २१ फरवरीतक मैं इस मुकदमेमें अपने अफसरकी सहायता कर रहा था । २१ फरवरीके बाद तीन महीनेतक बम्बई सी. आई. डी. आफिसमें मैंने फाइलें पढ़ी थी । मैंने फाइलोंमें करकरका सावरकरके नाम तथा सावरकरका करकरके नाम कोई पत्र नहीं देखा । इन फाइलोंको देखनेके लिए मुझे लिखित आज्ञा दी गयी थी । जब मैं पूना तथा अहमदनगर गया था तो कोई उच्च पुलिस अफसर हमारे साथ नहीं गया था । मैं अहमदनगर इस मुकदमेके सम्बन्धमें नहीं गया वरन् कुछ गुप्त फाइलें लेने गया था । मैंने प्रत्येक फाइलकी पत्र-संख्या नहीं गिनी थी । सभी पत्रोंमें क्या लिखा था, यह मैंने पढ़ा था । इन फाइलोंमें अभियुक्तोंके अतिरिक्त अन्य लोगोंके द्वारा सावरकरको लिखे गये पत्र थे । मेरे अनुमानसे सारी फाइलोंमें लगभग १०००० पत्र होंगे ।

आपटेके वकील श्री मंगलेने सावरकरकी फाइलोंसे ७ पत्र छूटे और उन्हें प्रामाणिक सामग्रीमें सम्मिलित करनेके लिए अदालतके सामने पेश किया ।

मदनलालके वकील श्री बनर्जाने कहा कि एक पत्र जो महात्मा गान्धीने श्री सावरकरकी ६१ वीं वर्षगाँठपर उन्हें लिखा था, फाइलमें था । गान्धीसे सावरकरको अन्तिम पत्र अक्तूबर १९४६ में लिखा था, जो कि फाइलमें लगा हुआ था ।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरने सावरकर द्वारा नथूराम गोडसेको लिखे ६ पत्र अदालतके सामने प्रामाणिक सामग्रीमें सम्मिलित किये जानेके लिए पेश किये । १९४२ में कांग्रेस कार्यसमितिकी गिरफ्तारीपर श्री सावरकरने जो वक्तव्य दिया था तथा कस्तूरबा गान्धीकी मृत्युपर सावरकरने जो सम्वदना पत्र गान्धीजीको भेजा था, वह भी अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें शामिल कर लिया गया ।

श्री भोपटकर चाहते थे कि सावरकरको लार्ड लिनलिथगो, त्वर्गीय श्री जिना तथा स्व० सर सिकंदर ह्यात खॉने जो पत्र लिखे थे, वे भी अदालतके

सामने पेश करें, पर इन्हें हँदनेमें समय लगता । तबतक अदालत कलत्तकके लिए उठ गयी ।

## १ अक्टूबर

आज भोपटकरने सावरकरके घरसे प्रात फाइलमेंसे ४६ पत्र अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें शामिल किये जानेके लिए पेश किये ।

## १२९ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईकी सी० आई० डी० पुलिसके सव-इन्स्पेक्टर श्री सी० आर० प्रधानने अपने बयानमें कहा कि मैं गत ९ वर्षोंसे पुलिस विभागमें नौकरी कर रहा हूँ । २१ जनवरी १९४८ को बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवालाने रातको ९॥ बजे मुझे आज्ञा दी कि शिवाजी पार्क स्थित सावरकर-सदन और अन्य कुछ मकानोंकी निगरानी करो । करकरेको भी गिरफ्तार करने की मुझे आज्ञा दी गयी थी ।

तीन चार दिन बाद मुझे बडगेका नाम भी बताया गया जिसको कि मुझे गिरफ्तार करना था । २१ जनवरी १९४८ को श्री नगरवालाने सावरकर-सदनकी तलाशी ली । पुलिसने कुछ फाइलें तथा पत्रादि वहाँसे अपने कब्जेमें लिये । एक पंचनामा तैयार किया गया । सारी फाइलें और कागजोंको एक बड़े पुलिंदेमें बन्द करके उसपर सील मुहर लगा दी गयी और वह बम्बईके सी० आई० डी० पुलिससुपरिण्टेण्डेण्ट श्री देशपाण्डेके कमरेमें दाखिल कर दिया गया ।

कुछ दिनों बाद पत्र-व्यवहारकी फाइलें पूनाके सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर श्री ए० आर० प्रधानको जाँच पड़तालके लिए दे दी गयीं । ५ फरवरी १९४८ को मैं श्री नगरवाला और बडगेके साथ पूना गया था । ८ फरवरीको पुनः मैं गोपाल गोडसे तथा बडगेके साथ पूना गया । मैंने गोडबोले तथा जी. पी. कालेका पता लगाया । मारुती मन्दिरकी तलाशी लेनेपर वहाँसे कुछ विस्फोटक पदार्थ निकले थे । इस सम्बन्धमें एक पंचनामा भी तैयार किया गया था । ९ फरवरीको मैंने कुछ लोगोंके बयान लिखे थे और लौटकर बम्बई गया था ।

१५ फरवरी १९४८ को मैंने दीक्षित महाराजका बयान लिखा तथा उसके अगले दिन दादा महाराजका । आपटे तथा करकरेको लेकर मैं २५ फरवरी

१९४८ को दिल्ली आया। मेरे साथ श्री नगरपाला सहित अन्य पुलिस अफसर भी थे। २६ फरवरीको मैं आस्टे तथा करकरेके साथ हिन्दू महासभामवनके पीछेके जङ्गलमें गया। अन्य पुलिस अफसर भी साथ थे। कुछ वस्तुएँ जङ्गलमें पड़ी मिलीं जिनके सम्बन्धमें एक पंचनामा तैयार किया गया।

१ मार्च १९४८ को मैं आस्टे तथा करकरेको लेकर कम्बई लौट गया। वे बन्द पुलिस गार्डीमें हवाई अड्डे ले जाये गये थे।

२३ मई १९४८ को बडगोकी पत्नी बडगोसे मिलार्ह करने सी० आर्द० डी० पुलिसके दफतरमें आयी। उसे बडगोके समीप जानेको आज्ञा देनेसे पूर्व उससे पूछा गया कि क्या वह कोई वस्तु लायी है। उसने कहा—“हाँ, पत्र लायी हूँ।” पत्र उससे ले लिया गया और पत्र बुलाकर एक पंचनामा तैयार किया गया। मैं पहले नहीं जानता था कि वह अपने साथ पत्र लायी है। पत्रके आठ टुकड़े कर दिये गये थे। मैंने उन्हें चिपकाया था।

भुवनेश्वर, कम्बईमें मैंने डांकर किरातव्याको ६ फरवरीको गिरफ्तार किया था।

महावावड़ी यानेमें हवाई हमलेसे बचनेके किलखिलमें सारे यानेका जो नक्शा तैयार किया गया था, उसे वह दिखानेके लिए अदालतमें पेश किया गया कि डांकर कहीं पकड़ा गया था। जिरटमें गवाहने बताया कि मैंने नक्शा नहीं बनाया। यह नक्शा सही है, पर मैंने इसे पैमानेमें नापकर नहीं देखा। मैं इस हत्याकेको भलीभाँति जानता हूँ। इस नक्शेको लेकर मैं कभी भी इस एजेंसेमें नहीं घूमा। नक्शा किसने खोला है, यह भी मैं नहीं जानता। मैंने अपने हाथसे नक्शेपर कुछ भी नहीं लिखा। २५ फरवरीको जब आस्टे तथा करकरे कम्बई लाये गये थे तो उनके चेहरे हवाई जहाजमें बैठे हुए नहीं थे। दिल्लीमें अभियुक्त फौजी लार्स में लाये गये थे जो चारों ओरसे किरानिचसे ढँकी हुई थी। कम्बईमें वे लोग फौजी एम्बुलेंस ट्रकमें लाये गये जो चारों ओरसे बंद थी।

२० जनवरी १९४८ को श्री नगरपालाने मुझे दिल्लीमें करकरेको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी थी। २१ जनवरीको करकरे कम्बईमें था या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। करकरेने बन्दरके प्रधान मन्त्रीको कोई पत्र लिखा या नहीं, यह भी मुझे नहीं मालूम है।

दक्षिण महासभका बचान लेनेमें मुझे तीन घण्टे लगे थे। जिस अगर मैंने

दीक्षित महाराजका बयान लिया था, वहाँ मेरे तथा उनके सिवा कोई नहीं था। जब मुझे पता चला कि बडगेकी लीके पास पत्र है तो मैंने किसी स्त्री पंचको नहीं बुलाया।

पत्रकी तारीख तथा पत्र एक ही पेंसिलसे लिखे गालूम देते हैं। पत्रके साथ कोई लिफाफा न था। मैंने स्वेच्छासे पत्रके ८ टुकड़ोंको चिपकाया था। मैं जानता हूँ कि ए. आर. पी. संस्था बहुत पहले भंग कर दी गयी है।

इससे पूर्व मदनलालके वकील श्री वनर्जनि अदालतके सामने एक प्रार्थना-पत्र विचारार्थ पेश किया कि कल मैंने बडसके दौरेमें गवाह ए. आर. प्रधानसे प्रश्न किया था कि क्या आप गोडवे तथा सावरकरके बीच १९३८ से १९४६ तक हुए पत्रव्यवहारके प्रति वर्षवार आंकड़े दे सकते हो ?

अदालतको यह बता दिया गया था कि यह प्रश्न इसलिए पूछा गया था कि पत्र-व्यवहार धीरे धीरे घटकर अन्तिम रूपसे अक्टूबर १९४६ में समाप्त हो गया था। इससे यह बात प्रायः सिद्ध हो जाती है कि सावरकर और गोडसेमें सभी सम्बन्ध इस पड़यन्त्रसे दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गये थे। पर अदालतने कानूनकी ११ वीं धाराके मातहत इस प्रश्नको अप्रासंगिक ठहराया और इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया गया।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य अदालतके रेकार्डमें रखे जायँ।

फिर सी. आई. डी. पुलिसके अफसर प्रधानसे जिरह शुरू हुई। जिरहके उत्तरमें उन्होंने कहा कि २१ जनवरी १९४८ को मुझे सावरकरके मकान तथा अन्य कुछ मकानोंकी निगरानी और करकरेकी गिर-फ्तारीका आज्ञाके अतिरिक्त और कोई आज्ञा न मिली थी। मैं करकरेकी गिरफ्तार करने अहमदनगर नहीं गया था। डा० जे. सी. जैनके वारेमें मुझे १५-१६ फरवरी १९४८ को ज्ञात हुआ था। बडगेकी पत्नीसे प्राप्त हुए पत्रके वारेमें जब रातको ८ बजे पञ्चनामा तैयार हो गया तो बडगेकी पत्नीको बडगेसे मिलनेकी स्वीकृति दी गयी थी। इस पत्रको इसलिए प्राप्त किया गया था कि यह पत्र मुकदमेकी खोजबीनमें कुछ महत्वका सिद्ध हो सकता था। परचुरे तथा सावरकरको छोड़कर शेष सभी अभियुक्त २३ मईतक सी. आई. डी. के दफ्तरमें रखे गये थे। अन्य अभियुक्तोंको भी अपने सम्बन्धियोंसे मिलवाई करनेकी सुविधा दी गयी थी। यह बात सच नहीं है कि शंकर बडगेसे

मिलने जाने गया था और वहीं ६ फरवरी १९४८ को गिरफ्तार कर लिया गया। वम्बईके सी. आई. डी. दफ्तरकी दूसरी मंजिलमें हवालात नहीं है। इन अभियुक्तोंके विषय और कोई व्यक्ति इस दफ्तरमें नहीं रखे गये। निचली मंजिल तथा दूसरी मंजिलके दरवाजेपर पुलिसका पहरा लगा हुआ था। सबसे पहले ४ फरवरी १९४८ को अभियुक्त मदनचाल यहाँ लाया गया। मैं डायरी नहीं रखता। मैंने स्वयं सावरकरके घरकी निगमनी नहीं की थी। ३१ जनवरी १९४८ से पहले शायद मैं सावरकरके घर एक बार गया होऊँ, पर वाहरसे मैंने सावरकर सदन कई बार देखा था। मैंने सावरकरके घरकी दूसरी मंजिलसे फाइलें प्राप्त की थीं। इस सम्बन्धमें सावरकरके घरके तीन कमरोंकी तलाशी ली गयी थी। फाइलें प्राप्त किये जानेके समय सावरकर उपस्थित थे। मैं नहीं कह सकता कि श्री सावरकर बीमार थे या नहीं। सावरकरको बैठकमें पञ्चनामा तैयार किया गया था। फाइलोंके पत्रों तथा खुले षण्डलोंके कागजोंकी मैंने गणना नहीं की थी। किसी भी पुलिस अफसरने उनके घरके टेलीफोनका सम्बन्धविच्छेद नहीं किया था।

अगले गवाह ग्वालियरके सी. आई. डी. इन्स्पेक्टर श्री माण्डलिकने कहा कि मैं स्पेशल ब्राञ्चका इंचार्ज हूँ। ३१ जनवरीको मैं ग्वालियरमें नहीं था। मैं तो ३ फरवरी १९४८ को ग्वालियर लौटा था। ४ फरवरीको इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं यादव, सूर्यदेव शर्मा तथा दण्डवतेकी तलाशमें दिल्ली आया था। मैं कई जगह गया, पर मुझे उनका पता नहीं चला। ६ फरवरीको मैं ग्वालियर लौट गया। मैंने एक तॉगा किया। तॉगेवालेसे मेरी जो बात-चीत रास्तेमें हुई वह मैंने अपने उच्च अधिकारीसे कही। इस अफसरकी स्वीकृतिपर मैंने तॉगेवालेका बयान लिया। इस तॉगेवालेके कथनानुसार मैंने दूसरे तॉगेवालेका बयान लिया।

इसके बाद मैंने भारतीय पुलिसको मुकदमेकी जाँच-पड़तालमें मदद दी। मैं परचुरेकी तथा उसके दो भाई कृष्णराव तथा दिनकररावको जानता हूँ। दिनकर मेरा सहायी था। मैं उसके घर आया जाता करता था। मैंने उसके पिताको देखा था। वे लँगड़े थे। उनका पूरा नाम सदाशिव गोमल परचुरे था। वे ग्वालियरमें शिक्षा-विभागके टी. आई. जी. या आई. जी. थे। पुलिसकी डायरीमें एक दिन प्रातः ६ बजेसे लेकर दूसरे दिन ६ बजेतक होता



है। यदि कोई व्यक्ति रातको ४ बजे पकड़ा जाय तो उसकी गिरफ्तारीकी तारीख पहले दिनकी होगी।

### ४ अक्तूबर

आज भी ग्वालियरकी सी० आई० डी० पुलिसके इन्स्पेक्टर श्री माण्डलिकसे जिरह जारी रही।

गवाहने कहा कि मैं जन्मसे ही ग्वालियरमें रहता हूँ। रेलवे स्टेशन (ग्वालियर) से परचुरेका मकान लगभग पौन मील दूर होगा। मैं १९४८ में ट्रेनसे दो तीन बार बम्बई गया हूँ। मेरे पिता शोलापुर जिलेके वारसी नामक स्थानसे ग्वालियरमें रहने गये थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता ग्वालियर राज्यकी नौकरीमें थे। मेरे ताऊ वारसीमें ही रहते थे, पर अब वे मर चुके हैं। ग्वालियरमें बहुत महाराष्ट्रीय रहते हैं।

नियमानुसार गजटी अफसरोंको दरवारमें उपस्थित होनेका निमन्त्रण दिया जाता है। मुझे यह याद नहीं कि १९४१ के दरवारमें परचुरेको २०० रु० इनाम तथा दरवारकी वर्दा मिली थी या नहीं।

इनामदारने अदालतमें ग्वालियर राज्य सरकारकी एक विज्ञप्ति पेश की जिसमें परचुरेको १९४१ में इनाम देनेकी घोषणा की गयी थी। इस विज्ञप्तिको अदालतने प्रामाणिक सामग्री मान लिया।

गवाहने आगे बताया कि ग्वालियरके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल आफ पुलिस श्री जगन्नाथ प्रसाद २४ जनवरी १९४८ के बाद छुट्टीपर गये थे। मैं परचुरेको १९३९ से जानता हूँ। यह सच है कि मैं परचुरेकी वावत जाँच-पड़ताल करने मेडीकल विभाग गया था। मैं उसके बारेमें कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सका था। हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करानेके लिए तीन चार साल पहले जो समझौता बोर्ड बना था, परचुरे उसका एक सदस्य था। परचुरेके भाई दिनकर रावको तो मैं १९२२-२३ से ही जानता हूँ। मैं और वह एक स्कूलमें पढ़े थे। जब अभियुक्त परचुरेके पिता श्री सदाशिव जी० परचुरेकी मृत्यु हुई थी तो स्कूल और कालेजोंमें शोकसभाएँ हुई थीं। मेरे ख्यालसे मैंने इनमें भाग लिया था।

१४ फरवरी १९४८ को मुझे आशा मिली थी कि मैं इस मुकदमेकी

जॉब-पड़ताल करूँ। ग्वालियर रक्षा कानूनके मातहत सूर्यनारायण व्यास नामक ज्योतिषीपर जो मुकदमा चला था, उसकी जॉब-पड़ताल भी मैंने की थी। मेरे खयालसे नवम्बर १९४७ में सूर्यनारायण व्यासपरसे मुकदमा उठा लिया गया था। मुझे यह याद नहीं कि मैंने श्री एम० जी० परचुरेका तैय्यार कर्षा देखा है या नहीं।

मैं २७ फरवरी १९४८ को परचुरेके मकानपर गया था। उस समय परचुरेकी पत्नी वहाँ नहीं थी। यह सच है कि मैं उस दिन लद्दाकके मिटी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें गया था।

२८ जनवरी १९४८ को मोतीमहल सेक्रेटरिएटके सामने जब हिन्दू महासभाने प्रदर्शन किया था तो मैं वहाँ मौजूद था। परचुरे भी वहाँ था। यह प्रदर्शन राज्यमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बननेके विरुद्ध किया गया था। परचुरेके लिए अदालतसे रिमाण्ड माँगनेका मेरा काम न था। जब ग्वालियर राज्यकी सरकारने ग्वालियर हिन्दूसमाको अवैध घोषित कर दिया तो मैं १२ फरवरीको परचुरेके घरसे हिन्दूसमाके सारे कागज जप्त करने गया था।

### १३२ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईके विस्कोटक पदाथोंके इन्स्पेक्टर श्री एच. के. भावनगरीने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं १९३७ से विस्कोटक विभागमें काम कर रहा हूँ। मेरे विभागमें उन विस्कोटक पदाथोंकी परीक्षा की जाती है जिन्हें कि पुलिस हमारे यहाँ भेजा करती है। वार्षिक परीक्षा स्वयं मैं या मेरा कोई सहयोगी करता है।

८ अप्रैल १९४८ को मेरे दफ्तरमें बम्बई सी० आर्द० जी० पुलिसके लिप्टी कमिश्नरने खबर भेजी। फलतः विस्कोटक पदाथोंके अडिस्ट्रेट इन्स्पेक्टर श्री वार्ड० एम० परांजोरे पुलिसके दफ्तर गये और कुछ विस्कोटक पदाथें ले आये जो मैंने बम्बई सरकारके रासायनिक विद्येयण विद्येयणके यहाँ विपिस्ट्रु भेंट दिये थे।

रासायनिक विद्येयणके पाससे जब हमारे पास रिपोर्ट आयी तो श्री परांजोरेने स्वयं अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। मैंने उस रिपोर्टकी पुलिस दफ्तर भेजे जानेके पूर्व देखा था।

इन विस्फोटक पदार्थों ( अग्निप्रेक्षकों, बारूदी रुईके टुकड़ों, कारतूसों तथा हथगोलों ) के फोटो तथा रिपोर्टें अदालतमें प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार कर ली गयीं ।

गवाहने आगे बताया कि जो पदार्थ सरकारके रासायनिक पदार्थ विशेषज्ञके पास भेजे गये थे, वे विधिवत् बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नरके पास वापस भेज दिये गये थे ।

जहाँ तक मुझे पता है कि परांजपे बम-विस्फोटसे घायल हुए अभी तक चारपाईपर पड़े हैं और स्वस्थ नहीं हुए हैं ।

जिरहमें गवाहने बताया कि स.धारणतया गैलेग्लाइट पदार्थका अग्निप्रेक्षक तारसे ही विस्फोट होता है । मैंने स्वयं इन पदार्थोंमेंसे किसीकी परीक्षा नहीं की थी । ये पदार्थ रासायनिक विशेषज्ञके पास मैंने नहीं भेजे थे । हथगोलेके विस्फोटक तथा मशीनरी दोनों प्रकारकी बातोंको मैं जानता हूँ ।

#### ५ अक्तूबर

श्री भावनगरीसे आज भी जिरह जारी रही । उन्होंने कहा कि एक हथगोलेसे एक आदमी मर सकता या घायल हो सकता है । विस्फोटके बाद जो टुकड़े हथर-उधर हवामें उड़ते हैं, उनकी परिधिमें आनेवाले व्यक्ति हथगोलेसे मर सकते या घायल हो सकते हैं । मैंने कभी भी हथगोला चलाकर नहीं देखा । बारूदी रुईके टुकड़े तीन वर्षके बाद ब्रेकार हो जाते हैं या नष्ट कर दिये जाते हैं । सेफ्टी फ्यूज १॥ मिन्टमें १ गजकी गतिसे जलता है । विस्फोट होनेके बाद हथगोला अपने आसपासकी २० गजसे ६० गजतककी चीजको नष्ट कर सकता है । यह जानकारी सेनाके ट्रेनिंग पाठ्यक्रमसे भी प्राप्त की जा सकती है । हथगोला फौज द्वारा प्रयुक्त की जानेवाली वस्तु है ।

#### श्री नगरवालाकी गवाही

इसके बाद बम्बई सी. आई. डी. पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवालाने अपनी गवाहीमें कहा कि मैंने भारतीय पुलिसमें २ फरवरी १९३७ से नौकरी करना शुरू किया है । नासिक सेण्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग स्कूलमें मैंने ट्रेनिंग पायी । पूनामें मैं असिस्टेंट सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस रहा और शोलापुर तथा अन्य स्थानोंमें डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट रहा ।

दूरोंके दमनके सिलसिलेमें मैं तीन सालके लिए गिन्ध भी भेजा गया था । उस समय वहाँ पुलिस तथा दूरोंमें टकरा हो गयी थी । मैंने कई बार हथगोले चलाये हैं । ३८ पंजाब रेजीमेंटमें मैंने ६ सप्ताह तककी क्रियात्मक ट्रेनिंग पायी थी ।

### पुलिसने कथित पड्डयन्त्रका पता कैसे लगाया

३१ जुलाई १९४७ को बम्बई सरकारने मुझे बम्बई नगरके दक्षिणी पुलिस डिवीजनका डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया । १४ अगस्त १९४७ को मैं सी. आई. डी. की स्पेशल ब्रांचमें डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था ।

३१ जनवरी १९४८ को बम्बई सरकारके गृहविभागके रजिस्ट्रीने मुझे सूचना दी कि मैं बम्बईकी ब्यट्टीके अतिरिक्त दिल्लीमें विशेष पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट नियुक्त किया गया हूँ । मैं दो मुकदमोंकी जांच पढ़ताल करनेके लिए तुगलक रोड थानेपर तैनात किया गया । २१ जनवरी १९४८ को मैंने अखबारोंमें पढ़ा था कि दिल्लीमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें दम विस्तोट हुआ है । उसी दिन शामको ५॥ बजे बम्बईके गृह-मन्त्रीका फोन मिला कि मैं उनसे शीघ्र ही सेक्रेटरियेटमें मिलूँ । मैंने उनसे कहा कि मैं अन्य काममें पँसा हूँ अतः तुरन्त नहीं मिल सकता । इसपर उन्होंने कहा कि मद्रास मेलके रातको खाना होनेके पहले निश्चय ही मुझसे बम्बईके सेप्ट्रल स्टेशनपर मिलो । तदनुसार मैं उनसे स्टेशनपर मिला और बातचीत की । उन्होंने मुझे कुछ हिदायतें दीं जिसके अनुसार मैंने उसी रातको ९॥ बजेसे तारकरके मकानपर कड़ी निगरानी रखनेका प्रबंध कर दिया । मैंने करकरेकी भी निगराना करनेका प्रबंध कर दिया । मैंने अहमदनगरकी पुलिससे यह पूछताछ की कि करकरे पूर्व आशानुसार बम्बई सुरक्षा कानूनके मातहत निगराना कर दिया गया है अथवा नहीं । मैंने भेदिया व्यक्तियोंसे भी बातचीत की और करकरे और उसके साधियोंको निगराना करनेकी आज्ञा दे दी । मैंने अपने मातहत सभी अंतर्देशीय-को विभिन्न आज्ञाएँ दीं । मैं इस कार्यको सबसे अधिक महत्त्व समझता था ।

दिल्लीके डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट सरकार जलपन्त सिंह तथा अन्य एक इन्स्पेक्टर २२ जनवरी १९४८ को मुझसे मिलने बम्बई आये थे । वे करकरे तथा उसके साधियोंको निगराना करना चाहते थे । दम विस्तोटके सम्बन्धमें आये वे लोग बम्बईमें २३ जनवरीको सीकरे परर तक रहे । इस बीच वे

करकरे आदिकी तलाश करते रहे । बम्बई पुलिस इससे पहले करकरेको नहीं जानती थी । कुछ सूचना मिलनेपर मैंने २४ जनवरीको या इसके आसपास बढगेको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा जारी की ।

बम्बई प्रान्तमें सी० आई० डी० पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल श्री राणाको जानता हूँ । २७ जनवरी १९४८ को वे बम्बई गये थे । मैंने उन्हें सारी स्थितिसे परिचित कराया । उसी दिन मैंने टेलीफोनपर दिल्लीके खुफिया विभागके डाइरेक्टरसे बातचीत की थी ।

मैं बम्बईके गृहमन्त्रीको भी सारी बातोंकी सूचना देता रहा । पहले सी० आई० डी० का एक दल अलग था जो बम केशोंका पता लगाता था । २८ जनवरी १९४८ को यह दल मेरी मातृश्रीमें काम करने लगा था । मैंने जब स्थितिकी गम्भीरता बम्बईके गृहमन्त्रीको बताया तो यह दल मेरी मातृश्रीमें काम कर रही विशेष शाखामें मिलाया गया था ।

३० जनवरी १९४८ को लगभग ५॥ बजे बम्बईके गृहमन्त्रीने मुझे बताया कि महात्मा गान्धीकी हत्या कर दी गयी । उन्होंने तुरन्त आवश्यक कदम उठानेकी भी आज्ञा दी । उसी दिन कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । उस दिन रातको ११॥ बजे जब मैं सड़कोंपर दंगा दबाने तथा गिरफ्तारियाँ करनेमें लगा हुआ था तब मुझे पता चला कि हत्यारेका नाम नथूराम है । हत्यारेका पूरा नाम मुझे अगले दिन मालूम हुआ ।

लोगोंको जैसे ही महात्मा गान्धीकी हत्याके बारेमें ज्ञात हुआ, बम्बईमें दंगे आरंभ हो गये । पुलिसकी सहायताके लिए फौरन ही फीज बुला ली गयी थी । ३१ जनवरी १९४८ को प्रातः बम्बईके पुलिस कमिश्नरने मुझे आज्ञा दी कि सावरकरने सहायता माँगी है, अतः मैं सावरकर-सदन जाऊँ । मुझे पता था कि सावरकरकी रक्षाकी व्यवस्था कर दी गयी है अतः मैं स्वयं वहाँ नहीं गया । जब मैं वहाँ गया तो सावरकरके रक्षार्थ १ अफसर तथा ४ पुलिस सिपाही तैनात थे ।

३१ जनवरीसे पूर्व मैंने बहुतसे व्यक्तियोंसे पूछताछ की थी । ३१ जनवरीको दोपहरके २॥ बजेके बाद मैंने सावरकरके मकानकी तलाशी ली थी । मकानमें पत्थर भरे थे, खिड़कियोंके शीशे टूटे पड़े थे और घरका सारा सामान

अस्तव्यस्त पड़ा था । इससे पता चलता था कि अत्यन्त क्रुद्ध भीड़ने मकानपर आक्रमण किया ।

उस दिन मैं सावरकरसे मिला और उन्हें बताया कि मैं तलाशी लेने आया हूँ । कुछ और बातचीत करके मैंने दो पंच बुलवाये । मैंने सावरकरसे कहा कि आप मेरी, मेरे साथके अन्य पुलिस अफसरों और पंचोंकी पहने तलाशी ले लीजिये, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

मैं स्वयं सावरकरके सारे मकानमें घूमा । दूसरी मजिस्ट्रके तीन कमरोंकी मैंने तलाशी ली । १॥ घंटे तक तलाशी ली गयी । तलाशी होते समय ही एक संतरीने आकर मुझे बताया कि सावरकरके मकानके पीछे बहुत सी भीड़ एकत्र हो गयी है । मैंने तुरन्त वायरलेससे ट्रेड आफिसको सूचना भेजी । फलतः और पुलिस वहाँ आ गयी ।

### सावरकर हताश और भयभीत थे

मैंने सावरकरकी वीमार नहीं देखा । वे हताश तथा भयभीतसे थे । सावरकरने उसी समय अपना डाक्टर बुलवाया था । तलाशीके बाद भी रक्षा करने वाला गारद वहाँ पड़ा रहा । तलाशीके बाद वहीं एक पंचनामा तैयार कराया गया ।

मैं जो भी सामान वहाँसे लाया था, उसे सी० आई० टी० के दफ्तरमें लाकर तिजोरीमें बन्द कर दिया । बादमें जब श्री ए० आर० प्रधान मेरे मातहत इन कागजोंकी देखभालके लिए नियुक्त किये गये तो मैंने वे कागज उन्हें दे दिये थे और उन्हें पढ़कर रिपोर्ट देनेकी कहा ।

३१ जनवरी १९४८ को मैंने पूनाकी पुलिसको फोन द्वारा आशा दी कि बटगे और आपटेको गिरफ्तार कर लो और उनके घरोंकी तलाशी लो । २ फरवरीको मुझे पता लगा कि बटगे पकड़ लिया गया है । मैंने उसे बम्बई भेजनेकी आशा पूना पुलिसको दी ।

४ फरवरी १९४८ को बटगे बम्बई लाय गया । उसी दिन दिल्लीकी पुलिस मदनलालको बम्बई ले आयी । मैंने बटगे तथा मदनलालसे बहुतसे प्रश्न किये ।

मैं ५ फरवरी १९४८ को बटगेको पूना ले गया । पूना ले जानेमें पूर्व मैंने बटगेको मदनलालसे मिलाया ताकि इस पत्रपत्र तथा पत्रपत्रकारियोंका कुछ पता चले । बम्बईके गृहमन्त्रोंने मुझे बताया था कि महान्ना गान्धीही

हत्याका पडयन्त्र चल रहा है। उस समय मुझे पडयन्त्रकारियोंमेंसे केवल मदन-लाल और करकरके नाम मालूम हुए थे। बटगोके नामके बारेमें तो मुझे बादमें मालूम हुआ था।

मेरे मातहत अफसरोंके साथ बटगोको पूना तथा अहमदनगर भेजा गया था। अगले दिन मैं अपनी कारमें बैठकर पूना गया था। पूना जाकर मैंने गोपाल गोडसे तथा शंकर किस्तव्याकी तलाश की। गोपाल गोडसे वहाँ पकड़ा गया और वह उसी रात बम्बई भेज दिया गया। ६ फरवरी १९४८ को बम्बईमें भुलेश्वर स्थानपर शंकर किस्तव्या भी पकड़ा गया।

८ फरवरी १९४८ को मैं फिर पूना गया और गोपाल गोडसे, बटगो और शंकरको भी ले गया। गोपाल गोडसेने जिस व्यक्तिको रेवाल्वर दिया था, उसका पता लगाने इस बार मैं पूना गया था। सच-इन्स्पेक्टर श्री प्रधानको सारी बातें बताकर मैंने गोपाल गोडसेके साथ भेजा। गोडसेले तथा काले नामक दो व्यक्तियोंका पता लगा और श्री प्रधानने उनके बयान लिये। मावती मन्दिरकी जिस समय तलाशी ली गयी, उस समय मैं वहाँ मौजूद था।

ए० कोटियन नामक टैक्सी ड्राइवरको मैं जानता हूँ। मैंने उसका बयान लिया था। बादमें वह मुझे अपनी टैक्सीमें बैठाकर कई स्थानोंपर ले गया था। १० फरवरी १९४८ को मैं शंकर किस्तव्याको लेकर हवाई जहाज द्वारा बम्बई से दिल्ली आया। शंकर तुगलक रोड थानेमें रखा गया और उसे छिपा रखनेकी पूरी पूरी सावधानी बरती गयी थी।

११ फरवरीको मैंने दो पंच बुलाये और उनकी उपस्थितिमें शंकरका बयान लिया। शंकर पंचों तथा पुलिस अफसरोंको हिन्दू महासभा-भवनके पीछे ले गया और कुछ सामान बरामद हुआ जिसकी सूची बनायी गयी।

११ फरवरी १९४८ को रातके ९॥ बजे एक विशेष विमान द्वारा शंकर और नथूराम गोडसेको लेकर बम्बई गया। पूनाकी पुलिसको मैंने आदेश दिया था कि वह ओरिएण्टल गवर्नमेण्ट सेक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कम्पनीके श्री वैद्यसे सम्पर्क स्थापित करे। उनसे पता चला कि अपनी दो बीमा पालिसियोंके लिए नथूराम गोडसेने दो उत्तराधिकारी नामजद किये थे।

२१ जनवरी १९४८ को जब मैं बम्बईके सेण्ट्रल स्टेशनपर गृहमन्त्रीसे

मिला था तो उन्होंने अपनी सूचनाका सूत्र मुझे नहीं बताया था । बादमें मुझे उस सूत्रका पता चला था । यह पता चलनेपर मैंने डा० जे० सी० जैनका वयान लिया । मैं बोलता गया था और सब-इन्स्पेक्टर श्री प्रधान लिखते गये थे । रहमन्त्रीका वक्तव्य मैंने स्वयं लिखा था । कुमारी शान्ता भास्कर मोटकका वयान भी मैंने लिया था ।

### चोरीसे टेलिफोन सुनकर आपटेकी गिरफ्तारी

१४ फरवरी १९४८ को पार्क अगोला होटलमें आपटे तथा करकरे गिरफ्तार किये गये । कुमारी मनोरमा सालवेके पिताका टेलिफोन चोरीसे सुनकर आपटेकी गिरफ्तारी की गयी थी । आपटे पहले गिरफ्तार किया गया था तथा मेरे दफ्तरमें लाया गया था । जब सब-इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरसे करकरेकी गिरफ्तारीकी सूचना टेलीफोनसे मिली तो मैं आपटेको लेकर अगोला होटल गया । जिस कमरेमें ये लोग ठहरे थे, उसकी तलाशी ली गयी और फिर आपटे तथा करकरेकी तलाशी ली गयी । इस सम्बन्धमें एक पत्रनामा भी तैयार किया गया ।

श्री गणाकी टेलीफोनपर दी गयी सूचनाके अनुसार १७ फरवरीको परचुरेकी गिरफ्तारीकी बात मैंने दर्ज की । सावरकर तथा परचुरेको छोड़कर सभी अभियुक्त बगईकी नहीं ली, आर्. टी. इमारतकी दूसरी मंजिलमें रक्के गये थे । इसी मंजिलमें मेरा दफ्तर भी है । मेरी आज्ञासे श्री हल्दीपुरने दूसरी मंजिलका सारा नक्शा खींचा था जो बिलकुल ठीक था ।

जहाँ अभियुक्त बन्द किये गये थे वहाँ हर कमरेके लिए एक एक कतरी तैनात किया गया था । इस मंजिलमें जनता न हुआ थाये इस बातकी पूरी सावधानी रखी गयी थी । इन अभियुक्तोंसे मैंने या तो उनके कमरेमें जाकर पूछताछ की थी या उन्हें अपने कमरेमें बुलाकर की थी । जब दूसरी मंजिलमें अभियुक्तको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाया जाता तो इस बातकी पूरी सावधानी रखी जाती कि उसे कोई दूसरे अभियुक्त न देख सके ।

२४ मई १९४८ को सावरकर तथा परचुरेको छोड़कर मेरे सभी अभियुक्त दिल्ली लाये गये । बन्दी-शिनाख्त बान्धनकी चौथी धागके अन्तर्गत १२ मईको अभियुक्तोंका सामूहिक फोटो लिया गया था । यह फोटो इतिहास



खींचा गया था कि यदि कोई अभियुक्त भाग जाय तो उसकी गिरफ्तारीमें सहायता मिल सके तथा पुलिसके रेकार्डमें फोटो रहे। यह फोटो खुफिया पुलिसकी इमारतके पुलिस स्टूडियोमें खींचा गया था।

२५ फरवरी १९४८ को मैं हवाई जहाजसे आपटे तथा करकरेको बम्बईसे दिल्ली ले आया था। तुगलक रोड थानेमें, जहाँ शंकर रखा गया था, ये लोग भी रखे गये थे। कमरेके सामने दिल्ली तथा बम्बई पुलिसके सन्तरी तैनात किये गये थे। इस कमरेका एक दरवाजा था, जो बाहर चरामदेकी ओर खुलता था। अगले दिन मैंने पञ्च बुलाये और आस्टेका बयान लिया गया। इसके बाद आपटे, करकरेके साथ, हम लोगोंको हिन्दू महासभा भवनके पीछे जंगलमें ले गया जहाँसे कुछ सामान चरामद हुआ। एक पञ्चनामा इस सम्बन्धमें तैयार किया गया जिसपर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे।

मेरे आशानुसार आपटे २७ फरवरीको ग्वालियर भेजा गया। २७ या २९ फरवरीको मैं बम्बई गया। उस समय दिल्लीमें बम्बई पुलिसके जो अफसर थे, उन्हें यह आज्ञा दे गया था कि ग्वालियरसे आनेपर आपटेको तथा करकरेको जो कि दिल्लीमें ही था, दिल्ली पुलिसके हवाले कर दें ताकि शिनाख्त और जाँचके सम्बन्धमें दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई कर सके। इसके बाद १ मार्च १९४८ को आपटे तथा करकरे बम्बई ले जाये गये।

५ मार्च या इसके आसपास मैंने बम्बईसे कानपुर हिदायतें भेजीं कि इस मुकदमेसे सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कानपुर रेलवे स्टेशनके कुछ रजिस्ट्रारोंका पता लगाया जाय। कानपुरका एक सी० आई० डी० अफसर मेरे मातहत काम करता था, उसे आवश्यक रेकार्ड (कागज) और व्यक्तियोंको बम्बई लानेके लिए कानपुर भेजा। पुलिसके कागजमें दिखाया गया है कि सावरकर ११ मार्च १९४८ को इस मुकदमेके सम्बन्धमें गिरफ्तार किये गये। अगले दिन मैं बडो और शंकर किस्तय्याको लेकर बम्बईसे पूना गया।

इस मुकदमेके सम्बन्धमें बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने बहुतसी शिनाख्त परेडोंका निरीक्षण किया। शिनाख्त करानेके लिए दिल्ली तथा अन्य स्थानोंसे बहुतसे गवाह बम्बई लाये गये थे। सभी शिनाख्त परेडें एस्प्लेनेड पुलिस कोर्टमें हुई थीं।

## ६ अक्षर

श्री जे० डी० नगरवालाकी गवाही आज भी जारी रही। उन्होंने कहा कि पुलिसको मदनलालके पाससे एक कोट मिला था जिसे कि मैं बम्बई ले गया था। मैंने पुलिसका एक दल इस कोटके साथके पैण्टका पता लगानेको पूना भेजा। मैंने इस दलको आपटेके मकानकी तलाशी लेनेका भी आदेश दिया था। पैण्ट वहाँ न मिल सका।

कुछ और सूचना मिलनेपर मैंने तीन पंचोंको बुलाया और सी० आई० डी० पुलिसके दफ्तरके उस कमरेकी तलाशी ली जिसमें आपटे नजरबन्द था। आपटेने वक्त्र खोलकर पैण्ट मुझे दे दिया। एक पंचनामा इस सम्बन्धमें बनाया गया, जिसपर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे।

बादमें दावके एण्ड कम्पनी नामक सिलार्हके दुकानके मालिक दावकेका मुझे पता चला। आपटेको तथा उस कोट पैण्टको लेकर मैं उसके यहाँ गया। मैंने उसका बयान लिया और उस किताबको भी अपने कब्जेमें ले लिया जिसमें वह माहकोंके कपड़ोंकी नाप लिखा करता था।

विस्फोटक पदार्थोंके जाँच करनेवाले इन्स्पेक्टरके यहाँ मैंने कुछ गोला-बारूद भेजा था। पुलिसके फोटोग्राफरको मैंने आज्ञा दी थी कि वह इन पदार्थोंका फोटो ले। ये पदार्थ नागमोटे, शेअर तथा नथूराम गोडसेके मकानसे बरामद हुए थे।

इस मुकदमेकी जाँच-पड़तालके लिए जो व्यक्ति विशेष रूपसे तीनात किये गये थे, उनका सदर मुकाम दिल्ली पुलिसने तुंगटक रोड थानेमें रखा था। वहाँ अभियुक्त लाकर रखे जाते थे तो इस बातकी पूरी जानकारी बरती जाती थी कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें न देख सके।

मैंने इस मुकदमेकी जाँच-पड़तालके दौरान गोडसेका कोई पत्र तथा उसका चित्र नथूराम गोडसेको नहीं दिखाया। जब मैं साबरकरके पर गया था तो किसी भी कमरेमें ताला नहीं लगा था, केवल दो कमरोंमें किताब भिटे हुए थे। समस्त अभियुक्त उच्च श्रेणीके बन्दी माने गये थे। अभियुक्तोंके मेरी आशासे ही मिलार्ह करने दी जाती थी। मैंने मिलार्हकी स्वीकृति उन्होंनेकी थी जो अभियुक्तोंके निकट सम्बन्धी होते तथा स्वयं आकर मेरे यहाँ पहले प्रार्थनापत्र देते। बडगेकी परीने उरुते एकसे अधिक बार मिलार्ह की।

आपटे भी अपने सम्बन्धियोंसे बातचीत कर सका था। अन्य अभियुक्तोंसे भी मिलाई हुई थी।

सम्बन्धियोंके अतिरिक्त श्री देवधर नामक एक वकीलने भी आपटे तथा सावरकरसे मिलाईकी स्वीकृति माँगी थी जिसकी मैंने स्वीकृति दे दी थी। समन्धी प्रायः अभियुक्तोंके लिए धुंसे हुए कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि लाया करते थे।

फरारोंकी खोजमें ३ हजार रुपया भत्ता लिया

मैंने अपने कमरेमें केवल कुमारी मोटककी गवाही ली थी। ३१ जनवरी १९४८ को जब मुझे इस मुकदमेका पता लगानेकी आज्ञा मिली थी तो मैंने अपनी सुविधाके लिए बम्बईके सी० आई० डी० पुलिसके नये दफ्तरकी दूसरी मंजिल खाली करा ली थी। पदवी ( निचली ) मजिस्ट्रेटपर जहाँ ऊपर आने-जानेके लिए लिफ्ट लगी हुई थी, एक सन्तरी तैनात कर दिया गया था। लिफ्टमैनको मैंने इस बातकी कड़ी हिदायत कर दी थी कि वह मेरी आज्ञाके बिना किसी भी व्यक्तिको ऊपरकी मजिलमें न लाये। मैं अपने कमरेमें बैठकर बहुत कम लोगोंसे बात करता था। जिन कमरोंमें अभियुक्त बन्द रखे गये थे, उनके द्वार तथा खिड़कियाँ बन्द रखी गयी थीं। गोमाल गोडसे और आस्टेके कमरोंके दरवाजे तो खुले थे, पर उनपर पर्दे डाल दिये गये थे।

सूर्यदेव शर्मा, जी० एस० दण्डवते तथा जी० जाधवको मैं जानता हूँ। इन लोगोंकी खोजमें मैंने ३ हजार रुपया भत्ता लिया। इस सम्बन्धमें मैंने देशभरमें बहुतसे पुलिस अफसरोंको आज्ञाएँ भी दी थीं। जोगीन्दरसिंह चोखड़ा एक चार मिले था, पर वह सबसे गायब है। वह अब तक नहीं मिला है। मैंने विचाराधीन कागज तथा अभियुक्तोंकी लिखावटके नमूने हस्तलिपि-विशेषज्ञके पास भेज दिये थे। मैंने दिल्ली पुलिसको आज्ञा दी थी कि वह लङ्गलके पहरेदारों, मेरीना होटलके परिचायकों तथा फ्रंटियर हिन्दू होटलके मैनेजरका बयान लें।

गवाह कुमारी मनोरमा सालवे खिलाफ हो गयीं

मैं कई बार बडगेको लेकर पूना गया था। बडगेका बयान मैंने दो दिनमें लिया था। मुकदमेकी जाँच-पड़तालके दौरमें मैंने चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटकी आज्ञासे अप्रैलमें डाक तथा तार विभागसे दो तार लिये थे, पर बादमें उन्हें लौटा दिया था। इस सम्बन्धमें मैंने वसन्त जोशीका बयान भी लिया था।

जॉचके दौरमें मैं इस बातसे संतुष्ट हो गया था कि आपटेके नामसे जो ठर भेजा गया था, वह न तो उसने भेजा था और न उसने अपनी लिखावटमें लिखा था। इस तारके सम्बन्धमें कुमारी मनोरमा सालवे गवाही दे सकती थी, पर वह खिलफ हो गयी है और कफार्डके वकीलसे उसका कुछ परस्परव्यहार भी हुआ है।

जिरहमें गवाहने कश कि मैंने बड़ोसे प्रदन किये थे और उसके दिने उच्चको में श्री हर्दापुरको बोलता गया था। जब भी मैं दिल्ली आया मैंने तुगलक रोड थानेमें ही काम किया। जहाँ मैं काम करता था वहाँमें एवालाका दरवाजा दिखायी नहीं देता था। जब चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने मुझे मिस्टर करनेको अनुमति देनेके लिए कहा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अनुमति दे देता हूँ।

श्री नगरवालाने आगे बताया कि मैं ५ अप्रैलको गोडसेको बम्बईमें इंग्लिश दिल्ली ले गया कि वह मुझे एक स्थान दिखाना चाहता था जहाँ उसने हथगोला फँका था। गोडसेने वह स्थान तो दिखाया पर हथगोला नहीं मिला।

३१ जनवरी १९४८ को मुझे भारत सरकारसे यह आज्ञा नहीं मिली कि मैं दिल्लीमें विशेष रूपसे तैनात किया गया हूँ। बम विस्फोट तथा गान्धी हत्याकाण्डके मुकदमेमें जॉच-पड़ताल करनेके लिए मैं विशेष रूपसे नियुक्त किया गया था। जबसे मैंने इस मुकदमेकी जॉच-पड़ताल करनेका काम अपने ऊपर लिया है तबसे किसीने पड़पत्रके बारेमें कोई लिखित प्रार्थनापत्र नहीं दिया। पर मैंने मुकदमेके कागज और टाबरी देखी तो उसमें भारतीय दण्ड विधानकी धारा १२० बी० के तहत मामला था। बम्बईके एटर्नीने मुझे जो भी आज्ञाएँ दी थीं, उनको मैंने नोट नहीं किया था। तुगलकरोड थानेमें दर्ज किये गये दोनों मुकदमोंकी मैं टाबरी बनाता रहा हूँ।

मैंने बमविस्फोट सम्बन्धी पहले मुकदमेकी टाबरी ३१ जनवरी १९४८ को प्रातः ६० बजे तैयार की थी।

### ७ अक्तूबर

आज भी श्री नगरवालसे जिरह जारी रही। श्री भोयटकरके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कश कि प्रो० जे० सी० जैतसे पहले पहले मेरी जन्मदिन ४-५

फरवरी १९४८ को हुई थी, पर मैंने उनका वयान १७ फरवरीको लिया था ।

गवाहने जो वयान श्री जे० सी० जैनका लिया था उसका हवाला श्री भोपटकरने दिया और कहा कि इस वयानमें प्रो० जे० सी० जैनने यह तो नहीं कहा कि मदनलालने सावरकरसे जब अहमदनगरके अपने कार्योंके बारेमें डाँग मारी थी तो सावरकरने यह कहा था—‘ठीक है, आगे काम किये जाओ ।’ स्मरण रहे कि प्रो० जे० सी० जैनने अदालतमें जो वयान दिया है, उसमें कहा है कि श्री सावरकरने मदनलालकी पीठ थपथपाकर यह कहा था कि ‘ठीक है, आगे काम किये जाओ ।’

गवाहने इसके बारेमें कहा कि ‘ठीक है, आगे काम किये जाओ’ शब्द लिखनेसे मुझसे छूट गये । मैंने गवाहका वयान लिखा है कि ‘मदनलाल जो कुछ कर रहा है, उसके लिए मदनलालकी पीठ सावरकरने ठोकी’, इसका यही अर्थ था कि सावरकरने उसकी पीठ ठोककर ‘ठीक है, काम किये जाओ’ कहा ।

गवाहने आगे बताया कि मैं इस बारेमें कुछ नहीं जानता कि सावरकरके जन्मदिवसपर गोवालिया टैंक मैदानमें क्या उत्सव हुआ था । मुझे यह भी शक नहीं कि सावरकरके मकानपर कोई किरायेपर रहता है या नहीं । सावरकर ५ फरवरी १९४८ को प्रातः पुलिस कमिश्नरके आज्ञानुसार सम्बर्द्ध सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके मातहत गिरफ्तार किये गये थे । पुलिसके डाक्टरसे भी मैंने सावरकरकी परीक्षा करायी थी और यह विश्वास करके कि बीमार नहीं है, उन्हें मैंने गिरफ्तार किया था । पुलिसके कागजोंमें यह दिखाया गया है कि २० जनवरीको हुए बम-विस्फोट तथा महात्मा गान्धी-हत्याकांडके विलसिलेमें सावरकर ११ मार्चको गिरफ्तार किये गये ।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने ‘अग्रणी’ और ‘हिन्दू राष्ट्र’ नामक पत्रोंके कार्यालयोंकी तलाशी लेनेकी आज्ञा दी थी । महासभाके बहुतसे गवाहोंके वयान तो मैंने लिये थे, पर मैं यह नहीं कह सकता कि वे दादरकी महासभाके कार्यालयके कर्मचारी और पदाधिकारी थे या नहीं । इस मुकदमेके सम्बन्धमें दिल्लीके महासभा-भवन तो गया था, पर उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की थी ।

श्री भोपटकरने ११ मार्चके बाद सावरकरसे मिलाई करनेकी आज्ञा पाने

के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, पर मैंने उसे इस वाधापर स्वीकार नहीं किया था कि इस मुकदमेके सम्बन्धमें श्री भोपटकरका भी क्या लिया जायगा।

श्री मंगलेके निरह करनेपर गवाहने कहा कि मेरे अधिकारमें सी० आई० सी० की १ तथा २ नम्बरकी विशेष शाखाएँ थीं जो कि राजनीतिक, साम्प्रदायिक तथा श्रमिक समस्याओंके सम्बन्धित मामलोंकी जाँच करती थीं। इस सम्बन्धमें जो भी खुफिया रिपोर्टें प्राप्त की गयी हैं, मेरे दफ्तरमें हैं। मेरी शाखाएँ वृहत्तर बम्बईमें मुकदमोंकी छानबीन कर सकती हैं।

३० जनवरी १९४८ को महात्मा गान्धीकी हत्याका समाचार मुनकर साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ हो गये थे। अगले दिन मैंने महासभा-समर्थक एक दुकानदारकी दूकान लुटते स्वयं देखी। साबरकरके घर उसी दिन जब मैं गया तो उनके घरमें पत्थर तथा रोड़े पड़े थे तथा सारे दरवाजों तथा खिड़कियोंके शीशे टूटे हुए थे। महासभा-समर्थक एक व्यक्तिको मैंने भीड़के हाथोंसे बचाया। उत्तरी गोखले सड़कपर जब पुलिसने भीड़पर गोली चलायी थी तो वहाँ भी मैं मौजूद था। यह उपद्रव उस समय आरम्भ हुआ था जब लोगोंको यह पता चल गया था कि गान्धीजीका हत्यारा नयूगम गोठसे है।

बम्बई सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके मातहत गिरफ्तारी करनेके लिए पुलिस कमिश्नर आज्ञा जारी करता है। यदि वह उपस्थित न हो तो सदर मुकाममें उपस्थित डिप्टी कमिश्नर भी आज्ञा जारी कर देता है।

मुझे स्वयं इस बातका पता है कि एक पेट्रोलबोकेट श्री जमनादास भट्टा तथा श्री व्यास भी नजरबन्द किये गये थे। अन्य लोगोंके बारेमें मुझे कुछ पता नहीं। पाकिस्तान-विरोधी लोगके यत्ने नामक व्यक्तिने यानेमें आकर स्वयं रक्षा करनेको कहा था क्योंकि भीड़ उसके पीछे पड़ी थी। इन लोगोंका सुझाव महासभाकी ओर था।

आपटेके मकानकी तलाशी लेनेके लिए मैंने दो बार आज्ञाएँ जारी की थीं।

अभियुक्तने अप्रैलके प्रथम सप्ताहके पूर्व किसीसे भी मिलना करनेकी प्रार्थना नहीं की थी। यह बात सच नहीं है कि क्वारी विनायक पंटे रो जाने के बाद मिलाईकी स्वीकृति दी गयी थी। इस बातकी पूरी जावधानी रखी गयी थी कि इन मुलाकातोंके दौरमें कोई अशुभ बात न होने पावे। परन्तु शंकर नामक अभियुक्त अन्य अभियुक्तोंके कपड़े धोया करता था, पर कपड़ों

यह भी बंद कर दिया गया। उस समय यह प्रवन्ध किया गया कि कपड़े बाहर धुलवाये जायँ, पर धुले कपड़े अभियुक्तोंको देनेसे पूर्व वे भली प्रकार देख लिये जाते थे।

मिलाइयोका मैंने कोई रेकार्ड नहीं रखा। तार घरसे प्राप्त किया गया तार आपटेने नहीं लिखा था। वह कुमारी मनोरमा सालवेने अपनी हस्तलिपिमें लिखा था जिसका नमूना लेकर तारकी लिखावटसे मिलाया गया था।

करकरेके वकीलकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि करकरेकी गिरफ्तारीके बाद मैं उससे पहली बार १४ फरवरी १९४८ को मिला था। २१ जनवरीको जब मैं श्री मुरारजी देवार्डेसे वम्बई सेण्ट्रल स्टेशन पर मिला था तो मुझे बताया गया था कि सरकारने करकरेकी गिरफ्तार करनेके लिए आशाएँ जारी कर दी हैं। दिल्ली पुलिसके अफसर २२ जनवरी १९४८ को जब मुझसे मिले, थे तो मैंने करकरेके बारेमें उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। गान्धीजीकी हत्याके बाद ३० जनवरी १९४८ को वम्बईके गृहमन्त्रीने मुझे कोई विशेष आज्ञा नहीं दी थी।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने बताया कि मुझे यह पता नहीं था कि कुछ महीनोंसे विहला-भवनमें जनताको नहीं जाने दिया जाता था।

परचुरेको छोड़कर सभी अभियुक्तोंके (जिनमें बडगे भी है) सामूहिक फोटो तथा अलग अलग फोटो, जो पुलिस फोटोग्राफरने लिये थे, अदालतमें प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार कर लिये गये।

श्री नगरवालाने बताया कि मैंने ही अदालतमें अभियोग पत्रिका पेश की थी। इसमें मैंने सबूत पक्षकी ओरसे २७५ गवाहोंके नाम दिये थे। मैंने समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण तथा श्री सुहरावर्दोंसे बातचीत नहीं की।

#### ८ अक्तूबर

आज भी श्री नगरवालसे जिरह जारी रही। करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें उन्होंने बताया कि नियमानुसार सभी अभियुक्तोंके अलग अलग फोटो लेनेके अतिरिक्त सभी अभियुक्तोंका सामूहिक फोटो लिया जाता है। यह झूठ है कि आपटे तथा करकरेका एक फोटो लिया गया था। इस मुकदमेके सम्बन्धमें मेरी सरदार पटेलसे बातचीत नहीं हुई, पर मैं उनके कानूनी सलाहकार-

से २ बार दिल्लीमें तथा एक बार मंजूरीमें मिला था। अहमदनगरकी घटनाओंके बारेमें मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं गत ७ वर्षोंसे वहाँ नहीं गया।

बम्बईके गृहमन्त्री श्री मुरारजी देशाईने उस पत्रके बारेमें नहीं बताया जो करकरेने उ.को शरणार्थियोंके बारेमें लिखा था। मैं यह तो जानता हूँ कि करकरे महासभाई है पर यह नहीं ज्ञात है कि महासभामें उसका क्या स्थान था।

करकरेके वकीलने कहा कि अंगदसिंह नामक व्यक्तिने अदालतके सामने बयान दिया था कि मदनलालने प्रो० जे० भी० जैनसे कहा था कि मेरे दलको सेठ करकरे आर्थिक सहायता देता है जिसे हमारे दलके सदस्य हथियार तथा गोलाबारूद एकत्र करते हैं। पुलिसके सामने दिने अपने बयानमें अद्वयसिंहने ये बातें नहीं कही हैं।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीकी जिरफके उत्तरमें गवाहने कहा कि २१ जनवरीको अहमदाबाद जाते समय बम्बई सेण्ट्रल स्टेशनपर बम्बईके गृहमन्त्री श्री देशाईने कहा था कि मुझे खबर मिली है कि महात्मा गान्धीकी एका कानिका पड़यन्त्र रचा गया है। उन्होंने अहमदाबाद जानेका अपना उद्देश्य मुझे नहीं बताया था।

### आपटेने चोरीसे कुमारी मनोरमाको पत्र लिखा

मदनलालके लिए रिमांडकी जो दरखास्तें दी गयीं, उनमें मेरे हस्ताक्षर हैं या मेरी आज्ञासे अन्य पुलिस अफसरोंने हस्ताक्षर किये हैं। मैंने भी देशाईसे इस सूचनाका सूत्र नहीं पूछा, इसका कोई विशेष कारण नहीं। मैंने इस मामलेकी अपनी जापरी अपने उच्च अफसरको नहीं दिखायी। २४ मई १९४८ को चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी आज्ञासे सभी अभियुक्त अन्तिम रूपसे दिल्ली जाये गये थे। इससे पूर्व मैंने अभियुक्तोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जानेके लिए कोई आज्ञा प्राप्त नहीं की। मैंने लैंगनायक खादमको स्वच्छिष्ट परपालन कर दिया था कि वह कुमारी मनोरमा साल्वेके लिये आपटेका पत्र लेकर गया था।

पुलिस कमिश्नरकी यह पहलसे ही आज्ञा थी कि एक अभियुक्तकी हस्तलिपिके कई नमूने लिये जायें, तब उन्हें विशेषरूपके पास भेजा जाय। यह स्वच्छिष्ट था कि विशेषरूपकी ठीक ठीक निर्णय करनेमें सहायता मिले।



शंकर किस्तय्याके वकील श्री मेहताकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जब मैंने पहली बार शंकरको देखा था, उस समय शंकर एक घोती तथा काले रंगका कोट पहने और टोपी लगाये था। ११ फरवरी १९४८ को शंकरने पंचोंके सामने जो भी कहा था, वह पंचनामेमें लिखा गया है। मैंने स्वयं शंकरसे कहा था कि वह पंचोंके सामने अपनी कहानी कहे। शंकरका बयान ३ मार्च १९४८ को लिखा गया था। जब शंकर हिन्दू महासभा भवनके पीछे ले जाया गया था, तो उसके हाथोंमें हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं।

गोपाल गोडसे तथा परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें श्री नगरवालने कहा कि मेरा बचपन अहमदनगरमें बीता था और मैं मराठी जानता हूँ। गोपाल गोडसेको गिरफ्तार करनेके लिए मैं स्वयं पूना गया था। मैं स्वयं जानता हूँ कि गोपाल गोडसे नथूराम गोडसेका भाई है। गोपाल गोडसेको पूनासे बम्बई लाने समय पूनामें मैंने उसे किसी मजिस्ट्रेटके सामने पेश नहीं किया था, पर बम्बई लाकर २४ घण्टेके अन्दर मैंने उसे मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया था।

मैंने गवाहोंके बयान सफेद फागजोंपर लिखे थे। इस कार्यमें छपे हुए फार्म प्रयुक्त नहीं किये थे। बडगोसे मैंने जिला जेलमें पूछताछ की थी। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि शंकर और बडगो उसी जेलमें रखे गये थे या नहीं।

गवाहने एक सरकारी विज्ञप्ति भी अदालतमें पेश की जिसमें उसे इस मुकदमेका जाँच-अफसर तथा दिल्लीमें विशेष अफसर नियुक्त किये जानेकी बात थी।

दुवारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि इस मुकदमेकी जाँच-पड़ताल करनेके लिए पूनाके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल श्री राणा विशेष रूपसे दिल्लीके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल नियुक्त किये गये थे। जब वे बम्बई में थे तो इस मुकदमेकी रिपोर्टें पढ़ लिया करते थे। ३० जनवरी १९४८ को मैंने स्वयं साम्प्रदायिक दंगा होते नहीं देखा, पर दंगोंमें घायल व्यक्तियोंको अस्पतालमें पड़े देखा था। ५ जनवरी १९४८ को जबतक सावरकर गिरफ्तार नहीं किये गये थे, तबतक उनपर कोई भी पाबन्दी नहीं लगायी गयी थी।

और जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि जब बडगोको राजकीय क्षमादान दिया गया था, उस समय मैं उपस्थित नहीं था।

आज नगरवाले जिरह समाप्त हो गयी और अदालत विजवादादमी-वकरीदकी छुट्टियोंके लिए १८ अक्टूबर तकके लिए उठ गयी ।

### १८ और २० अक्टूबर

१ दिन दशहरेकी छुट्टी मनायके बाद १८ अक्टूबर को अदालत फिर बैठों पर २० अक्टूबरके लिए उठ गयी क्योंकि विचारपति श्री आत्माचरणको तार मिला कि कानपुरमें उनके पिताकी तबीयत बहुत खराब हो गयी है । वे तुरन्त कानपुरके लिए रवाना हो गये । श्री नगरवालने आज करने बचानर हस्ताक्षर कर दिये ।

२० तारीखको भी श्री आत्माचरण लीटे नहीं थे, इसलिए मुकदमेकी सुनवाई नहीं हुई ।

### २१ अक्टूबर

पूनाकी प्रान्तीय खुफिया पुलिससे सम्बद्ध प्रमुख एस्तलेख विशेष भी गजरकी गवाही आज ली गयी । गवाहने कहा कि मैं सन् १९३३ से एस्तलेख विशेष हूँ । मैंने दीवानो और फौजदारी मामलोंमें अर्चरूप विवादप्रस्त कागजोंकी जाँच की है ।

१७ मार्च १९४८ को मुझे सूचना मिली कि गान्धी एत्याफाण्डके सम्बन्धमें मुझे कुछ कागजोंकी जाँच करनी है । इसलिए मैं २९ मार्चको बम्बई गया और वहाँ पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री जे. डी. नगरवालसे मिला । बम्बईके पुलिस सब इन्स्पेक्टर श्री एल्दीपुरने मुझे कुछ विवादप्रस्त कागज तथा उन कागजोंके प्रमाण दिये । मुझे बम्बई रहनेके लिए कहा गया । मैंने पुलिसके कार्यालयकी दूसरी मंजिलमें उन कागजोंकी जाँच की । पुलिस फोटो-ग्राफरने इन कागजोंके चित्र लिये थे । हमरण रहे कि कई बार अभिवृत्तियों काफ कागजर अंग्रेजी और मराठीमें भी एल्दीपुरका दोला हुआ विषय लिखनेको कहा गया था और इस विषयमें सबूत-पत्रके अनेक गवाहोंकी गवाहियों भी ले ली गयी थीं । ये सब कागज भी गजरके पास जाँच और तुलनाके लिए भेज दिये गये थे ।

इससे पूर्व मदनलालके वकाल भी बनजीने आवेदनरर भेज दिया था कि सम्बर्धमें शिखरमें रहते हुए उनके मुअज्जिन्ते ५ दर करने नमूनेका पैग

देनेको कहा गया था । उन्होंने यह भी कहा था कि वे हस्तलेख गवाहीमें शामिल नहीं किये जा सकते, अतएव श्री गजर उनका निर्देश करते हुए कोई बयान नहीं दे सकते ।

अपनी गवाही जारी रखते हुए गवाह गज्जरने कहा कि अभियुक्तोंके हस्त-लेखोंके नमूनोंके चारों ओर लाल लकीर खींचकर वे मेरे पास जाँचके लिए भेजे गये थे । २१ जनवरी १९४८ को कानपुर स्टेशनपर एक कमरा रिजर्व करानेकी बात आने जानेवालोंकी किताबमें नथूराम गोडसेने लिखा था, जिसके हस्त-लेखका नमूना मेरे पास भेजा गया था । गवाहने कहा कि वे दोनों हस्तलेख परस्पर मिलते हैं ।

बम्बईके एल्फिंस्टन एनेक्सी होटलके मुलाकाती रजिस्टरमें २४ जनवरी १९४८ को दर्ज किये गये विषयका हवाला देते हुए गवाहने कहा कि वह हस्तलेख भी नथूराम गोडसेके हस्तलेखके नमूनेसे मिलता था ।

गवाहने कहा कि ३ फरवरी १९४८ को बम्बईके एल्फिंस्टन एनेक्सी होटलमें, १८ जनवरी १९४७, २१ अगस्त १९४७, तथा १३ फरवरी १९४८ को अपोलो होटलमें तथा २ फरवरी १९४८ को बम्बईके सी ग्रीन होटलमें आपटे द्वारा रजिस्टरमें दाखिलेकी लिखावटका उस लिखावटसे मुकाबला किया, जो खुफिया पुलिसके कार्यालयमें ली गयी थी । गवाहने कहा कि होटलोंके रजिस्टरमें यह दाखिल अवश्य आपटेका किया हुआ होना चाहिये ।

### २२ अक्टूबर—विचारपतिके पिताकी मृत्यु

न्यायाधीश श्री आत्माचरणके पिता अवसर प्राप्त डिप्टी कलेक्टर श्री राधाचरणकी आगरेमें ७५ वर्षकी अवस्थामें मृत्यु हो गयी । श्री आत्माचरण आगरे चले गये । इसलिए आज मुकदमेकी सुनवाई न हो सकी ।

### २५ अक्टूबर

आज भी हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री गज्जरकी गवाही जारी रही । उन्होंने कहा कि करकरने २ फरवरी १९४८ को सी ग्रीन होटलके यात्री रजिस्टरमें, श्री जी० एम० जोशीने २० जनवरी १९४८ को फ्रण्टियर हिन्दू होटलमें तथा बी० एम० व्यासने शरीफ हिन्दू होटलके रजिस्टरमें १७ जनवरी १९४८ को

जो खानापूरी की थी, उसे ध्यानसे देखा। उसकी-जाँच पढ़ताल करनेके बाद मैंने देखा कि सभी जगह कलमका बड़ी छुकाव, बड़ी मोट तथा बिसा ही लिखना है जैसा कि करकरेकी हस्तलिपिके नमूनेमें है।

शरीफ हिन्दू होटलके रजिस्टरमें १९ जनवरी १९४८ को मदनलालने जो खानापूरी की थी, वह मदनलालकी हस्तलिपिके नमूनेसे विपरीत मित्रता जुलती है। २० जनवरी १९४८ को फ्रण्टियर हिन्दू होटलमें गोपाल गोडसेने खानापूरी की है और अपने हस्ताक्षर करके उसके नीचे साइन खींच दी है। यह लिखावट निश्चय ही गोपाल गोडसेकी हो सकती है, क्योंकि उसने अपने हस्ताक्षर बिना कलम उठाये एक ही साथ किये हैं और गोपाल गोडसेकी हस्तलिपिके नमूनेसे मिलती जुलती है।

इसके बाद गवाहने उस निट्टीकी हस्तलिपिकी शिनाख्त की जो कि करकरेने बडगेको लिखी थी और जिसे पुलिसने बडगेकी परनासे दामद किया था। गवाहने कहा कि इस पत्रकी लिखावट भी करकरेकी हस्तलिपिके नमूनेसे मिलती है।

गवाहने कहा कि ओरियेण्टल गवर्नमेण्ट सिन्डिकेटकी जीवन बीमा कम्पनीकी दो पालिसियोंपर नथूराम गोडसेके ही हस्ताक्षर हैं। ( स्मरण रहे कि नथूराम गोडसेने इन पालिसियोंमें आपटे और गोपाल गोडसेकी पत्नियोंको पारिस बनाया है। ये पालिसियाँ अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार की जा चुकी हैं। ) मेरे विचारसे पालिसियोंपर गवाहके खानेमें आपटेने हस्ताक्षर किये हैं।

गवाहने यह भी बताया कि नथूराम गोडसेकी पत्रकी १४ और १५ जनवरी १९४८ के पत्रोंपर जो कूट लिखा गया है वह नथूराम गोडसेकी ही हस्तलिपिमें है।

हस्तलिपिकी जाँच करनेके लिए मैं हस्तलिपिका फोटो लेता हूँ जो कि मूलसे बड़ा होता है। इसके बाद मैं विवादग्रस्त कागजोंको तथा स्वीकृत किये हुए लेखनको बराबर-बराबर रखकर उसकी ध्यानसे जाँच-पढ़ताल करता हूँ और देखता हूँ कि वह असली हैं या नहीं।

नथूराम गोडसेके वकील श्री ओककी जिरफके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं विवादग्रस्त कागजोंके हिलचिलमें कई नामलोंमें गवाही दे चुका हूँ। हरे

विश्वास है कि ९० प्रति शत मामलोंमें मेरी गवाही स्वीकार की गयी पर इसका यह अर्थ नहीं कि शेष मामलोंमें मेरी गवाही गलत या श्रुती थी ।

और प्रदनोंका उत्तर देते हुए कहा कि गोडसेके लिखनेमें जहाँ भी 'आई' ( I ) वर्णका प्रयोग हुआ है, उसमें टेढ़ापन है । वह सीधा नहीं है । इसमें जरा सा फर्क भी कहीं कहीं आता है, पर यह फर्क हरएकके लिखनेमें थोड़ा बहुत आ जाता है । जब आई ( I ) वर्ण किसी शब्दके बीचमें प्रयुक्त होता है तो छोटा होता है जिसमें कभी भी फर्क नहीं आता ।

जब गवाहको नथूराम गोडसेके विभिन्न हस्ताक्षर दिखाये गये जिनमें थोड़ा थोड़ा फर्क था, तो गवाहने कहा कि ऐसा अन्तर आना तो स्वाभाविक है ।

आपटेके वकील श्री मंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मेरे विचारसे विवादप्रस्त कागजोंकी लिखावटके विषयमें ओस्वर्नने जो पुस्तक लिखी है, वह इस विषयके वेदके समान है ! एक ही व्यक्तिके लिखे हुए-विभिन्न कागजोंकी लिखावटमें थोड़ा फर्क आ ही जाता है । यह अन्तर लेखककी कलमके प्रवाहपर निर्भर है । कलमके प्रवाहसे मेरा अर्थ है, एक व्यक्तिकी लिखनेकी योग्यता तथा लिखनेकी आदत । लिखनेकी योग्यता प्रायः हाथकी शक्तिपर निर्भर करती है । एक आदमी वर्षों तक लिखनेका अभ्यास करता रहे तो भी यह संभव है कि उसकी कलममें प्रवाह न आये ।

### २६ अक्टूबर

आज भी श्री गज्जरसे जिरह जारी रही । गवाहको आपटेके वकील श्री मंगलेने वह पत्र दिया जो नथूराम गोडसेने १३ जनवरी १९४८ को आपटेको लिखा था और कहा कि इसके हस्ताक्षरोंकी परीक्षा करो और बताओ कि क्या यह हस्ताक्षर उस नमूनेसे मिलते हैं जो कि पुलिसने लिये और इस समय अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें सम्मिलित किये जा चुके हैं । इसपर गवाहने कहा कि मुझे पत्र और इसकी तुलनाके लिए नमूनेके हस्ताक्षरोंका एन्लार्ज किया हुआ फोटो चाहिये । इसके बिना मैं अपनी विशेष राय नहीं दे सकता ।

गवाहने कम पावरकी एक खुर्द्वीनसे पत्रको देखकर कहा कि इस पत्रकी लिखावटमें लिखनेका तरीका, अक्षरोंकी बनावट और घुमाव तो वैसे ही हैं जैसे कि गोडसेकी लिखावटके हैं, पर कुछ फर्क अवश्य है ।

करकरके वकील श्री हांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि विदेशोंमें ऐसे स्कूल हैं जहाँ विवादप्रस्त कागजोंके हस्तलेखकी पहचान करनेकी ट्रेनिंग दी जाती है। भारतमें भी बहुतसे विद्योपज्ञ थे। श्री मदनलाल गजर जिनके नीचे रहकर मैंने हस्तलेख पहचाननेकी ट्रेनिंग पायी, १९२७ में स्वर्गवासी हो गये।

गवाहने आगे कहा कि विवादप्रस्त कागजोंपर अपना मत देते समय विद्योपज्ञको देखना चाहिये कि उसके पास तुलना करनेके लिए थोड़ा सा ही नमूना न हो। एक ही व्यक्तिके विभिन्न अवसरोंपर लिखे हुए हस्तलेखोंमें प्रायः थोड़ा बहुत अन्तर आ ही जाता है। अगर कोई फटा हुआ कागज परोक्षार्थे आये तो मैं उसे चिपकाता नहीं हूँ, वरन् उसे सीधेकी प्रेटोंमें दबाकर भन्तता हूँ और उसकी परीक्षा करता हूँ। कुछ लोगोंके पेन्सिलसे लिखे और कलमसे लिखे हस्तलेखमें काफी अन्तर आ जाता है। इस मामलेमें मुझे अभियुक्तोंके पेन्सिलसे लिखे हस्तलेखकी परीक्षा नहीं करनी पड़ी।

अन्य यशनोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि किसी व्यक्तिकी मानसिक और शारीरिक स्थितियोंका उसके हस्तलेखपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी जबरन लिखाये हुए लेख और स्वेच्छासे लिखे लेखमें काफी अन्तर होता है। अपनी विशेष राय देने समय मैं यशोंकी लम्बाई तथा आकार देखता हूँ।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि 'लेखन-कला' से मेरा तात्पर्य लिखनेके ढंगसे है। विवादप्रस्त कागजके किन्हींके ओस्वर्नने जो पुस्तक लिखी है, उसकी सूचीमें लेखनकलाका जिक्र नहीं है।

इसके बाद गवाहको मदनलालके वे हस्ताक्षर दिखाने गये जो कि पुलिसने लिखे थे और पूछा कि क्या ये अवली हस्ताक्षरोंसे मिलते हैं या नहीं। इसपर गवाहने कहा कि बचपि हस्ताक्षरोंका आकार और यही यही लौच करनेसे पर ठीक वही हस्ताक्षर नहीं लगते, पर अवलीकी बनावट और भिन्नवट एक ही ही है। सीधे दूर दूर, तिग्छा तथा सीधा लिखनेकी अवस्थाएँ मदनलालने अपनी लिखावटमें पैदा कर ली थीं।

गोपाल मोटके वकील श्री इनामदारकी जिहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक समय तो सीधा लिखे और दूसरी बार वर उठे पदपर लिखे तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपना लेख छिप रहा है। अन्तः हस्तलेख छिपानेका अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति अपने लिखनेकी कुछ ग्यार

खुफियोंको बदल देता है कि वह उसका लिखना न लगे । यदि कोई व्यक्ति उत्तेजित हो तो उसका हस्तलेख वस्तुतः बदल नहीं जायगा वरन् थोड़ा सा अन्तर आ जायगा । पर यह उसकी लेखनकलापर निर्भर है ।

इसपर गोपाल गोडसेका हस्तलेख गवाहको दिखाया गया तो गवाहने कहा कि इसमें जरा सा अन्तर है ।

### २७ अक्टूबर

हस्तलेख विशेषज्ञ श्री टी० जे० गजरासे आज भी जिरह जारी रही । उन्होंने गोपाल गोडसेके वकील श्री इनामदारके एक प्रश्नके उत्तरमें कहा कि मैंने विवादप्रस्त कागजोंके हस्तलेखका मिलान अभियुक्तोंके उस हस्तलेखके नमूनोंसे किया जो पुलिसने लिये थे । मिलान करनेके बाद मैंने अपना निर्णय दिया । बडगेकी हस्तलिपिका नमूना देवनागरी लिपिमें पुलिसने लिया था । विवादप्रस्त कागज तथा स्वीकृत कागजोंकी लिखावटमें जो अन्तर मालूम देता था उसे नोट कर लेता था, पर उनमें थोड़ा अन्तर था ।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जो पत्र नथूराम गोडसे द्वारा सावरकरको लिखा गया बताते हैं, उसका एन्लार्ज फोटो नहीं लिया गया था, इसलिए मैं उसपर अपना मत व्यक्त नहीं कर सका । दुबारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि मेरे कार्यमें इस बातसे कोई बाधा नहीं पड़ी कि लिये गये पत्रोंमें कुछ पत्र फटे थे और बादमें वे चित्रकाये गये थे । यदि कोई विवादप्रस्त कागज पेंसिलसे लिखा गया हो और उसके लेखकके हस्तलेखका नमूना स्याहीसे लिया गया हो तो भी मैं उसके सम्बन्धमें अपना निर्णय कर सकता हूँ । हस्ताक्षरकी परीक्षा करनेमें मुझे एक घण्टा लगता है ।

### खुफिया इन्स्पेक्टर पिण्डोकी गवाही

श्री गजराकी गवाहीके बाद बम्बईकी सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर श्री चार्ल्स एन्थनी पिण्डोने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं बम्बईकी सी० आई० डी० की स्पेशल ब्राँचसे २९ जनवरी १९४८ से सम्बन्धित हूँ । इससे पहले मैं खुफिया पुलिसकी बम ब्राँचमें था । बम ब्राँचके सारे कर्मचारी २८ जनवरी १९४८ को श्री नगरवालाके मातहत नियुक्त कर दिये गये थे । यह

२० जनवरी १९४८ को बिड़ला-मचनमें हुए बम-बिस्फोट तथा महात्मा गान्धीकी हत्याके सन्देहात्मक पडयन्त्रके कारण किया गया था।

मुझे सबसे पहले यह काम सौंपा गया था कि मैं बरसे और करकरेका पता लगाऊँ। महात्मा गान्धीकी हत्याके पश्चात् ३० जनवरीकी रात और उससे अगले दिन बहुतसे स्थानोंकी तलाशियाँ ली गयीं। १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। पकड़े गये व्यक्ति सबसे पहले सी० आई० टी० के नये दरजरमें ले जाये गये और उनसे काफी पूछताछ की गयी। इसके बाद वे वरसी जेलमें नजरबन्दीके लिए भेज दिये गये। उसके सिवा अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये जिनके बारेमें यह सन्देह था कि इन लोगोंका भी इस पडयन्त्रमें हाथ है।

उसके आगे गवाहने कहा कि जब कमी भी उन्हें घिनाखत परेडके लिए जेलसे बाहर ले जाता तो बन्द गाड़ीमें उन्हें बैठाता। मेरे साथ एक आन्तरी मजिस्ट्रेट भी होता। गोपाल गोडसेको मैंने ५ फरवरीको गिरफ्तार किया था। उस समय गोपाल गोडसेके पास खाकी कन्वेषका शोला था। शोलेकी तलाशी लेनेपर उसमेंसे कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। मैंने उसके परकी तलाशी नहीं ली थी। बादमें वह बर्बर ले जाया गया था।

पार्क अपोलो होटलमें १४ फरवरी १९४८ की रातको जब आरटे और करकरेकी तथा उनके कमरोंकी तलाशी ली गयी थी तो मैं वहाँ मौजूद था। मैं २५ जनवरीको आरटे तथा करकरेको लेकर दिल्ली आया था। जहाँ भी ये लोग गये मैं इनके साथ था। २६ फरवरीको मैं इनके साथ हरदू-महासभा भवनके पीछे गया था। अगले दिन आरटेको हवाई जहाजसे ब्यान्टिवर ले गया और २७ फरवरीको प्रातः दिल्ली लेकर लौट आया था।

उसी दिन तीसरे पहर मैंने आरटे और करकरेको जिला जेलके अभिधा-रियोंको सौंप दिया जहाँ इनकी घिनाखत होनी थी। रातको ७।३० बजे ये तुलना रोड थानेमें वापस भेज दिये गये। २९ फरवरीको प्रातः मैं दिल्लीके फार्म क्लब मजिस्ट्रेट श्री कियानचन्द्रके साथ अभियुक्तोंको दिल्ली और नयी दिल्लीके कई स्थानोंपर ले गया। यह उनके स्थानोंके फलस्वरूप किया गया। इनके छिपानेकी पूरी सावधानी करती गयी थी।

५ अप्रैल १९४८ को मैं श्री नगरपाला तथा अभियुक्त नमूराम गोडसेके साथ दिल्ली आया। ८ या ९ अप्रैलको मैं नमूराम गोडसेकी पारस बरसे के



गया । मैं दिल्लीकी पुलिससे एक सफेद कोट और जेबी डायरी भी ले गया था ।

बम्बई के पुलिस कमिश्नरने बम्बई नगर पुलिस कानूनके मातहत एक आशा जारी करके तलवार, भाले लाठी आदि पर पाबन्दी लगा दी थी । यह पाबन्दी १ अगस्त १९४६ से लागू हुई थी और अब भी लागू है । सभी अभियुक्तों तथा कुछ गवाहों का बयान लेनेमें मैंने श्री नगरवालकी सहायता की थी ।

### २८ अक्टूबर

आज सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर श्री पिण्डोने अपनी गवाही आगे देते हुए कहा कि ५ अप्रैल १९४८ को जब मैं गोडसेको लेकर दिल्ली आया था तो आपटे और करकरे उसके साथ न थे ।

नथूराम गोडसेके वकील श्री वी० वी० ओकके जिरह करने पर गवाहने बताया कि गोडसेसे प्राप्त की गयी डायरीकी मैंने रसीद दी थी । मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर नहीं किये थे । गोडसेने जो बयान दिया था उसके अनुसार ७ अप्रैलको मैं दिल्लीके कई स्थानोंपर गोडसेको लेकर गया था ।

आपटेके वकील श्री मंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि ईश्वरदास बल्लभदास रेस्तारों आम जनतके लिए खुला रहता है या नहीं । यह केवल यात्रियों तथा रेल कर्मचारियोंके लिए खुला रहता है ।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहकी उत्तरमें गवाहने बताया कि इस मुकदमेकी जाँच-पड़तालमें मैंने श्री नगरवाल को सहायता दी थी । मुझे यह पता नहीं कि करकरेके नामका पता पुलिसको कब लगा । इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं अहमदनगर नहीं गया । मैं वहाँ ओमप्रकाश नामक एक व्यक्तिके सम्बन्धमें पूछताछ करने एक बार गया था । वहाँ मैंने करकरेके द्वारेमें कोई पूछताछ नहीं की थी । १२ अप्रैलको मैंने छावनीके यानेमें श्री भोपटकरसे जिरह की-थी ।

इसके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि विले पारलेके महात्मा गान्धी रोडपर रहनेवाले परांजपे नामक एक व्यक्तिको न तो मैंने देखा न उससे प्रश्न किये ।

गोशाल गोडसे तथा परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें

गवाहने कहा कि मैं केवल एक बार औद्योगिक गया था जब कि मैंने गोपाल गोडसेको गिरफ्तार किया था। खड़की शस्त्रागारमें मैंने गोपाल गोडसेके बारेमें पूछताछ की थी। मैंने गोपाल गोडसेके पिता या मातासे पूछताछ नहीं की थी वरन् उसके भाई दत्तात्रेय गोडसेसे अवश्य जाँच-पड़ताल की थी। जब मैंने गिरफ्तारीके बाद गोपाल गोडसेकी तलाशी ली तो किसी पत्रको नहीं झुलाना था। मैंने उसकी तलाशी केवल अपनेको इस सम्बन्धमें सन्तुष्ट करनेके लिए की थी कि कहीं उसके पास कोई अस्त्रशस्त्र न हो। गोपाल गोडसेसे जो वस्तुएँ मिली थीं उन्हें हवालातके रजिस्टरमें दर्ज कर दिया गया था तथा जब वे चीलें श्री नगरवालकी आज्ञासे लौटायीं गयीं तब भी उन्हें हवालातके रजिस्टरमें दर्ज किया था।

दुबारा प्रश्न किये जानेपर गवाहने हवालातका रजिस्टर पेश किया जिसमें गोपाल गोडसेसे प्राप्त वस्तुएँ दर्ज की गयी थीं। गवाहने कहा कि मैं २२ जून १९४८ को अहमदनगर गया था।

### पुलिस फोटोग्राफरकी गवाही

इसके बाद पुलिस फोटोग्राफर श्री राजेने गवाही देते हुए कहा कि मैंने २९ मार्च १९४८ को कुछ दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रोंकी खानापूर्तिका फोटो खींचा था जिसे हस्तलेख विशेषज्ञ श्री गज्जरने खिंचवाया था। प्रत्येक फोटोकी मैंने एन्लार्ज की हुई ६ ६ प्रतियाँ बनायी थीं। मैंने श्री हल्दीपुरके छात्र विद्या-भवन जाकर भी कुछ फोटो खींचे थे।

आगटेके वकील श्री मैंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यह फोटो ( प्रामाणिक सामग्रीमेंसे जो अदालतमें प्रदर्शनाय रखी हुई है, गोडसेका फोटो उसे दिखाया गया। ) सड़कर बैठकर फोटो खींचनेवालेसे खिंचवाया गया है। [ यह फोटो दो या तीन वर्ष पहले खींचा गया होगा। ]

श्री मैंगलेके दुबारा जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैं इसलिए यह कहता हूँ कि यह फोटो २-३ वर्ष पहले खींचा गया क्योंकि फोटोके खानापुर चलाय-निक्र प्रक्रिया हो चुकी है, मैंने सड़कर बैठकर कभी फोटो खींचनेका काम नहीं किया। पर कुछ समय पहले देखा पटिया खान किया अथवा है।

करकरके वकील श्री ठानीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि मैंने

मुख्य व्यूटो फोटो लेना और उनको बड़े आकारका फोटो बनाना था। सड़कपर चैठकर फोटो खींचनेवाले फोटो खींचनेके कागजपर ही नेगेटिव फोटो लेते हैं, शीशेपर नहीं। यदि उन फोटोको रासायनिक पदार्थोंमें डालकर काफी समय तक रखा जाय तो शीघ्र ही ये फोटो खराब हो जायेंगे।

जन द्वारा पूछे गये प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं गत २० वर्षोंसे फोटो खींचनेका काम करता हूँ।

### १३६ वें गवाह—भवन-निर्माणकारकी गवाही

इसके बाद कनाट सर्कस नयी दिल्लीके एक भवन-निर्माणकार श्री गुलाब-चन्द्रने अपनी गवाही देते हुए कहा कि मैं श्री घनश्यामदास विड़लाको जानता हूँ। मैं उनके यहाँ भवन-निर्माणकारके रूपमें मार्च १९४७ से काम कर रहा हूँ। मेरे निरीक्षणमें विड़ला-भवनमें कई परिवर्तन तथा सुधार किये गये हैं। मैंने विड़ला-भवनके नौकरोंके क्वार्टरोंको कई बार देखा है। मैं आज भी वहाँ गया था। मार्च १९४७ से नौकरोंके क्वार्टरोंके पीछेकी ओर जो दीवार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

करकरके वकील श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने पीछेकी ओरकी जालीका कोई फोटो नहीं देखा था। मैं जानता हूँ कि विड़ला-भवनके बाहर गारद पड़ा रहता था और महात्मा गान्धीकी हत्याके बाद जनसाधारण-को अन्दर जानेकी आज्ञा नहीं है। मैंने बरामदे और जालीका नज़रशा बनाया था। मैं आज सुबह विड़ला मिलके एक अफसरकी प्रार्थनापर विड़ला-भवन गया था क्योंकि वहाँ कुछ खिडकियोंकी मरम्मत होनी है। कल ही मुझे यह ज्ञात हुआ था कि मुझे आज महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदसेमें गवाही देनी है।

### टिकट वलर्ककी गवाही

इसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशनके चीफ बुकिंग क्लर्क श्री चक्रधरने अपनी गवाही देते हुए कहा कि मुझे यह काम सींपा गया था कि मैं अन्य बुकिंग क्लर्कोंकी व्यूटियाँ लगाऊँ। किस क्लर्कको कबसे कबतक व्यूटीपर आना है, इसका मैं निश्चय करके एक रजिस्टरपर एक या दो दिन पहले लिख देता था ताकि क्लर्कोंको आनेमें सुविधा हो। रजिस्टरमें हुई खानापूरीके अनुसार २९ और ३० जनवरीको सुन्दरलाल बुकिंग क्लर्ककी व्यूटी प्रातः ८ बजेसे शामके ४ बजे तक थी।

इसके बाद गवाहने वह रजिस्टर अदालतमें पेश किया जिसमें छकोंकी खूटियाँ लिखी जाती थीं।

आपटेके वकील श्री मंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि एक किताब ऐसी रहती है जिसमें सभी कर्मचारियोंके पते लिखे होते हैं।

इसके बाद सफाईके किसी वकीलने गवाहसे निरह नहीं की और अदालत उठ गयी।

### २९ अप्रत्यूबर—१३८ वाँ गवाह

आज दिल्लीके रेलवे कार्टरोंमें रहनेवाले श्री भोजारामने अपनी गवाही देते हुए कहा कि मैं गत २७ वर्षोंसे रेलवेमें काम कर रहा हूँ और एक साल पहले दिल्लीमें तैनात हुआ हूँ। इस समय मैं सीनियर प्लेटफार्म इन्स्पेक्टर हूँ। विश्राम-गृहोंका निरीक्षण करनेका भी मेरा काम है। जनवरी-फरवरी १९४८ में श्री मोहनलाल सीनियर इन्स्पेक्टर था। पर अब वह श्रीरोजपुरमें है।

जनवरी-फरवरीमें स्टेशनके विश्राम-गृहोंमें हरिकृष्ण नामक व्यक्ति परिचायक था और अब भी है। इसके अतिरिक्त दो परिचायक और हैं। ( इन परिचायकोंके सिलसिलेमें गवाहने २८, २९ और ३० जनवरीका राजिरी रजिस्टर पेश किया जो प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार कर लिया गया। )

आपटेके वकील श्री मंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि आवश्यक कर्मचारियोंको रहनेके लिए मकान दिये जाते हैं। १९४४ में मैं लाहौरमें था और विभाजनके बाद मैं भारत चला आया। हरिकृष्ण भी रेलवे कार्टरोंमें रहता था। मैं दिल्ली स्टेशनके बुकिंग क्लर्क श्री सुन्दरलालको नहीं जानता।

करकरके वकील श्री टांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जिन कर्मचारियोंको रेलवे क्वार्टर दिया जाता है, उनकी सूची आदि स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्टके दफ्तरमें एक रजिस्टरमें है। लाहौरमें मैं ब्रेग्ग रोडपर "आस्ट्रेलिया हाऊस" में रहता था।

मैं लाहौरमें मार्च १९४७ के प्रथम सप्ताहक था। २ मार्च १९४७ को लाहौरमें मास्टर तारासिंहके नेतृत्वमें जो सुबह निकला था, उसे मैंने नहीं देखा। इस अरहेमें मैंने कई मकानोंमें आग लगते देखी थीं। अब मुझे बहुतसे हिन्दू शरणार्थी लाहौर स्टेशनपर आते थे। वहाँ हिन्दू और मुसलमानोंके

लिए दो शरणार्थी शिविर खोले गये थे । मैं यह नहीं कर सकता कि हिन्दू शिविरकी देखभाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महासभाके स्वयंसेवक करते थे या नहीं । मुझे यह ज्ञात है कि मुस्लिम शिविरकी निगरानी मुस्लिम नेशनल गार्ड करते थे ।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने अपनी आँखोंसे स्टेशनपर मुसलमानोंको हिन्दुओंपर आक्रमण करते देखा । मैं १५ अगस्त १९४७ को रेलसे लाहौरसे दिल्ली आया था । वार्टर देनेके सम्बन्धमें दो सूचियाँ बनायी जाती हैं । कोई मकान खाली होनेपर यह देखा जाता है कि आवश्यक कर्मचारीको तो जरूरत नहीं है । यदि वह नहीं होता तो ऐसे कर्मचारीको दिया जाता है जो कि आवश्यकताके समय छ्यूटीके अलावा बुलाया जा सकता है ।

श्री मेंगलेके द्वारा जिरह करनेपर गवाहने कहा कि ई० पी० रेलवेके मैंनेजरने आवश्यकताके समय छ्यूटी न होनेपर बुलाये जानेवाले ( आवश्यक ) कर्मचारी तथा छ्यूटी होनेपर बुलाये जा सकनेवाले कर्मचारियोंकी परिभाषा की है ।

### ग्वालियरके मेजरकी गवाही

इसके बाद ग्वालियरके ७८ वर्षीय मेजर दादाभाई माणकजीने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं १८९५ में ग्वालियर गया और उसी साल ग्वालियरकी सेनामें भरती हुआ था । जब मैं कृषि विभागका डिप्टी डायरेक्टर था तो १९२३ में रिटायर हुआ था । मैं स्वर्गीय ग्वालियर नरेशके निजी कर्मचारियोंमें भी था । रिटायर होनेके बादसे मैं ग्वालियरमें हूँ । मैं रेस कोर्द तथा पशु-विभागका भी अध्यक्ष था ।

गवाहने कहा कि मैं सदाशिव गोपाल गोडसेको भली भाँति जानता हूँ । मैं उन्हें 'मास्टर साहब' कहा करता था । वे मुझे प्रथम बार उजैन स्टेशनपर १८९५ में मिले थे । वे उस समय उजैन के महादेव कालेजमें या तो लेक्चरर थे या प्रोफेसर ।

१९०६ के बादमें राजभासाद में नित्य तीन-चार घण्टेतक स्वर्गीय ग्वालियर नरेशके साथ बैठकर बातचीत किया करता था और हमारा यह सम्बन्ध उनकी

मृत्यु १९२३ में होने तक बना रहा। कुछ अक्षर महाराजसे आज्ञा प्राप्त करने महलमें आया करते थे।

श्री एस० जी० परचुरेके ५ पुत्र तथा १ पुत्री थीं। मैं परचुरेके पृता-स्थित मकानपर भी गया था। श्री परचुरे लँगड़े थे। वे पूनाके ब्राह्मणोंकी भाँति ही बख्श पढ़ना करते थे।

मुझे यह याद है कि कई पदोंपर काम करनेके बाद श्री एस० जी० परचुरे अन्तमें शिक्षा-विभागके डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल नियुक्त हो गये थे। मैं उनके उनकी मृत्युके दिन भी मिला था। बातचीतके विलम्बमें मुझे यह पता चला था कि परचुरे मुझसे ८-९ वर्ष बड़े थे।

अभियुक्त परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरदकी उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि श्री परचुरे किस तारीखको मरे थे। मुझे यह तो पता नहीं कि स्वालियरमें श्री परचुरेका कोई मकान या जमीन है या नहीं, पर यह अवश्य मालूम है कि उन्होंने स्वर्गीय महाराजसे एक मकान खरीदनेके लिए ऋण अवश्य माँगा था।

मैं श्री परचुरेके घर केवल दो बार गया था। मैंने परचुरे (अभियुक्त) को न तो देखा और न बातचीत की। मुझे स्वालियरके एक पुन्डित अक्षर श्री एस. आर. मांडलिक स्वालियरसे दिल्ली लाये थे।

### १४० वाँ गवाह

इसके बाद भूमि रेकार्ड कमिश्नर, पूनाके दफ्तरके हेड क्लर्क श्री एन. सी. जरिन्दकरने अपने दफ्तरके दो कागज अदालतमें पेश किये जिनमें पता चलता था कि गुदागर (स्वागिरि जिला) तथा पूनामें परचुरेके परिवारकी विभिन्न जमीन आदि है।

### 'जयाजी प्रताप' के सन्पादककी गवाही

स्वालियरके पत्र 'जयाजी प्रताप' के सम्पादक श्री रामदासमें अपनी गवाही देते हुए कहा कि मेरा पत्र पहले स्वालियर सरकार चलाती थी और बाद मध्यभारत सरकार चलाती है।

गवाहने, जो इस समय सूचना-विभागका चाफेक्टर है, अक्षरोंमें

‘जयाजी प्रताप’ की एक फाइल पेश की जो अप्रैलसे जुलाई १९२३ तककी थी। इसमें ३ मई १९२३ का संस्करण दिखाया गया।

परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि अन्य लोगोंसे भी पत्रके लिए दिया जानेवाला दान स्वीकार किया जाता था।

आज बताया गया कि सचूत पक्षकी गवाहियाँ समाप्त हो गयीं। ये चार महीने ली जाती रहीं। इतने दिनोंसे १४३ गवाहोंने बयान दिये और लगभग ५०० वस्तुएँ प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार की गयीं।

### ३ नवम्बर

आज अदालत फिर बैठी, पर अभियुक्त परचुरेके अधिवासके सम्बन्धमें सचूत-पक्षको कुछ और गवाहियाँ जुटानेकी सुविधा देनेके उद्देश्यसे इजलास स्थगित कर दिया गया।

### ५ नवम्बर—चार और गवाहियाँ

आज सचूत-पक्षकी ओरसे और गवाहियाँ पेश हुईं। बम्बई विश्वविद्यालयके प्रधान क्लर्क श्री विनायक रघुनाथ दरशेटकरका बयान हुआ। गवाहने बम्बई विश्वविद्यालयके १८८०-८१, १८८४-८५ तथा १८८५-८६ वर्षके कलेण्डर पेश किये। उन्होंने १८७६-७७ की मैट्रिक परीक्षा तथा १८८१-८२ और १८९१-९२ की बी. ए. परीक्षाओंके परिणामोंकी सूचियाँ भी पेश कीं।

गवाहने बम्बई विश्वविद्यालयके उस प्रमाण-पत्रपर लगी मुहरकी शिनाख्त कर दी जो १८८६ में एच. जी. परचुरेको ( अभियुक्त परचुरेके पिता ) प्रदान किया गया था।

बचाव-पक्षकी ओरसे गवाहसे कोई जिरह नहीं की गयी।

इसके बाद ग्वालियरके रेकार्ड-विभागके सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री राघवनका बयान लिया गया। इस गवाहने ग्वालियर राज्यकी फौजी सूची तथा नागरिक सूची पेश की जिसमें अभियुक्त परचुरेके पिता श्री एच. जी. परचुरेके सम्बन्धमें लिखा-पढ़ी थी। श्री एच. जी. परचुरेके हस्ताक्षर भी दिखाये गये। ये सब कागज-पत्र प्रामाणिक वस्तुओंमें रख लिये गये।

इस गवाहसे भी बचाव-पक्षने कोई जिरह नहीं की।

तीसरा गवाह ग्वालियर राज्यके लखर थानेका थानेदार भी केशव था ।

इस गवाहने बताया कि मैंने अपने सुपरिण्टेंडेंट श्री भोरात पाटिलके आदेशानुसार २९ तथा ३० अक्टूबरको (डा०) परचुरेके घरकी तलाशी ली । वहाँ से श्री एम. जी. परचुरेकी जन्मपत्री, एक फोटो तथा लगान सम्बन्धी ६ रसीदें बरामद हुईं । मैं परचुरेके घरपर २ नवम्बरको फिर गया था ।

गवाह श्री केशवने आगे बताया कि मैं एक मुहरबन्द बक्ल दिल्ली ले आया था जो वहाँ पञ्चों और श्री नगरवालाके सामने खोला गया था । इस बक्लके कुछ कागज-पत्र निकाले गये थे और उनका एक पञ्चनामा लिख लिया गया था ।

उनमेंसे कुछ कागज भी प्रमाणके रूपमें अदालतमें पेश किये गये ।

करकरेके वकील श्री टांगेने गवाह श्री केशवसे जिरह की ।

गवाहने बताया कि मुझे यह मालूम नहीं कि बक्ल कैसे दिल्ली लाया गया ।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि इस बारेमें मुझे तनिक भी मालूम नहीं कि जनवरी १९४८ में लखरमें हिन्दू-महासभा दल द्वारा कोई आन्दोलन छेड़ा गया था या नहीं । कांग्रेस दलने २४ जनवरी १९४८ को ग्वालियरमें शासनाधिकार प्राप्त किया । २४ जनवरीको या इसके आस-पास हिन्दू-महासभा दलने कोई सभा उसके विरोधमें की या नहीं, इसके बारेमें भी मुझे कुछ स्मरण नहीं ।

गवाह श्री केशवने फिर कहा कि ३ फरवरी १९४८ को जब परचुरेके घरकी तलाशी ली गयी तो मैं वहाँ उपस्थित था । यह तलाशी महात्मा गांधीकी हत्याके सम्बन्धमें ली गयी थी ।

ग्वालियरके एक अधिवासी श्री स्वाम बहादुरने अपनी गवाहीमें कहा कि २९ तथा ३० अक्टूबरको और २ तथा ३ नवम्बरको जब परचुरेके घरकी तलाशियाँ ली गयीं तो मैं पञ्चकी हैजिपतमें वहाँ उपस्थित था । वहाँसे कुछ कागज भी बरामद हुए थे । मैंने पञ्चनामपर हस्ताक्षर भी किये थे ।

#### ६ नवम्बर

ग्वालियरके श्री स्वामबहादुरका बयान आज भी जारी था । गवाहने कहा



कि जो वक्ता ग्वालियरसे दिल्ली लाया गया था उसके खोले जानेकेसमय मैं उपस्थित था। उसमेंसे कुछ कागज निकाले गये थे और उसके सम्बन्धमें जो रसीद लिखी गयी थी उसपर मैंने हस्ताक्षर किये थे।

परचुरेके वकील श्री हनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि मैं १९४० से लश्करमें निवास कर रहा हूँ। मैं परचुरेको १९३४ से डाकदारी करते देखता आया हूँ। इससे पहले परचुरे सरकारी नौकरी करता था।

एक अन्य गवाह आदित्यरामने बयान देते हुए कहा कि ज्योतिष मेरा परम्परागत व्यवसाय है। मैं पिछले ८ वर्षोंसे दिल्लीमें हूँ और १९२४ से यह पेशा कर रहा हूँ।

प्रामाणिक वस्तुओंमें रखी हुई कुछ किताबें इस गवाह ज्योतिषीको दिखायी गयीं। उसने कहा कि इन किताबोंमें जो जन्मकुण्डलियाँ बनी हुई हैं उनका सम्बन्ध केवल एस. जी. परचुरेसे ही है।

गवाहने कहा कि इस जन्मपत्रकी रचना तथा ग्रह-गणना जिस प्रकारसे की गयी है वह 'अष्टोत्तरी' सिद्धान्तोंसे मेल खाती है। अष्टोत्तरीका प्रयोग विन्ध्याचलके दक्षिण-स्थलवासी ही किया करते हैं। जहाँतक उल्लेख मिलता है उसके अनुसार श्री एस. जी. परचुरेका जन्म 'पुण्य पट्टन' अर्थात् वर्तमान पूनामें होना चाहिये।

करकरेके वकील श्री डांगेको गवाहने बताया कि मैं ज्योतिषीका पेशा करता हूँ, लेकिन इन आलोच्य जन्मपत्रियोंके निरीक्षणका कोई शुल्क अभीतक मुझे नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि मैं २ नवम्बरको निरीक्षणके लिए स्विस होटल गया था। दो जन्मपत्रियाँ मुझे दूसरे दिन दिखायी गयीं।

गवाहने फिर बताया कि यदि दो व्यक्ति एक ही समय एक ही स्थानमें पैदा हों तो उनकी जन्मपत्रियाँ समान होंगी।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहका उत्तर देते हुए गवाह आदित्यराम ज्योतिषीने कहा कि जन्मपत्रिका तैयार करनेके जो दो तरीके होते हैं, मैंने वे दोनों प्रयुक्त किये थे। मुझे ज्ञात है कि महाराष्ट्रमें दो प्रकारके पञ्चांग होते हैं। पेशेवर ज्योतिषी होनेके कारण मैं एक रजिस्टर रखता हूँ जिसमें मेरे प्रमुख यजमानोंके नाम दर्ज हैं।

इसके बाद मेजर दादाभाई मणिकजीकी फिर दुबारा गवाही ली गयी।

सचूत-पक्षकी ओरसे इस गवाहकी गवाही गत सत्ताह हो चुकी थी । अदालतकी स्वीकृतिसे सचूत पक्षने इस गवाहको फिर गवाही देनेके लिए बुलाया था ।

गवाहको एक सानूदिक फोटो दिखाया गया ( जो अभियुक्त परचुरेके मकानमें बरामद किया गया था । ) गवाहने इस फोटोमें श्री एम. जी. परचुरेको पहचाना और न्यायाधीशको दिखाया । प्रामाणिक वस्तुओंमें से कुछ कुछ कागज गवाहको दिखाये गये जो कि एम. जी. परचुरेके हाथके लिखे हुए थे । गवाहने भी इस लिखावटको पहचाना ।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि इस समय अदालतमें जो कागज मुझे दिखाये गये हैं, वे अपने पहले मैंने कभी नहीं देखे थे । मुझे याद है कि मैंने एम. जी. परचुरेका हातलेख स्वयं काद १९२२ में देखा था ।

इसके बाद लश्कर ( ग्वालियर ) के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंहने अपना बयान देते हुए बताया कि ३० अक्टूबर और ३ नवम्बरको डा० परचुरेके घरकी तलाशी लेनेपर कुछ कागज और फोटो बरामद हुए थे । गवाहने डा० परचुरेके मकानसे प्राप्त हुआ ताया लगा बग्स दिहाई लाने जानेके बारेमें भी अगनी जानकारी बतायी ।

श्री इनामदार द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि मैंने हाथलेखमें कहा था कि वह बक्स खोलने दिहाई जाय, पर वे नहीं आये ।

इस समय सचूत-पक्षके वकीलने यह इच्छा प्रकट की कि जब मसौदा स्वयं विड़ला-भवन, तुंगलक रोड थाने और दिहाईके हिन्दूमहासभा-भवन जाकर देख आये । जजने कहा कि मैं इन स्थानोंको देखनेके लिए अगली सत्ताह जाऊँगा ।

आज सचूत-पक्षके बयान समाप्त हो गये ।

## सचूत-पक्षके गवाहोंकी सूची

१	ईश्वरदत्त—खुफिया पुलिस, ग्वालियर	२४ जून
२	रामलालदत्त—मैनेजर, शरीफ हिन्दू होटल, दिल्ली	"
३	शांतिप्रकाश—साक्षीदार	२५ जून
४	रामसिंह—नौकर	"
५	शांताराम अमचेकर—करकरके साथ होटलमें ठहरा शरणार्थी	"
६	हीरानन्दानी—ट्रांसफर ब्यूरोका क्लर्क	"
७	रामचन्द्र—दिल्लीके मेरीना होटलका क्लर्क	"
८	नारायणसिंह—	बड़ा वेपरा.
९	मेहसिंह—जंगल विभागका सिपाही	२९ जून
१०	कालेराम—मेरीना होटलका वेपरा	"
११	गोविन्दराम—	"
१२	पचेको—मेरीना होटलका मैनेजर	"
१३	मार्टिन थेटियस—	क्लर्क
१४	सुखजीतसिंह—टैक्सि ड्राइवर	३० जून
१५	सुलोचना देवी—दिल्ली	१ जुलाई
१६	छोटाराम—विडला भवनका एक नौकर	"
१७	भूरसिंह—	चौकीदार
१८	के. एम. साहनी—शरणार्थी अफसर, करनाल	२ जुलाई
१९	रामप्रकाश—मैनेजर, फ्रण्टियर हिन्दू होटल, दिल्ली	५ जुलाई
२०	चमनलाल ग्रोवर—पंच दिल्ली	६ जुलाई
२१	एस. सी. राय—विस्फोटक इन्स्पेक्टर, आगरा	"
२२	कुँवरसिंह—पुलिस फोटोग्राफर	७ जून
२३	पी. आर. कैलास—टेलीफोन अफसर, दिल्ली	"
२४	लाला बदरीनाथ—टिकट-बाबू, दिल्ली	"
२५	एन. एन. कपूर—नक्शानवीस	"

२६	मुन्दरलाल—बुकिंग क्लर्क, दिल्ली स्टेशन	८ जुलाई
२७	हरिकिशन—वेपरा, दिल्ली स्टेशन	"
२८	जन्—मोची, दिल्ली स्टेशन	"
२९	देवकीनन्दन—हेड कान्स्टेबुल	"
३०	पञ्चाइट साजेंण्ट रामचन्द्र	९ जुलाई
३१	अमरनाथ—सव-इन्स्पेक्टर पुलिस	"
३२	नन्दलाल मेहता—गान्धीजीके साथी	"
३३	काबुलसिंह—हेड कान्स्टेबुल	"
३४	रतनसिंह—शिपाही	"
३५	धाळराम—सहायक सव-इन्स्पेक्टर	"
३६	परशराम—	"
३७	घरमसिंह—हेड कान्स्टेबुल	"
३८	पी. एन. तनेजा—सिविल सज्जन, नयी दिल्ली	१२ जुलाई
३९	जगदीशप्रसाद गोयल—ग्वालियर	"
४०	सरदारीलाल वर्मा—सुपरवाइजर टेलिकोन, दिल्ली	"
४१	कुमारी बलवन्त कौर—आपरेटर	"
४२	कुमारी जी० फर्नेस—आपरेटर	"
४३	गरीबा—तोंगावाला, ग्वालियर	१३ जुलाई
४४	जुगमा—	"
४५	शिवप्यारेलाल दीक्षित—इनक्वायरी क्लर्क, कानपुर स्टेशन	"
४६	ए. वी. सक्सेना—क्लर्क	"
४७	एजेलिना कोलेस्टन—मेट्रन,	"
४८	रघुपतिराव हाँटा—गाइड, दिल्ली रेलवे स्टेशन	"
४९	सैयद मंजरअली रिजवी—मजिस्ट्रेट, ग्वालियर	१४ जुलाई
५०	मधुकर केशव काले—ग्वालियर	"
५१	मधुकर बालकृष्ण गिरे—	१५ जुलाई
५२	रामदयालसिंह—	"
५३	जगन्नाथसिंह—	"
५४	गूंगनसिंह—लखरदार, दिल्ली	१६ जुलाई

५५	बिहारीलाल—थानेदार, ,,	१६ जुलाई
५६	आर. वी. अटल—फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ग्वालियर	१९ जुलाई
५७	मुखधिर दिगम्बर बडो— २०, २१, २२, २३, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ जुलाई	
५८	डाक्टर डी. एन. गोयल—वैज्ञानिक डाइरेक्टर, पंजाब	२ अगस्त
५९	सत्यवान भिलाजी राळे—मैनेजर, सी प्रीन होटल, बम्बई	,,
६०	कुमारी शान्ता भास्कर मोडक—फिल्म अभिनेत्री, पूना	३ अगस्त
६१	कादमीरीलाल—एल्फिन्स्टन होटल, बम्बई	,,
६२	नरसिंह भागाजी—बम्बई लाण्ट्री, पूना	,,
६३	गयाप्रसाद दूवे—आर्यभयिकाश्रम, बम्बई	,,
६४	गोविन्द विश्वनाथ मलेकर—नौकर, एल्फिन्स्टन होटल, बम्बई	,,
६५	कैण्टिडो पिण्टो—क्लर्क, अगोलो होटल, बम्बई	४ अगस्त
६६	माइकेल पैट्रिक केरी—पञ्च, बम्बई	,,
६७	प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैन—रामनारायण चहया कालेज ४-५-९	अगस्त
६८	जान फ्रेट्स—पञ्च, बम्बई	९ अगस्त
६९	गोस्वामी श्रीकृष्णजी महाराज—बम्बई	९-१० अगस्त
७०	श्रीधर नारायण वैद्य—श्रीमा कम्पनी, बम्बई	१० अगस्त
७१	कुमारी लोर्ना घेनत्रिज—विमान परिचारिका	१३ अगस्त
७२	अंगदसिंह—दलाल, बम्बई	१३-१६ अगस्त
७३	गणपत भीमराव अफजुलपुरकर—पेंशनर, बम्बई	१६ अगस्त
७४	चरणदास भेषजी मथुगदास—बम्बई	१६-२० अगस्त
७५	लेस्ली पर्सिवल पॉडे—खड़की	,,
७६	शुनाथ नाइक—माली, विड़ला-भवत, दिल्ली	,,
७७	गोस्वामी दीक्षित महाराज—बम्बई	२०-२१-२३ अगस्त
७८	मुरारजी देसाई—गृहमन्त्री, बम्बई	२३-२४-२५ अगस्त
७९	वसन्त गजानन जोशी—ठाणा, बम्बई	२५ अगस्त
८०	प्रेतप्पा कृष्णा कोटियन—टैक्सी ड्राइवर, बम्बई	२६ अगस्त
८१	गणपत संभाजी खरात—एम. एल. ए., बम्बई	,,
८२	गुरुवचनसिंह—दिल्ली	३० अगस्त

८३	प्रभाकर लक्ष्मण आफले—कूर्क, पूना	३०	अगस्त
८४	मधुसूदन गोपाल गोलवलकर—ग्वालियर		"
८५	पाण्डुरंग विनावरु गोडबोले—पूना	३६	अगस्त
८६	महादेव गणेश काले—कूर्क		"
८७	रामचन्द्र मोहिनीराज पाटनकर—कूर्क		"
८८	गोविन्द विष्णु काले—पूना		"
८९	शिवा नागेश चोटी—पञ्ज, बम्बई	१	सितम्बर
९०	यशवन्त शान्तराम बोरकर—पञ्ज, बम्बई		"
९१	विनयकुमार शान्तराम प्रधान—पञ्ज, बम्बई		"
९२	कृष्णचन्द्र—मजिस्ट्रेट, दिल्ली	२	सितम्बर
९३	एस. आर. सहगल—शरणार्थी विभागका कर्मचारी, दिल्ली		"
९४	रमणलाल देसाई—टिकट कलक्टर, विलेपार्ले	३	सितम्बर
९५	जान गोव्स—		" एल.किंग्स्टन रोड
९६	शु परमेश्वर नाइक—पञ्ज, बम्बई		"
९७	नाथूराम अग्रवाल—रेलवे, अजमेर	६	सितम्बर
९८	जे. मॅण्डस—रेलवे, दादर		"
९९	दत्तात्रेय रामचन्द्र काटे—पञ्ज, बम्बई		"
१००	के. पी. परेरा—पञ्ज, बम्बई	७	सितम्बर
१०१	एस. चाई. सुबे—		"
१०२	विद्यारीलाल—दुधियाना		"
१०३	व्यम्बक हरि जाचक—पञ्ज, पूना	८	सितम्बर
१०४	नारायण गणेश दावके—दर्जी, पूना		"
१०५	बी. एस. दत्तर्वा—पञ्ज, बम्बई		"
१०६	महादेव गोविन्द कुलकर्णी—पञ्ज, पूना	९	सितम्बर
१०७	दिनकर पाण्डुरंग भोरात पाटील—पुलिस-कमान, ग्वालियर		"
१०८	टाक्टर पी. डी. गोखले—पञ्ज, पूना	१०	सितम्बर
१०९	बालकृष्ण वामन इनामदार—		"
११०	शिवकलकुडा विलचन्द्र—पञ्ज, बम्बई		"
१११	फ्रैंक रेविलो—पञ्ज, बम्बई		"

११२	जनार्दन दिनकर सावलेकर—टेलिग्राफ, बम्बई	१०	सित
११३	ब्राउन—चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई	१३	सित
११४	गजानन बालकृष्ण कवठणकर—पत्र, बम्बई	१४	सित
११५	दसवन्दासिंह—खुफिया पुलिस, दिल्ली	१४-१५	सित
११६	जसवन्तसिंह—पुलिस-कप्तान, दिल्ली	१६-२०	सित
११७	बालकृष्ण खन्ना—इम्पीरियल बैंक, ग्वालियर	२०	सित
११८	नामदेव तावण्या नागमोडे—पूना		”
११९	होनाजी गणपत शेळार—	”	”
१२०	अरुण गान्धी—पत्र,	”	”
१२१	शंकर गणपत घाडगे—बम्बई	२१	सित
१२२	देऊळकर—खुफिया डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट, पूना	२१-२२	सित
१२३	सूर्यनारायण व्यास—ज्योतिषी, उज्जैन		”
१२४	एम. के. नेकरकर—हवाई अड्डा पालम, दिल्ली		”
१२५	पी. जयरमण—हवाई सर्विस क्लर्क, बम्बई	२७	सित
१२६	डी. वी. गृहकर—क्लर्क, शिक्षा-विभाग, पूना		”
१२७	वी. एस. हल्दीपुर—इन्स्पेक्टर पुलिस, बम्बई	२७-२८-२९	सित
१२८	ए. आर. प्रधान—इन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, पूना	३०	सित
१२९	सी. आर. प्रधान—सब-इन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, बम्बई	१	अक्त
१३०	मांडलिक—इन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, ग्वालियर	१-४	अक्त
१३१	भवनगरी एस. के.—विस्फोटक इन्स्पेक्टर, बम्बई	४-५	अक्त
१३२	नगरवाला जे. डी.—डिप्टी कमिश्नर खुफिया पुलिस, बम्बई		५-६-७-८ अक्त
१३३	गज्जर—हस्तलिपि विशेषज्ञ, पूना	२१-२५-२६-२७	अक्त
१३४	पिण्टो—खुफिया इन्स्पेक्टर, बम्बई	२७-२८	अक्त
१३५	राजे—पुलिस फोटोग्राफर, पूना	२८	अक्त
१३६	गुलाबचन्द्र—भवन-निर्माणकार, दिल्ली		”
१३७	चक्रवर—बुकिंग क्लर्क, दिल्ली		”
१३८	भोजाराम—रेलवे प्लेटफार्म इन्स्पेक्टर, दिल्ली	२९	अक्त
१३९	सेन्टर टाटाभाई माणिकजी—ग्वालियर		

१४०	एच. वो. जरिन्दकर—कृषि हेडक्वार्टर, पूना	२९ अक्टूबर
१४१	रामप्रसाद—सूचना डाइरेक्टर, ग्वालियर	"
१४२	विनायक रघुनाथ दरशोठकर—विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर, बम्बई	५ नवम्बर
१४३	राधवन—रेकार्ड सुपरिण्टेण्डेण्ट, ग्वालियर	"
१४४	केशव—यानेदार, लखर	"
१४५	श्यामवहादुर—पञ्च, ग्वालियर	५, ६ नवम्बर
१४६	आदित्यराम—ज्योतिषी, दिल्ली	"
	(दुवारा) मेजर दादाभाई—ग्वालियर	"
१४७	वीरेन्द्रसिंह—पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, ग्वालियर	"
	अस्वीकार र.वाहिर्याँ	
१४८	जयप्रकाश कुशेशिया—टिकट-कलेक्टर, टागा	६ सितम्बर
१४९	जे. एस. परांजवे—विस्कोट विशेषज्ञ, बम्बई—	नहीं ली गयी

---



गान्धी-हरयाकाण्डके अभियुक्त



मुकदमेके पहले दिन लिया गया चित्र—कठवरेमें पहली कतारमें बायी ओरसे गोडसे, आपटे, और करकरे ( खड़े होकर बात करते हुए ) हैं । उनके पीछे दाढ़ी और लधने वालवाला हकवाली गवाह बउगे है । कठवरेके आगे बचात पक्षके बकील हैं ।

# गोडसेका वक्तव्य

अकेले मैंने ही गान्धीजीका न्यून किया

८ नवम्बरको जब अदालत बँटी तो सरकारी वकील श्री दत्तरीने न्याया-  
धीशसे कहा कि सबूतकी ओरसे अब किसी गवाहका बयान नहीं लिया जायगा।  
इसपर अदालतने नश्वराम गोडसेसे पूछा कि उसे कुछ कहना तो नहीं है।  
गोडसेने कहा कि मैं एक १३ फुलरकेप पत्रका लम्बा बयान पढ़ना चाहता हूँ।  
१०। वजे गोडसेने अपना बयान पढ़ना शुरू किया। वक्तव्य पढ़नेके पहले  
उसने कहा कि मैंने अपना वक्तव्य ३ भागोंमें विभाजित कर दिया है— [१]  
पट्टच्च तथा अन्य छोटे-मोटे अभियोग; [२] गान्धीजीकी राजनीतिपर प्रकाश  
(पूर्वार्द्ध); [३] गान्धीजीकी राजनीतिपर प्रकाश (उत्तरार्द्ध); [४]  
गान्धीजी और भारतीय स्वतंत्रता; [५] स्वतंत्रता स्वयंका भंग और [६]  
राष्ट्रीयता-विरोधी शमन-नीतिकी परकाया।

गोडसेने इसके बाद अखबारवालोंसे अरीब की कि आरक्षण में वक्तव्यके  
सारको तोड़िये-मरोड़िये मत। इसपर श्री दत्तरीने आर्जत की और कहा कि  
वक्तव्यमें जो बातें अनावश्यक या इस मुकदमेंसे सम्बन्धित न होंगी उनहीं  
अदालतके रेकार्डमें नहीं रखना चाहिये, अदालत कोई सार्वजनिक स्थान  
या ऐसी जगह नहीं है जहाँसे अखबारवालोंसे अरीब की जा सके।

ठीक ११ बजे अपना वक्तव्य पढ़ते पढ़ते गोडसेको बड़ा भारी और  
बढ़ गिर पड़ा। कठघरेमें बैठ चुम्बिसवालोंने उसे उठाया। जमाने उसे भारी  
जगह पर धँस जानेकी कश। कुछ देर विराम जानिहै बाद न्यायाधीशने  
अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू किया। वक्तव्य पूरा पढ़नेमें उसे ५ बजे बसे। थोड़ी  
थोड़ी देरपर वह पानी पीता या और चीज खाता या। वक्तव्य समाप्त होनेपर  
उसने कहा—'वास्तव भारत अमर रहे' (विदेनालम्)।

वक्तव्य पढ़े जानेके बाद मुख्य सरकारी वकील श्री दत्तरीने कहा कि  
इस वक्तव्यके कुछ भाग अनावश्यक हैं और वे रेकार्डमें नहीं रखे जाने चाहिये।

उदाहरणके लिए उन्होंने वह भाग बताया जिसमें गोडसेने कहा था कि वर्तमान भारत-सरकारके प्रति मुझे कोई आदर नहीं है क्योंकि वह मुस्लिम पररत है।

जजने कहा कि मैं लिखित वक्तव्यमेंसे कोई भाग निकाल देनेके लिए कैसे कह सकता हूँ। आपके लिए वे अनावश्यक होंगे। उसके लिए वे आवश्यक हो सकते हैं। युक्तप्रान्तमें मद्रासके मुकदमोंमें लिखित वक्तव्य हमेशा दिये जाते हैं।

जजने अनावश्यक भागोंको रेकर्डमें न रखनेकी बात नहीं मानी और श्री दफ्तरीते कहा कि आपके पास इस सम्बन्धमें पहलेके यदि कोई फैसेले हों तो वे सब कल मुझे दिखाइयेगा।

अदालतमें आज काफी भीड़ थी।

### गोडसेका वक्तव्य छापनेपर रोक

गोडसेका वक्तव्य अखबारोंमें छप जानेके बाद दिल्ली, अजमेर, संयुक्तप्रान्त, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, मध्यप्रान्त, पश्चिमी बङ्गाल आदि अनेक प्रान्तों और रियासतोंकी सरकारोंने जनसुरक्षा कानूनोंके अनुसार गोडसेका वक्तव्य छापने या प्रकाशित करनेकी मनाही करनेवाले आदेश निकाले।

## गोटसेसे जजने प्रश्न पूछे

आज सबसे पहले अदालतमें मुख्य सरकारी वकील श्री सी.के. दफ्तरीने इस विषयपर तर्क-वितर्क किया कि दौरा अदालतमें किसी अभियुक्तका लिखित वक्तव्य रेकार्डमें शामिल किया जा सकता है या नहीं।

उन्होंने अपने विचारकी पुष्टिमें इलाहाबाद हाईकोर्टका एक निर्णय उद्धृत किया ( ३४ क्रिमिनल ला जर्नल, पृष्ठ ९६७ )। उक्त मामलेमें हाईकोर्टने यह निर्णय दिया था—अभियुक्तको केवल उन प्रश्नोंका ही उत्तर देना चाहिये जो उससे पूछे जायँ।

न्यायाधीशने कहा कि अदालतके समक्ष इस विशेष मामलेमें यह एक आम प्रश्नका लिखित उत्तर है, जिसे खुली अदालतमें विस्तारके साथ पढ़ा गया है।

इसके बाद न्यायाधीशने गवाह गोटसेसे २८ प्रश्न पूछे जिनके उत्तर उसने खड़े-खड़े दिये। प्रश्नोत्तरका सार यह है—

१. गोटसेसे पूनामें अपने समाचार-पत्रके कार्यालयमें दहशेसे मिलने और १४ जनवरीको उसे हिन्दू-महासभा भवनमें शस्त्रास्त्र देनेके लिए कहनेके आरोपका प्रतिवाद किया।

२. उसने यह स्वीकार किया कि मैंने बीमेकी पालिसियाँ आपटेकी और गोपाल गोटसेकी पत्नीके नाम की थीं।

३. गोटसेने स्वीकार किया कि कुमारी मोटक पूनासे चम्पई एमारं साथ एक ही डिब्बेमें गर्वा थी और वह स्टेशनसे अपने भार्गवी नावमें उन्हें बाबरकर-सदन ले गयी थी।

४. गोटसेने इस बातसे इनकार किया कि आपटेके साथ १४ जनवरीकी मैं चम्पईके हिन्दू महासभा भवनमें दहशेसे मिला, जब कि यह फटा जाल है कि वहने एक भेलेमें कुछ सामान ले आया था। उसने इच्छे भी इनकार किया कि

बादमें वह सब लोगोंको साथ लेकर सावरकरके घर गया और वहाँपर ८-१० आदिमियोंसे बात की और शंकर तथा बडगेको नीचे ही छोड़ दिया ।

५. उसने आपटे और बडगेके साथ दीक्षित महाराजके घर जानेके कथनका तथा गोला-बारूदसे भरे थैलेको वहाँ छोड़नेकी बातका प्रतिवाद किया ।

६. उसने कहा कि सफरके लिए बडगेको ५०) मँने नहीं दिये । मेरी डायरीमें बण्डोभाऊको ५०) देनेकी बात लिखी है । वह बण्डोभाऊ बडगे नहीं है, किन्तु पूनामें मेरे कार्यालयका एक कर्मचारी है । उसने कहा कि वह संक्राति-दिवस था और उस दिन मैंने अपने भाई गोरालको भी २५०) दिये थे । इसका भी उल्लेख मेरी डायरीमें है ।

७. गोडसेने कहा कि यह सर्वथा झूठ है कि १५ जनवरीको मैं, आपटे, प्रदनलाल और बडगे उस थैलेको लेने दीक्षित महाराजके घर गये थे और वहाँ बातचीतसे यह प्रकट किया गया था कि महात्मा गान्धी, पं० नेहरू और सुहरावर्दीको खतम करनेका निश्चय कर लिया है ।

८. उसने इस बातसे भी इनकार किया कि १६ जनवरीको वह पूनामें बडगेसे मिला और उसने बडगेसे दिल्ली चलने और अपनी पुरानी पिस्तौलके बदले नयी ला देनेको कहा । उसने कहा कि १६ जनवरीको मैं बडगेसे मिला ही नहीं ।

९. गोडसेने यह स्वीकार किया कि १७ जनवरीको मैं आपटे और बडगेके साथ बम्बईमें घन एकत्र करनेके लिए ३-४ व्यक्तियोंके घर गया था, पर उसने कहा कि उस दिन मैं सावरकरसे नहीं मिला ।

१०. गोडसेने १७ जनवरीको आपटेके साथ ताल्यारावके अन्तिम दर्शन करने सावरकर-भवन जानेकी तथा सावरकरके इस कथनको कि 'जाओ सफल होकर वापस आओ' झूठ बताया ।

११. गोडसेने परिवर्तित नामोंसे आपटेके साथ हवाई जहाजमें सफर करना स्वीकार किया, किन्तु इस बातसे इनकार किया कि आपटेने मेरी उपस्थितिमें दादा महाराजसे कहा — 'प्रतीक्षा करो और देखो कि हम क्या करते हैं ।' उसने कहा कि नाम-परिवर्तनकी बात आपटेने मुझे अदालतमें बताया ।

१२. गोडसेने यह स्वीकार किया कि वे कल्पित नामोंसे १७ और २०

जनवरीके बीच मेरीना होटलमें ठहरें थे और उन्होंने बोबीको अलेंट्र होनेके लिए कपड़े भी दिये थे ।

१३. गोडसेने आवटे और करकरेके साथ १९ जनवरीको नूवा दिल्लीके हिन्दू महासभा-भवनमें जाकर बटगे और मदनलालसे मिलनेके कथनका प्रतिवाद किया ।

१४. गोडसेने इस बातसे इनकार किया कि २० जनवरीको गोबाल गोडसेने मेरीना होटलमें उसके सामने रिवाजपरकी मारमत्त की, और आवटे, करकरे, बटगे और मदनलालने वारुदा रुईके टुकड़ोंको फिट किया । उसने इस बातसे भी इनकार किया कि उसने बटगेको यह कहा हो कि 'यह हमारा जन्म अवसर है, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक चीजको फिट करना' । गोडसेने कहा कि उस दिन मुझे सिर-दर्द था और कहीं चार नही गया । बटगे और आवटे प्रार्थना-स्थलपर प्रदर्शन करनेकी बात कह रहे थे । मैंने उनसे कहा कि दूसरे कमरेमें जाकर बातें करो, मेरे सिरमें दर्द हो रहा है और मैं अकेला रहना चाहता हूँ ।

१५. गोडसेने उनको इशियार बोटनेसे इनकार किया और कहा कि यह सच नहीं है कि यह त हुआ हो कि मैं और आवटे तो संकेत करने, मदनलाल विस्कोट करेगा और शेष गान्धीजीपर गोला बरसद देंगे ।

१६. गोडसेने कहा कि २० जनवरीको मैं प्रार्थना-स्थलपर नहीं गया । और न मुझे यह मादम है कि वहाँ गया हुआ और गया नहीं ।

१७-१८. न्यायाधीशके १७ वें और १८ वें प्रश्नों उत्तरमें भी गोडसेने यही कहा कि मैं २० जनवरीको प्रार्थना-स्थलपर उपस्थित ही नहीं था ।

१९. गोडसेने कहा कि न तो मैं आवटेके साथ बटगेसे मिलने हिन्दू महासभा-भवन गया और न बटगेने हमें यह कहा कि 'निश्चय जाहंगीरपुरी तुमसे कोई मतलब नहीं ।'

२०. गोडसेने यह स्वीकार किया कि २० जनवरीको गडकीमें पहली दर्जेमें बैठकर रेल्गाड़ीसे पानपुर गया था और २१ जनवरीको स्टेशनपर ठहरनेके पिन मैंने एक कमरा रिजर्व करवाया था ।

२१. गोडसेने स्वीकार किया कि २४ जनवरीके २५ जनवरीके

आपटेके साथ बम्बईके एल्फिस्टन एनेक्सी होटलमें ठहरा था किन्तु कहा कि वहाँपर गोपाल और करकरे मुझसे मिलने नहीं आये थे ।

२२. गोडसेने यह स्वीकार किया कि २५ जनवरीको एयर इण्डिया लिमिटेडमें मैंने दो सीट रिजर्व करायी थीं और आपटे और मैं कल्पित नामोंसे उसके विमानमें २७ जनवरीको बैठकर दिल्ली आये ।

२३. गोडसेने यह मान लिया कि मैं २६ जनवरीको आपटेके साथ माता-मन्दिर गया था, किन्तु कहा कि मैंने दादा महाराजसे रिवाल्वरकी माँग नहीं की । उसने कहा कि मैं वहाँपर सिर्फ दीक्षित महाराजसे मिलने गया था, जो उस समय बीमार पड़े थे । वहाँपर जो बातचीत हुई वह हैदराबादकी सीमापर होनेवाले अत्याचारोंको रोकनेके लिए हथियार और गोला-बारूद जमा करनेके विषयमें हुई थी ।

२५. गोडसेने कहा कि २७ जनवरीको नारायणराव और विनायकराव इन प्रबुद्ध नामोंसे एवार्ड जहाज द्वारा बम्बईसे दिल्ली आनेके बाद २७ जनवरीको रातको मैं और आपटे ग्वालियर चले गये । वहाँ सवेरे पहुँचे और स्टेशनके पासकी एक घर्मशालामें ही ठहर गये ।

२६. गोडसेने यह भी स्वीकार किया कि २८ जनवरीको सवेरे ७॥ बजे और शामको ४ बजे हम डा० परचुरेके घरमें थे, किन्तु यह बात सच नहीं है कि वहाँसे जो पिस्तौल प्राप्त की गयी वताथी जती है वह गोयलकी थी या दण्डवतेके द्वारा गोयलसे मैंने प्राप्त की थी ।

२७. गोडसेने स्वीकार किया कि २९ जनवरीको विनायकरावके कल्पित नामसे दिल्ली रेलवे स्टेशनपर २४ घण्टेके लिए मैंने एक कमरा लिया था, किन्तु अपने साथ आपटे और करकरेके भी मौजूद होनेसे इनकार किया । उसने कहा कि आपटे और करकरेको मैंने २९ या ३० जनवरीको नहीं देखा । आपटे मुझसे ग्वालियरसे ही अलग हो गया था ।

२८. गोडसेने स्वीकार किया कि गान्धीजीपर मैंने ३ गोलियाँ चलायीं । उसने गान्धीजीको मारनेसे पूर्व और मारनेके कुछ मिनट बादतककी अपनी मनोदशाका स्पष्ट चित्रण उपस्थित किया ।

गोडसेने कहा कि महात्माजी जैसे ही चबूतरेके समीप आ रहे थे मैं उनके सामने कूद कर आया । मेरा विचार था कि गान्धीजीको मैं इस तरह मारूँ कि

किसी दूसरे व्यक्तिको चोट न लगे। अपनी हथेलीमें पिस्तौल छिपाकर मैंने नमस्कार किया। मैंने सेफ्टीकैच हटा दिया था। मेरा रुकना था कि मैंने दो पावर किया है, केवल पुलिससे मादम हुआ कि मैंने १ बार पावर किया। मैं उत्तेजित हो गया और पुलिस ! पुलिस !! चिल्लाया। पावर करनेके बाद लोग मुझे एकदम स्तब्ध दिखायी पड़े। मुझे बाद है कि पहले मुझे पुलिससे एक सिपाहीने पकड़ा। बादमें दूसरा भी आ गया। बादमें किसीने मेरे हाथसे पिस्तौल ले ली।

गोडसेने कहा कि एक आदमीने पीछेसे मेरे धिरेके पिछले भागपर चार किये और मेरे लून निकल आया। मैंने उससे कह दिया कि मैं जो कुछ करना चाहता था, कर चुका। उसके लिए मुझे कोई पश्चात्तान भी नहीं है।

गोडसेने आगे कहा कि जिस व्यक्तिने मेरे हाथसे पिस्तौल छीनी थी उसे मैंने चेतावनी दे दी थी कि मैंने इसका सेफ्टीकैच हटा रखा है और यह ओटोमेटिक है, कहीं किसी दूसरेके चोट न लग जाय। उस आदमीने मेरी ओर घूमकर कहा कि मैं दुष्टें मूट कर दूँगा। मैंने कहा—पर दो, मैं हमने लिए तैयार हूँ। दो घण्टे बाद मैंने अपने हृदय और नाड़ीकी परीक्षा करवाई।

अंतमें गोडसेने कहा कि गान्धीजी अवश्य ही उस पिस्तौलकी गोदियोंमें ही मरे होंगे।

### १० नवम्बर—गोडसेके साथ जिरह जारी

आज न्यायाधीश आत्मानन्दके और प्रश्नोंका उत्तर देने हुए सुपुन अभियुक्त गोडसेने कहा कि २० जनवरी १९४८ को मेरीना होटलमें ५० नम्बरके कमरेमें मैंने करकरे और संकरके साथ चाय नहीं पी। न हमें चाय दी गयी। मेरीना होटलमें करकरे मुझसे मिली ही नहीं। मैंने अपने लंघनमें चाय कर्मा भी ही नहीं, हाँ कर्मा-कर्मा करती उत्तर भी है।

शिनास्त परेडका उत्त्वेक करते हुए गोडसेने कहा कि शिनास्त सेठके पूर्व मैं कुछ गवाहोंको दिखाया गया। टैबली दाएर सुनीलकिने तमाला रोडके घानेमें मुझे दो बार देखा। एक बार वह मेरी कोठरीके पास ही पड़ा-राहा मुझे देख रहा था।

गोडसेने कहा कि दिल्लीके विशेष सल्लिडेटके इस वाक्यकी कि सं



शिकायत इसलिए नहीं की कि मैंने अपराध स्वीकार कर लेनेका निश्चय कर लिया था, किन्तु मुझे स्वप्नमें भी ख्याल नहीं था कि पट्टयत्र करनेका भी अभियोग लगाया जायगा ।

गोडसेने कहा कि बम्बईकी खुफिया पुलिसके दफ्तरमें जहाँ मैं और दूसरे लोग रहे गये थे अनेक लोग आते-जाते थे । मुझे याद है कि मधुकर काले और जानू गवाहोंने मुझे शिनाख्त परेडसे पहले देखा था ।

गोडसेने यह स्वीकार किया कि तुगलक रोडके थानेमें उसकी कोठरीके दरवाजेपर सदैव एक कम्बल लटका रहता था और जब बड़े पुलिस अफसर आते थे, तो उसे आधा या पूरा लपेट दिया जाता था । गोडसेने शिकायत की कि वह कोठरी बहुत छोटी थी ।

गोडसेके हस्तलेख और हस्ताक्षरके कागज दिखाये गये । गोडसेने कहा कि ये मेरे ही हैं । गोडसेने यह भी कहा कि बम्बईके खुफिया पुलिसके दफ्तरमें जब मुझसे मराठीमें लिखनेको कहा गया था, तो पुलिसने मुझे विशेष निर्देश दिया था कि मैं अक्षरोंके ऊपरकी लाइन अवश्य दूँ ।

गोडसेने कहा कि जिन ४ व्यक्तियोंने २० जनवरीकी शामको मेरे प्रार्थना-स्थलपर उपस्थित होनेकी गवाही दी है उन्होंने यह पुलिसके दवावमें आकर किया होगा । इसी प्रकारकी शिकायत मुझे एक ग्वालियरके गवाहके विषयमें भी है ।

दादा महाराज और दाक्षित महाराज द्वारा अपने विरुद्ध दी गयी गवाहीके विषयमें गोडसेने कहा कि हो सकता है कि यह गवाही उन्होंने इस भयसे दी हो कि कहीं इस मामलेमें पुलिस उन्हें भी न फँसा ले ।

बडगेकी गवाहीके विषयमें गोडसेने कहा कि बडगे हथियार और गोला-बारूदका व्यापार करता था । मैं यह सब कुछ जानता था । एक दो अवसरोंपर उसने मुझे हथियार और गोला-बारूद भी दिये, जो मैंने हैदराबाद रियासतके मामलेमें दे दिये । फिर बडगे मुझसे (१००) से कमकी रकममें बार बार माँगने लगा, तो एक धोखा-सा मुझे प्रतीत हुआ ।

जब बडगे गिरफ्तार हो गया, तो बम्बईमें उसे पुलिसने बहुत सताया । महात्मा गान्धीकी हत्याके बाद महाराष्ट्रमें ब्राह्मणोंके विरुद्ध सार्वत्रिक विद्रोह फैल गया । बडगे ब्राह्मण नहीं है ।

मेरा ख्याल है कि इन्हीं कारणोंसे बढनेसे मेरे विरुद्ध गवाही दी होगी ।

गोडसेने यह स्वीकार किया कि ३० जनवरीको मैंने अपना कोठी लिख-  
वाकर आपटेको भेजा था—इससे पूर्व मैंने छापनेके लिए कमी लिखीको अपना  
कोठी नहीं लेने दिया था ।

## १० नवम्बर—आपटे का वक्तव्य

‘मैं दोषी नहीं हूँ—३० फाँ मैं दिल्लीमें नहीं था’

दूसरे अभियुक्त नारायण दत्तात्रेय आपटेने अदालतमें आज अपना २२  
पृष्ठका वक्तव्य पढ़ा, जिसमें उसने कहा—मैं निर्दोष हूँ, एतद्के समय मैं  
बटनासपलपर उपस्थित नहीं था और गान्धीजीकी एतानें नभूषण गोपलेको  
सहायता देने या उकसानेका जो दोष मुझपर लगाया गया है, उससे मैं स्वयं  
अनभिज्ञ हूँ ।

आपटेने कहा कि मेरे विरुद्ध मुकदमा बनानेके लिए कानूनी गवाही इकट्ठा  
की गयी है और गवाहोंको इसके लिए तैयार किया गया है । उसने आगे कहा  
कि जब मैंने दिल्लीमें हिन्दू महासभा-भवनके पीछेका स्थान पुलिसको बताया  
और ग्वालियरमें डा० परचुरेका घर दिखाया तो मैं पूरी तरह पुलिसके कब्जेमें  
और उसकी दयापर निर्भर था । पुलिस जो चाहती थी, वह मुझे नाने और  
मेरे परिवारको खतानेका दर दिखाकर मुझसे कहला या करवा लेती थी ।

आपटेने वम्बई विश्वविद्यालयका विद्वान और अध्यापक बनारस में ।  
अहमदनगरके धर्मरक्षक मिशन हार्सकुलमें वह ७ वर्ष तक अध्यापक रहा  
है । एक साल तक भारतीय हवाई सेनामें आपटेको किंग फर्मीशन मिला  
है । सन् १९४३ से लड़ाई समाप्त होने तक वह सहायक ट्रेनिंग क्वार्टर  
अध्यापक रहा ।

आपटेने कहा कि मैं हिन्दूधर्ममें होनेका अभिमान करता हूँ । हिन्दू धर्म-  
को संवर्धित और गतिशील रोना चाहिये, जिससे उसकी महान् और उन्नत  
संस्कृति सुरक्षित रहे और फले फूले । मेरा विन्यास है कि गान्धीजीको पूर्ण  
अहिंस हिन्दू समाजके सर्वोत्तम उदाहरणके लिए मान्य है ।

हिन्दू नेताओंके राजनीतिक विचारोंके प्रचारके लिए आपटे और नारायण

गोडसेने 'भ्रमणी' अखबार निकाला । समय समयपर गान्धीजी और कांग्रेसके विचारों और कार्योंके विरुद्ध जिन्हें हम भारत और विशेषकर हिन्दू जातिके लिए अत्यन्त विनाशकारी समझते थे, प्रार्थनासभामें प्रदर्शन किया करते थे ।

आपटेने इसके बाद कहा कि जब मुझे यह मालूम हुआ कि गान्धीजीके उपवाससे बाध्य होकर भारत सरकारको पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया न देनेका अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है तो मैंने नथूराम गोडसेके साथ मिलकर दिल्लीमें गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें एक शान्तिपूर्ण किन्तु प्रभावशाली प्रदर्शन करनेका निश्चय किया ।

आपटेने यह स्वीकार किया कि २० जनवरीको मैं दिल्लीमें था । उस दिन प्रातः मैं त्रिडला-भवनमें उपस्थित था । शामको मैं प्रार्थना-स्थानमें गया था । उस समय मेरे मनमें यह खयाल था कि मैं सबके सामने गान्धीजीसे यह पूछूँगा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया एक बार रोककर पुनः दे देनेमें आपका कितना हाथ है । उस समय माइक्रोफोन ठीक काम नहीं कर रहा था, इसलिए जिस तरहसे मैं प्रदर्शन करना चाहता था, उस तरह प्रदर्शन कर सकना मुझे असंभव मालूम हुआ ।

यह बात सच है कि मैं १५ जनवरीको बडगोसे मिला था । बडगोने दिल्लीमें प्रदर्शनके लिए अपने आपको प्रस्तुत किया । मैंने बडगोको अपने साथ किसी प्रकारका गोला-बारूद ले चलनेको मना किया, क्योंकि हम केवल शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने दिल्ली आ रहे थे, किन्तु बडगो अपने साथ गोला-बारूद ले आया और उसने वह कुछ शरणार्थियोंको दिया, जिनमें मदनलाल भी शामिल था ।

आपटेने आगे कहा कि जब मैंने बडगोसे मदनलालकी गिरफ्तारीका हाल सुना, तो मैं दिल्लीसे बम्बई चला गया । वहाँ मैं गोडसेसे मिला और हम दोनोंने दिल्लीमें फिर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करनेका निश्चय किया । बम्बईसे स्वयं-सेवक ले जानेके लिए प्रयात धन न होनेके कारण हम इस प्रदर्शनके लिए डा० परचुरेके स्वयंसेवक प्राप्त करने ग्वालियर उसके घरपर गये । किन्तु डा० परचुरे इस कार्यमें हमारी कोई विशेष मदद नहीं कर सके क्योंकि उनके अधिकांश स्वयंसेवक या तो पकड़े जा चुके थे, या छिः गये थे ।

इसपर नथूराम गोडसेने मुझसे कहा कि बम्बई जाओ और दिल्लीके प्रद-

दर्शनके लिए कमसे कम कुछ स्वयंसेवक वहीसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करो। पत्रिका में २८ जनवरीको बम्बई चला गया और गोठसे दिल्ली चला गया।

इसके बाद आपटेने कहा कि ३० जनवरीको मैं बम्बई पहुँचा और प्रस्तावित प्रदर्शनके लिए क्रोध और स्वयंसेवकोंकी खोजमें इधर उधर घूमता रहा। उस दिन शामको मैंने गान्धीजीकी हत्या और नथूराम गोठसेको गिरफ्तारीका समाचार सुना।

आपटेने कहा कि यह खबर सुनते ही मैंने तुरन्त दिल्ली जनैया निश्रय किया, किन्तु यह सोचकर रुक गया कि पुलिस गोठसेका मित्र होनेके नाते मुझे तुरन्त गिरफ्तार कर लेगी।

आपटेने कहा—यह झूठ है कि मैंने १५ जनवरीको दृष्टगोष्ठे यह कहा हो कि सावरकरका निश्रय है कि महात्मा गान्धी, पं० जवाहरलाल नेहरू और सुहरावर्दीकी खतम कर दिया जाय और यह कार्य उन्होंने एमें करवा है। यह सब मनगढ़न्त बात है।

सबूत पक्षने जो यह सिद्ध करनेका निश्रय किया है कि मेरी गिरफ्तारीके समय मेरे पासके जो टिकट बरामद हुए थे, वे स्टेशनपर इकट्ठे किये जा चुके थे और बादमें चुरा लिये गये थे। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो सद्बुद्धिवादी हीरे सुराग नहीं देता। यह गवाही मनगढ़न्त है।

आपटेने यह न्योकार किया कि मदनमालके पास जो फोटो मिला था, वह मेरा था, किन्तु दिसम्बर १९४७ में मैंने एक सट केम्ब्रिज शरणार्थी शिबिरको उपहार दिया था। शरणार्थियोंके प्रति मेरे दिवसे महानुभूति थी, इसलिए मैंने अपना सट केम्ब्रिज दे दिया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा सट पुलिसकी कक्षा और कैसे मिला। यह निश्चित है कि यह मेरे पास या मेरे घरसे बरामद नहीं हुआ।

अन्तमें उम्मेने कहा कि सद्बुद्धिवादी मेरे विरुद्ध हीरे अभियोग लिख नहीं कर सक्त है। मैं सर्वथा निरीक्ष्य हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाना चाहिये।

### ११ नवम्बर—आपटेने प्रश्न

आज आपटेने न्यायाधीश श्री आम्बेकरसे प्रश्नोंका उत्तर दिया।

आपटेने कहा कि मैं सडनेकी ४ सालसे जानता हूँ। आपटेने यह स्वीकार किया कि हैदराबाद संघर्षके लिए सडनेने मुझे हथियार और गोला-

वारुद दिये थे, किन्तु मैंने उससे कोई स्टेनगन नहीं खरीदी। नवम्बर सन् १९४७ से जनवरी १९४८ के बीच मैं बडगोसे नहीं मिला।

आपटेने कहा कि यह कहना झूठ है कि १० जनवरी १९४८ को मैं बडगो-को 'हिन्दू राष्ट्र' आफिस ले गया और उससे १४ जनवरीको दादरके हिन्दू महासभा-भवनके कार्यालयमें वारुदी रुईके दो टुकड़े और ५ हथगोले देनेके लिए कहा।

आपटेने यह स्वीकार किया कि नथूराम गोडसेने उत्तरी और गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम अपनी दो त्रीमा पालिसियाँ की थीं, जिनपर उसकी साक्षी थी।

आपटेने कहा कि यह सच है कि १४ जनवरी १९४८ को कुमारी शान्ता भास्कर मोडक, नथूराम गोडसे और मैं पूनासे बम्बई गये थे और कुमारी मोडक हमें सावरकर-सदन ले गयी थीं। सावरकरके नरके सामने केलकरके घरपर हम गये और बादमें एक होटलमें चले गये। उस दिन रातको हम बडगोसे नहीं मिले।

अगले प्रश्नका उत्तर देते हुए आपटेने कहा कि यह गवाही झूठ है कि नथूराम गोडसे, शंकर और बडगोके साथ मैं दीक्षित महाराजके घर गया था और बडगो वहाँपर एक थैलेमें हथियार और गोला-बारुद लाया था, जिसके लिए गोडसेने ५०) बडगोको दिये थे।

आपटेने कहा कि १५ जनवरी १९४८ को सवेरे दादरके हिन्दू महासभा-भवनके कार्यालयमें मैं बडगोसे मिला था, मदनलाल और करकरसे नहीं, जैसा कि सवृतकी गवाहीमें कहा गया है। उसने बडगोकी इस गवाहीका भी खण्डन किया कि सावरकरने महात्मा गान्धी, पं० नेहरू और सुहरावर्दीको खतम करनेका आदेश दिया था। आपटेने इस बातसे भी इन्कार किया कि उसने दीक्षित महाराजसे रिवाल्वरके लिए बातचीत की। उसने कहा कि मेरी समझमें नहीं आता कि मैं ऐसे व्यक्तिसे रिवाल्वर जैसी चीज क्यों माँगूँगा जिसके साथ केवल मेरा परिचय है और किसी प्रकारकी घनिष्ठता नहीं।

आपटेने स्वीकार किया कि गोडसे और वह १७ जनवरी १९४८ को एयर इण्डिया हवाई सर्विसके विमानमें बैठकर बम्बईसे दिल्ली आया था। हमने मराठे और करमरकर ये कल्पित नाम रख लिये।

नाम बदलनेका कारण बतलाते हुए आपटेने कहा कि मैं १७ जनवरीको

दिल्लीके लिए दो सीट रिजर्व कराने पर इण्डियाके कार्यालयमें गया था। वहाँ मुझे एक आदमी मिला जिसने १७ जनवरीके ही दो टिकट ले रखे थे। वह उन्हें ख़रीद कराना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप इन टिकटोंको ले लेंगे ? मैंने वे टिकट ले लिये। यही कारण था जिससे हमें कलियत नामोंसे ख़र करना पड़ा। किन्तु अगर मैं स्वयं कार्यालयमें टिकट ख़रीदने जाता तो भी मैं कलियत नामोंसे ही उन्हें ख़रीदता। इसका कारण यह था कि 'हिन्दूराष्ट्र' के सम्बन्धीय लेख अधिकाधिक उपर होते चले जा रहे थे और ख़रवाने हमें यह धमकी दी थी कि यदि हमने साम्प्रदायिक कलह और हिंसाको उकसानेवाला कोई लेख लिखा, तो हमपर मुकदमा चलाया जायेगा।

आपटेने कहा कि १७ जनवरीको ख़बरे गोठसे और मैं विकटोरिया टर्मिनस स्टेशन, बम्बईपर बैठगैसे मिला। इसके बाद धन जना कनेरके लिए टैक्सीर बैठकर हम जहाँ तहाँ गये। आपटेने उस गवाहीको ज़ुटा बताया कि वह और उसके साथी साबरकरके अन्तिम दर्शन करने उनके घर गये थे।

अन्य प्रश्नोंके उत्तर देते हुए आपटेने स्वीकार किया कि दादा महाराज अहमदाबाद तक बम्बईसे गोठसे और मेरे पास आये थे और गोठसे और मैं १७ जनवरी से २० जनवरी तक एम. देवराष्ट्र और एस. देवराष्ट्रके कलियत नामोंसे मेरीना होटलमें रहे थे। इन दिनों करदरे, मदनपाल और गोपाल गोठसेसे मिलनेके कथनका आपटेने प्रतिवाद किया।

आपटेने आगे कहा कि २० जनवरीको ख़बरे बैठने हमारे पास आना और मैंने शामको यह देखनेके लिए उसे विद्वाना-भवनके प्रार्थना-स्थलपर जानेके लिए कहा कि कोई प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। विचारमें रहते हुए हम अनेक शरणाधी बँधोंमें गये और हमने २०-२१ जनवरीको प्रार्थना-स्थलके लिए तैयार भी कर लिये जिन्होंने २०-२१ जनवरीको प्रदर्शनमें शामिल होनेका वचन दिया।

आपटेने ख़ूब धनके इस कथनसे इंकार किया कि मे २० जनवरीको ख़बरे प्रार्थना-स्थलपर गया था, वा मैंने हिन्दू महासभा-भवनको भीड़के विचार-में रिवाजपर चलानेका अन्वयत किया और विद्वाना-भवन जगहसे पूर्व २० जनवरीको होटलमें कुछ व्यक्तियोंसे बात की थी।

२० जनवरीको उठनेके पूर्व हीन कानेका विचार क्यों छोड़ दिया, यह ख़बरे

हुए आपटेने कहा कि शामको ४॥ बजे त्रिद्विलाभवनके लिए चला था, रास्तेमें मुझे शंकर और बडगे मिले, उन्हें मैंने टैक्सीमें बैठा लिया। नथूराम गोडसे मेरीना होटलमें ही रहा, क्योंकि उसके सिरमें बहुत जोरका दर्द था।

प्रार्थना स्थलपर जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो कोई शरणार्थी प्रदर्शनके लिए नहीं आया। माइक्रोफोन खराब हो गया था। मैंने सोचा कि ऐसे अवसरपर तो गोडसेको जरूर उपस्थित होना चाहिये था।

इसलिए शंकरके साथ मैं मेरीना होटल लौट आया। बडगे अपनी इच्छासे ही वहाँ रह गया। होटलमें आकर गोडसेको मैंने सारी घटना सुनायी।

यह झूठ है कि उस दिन रातको मैं हिन्दू महासभा-भवनमें बडगेसे मिला। बडगे प्रार्थना-स्थलसे मेरीना होटल आया और उसने विस्फोटकी घटना सुनायी। आपटेने कहा कि बडगे बड़ा विचित्र और चिन्तित मालूम पड़ता था, क्योंकि उसने मदनलालको बारूदी रुईका टुकड़ा दिया था, और उसके प्रार्थना-स्थलपर विस्फोट करनेसे वह गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने इस बातपर खेद प्रकट किया कि मेरे मना करनेके बावजूद बडगे दिल्लीमें गोला-बारूद ले आया था। बडगेने तुरन्त ही पूना जानेकी इच्छा प्रकट की।

आपटेने कहा—हमने सोचा कि मदनलाल कह देगा कि मुझे बडगेने गोला-बारूद दिया और बडगे हमारा नाम कह देगा इसलिए हमारा अन्त दिल्लीमें रहना खतरनाक होगा।

## १२ नवम्बर

जज श्री आत्माचरणके और प्रश्नोंका उत्तर देते हुए आपटेने आज अदालतमें यह स्वीकार किया कि २० जनवरीकी रातको हम पहले दर्जेके डिब्बेमें बैठकर कानपुर गये थे और वहाँ अगले दिन रहनेके लिए स्टेशनपर हमने एक कमरा लिया था।

आपटेने यह भी स्वीकार किया कि २३ जनवरीकी रातको गोडसे और मैं बम्बईके आर्यगणिकाश्रममें और अगले दिन एल्फिंस्टन (एनेक्सी) होटलमें रहे थे।

आपटेने कहा—यह कहना झूठ है कि २५ जनवरीको मैं और गोडसे जी. एम. जोशीके घर गये थे और वहाँपर हम करकरे और गोपाल गोडसेसे

मिले थे। असलमें एलिफंस्टन होटलमें उसी समय गोविन्द मालेकरने मुझे देखा था। मैं गोपाल गोडसेसे वहाँ नहीं मिला।

आपटेने यह स्वीकार किया कि दिल्ली आनेके लिए मैंने और गोडसेने बम्बईमें २५ जनवरीको २७ तारीखके लिए टी० नारायणराव और एन० विनायकरावके कल्पित नामोंसे २ टिकट रिजर्व कराये थे।

आपटेने स्वीकार किया कि मैं २६ जनवरीको माता मन्दिर गया था, किन्तु कहा कि मैंने दादा महाराज या दीक्षित महाराजसे कोई रियाज नहीं माँगा।

अगले प्रश्नके उत्तरमें आपटेने कहा कि मैं और गोडसे एयर इण्डियाके एवाई जहाजसे २७ जनवरीको १ बजे दिल्ली पहुँच गये थे। तीसरे परर हम कुछ शरणार्थी कैम्पोंमें गये और रातको ग्वालियर चले गये।

ग्वालियरमें हम स्टेशनके सामनेकी धीकृष्ण धर्मशालामें टहरे। ग्वालियरमें हम गरीबा, गोयल या कालेसे नहीं मिले।

आपटेने कहा कि उक्त पत्रके लिए यह सिद्ध करना कि ग्वालियर हम विस्तौल लेने गये थे, एक बेहूदी बात है। वस्तुतः अगर हमें उसकी जरूरत होती तो हम वह पूना या बम्बईसे ही आखानीसे प्राप्त कर सकते थे।

ग्वालियर आनेका हमारा उद्देश्य केवल दिल्लीमें प्रदर्शनके लिए स्वयंसेवक प्राप्त करना था। हम अपनी गिरफ्तारीसे पूर्व, प्रदर्शन करनेके लिए बहुत ही उत्सुक थे और हमें अपनी गिरफ्तारीका डर इसलिए था कि अगर बम-विस्फोटके मामलेमें बढगे पकड़ा गया, तो वह अनायास ही हमारा भी नाम ले लेता।

विरोध-प्रदर्शनके विषयमें मैंने डा० परचुरेसे मिलनेका बम्बईमें ही निश्चय कर लिया था, क्योंकि परचुरे अपने स्वयंसेवकोंसे मोठामोठमें प्रदर्शन कर चुका था। ग्वालियरमें हमें सफलता नहीं मिली, इसलिए हमने फिर बम्बई जानेका निश्चय किया किन्तु गोडसेने कहा कि तुम बम्बई जाओ और मैं दिल्ली जाता हूँ, अलग अलग स्थानोंसे स्वयंसेवक जमा करनेका प्रयत्न करना अपना होगा।

आपटेने उक्तही हम गवारीकी कृपा बताया कि दिल्ली स्टेशनके श्रुतिग आफिसके पास २९ जनवरीको वह गोडसेके साथ देखा गया था और उसी दिन स्टेशनके विभाग वरमें गोडसे और बरकरेके साथ उसे दिसीमें देखा था।



आपटेने अपने उत्तर जारी रखते हुए कहा कि मैं २८ जनवरीको ग्वालियरसे चल पड़ा था। अगले दिन सत्रे इटारसीमें बम्बईके लिए गाड़ी बदली। ३० जनवरीको मैं बम्बई पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही प्रदर्शनके सम्बन्धमें मैं चेम्बूर शरणार्थी कैम्प गया। उस दिन रातको मैंने पूना जानेका निश्चय किया किन्तु विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनपर मुझे मालूम हुआ कि नथूराम गोडसेने गान्धोजीकी हत्या कर दी है। सब जगह भारी हल-चल मची हुई थी इसलिए मैंने स्टेशनपर ही रहना अच्छा समझा।

आपटेने कहा कि अगले दिन सत्रे मैं विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनपर फरकरसे मिला। मैंने नथूराम गोडसेके वचावके लिए श्रीमती मनोरमा गालवेके द्वारा दिन्डू मटासभाके दिल्ली कार्यालयको तार भेजनेकी व्यवस्था की थी। मैं एक वकीलसे मिला जिसने मुझे सलाह दी कि अभी दिल्ली जानेसे कोई लाभ नहीं है। शामको मैं श्री जमनादास मेहतासे मिला।

और प्रश्नोंके उत्तर देते हुए आपटेने कहा कि मैं ३१ जनवरी और १ फरवरी १९४८ को चेम्बूर शरणार्थी कैम्पमें ठहरा था। २ फरवरीसे ३ फरवरी तक मैं सौ ग्रीन होटलमें रहा। ३ फरवरीसे ५ फरवरी तक मैं एल्फिस्टन होटलमें रहा। वह होटल मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि पुलिस मेरी तलाशमें है।

आपटेने कहा कि ५ फरवरी १९४८ से १३ फरवरी १९४८ तक मैं जी० एम० जोशीके घरपर रहा। इस अरसेमें करकरे मुझसे ४ चार मिला। ८ और १० फरवरीके बीचमें मैं पूना गया, किन्तु तुरन्त ही मैंने अपनी गिरफ्तारीका खतरा देखकर पूना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ सब यह जानते थे कि गोडसे मेरा सम्बन्ध है।

आपटेने कहा—यह सच है कि १३ फरवरीको मैं और करकरे आर० विणु और एन० काशीनाथके कल्पित नामोंसे पाकर्स अपोलो होटलमें ठहरे थे। बम्बईके उपनगरोंके टिकटोंके विषयमें, जो कि गिरफ्तारीके समय बरामद हुए थे, आपटेने कहा कि उन दिनों मैंने सफर किया था।

आपटेने सबूतकी इस गवाहीका खण्डन किया कि बम्बईकी खुफिया पुलिसके कार्यालयमें मेरा पैण्ट मिला था। उसने कहा कि पुलिस मेरे कमरेमें एक ट्रंक लायी थी और उसने मुझे दो चाभियाँ दीं। पुलिसने मुझसे उस ट्रंकमेंसे पैण्ट निकालनेके लिए कहा। मुझे नहीं मालूम कि मेरा पैण्ट उसमें कैसे आ गया।

यह बताते हुए कि दिल्ली और ग्वालियरमें उसे कुछ जगहें क्यों दिखानी पड़ीं, आपटेने कहा मेरी गिरफ्तारीके बाद पुलिसने मुझे और मेरे परिवारको सतानेकी धमकी देकर सब कुछ अपने इच्छानुसार करवाया ।

२६ मार्चको सवेरे पुलिस मुझे हिन्दू महासभा-कार्यालयके पीछेके जंगलमें ले गयी । पुलिसने मुझे वहाँपर एक वृक्ष दिखाया और कहा कि जब पंच आये, तो मैं उनको वह पेड़ दिखाऊँ ।

लगभग २ बजे पंच आये । मैंने उनसे कहा, आइये जंगलमें चलो । कर-करे समेत हम सब हिन्दू महासभाके पीछेके जंगलमें गये । तब मैंने उस पेड़की ओर इशारा कर दिया, जिसे पुलिसने मुझे सवेरे दिखाया था ।

जब मैं दिल्ली लाया गया था, उससे पूर्व खुनिया पुलिसके आफिसमें बर-करे और गोपाल गोडसेसे मुलाकात हुई । उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पुलिसके इच्छानुसार ही कार्य करना चाहिये, अन्यथा पुलिस तुम्हें भी उसी तरह सतयेगी, जिस प्रकार उसने हमें सतया है ।

मैं जब ग्वालियरमें डा० परचुरेके घर ले जाया गया तब पुलिसने हम सबको मकानके पिछवाड़े जानेके लिए कहा । मुझे पता नहीं था कि पीछे कैसे जाया जाये, मैं वहाँ तक मुड़ गया, पुलिसने मुझसे दायाँ तरफ मुड़नेके लिए कहा । उस स्थानपर मैं गोली चलानेका अन्वयाव करनेसे इनकार करता हूँ ।

### १३ नवम्बर—हत्यामें ब्रिटिश और कस्ती पड़्यार !!

आज न्यायाधीश श्री आत्माचरणने आरंभके साथ जिरा जारी रखी ।

आपटेने कहा कि मैं नधूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, रामचन्द्र, बरकरे और बटगेकी १७ जनवरीसे पहले ही जानता था । मैंने हिन्दायके साथ मेरी दिल्लीमें जान पहचान हुई । मदनलालकी मैं विद्वान ही नहीं जानता था ।

आपटेने कहा कि दिल्ली और बम्बईकी सिमान्त खेदीने तिरवमें मुझे और तो कुछ नहीं करना है । केवल नहीं करना चाहता हूँ कि सिमान्तसे पहले मैं नवाहोंको भयी भौंति दिखा दिया गया था । बम्बईके जीम सेक्रेटरी मस्किट्टे श्री ब्राउनके पिछले मुझे कोई सिद्धास्य नहीं है ।

आपटेको उसके हस्तलेखके नमूने और रजिस्टरका दर्जनामा दिखाया गया । उसने स्वीकार किया कि वे मेरे ही हैं ।

जजने आपटेसे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि सचूतके गवाहोंने तुम्हारे विरुद्ध गवाही क्यों दी ? आपटेने कहा कि कुछ तो गवाह नकली बनाये गये थे । कुछने पुलिसके डरसे और कुछने इस डरसे कि कहीं हमें भी अभियोगमें न फाँस लिया जाय, मेरे विरुद्ध गवाही दी है ।

अन्तमें आपटेने कहा कि २० जनवरी और ३० जनवरीकी घटनाएँ अलग अलग थीं । पहली घटनाके बाद भी मुझे स्वप्नमें भी यह ख्याल नहीं था कि गान्धीजीको मार डालनेके लिए कोई षडयन्त्र चल रहा है ।

आपटेने कहा कि पुलिसने यह जाननेके लिए कि इसमें कोई अन्तरराष्ट्रिय षडयन्त्र तो नहीं है मुझे कागज दिखाये थे । उसको इस हत्यामें त्रिटोन और रूसका हाथ होनेका संशेह था । बादमें उसे पता लगा कि उसका ख्याल सर्वथा मिथ्या था !

इसके बाद आपटेने कहा कि पुलिसने इस मामलेमें अन्तर्प्रान्तीय या अन्तरियासती षडयन्त्रकी खोज की । हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके कार्यकर्त्ताओंकी आम गिरफ्तारियाँ हुईं । पुलिसका ख्याल था कि कोई बड़ा भारी षडयन्त्र होना चाहिये, उसके बिना गान्धीजी कत्ल किये ही नहीं जा सकते, इसलिए उसने मुकदमा बनानेके लिए इतनी गवाहियाँ प्रस्तुत की हैं ।

आपटेने और कहा कि पुलिसको किसी तरह षडयन्त्रकी बात साबित करनी थी । २० जनवरीको मैं और नथूराम साथ-साथ थे और ग्वालियर भी हम साथ-साथ गये । इसीर अच दो रिवाल्वर प्राप्त करनेकी बात बनानी थी । इसीलिए दादा महाराज और दीक्षित महापज और बडगे भी गवाही तैयार की गयी । श्री नगरवालासे मेरी बात-चीत हुई थी । इसके बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि कोई षडयन्त्र नहीं रचा गया था । नगरवाला मुझसे हमेशा पूछते कि तुम दोनों साथ-साथ क्यों गये । मैं उन्हें हमेशा जवाब देता कि षडयन्त्रकी बात आपके दिमागमें फजूल ही घुस गयी है । हम तो केवल प्रदर्शन करना चाहते थे । श्री पटवर्धन, श्री एस. के. पाटिल और बंगालके मनोनीत गवर्नर तथा अन्य कई व्यक्ति मुझसे हवालातमें मिलने आये और उनसे हमारी लम्बी बातचीत हुई । पुलिस जानती थी कि कोई षडयन्त्र रचा नहीं गया था, फिर

भी गान्धीजी जैसा बड़ा आदमी मारा गया इसलिए कोई न कोई बड़ा पड़ताल अवश्य रचा गया होगा ऐसा उसका विश्वास था ।

अदालतने पूछा कि क्या तुम अपनी ओरसे कोई गवाही देना चाहते हो, तो आपटेने कहा कि नहीं ।

## अदालतके अधिकार-क्षेत्रको चुनौती

१९ नवम्बर—करकरेका वक्तव्य

गान्धी-हत्याकाण्डके तीसरे अभियुक्त करकरेने आज अपने ३७ पृष्ठके वक्तव्यमें कहा कि मैं सर्वथा निरपराध हूँ । करकरेने कहा कि अभियोग बहुत अस्पष्ट हैं । अदालतके अधिकारको चुनौती देते हुए करकरेने कहा कि अदालतको उसने कानूनी अधिकार नहीं दिये गये हैं कि वह इन अभियोगोंपर विचार कर सके ।

पुलिसका अभियोग यह है कि गान्धीजीकी हत्या करनेवालोंमें करकरे भी एक था और २० जनवरीको विस्फोटके समय और उसके बाद ३० जनवरीको गान्धीजीकी हत्याके समय भी वह घटना-स्थलपर उपस्थित था ।

आपटेके समान करकरेने कहा कि मैं भी गान्धीजीकी हत्याके समय उपस्थित नहीं था और उनकी हत्यासे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । जनवरीके चौथे सप्ताहमें मैं शरणार्थियोंकी सहायता करने चम्पूर शरणार्थी कैंपमें टहरा हुआ था । इसी कार्यके लिए मैं चम्पूरमें यत्र-तत्र घूमा करता था । ३० जनवरीको वहींपर मुझे लोगोंसे और अखबारसे गान्धीजीकी हत्याका समाचार आत हुआ ।

करकरे चम्पूर प्रांतके रत्नागिरि गाँवमें एन् १९१० में पैदा हुआ । वह गरीब था । बचपनमें ही उसके पिताको मृत्यु हो गयी । मुझमें उसने बही-खानेमें पढ़ा, बादमें पूनामें । एन् १९३५ में उसने अहमदनगरमें चापकी दुकान खोली और एन् १९३८ में वह हिन्दू महासभाका सदस्य बना । बादमें वह अहमदनगर जिला हिन्दू महासभाका सेक्रेटरी बन गया ।

करकरेने कहा कि मुझे कई गवाहोंने 'सिद्ध' कहा वह गलत है ।

करकरेने कहा कि एन् १९४५-४६ और ४७ में मैंने नौशहराजिने शरणार्थियोंकी सहायता की । मैंने कहीं पर उनकी सहायता करनेके अभियोग उनको फिर मुसलमानसे हिन्दू बनाया । पंजाबके एस्सासपुरके बाद में भरन

नगर आ गया और मैंने पत्रों द्वारा बम्बई सरकारको शरणार्थी समस्याके हलके लिए कई सुझाव दिये । यह कहना गलत है कि मैंने उन्हें उपद्रवके लिए भड़काया ।

मदनलालके साथ अहमदनगरमें मेरी जान-पहचान हुई । मुझे मालूम था कि मुसलमान मेरे ऊपर क्रुद्ध हैं और पुलिसकी भी आँख मेरे ऊपर लगी हुई है । जनवरीके दूसरे सप्ताहमें मैं बम्बई गया । वहाँसे अहमदनगर लौटनेपर मुझे मालूम हुआ कि सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत पुलिस मुझे अहमदनगरमें ही नजरबन्द करनेवाली है ।

करकरेने इसके बाद कहा कि मदनलाल मुझे चेम्बूर शरणार्थी कैम्पमें मिला । मुझे मदनलालका यह सुझाव पसन्द आया कि मैं गान्धीजीकी मुस्लिम पक्षपाती नीतिके विरुद्ध प्रदर्शन करनेके लिए उसके साथ दिल्ली चले ।

करकरेने यह स्वीकार किया कि २० जनवरीको मैं प्रार्थना-स्थलपर गया था, किन्तु विस्फोट हो चुकनेके बाद । मदनलालकी गिरफ्तारीकी खबर सुनकर मैं डर गया । मैं दिल्लीसे मथुरा चला गया और दो दिन बाद वहाँसे बम्बई । मैं दिल्ली और मथुरा गुप्त नामोंसे ठहरा था, जिसमें मेरा पता न लग जाय । बम्बईमें मैं आपटेसे मिला और १४ फरवरीको पुलिसने मुझे गिरफ्तार कर लिया ।

बडगेने उसके विरुद्ध जो गवाही दी उसे इन्कार करते हुए करकरेने कहा कि बडगे झूठा, अविश्वसनीय और चहानेवाज आदमी है । उसके लिए जो कुछ भी कहा जाय वह कम है ।

करकरेके विरुद्ध जिन ४५ गवाहोंने गवाहियाँ दी थीं, उनके विषयमें करकरेने कहा कि प्रत्येकने असत्य, उलटी सीधी, अतिरंजित और अविश्वसनीय गवाही दी है । मुखधिर बडगेके विषयमें इसने कहा, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे आदमी हिन्दुस्तानमें पैदा हों ।

नमूनेके हस्ताक्षरोंके विषयमें, जो बम्बईकी खुफिया पुलिसके कार्यालयमें लिया गया था, करकरेने कहा कि यह कानूनके आधारभूत सिद्धांतोंके विपरीत है कि पहले अभियुक्तसे हस्ताक्षर ले लिये जायँ, और फिर उसका ही अभियुक्तके विरुद्ध उपयोग किया जाय । इसलिए इस हस्तलेखका सबूत पक्षको फायदा नहीं उठाने देना चाहिये ।

अपनी गिरफ्तारीके समय कुछ रेलवे टिकट बरामद होनेके विषयमें करकरे-  
ने सवृतके एक गवाहका उल्लेख किया जिन्हने कहा था कि भीड़ व्यभिक्त  
होनेके कारण कुछ मुसाफिर बिना टिकट दिये भी स्टेशनसे बाहर निकल जाते हैं।

शिनाख्त परेडके विषयमें करकरेने कहा कि दम्बरके चीफ प्रेसिडिन्सी  
मजिस्ट्रेटने यह स्वीकार कर लिया था कि वे पहली बार ही शिनाख्त परेडका  
कार्य कर रहे थे। मैं न हिंदा जानता हूँ न अंग्रेजी। फिर भी भी साउनने  
इस बातकी परवाह न की कि जो पञ्चनामा मेरी उपस्थितिमें गैशर किया गया  
था वह मुझे मण्ठीमें सुना दिया जाता। गवाहीमें ही यह बताया गया है कि  
हम अभियुक्त बिना किसी विद्योप कारणके एधर उधर ले जाये गये और  
पुलिसकी हिरासतमें हमारा फोटो भी लिया गया। ऊपर जिली बातोंको देखते  
हुए यह कहा जा सकता है कि शिनाख्त ररेट एक घोसा था।

करकरेने कहा कि मामलेकी जाँचके विषयमें दालमें कुछ काला है। सवृत  
पक्षने पहले कहा था कि उसके २६५ गवाह हैं, किन्तु उनमेंसे केवल १४६  
की गवाही ली गयी। कई ऐसे गवाहोंके किराे की गयी, जिनका पहले उल्लेख  
नहीं था, और जिन गवाहोंको जाँच की जानी चाहिये थी उनको नहीं गी  
गयी। करकरेने यह भी कहा कि गवाहोंके पुलिसके सामनेके बयान और  
अदालतके बयानमें अन्तर है, और पीछेसे उनमें सुधार किया गया है। अन्तमें  
करकरेने कहा कि मेरे विरुद्ध गवाही बहुत संदिग्ध है और उस कन्वैरसा  
लाम मुझे मिटना चाहिये और इस प्रकार अदालतको मुझे निर्दोष करार देकर  
छोड़ देना चाहिये।

### करकरेसे जजने प्रश्न पूछे

करकरेके मराठीमें अपना बयान्य सम्राठ करनेके बाद अदालतने उसके द्वारा  
प्रश्न पूछे।

प्रश्न—इस बातकी जाधी है कि २९ मई १९४७ को तुमने राजीको  
एक पत्र लिखा था जिसमें तुमने उसके पत्र देनेके विरुद्ध कहा था। तुम्हारे  
और दिग्गजर १९४७ के बीच तुमको और राजीको पहिलेमें ३००० रु० की  
विरसोयक दिये थे। तुमको उसने एक स्टेनगन भी दी थी।

उत्तर—मैंने राजीको इस प्रकारका कोई पत्र नहीं लिखा। मैं अपने बारे

पत्र अपने होटलके लेटर पेपरपर लिखता हूँ। बडगोसे मैंने कोई हथियार, गोला-बारूद या स्टेनगन नहीं ली। बडगोको तो मैं जानता भी नहीं।

प्रश्न—९ जनवरी १९४८ को तुम, मदनलाल, ओम्प्रकाश और चोपडा कुछ गोला-बारूद देखने बडगोके यहाँ पूना गये थे। बडगोने तुम्हें कुछ हथियार दिखाये थे।

उत्तर—यह सब कुछ झूठ है।

प्रश्न—जनवरीके प्रथम सप्ताहके अन्तमें तुम मदनलालके साथ प्रो० जे० सी० जैनके पास गये थे। मदनलालने सेठके रूपमें प्रो० जैनसे तुम्हारा परिचय कराया था। इस विषयमें तुम्हें क्या कहना है ?

उत्तर—यह बात झूठ है। वस्तुतः ८ से १० जनवरी तक मैं चेम्बूर शरणार्थी कैम्पमें था।

प्रश्न—१५ जनवरी १९४८ को तुम नथूराम गोडसे, मदनलाल, आपटे और बडगोके साथ दीक्षित महाराजके घर गये थे। एक थैला लाकर खोला गया। उसमेंसे हथियार और गोला-बारूद निकला। बडगो और दीक्षित महाराजने तुमको उन हथियारोंका प्रयोग सिखाया। इसके बाद वह थैला तुम्हें दे दिया गया और आपटेने उस थैलेको लेकर उस रात तुम्हें दिल्ली जानेके लिए कहा।

उत्तर—यह सब झूठ है।

प्रश्न—१५ जनवरीको दीक्षित महाराजके घर जानेसे पूर्व गोडसे, आपटे, शंकर और बडगो तुमसे शिवाजी प्रेसके पास मिले थे। गोडसे, आपटे और तुमने जी० एम० जोशीसे बात की थी। इसके बाद तुम सब हिन्दू महासभा भवन, दादर चले गये। तुम, गोडसे, आपटे, मदनलाल और बडगो टैक्सीमें दीक्षित महाराजके घर गये थे। मदनलालका विस्तर टैक्सीमें था। इस विषयमें तुम्हें क्या कहना है ?

उत्तर—यह सब झूठ है।

प्रश्न १५ जनवरीको तुम और मदनलाल रातकी एकसप्रेस गाड़ीसे बम्बईसे दिल्ली गये थे और दिल्ली १७ जनवरीको १२ बजे पहुँचे। रास्तेमें तुमने अम्बेकरसे बातें की। तुमने उससे कहा कि मैं हिन्दू महासभाका कार्य-

कर्ता हूँ और समाजके कार्यसे दिल्ली जा रहा हूँ । दिल्ली पहुँचनेका समय मदनलालसे अमनेकरका परिचय कराया ।

उत्तर—यह सब है कि १५ जनवरीको मदनलाल मुझे कारखाने दिल्ली लाया । मैं यादोंमें सहायता देने उसके साथ दिल्ली आया था । बादमें मदनलालने मुझसे कहा कि पंजाबी घरवालों दिल्लीमें गान्धीजीके समक्ष एक शिष्ट मण्डल ले जायेंगे, उसमें मैं भी शामिल होऊँ । किन्तु चूँकि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी, मैं खुले तौरपर शिष्टमण्डलमें भाग नहीं लेना चाहता था । मैंने उससे कहा कि मैं तो तिरु देलनेका काम करूँगा । राती ३० तक दिल्ली स्टेशन तक नहीं पहुँच गयी तब तक मैंने अमनेकरको नहीं देखा । इस बीच मदनलाल स्टेशनपर तौगा करनेकी कोशिशसे था । मैंने अमनेकरसे यह पूछनेपर कि तुम कहाँ जा रहे हो, उससे कहा कि तुम हमारे साथ होटलमें ठहर सकते हो । मैं उसे तांगेकी तरफ ले गया जहाँ मदनलाल पड़ा था । उस समय मैंने मदनलालसे कहा था कि अमनेकर भी एक घरवाली है ।

न्यायाधीशके अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरने कहा कि मैं, मदनलाल और अमनेकर सीधे शरीक होटल गये थे । मैंने अपना नाम एम० एच० दिन्दी-में रजिस्टरमें स्वयं लिखा था । मुझे यादम है कि मदनलालने भी यहाँ रजिस्टरमें कुछ नाम लिखे । हम वहाँ १७ जनवरीसे १९ जनवरी तक ठहरें ।

अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरने इस बातसे इनकार किया कि १८ जनवरीको मैंने अमनेकरसे यह कहा हो कि मैं किलीकी लेने स्टेशन जा रहा हूँ, फिर १९ जनवरीको गोवाल गोठसे मुझसे मित्रा हो या मैंने अमनेकरसे २० को जलनपर जाने या २०) होटलका खर्च देनेके लिए कहा हो । उसमें कहा कि होटलका खारा खर्च मैंने ही दिया था ।

करकरने कहा कि १९ जनवरीको रातको मैं गोठसे लौट आयेके साथ हिन्दू महासभा-भवन नहीं गया । परीसब रात, गोवाल गोठसे लौट आयेके नहीं मिला ।

अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरने कहा कि यह करना यह है कि १५ जनवरी २० जनवरीके बीच मैं आये और गोठसे आने मेरीसब होटल गया था और वहाँ मुझे प्याज और दूधवा दी गयी थी ।

२० जनवरीको खारे मैं आयेके साथ हिन्दू महासभा भवन नहीं गया



और न मदनलाल, गोपाल गोडसे और बडगोसे मित्र। दुबारा न हम हिन्दू महासभा भवन ही गये और न हमने शंकर और बडगोको विड़ला-भवन साथ चलनेके लिए कहा।

करकरने कहा कि यह सब गवाही झूठ है कि मैं आपटे, मदनलाल, शंकर, गोपाल गोडसे और बडगो २० जनवरीको ४० नं० मेरीना होटलमें मिले; वहाँ नथूराम गोडसे भी था; गोपाल गोडसेने रिवाल्वर ठीक किया; मैंने, बडगो, आपटे, और मदनलालने वारुदी रुईके टुकड़ोंमें फ्यूज वायर लगाये; गोडसेने वहाँ बडगोसे कहा कि यह हमारा अन्तिम प्रयास है, इसमें अवश्य सफलता मिलनी चाहिये; यह निर्णय किया गया कि आपटे और गोडसे संकेत करेंगे, मदनलाल विंस्कोट करेगा और श्रेय गान्धीजीपर हथगोले फेंकेगे और बडगो फोटोग्राफके रूपमें कमरेके झगोखेसे गान्धीजीको गोली मार देगा।

करकरने कहा कि यह सारी गवाही भी झूठी है कि २० जनवरीको ५ बजे मैं, आपटे और बडगो प्रार्थना-स्थलपर देखे गये थे; बडगो उस कमरेमें घुसनेसे शिस्तका, तब गोडसेने कहा कि डरनेकी कोई बात नहीं है, सब लोगोंके भाग निकलनेकी व्यवस्था कर ली गयी है।

२० जनवरीको मैं फ्रन्टियर हिन्दू होटलमें जी० एम० जोशीके नामसे नहीं ठहरा। गोपाल गोडसे मेरे पास नहीं आया। २५ जनवरीको जी० एम० जोशीके घरपर ठहरते हुए मैंने व्यास नामसे आपटेको कोई तार नहीं भेजा।

अगले प्रदनके उत्तरमें करकरने कहा कि २९ और ३० जनवरीको दिल्ली स्टेशनके विश्राम गृहमें मेरे आपटे और गोडसेके साथ देखे जानेकी बात झूठ है। उस समय मैं बम्बईमें था।

२-३ फरवरीको मैं वी० कृष्णजी नामसे सी ग्रीन होटलमें नहीं ठहरा। मैं ३ फरवरीसे ५ फरवरीतक बम्बईके एल्फिन्टन एनेक्सी होटलमें ठहरा था। ५ फरवरीसे १३ फरवरीके बीच मैं जी० एम० जोशीके घर तो नहीं ठहरा, किन्तु छपाईके सम्बन्धमें मैं उनके घरपर और प्रेसमें मिलने जरूर गया हूँ।

करकरने कहा कि यह बात सच है कि गिरपतारीसे पूर्व मैं और आपटे अयोली होटलमें आर० विष्णु और एन० काशीनाथके नामसे १३-१४ फरवरीको ठहरे थे।

१५ जनवरीको दिल्ली जानेसे पूर्व मैं गोडसेसे परिचित नहीं था। आपटे-

को मैं सन् १९३६ से जानता हूँ । मदनलालके साथ परिचय दिसम्बर १९४७ में हुआ । मैं न शंकर किरतव्याको जानता था और न बटनेको । साबरमती में सार्वजनिक सभाओंमें देखा है, व्यक्तिगत तौरपर मैं उनसे कभी नहीं मिला ।

### १६ नवम्बर—करकरेसे और प्रश्न

आज न्यायाधीश श्री आत्माचरण द्वारा आगे पूछे गये प्रश्नोंके उत्तरमें अभियुक्त करकरेने कहा कि बम्बईके सी. आर्द. जी. कार्यालयमें पुलिसमें हस्तलेखके जो विभिन्न नमूने लिये थे वे सब उसके ही हैं ।

करकरेने यह अस्वीकार कर दिया कि दिल्लीके फ्रांटियर हिन्दू होटल तथा बम्बईके सी प्रीन होटल और एलिकॉस्टन होटलके रजिस्ट्रारोंमें जो सानापुरी की गयी थी वह उसकी अपनी लिखी हुई है ।

उसने बताया कि मेरे विरुद्ध अदालतमें १५ से अधिक गवाहियों होटल व्यवस्थापकों, बेयरों आदिकी हुईं जिन्होंने पुलिसके दस्तावे के कारण सनसृत वयान दिये हैं । मैं खुद होटलवाला हूँ और जानता हूँ कि पुलिस होटल वालोंको किस तरह अपने चंगुलमें रखती है ।

दादा महाराज, दीक्षितजी महाराज और बटने सब मोदीफाल्द और एषियारका काम करते हैं । अतः उन्होंने मेरे विरुद्ध जो गवाहियों की है वह पुलिसको अपसन्न न करनेके कारण दी हैं । श्री मुरारजी देसाईने जो कहा है कि मैं पहलुनमें शामिल हूँ वह सच है ।

करकरेने बताया कि ३१ जनवरी १९४८ को मैं विरटोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशनपर आपटेसे मिला था जो गान्धीजीकी गोलीसे द्वारा की गयी हत्याके कारण किफतव्यविरुद्ध हो रहा था । बम्बई उपनगरीय रेलवे डिपट्रीके कर्मचारी उसने कहा कि मैंने उन जगहोंको यात्रा की थी, इसलिये मैं मेरे साथ था ।

अन्तमें उसने कहा कि १७ जनवरी १९४८ को दिल्लीमें होनेके कारण पुलिसने मुझे ३६ काण्डमें धर पकड़ा ।

### मदनलालका वक्तव्य

यस विस्फोट शोरगुल मचानेवाला सत्रयागृह था !

इसके बाद मदनलालने अपना विरक्त हुआ स्थापन दिया । उसने नीचे अभियुक्त मदनलालने स्वीकार किया कि २० जनवरीको जब महाराज गान्धी

विड़ला-भवनकी प्रार्थना-सभामें प्रवचन कर रहे थे तो मैंने वम ( गन काटनके टुकड़े ) का घड़ाका किया था ।

मदनलालने खुली अदालतमें अपना २१ पत्रका बयान पढ़ा । उसने कहा कि विस्फोटके समय मैंने इसका पूरा ध्यान रखा था कि उससे म० गान्धी-को कोई चोट न पहुँचे । मैंने केवल दीवारको छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्तिको भी धति न पहुँचनेका ध्यान रखा था ।

मदनलालने आगे बताया कि इकवाली गवाह बडगोने, जो दिल्लीमें शरणार्थियोंको अपनी गोली बारूद बेचने आया था, मुझे गन-काटनका टुकड़ा तथा एथगोला दिया था ।

अभियुक्तने फिर बताया कि जब मुझे गन-काटनका टुकड़ा मिल गया तो मैंने उसके जरिये राष्ट्रपिताके कानों तक उन्नीहित देशवाधियोंके दुःखकी कहानी पहुँचानेका एक अच्छा उपाय सोचा । विड़ला-भवनमें डेपूटेशन भेजनेकी अपेक्षा यह उपाय मुझ शरणार्थीको अच्छी तरह शो-गुल मचानेवाला प्रतीत हुआ । मेरी यह भी एच्छा थी कि इसका सारा श्रेय केवल मुझको ही मिले । मैंने इस कदमको सत्याग्रहका ही एक अंग समझा था ।

गत १२ जनवरीको जब मैं नम्बईमें था तो मुझे यह समाचार मिला कि दिल्लीमें मुसलमानोंको फिर बसानेके लिए म० गान्धी आमरण उपवास करने वाले हैं । मुझे इस बातसे बड़ा रंज हुआ । २४ जनवरीकी रातको मुझे यह मादूम हुआ कि गान्धीजीके उपवासके कारण भारत सरकार अपने पूर्व निर्णयके विपरीत पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपये देने जा रही है । इसी अवसर-पर मुझे पिताजीने मेरे विवाहके प्रस्तावके सम्बन्धमें शीघ्र जलंधर आनेको लिखा था । लेकिन उक्त परिस्थितियोंके कारण मैंने पहले दिल्ली तथा फिर जलंधर जानेका निश्चय किया ।

मुझे नयी दिल्लीमें ऐसा प्रतीत हुआ कि महात्मा गान्धीके चारों ओर मुसलमान विरे रहते हैं और शरणार्थियोंकी आवाज उनके कानों तक पहुँचानेका कोई मार्ग नहीं । अतः गान्धीजीके कानों तक यह आवाज पहुँचाने तथा उनसे उपवासके विरुद्ध असन्नता प्रकट करनेके लिए मैं कटिबद्ध हो गया ।

मदनलाल मांटगुमरी जिले ( अब पाकिस्तानमें ) की पाकपट्टन तहसीलका माली है । उसकी मिथ्या सेटीकेशन तक हुई है । वह कुछ समय तक

वापरलेखका तारवाचू रहा है। उसने दो वर्ष फौजी नौकरी भी की है। १९२३ में देश-विमाजन होनेपर उसे अपनी मातृ-भूमि छोड़नी पड़ी। वह किसी न किसी तरह दिल्ली आ पहुँचा।

गत सितम्बरके अन्तिम सप्ताहमें वह बन्दर्द चला गया। उसने काम दिलाऊ संस्थाके कार्यालयमें अपना नाम दर्ज करवा लिया और वेम्पूरीकी भूमि चला गया। उसने कर्मस्थानकी शर्तोंपर टा० जे० सी० जैनकी क्लिफर्ट रोडमें जिसमें उसे लगभग ५०) की आय हो गयी थी।

मदनलालने बताया कि मैं अहमदनगर इसलिए गया था कि मैं यहाँ फलोंका व्यापार प्रारंभ कर सकूँ। उसने कहा कि मधुन पछने में अहमदनगर जानेके बारेमें टा० जैनकी सचाहीसे तिलका ताड़ बनानेका प्रयास किया है। मैंने अहमदनगरमें शरणार्थियोंके प्रति पूरी दिलचस्पी दिखानी और यहाँ न मेरी करकोसे मुलाकात हुई।

मदनलालने कहा कि इकटाली गवाह बटनेने मेरे सम्बन्धमें जो यह चयन दिया है कि गन-काटन टुकड़ेके टिकटके बाद मेरा काम अपने लिये मर्यादा पर एमला करनेका था, वह दिव्यूल नरेंद्र छूट है।

यह दिखाया जा चुका है कि दिवागल्लार जलानर कृष्णमें लगानेकी १५ मिनट बाद घड़ाका ही सकता था। यदि बटनेकी कहानी तथिक भी सच होती और मैं म० गान्धीवर कोई शारीरिक प्रहार करनेका इरादा रखता होता तो इस अवधिमें मैं मन्वी प्रकार त्यों दौड़कर पहुँच सकता था तब प्रार्थना-मन्वर गान्धीजी विराजमान में। यह अशक्यके मानने मान है कि मैंने इस प्रकारका कोई काम नहीं किया। इस बावये ही दिव्यूल लख शरणार्थी गान्धी हो जाता है कि महत्मा गान्धीके कृत-बदकर्ममें मेरा कोई सम्बन्ध है।

मदनलालने पर अस्वीकार किया कि उसने अहमदनगरमें फौजी नौकरी कोई कहानी टा० जैनसे कही थी। वापरलेखे मुलाकात तथा काठकी रो बारेमें भी उसने टा० जैनसे कभी कुछ नहीं कहा। मधुन पछने की हीट वापरलेख का बताया है, उसके बारेमें मदनलालने कहा कि वह उसे शरणार्थी शिविधमें भिजा था।

अन्तमें उसने कहा कि गान्धीजीकी कृत-बदकर्म हीरे प्रहारक न था, यदि कोई था भी तो, उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

## मदनलालसे प्रश्न

मदनलालके बयासके बाद उससे प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्न—अक्टूबर १९४७ में तुम्हारा परिचय डा० जे० सी० जैनसे करानेके बारेमें गवाही हुई है । अंगदसिंहके सामने यह तय हुआ था कि तुम २५ प्रति शत कमीशनपर उनकी किताबें बेचोगे । तुमको डा० जैनके पतेपर अपने पत्र भी मिले थे । इस प्रकारके दो पत्र अहमदनगरके पतेपर तुमको फिर भेज दिये गये थे ।

उत्तर—यह ठीक है ।

प्रश्न—जनवरी १९४८ के पहले सप्ताहके आखीरमें तुम करकरेको डा० जैनके यहाँ ले गये और 'सेठ' कहकर उसका परिचय कराया । दो तीन दिन बाद फिर जैनसे लम्बी बातचीत हुई जिसमें कुछ समयके लिए अंगदसिंह भी उपस्थित थे । जैनने अपनी गवाहीमें तुम्हारे कारनामे, सावरकरसे तुम्हारी भेंट और गान्धीजीकी हत्याके पद्यन्त्रके बारेमें कहा है । तुम्हें इस सम्बन्धमें क्या कहना है ?

उत्तर—यह सब झूठ है ।

## १७ नवम्बर—मदनलालसे और प्रश्न पूछे गये

आज भी मदनलालसे और प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्न—इसका प्रमाण दिया गया है कि दो दिन बाद तुम डा० जे० सी० जैनसे मिले । तब उन्होंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने उनकी सहायपर विचार कर लिया है ? तुमने उत्तर दिया कि करकरेसे पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकता और करकरेको पितृतुल्य समझता हूँ । एक दो दिन बाद तुम फिर डा० जे० सी० जैनसे मिले और उनसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ ।

उत्तर—यह सब झूठ है ।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें मदनलालने इस आरोपका खण्डन किया कि १ जनवरीको वह करकरे तथा अन्य व्यक्तियोंके साथ पूनामें बडगोकी दूकानपर गया था और उसे शंकरने कुछ विस्फोटक दिखाये थे जिसपर उसने कहा था कि इनका प्रयोग मैं कर सकता हूँ । उसने कहा कि उस दिन मैं पूनामें

नहीं था, वरन् खर्चामें था जो हैदराबादकी सीमापर एक गाँव है। मैंने वहाँपर कुछ कांग्रेसजनोंसे इस विषयपर बातचीत की थी कि भारतीय गाँवोंपर हमला करनेके लिए जिन चार पुलोंसे होकर रजाकार आते हैं उन्हें उड़ा दिया जाय।

प्रश्न—१५ जनवरी १९४८ को बडगे, आस्टे, गोडसे, करकरे तथा शंकर तुम्हारे पास आये जब कि तुम दादाके हिन्दू महासभा-भवनमें थे। शंकरको छोड़कर तुम सब उस टेक्सीमें जा चढ़े जिसे आपटे लाया था। तुमने अपने बिस्तरे भी टेक्सीमें रख लिये। तब तुम लोग दीक्षित महाराजके घर गये। तुमने अपने बिस्तरे वहाँ जाकर हालमें रख दिये और सब लोग घरके भीतर घुस गये। क्या यह ठीक है ?

उत्तर—यह सब झूठ है। वास्तवमें मैं नथूराम गोडसे, आस्टे और शंकरसे पहली बार १४ फरवरी १९४८ को या उसके आसपास दम्भर्के श्रुतिया पुलिस-भवनमें मिला था। उनके साथ मुझे वहाँ पुलिस मित्र्यी थी।

प्रश्न—दीक्षितजी महाराजके घरपर एक थैला दिया गया जिसमें दो गन-काटन टुकड़े, पाँच एथगोले तथा दसग्यन्धी अन्य सामान था। दीक्षितजी महाराज और बडगेने इनका प्रयोग तुमको बताया। तब बडगेने यह थैला आपटेको और उसने करकरेको दिया। करकरेने फिर यह थैला तुमको दिया और बिस्तरमें बाँध लेनेको कहा। तब तुम और करकरे कमरेसे निकल गये।

उ०—यह सब झूठ है। मैं १९४७ में डा० जिनके साथ दीक्षितजी महाराजके वहाँ गया था। उन्होंने मरजापियोंके लिए मुझे कुछ कपड़े दिये थे। नवम्बर १९४७ में मैं दो-तीन बार फिर उनके पास गया। जनवरी १९४८ में मैं दीक्षित महाराजके पास नहीं गया।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें अभियुक्तने बताया कि करकरेके साथ १७ जनवरीको मैं दिल्ली पहुँचा था। मुझे यह बाद नहीं कि राजागामरु० अम्नेहर हमारे टिन्डमें वाजा कर रहा था। दिल्ली में हमने राजा अम्नेहर से मिल करकरेके साथ एक आदमीको देखा था जिसका परिचय करकरेने बताया था।

प्र०—तुम, करकरे और अम्नेहर एक रातमें कलार होकर वहाँ हिन्दू महासभा-भवन, फिर विदुला-मंदिर तथा अन्तमें मरीच टिन्ड होकर पहुँचे।

उ०—यह सब झूठ है। हम वहाँ कलार होकर गये थे। मरजापियों

निर बताया कि १९ जनवरीको मेरा एक सम्बन्धी मुझे होटलमें देखने आया था। अमचेकर 'ट्रान्स्फर व्यूरो' ले जाया गया, यह मुझे मालूम नहीं। मैंने गोपाल गोडसेको पहली बार बम्बई खुफिया पुलिस भवनमें देखा था। मैंने अमचेकरसे कहा था कि मैं अपने विवाहके सम्बन्धमें अपने सम्बन्धीके यहाँ ठहरने जा रहा हूँ। अभियुक्तने १७ जनवरीसे १९ जनवरी तक शरीफ होटलमें ठहरने तथा होटल रजिस्टरमें अंग्रेजीमें खानापूरी कानेकी बात मान ली। उसने हिन्दू महासभा-भवनमें ठहरनेकी बात अस्वीकार कर दी और कहा कि मैं बादमें प्रस्तावित बंधूके व्यक्तियोंके साथ ठहरा था।

प्र०—२० जनवरीको तुम करकरे, गोपाल गोडसे, नथूराम गोडसे, आपटे, शंकर और बडगे मेरीना होटलके कमरा नं० ४० में थे। गोपाल गोडसेने एक रिवाल्वरकी मरम्मत की। तुमने, करकरेने तथा आस्टेने गुसलखानेमें हथगोले तथा गन काटन टुकड़ोंको प्रयोगके लिए तैयार किया। इस समय नथूराम गोडसेने कहा था—'बडगे, यह हमारा अन्तिम प्रयास होगा और काम पूरा होना चाहिये।' इसके बाद हथियार और गोला-बारूद बाँटे गये। यह भी तय हो गया कि नथूराम गोडसे और आपटे संकेत देंगे और तुम गन काटन टुकड़ेमें आग लगाओगे। तब जो शोरगुल और भगदड़ होगी उसकी अंतिम में अन्य लोग महात्मा गान्धीपर हथगोले और रिवाल्वर दागेंगे।

उत्तर—यह सच झूठ है। उपवास तोड़नेके दो दिन बाद २० जनवरीको मुझे पता चला कि आज शामको महात्माजी प्रार्थना-सभामें पधारेंगे। मुझे शरणार्थी शिविरमें बडगे मिला जिसने बताया कि वह दिल्लीमें हथियार और विस्फोटक बेचने आया है। उसने मुझे एक गन-काटनका टुकड़ा तथा एक हथगोला नमूनेके रूपमें दिया था। मैंने सोचा कि यह गन-काटन टुकड़ा गान्धीजीसे दूर विस्फोटित किया जाना चाहिये ताकि उन्हें कोई चोट न पहुँचे और इस प्रकार अपनेको गिरफ्तार करवा दिया जाय।

अभियुक्तने कहा कि मैं मेरीना होटलसे नहीं, वरन् सब्जी-मण्डीसे विड़ला-भवन गया था। मेरे पास गन-काटन टुकड़ा तथा एक हथगोला था। जब मैं गिरफ्तार किया गया तब मैं वह कोट नहीं पहने था जो प्रामाणिक वस्तुओंमें संग्रहीत है। मेरे साथ उस समय कोई अन्य अभियुक्त न था।

प्रश्न—गिरफ्तारीके पश्चात्, विड़ला-भवनके बाहर तुम पुलिस-शिविरमें

ले जावे गये । उस समय तुम्हारी तलाशी ली गयी और तुम्हारे कोटके भीतरी जेबसे एक हथगोला बरामद हुआ ।

उत्तर—यह ठीक है । दरअसल मैंने पुलिससे कहा था कि मेरे पास एक अप्रयुक्त हथगोला है । गिरफ्तारीके बाद मैंने पुलिससे कहा कि मुझे महात्मा गांधीके पास ले चलें । लेकिन मैं पार्लमेण्ट स्ट्रीट पुलिस थानेपर ले जाया गया । पुलिसने वहाँ मुझसे पूछ-ताछ की और मुझे मारा-पीटा । मैंने पुलिसको बताया कि मुझे यह विस्फोटक बटणेसे मिले हैं जो शरणाधीन-शिविरमें टूटा है । उसके साथी भी मेरीना होटलमें हैं । पुलिस मुझे लेकर वहाँ गयी, लेकिन वे लोग वहाँसे रफूचककर हो चुके थे । मैं फिर पार्लमेण्ट स्ट्रीट थानेमें ले आया गया ।

मैं १५ जनवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली खाना हुआ था, तब मैं केवल करकरेको जानता था—नथूराम गोडसे, आपटे, बटणे, डॉक्टर किस्तन्या अथवा सावरकरमेंसे मैं किसीको नहीं जानता था ।

मदनलालने आगे कहा कि मुझे उन सबोंके विरुद्ध कुछ नहीं करना है जिन्होंने शिनाख्त परेडमें मेरी शिनाख्त की है । लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि मैं बम्बई खुफिया पुलिस-भवनकी दूसरी मजिस्ट्रमें रखा गया और यह स्थान सर्वसाधारणके आने-जानेके लिए खुला था । इस प्रकार अनेक व्यक्तियोंने आकर मुझे देखा था ।

अभियुक्तकी अनेक हस्ताक्षर तथा हस्तलेखके नमूने दिखाये गये जिन्हें उसने स्वीकार कर लिया कि वे मेरे ही हैं ।

पूछनेपर मदनलालने बताया कि सचुनके महाशयेने मेरे विरुद्ध जो गवाहिया दी हैं वे पुलिसके दबावके कारण ही दी होंगी । उसने कहा कि मैंने गिरफ्तार होनेपर भागनेकी कोई कोशिश नहीं की ।

अन्तमें मदनलालने कहा—मैं २० फरवरीसे ३ मार्च १९४८ तक सिविल लाइन पुलिस थानेमें रखा गया । इस अवधिमें ३० जनवरीको इन्डियन नेशनल आर्मी के मेरे पास निश्चय वाक्य का तार मुझसे आया था जो कि मेरे महात्मा गांधीकी मारनेके लिए अवसर और तैयारीके संबंध में था । संविदोंके साथ मिलकर कोई प्रयत्न रचा है ।

४ फरवरी १९४७ को बम्बई खुफिया पुलिस-भवनमें मैंने दवाये गये



था। मैंने पुलिसको बता दिया था कि इस व्यक्तिने ही मुझे दिल्लीमें गन काटन दूकड़ा तथा हथगोला दिया था। पुलिसने मुझसे कहा कि मैं नयूराम गोडसे, धारटे और सावरकरके साथ इत्या-पड़यन्त्रमें सम्मिलित हूँ, किन्तु मैंने इसका उत्तर नकारात्मक दिया।

पुलिसने मुझसे कहा कि 'तुम पड़यन्त्रको स्वीकार कर लो, नहीं तो गो-मांस तुम्हारे मुँहमें दूँसा जायगा।' तब मैं अपना वयान मजिस्ट्रेटके सामने देनेको तैयार हो गया।

मैं सवृत पक्षके प्रमाणोंके विरुद्ध तथा अपने वयानके समर्थनमें अब कुछ नहीं कहना चाहता।

### १८ नवम्बर—शंकर द्वारा प्रश्नोंके जवाब

आज पाँचवें अभियुक्त शंकर किस्त्यासे न्यायाधीशने प्रश्न पूछे ताकि यह निश्चित किया जा सके कि तथाकथित इत्या पड़यन्त्रमें उसका क्या हाथ था।

शंकर वेपदा-लिखा व्यक्ति है। अतः पहले वयान देनेवाले चार अभियुक्तोंकी भाँति उसने कोई लिखित वयान तैयार नहीं किया जिसे वह पढ़कर सुना सकता। वह तेलगू भाषा बोलता है। उसने प्रश्नोंके जो उत्तर दिये उनका अदालतके दुभाषियेने अनुवाद किया।

शंकरने बताया—मेरी अवस्था २० वर्षकी है। मैं गृहपरिचारक हूँ। मैं शोलापुरका रहनेवाला हूँ।

इस बीचमें वचावपक्षके वकील श्री बनर्जीकी प्रार्थनापर इकवाली गवःह बडगे, जिसके यहाँ गिरफ्तारीसे पहले शंकर नौकर था, तथा जेल अधिकारी अदालतकी परिधिसे बाहर हटा दिये गये।

प्रश्नोत्तरमें शंकरने कहा कि १९४६में बडगेने मुझे अपने यहाँ नौकर रखा। मैं प्रायः बडगेके घरसे बम्बईमें हथियार और गोला-बारूद लाद लाया करता था। मैं उसके कपड़े भी धोता था। इसके अलावा उसके हथियारोंकी दूकानकी देख-भाल करता था और अन्य छोटे-मोटे काम-काज भी करता रहता था।

जुलाईसे दिसम्बर १९४७ तक बडगेने आपटे और करकरेको काफी गोली-बारूद और हथियार दिये। वे यह सामान लेने प्रायः बडगेके घर आया करते थे।

९ जनवरी १९४८ को सायंकाल लगभग ८॥ बजे करकरे, मदनलाल तथा दो अन्य लोग बडगोक्री ट्रूकानपर आये । मैंने दो थैले बडगोक्री ला दिये और फिर दूसरे कमरेमें चला गया । फिर मैं नहीं जानता कि क्या हुआ ।

हथियार तथा गोली-बारूद पिछवाड़ेके आंगनमें रखी जाती थी और हथियारोंसे ढँकी रहती थी । एक थैला जूटका था तथा दूसरा लाठी कपड़ेका था । यह दोनों आपसमें नरथी थे । ये थैले मेरे सामने किसी समय न खोले गये थे । बडगोने इनके घारेमें मुझे हिदायत दे रखी थी कि जब व मुझे हुक्म दें तो मैं उपस्थित करूँ ।

१३ जनवरीको बडगोने एक थैलेमें कुछ हथियार आदि रखनेके लिए मुझे कहा । १४ जनवरीको मैं और बडगो बम्बईको खाना हुए और उसी दिन सा ७॥ बजे दादर पहुँचे ।

बडगो और मैं अलग-अलग रेलके डिब्बोंमें बैठे थे । उन्होंने मुझे दादर स्टेशनपर उतरकर बाहर मिलनेका आदेश दिया था । मेरे पूछनेपर उन्होंने मुझे बताया था कि वे दादर स्टेशन इसलिए ना रहे हैं कि बम्बईमें आनन्द और नथूराम गोडसेको हथियार-गोली-बारूद दे सकें ।

बडगो और मैं दादरके हिन्दू महासभा कार्यालयमें गये । हमने वहाँ लगभग १५ मिनटतक प्रतीक्षा की । जब हम सीढ़ियोंसे नीचे उतरने लगे तो हमें अचानक ओर आता हुआ अपट्टे दिखायी दिया । नथूराम उस समय लगभग १० कद दूर खड़ा था ।

मुझे हिन्दू महासभा कार्यालयमें बैठकर ये सब लोग बाहर चले गये । रातको १०॥ बजे वे सब एक कारमें चढ़े जाये । फिर हम सब दक्षिण महाराजके घर गये । बडगोने कारसे थैला लानेका आदेश मुझे दिया । मैंने अहेला कारमें बैठे रहा और ये तीनों व्यक्ति कारके भीतर चले गये । जब सब कारसे बाहर आये तब उनके पास थैला न था ।

बडगो और मैं फिर हिन्दू महासभा-कार्यालय सीट जाये । यहाँ पर रात ११ बजे दाहिनी ओरसे और मैं बाईं ओरसे नीचे उतरा । मैंने देखा कि कारमें कोई कुछ बपवा दे रहा है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उसे किसने दे दिया कितना बपवा दिया ।

उस रातको मदनलाल, बडगो और मैं हिन्दू महासभा-कार्यालयमें

सोये थे । विछानेके लिए हमारे पास एक दरी थी और मदनलालने हमें एक कम्बल दे दिया था ।

१५ जनवरीको नथूराम गोडसे, आपटे और बडगे शिवाजी प्रिंटिंग प्रेसमें कारफरेसे जाकर मिले । मैं भी इन तीनोंके साथ गया था ।

इसी रातको मैं और बडगे पूना चले गये । जनवरी १६ को नथूराम गोडसे बडगोसे मिलने उसके घर दो बार आया, किन्तु बडगे घरमें नहीं था । नथूरामके आनेका जिक्र मैंने बडगोके घर आनेपर उससे कर दिया था । १७ जनवरीको प्रातः २॥ बजे मैं और बडगे बम्बई चले गये । बडगेने मुझे बम्बई ले जानेके लिए एक पिस्तौल और ४ कारतूस दिये थे ।

उसी दिन मैं, बडगे, आपटे और नथूराम गोडसे एक टैक्सीमें शिवाजी पार्क गये । मैं नहीं जानता कि यह किसका घर था ( सवृत पक्षका कहना है कि यह सावरकरका घर था ) । मुझे टैक्सीमें बैठा छोड़कर वे सब लोग उतर गये । मुझे टैक्सीका नम्बर मालूम नहीं, किन्तु जिस टैक्सी ड्राइवरका बयान अदालतमें लिया जा चुका है, वही इस टैक्सीको चला रहा था ।

मैं नहीं जानता कि इन तीनों व्यक्तियोंने आपसमें क्या बातचीत की थी । वे आपसमें मराठीमें बातचीत कर रहे थे जिसे मैं नहीं समझ सकता ।

मैं नहीं जानता कि वहाँसे लौटकर उन्होंने आपसमें क्या बातचीत की । वे लोग मराठी और अंग्रेजीमें बातचीत करते थे । उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वे क्या बातें करते थे ।

१८ जनवरीको बडगोके साथ मैं बोरीवन्दर स्टेशन पहुँचा । बडगेने दो टिकट खरीदे और हम आगले दिन रातको ९॥ बजे, दिल्ली पहुँच गये । स्टेशनसे तांगेपर सवार होकर हम आगे बढ़े । बडगेने एक जगह पूछा कि हिन्दू महासभा-भवन कहाँ है ?

वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि भवनका द्वार बन्द था । बडगेने दरवाजा खटखटाया और भीतरसे आकर किसीने उसे खोला । हमें एक कमरा रहनेके लिए बता दिया गया ।

इस कमरेमें प्रकाश था । उसमें तीन व्यक्ति थे । एक व्यक्तिकी बडगे जैसी ही दाढ़ी थी और वह सो रहा था । शेष दो व्यक्ति मदनलाल

और गोपाल गोडसे थे । वे अपने विस्तारोंपर ब्रैट वातचीत कर रहे थे । बटगेने ही इन दोनों व्यक्तियोंका परिचय मुझसे कराया था ।

लगभग २० मिनट बाद, नथूराम गोडसे, करकरे और आपटे वहाँ आये और बटगेको बाहर ले गये । वहाँ उन्होंने कुछ बातचीत की । उन्होंने क्या बातचीत की, यह मुझे मालूम नहीं ।

एम वम्बईसे कुछ लड्डू लये थे । हमने उनको खाया और छो गये । गोपाल गोडसे और मदनलाल भी वहाँ छो रहे ।

अगले दिन प्रातःकाल बटगेने मुझे अपने कपड़े धोनेको कहा । मैंने कपड़े साफ किये । उस दिन बड़ी सर्दी थी । आपटे और करकरे वहाँ आये । करकरेने मुझसे कहा कि उसने कुछ क्या मदनलालको दे दिया है ताकि वह नहाने-धोनेका पानी गर्म करनेके लिए लकड़ियाँ खरीद लाये । करकरे और आपटे वहाँ चले गये ।

थोड़ी देर बाद आपटे और करकरे आये । मैं, बटगे और आपटे सब विड़ला-भवन चले गये और करकरे हिन्दू महासभा-भवनमें ही रुका रहा ।

विड़ला-भवनके द्वारपर हमें एक पुलिसमैनने रोक लिया । उसने हमसे पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं । आपटेने एक निटपर कुछ लिख दिया । उस समय दो आदमी विड़लाभवनमें दृष्ट रहे थे । आपटेने कुछ संकेत करके बटगेसे कहा जिसे मैं नहीं समझ सका ।

एम विड़लाभवनके पीछे गये और प्रार्थना-मैदानमें पहुँचे । आपटेने एक छोर अपनी जेबसे निकाली और कुछ नाप-झोप करके बटगेसे कुछ कहा ।

मैंने बटगेसे पूछा कि क्या बातचीत हो रही थी । बटगेने कहा कि कुछ नहीं । तब एम हिन्दू महासभा-भवनकी चले गये ।

आपटेने गोपाल, बटगे और मुझसे उनकी साथ बटगेकी चर्चा । एम हिन्दू महासभा-भवन कार्यालयके पीछे पहुँचे । वहाँ गोपाल ने मुझे अपनी विस्तीर्णका परीक्षण किया लेकिन गोली न लगी । मैंने दूसरी विस्तीर्ण कापकी और गोली निकल रही । मुझे गोपाल से मुझसे लिए गैर और वह मुझे एक आदेश मिला जिससे वह अपनी विस्तीर्णकी सम्पादन कर सके । मदनलालने एक पीछेसे निहालकर मैंने तैल और चमड़े दिया । वह गोपाल अपनी विस्तीर्ण

सुधार रक्षा था तो जंगलके तीन चौकीदार उधर आ धमके । गोपालने उनसे पंजाबीमें बातें कीं और उन्हें टहला दिया ।

हिन्दू महासभा-भवनमें करकरेने मदनलालसे कहा कि आप विस्तरेसे थैला निकाल लें । मदनलालने थैला निकाला और करकरेके साथ वहाँसे चला गया । उसके बाद गोपाल गोडसेने एक सफेद थैला निकाला । आपटे, गोडसे, बडगे, और मैं तब मेरीना होटल गये । उस समय गोपाल गोडसेके पास सफेद थैला था ।

### १९ नवम्बर—शंकरसे और प्रश्न

आज शंकर किस्तियासे और प्रश्न पूछे गये ।

उसने कहा कि यह ठीक है कि हिन्दू महासभा-भवनसे मैं गोडसे, आपटे और बडगे मेरीना होटलके कमरा नं० ४० में गये जहाँ नथूराम विस्तरपर लेटा था । मैं और बडगे दूसरी मन्जिलपर गये और भोजन किया । इसके बाद हम फिर उसी कमरेमें गये । गोपाल गोडसे वहाँ रिवाक्कर सुधार रक्षा था ।

इसके बाद उन सयमें कुछ बातें होने लगीं । करकरेने अपनी मूर्छों और भौंहोंपर रंग लगाया । उसने अपने माथेपर तिलक लगाया । आपटेने मुझे एक बम और एक पिस्तौल दी । बडगेको भी बम और पिस्तौल दी गयी । एक बम और एक गन फायन टुकड़ा करकरेको दिया गया । शेष सामान गोपालने अपने थैलेमें रख लिया ।

आपटे, गोपाल, बडगे और मैं तब मेरीना होटलसे एक कारमें हिन्दू महासभा-भवन गये । इस कारका ड्राइवर एक सिख था । बडगेने वहाँ पगड़ी उतार दी और ऐनक लगा लिया । तब हमलोग विड़ला-भवन गये । विड़ला-भवनके पीछे हमें पहले मदनलाल और फिर करकरे मिले ।

बादमें मैं और बडगे द्वारपर आये । आपटे और अन्य लोग वहाँ पहलेसे ही थे । बडगेने उनसे कुछ बातें कीं और फिर हम दोनों प्रार्थना-मैदानमें चले गये । थोड़ी देरमें जोरका धमाका हुआ और मैंने पुलिसकी हिरासतमें मदनलालको देखा । बडगेने मुझसे एक तांगा मँगवाया और हम दोनों हिन्दू महासभा-भवन खिसक आये ।

वटगे इस समय भयभीत था। उसके आदेशसे मैंने कम हिन्दू महा-  
सभा भवनके पीछे इंट पर्योषे दवा दिये और थैलेका सामान भी खींच  
दिया, लेकिन थैला वापस ले आया।

५३-

जब मैं लौट रहा था तो आपटे और नयूगम हिन्दू महासभा भवनसे  
बाहर जा रहे थे। मैंने बटगेसे पूछा कि क्या मामला है। वह इतना डरता  
उठा कि उसने मेरे चांटा रसीद कर दिया। हम स्टेशन आये। बटगेने दो  
टिकट लिये और रातको १० बजे बम्बईकी ओर चल पड़े। मैं गोलापुर  
गया। लौटनेपर मुझे पूनामें पता चला कि बटगे गिरफ्तार कर लिया गया है।  
मैं बम्बई गया और दोषित महासभाके घर नौकरसे मिला। उसने मुझे  
बम्बई सी. आई. टी. भवन पहुँचाया। वही नगरवायाने मुझे वहाँ  
एकदम थपट मारा और पूछा कि क्या किया गया है। मैंने उन्हें सब  
बताया।

-

११ फरवरी १९४८ को दिल्लीमें मेरे साथ पंच गये और हिन्दू महा-  
सभा भवनके पीछे बहुत सामान बरामद हुआ।

शिनाम्ल परेडोंके बारेमें मुझे कुछ नहीं करना है। मैं बटगेका नौकर  
था। इसलिए मैं उनके साथ दिल्ली गया। मैं पटवर्धनके बारेमें कुछ नहीं  
जानता। स्वतंत्र पक्षके प्रमाणीके विषय तथा जाने क्याजाने कर्मचारीमें मैं कोई  
गवाह पेश नहीं करना चाहता।

### गोपाल गोडसेका वक्तव्य

मैं सरकारका घनादार तथा निर्दोष हूँ।

छठे अभियुक्त गोपीचन्द्र विनायक गोडसेमें आज विचार-सत्रमें मुझे  
लिखित बयानमें इस बातका जोरदार मन्त्रमें पण्डित जिनका कि नानादीदी  
मृत्यु किसी गठबन्धन अथवा पटवर्धनके अनुकार की नहीं थी।

उक्त बयान १५ फरवरी १९४८ का जिनके पक्षमें उसने अदालतके सामने  
सुनाया। - उसने कहा कि १ दिसम्बर १९४७ तथा १० जनवरी १९४८ के  
बीच मैंने किसी तरह भी कोई गठबन्धन या पटवर्धन सम्बन्धी कोई कार्य

व्यक्तिके बीच नहीं किया जिससे या जिसके द्वारा कोई गैर कानूनी काम अर्थात् महात्मा गान्धीकी हत्या हो सकती ।

गोपाल गोडसेने यह भी अस्वीकार किया कि उसने १० जनवरी तथा २० जनवरी १९४८ के बीच किसी पटवन्त्र या समझौतेके अंतर्गत गैरकानूनी अथवा अन्य प्रकारका कोई हथियार या गोली बालूद दिल्ली भेजा । उसने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ न था जिससे किसीके जीवनको हानि पहुँचायी या पहुँचायी जा सके ।

मैंने महात्मा गान्धीकी हत्याके लिए किसीको प्रोत्साहन नहीं दिया । मुझपर जो अभियोग लगाये गये हैं मैं उनसे दिक्कूल निर्दोष हूँ । १७ तथा २५ जनवरीके बीच मैं दिल्ली, पूना अथवा बम्बई किसी भी स्थानपर मौजूद न था ।

उसने बताया कि जैसा सवृत पक्षका कहना है, मैं ५ फरवरीको उक्तणमें गिरफ्तार नहीं किया गया । मुझे पुलिस मेरो रक्षाके वहाने बम्बई ले गयी और बादमें मुझे बताया कि मैं गान्धी हत्याकाण्डके सम्बन्धमें हिरासतमें ले लिया गया हूँ ।

दुर्घटनाके समय दूसरी जगह होनेका सवृत देते हुए गोपाल गोडसेने कहा कि मैंने अपने भाई नथूराम गोडसेकी किसी राजनीतिक हलचलमें कभी भाग नहीं लिया । महात्मा गांधी समेत किसी व्यक्ति अथवा सम्प्रदायसे मैंने कभी कोई घृणा नहीं की ।

उसने कहा कि मैं सरकारका स्वामिभक्त नौकर हूँ । वम विस्फोटके समय मैं अपने गाँवमें था तथा गांधीजीकी हत्याके समय अपने खड़कीके फौजी शस्त्रागारके दफ्तरमें काम कर रहा था ।

गोपाल गोडसेने हस्तलेख-विशेषज्ञ श्री गज्जरकी गवाहीको तथ्यहीन बताया । उसने कहा कि श्री गज्जर हस्तलेखकी वास्तविकता जाननेमें असफल रहे हैं । उन्होंने उस हस्तलेखको मेरा ही बताया है जो पुलिसने मुझपर दबाव डालकर मुझसे विशेष ढँगसे लिखवाया था । उनके विषयमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह गवाह पुलिससे बेतन पाता है, अतः वह सामान्यतः वही बात कहेगा जिससे पुलिसके पक्षका समर्थन हो ।

जिन गवाहोंने उसे पहचाना था उनके बारेमें अभियुक्तने कहा कि इन गवाहोंको मुझे शिनाख्त परेडोंसे पहले देखनेका अवसर मिला था । इसके

अलावा वे गवाह पुलिसके दबावमें काम करते थे । मैं उस जगह रहा गया था जहाँ आकर मुझे कोई भी देख सकता था । उसने कहा कि मेरे चेहरे पर जो एक निश्चित चिह्न है उससे बिनासत करनेमें किसीको क्या कठिनाई हो सकती थी ।

उसने यह भी कहा कि सभ्रदमें पुलिसने मेरे फोटो लिये थे । मेरे मुँह दमेके पढ़ने दिन प्रेष तथा केमरामेनीने भी फोटो ले लिये थे । समाचारपत्रोंमें प्रकाशित फोटो तथा सिनेमाचित्रोंमें दिखाये गये मुकदमा-निर्णयसे मुझे सभी पहचान गये थे ।

अन्तमें उसने कहा कि मैं अपनी पूर्ण ईमानदारीसे कहता हूँ कि मैं अभियोगोंसे निर्दोष हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरेलिए न्याय किया जाय और मुझे, मुझपर बिना धमका लगाये, बरी किया जाय ।

### गोपालसे प्रश्न

वक्तव्यके बाद गोपाल मोटसे न्यायाधीशने प्रश्न पूछे । गोपालने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि १४ जनवरी १९४८ को नारायणने अपना पौना मेरी पत्नीके नाम बहीयत कर दिया था । १७ से २५ जनवरी तक जो लुट्टी खड़की मोटर ट्रांसपोर्ट मालगोशमसे मीने ली थी वह मीने उकड़वमें ही बिगानी थी । वह लुट्टी मीने फोल्ड कामके लिए ली थी ।

वज्र—१९ जनवरी १९४८ को तुम शरॉक होटल ( दिल्ली ) में गये । तुमने वहाँ पूछा कि मदनलाल किस कमरेमें ठहरा है । तुम मदनलाल और कर-करके साथ शाम तक वहाँ ठहरे ?

गोपाल—वह गलत है ।

अभियुक्तने आगे बताया कि वह हिन्दू महाशभा भवनमें १९ जनवरीकी रातको कभी नहीं ठहरा । उसने मदनलाल, शंकर और कान्हेरी परानी कर सभ्रद ली. आर्द. ली. कार्यालय भवनमें ही देखा था । इसी रात उसने मेरीना होटलमें जाने, रिवाल्वर मुझसे, देवकीसे रिवाल्वर भवन जाने तथा दिल्लीके फ्रांटियर हिन्दू होटलके रजिस्ट्रारकी छाता पूरी करने साथ साथ आदिके बारेमें अनेक प्रश्न पूछे, जिनकी उसने किञ्चित् सतर्कता और दृढ़



बतलाया । उसने कहा कि करकरेको भी मैंने पहली बार बम्बईके सी. आई. डी. कार्यालयमें देखा था ।

गोपालने आगे कहा कि २४-२६ जनवरीके बीच मैं नथूरामसे नहीं मिला । न मैंने आपटे और करकरेको ही एल्फिस्टन होटल ( बम्बई ) में देखा । ५ फरवरी १९४८ को मैं उकसण जा रहा था जब कि पुलिसने मुझे सुरक्षा देनेके नामपर पकड़ लिया और बम्बई सी. आई. डी. कार्यालयमें ले आयी । जब मैं उकसण जा रहा था तो मेरे पास कोई पैसा न था । मुझे सी. आई. डी. कार्यालयमें प्रत्येक गवाहको पहचानवा दिया गया था । इसके बाद शिनाख्त परेडोंमें मेरी शिनाख्त करवायी गयी थी ।

उसने यह मान लिया कि यह हाथके लेख उसीके हैं, किन्तु पुलिसने उससे यह सब एक विशिष्ट ढँगसे जबरदस्ती लिखवाये थे । गवाहोंने सम्भवतः उसके विरुद्ध गवाहियाँ पुलिसके दवावसे दी हैं । मुझसे पुलिसने यह भी कहलवाना चाहा था कि नथूरामको पिस्तौल मैंने ही दी है । पुलिसकी मनचाही बात कहनेपर मुझे तीन दिन तक खूब मारा पीटा गया ।

मैं सबूत पक्षके प्रमाणोंके विरुद्ध तथा अपने बवानके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं देना चाहता ।

## २० नवम्बर—सावरकरका वक्तव्य

मेरा अन्य अभियुक्तोंसे कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध न था

“मैं सच्चे दिलसे कहता हूँ कि सबूत पक्षने जिस साँठगाँठ अथवा पड़-यन्त्रका आरोप लगाया है उसमें मेरा कभी भी कोई हाथ नहीं और न मुझे इस प्रकारकी अपराधपूर्ण योजनाकी कोई पूर्व सूचना ही थी । मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका दोषारोपण मुझपर किया गया है और न कोई कारण ही था कि मैं इस प्रकारके काम करता ।” ये शब्द महात्मा गांधीकी हत्याके सातवें अभियुक्त विनायक दामोदर सावरकरने आज विशेष अदालतमें कहे ।

सावरकरने अपना ५७ पन्नेका लिखित बयान पढ़कर सुनाते हुए अपने व्यक्तिगत जीवनका सिंहावलोकन कराया ताकि वे अपनी स्थितिको स्पष्ट कर सकें । उन्होंने कहा कि मैंने १९०५ में बम्बई विश्वविद्यालयसे डेजुएटकी

उपाधि प्राप्त की। १९०९ में मैंने लंदनसे बैरिस्टरी पास की। मैंने मराठी और अंग्रेजीमें राजनीति, इतिहास, नाटक तथा अन्य विषयोंकी अनेक पुस्तकें लिखीं। इनमेंसे अनेक पुस्तकें या उनके अंश भारतके स्कूल तथा कालेजोंकी पाठ्य पुस्तकोंमें समाविष्ट हैं। हालमें ही मुझे नागपुर विश्वविद्यालयसे वाटररी उपाधि मिली है। मुझे भारतके लगभग सभी प्रांतोंमें किसी न किसी राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेका अवसर मिल चुका है।

सावरकरने कहा कि १० वर्ष हुए जब कि मैंने 'सावरकर सदन' नामक अपना दो मंजिला मकान बनवाया। मकानकी निचली मंजिलमें जो हाल है वह हिंदू संघटन कार्यालयके लिए सुरक्षित कर दिया गया है। यह हाल स्वागत भवन भी बना लिया गया था। इस हालकी चारों तरफ कुछ घरोंमें श्री ए. एम. मिट्टे किरायेपर रहते आ रहे हैं और दाहिनी तरफ मेरे टैलेटरी श्री जी. बी. दामले उपरिवार रहते हैं। मैं उपरिवार इस मकानकी पर्यी मंजिल में रहता हूँ। देश और विदेशोंके लोगोंको मुलाकात करनेका अवसर तभी दिया जाता है जब वे पहलेसे ही मेरे साथ अपना समय निश्चित करवा लेते थे।

सावरकरने आगे बताया कि १९३७ में मैं पर्यी वार हिंदू नरसभाका अध्यक्ष चुना गया और तत्पश्चात् लगातार छः वर्ष तक चुना जाता रहा। अन्तमें अस्वस्थ होनेके कारण मैंने इस पदसे त्यागपत्र दे दिया। समाज उद्देश्य हिन्दुओंका संघटन करना और उन्हें सैनिक बनाना था।

उन्होंने कहा कि भारतमें हिन्दुओंका बहुमत है। मेरे दृष्टता मत था कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य बने जिसमें जाति, धर्म तथा वर्णके बिना भेद-भावके सब नागरिकोंको समान अधिकार प्राप्त हों। लेकिन मेरे दामने यह कभी नहीं माना कि हिन्दुओंके न्याय्य अधिकारोंको छीनकर मुसलमानोंकी तरफ दी जाय।

सावरकरने कहा कि मेरे विरुद्ध छत्र आरोप फेरफट दो जुने हुताये कानपीछे छापावर लगाया गया है। आस्ट्रे-गोडके अन्तकार 'अमनी' में मेरे विषयमें मैंने इनकार कर दिया था। एक वार आर्थिक नरद हो, पर बादमें फिर उद्योग भी इनकार कर दिया था। कई वार गोडकेको अपने साथ ले जानेसे भी मैंने इनकार कर दिया था। यह संभव है कि आस्ट्रेने वद्योगको यह अक्षय कृत करी हो कि सावरकरने नेहरू-गान्धी-मुहयवर्दीको लक्ष्य करनेका आदेश दिया

है। इससे वह मुझे हिन्दू संघटनवादियोंकी दृष्टिमें बदनाम करना चाहता हो। आपटे कारगुजारी करनेवाला है यह सूच्य पक्षने दिखाया है। कल्पित नाम रखकर घूमना, होटलोंमें झूठे पते देना, चोरीसे शस्त्रास्त्र वेचना आदि आरोप उसपर लगाये गये हैं। आपटेका तो कहना है कि उसने बडगेसे ऐसी कोई बात नहीं कही। बडगेको यदि सावरकरकी बातपर इतनी श्रद्धा थी तो वह दिल्लीसे अपनी जान बचानेके लिए भाग क्यों आया। पुलिस भी किसी बडे नेताको फँसाकर सनसनी पैदा करके अपना नाम बढ़ाना चाहती होगी।

देशकी स्वाधीनताके लिए पिछले ५० वर्षोंमें जो लड़ायाँ हुईं उनमें मैंने भी एक सैनिककी हैसियतसे भाग लिया है और अपनी पीढीके किसी भी देशभक्तसे कम त्याग मैंने नहीं किया।

गान्धीजीने मेरे बारेमें 'यज्ञ इण्डिया' में बहुतसी प्रशंसापर टिप्पणियाँ लिखी हैं।

### अन्य अभियुक्तोंकी जानकारी

सावरकरने कहा कि मैं नथूराम गोडसे, आपटे, डा० परचुरे, करकरे और बडगेको हिन्दू महासभाके कार्यकर्ता होनेके कारण जान सका था। नथूरामका मुझसे विशेष परिचय कराया गया था। आपटेका परिचय एक पत्र द्वारा हुआ था कि वह अहमदनगरका सभाई कार्यकर्ता है। डा० परचुरे ग्वालियर हिन्दू महासभाके नेताकी हैसियतसे मुझसे परिचित हुआ था। करकरे हिन्दू महासभाके टिकटपर अहमदनगर म्युनिसिपलिटीका चेयरमैन चुना गया था। बडगेने मुझे एक पत्र लिखा था कि वह एक 'हिन्दू संघटन' का सदस्य है और वह उन हथियारोंकी वेचता है जो बिना लाइसेंसके बेचे जा सकते हैं।

सावरकरने कहा कि गोडसे और आपटेके पत्रोंकी यदि विशद विवेचना की जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि यह हमारा सम्बन्ध बिल्कुल कानून-सम्मत था। आपटे और गोडसे एक मराठी दैनिक पत्रके लिए मुझसे धन तथा नैतिक समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। मैंने उन्हें १५००० रूपया दिया। यह इसलिए नहीं कि वह गोडसे-आपटेका पत्र था, वरन् इसलिए कि यह हिन्दू-महासभाका पत्र था। इस पत्रकी नीतिपर पूर्णतया आपटे और गोडसेका नियन्त्रण था। मेरा उसपर कोई प्रभाव न था।

मैं हिन्दू-महासभाका अध्यक्ष था। अतः इस पत्रके मुख्यदृष्टर मेरा कोटो प्रति दिन निकलता था। लेकिन कोटो प्रकाशित करनेका निर्णय गोटे-आपटेने किया था। मैंने उसमें कोई आपत्ति नहीं समझी।

गोटेसे दोरेपर मेरे साथ प्रेस प्रतिनिधिका तरह जाता था। यह सम्पर्क केवल हिन्दू महासभाके पदाधिकारिके नाते था। यह कितना बेहूदा होगा यदि इस सम्पर्कको एत्याकाण्डमें सम्मिलित होनेकी सीमा तक विस्तार करनेका प्रयास किया जाय।

सावरकरने बताया कि शंकर, गोपाल गोटेसे और मदनलालका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना और न मैं उन्हें तनिक भी जानता हूँ।

### बटगेकी गवाहीका स्रण्डन

बटगेने जो यह गवाही दी है कि मैंने १९४६ के अंतमें सावरकर-मदन की एक अनियमित सभामें यह भाषण किया कि कांग्रेसकी नीति हिन्दुओंके लिए अहितकर है और मुस्लिमोंका आर्थिक बाढ़काट होना चाहिये। यदि मुस्लिम हिन्दुओंपर हमला करें तो हिन्दुओंको उसका बदला लेने तथा प्रतिरोध करनेके लिए कटिबद्ध रहना चाहिये। बटगेका यह बयान मनगढ़ंत है। इस प्रकारकी कभी कोई सभा नहीं हुई। और यदि थोड़ी देरके लिए मान भी लिया जाय कि इस प्रकारकी सभा हुई और मैंने ऐसा भाषण किया, तो भी उसको इस विशेष पदग्रन्थसे सम्बद्ध किसी प्रकार नहीं किया जा सकता।

बटगेने कहा है कि आपटे और गोटेके साथ यह सावरकर मदन गये। वह बाहर बना रहा और दोप दोनों भीतर चले गये। कुछ देर बाद वे बाहर आये। इसका यह अर्थ कैसे समझा जा सकता है कि यदि वे लोग 'सावरकर मदन' में गये तो वह सुसंगे मिलकर सीटे। आपटे जीम गोटेसे अपने किसी तथा सहकर्मीको देखने गये होंगे। कोई स्पष्ट सूचना नहीं जो इस पदग्रन्थका समर्थन करे।

बटगेका कथन है कि आपटेने उसे दिखा देनेकी कहा। आपटेने उससे कहा कि ताजशाहका कहना है कि महात्मा गांधी, पं० नेहरू और भी सुर-रायदाँका अंत कर देना चाहिये और यह काम उन्हें सीना गया है। यह गवाही बिल्कुल मनगढ़ंत है। आपटेने इस सुझावों प्रस्ताव हिन्दू महासभाओंके

मनमानी दिशामें प्रयुक्त करनेके लिए आविष्कार किया होगा । इस झूठका तीर निशानेपर लगानेके लिए मेरे नामकी ओट ली गयी होगी । आपटे और गोडसेने मुझपर जो आरोप लगाये हैं उनका तीव्र प्रतिवाद किया है ।

बडगेने कहा है कि मैंने कहा 'सफल होकर वापस आओ' । इसके बारेमें मेरा कहना है कि १७ जनवरी १९४८ को या इसके आसपास गोडसे और आपटे मुझसे नहीं मिले । यदि मान भी लिया जाय कि वे सावरकर सदन में आकर मिले होंगे, तो कोई स्पष्ट सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि वे मुझसे मिले और पडयन्त्र-योजना पर बातचीत की ।

सावरकरने कहा कि बडगेका अधिकांश बयान मनगढ़ंत है और शेष बयान का मेरे विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई प्रामाणिकता ही नहीं ।

कुमारी मोडकने आपटे और गोडसेको सावरकर-सदनमें स्वयं बुसते नहीं देखा । अतः उनका बयान प्रमाण नहीं माना जा सकता । डा० जैनका बयान मदनलालकी सूचनाओंपर अवलम्बित होनेके कारण निष्प्रयोजनीय है । बम्बईके गृहमंत्री श्री मुरारजी देसाईका प्रसंग भी मेरे विषयमें कुछ टेक्नीकल कमीके कारण लागू नहीं हो सकता ।

### “मैं निर्दोष हूँ”

पर सावरकरने कहा कि १० हजार पत्रोंमेंसे भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली । मेरे पास कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे मुझे इस पडयंत्रमें शामिल माना जाय । अन्य अभियुक्तोंसे परिचित होनेका अर्थ यह नहीं कि मेरी उनसे साँठगाँठ थी । मेरे विरुद्ध जो आरोप सबूत पक्षने लगाये हैं वे सब कपोल कल्पित हैं । अतः मैं त्रिलकुल निर्दोष सिद्ध होता हूँ । मुझे बरी किया जाय ।

अन्तमें सावरकरने अपनी उन प्रेष-विज्ञप्तियोंको दिखाया जिनमें उन्होंने १९४० में पं० नेहरू की, तथा १९४२ में म० गान्धी और पं० नेहरूकी गिरफ्तारियोंकी निंदा की थी; १९४३ में महात्मा गान्धीसे उपवास छोड़ने का अनुरोध किया था तथा श्री जिनाकी हत्याके प्रयासकी निंदा की थी ।

म० गान्धीजी की हत्याकी निंदा जिन दृष्ट शब्दोंमें की थी वह भी बदलव  
पेघ किया ।

सावरकरने कहा—इन विज्ञप्तियोंसे प्रकट है कि मैं विभिन्न दलोंके नेताओं-  
के लिए कितना अधिक सम्मान रखता हूँ ।

मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि मैं अपने देशको स्वाधीन देखनेके  
लिए जीवित रहा । इसमें संदेह नहीं कि मेरे जीवन-लक्ष्यका एक भाग अभी  
पूरा नहीं हुआ । फिर भी उसे पूरा करनेकी महत्त्वाकांक्षा मैंने विस्मृत नहीं की  
है । अपने देशकी अखण्डता—सिंधुसे समुद्रों तक अब भी पुनः स्थापित करनी  
है । इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए जो कुछ हमें मिल्या है उसका संघटन करना  
अत्यन्त आवश्यक है । इस विचारसे प्रेरित होकर मैंने जनताको हमेशा समझाया  
कि केंद्रीय सरकारको मुटुद बनाओ, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी दल क्यों न  
करता हो । मैंने नये राष्ट्रीय झंडेको स्वीकार कर लिया । महासभाकी कार्य-  
समितिके एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय सरकारको समर्थन देनेका निर्णय किया ।  
महासभाके नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडलमें हैं ।

### सभाकी नीति तकका विरोध

सावरकरने कहा कि हिंदू महासभाकी उक्त नीतिके विरोध करनेके लिए  
एक हिंदू संघटन स्थापित हुआ जिसने सभाई उक्त नीतिसे पूर्ण विरोध  
प्रारम्भ किया । उसने कहा कि इंडियन नूनियनको सभा द्वारा स्वीकार करना  
अप्रत्यक्षतः पाकिस्तानकी स्थापना मान लेना है । जो केंद्रीय सरकार बंगाल  
और बंगालमें लाखों हिंदुओंको नहीं बचा सकी उसे समर्थन देना हिंदुत्वके  
साथ विश्वासघात करना है । सावरकरने बताया कि आगटे और गोखलेने इस  
विरोधी संघटनको अपनाया । वे दृष्टे दृष्ट विभागी और हिंदूत्वकी दृष्ट  
पक्षपाती होनेके कारण उन सब दलोंके आलोचक थे जो उनमें विभागी विचार  
तथा सिधिल नीतिकी चोतक थी ।

१९४२ में बहुतसे कांग्रेसियोंने गांधीजीका आदेश तोड़कर, पर गांधीजी  
का नाम ले-लेकर तोड़-फोड़के काम किये, पर हिंदीय सरकारमें मैं न सीटों  
पर इसके लिए मुकदमा नहीं चलाया !

अंतमें सावरकरने कहा—मेरे विरुद्ध बहुत पक्षमें ही आरोप लगाये हैं

उन्हें वह प्रमाणित करनेमें असफल है। अतः मेरी रिहार्डका तुरन्त आदेश दिया जाना चाहिये।

सावरकरको अपना ५७ पन्नेका वयान पढ़नेमें लगभग २॥ घंटे लगे। यद्यपि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है फिर भी वयान पढ़ते समय वे खड़े रहे। उनकी आवाज स्पष्ट थी।

जब ५१ वें पन्नेपर २७ वाँ पैरा पढ़ रहे थे तो उनके वयानमें भारत-विभाजनका प्रसंग आया। इस अवसरपर उनका गला भर आया, वाणी कांपने लगी और आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। थोड़ी देरको उनका स्वर अवरुद्ध हो गया; उन्होंने अपनी आँखें मँझी, आँसुओंको रुमालसे पोंछा और फिर गम्भीरतापूर्वक वयान आगे पढ़ने लगे। वादमें भी आर्द्र नेत्रों अथवा आँसुओंको वे बीच-बीचमें रुमालसे पोंछते रहे।

वक्तव्यके बाद अदालतने उनसे कुछ प्रश्न पूछे।

### सावरकरसे प्रश्न

जज—यह गवाहीमें कहा गया है कि जनवरी १९४८ के पहले सप्ताहमें मदनलालने डा० जैनसे कहा कि आपने उसके अहमदनगरके कारनामोंकी सुना था। आरने उसे बुझाया था। आपने उससे लगभग दो घण्टे बातें की थीं, और जब-तब पीठ ठोककर बाहवाही देते हुए कहा था—‘शाबाश ?’

अभियुक्त—यह सब झूठ है।

जज—२४ जनवरी १९४८ को साँच ९ बजे नथूराम गोडसे और आपटे आपके घर गये। उनके पास विस्फोटकोंका एक थैला था। थोड़ी देर बाद वह आपके घरसे चले गये।

अभि०—यह सब झूठ है।

जज—२५ जनवरी १९४८ को प्रातःकाल दीक्षित महाराजके घरके हातेमें नथूराम गोडसेके सामने आपटेने बडगोसे कहा कि आपने निर्णय किया है कि महात्मा गान्धी, पण्डित नेहरू तथा श्री सुहरावर्दीका खात्मा कर दिया जाय। और यह काम आपने उनको सौंया था।

अभि०—मैंने ऐसी बात आपटे, गोडसे अथवा किसी व्यक्तिसे कभी नहीं

जन—१७ जनवरीको नशूराम, आपटे और बडगे आपके घर गये। लगभग १० मिनट बाद आपटे और गोटसे बाहर आये। आप भी उनके पीछे ही चले आये। आपने कहा—“सफलता प्राप्त करो और लौट आओ।”

अभि०—यह सब झूठ है।

जन—लौटनेपर आरटेने टैक्सीमें सबसे कहा कि आपने भविष्यवाणी की है कि महात्मा गान्धीके १०० वर्ष पूरे हो गये हैं।

अभि०—मैंने ऐसी बात कभी भी किसीसे नहीं कही। मैं नहीं कह सकता कि क्या झूठ हुआ !

जन—१९ जनवरीको प्रातः लगभग ९-२० बजे दिन्धीसे दामले अथवा कागारके लिए एक टेलीफोन काल किया गया। दामले आपका सेक्रेटरी है, कागार आपका अंगरक्षक।

अभि०—मैं टेलीफोन कालके बारेमें कुछ नहीं जानता। दामले मेरा सेक्रेटरी है और कागार मेरा अंगरक्षक।

जन—२१ जनवरीको आपके घरकी तलाशीमें सद्गुप्तसे पत्र मिले। इनमेंसे कुछपर गोटसे, आपटे तथा आपके हस्ताक्षर हैं।

अभि०—जी हाँ।

जन—१७ जनवरी १९४८ से पूर्व, आप नशूराम गोटसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, परचुरे और बडगेसे भली प्रकार परिचित बताये गये हैं।

अभि०—मैं गोटसे और आपटेको हिन्दू महासभाके कार्यके विषयमें भली भाँति जानता था। करकरे, परचुरे तथा बडगेके नाम मैंने कभी नहीं सुने थे। लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत रूपसे नहीं जानता था। मदनलालका मुझे परिचय न था।

पूछनेपर सावरकरने कहा कि मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता और न मैं कोई गवाह ही प्रेष करना चाहता हूँ।

### परचुरेका वक्तव्य

मैं स्वातिद्वारका नागरिक हूँ।

सावरकरसे जिरा होनेके बाद आठवें अगस्तको परचुरेमें अम्ना १५ द्वारा बयान पढ़ा। परचुरेने कहा कि किसी भी रूपसे सावरकर तथा किसी भी



घातके वावजूद यह विशेष अदालत मेरे विरुद्ध लगाये गये अभियोगोंकी सुनवाई नहीं कर सकती। मैं ग्वालियर राज्यकी सरकारका राजभक्त नागरिक रहा हूँ। मैं लश्करमें पैदा हुआ और मैंने वहीं शिक्षा पायी थी। अपने जीवनकालमें मैं कभी ब्रिटिश भारतमें नहीं रहा, इसलिए मेरे मुकदमेकी सुनवाई गैर-कानूनी है।

परचुरेने इस घातका जोरदार खण्डन किया कि वह कभी भी किसी भी व्यक्तिसे महात्मा गान्धीकी हत्याके पडयन्त्रके सम्बन्धमें सहयोगी बना या सह-मति प्रकट की। परचुरेने यह भी मान्नेसे इन्कार कर दिया कि गान्धीजीकी हत्या किसी पडयन्त्रके अनुसार हुई है।

गोडसे और आपटेके ग्वालियर जाकर उसके मकानमें ठहरनेके वारमें परचुरेने कहा कि यह झूठ है कि वे २७ जनवरीकी आधी रातसे २८ जनवरी १९४८ की शाम तक मेरे यहाँ ठहरे। सच बात तो यह है कि वे २८ जनवरीको प्रातः ७।। बजे मेरे यहाँ आये थे। मैं इन लोगोंको आया देख कुछ चट-सा हो गया। अपनेको सम्भाल कर मैंने उनसे कुछ बातें कीं और चाय पिलाकर औपचार्य जानेके लिए विदा माँगी। प्रातः आठ बजे मैं घरसे अकेला रवाना हुआ था।

दोपहरको एक बजे मैं जब घर आया तो उन्हें वहाँ नहीं देखा। लगभग शामके चार बजे वे मेरे यहाँ फिर आये और मैंने उनसे चाय पीनेके लिए कहा। बातचीतके सिलसिलेमें आपटेने मुझसे कहा कि हम ग्वालियर इसलिए आये हैं कि आप हमें दिल्लीमें प्रदर्शन करनेके लिए कुछ स्वयंसेवक दें। मैंने इसके लिए उनसे साफ इन्कार कर दिया।

### नथूराम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका कार्यकर्ता था

परचुरेने कहा कि गोडसे-आपटे २८ तारीखको मेरे यहाँ आये और स्वयंसेवकोंकी माँग करने लगे। मैं गोडसेको जानता था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे सहानुभूति रखता था। गोडसे संघका प्रमुख संघटक रह चुका था। अपने 'हिन्दु राष्ट्र' पत्रमें वह संघका प्रचार कर चुका था। मुझे यह नहीं लगता था क्योंकि संघ हमेशा हिन्दू महासभासे अलग रहनेकी चेष्टा रहा। इसीलिए मैंने स्वयंसेवक देनेसे इन्कार कर दिया।

उस दिन शामको अपने साथ खाना खानेका मैंने निमन्त्रण दिया, पर वे खाना खाने नहीं आये। इसके बाद मैंने उन्हें कभी भी लश्करमें नहीं देखा। यह झूठ है कि २८ जनवरी १९४८ को दोपहर उन्होंने मुझसे या मेरी उपस्थितिमें रिवाल्वरकी चर्चा की थी। उन्होंने मेरे घरमें रिवाल्वर चलानेका अभ्यास भी नहीं किया।

यह बात भी सच नहीं है कि मण्डला गान्धीके निधनपर खुशी मनानेके लिए मेरे घरपर मिठाई बाँटी गयी थी।

अपने इकवाली बयानके बारेमें परचुरेने कहा कि मुझसे जबरन एक वक्तव्यपर हस्ताक्षर करा लिये गये जो मेरा वक्तव्य न था।

पुलिस अफसरोंके असम्य व्यवहारके बारेमें परचुरेने कहा कि ग्वालियर किलेकी एक परतारकी कोठरीमें मैं १७ दिन और १६ रात सर्वथा अकेला रहा था। ग्वालियरके सी. आई. डी. के अफसर श्री खिज़्र मुहम्मदने मुझसे कहा था कि मैं अब आपसे बदला चुकाऊँगा क्योंकि आप ग्वालियरके हिंदुओंके नेता हो।

कुछ दिनों बाद भारतीय संघके पुलिस अफसर मेरी दारिकमें आने लगे। उन्होंने मुझसे पूछताछ की। उन्होंने मुझसे सभी प्रकारके प्रश्न किये और अपमानजनक बातें कहीं। यमईके एक पुलिस अफसर देउलकरने मुझे धमकियाँ दीं और कभी कभी उल्लाह दीं। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे परिवारके सभी व्यक्ति गिरफ्तार करके हवी तरह कैद कर दिये गये हैं। पुलिस अफसरने मुझे बार बार यह उल्लाह दी कि तुम अब वक्तव्यपर हस्ताक्षर कर दो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जब मैंने इसके इन्कार किया तो कहा कि अपने परिवारके विषयमें सोच लो। तुम सभीको यह भोगने रहोगे।

मैंने अपने परिवारका ख्याल करके, हस्ताक्षर अपनी ८० वर्षीया माताका ख्याल करके, वक्तव्यपर हस्ताक्षर करनेका निश्चय कर लिया।

एक दिन प्रातः एक नरिस्ट्रेट भी अटल कुछ अफसरोंके साथ आये। उन्होंने मेरे सामने कुछ कागज रग दिये और मुझसे हस्ताक्षर करनेकी कहा। मैंने उनपर हस्ताक्षर कर दिये। पर यह सही नहीं है कि नरिस्ट्रेटने मुझसे कुछ प्रश्न किये या मेरा पनाम लिया। नृकि उन्हेलक हस्ताक्षर किया हुआ मेरा पनाम वास्तवमें इतनाही पनाम नहीं है अतः हस्ताक्षर नहीं होना चाहिये।

अन्तमें परचुरेने कहा कि मुझपर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्धमें मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, अतः मुझे मुक्त कर दिया जाना चाहिये ।

### २२ नवम्बर—परचुरेसे प्रश्न

आज अदालतमें जिरहके जवाबमें डा० परचुरेने कहा कि गोडसे और आपटे २६ जनवरी १९४८ को मेरे मकानपर नहीं आये थे और न ही वे रातभर वहाँ रहे । उन्होंने मेरे मकानपर किसी पिस्तौलका परीक्षण नहीं किया । यह गलत है कि मैंने दण्डवतेके द्वारा उन्हें कोई पिस्तौल दिखायी थी । अभियुक्त दण्डवते इस वक्त फगर है ।

परचुरेने आगे कहा कि गान्धीजीके कत्लका समाचार सुनकर मैंने यह नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है और हिन्दू धर्म खतरसे बाहर हो गया है ।

एक और प्रश्नका उत्तर देते हुए परचुरेने कहा कि मलिस्ट्रेटके सामने मैंने जो बयान दिया था उसपर मेरे हस्ताक्षर प्रामाणिक हैं, लेकिन मैंने अपने लिखित बयानमें उन कारणोंका निर्देश किया है जिनसे प्रभावित होकर मैंने उसपर हस्ताक्षर किये हैं ।

परचुरेने आगे कहा—मेरे दादा पूनामें पैदा हुए और वहाँ उन्होंने शिक्षा पायी और बम्बई प्रान्तमें उन्होंने नौकरी की थी । मैं नहीं जानता कि मेरे पिता कहाँ पैदा हुए थे और उन्होंने कहाँ शिक्षा पायी थी ।

अभियुक्तको कई दस्तावेज दिखाये गये जिनसे यह स्पष्ट होता था कि श्री एस. जी. परचुरेने पूनामें शिक्षा पायी थी और वहाँ वे पैदा हुए थे । डा० परचुरेने कहा कि मुझे उनके सम्बन्धमें कोई ज्ञान नहीं । मैं नहीं कह सकता कि क्या सदाशिव गोपाल परचुरे मेरे बापके रिश्तेदारोंमेंसे हैं ।

इसके बाद अभियुक्तको वह फोटो दिखाया गया जिसमें कुटुम्बके सब सदस्य शामिल थे और जो अभियुक्तके मकानसे तलाशीके समय कब्जेमें लिया गया था । उसको देखकर अभियुक्तने कहा कि मुझे उसके सम्बन्धमें भी कोई ज्ञान नहीं । अभियुक्तने कुछ दस्तावेज पहचाने जो उसके पिताके अपने हाथके लिखे हुए थे और शेष दस्तावेजोंके सम्बन्धमें अभियुक्तने कहा कि मुझे पता नहीं कि स व्यक्तिके लिखे हुए हैं ।

इसके बाद अशक्तने अभियुक्तसे पूछा कि उसके विरुद्ध मुकदमा क्यों चलाया गया है। इस प्रश्नका उत्तर देते हुए डा० परचुरेने कहा कि कुछ गवाहोंने पुलिसके दबावके कारण मेरे विरुद्ध शहादत दी है और मैंने इसविषय गवाहियों दी हैं कि मेरी उनके साथ वैयक्तिक प्रवृत्त है।

अभियुक्तने इस बातकी गिफ़ायत की कि ग्वालियरके मजिस्ट्रेट भी आर. बी. अटलको जिसे १० सालसे कोई तरफकी नहीं दी गयी थी, अब तरफकी दी गयी है और उसके वेतनमें १००) प्रति मासकी वृद्धि कर दी गयी है, क्योंकि उसने मेरे विरुद्ध इस मुकदमेमें शहादत दी है।

अभियुक्तने आगे कहा कि मैं अपनी सत्तारमें कोई गवाही प्रस्तुत नहीं करना चाहता और न ही अपने बयानकी सन्तर्भमें।

### अभियुक्तों के वक्तव्योंकी सम्मति

नभूराम गोडसे	१३	१३
आपटे	२२	११
करकरे	३०	११
मदनलाल	३१	११
गोपाल गोडसे	१५	११
शंकर किस्तवा	अतिरिक्त	
सावरकर	५७	११
परचुरे	१५	११

# तीसरा अध्याय

## सवृत पक्षके वकीलका वक्तव्य

१ दिसेम्बरको गान्धी हत्याकाण्डके मुकदमेका तीसरा अध्याय शुरू हुआ। सवृत पक्षके प्रमुख वकील श्री सी. के. दफ्तरीने अपना वक्तव्य देना शुरू किया।

उन्होंने कहा कि इस विशेष अदालत तथा विशेष विचारपति श्री आत्मा-चरणको मुकदमा सुननेका अधिकार है। एक आर्डिनेंस द्वारा विशेष विचार-पतिको मुखबिरको क्षमा प्रदान करनेका भी अधिकार दिया गया है, और यह आर्डिनेंस अब ऐक्ट भी हो गया है।

सवृत पक्ष द्वारा अभियुक्तोंके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका उल्लेख करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि गान्धीजीकी हत्या नथूराम गोडसेका स्वतन्त्र कार्य नहीं है, किन्तु उसके लिए प्रेरणा दी गयी है, उसे उकसाया गया है और इसके लिए षडयन्त्र रचा गया है।

श्री दफ्तरीने उसके लिए युक्ति पेश करते हुए कहा कि बडगेका सन् १९४७ से आपटेके साथ सम्बन्ध है। बडगे 'हिन्दूराष्ट्र' के कार्यालयमें आपटेसे मिलता रहता और उसे हथियार और गोला बालूद दिया करता था। बडगेका नौकर शंकर भी इन अवसरोंपर मौजूद होता था।

मदनलाल करकरेको साथ लेकर १० जनवरीको प्रो० जैनसे मिला था, और सेठके रूपमें करकरेका परिचय कराया था। २-३ दिन बाद मदनलाल प्रो० जैनसे फिर मिला और उसने अहमदनगरके कारनामे बताये। उसी समय मदनलालने महात्मा गान्धीको मारनेके षडयन्त्रकी बात भी जैनको बतायी थी।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि १३ और १४ जनवरी ऐसी मुख्य तिथियाँ हैं कि अदालतको उनका ध्यान रखना चाहिये। १३ जनवरीको नथूराम गोडसे ने अपनी बीमा पालिसी आपटेकी पत्नीके नाम कर दी और १४ जनवरीको उसने अपनी दूसरी पालिसी अपने भाई गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम कर दी। गोडसे और आपटेने अदालतके समक्ष बहुत कुछ कहा है किन्तु यह नहीं बताया

पालिसियाँ इनके नाम क्यों की गयीं।

१४ जनवरी १९४८ को आस्टे और गोडसे पूनासे बम्बई आये। शंकर और बडगे भी हथियार और गोलाबारूद लेकर बम्बई आये और १५ जनवरीसे ही गोपाल गोडसेने खड्कीमें छुट्टीका आवेदनपत्र दिया। इसका तात्पर्य है कि उन सबने १५ को बम्बईमें मिलनेका निश्चय किया था।

१५ जनवरीको मदनलाल और करकरे भी बम्बईमें थे। सावरकर और टा० परचुरेको छोड़कर सब अभियुक्त उस दिन बम्बईमें शहर शहर अनेक स्थानोंपर गये। उनके पास हथियार और गोलाबारूदका पैसा था। मदनलाल और करकरे, गोडसे और आपटे तथा बडगे और शंकर अलग अलग तिथियोंपर दिल्लीके लिए चले पड़े। दिल्ली आकर वे अलग अलग स्थानोंपर रहे। गोपाल गोडसे दिल्लीमें पहले ही मौजूद था।

इसके बाद दफ्तरीने दिल्लीमें उनके परस्पर मिलने, जगहमें विचारकर चलानेका अभ्यास करने, २० जनवरीको गवरे विद्वलामवन जाने और मेरीना हॉटलमें उनकी पारस्परिक बातचीतका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि २० जनवरीको गान्धीजीको मारनेका इनका प्रयत्न इसलिए सफल नहीं हुआ कि बडगेने, जिसको यह काम सौंपा गया था, यह देखा कि सब लोग तो भागनेकी ताकत हैं और इसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मदनलालने वनका विस्फोट योजनानुसार किया किन्तु बडगेने शंकरको हथियारसे कह दिया कि यह कुछ न करे और अपने आप भी शान्त रहा। बाकी सब लोग घटनास्थलसे नीचे ग्यारह हो गये। मदनलालको पुलिस पकड़ ले गयी। बडगे और शंकर रिटू महासभा भवन गये। दोनोंने वहाँ जाकर गोपालाबद फौज दिया और उसी रातको बम्बई चले गये। अन्य लोग भी दिल्लीसे चले गये।

आपटे और नथूराम गोडसे कलित नामोंसे बम्बईके अनेक स्थानोंमें घूमते रहे, और वहाँके अनेक होटलोंमें ठहरे। २० जनवरीको वे पुनः एवार्ड-जहाजमें बैठकर बम्बईसे दिल्ली आ गये। उसी दिन रातकी मारमें वे खालियर चले गये जहाँ वे टा० परचुरेके घरमें ठहरे। उन्होंने टा० परचुरेकी सहायतासे एक पिस्तौल प्राप्त की।

२८ जनवरीको वे दोनों दिल्ली लौट आये। ३० जनवरीको दिल्ली स्टेशनपर करकरे भी उनके साथ देखा गया। वे सब उस दिन शामकी प्रार्थनास्थलपर गये थे। नथूराम गोडसेने गान्धीजीके तीन गोदियों मारी, जिनसे गान्धीजी

मर गये । नथूराम गोडसेके भस्मसे पिस्तौल और कुछ कारतूस वरामद हुए और वह गिरफ्तार कर लिया गया । २४ फरवरीको आपटे और करकरे भी अप्पेलो होटल बम्बईमें पकड़ लिये गये । इसके बाद विभिन्न तिथियोंपर अन्य अभियुक्त पकड़ लिये गये ।

श्री दफ्तरीने कहा कि सावरकर और डा० परचुरेको छोड़कर अन्य अभियुक्तोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । सावरकर और परचुरे एक अलग प्रकारके अभियुक्त हैं । जनवरीके दूसरे सप्ताहमें गोडसे, करकरे, आपटे, मदनलाल, बडगे तथा शंकर समय समयपर साथ देखे गये । २८ जनवरीको प्रार्थना-स्थलपर यही दल फिर दिखाई पड़ा । इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि गान्धीजीको मारनेका कोई न कोई षडयन्त्र अवश्य रचा गया था ।

अपने तर्कोंको जारी रखते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि अभियुक्त दिल्लीमें जिस प्रकार पहुँचे और यहाँके होटलोंमें जिस प्रकार ठहरे और वहाँसे जिस प्रकार गये, उससे उनके विरुद्ध सन्देह होता है । अगर उन्होंने कोई गैर फ़ानूनी काम न किया होता, तो अपने नाम बदलकर क्यों ठहरते ?

मेरीना होटलके परामर्शके विषयमें दफ्तरीने यह स्वीकार किया कि वह गवाही केवल बडगेने दी थी । यह आवश्यक नहीं है कि साक्षात् गवाही ही किसी षडयन्त्रके अस्तित्वको सिद्ध करे । यह स्वाभाविक है कि समक्षोक्तेके अन्तर्गत किसीको माफी देकर वह सचुतके गवाहके रूपमें पेश किया जाय । यह सच है कि मुखबिरकी गवाहीको प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयमें प्रामाणिक सिद्ध किया जाना चाहिये । किन्तु अभियुक्तके पिछले व्यवहारपर नव विचार किया जाता है तो अदालत मुखबिरकी गवाहीपर विश्वास कर सकती है । केवल अपराधके साथीकी गवाहीपर ही अदालत अभियुक्तको सजा दे सकती है किन्तु यह अपराधके स्वरूप, अपराधकर्ताओंके चरित्र तथा गवाहीकी महत्तापर आश्रित है ।

डा० जैनकी गवाही, जिसका अंगदसिंह और मुरारजी देसाईने समर्थन किया है, यह सिद्ध करती है कि मदनलाल वस्तुतः गान्धीजीको मारनेके षडयन्त्रको जानता था और मदनलालने यह डा० जैनको भी बता दिया था ।

श्री दफ्तरीने कहा कि यह बात किसी तरह मानी ही नहीं जा सकती कि

चंकर किस्तय्याको २० जनवरीको बटगोके साथ दिल्लीसे लौटने तक भी वह न बताया गया हो कि दुम्हारे दिल्ली जानेका क्या प्रयोजन है ।

इसके बाद श्री दफ्तरीने नथूराम गोडसे और आपटेके साथ बटगोके सावरकरके घरपर जानेकी बटगोकी गवाही और आपटे और गोडसेकी सावरकर सदनकी ओर जाते देखनेकी कुमारी शान्ता मोटककी गवाहीका जिक्र किया और कहा कि इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ।

बटगोकी गवाहीमें कहा गया है कि नथूराम गोडसेने बटगोकी कहा कि गोपाल गोडसेने भी दिल्ली जानेका प्रवचन कर दिया है । यह वक्तव्य वस्तुतः प्रमाणित हो गया है, क्योंकि गोपाल गोडसेने १४ जनवरीको एक समाहकी छुट्टीके लिए प्रार्थना-पत्र दिया था ।

बटगोकी गवाहीसे यह स्पष्ट है कि आपटे १७ और १९ जनवरी १९४८ के बीच विड़ला-भवन गया था, क्योंकि २० जनवरीको सवेरे जब वह विड़ला-भवन गया, तो उसने वह स्थान दिखाया था जहाँ महात्मा गान्धी बैठा करते थे ।

## २ दिसम्बर

सबूत पत्रके प्रमुख वकील श्री चन्द्रकिशान दफ्तरीने आज भी अपने तर्क जारी रखे ।

श्री दफ्तरीने पहले २० जनवरीको हिन्दू महासभा भवनके पीछेके जङ्गलमें रिवाल्वर चलानेके अभ्यासकी बटगोकी गवाहीका जिक्र किया । जङ्गलके ३-४ चौकीदारोंने अभियुक्तोंको वहाँपर देखा भी था और उसकी गवाही भी दी है ।

बटगोकी गवाही है कि गोपाल गोडसेने कुछ पंजाबीमें कहा किन्तु कतचित् हिन्दुस्तानीमें हुई थी, उसमें कुछ पंजाबी मिली हो सकती है ।

२० जनवरीकी शामको विड़लाभवन जानेसे पूर्व गवाहीमें मेरीना रोडलमें अभियुक्तोंकी पारस्परिक बातचीत होनेकी जो बात कही गयी है, उससे विद्वेषमें श्री दफ्तरीने कहा कि सबूत पत्र यह प्रमाणित करना चाहिए है कि उन्होंने अपने नाम बदले । श्री दफ्तरीने यह दिखानेके लिए कुछ स्वयं गवाहीकी गवाहियोंके उद्धरण प्रस्तुत किये कि बटगोकी गवाहीके इस हिस्सेकी अशकल वक्त मान सकती है । नथूराम गोडसेने अपनी आदमीमें लिया हुआ है कि उसने बंगलोकको ५० रु० दिने । आपटेने करमरकर नाम रावकर एवां



जहाजमें दिल्लीका सफर किया। मेरीना होटलमें बडगेने अपना नाम बंदोपंत तथा आपटेने करमरकर रख लिया। विभिन्न स्थानोंमें अनेक नाम बदल लेना अभियुक्तके लिए कोई नयी बात नहीं थी।

गवाह टैक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने अदालतके सामने यह कहा है कि वह २० जनवरीकी शामको अभियुक्तोंको विड़ला-भवन ले गया था। इससे यह माना जा सकता है कि वे सब मेरीना होटलमें मिलकर विड़ला-भवन जानेके लिए टैक्सी स्टैण्डपर आये थे, और यही गवाही बडगेने अपने बयानमें दी है।

### आपटेका प्रमुख हाथ

श्री दपतरीने आगे कहा कि पड़यत्नमें आपटेने प्रमुख भाग लिया। २० जनवरीको सवेरे उसने बडगे आदिको विड़ला-भवन ले जाकर वह स्थान दिखाया जहाँ गान्धीजी बैठा करते थे, और शामको उन्हें विड़ला-भवन ले गया और उसीने यह बताया कि किसको क्या करना है। अगर वे दिल्लीमें किसी विशेष उद्देश्यसे न आये होते तो उनको एक दूसरेके निवासस्थानका पता कैसे रह सकता था ?

श्री दपतरीने कहा कि गवाहियोंमें कुछ असंगतियाँ अवश्य हैं, किन्तु ऐसी असंगतियोंका होना अनिवार्य है। अनेक गवाहोंके बातचीत स्मरण कर उसे बतानेसे स्वरूपमें भेद हो जाना स्वाभाविक है।

विस्फोटके बाद, सुरजीत सिंहने बताया है कि गोडसे, आपटे और गोपाल गोडसे, बडगे और शंकरको छोड़ टैक्सीपर चढ़कर रफू चकर हो गये। बडगेने भी यह बात बतायी है।

इसके बाद दपतरीने अपने कथनकी पुष्टिमें जिरहके समय बडगे द्वारा दी गयी गवाहीकी मुख्य बातोंका जिक्र किया। जिरहमें यह कहा गया था, कि हिन्दू महासभा भवनमें ठहरनेके लिए आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। अगर आज्ञा लेना आवश्यक है तो शंकर और बडगेने भी हिन्दू महासभा भवनमें ठहरनेसे पूर्व आज्ञा ले ली होगी, अन्यथा यह मानना चाहिये कि आज्ञा लेना आवश्यक नहीं।

आपटे और बडगे तथा आपटे और दीक्षित महाराजकी मुलाकातोंके समय-में कुछ गड़बड़ी और अनिश्चितता प्रकट होती है, किन्तु इसके साथ ही बातचीतके

समय दीक्षित महाराजके स्वास्थ्य तथा वातचीत और वयानके समयके अन्तरका भी ध्यान रखना चाहिये ।

बचाव पक्षकी इस दलीलका जवाब देते हुए कि बडगेकी गवाही कोई बहुत अर्थ नहीं रखती, दफ्तरीने कहा कि बडगे साधारण आदमी है, गान्धीजी काम करता है, और उसका चरित्र कोई बहुत ऊँचा नहीं है । न ही वह कोई विद्वान् है किन्तु केवल इन्हीं आधारोंपर अदालत उसकी सारी गवाहीको सत्य नहीं कह सकती ।

२० जनवरीकी शामको अभियुक्तोंको अपनी पहली योजनामें परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि बडगेने कमरेमें चुपनेसे हनकार कर दिया था और उसे गृहमें ही गान्धीजीको गोली मार देना अधिक पसन्द था । यह विस्फुल्ल स्वाभाविक है कि बडगेने कमरेमें पकड़े जानेके डरसे ऐसा कहा हो ।

इसके बाद श्री दफ्तरीने कहा कि हस्तलेख विशेषज्ञोंने यह सिद्ध कर दिया है कि करकरे द्वारा बडगेको लिखा हुआ जो पत्र मिला है उसमें करकरेके ही हाथसे लिखा हुआ है । जिरहमें बडगेसे पूछा गया था कि क्या करकरेसे उसे ४०० रु० मिले । इससे सबूतके पक्षको बल मिलता है कि करकरे और बडगे एक दूसरेको जानते थे ।

अभियुक्तोंने अपने वयानोंमें कहा है कि उनके साथ दुर्भेदार किया गया, उन्हें तंग किया गया और सताया गया । बचाव पक्षके वकीलोंको पुष्टि अफसरोंके विरुद्ध ये अभियोग नहीं लगाने चाहिये, क्योंकि उन्हें उनका उत्तर देनेका अवसर नहीं मिला ।

श्री दफ्तरीने बडगेके जिरहके समय दिये गये प्रश्नोंको उद्धृत किया और कहा कि इनमें सबूतके विषयमें पहलेसे ही कुछ धारणाएँ बना ली गयी हैं ।

बचाव पक्षके वकीलने बडगेसे पूछा था कि क्या वह स्मर नहीं है कि आपटेने १९ जनवरीको हिन्दू महासभा भवनमें बडगेको पटकवाया हो कि यद्यपि उसे रुपये मिल गये हैं तो भी उसने स्वयंसेवक नहीं हुआये । इस प्रश्नसे ३ परिणाम निकलते हैं । १. वे सब हिन्दू महासभा भवन गये थे । २. उनकी बैठक हुई और ३. कुछ रुपये भी दिया गया ।

बडगेकी स्मरणशक्ति अशुद्ध है, उसमें सारस और आत्मविराग है । ७

दिन तक वह बग़ावर जिरहका सामना करता रहा । अगर उसकी गवाही झूठी हो, और वह इन अभियुक्तोंके दलका न हो, तो उसको ये सब बातें इतनी अच्छी तरह कैसे याद रह सकती हैं ।

### ३ दिसम्बर

श्री दफ़्तरकी वक्तव्य आज भी जारी रहा । उन्होंने कहा कि सबूतके अन्य गवाहोंके बयानोंसे जरूरी अंश लेकर मैं यह दिखाऊँगा कि बडगेकी गवाही उनसे मिलती है । शांता मोडक १४ जनवरीकी शामको पूनेसे बंबई आपटे-गोडसेके साथ आयी । बडगेने भी कहा था कि ये लोग इसी दिन बंबई आये और बादमें उसी दिन रातमें आपटे, गोडसे और बडगे फिर सावरकर-सदन गये ।

बचावके वकीलोंने जिरहमें शांता मोडकके बयानपर आपत्ति नहीं उठायी थी ।

दीक्षित महाराजकी गवाहीसे यह साफ है कि (१) १५ जनवरीको दीक्षित महाराजके घर शस्त्रालय और विस्फोटक पदार्थ देखे भाले गये थे । (२) एक या दो रिवात्वरोँकी माँग की गयी थी । (३) दीक्षित महाराजसे एक रिवात्वर माँगा गया था । (४) बडगेने पिस्तौलके लिए दीक्षित महाराजसे रुपया माँगा था । (५) कश्मीरके लिए ३०-४० हजारके शस्त्रालय एकत्र किये गये थे । (६) ये सब एक 'महत्त्वके कामधे' जा रहे थे ।

श्री दफ़्तरने कहा कि इन सब बातोंकी पुष्टि हुई यद्यपि तारीखके बारेमें कुछ गड़बड़ी थी । इसका कारण यह हो सकता है कि श्री दीक्षित महाराजको कुछ बातें ठीक ठीक याद न रही हों क्योंकि षडयन्त्रमें वे कोई भाग नहीं ले रहे थे ।

२६ जनवरीको फिर रिवात्वर माँगा गया । आपटे-गोडसे उस दिन दीक्षित महाराजके यहाँ गये । बचाव पक्षने इस मुलाकातकी बातको जिरहके समय अस्वीकार नहीं किया है । मुलाकातके समय जो बात-चीत हुई उसके बारेमें भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया ।

इस तर्कपर कि दीक्षित महाराजने पुलिसके कहनेसे गवाही दी होगी, श्री दफ़्तरने कहा कि बचावके वकील यह सवाल पूछ सकते थे कि क्या आपने पुलिसके दवावसे गवाही दी है, पर ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया । दीक्षित महा-

राजने भी स्वीकार किया है कि वे गैरकानूनी लम्बे शस्त्रास्त्र और गोला-बारूदका लेन-देन करते रहे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे बम्बईके हिन्दुओंको धातमरझाके लिए तलवारें और खंजर देते रहे। उस समय कुछ लोगोंकी यही विचारधारा थी। दीक्षित महाराज एक सम्प्रदायके आचार्य हैं। इसलिए उनकी गवाही सच माननी होगी।

यह भी कहा गया कि उन्होंने अपनेको बचानेके लिए गवाही दी होगी, पर बचना किससे था? वे तो पड़यन्त्रमें थे ही नहीं। अब कहा जाता है कि दीक्षित महाराज कांग्रेसी हैं इसलिए उन्होंने गवाही दी। पर दीक्षित महाराज इसका खण्डन कर चुके हैं। उन्होंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें सहायता दी, पर बहुतसे गैरकांग्रेसी भारतीयोंने भी ऐसी सहायता दी है। जिसके समय भी ऐसी कोई बात उनसे नहीं पूछी गयी थी।

इन सब बातोंसे कहा जा सकता है कि दीक्षित महाराज और दत्तेकी गवाहियाँ मिलती जुलती हैं।

टैक्सि ड्राइवर कोटियनकी गवाहीका जिक्र करते हुए श्री दत्तजीने कहा कि बडगोने १७ जनवरीको नहीं जहाँ बम्बईमें जानेकी बात कही वे सब जगहें उसकी गवाहीमें भी आ गयी थीं।

१७ जनवरीको गोठसे-आपटे हवाई जहाजमें गये, इसकी पुष्टि दादा महाराजने की। एयर इण्डियाके श्री जयरामने भी टिकट दिखाकर बता दिया कि आपटे और गोठसे १७ और २७ जनवरीको हवाई जहाजसे दिल्ली गये थे।

दादा महाराजकी गवाहीके बारेमें श्री दत्तजीने कहा कि आपटेने एक आदमीको दादा महाराजसे मिलने पंढरपुर भेजा था। वह सम्भवतः करकरे ही था। आपटे और करकरेको दादा महाराज अच्छी तरह जानते थे। यदि आपटे गोठसेका इरादा दिल्लीमें केवल शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करनेका था तो आपटेने यह क्यों कहा—जब सब हो जायगा तो आपको मारव ही जायगा।

केवल शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकी बात होती तो उसमें छिपानेकी कोई बात नहीं है। दादा महाराज और आपटेके बीच गड़बड़ों, पुल विस्फोटके उद्योग तथा इसी तरहकी बात होती रही। इसलिए दादा महाराजका यह गौचर कि श्री भारी बात होनेवाली है उचित ही था। आपटेके दिमागमें भी उस समय कोई भारी बात थी जिसे वह बताना नहीं चाहता था।

अमचेकरने अपनी गवाहीमें कहा है कि दिल्लीके शरीफ होटलमें करकरे और मदनलालके साथ गोपाल गोडसेको भी उन्होंने देखा था । वे १७ से १९ जनवरीतक दोनोंके साथ रहे और गोडसेको काफी समयतक उन्होंने देखा होगा, इसलिए उनकी गवाहीपर अधिक विश्वास रखना चाहिये । कहा गया है कि अमचेकरको नगरवालाने नौकरी दिलायी । यह प्रश्न अमचेकरसे पूछा जाना चाहिये था, पर नहीं पूछा गया था ।

बडगोने जो 'सामान' दिया उसके बारेमें नागमोडे, खरात और शेलार कह चुके हैं । बहुतसे गवाह कह चुके हैं कि उन्होंने १७ और २० जनवरीके बीच अभियुक्तोंको दिल्लीमें देखा था । ड्राइवर सुरजीतसिंहने कहा है कि २० जनवरीकी शामको उसकी मोटरमें आपटे, गोपाल गोडसे, बडगो और शंकर रीगल सिनेमाके टैक्सी स्टैण्डसे विड़लाभवन गये और आपटे, गोपाल गोडसे और नथूराम गोडसे वापस आये । जिस प्रकार जल्दी जल्दी और हड़बड़ा कर वे आये उससे मालूम होता है कि वे सब जानते थे कि क्या हो रहा है ।

सुलोचनाने भी उसी शामको गोडसे, आपटे, बडगो और मदनलालको देखा था । मदनलालको तो उसने वमकी बत्तीमें सलाई लगाते हुए देखा था । वम-बिस्फोट अकेले मदनलालका काम नहीं था । उसी समय प्रार्थना-सभामें अन्य अभियुक्तोंका उपस्थित रहना तथा बडगो तथा अन्य गवाहोंकी गवाहियोंसे इस बातका सबूत मिलता है कि गान्धीजीकी हत्याके लिए षडयन्त्र रचा गया था ।

कहा गया है कि छोट्टराम पर पुलिसका दवाव पड़ा है, पर यह नहीं बताया गया कि क्यों ऐसा दवाव डाला गया होगा ।

### ४ दिसम्बर

आज चौथे दिन भी वकील श्री दफ्तरीकी बहस जारी रही ।

विड़ला भवनके चौकीदार भूरिंहकी गवाहीका उल्लेख करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि इस गवाहने २० जनवरी, १९४८ को प्रार्थना मैदानमें नथूराम गोडसे, मदनलाल, बडगो तथा गोपाल गोडसेको देखा था । उसने प्रामाणिक वस्तुओंके साथ संग्रहीत मदनलालके उस कोटको भी पहचान लिया है वह अपनी गिरफ्तारीके समय पहने हुए था ।

श्री दफ्तरीने बताया कि सरकारी गवाहोंसे जिरहके समय बचाव पक्षकी ओरसे कोर्टके सम्बन्धमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। मदनलालने अपने लिखित बयानमें कोर्टका कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन पूछनेपर मदनलालने अदालतसे कहा है कि यह वह कोर्ट नहीं जो वह गिरफ्तारीके समय पढ़ने था। लेकिन जब यह कोर्ट एक हथगोले सहित पुलिसने मदनलालके पाससे हिरासतमें लिया तो मजिस्ट्रेट श्री साहनी तथा पुलिस सब इन्स्पेक्टर दगवन्दासिंह भी मौजूद थे।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि आपटेने यह मान लिया है कि वह २० जनवरी १९४८ की शामको प्रार्थना-मैदानमें गया था। वह टेक्सोमें नहीं, वरन् एक प्राइवेट कारमें गया था। उसने बडगे और शंकरको रास्तेमें जाते पाया और उन्हें अपने साथ बैठा लिया। बचाव पक्षने इस गवाहीकी पुष्टिमें अपनी जिरहमें कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं दिये।

अन्य बहुतसे गवाहोंने भी अभियुक्तोंको उस दिन शामको प्रार्थना-मैदानमें देखनेकी गवाहियाँ दी हैं। इन प्रमाणोंसे २० जनवरीकी तिथि सही सिद्ध हो जाती है। यह भी प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त किसी सामान्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वहाँ आये थे।

चमनलालकी गवाहीका उल्लेख करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि बडगेने हिन्दू महासभा भवनके पीछेसे जो हथगोले बरामद होनेका बयान दिया है, वह प्रमाणित हो जाता है।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि गवाह गोडरोलेके बयानसे उस रिवाजका भी भेद खुल गया है जो गोवाल गोडसे २० जनवरीको दिला लाया था और फिर बम्बई वापस ले गया।

इसके बाद श्री दफ्तरीने दिल्लीके शरीफ और मेरीना रोडकी गवाहियों द्वारा यह प्रमाणित किया कि करकरे, मदनलाल, अन्वैकर, गोवाल तथा नथूराम गोडसे और आपटे कहीं-कहीं ठहरे थे और दिल्लीमें ही थे। उन्होंने बताया कि करकरेने धराप मंगायी थी और कमरा नं० ४० के अतिथियोंने बिल चुकाया था। वह सब लोग एक सामान्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दिल्लीमें जमा हुए थे।

## विस्फोटके बाद

विस्फोटके पश्चात्, आपटे और गोडसे कानपुरको ; बडगे और शंकर बम्बईको तथा करकरे और गोपाल दिल्लीके फ्रांटियर हिन्दू होटल चले गये ।

फ्रांटियर हिन्दू होटलके मैनेजरने २० जनवरी १९४८ को चाय ९ बजे करकरे तथा गोपाल गोडसेके होटलमें होनेका प्रमाण दिया है ।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि गोपाल गोडसेने होटलके रजिस्टरमें जान बूझकर गलत समय लिखा है । यह भी संभव हो सकता है कि अन्य लोगोंके साथ बडगे गुसलखानेमें ( कमरा नं० ४० ) जत्र फ्यूज तथा डिटोनेटर ठीक कर रहा था तो उसने नथूराम तथा गोपालकी हलचलोंको न देखा हो । इसलिए इनके बारेमें और कुछ नहीं बताना सकता ।

## ६ दिसम्बर

आज श्री दफ्तरीने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि बडगेकी गवाहीके अनुरूप ही स्थितियोंके प्रमाण ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि महात्मा गान्धीकी हत्या करनेके लिए एक षडयन्त्र रचा गया था । सभी अभियुक्तोंकी बम्बईमें उपस्थिति दक्षिण महाराज और कोटियन नामक टेक्ससी ड्राइवरकी गवाहियोंसे सिद्ध हो जाती है । सभी अभियुक्त २० जनवरीको महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें विड़ला-भवनमें उपस्थित थे । पाँच अभियुक्तोंने भी यह स्वीकार किया है कि वे विभिन्न कारणों और उद्देश्योंसे २० जनवरीकी शामको विड़ला-भवन गये थे । यह बात समझमें नहीं आती कि वे वहाँ बिना किसी पूर्व योजनाके अनुसार एक साथ कैसे पहुँचे ।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि एक हथगोला मदनलालके पाससे बरामद हुआ था । इस बातके भी प्रमाण मौजूद हैं कि एक अभियुक्तने तीन हथगोले इधर उधर कर दिये थे । इसके बाद श्री नगरवाला नथूराम गोडसेके साथ दिल्ली आये थे जो कि उन्हें पाँज्रवाँ बम दिखाना चाहता था । उन स्थितियोंके कारण यह सोच सकना असंभव है कि मदनलालके पास जो बारूदी सईका टुकड़ा और हथगोला था, उसकी जानकारी दूसरे अभियुक्तोंको न हो ।

यह बात तो निस्सन्देह सिद्ध हो चुकी है कि ये अभियुक्त हथियारोंकी

खरीद और विक्री करते थे । इस प्रकार उनके पास हथगोला या अन्य वस्तुएँ होना सहज सम्भव था ।

मेरीना होटलके चालीस नम्बरके कमरेमें कौन कौन ठहरे-हैं, इसकी जानकारी मदनलालको होना, अन्य लोगोंके दिल्लीमें होनेके बारेमें मदनलालको शत होना, १० जनवरीको गोपाल गोडसे द्वारा खड़की शस्त्रागारसे छुट्टी लेना, १३-१४ जनवरीको नथूराम गोडसे द्वारा अपनी वीमाकी पल्लिवियोंमें आपटे और गोराल गोडसेकी पल्लियोंको वारिष्ठ बनाना तथा दादा महाराज और दीक्षित महाराजसे रिवावर माँगना, इन सारी चीजोंपर एक साथ गौर करनेसे पता चलता है कि यह सब एक निश्चित षड्यन्त्रके अनुसार हुआ ।

इसके साथ आपटे, नथूराम गोडसे, करकरे और मदनलालकी विचार-धारा एक थी । महात्मा गान्धीके विचारोंके विरुद्ध उनमें विचारसम्यग्य था और निस्सन्देह वे एक ही उद्देश्य ही सिद्धिके लिए दिल्लीमें इकट्ठे हुए थे ।

उसके बाद डा० जैनकी गवाहीका हवाला देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि यह बात मदनलालने भी स्वीकार की है कि डा० जैन मदनलालको जानते थे । यह बहुत सम्भव हो सकता है कि युवक और भायुक होनेके कारण मदनलालने शोखोके मारे प्रो० जैनको बताया हो कि उसने अहमदनगरमें क्या क्या हथियार और गोला-बारूद इकट्ठे किये हैं और महात्मा गान्धीकी हत्या करनेकी योजना बनायी जा रही है । इस सम्बन्धमें वह सावरकरसे मिला और उन्होंने उसकी ( मदनलालकी ) पीठ थपथपायी । डा० जैन प्रोफेसर और शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं । वे शस्त्रालय और गोला-बारूदसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, वे सम्मानित व्यक्ति भी हैं । फिर भला वे उस मदनलालके विरुद्ध यह सारी झूठी बातें क्यों कह सकते हैं जिसे तथा जिसके परिवारको वह स्वयं मर्दा प्रकार जानते हैं ?

बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि यदि डा० जैन यह बात जान गये थे, तो उन्होंने पुलिसको इसकी सूचना क्यों नहीं दी । पर डा० जैनने मदनलालकी बातपर इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय सारे शरणार्थी कांग्रेसके विद्योपतः महात्मा गान्धीके विरुद्ध थे । जब उन्होंने यह सुना कि गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें विस्फोट हुआ और मदनलाल पकड़ा गया तो



सच्चे नागरिककी भाँति उन्होंने वह सारी बातें अधिकारियोंको बता दीं जिसका कि गान्धीजीकी हत्याके षडयन्त्रके बारेमें पता था ।

सचूत पक्षके एक गवाह अंगदसिंहने प्रो० जैनकी गवाहीकी पुष्टि की है । वचाव पक्षने इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । मदनलालने भी इस गवाहके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये हैं ।

श्री मुरारजी देसाईने अपने ११ वर्षके मजिस्ट्रेटीके अनुभवसे डा० जैनकी बातोंको स्पष्ट और सच समझा । वे पूर्णतः स्वीकार्य गवाह हैं जिनकी गवाहीपर विश्वास किया ही जाना चाहिये ।

इसके बाद श्री दफ्तरीने श्री मुरारजी देसाई और अंगदसिंहकी गवाहीके वे भाग पढ़े जिनसे यह सिद्ध होता था कि डा० जैनकी गवाही सच है ।

वचाव पक्षके वकीलने डा० जैनके साधारण ज्ञानके बारेमें संदेह प्रकट किया है क्योंकि वे बम्बईके गवर्नरका नाम और उनके पदग्रहणकी ठीक तारीख नहीं बता सके थे । श्री दफ्तरीने कहा कि शिक्षाकी वर्तमान प्रणालीमें छात्रोंका साधारण ज्ञान अधिक नहीं होता । इस बातसे पता चलता है कि प्रोफेसर दिन प्रतिदिनकी राजनीतिसे कितने अलग रहते थे ।

डा० जैन, अंगदसिंह और श्री मुरारजी देसाईकी गवाहियोंसे प्रकट होता है कि महात्मा गान्धीकी हत्याका षडयन्त्र रचा गया था और २० जनवरी १९४८ से पहले रचा गया था ।

श्री दफ्तरीने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि आपटे और गोडसे कल्पित नामोंसे विभिन्न होटलोंमें २३ जनवरीके बाद रहते रहे हैं । कल्पित नाम रखनेकी महत्ताको आप स्वयं समझ सकते हैं ।

२५ जनवरीको आपटे, गोडसे, गोपाल गोडसे और करकरे बसन्त जोशीके मकानपर देखे गये । आपटे जोशीके मकानमें ५ से १३ फरवरीतक रहा । वचाव-पक्षने आरोप लगाया है कि बसन्त जोशीने पुलिसके दबावके कारण गवाही दी । गवाहने जिस तरीकेसे साफ-साफ गवाही दी है, उसको ध्यानमें रखा जाना चाहिये ।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि एक रिवाल्वर बडगे और दूसरा गोपाल गोडसे लाया था । दोनों ही रिवाल्वर खराब थे, अतः दीक्षित महाराजसे रिवाल्वरकी माँग की गयी । यदि उन्होंने इस कार्यके लिए बम्बईसे

ही रिवाल्वर ले लिया होता तो वे ग्वालियर क्यों जाते ? चूंकि उन्हें बम्बई में बढ़िया रिवाल्वर नहीं मिला, इसलिए वे ग्वालियर गये ताकि परचुरेकी सहायतासे रिवाल्वर लिया जा सके ।

ग्वालियर जानेके वारेमें दो बातें हैं—(१) वे २७ जनवरी १९४८ को रातके ११॥ बजे गये तथा (२) वे २८ जनवरीको प्रातः ग्वालियर गये । पर तौनेवाले सचूत पक्षके गवाहोंने बताया कि वे अभियुक्तोंको २७ जनवरीकी रातको १२ बजेके करीब डा० परचुरेके घर पहुँचाने गये थे ।

ग्वालियरके मजिस्ट्रेटके सामने दिये डा० परचुरेके दृकवाली बयानका कुछ भाग श्री दफ्तरीने पढ़कर बताया कि परचुरेने यह भी स्वीकार किया है कि गोडसे और आपटे उसके घर २७ जनवरीको रातके ११॥ बजे गये थे और गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए एक पिस्तौल प्राप्त करना उनका उद्देश्य था । दण्डवते ( फरार अभियुक्त ) ने जो पिस्तौल ला दी थी, उसके ५००) में ३००) आपटेने दे दिये थे । हमसे साफ है कि आपटे और गोडसे दिल्लीमें प्रदर्शन करनेको स्वयंसेवक लेने नहीं वरन् पिस्तौल लेने गये थे ।

बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि ग्वालियरके गवाहोंने पुलिसके दवावसे गवाहियाँ दीं । ग्वालियरके गवाहोंमें काटे, खिरे और गोयलसे नभूराम गोडसेके बकीलने जिरह्तक नहीं की, इससे पता चलता है कि यह आरोप कदाँतक निराधार है । श्री दफ्तरीने आगे कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशनके गवाहोंने अपने बयानमें कहा है कि उन्होंने २९ जनवरी १९४८ को आपटे, गोडसे और इनके साथ करकरेको देखा है । इसलिए जिस दिन माला गांधीकी हत्या की गयी उस दिन आपटे, गोडसे और करकरे दिल्लीमें थे ।

३० जनवरीसे २ फरवरीतक करकरेने क्या किया, इसका पता नहीं । हाँ, यदि करकरे ३० जनवरीको दिल्लीसे बम्बईको रेल द्वारा गया होता तो वह समय रेलयात्रामें ही कट गया होता ।

### ७ दिसेंबर

सचूत पक्षके प्रधान बकीलने आज दृष्टे दिन भी अपनी दलीलें जमीं नहीं कीं और बताया कि बम्बई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये जामसे पूरे आपटे और करकरेने ३० जनवरीसे १४ फरवरी तक गया किया ।

से जो हानि पहुँची थी, उसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गयी है। यहाँकी मरम्मत किये जाने सम्बन्धी वचन व पक्षकी आपत्ति गलत है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने सवृत पक्षकी गवाहियोंका हवाला दिया और कहा कि सवृत पक्षकी गवाहियोंको सच मान लिया जाय तो इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं रह जायगा कि २० और ३० जनवरीकी घटनाएँ एक ही योजनाके अनुसार हुई हैं। सवृत पक्षने दोनों घटनाओंको सम्मिलित रूपसे प्रमाणित किया है।

नथूराम गोडसेके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका वर्णन करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि गोडसेने अपने वयानमें यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने गान्धीजीकी हत्या की है। कानूनके अनुसार किसी भी व्यक्तिको हत्या करनेका अधिकार नहीं है। किसी हत्याको उचित सिद्ध करनेके लिए दी गयी सफाई कानूनके समक्ष बेकार होती है। पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया दे देनेका गोडसेने बहुत जिक्र किया है। २० जनवरीसे ३० जनवरीके बीच ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी जिसके कारण नथूराम गोडसे इतना उत्तेजित हो गया कि उसने महात्मा गान्धीकी हत्या कर दी। यह नृशंस, स्वेच्छासे तथा अविचारपूर्वक जान बूझकर की गयी हत्या है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने उस पत्रका जिक्र किया जो गोडसेने दिल्लीसे आपटेको लिखा था और जिसमें उसने लिखा कि मेरा दिमाग चरम सीमातक उत्तेजित हो चुका है। मैं पूछता हूँ कि २० जनवरीसे ३० जनवरीके बीच ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण गोडसे इतना उत्तेजित हो गया। षडयन्त्रके बारेमें भी सवृत पक्षकी गवाहियाँ बहुत तगड़ी हैं। गोडसे इसलिए अपनेको शेष व्यक्तियोंसे अलग बताता है ताकि बाकीके अभियुक्त बच जायँ।

श्री दफ्तरीने अदालतसे अपील की कि वह वचाव पक्षकी ओरसे जिरहके सिलसिलेमें पूछे गये प्रश्नोंके तरीके और नथूराम गोडसेके वक्तव्यका ध्यान रखें। बम्बई, पूना और दिल्लीमें स्वयंसेवकोंकी कमी नहीं है और गोडसेका यह कहना कि वह आपटेको लेकर ग्वालियरसे स्वयंसेवकोंको लेने गया था, विस्कुल वेहूदी बात है।

नथूराम गोडसेने गान्धीजीकी हत्याके बाद डाक्टर बुलाकर पूछा था कि

उसकी नाड़ियाँ और दिल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। ऐसे दफ्तरीने अपने स्वास्थ्यका अभिमान प्रकट करना बताया।

इसके बाद श्री दफ्तरीने दूसरे अभियुक्त आपटेके विरुद्ध सवृत पक्षकी उन गवाहियोंका स्मरण कराया जिनमें कहा गया है कि उन्होंने आपटेकी सम्पर्क, ग्वालियर और दिल्लीमें देखा। इसके बाद श्री दफ्तरीने आपटेके वक्तव्यके कुछ भागोंको हथर उवरसे पढ़ा और बताया कि इस वक्तव्यमें कितनी असंगति है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने आपटेकी इस उक्तिका हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि वह एत्याकाण्डके समय दिल्लीमें नहीं बम्बईमें था, क्योंकि उसके पास उस तारीखके बम्बईके टिकट है। इस सम्बन्धमें बचाव पत्र दाग की गयी जिरहकी ओर भी आपने ध्यान दिलाया।

#### ८ दिसम्बर

आज भी श्री सी. के. दफ्तरीने अपनी दलीलें जारी रहीं।

श्री दफ्तरीने दूसरे अभियुक्त आपटेके वक्तव्यका स्मरण कराया, जिसमें उसने कहा था कि पुलिसने उसे कुछ कामज दिये थे और उन्हें देखकर यह पतानेको कहा था कि ब्रिटेन अथवा लक्ष्मे मराठा गान्धीजी एत्याके सिन्डिकेटमें कोई सहायता ली गयी या नहीं। श्री दफ्तरीने कहा कि इस विषयमें सवृत पक्षके किसी गवाहसे जिरह नहीं की गयी।

सवृत पक्षका गवाहियोंके हवाले देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि गवाहियोंके मुताबिक आपटे २९ और ३० जनवरीको दिल्लीमें ही था। २० जनवरीको दिल्लीमें मौजूद होनेकी बात आपटेने स्वयं स्वीकार की है, पर उसका कहना है कि वह ३० और ३१ जनवरी तथा इसके बादके दिनोंमें बम्बईमें था। इस बातको सिद्ध करना आपटेके लिए आवश्यक था।

कहा जाता है कि ३१ जनवरीको आपटेने बम्बईमें कुमारी मन्दीरका सालवे द्वारा एक तार भिजवाया था। इसके सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कहा कि पहले तो आलोच्य तार बचाव पक्षने भेग नहीं किया। दूसरे तारमें मौजूद होते हुए भी आपटेने कुमारी मन्दीरसे तार भिजवाया। पर तार भेजनेकी लगती है।

श्री दफ्तरीने आपटेके इस कथनका हवाला दिया कि आपटेने ३१

जनवरीको अगने कुछ वकील मित्रोंसे गोडसेकी सफाईके सम्बन्धमें बातचीत की थी और कहा कि यदि यह ठीक है तो बचाव पक्षने आपटेके इस कथनको सत्य सिद्ध करनेके लिए कुछ वकीलोंको गवाहके तौरपर क्यों पेश नहीं किया ?

बम्बईके उपनगरोंके रेलवे टिकटोंके आधारपर बचाव पक्षके वकील यह सबूत देना चाहते हैं कि आपटे ३० और ३१ जनवरीको और उसके बाद बम्बईमें था। इस सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कहा कि सबूत पक्षके रेलवेके गवाहोंने यह बताया है कि ये टिकट उक्त स्टेशनपर यात्रियोंसे लिये गये थे और इनका हवाला रजिस्टरमें है। फिर आपटे और करकरेके पास ये टिकट कहाँसे आये, यह बताना मेरा काम नहीं है। यह कहा गया है कि इन दिनों आपटे और करकरे अपने मित्रोंके यहाँ बम्बईमें आये-गये थे। क्या उनके एक भी मित्र ऐसे नहीं थे जो उनके कथनकी पुष्टिमें गवाही देने उपस्थित हो सकते ? अब यह फैसला करना अदालतके हाथमें है कि वह यह बतावे कि इस सम्बन्धमें सबूत पक्ष की गवाहियाँ पर्याप्त हैं या नहीं। आपटेके विरुद्ध लगाये गये अपने आरोपोंको दुहराते हुए आपने कहा कि दिल्लीमें उपस्थित न होनेकी कहानी गढ़नेका आपटेने प्रयत्न किया है और बचाव पक्षके प्रमाण इसकी पुष्टि नहीं करते कि उन दिनों करकरे और आपटे बम्बईमें थे।

गोडसेके द्वारा आपटेको लिखे गये पत्रका प्रमाण इस बातके लिए पर्याप्त नहीं है कि आपटे बम्बईमें था। फिर पत्रमें लिखी गयी बातोंको सिद्ध करानेके लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया। फिर लिफाफेपर ३० जनवरीकी डाक-खानेकी मुहर नहीं है।

करकरेके विरुद्ध दी गयी सबूत पक्ष की बहुतसी गवाहियोंका हवाला देते हुए श्री दफ्तरीने करकरेको षडयन्त्रमें भाग लेनेवाला बताया और कहा कि मदनलालने भी अपने वक्तव्यमें यह स्वीकार किया है कि वह डा० जे० सी० जैन और करकरेके साथ रहा है। सबूत पक्षके कई गवाहोंने भी बताया है कि उन्होंने करकरेको षडयन्त्रकारियोंके साथ देखा था। मदनलालने भी माना है कि उसने दिल्ली और अहमदाबादके प्रदर्शनोंमें भाग लिया था। यह बात तो विश्वास योग्य नहीं जँवती कि मदनलालने शरणार्थियोंके कष्टोंकी ओर गान्धीजीका ध्यान आकर्षित करनेके लिए विस्फोट किया था। वह सभामें खड़े होकर चिल्ला सकता था और गान्धीजी निश्चय ही उसकी बात सुनते।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि शंकरने यह स्वीकार किया है कि वह बडगेके साथ था, अन्य अभियुक्तों सहित वह २० जनवरीको विद्व्या भवन गया। इस प्रकार बडगेकी गवाहीकी पुष्टि हो जाती है। पर शंकरने इस मामले इन्कार किया है कि विद्व्या-भवन जाते समय उसे उसके उद्देश्यके बारेमें कुछ भी बात था। उसने यह भी स्वीकार नहीं किया है कि बडगेने मेरीना होटलमें उतरते समय उसे कुछ बताया था। श्री दफ्तरीने कहा कि लेकिन वह अस्पष्ट है कि मेरीना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें जब उसे विस्फोटक पदार्थ दिये गये थे, तो वह कुछ न जानता था। वे विस्फोटक उसे बडगेके नीकर एंजेके कान्ध नहीं वरन् एक पड़वन्त्रकारी होनेके कारण दिये गये होंगे। इस प्रकार शंकर यह भी भाँति जानता था कि वे क्या करने विद्व्या-भवन जा रहे हैं।

गोपाल गोडसेके विरुद्ध सर्वूत पक्षी औरसे उपस्थित को गयी गवाहियोंका जिक्र करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि इन गवाहियोंसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह भी एक पड़वन्त्रकारी था।

श्री दफ्तरीने कहा कि यदि गोपाल गोडसेका यह दयान कि चुट्टीके दिनोंमें वह अपने गाँवमें था, सत्य मान लिया जाय तो इस सिचुइटेमें सचाव पक्षके बकील बड़ी सुगमतासे गाँवसे गवाह बुला सकते थे, पर ऐसा नहीं किया गया।

सावरकरके विरुद्ध की गयी गवाहियोंका एकात्मा देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि सावरकरका बडगेसे १९४८-४९ में परिचय कराया गया था। सावरकर सदैव मुसलमानोंके विरुद्ध भावण करते थे और हिन्दू महासभाके अध्यक्ष भी थे। उन्होंने हिन्दू सम्मेलनकी भी अध्यक्षता की थी। इस वजहसे साक्षी मौजूद है कि सावरकरके यहाँ १४ जनवरीको आगटे और गोडसे नोटर द्वाग गये थे। बडगेने भी अपने दयानमें इस बातपर प्रकाश डाला है। बडगेके दयानके अनुसार सावरकरने गान्धीजीकी एकाका काम नोटरों और आगटेको सँसा था। इसके प्रकट होता है कि उन्होंने भी पड़वन्त्रमें भाग लिया। श्री दफ्तरीने आगे कहा कि सावरकरके विरुद्ध यह आरोप-अभियोग सत्य-विक्रता और कानूनके अनुसार लगाया गया है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने विभिन्न गवाहोंकी गवाहियोंके भाग पढ़े, जिनमें परचुरेके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहा गया था और बताया गया था कि परचुरेके राजनीतिक विचार क्या थे और क्या हैं। उन्होंने कहा कि इस दयान भी गवाही

मौजूद है कि गोडसे और आपटे डा० परचुरेके मकानपर मौजूद थे और पिस्तौल खरीदी थी ।

डा० परचुरेके इकवाली बयानका हवाला देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि यह बयान उस वास्तविकताकी स्वीकृति है जो कि अपराध है । यदि अदालत इस बातसे सन्तुष्ट है कि यह बयान कानूनन लिया गया है तो इसका अर्थ है कि यह किसीके दबावसे नहीं लिया गया है ।

इसके बाद श्री दफ्तरीने अपनी दलीलोंके पक्षमें ग्वालियरके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री अटलके बयानके कुछ भाग पढ़े जिनमें कहा गया था कि जब परचुरेका इकवाली बयान लिया गया था तो सभी काररवाई विधिवत् की गयी थी और उस समय कोई भी पुलिस अफसर वहाँ उपस्थित न था । श्री दफ्तरीने कहा कि श्री अटलको डा० परचुरेका इकवाली बयान लेनेका पूर्ण अधिकार था ।

श्री दफ्तरीने बताया कि परचुरेका यह आरोप विश्वास करने योग्य नहीं कि जब वह नजरबन्द था तो उसे काफी कष्ट पहुँचाया गया था और उसने स्वेच्छासे इकवाली बयान नहीं दिया था । यदि यह सच है तो बचाव पक्षके वकीलने इस सम्बन्धमें ग्वालियरके गवाहोंसे जिरह क्यों नहीं की ? यदि परचुरे अस्वस्थ था तो उसकी दवा की जानी चाहिये थी और इसका उल्लेख किलेके रजिस्टरमें होना चाहिये था । बचाव पक्ष अपने कथनकी पुष्टिमें उस रजिस्टरको पेश कर सकता था । फिर यह क्यों नहीं किया गया ? यह बात इसकी स्वीकृति है कि परचुरेने अपराध किया और उत्तेजित आपटे और गोडसेको गान्धीजीकी हत्या करनेमें सहायता दी ।

अन्तमें आपने बचाव पक्षकी दलीलका वर्णन किया कि चूँकि परचुरे ग्वालियर राज्यकी प्रजा है इसलिए इस अदालतको परचुरेपर मुकदमा चलानेका कोई अधिकार नहीं । श्री दफ्तरीने कहा कि डा० परचुरे पूनानिवासी श्री एच. जी. परचुरेका पुत्र है । अतः ब्रिटिश भारतका नागरिक है । डा० परचुरेकी नागरिकता सिद्ध करनेके लिए यह आवश्यक है कि उसके पिताके जन्मस्थानका पता लगाया जाय । इस सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कुछ हाईकोर्टोंके फैसलोंका उदाहरण दिया ।

## ९ दिसम्बर—८ दिनके बाद श्री दफ्तरीका चत्तव्य समाप्त

श्री दफ्तरीने आज भी अपनी दलीलें आगे देनी शुरू कीं। उन्होंने कहा कि डा० परचुरेपर उन्हीं कानूनोंके अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके अनुसार भारतीय नागरिकपर चलाया जा सकता है।

डा० परचुरेके सम्बन्धमें कानूनी परखर प्रकाश करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि डा० परचुरेके ग्वालियरमें पैदा होने मात्रसे ही वह ग्वालियर राज्यकी प्रजा नहीं हो जाता। वह जब तक वहाँका स्थायी निवासी नहीं होता तथा अन्य अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, वह भारतीय नागरिक ही रहेगा।

श्री दफ्तरीने बताया कि डा० परचुरेके पिता श्री सदाशिव जी० परचुरे पुता ( ब्रिटिश भारत ) में पैदा होनेके कारण ब्रि० भारतीय प्रजा थे। ब्रिटिश नागरिकता कानूनके अनुसार जो भी व्यक्ति ब्रिटिश प्रदेशमें उत्पन्न हुआ है वह ब्रिटिश प्रजा है। इस व्यक्तिका पुत्र भी ब्रिटिश प्रजा होता है। इस प्रकार जो भी ब्रिटिश भारतकी प्रजा है वह यदि रियासतमें रहने लगे तो भी वह ब्रिटिश भारतकी ही प्रजा रहेगा। नया डोमीनियन बन जानेपर भारतका दर्ज भारत डोमीनियन है। भारतमें ब्रिटिश भारत और रियासतें सभी शामिल हैं। इस प्रकार यदि हम डा० परचुरेको ग्वालियर राज्यकी भी प्रजा मान लें तो भी परचुरे भारतीय प्रजाजन ही हुआ क्योंकि ग्वालियर राज्य भारतमें शामिल हो चुका है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने उन विभिन्न कागजोंका हवाला दिया जो कि अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार किये जा चुके हैं। इन कागजोंमें बताया गया है कि श्री सदाशिव जी० परचुरे अभियुक्त डा० परचुरेके पिता हैं।

श्री दफ्तरीने श्री एस० जी० परचुरेके आत्मचरित्रका हवाला दिया और कहा कि उनसे और मेजर लालके बयान और अन्य कागजोंमें श्री एस० जी० परचुरेकी शिक्षाके बारेमें पुष्टि होती है। यद्यपि इस जीवनीका लेखक मर चुका है, पर उसकी जीवनीको अदालतका प्रामाणिक दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता है जिसमें जन्मस्थान और जन्मतिथिवाही वही पता चला। इस सम्बन्धमें आपने ग्वालियरके ज्योतिषीकी गवाहीकी जोर ध्यान दिया।

अभियुक्तोंके विरुद्ध बन्धरंछे नैरकानूनी तौरपर दिल्ली अदालत लानेके एक



अभियोगका हवाला देकर श्री दफ्तरीने कहा कि अदालतके सामने कुछ गवाहोंने यह गवाही दी है कि अभियुक्तोंके पास उन्होंने शस्त्रालय और गोलाबारूद देखा है। यद्यपि इस सम्बन्धमें सबूत पक्षके पास और बहुतसे गवाह मौजूद थे, पर उन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि वे वर्तमान गवाहोंके कथनका समर्थन मात्र करते थे।

सबूत पक्षका विचार है कि अभियुक्तोंपर अभियोग सिद्ध हो चुका है। आपने आगे कहा कि दादा महाराज और दीक्षित महाराजके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि क्यों उन्हें अभियुक्त नहीं समझा गया। चूँकि उन्होंने अपराधमें सीधा भाग नहीं लिया, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। अपने इस कथनकी पुष्टिके लिए आपने कुछ हाईकोर्टोंके फैसलोंका हवाला दिया।

इसके बाद श्री दफ्तरीने कहा कि हस्तलेख विशेषज्ञ और विस्फोटक विशेषज्ञकी गवाहियोंको विश्वसनीय और स्वतःसिद्ध समझा जाना चाहिये।

आठ रोजसे चर रही बहसको समाप्त करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि मुकदमेपर किसी भी दृष्टिसे देखते हुए तथा सबूत पक्षकी गवाहियोंका विचार करते हुए अभियुक्तोंके विरुद्ध सभी आरोप निस्सन्देह सिद्ध हो चुके हैं।

कल बचाव पक्षकी ओरसे बहस की जायगी।

# बचाव पक्षकी ओरसे दलीलें

१० दिसम्बर—आपटेकी ओरसे दलीलें

आज द्वितीय अभियुक्त आपटेके वकील भी मँगलेने अपनी दलीलें आरम्भ कीं ।

उन्होंने यह आशा प्रकट की कि मैं बचाव पक्षके जहाजको उन मुंशीकी साफ करके समुद्रतटापूर्वक निर्दिष्ट स्थान तक ले जा सकूंगा, जो कि सचूत पक्षने मार्गमें बिछा रखी है । आपने स्मरण कराया कि सचूत पक्षने अभियोग-विधवा-में गिनाये २५० गवाहोंमेंसे केवल १४९ गवाह ही पेश किये हैं ।

श्री मँगलेने अग्रे कहा कि कौजदारीके मामलेमें किसी विशेष तथ्यको सिद्ध करनेका उत्तरदायित्व सचूत पक्षपर ही होता है । श्री मँगलेने सचूत पक्षके वकीलकी बहसकी ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सचूत पक्षकी ओरसे अभियुक्तोंके वक्तव्योंको बचाव पक्षको हट्ट बनानेके लिए दुबारा गढ़े हुए बनाना गया है और कहा है कि बचाव पक्षने अपना पक्ष हट्ट बनानेके लिए गवाहोंमें जिरह क्यों नहीं की ।

श्री मँगलेने कहा कि यदि सचूत पक्षके आरोपोंको सच भी मान लिया जाय तो भी अपने कथनकी पुष्टिके लिए सचूत पक्षको प्रमाण देने चाहिये । कौजदारीके मुकदमेमें अभियुक्तको कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता । यदि अभियुक्तका विशेष मामला हो और उसने जिरहमें उसे उल्लिखित न किया हो तो क्या सचूत पक्षका आरोप सिद्ध समझा जा सकता है ? अभियुक्तोंके बनाने तथा सचूत पक्षके गवाहोंसे बचाव पक्षकी जिरह ही उसका मामला सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है ।

श्री मँगलेने कहा कि मैं अपनी दलीलेंमें यह सिद्ध करनेका कि मैं प्रअकिलने जो कहा है, यह सच है । इस सम्बन्धमें आपने साबरमती परसे प्राप्त पत्रका तथा १९३८ में राष्ट्रपति पत्र बनानेकी आपटेकी "लाम्बदायक विधिवियों" की ओर इंगित किया । इस राष्ट्रपति पत्रका समर्थन श्री साबरमती और श्री एन. बी. नाटगिलने भी किया था । श्री मँगलेने अग्रे यह ही मंग

मुअकिल असिस्टेण्ट टैकनीकल रिक्रूटिङ्ग अफसर था। १९४४ में आपटेने मैनेजर होकर नथूगम वी. गोडसेके सम्पादकत्वमें हिन्दू महासभाके विचारोंके प्रचारार्थ "अग्रणी" पत्र निकाला। आपटेने पाँवगणीमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें प्रदर्शन किया था।

श्री मैंगलेने देशकी १९४७-४८ की साधारण स्थितिका हवाला दिया और बताया कि भारतका विभाजन हुआ, पाकिस्तानमें हिन्दू और सिखोंको असंख्य कष्ट हुए और कश्मीरपर आक्रमण किया गया। भारत सरकारने पहले पाकिस्तानका ५५ करोड़ रुपया इसलिए देनेसे इन्कार कर दिया कि वह धन कश्मीर युद्धमें प्रयुक्त किया जाता। पर गान्धीजीके अनशनके कारण यह फैसला उलट दिया गया और पाकिस्तानको यह धनराशि दे दी गयी। यह अनशन "एक प्रकारका दवाव" था।

आपटे उस समय पूनामें था। उसने इसे बहुत बुरा संज्ञा और गान्धीजीके प्रार्थना-सभामें दिल्लीमें प्रदर्शन करनेका निर्णय किया। श्री मैंगलेने अदालतसे अपील की कि वह कानूनकी दृष्टिसे इन दो तथ्योंका विशेष खयाल करे— ( १ ) भारतका विभाजन, और ( २ ) विभाजनके बाद हिन्दुओंको पाकिस्तानमें हुआ कष्ट।

श्री मैंगलेने सबूत पक्षके उन गवाहोंका स्मरण कराया जिन्होंने अपनी गवाहियोंमें महात्मा गान्धीके अनशन और उस समय समाचारपत्रोंमें प्रकाशित खबरोंके बारेमें बताया था। उन लोगोंकी गवाहियोंसे यह प्रमाणित हो चुका है कि भारत सरकारने पहले तो पाकिस्तानका ५५ करोड़ रुपया रोक लिया था, पर महात्मा गान्धीके अनशनके कारण उसे अपना पूर्व निर्णय बदलना पड़ा। इसलिए आपटेने दिल्लीमें प्रदर्शन करनेका निर्णय किया और १४ जनवरीको नथूराम गोडसेके साथ बना और स्वयंसेवकोंको एकत्र करनेके लिए बम्बई गया।

**होटल मैनेजर क्यों नहीं पेश किया गया ?**

यह तथ्य कि आपटे और गोडसे १४ जनवरीको बम्बई गये, हम भी झूठ नहीं बता रहे हैं। पर अदालतके सामने इस आशयकी गवाहियाँ पेश नहीं हुई हैं जिनमें बताया गया हो कि आपटे और गोडसे १४ जनवरीसे

१७ जनवरी तक कहीं ठहरे । इस सम्बन्धमें केवल एक गवाह श्री ग्रीन होटलका मैनेजर श्री वाटिया था, जिसे सचूत पक्षने अदालतके सामने पेश नहीं किया । केवल यही व्यक्ति सचूत पक्षकी अभियोग सूचीमें उनके टारनेके सम्बन्धमें साधिकारपूर्ण गवाही देनेवाला था । श्री आपटेने अपने बक्तव्यमें कहा है कि वह श्री ग्रीन होटलमें गोडसेके साथ ठहरा था और सचूत पक्षकी ओरसे वग्वर्षके टैक्सी ड्राइवर कोटियनने इस आशयकी गवाही दी है कि वह इन्हें धेठाकर मेरीन ड्राइवके होटलमें ले गया था ।

बडगेने अपने बयानमें कहा है कि १४ जनवरीको आपटे और गोडसे दीक्षित महाराजके घर रातमें गये थे । यदि सचूत पक्षने श्री वाटियाको गवाहके रूपमें पेश किया होता तो उन्होंने बताया होता कि दोनों व्यक्ति उस समय होटलमें थे । इस प्रकार सचूत पक्षका मानना सराव हो जाता । यदि सचूत पक्ष उतना निष्पक्ष है जितना कि वह बताता है, तो उसे इस गवाहको पेश करना चाहिये था ।

श्री मंगलेने आगे चलकर आपटे और गोडसेकी वग्वर्षवावाके उद्देश्य—प्रदर्शनके लिए धन और स्वयंसेवक प्राप्त करने—पर प्रकाश डाला और इस सम्बन्धमें सचूत-पक्षकी ओरसे पेश किये गये विभिन्न गवाहोंकी गवाहियोंका भी उल्लेख किया । अपने बडगेके उस बयानकी चुटियोंकी बताया जो उसने आपटे और गोडसेके १७ जनवरीको साबरकर-सदन जानेके सम्बन्धमें दिया था और कहा कि बडगेकी गवाहीपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये ।

## १२ दिसम्बर

आज श्री मंगलेने अदालतमें अपनी बरत जारी रखी ।

उन्होंने कहा कि सचूत पक्षने न्यूयाम गोडसे तथा आपटेका १७, १८ तथा १९ जनवरीको दिल्लीमें उपस्थित होना बताया है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने उन दिनों वहाँ क्या किया । उन्होंने जतन पटा कि आपटेने अपने बयानमें यह बताया है कि वह इन दिनों सरकारी तिथियोंमें गया था ताकि वह अपने प्रस्तावित प्रदर्शनके लिए लोगोंका समर्थन प्राप्त कर सके ।

श्री मंगलेने और कहा कि गवाहियोंमें यह कहीं नहीं बताया गया कि

१७, १८ तथा १९ जनवरीको महात्मा गान्धीने प्रार्थना-सभामें भाषण किये या नहीं। केवल मदनलालके कहनेसे मालूम होता है कि महात्मा गान्धी २० जनवरीको प्रार्थना-सभामें भाषण करनेवाले थे, जैसा कि उसने पहलेसे सुन रखा था। इस बातकी गवाही है कि महात्मा गान्धीने २८ जनवरीको उपवास तोड़ा। इस घटनासे इसकी पूरी सम्भावना है कि उन्होंने उन दिनों दुर्बल होनेके कारण प्रार्थना-सभामें भाषण न किये होंगे।

श्री मंगलेने कहा कि आपटेने वयान दिया है कि वह २० जनवरीकी शामको एक प्राइवेट कारसे बिड़ला-भवन गया था और मार्गमें उसे बटगे और शंकर मिले थे जिन्हें उसने अपने साथ गाड़ीमें बैठा लिया था। आपटेने वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि लाउडस्पीकर खराब हो गये थे, वालण्टियर नहीं आये थे तथा नथूगम गोडसे भीमार पड़ जानेके कारण प्रार्थना-सभामें न आ सका था।

आपटे प्रार्थना-सभासे क्यों चला गया ? इसके बारेमें श्री मंगलेने कहा कि अचानक बम-विस्फोटकी दुर्घटना होनेके कारण आपटेको गड़बड़ीकी आशंका हुई और वह वहाँसे चला गया।

इसके बाद मंगलेने आपटेकी उन हलचलोंका उल्लेख किया जिनपर कोई वाद-विवाद ही नहीं उठता।

गोडसे और आपटे ग्वालियर क्यों गये, इस बारेमें श्री मंगलेने सफाई दी कि गत जनवरीमें ग्वालियर हिन्दू महासभाके अध्यक्ष डा० परचुरेने मोतीमहलमें एक प्रदर्शन किया था। इन अभियुक्तोंको बम्बई और पूनासे वालण्टियर मिलना कठिन जान पड़ा। अतः वे ग्वालियरसे वालण्टियर पानेकी आशामें वहाँ गये। यदि सवूत पक्ष ग्वालियरसे वालण्टियर लानेकी बात बकवास समझता है तो पिस्तौल लानेका आरोप भी उससे कम बकवास नहीं।

यह ठाँक है कि गोडसे और आपटे २७ जनवरीको हवाई जहाजसे दिल्लीको खाना हुए। उन्होंने अपने नाम एन. राव तथा वी. राव बताये जिनका पूरा अर्थ है नथूगम और विनायकराव। यही उनके असली नाम हैं। उन्होंने अपने नाम बदल लिये थे, इससे यह कैसे कहा जा सकता है ? उनके ग्वालियर पहुँचनेका जो समय २७ जनवरीको रात ११ या ११½ बजे बताया जाता है, वह गलत है। उस समय कोई ट्रेन ग्वालियर नहीं पहुँचती।

श्री मॅगलेने पितालके सम्बन्धमें ग्वालियर वाले गवाहोंकी पक्षपातपूर्ण तथा निराधार बताया । उन्होंने कहा कि गवाह मधुकर काले मई १९४७ से परचुरेके घर कभी नहीं गया ।

अभियुक्त आपटेने अपने किसी स्थानपर होनेका प्रमाण नहीं नहीं प्रेष किया ? इस बारेमें श्री मॅगलेने कहा कि ३० तथा ३१ जनवरीकी चार शरणार्थी-शिविरोंमें गया था, किन्तु वह उन शरणार्थियोंके नाम नहीं जानता । अतः वे प्रेष नहीं किये जा सके । इससे अदालतको यह परिणाम न निकालना चाहिये कि वह कहीं और स्थानपर था ।

श्री मॅगलेने कहा कि १४ फरवरीको आपटेके गिरफ्तार होनेपर उसके पास लोकल ट्रेन ( बम्बई ) के जो टिकट मिले तथा ३१ जनवरीकी बम्बईमें दिल्लीको टेलिग्राम भेजनेका जो प्रमाण दिया गया उससे साबित हो जाता है कि वह इन दिनों ( ३०-३१ जनवरी ) दिल्लीमें न होकर बम्बईमें था । सचूत पक्षका सुझाव है कि ये टिकट ठीक थे, किसीके चुरावे हुए नहीं । इससे प्रमाण स्वयंसिद्ध है ।

### १३ दिसम्बर—आपटेका भार्द भी गवाही देनेको तैयार नहीं

आपटेके वकील श्री मॅगलेने अपनी बयान आज भी जारी रखी । नयूराम गोहसेने ३० जनवरीको पूनेमें आपटेके नाम दिल्लीसे जो पत्र भेजा बताते हैं—उसके बारेमें उन्होंने कहा कि अदालत उस पत्रकी स्तम्भिकियों जॉनकर पता लगा ले कि वह नयूरामका ही लिखा हुआ है । जिस लिखावेमें पत्र था उसपर दिल्लीकी ३० जनवरीकी और पूनेकी २ फरवरीकी मुररें लगी हैं । सचूत पक्ष कहता है कि यह साबित नहीं किया गया कि इस लिखावेमें यह पत्र था । हमारे इस कथनपर भी संदेह प्रकट किया गया है कि पत्र देखकर न हो इसविषय आपटेके दफ्तरके पतेपर भेजा गया । इस पत्रसे साफ है कि आपटे हमारे कान्ठ दिल्लीमें नहीं था और हला अकेले नयूरामका नाम था । पत्र मगईमें था और उसमें कहा गया था—“यह पत्र पाकर तुम सबकी आशयें होगी । इससे पहलेके सब प्रदर्शन व्यर्थ साबित हुए हैं । मेरा दिमाग अब बेधा हुआ है । एक-दो दिनमें मैं आखिरी कदम उठानेवाला हूँ ।”

इसपर जजने बीचमें ही पूछा—यह पत्र आपटेके भार्दने भेजा तो उसे

आप गवाहीमें पेश कर सकते थे । वह गवाही नहीं पेश की गयी । अदालतके सामने तीन ऐसे गवाह आये जिन्होंने कहा कि आपटे उन दिनों दिल्लीमें था । सम्भव है कि आपटे दिल्लीमें हो और उसे बचानेके लिए गोडसेने यह पत्र लिखा था ।

मैंगलेने कहा कि यह दुर्भाग्यकी बात है कि हम गवाह नहीं ला सके । आपटेका भाई भी गवाही देनेको तैयार नहीं है । आपटेकी शिनाख्त करनेवाले सुंदरीलालसे दिल्लीमें शिनाख्त नहीं करायी गयी । बम्बईकी शिनाख्त परेडके समय भी आपटे गोडसेने यह शिकायत की थी कि वे गवाहोंको पहले ही दिखा दिये गये थे । सुंदरीलाल और जानू दोनोंकी शिनाख्तें और गवाहियाँ सन्देश-रुद हैं । बडगे चोरबाजारी करनेवाला, झूठा, मक्कार और नेडर है । सबूतपक्षने ओम्पकाश और चोपड़ाकी भी गवाही नहीं दिलायी । ओम्पकाशकी गवाही हुई होती तो बडगेकी गवाहीपर बहुत प्रकाश पड़ता । सबूतपक्षने दीक्षित महाराजके नौकरको भी पेश नहीं किया । यह गवाह बहुत महत्वका था । यह आता तब भी बडगेकी गवाहीपर बहुत असर पड़ता । सबूत पक्षने जोशीको भी पेश नहीं किया । उनके बदले उनके लड़केकी गवाही ली गयी जिसने सुनी सुनायी बातें कहीं । नगरवाला लाल किलेमें जोशीसे ४-५ वार मिले, फिर भी वे पेश नहीं किये गये । सारी गवाहियाँ अगर सच मान ली जायँ तो दीक्षित महाराज भी एक षडयन्त्रकारी हैं, इसलिए दीक्षित महाराजकी गवाहीका कोई मूल्य नहीं । २० जनवरीको क्षेत्रे विड़ला-भवन जानेकी बडगेकी बात भी बनायी हुई मालूम होती है । जंगलमें जो कारतूस मिलनेकी बात चमनलालने कही है वह कारतूस रिवाल्वरका है और पिस्तौलमें फिट नहीं होता । मेहरसिंह कहता है कि वे जंगलमें घूम रहे थे । बडगेने और ही कुछ बात कही है ।

### १४ दिसम्बर

श्री मैंगलेने यह सिद्ध करनेके लिए कि गान्धीजीको मारनेके लिए कोई षडयन्त्र नहीं किया गया, और आपटे ३० जनवरीको दिल्लीमें नहीं था आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं । श्री मैंगलेने २० जनवरीको जंगलके पीछे पिस्तौल चलानेके कथित अभ्यासकी ओर निर्देश किया ।

उन्होंने कहा कि जंगलके एक चौकीदार मेहरसिंहने पिस्तौल चलानेके

अभ्यासके विषयमें अदालतमें कुछ भी नहीं कहा है।- पिस्तौल चलानेका अभ्यास करनेके बढगेके कथनको प्रमाणित करनेके लिए सबूत पक्षके पास कोई गवाही नहीं। गोडसे और आपटेने बम्बईकी सिनाख्त परेडसे पहले मजिस्ट्रेट ब्राउनसे शिकायत की थी कि अनेक गवाहोंने उन्हें पहले ही देख लिया है। उन गवाहोंमें एक मेहरसिंह भी है। इसलिए मेहरसिंहको सिनाख्त संदिग्ध है।

श्री मँगलेने आगे कहा कि बढगेकी गवाहीको प्रमाणित करनेके लिए ही सबूत पक्षने मेहरसिंहको गवाह बनाया है। मेहरसिंहसे पूर्व बढगेकी गवाहीके लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसलिए वचाव पक्ष कुछ मुख्य मुद्दोंपर गवाह मेहरसिंहसे जिरह नहीं कर सका। इसलिए मेहरसिंहकी सारी गवाही उपेक्षणीय है। साथ ही सबूत पक्षने चारमेंसे केवल एक ही जंगलरक्षकको प्रस्तुत किया। बाकी तीनोंसे कहीं नहीं गवाही ली गयी, इसका कोई कारण नहीं बताया गया।

इसके बाद श्री मँगलेने २० जनवरीको मेरीना होटलके ४० नं० के कमरेमें अभियुक्तोंके मिलनेकी घटनाकी ओर निर्देश किया। बढगेने कहा है कि उस कमरेमें अभियुक्त उपस्थित थे और उन्हें चाव दी गयी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बढगेने जिन्हें बताया वे ही लोग वहाँ विराजमान थे, अन्य और कोई नहीं।

इधियारोंके बॉटने और नाम बदलनेके विषयमें मँगलेने कहा कि वह बढगेके दिमागकी उरज है, जिसकी होटलके अन्य गवाहोंने पुष्टि नहीं की।

इस प्रकार सबूतकी साक्षात् गवाहियोंके सम्बन्धमें ध्वनी सुक्तियों का मत करते हुए मँगलेने कहा कि सबूतका सारा केंस बढगेकी गवाहीपर अवलम्बित है और बढगे दुर्दृष्टि आदमी है, इसलिए उसकी गवाही खर्ग है।

इसके बाद श्री मँगलेने आस्टेके कथनपर अवलम्बित सबूतकी गवाहियोंको लेकर उनपर सुक्तियों करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बढगेने दादा महराराज और दीक्षित महाराजकी गवाहियोंसे यह प्रतिगदित करनेका प्रयत्न किया है कि आस्टेने १७ जनवरीको दादा महराराजकी कहा—“जब हम काम पूरा कर लेंगे, तब आपको सब कुछ मानना ही जायगा।” और २६ जनवरीको आपटेने दादा महराराजसे एक रिवाजकी माँग की। यह गवाही पर दिग्गने



के लिए दिलायी गयी कि आपटेका मन दूषित था। किन्तु गवाहीका मूल्याङ्कन करनेसे पूर्व दादा महाराजके चरित्रकी देखभाल करना आवश्यक है।

दादा महाराज मुसलमानोंको मारनेके लिए हिन्दुओंमें हथियार बाँटते थे। उनकी यह इच्छा थी कि आपटे जिना और लियाकतअली खाँको मारनेके लिए पाकिस्तानकी गाड़ीको उड़ा दे। इन गैरकानूनी काररवाइयोंमें हिस्सा लेनेके कारण दादा महाराज पुलिससे हमदर्दी प्राप्त करना चाहते थे। क्या ऐसा आदमी अपने आपको बचानेके लिए एक-दो झूठ नहीं बोल सकता ? वह अपने आपको बचाना चाहता था, इसलिए उसकी गवाहीपर विश्वास करना खतरनाक है। आपटे और गोडसेके अगर कुछ भी दिमाग है तो क्या यह सम्भव है कि वे हवाई अड्डेपर सब लोगोंके सामने ऐसे व्यक्तिसे ये बातें कहते ?

दीक्षित महाराजके विषयमें मैंगलेने कहा कि वह अपने भाई दादा महाराजके समान ही शस्त्रोंका गैरकानूनी व्यापार करता था। इसलिए उसकी गवाही भी विश्वसनीय नहीं।

आपटेने फिर किया क्या—यह बताते हुए श्री मैंगलेने कहा कि १७ जनवरीको वह हैदराबाद-संघर्ष तथा हिन्दूराष्ट्र कार्यालयके लिए धन-संचय करने अनेक स्थानोंपर गया। आपटेके २० जनवरीको प्रातः विड़ला भवन जानेकी बात केवल बड़गेने कही है जिसके कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपटेने यह तो स्वयं स्वीकार कर लिया कि २० जनवरीको शामको वह विड़ला-भवन गया था, परन्तु केवल इसलिए कि वह देख सके कि वहाँपर कोई शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं; यही बात कि आपटेने टैक्सी ड्राइवर सुजतसिंहसे घनराइटमें कहा—‘कार चलाओ, कार चलाओ’ उसकी निर्दोषिताको सिद्ध करता है। वम-विस्फोट भी एकदम अप्रत्याशित घटना हो गयी। इसलिए आपटे धरारा गया।

श्री मैंगलेने सबूतके इस कथनको लिया कि आपटेके बतानेसे ही हिन्दू महासभा-भवनके पीछेके जंगलसे कुछ वस्तुएँ बरामद हुई थीं। मैंगलेने कहा कि उस समय आपटे पूरी तरह पुलिसके काबूमें था।

वम्बईकी खुफिया पुलिसके कार्यालयमें ट्रंकमेंसे आपटेका पाजामा मिलनेके कथनपर मैंगलेने कहा कि इस्तगासेने इस प्रकारकी कोई गवाही नहीं दी,

जिससे पता लगता हो कि आपटेके पास ट्रंक आया कहाँसे । १४ फरवरीको अपोलो होटलमें आटेको गिरफ्तार करते हुए भी यह ट्रंक नहीं पकड़ा गया था ।

श्री मेहताने अन्तमें यह कहकर अपनी युक्तियों समाप्त कीं कि सबूत पत्र आपटेपर लगाये गये अभियोगोंको सिद्ध नहीं कर सका है ।

### शंकरके वकीलकी दलीलें

इसके बाद शंकर किरतन्नाके वकील श्री मेहताने युक्तियों प्रारम्भ कीं ।

श्री मेहताने कहा—शंकर बटगेका नौकर था और वह हम नवाहीमें बटगेका काम करता था । यह सच है कि शंकरने अनेक बातें स्वीकार कर लीं हैं । जब अभियुक्त आपसमें मिलते थे, तो शंकर दूर ही रह जाता था, इसलिए हो सकता है कि उसे कथित पत्रपत्रका पता न हो । बटगेकी आज्ञासे ही यह एगियार और गोलाशल्द इधरसे उधर ले जाया करता था । शंकर जैसे अल्प आदमीसे यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि उसे एगियार और गोलाशल्द इधरसे उधर ले जानेका उद्देश्य भी मालूम हो ।

श्री मेहताने आगे कहा, मेरे मुअधिकलकी तोर्द राजनीतिक विचारधरा नहीं है । महात्मा गान्धीकी कल करनेमें शंकरका कोई उद्देश्य या स्वार्थ सबूत पत्र सिद्ध नहीं कर सका है ।

### १५ दिसम्बर

शंकरके वकीलने आज अदालतमें अपनी युक्तियाँ जामें रहीं । श्री मेहताने कहा कि शंकर अपने दिमागसे कुछ नहीं कर रहा था, केवल अपने स्वामीकी आज्ञाओंका पालन कर रहा था ।

जजने कहा कि बटगेने तो अपनी गवाहीमें कहा है कि शंकर बड़ा हठी था ।

श्री मेहताने आगे कहा कि शंकरने कई चीजें स्वीकार कर लीं हैं और अदालतकी जिरहमें उसने कहा है कि बटगेने मुझे पत्रपत्रके विषयमें कुछ नहीं बताया । केवल 'सामान' रखनेके लिए कहा । शंकरने जब हुदार उठ 'सामान' को रखनेके विषयमें पूछा तो बड़े इतना तंग भा गया कि उसमें शंकरकी शपथ मार दिया । अगर शंकरके बयानकी अन्य बातें सच मानकर उर्दे

स्वीकार कर लिया जाय, तो पड़यंत्रसे उसकी अनभिज्ञता भी मान लेनी चाहिये ।

अन्तमें श्री मेहताने कहा—हो सकता है शंकर अरराधी हो, किन्तु उसकी स्थितिपर विचार करते हुए यह नहीं भूलना चाहिये कि वह बडगोका नौकर था ।

### गोडसेने स्वयं बहस की

नथूराम गोडसेने अपने विरुद्ध सचूत पक्षके अभियोगपर स्वतः बहस करनी चाही, वशतें कि उसके वकीलकी हैसियतमें इससे कुंहे फेंक न पड़ता हो । न्यायाधीशने कहा कि इसका निर्णय स्वयं गोडसेके वकील श्री. वी. ओक करेंगे ।

नथूराम गोडसेने अपने विरुद्ध हत्याके अभियोगका प्रतिवाद नहीं किया, किन्तु उसने कहा कि बडगोकी गवाहीमें अनेक ऐसी बातें हैं जो प्रमाणित नहीं की गयी हैं क्योंकि वे सच ही नहीं हैं ।

बडगोने बताया कि उसने १० जनवरीको 'हिन्दूराष्ट्र' कार्यालयमें गोडसेको देखा है, किन्तु सचूत-पक्षने उसके इस कथनको पुष्ट करनेके लिए हिन्दूराष्ट्र कार्यालयसे कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया ।

इस बातके प्रमाण हैं कि बडगो शंकरके साथ १४ जनवरीको पूनासे बम्बई गया । यह वही दिन है जिस दिन आपटे और गोडसे बम्बई गये । किन्तु यह नहीं बताया गया कि बडगो और शंकर किस गाड़ीसे बम्बई गये । बडगोका कथन है कि वह उसी ट्रेनसे बम्बई गया, जिससे हम गये, किन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि गवाहीमें बडगोने मुझे देखनेकी कोई बात नहीं कही ।

१३ और १४ जनवरीको अपनी बीमा पालिसियोंका उत्तराधिकार करनेके विषयमें गोडसेने कहा कि इसमें सचूत पक्षका क्या उद्देश्य है, यह मेरी समझमें नहीं आता । पड़यंत्रसे मेरी पालिसियोंके दूसरोंके नाम करनेका क्या प्रयोजन—क्या यह काम मैंने इसलिए किया था कि आपटे और गोपाल गोडसे, प्रलोभनमें आकर षडयंत्रमें मेरे साथ शामिल हो जायँ ।

सचूत पक्षने कुमारी शान्ता मोडककी गवाहीसे यह सिद्ध करनेका प्रयत्न था कि १४ जनवरीको बम्बई पहुँचनेके बाद हम साबरकर सदन गये ।

शान्ता मोटवने हें सावरकर-सदन जातें हुए नहीं देला । मजूर पत्र हमारो वहाँ जाना सिद्ध करेके लिए सावरकर-सदनके ही दिखी आव्हानोंमें आव्हानोंसे गवाही दिला सकता था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

बटगेने आने अपने बयानमें यह भी कहा है कि १४ जनवरीको सावर उतरनेके बाद वह हिन्दू सभाके कार्यालयमें गया और वहाँ उसे मातूम हुआ कि आपटे और गोडसे आज ही आने वाले हैं । वह व्यक्ति कौन है जिसे बटगेने हमारे आगमनकी सूचना दी हो । वह व्यक्ति बटगेकी गवाहीके इस हिस्सेको प्रमाणित करनेके लिए गवाही देने बुलाया जा सकता था । ऐसा बिना क्यों नहीं गया ?

### हम गवाही पेश क्यों नहीं कर सके

गोडसेने अपनी दायरीमें लिखित इस वाक्या निर्देश किया कि उदने वण्टोपन्तको (५०) और गोपाल गोडसेको (२००) दिने । मजूर पत्रने इस वण्टोपन्तको मेरीना होटलमें बटगेके कथित वण्टोपन्त नामसे जोड़ दिया जिसे यह सिद्ध किया जा सके कि बहुत पहलेसे ही यह पत्रपत्र मेरे दिशामें घूम रहा था । अगर यह सच भी मान लिया जाय कि वण्टोपन्त वगैरे ही है, तो मैं पत्रपत्रमें गोपाल गोडसेको भी कौलनके लिए दायरीमें उल्ला नाम न लिखता । गोपाल मुझे बटगेसे अधिक प्यारा है ।

अपनी सुक्तियाँ जारी रखते हुए मजूराम गोडसेने कहा कि दायरीमें १४, १५ और १७ जनवरीको मेरी गतिविधियोंका उल्लेख किया गया है, किन्तु पूनामें १६ जनवरीको मैंने क्या किया इस विषयमें कुछ नहीं कहा गया । बटगेसे मैंने एक पिरवील नौगो-बटगेकी यह गवाही भी दिखी जस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी है ।

१७ जनवरीको आपटेके साथ में सावरकर-सदन नहीं गया । मजूराम पत्र सर्वथा बटगेकी गवाहीपर निर्भर है, और उसे कुछ नहीं किया गया । हम मजूरामकी गवाहीको मजबूत साबित करनेके लिए गवाह भी मातूम कर सकते थे, किन्तु कान्धीजीकी हत्याके बाद हमारे अनेक आव्हानों पुस्तिका (शेड्यूल) में ही निर्दिष्ट की । कौन यह खता है कि पुस्तिकने उन्हें अपनी दिनांकमें रखते हुए हमारे पत्रकावा न हो ।

सबूतके एक गवाहने बताया है कि बमविस्फोटसे ३ दिन पूर्व हम मेरीना होटलमें थे, किन्तु सबूत कहता है कि उस दिन हम दिल्लीमें थे ।

२० जनवरीकी शामको मेरीना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें हमने परस्पर बैठक की, बडगेकी इस गवाहीको मेरीना होटलके अन्य किसी गवाहने पुष्ट नहीं किया ।

उस दिन मैं बीमार था, बडगेने भी वही बताया है, उस दिन शामको मैं विडला-भवन नहीं गया ।

गोडसेने कहा—एक गवाह गोविन्द मालेकरने बताया है कि आपटे, गोपाल गोडसे और मैं २५ जनवरी, १९४८ को रातके ९ बजे बम्बईके एल्फिस्टन होटलमें था । जब कि एक दूसरे गवाह वसन्त जोशीने आपटे, गोपाल गोडसे, करकरे और मुझको २५ जनवरी, १९४८ को रातको ९ बजे बम्बईसे २५ मील दूर ठाणामें देखनेकी बात कही है । यह कैसे हो सकता है ? इसके अतिरिक्त वसन्त जोशीके स्थानपर उसके पिता जी० एम० जोशीसे क्यों नहीं गवाही दिलवायी गयी ? वसन्त जोशीसे बम्बईकी शिनाख्त परेडमें अभियुक्तोंकी शिनाख्त भी नहीं करायी गयी ।

दादा महाराजकी गवाहीके विषयमें गोडसेने कहा कि वह गैरकानूनी काम करता था । ऐसे आदमीपर कैसे विश्वास किया जा सकता है ? इस बातकी गारण्टी कौन दे सकता है कि उसने पुलिस और सरकारके फन्देसे बचनेके लिए अदालतमें झूठ बोलकर भलाई मोल न ली हो । हम दादा महाराजसे किसी प्रकारकी आर्थिक सहायता नहीं चाहते थे, हम तो उनसे एक रिवात्वर चाहते थे जो अरसेसे उनसे लेनेका हमारा अधिकार चला आता था ।

गोडसेने यह भी पूछा कि गान्धीजीकी हत्याके बहुत पहूलेसे ही पुलिस चुप-चाप सावरकरके घरकी निगरानी रखती थी । हम सावरकरके घर गये और पुलिसको पता न चले, यह कैसे हो सकता है ।

### १६ दिसम्बर

नथूराम गोडसेने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं ।

गोडसेने सबूतके इस कथनकी ओर निर्देश किया कि गोपाल गोडसे २० जनवरीको तीसरे पहर मेरीना होटलसे फ्रण्टियर हिन्दू होटल गया होगा

और चुपकेसे लौट आया होगा। गोडसेने कहा कि गोपाल गोडसेके मेरीना होटलसे कहीं जानेकी बात तो बटगेने भी अपने बयानमें नहीं कही। बटगेने कहा है कि उसने गोपाल गोडसेको एक रिवाल्वरकी गरममत क्रासे देगा या और बटगे स्वयं फ्यूज और डिट्रोनेटर लगानेके लिए स्नानरूममें पना गया था। बटगे जब स्नानरूमसे बाहर आया तब भी उसने गोपाल गोडसेको वहाँ खड़ा हुआ देखा। इसके बाद गोपाल गोडसे अन्वोंके साथ पिछला-भवन गया। यह बात कि बटगे अपने कार्यमें इतना व्यस्त था कि उसने गोपाल गोडसेकी गतिविधियोंको नहीं देखा होगा, यही अद्भुत माहूम देती है।

फ्रण्टियर हिन्दू होटलके मालिकने अपनी गवाहीमें कहा है कि उसने गोपाल-को २० जनवरीको ४ बजे अपने होटलमें देखा और रजिस्टरमें उसका नाम भी दर्ज है। किन्तु मालिकको उसके होटल पहुँचनेका टाइम-टीक समझ तो मालूम नहीं, किन्तु वापस आनेका याद है और फ्रण्टियर हिन्दू होटल मेरीना होटलसे ५ मील दूर है। फ्रण्टियर होटलका मालिक यह भी नहीं कहेगा कि गोपाल गोडसेके आनेपर होटलके बाहर उसने कोई कार भी देखी। मालिक जब एक घंटा ठहरनेके भी पैरे ले लेता है, तो यह कैसे हो सकता है कि उसे किसीके आने और जानेके ठीक ठीक समयका ज्ञान न हो। यह पूरी गवाही अत्यन्त सन्दिग्ध और विचित्र है।

गोडसेने कहा—मुझे तो यही विचित्र माहूम होगा है कि बटगेके बयानको फाटनेके लिए सबूतने इस गवाहको पेश ही क्यों किया। मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि पड़यन्त्रके अस्तित्वको सिद्ध करनेके निमित्त सबूत पक्ष २० जनवरी-को दिल्लीमें गोपाल गोडसेकी उपस्थितिको सिद्ध करनेके लिए उठाया गया।

एक अन्य गवाह गोडबोलेने कहा है कि गांधीजीकी हत्यासे ८-१० दिन पूर्व गोपाल गोडसेने पूनामें उसे एक रिवाल्वर और कुछ गोदियाँ दीं। अगर १० दिन माने जायें तब तो यह सिद्ध ही है कि २० जनवरीको गोपाल गोडसे दिल्लीमें नहीं था। अगर उस अवधिको ८-९ दिन समझा जायें और सङ्गठनकी इस बातको मान लिया जाय कि २० जनवरीको गोडसे दिल्लीमें था तो सवाक यह है कि गोपाल गोडसे रेलगाड़ीसे दतनी जल्दो पूना पहुँच कैसे सकता है, और वहाँ जहाजसे जानेकी बात सबूतने कही नहीं है। अगर इन

गवाहोंकी गवाहियाँ एक साथ पढ़ी जायँ तो ये एक दूसरेके विरोधमें जाती हैं और अभियोग सिद्ध नहीं होते ।

गोडसेने यह स्वीकार किया कि २७ जनवरीको आपटेके साथ हवाई जहाजसे वह बम्बईसे दिल्ली आया था । सबूत पक्ष कहता है कि हम उसी दिन रातको ११ बजे ग्वालियर पहुँचे । किन्तु तौंगा हाकनेवालेका बयान है कि हम बम्बई एक्सप्रेससे ग्वालियर पहुँचे थे । बम्बईको जानेवाली कोई गाड़ी उस समय ग्वालियर नहीं पहुँचती । इसके अतिरिक्त हम रातमें उसके तौंगेमें बैठे । वह हमें याद कैसे रख सका यह बड़ी अद्भुत बात मालूम देती है ।

सबूतका कथन है कि डा० परचुरेने अपनी स्वीकारोक्तिमें कहा है कि गोडसेसे मेरी बनती नहीं थी, लेकिन मैंने डा० परचुरेसे गान्धीजीको मारनेके लिए पिस्तौल माँगी । बचाव पक्षकी इस दलीलको कि गोडसे और आपटे केवल स्वयंसेवक लेने डा० परचुरेके पास गये थे, सबूतने बेहूदा बताया है । किन्तु अगर यह बात बेहूदी है तो डा० परचुरेके साथ मेरी न बनते हुए भी यह कहना कि मैंने उससे कहा कि गान्धीजीको मारनेके लिए एक पिस्तौल चाहिये, और भी बेहूदी बात है ।

इसके बाद गोडसेने गवाह सुन्दरीलाल और हरिकृष्णके बयानोंको लिया । उसने कहा कि उन दोनोंकी गवाहियाँ एक दूसरेकी विरोधी हैं, इसलिए उनकी कोई कीमत नहीं । सुन्दरीलालने कहा कि ३० जनवरीको उसने हमें दिल्ली स्टेशनका विश्रामगृह खाली करनेको कहा किन्तु परिचारक हरिकृष्णने अपने बयानमें सुन्दरीलालका उल्लेख तक नहीं किया । इसके अतिरिक्त हरिकृष्ण आपटे, गोडसे और करकरेको आसानीसे पहचान सकता था, किन्तु वह शिनाख्त परेडमें भी और अदालतमें भी आपटेको पहचाननेमें विफल रहा ।

इसका कारण बताते हुए कि बचाव पक्ष गवाह पेश क्यों नहीं कर सका, गोडसेने कहा, यह पहला मुकदमा है जब कि सरकार और जनता एक तरफ है और अभियुक्त दूसरी ओर । भगतसिंहके कार्य यद्यपि हिंसात्मक थे, तो भी कांग्रेसने कराचीके अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा उनका समर्थन किया था ।

इसके बाद गोडसेने कहा कि भारतके वॉटवारेके बाद जो परिस्थितियाँ पैदा हो गयीं और सरकार पाकिस्तानको ५५ करोड़ रोक़ा हुआ रुपया वापस देकर जिस नीतिपर चल रही थी उन परिस्थितियोंमें यद्यपि कानूनकी दृष्टिसे

नहीं, तो भी जनता जनार्दन, भावी पिढ़ियों या भावी ईमानदार इतिहास लेखकों-  
की आँखोंमें गान्धीजीको मार खाना सर्वथा उचित था ।

मैंने जिसको मारा, उसके प्रति कुछ भी दया नहीं दिखायी, इसलिए मेरा  
अधिकार भी नहीं है कि मैं किसीसे दयाकी भीख माँगूँ । गान्धीजीको मारनेके  
मेरे जो उद्देश्य थे, वे पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे अधिक और कुछ नहीं  
कहना है । गोडसेने भविष्यवाणी की कि एक वर भी समय आयेगा जब दुनिया  
देशभक्तिकी भी उसी प्रकार निन्दा क्रिया करेगी, जिस प्रकार अब भारती निन्दा  
की जाती है ।

### करकरेके पक्षमें युक्तियाँ

इसके बाद करकरेके वकील श्री डांगेने युक्तियाँ करना शुरू किया । उन्होंने  
कहा कि केवल ४६ गवाहोंकी गवाहियाँ करकरेसे सम्बन्ध रखती हैं । इनमेंसे  
२६ तो सर्वथा निरर्थक हैं । श्री डांगेने कहा कि सचूतकी कमसे कम आवश्यक  
गवाहोंकी तो जिरह करानी चाहिये थी । भारत गूनियनके कियो भी सुसलमान  
गवाहको प्रस्तुत नहीं किया गया । बटगे कोई महत्त्वपूर्ण गवाह नहीं है ।  
केवल ५ गवाह महत्त्वपूर्ण हैं । मेरीना होटलकी गवाहियोंका करकरेसे कोई  
सम्बन्ध ही नहीं है ।

श्री डांगेने आगे कहा कि अन्नाथ सिद्ध करनेका साथ दायित्व बहुत पक्ष-  
पर है, अदालत अनुमानसे कुछ निर्णय नहीं कर सकती । दयाप पक्ष गवाह प्रस्तुत  
करनेके लिए बाधित नहीं है । कानूनका तत्त्वा है कि चाहे १० अन्नाथी  
दण्डसे भले ही बच जायँ किन्तु निर्दोषको कहीं सजा न मिल जाय । इसके बाद  
श्री डांगेने करकरेके वक्तव्यसे कुछ ऐसे अंश पढ़े जिनसे उसके वाक्पटात् और  
शिक्षा-दीक्षार प्रकाश पड़ता था ।

१७ दिसम्बर

श्री डांगेने अपनी युक्तियाँ आज जारी रहीं ।

श्री डांगेने श्री जे० सी० जैनके साथ मदनमालके सम्बन्धका विवरण दिया  
जब कि करकरेको अरमदनगरका सेठ बताया गया था । श्री डांगेने मदनमाल  
द्वारा प्रो० जैनको लिखे गये पत्रोंका हवाला दिया जिनमें करकरेकी करकरे द्वारा  
लिखा था, सेठ नहीं ।



सबूत पक्ष करकरेको सेठ कहकर उसे धनी व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि समाजसेवा केवल धनी मनुष्य ही कर सकता हो। समाजसेवाके लिए मनुष्यका केवल प्रभावशाली और ईमानदार होना ही आवश्यक है। इसलिए करकरेको सबूत द्वारा सेठ कहना झूठ है।

अहमदनगरमें शरणार्थियोंके आ जानेसे मुसलमानोंको नुकसान पहुँचा और करकरेकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। मुसलमानोंको स्वभावतः यह बात खटकती और उन्होंने सरकारसे शिकायत की कि करकरे शरणार्थियोंकी दंगेके लिए उसका रहा है। इसीलिए सरकारने उसकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी। गिरफ्तारीकी इस आज्ञाके कारण ही करकरेने अपना नाम बदलकर व्यास रखा।

### सरदार पटेलके वक्तव्यपर आपत्ति

उससे पूर्व गोपाल गोडसे और डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारने एक प्रेस रिपोर्टकी ओर अदालतका ध्यान खींचा, जिसमें कहा गया है कि सरदार पटेलने कांग्रेसके जयपुर अधिवेशनमें कहा कि जिस पिस्तौलसे गान्धीजीको मारा गया था, वह ग्वालियरमें खरीदी गयी थी। श्री इनामदारने कहा कि जब तक मुकदमा जारी है, ऐसे खुले वक्तव्य नहीं दिये जाने चाहिये।

श्री डॉंगेने कहा कि अगर करकरे और मदनलाल कोई षड्यन्त्र करनेके उद्देश्यसे दिल्ली आये होते तो वे अपने साथ एक अपरिचित व्यक्ति अमचेकरको क्यों लाते।

इसके अतिरिक्त एक गवाहने कहा कि मदनलाल २० जनवरीको एक सभामें गया था, जिसमें जयप्रकाशनारायणने भाषण किया था। मदनलालने वहाँपर नारे बुलन्द किये थे। क्या किसी षड्यन्त्रकारीका व्यवहार इस प्रकारका होता है ? इसलिए सबूतका यह कहना कि ये अभियुक्त षड्यन्त्र करनेके ख्यालसे दिल्ली आये थे, सरासर झूठ है।

श्री डॉंगेने इसके बाद मेरीना होटलकी गवाहियोंको लिया। उन्होंने कहा कि एक गवाहने बम्बईकी शिनाख्त परेडमें करकरेको पहचाना थी, किन्तु यह कैसे सम्भव है कि वह गवाह नित्यप्रति सैकड़ों व्यक्तियोंको चाय पानी परोसता है, तब भी उसे करकरेकी सूरत याद रह गयी हो और बम्बईकी शिनाख्त परेडमें वह उसे पहचान ले। इसके अतिरिक्त मेरीना होटलके एक गवाहने होटलमें

आपटे, नथूराम गोदसे, गोपाल गोदसे और बटगेरी उरगियलिका जिनके विना है, करकरेका नहीं। उसके कथनानुसार करकरे उस समय कारागार में था। इसलिए उस गवाहके बयानसे बटगेरी गवाही कट जाती है।

श्री टॉगेने आगे कहा कि विद्वान्-भवनके दो गवाहों छोट्टाम और भूरसिंहकी भी गवाहियाँ एक दूसरेके विरुद्ध हैं। छोट्टामने कहा है कि गान्धीजीका फोटो लेनेके लिए अनुमति लेने करकरे उसके पास आया था। शिनाल्ल परेलमें उसने आपटे और करकरेको पहचाना तो जरूर किन्तु वह यह नहीं कहा मगर कि दोनोंमेंसे कौन व्यक्ति फोटोकी अनुमति लेने उसके पास आया था।

भूरसिंहका बयान है कि २७ जनवरीको दो व्यक्ति आये थे। एतने फोटो लेनेकी अनुमति माँगी, किन्तु वह यह नहीं पहचान सका कि वह व्यक्ति था कौन।

श्री टॉगेने आगे कहा—स्वतः पत्रका कथन यह है कि आपटे, गोदसे और करकरे ३० जनवरीको दिल्लीमें थे। दिल्ली स्टेशनपर टिकट बॉटनेवाले मुन्दरीलालने आपटे और गोदसेको पहचाना जिनके विषयमें उसने कहा कि वे २९ जनवरीको दिल्ली स्टेशनपर थे और करकरेको इस रूपमें पहचाना कि वह ३० जनवरीको आपटे और गोदसेके साथ दिल्ली स्टेशनके विद्यमानमें था। मुन्दरीलाल द्वारा इन व्यक्तियोंकी शिनाख्त गन्धर्व है। ८ फरवरीको दिल्लीकी शिनाख्त परेलमें इससे शिनाख्त क्यों नहीं कराया गया? कारागारकी शिनाख्त परेल तक उसके रोक रखनेका मतलब यह है कि स्वतः पत्र हमें पाठ पढ़ा रहा था। मुन्दरीलालने यह कहा है कि उसने आपटे और गोदसेको पैदा हुआ तथा करकरेको खड़ा हुआ देखा। किन्तु करकरे जड़ा क्यों नहीं गया, यह आपटे और गोदसेका नौकर तो नहीं था, या उनसे हीन तो नहीं था। इसलिए यह कहना कि करकरे वहाँपर मौजूद था निरुद्ध बात है। स्वतः पत्र यह प्रकटित नहीं कर सका कि करकरे दिल्ली जैसे पहुँचा, इसलिए इस तात्का नाम में मुश्किलकी मिलना चाहिए।

श्री टॉगेने आगे कहा कि बटगेरी गवाही अविश्वसनीय है, क्योंकि मुश्किलकी गवाही जस्तक अन्य सूत्रोंसे प्रमाणित न हो सके, तबतक विश्वास नहीं दिया जा सकता।

आज श्री एन. डी. डांगेने अननों वहम जारी रखते हुए उस पत्रका प्रसंग उद्धृत किया जो बम्बई सी. आई. डी. के नये भवनमें बडगेकी पत्नीसे उपलब्ध हुआ था ।

वकीलने कहा कि जब बडगेकी पत्नी सी. आई. डी. भवनमें आयी तो उसने पुलिसके माँगनेपर उसे उक्त पत्र दिया । यह समझमें नहीं आता कि श्रीमती बडगे वह पत्र क्यों लायी होंगी, जब कि बडगेने उसे लानेके लिए कुछ नहीं कहा था । अतः यह मामला पूर्णतया सन्दिग्ध प्रतीत होता है ।

श्री डांगेने कहा कि यह पत्र बडगेके छपे कागजपर भी नहीं लिखा था । यह पत्र—कागज फटा हुआ था और चिपका रखा गया था । पुलिसने इसकी लिखावट करकरेकी लिखावटसे मिलायी थी । अभिपुक्तको एक निश्चित ढंगसे लिखनेका आदेश दिया गया था । हस्तलेख-परीक्षका कहना है कि ये लिखावटें एक व्यक्ति, अर्थात् करकरेकी हैं । लेकिन बलपूर्वक अपना कुसलाकर लिखायी गयी लिखावटको मिठानके लिए प्रामाणिक नहीं समझा जा सकता है ।

श्री डांगेने कहा कि इस पत्रमें पुस्तकों और लेखोंका जो सांकेतिक प्रयोग किया गया है उसका अर्थ बर्षोंसे नहीं, प्रत्युत लौह जाकिटोंसे है जिन्हें नोआ-खाली जानेसे पहले करकरेने खरीदा था ।

वकीलने कहा कि गान्धीजीकी हत्याके लिए कोई षड्यन्त्र न था । बडगे दिल्लीमें अपने हथियार बेचने आया था । आपटेने उससे एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमें भाग लेनेके लिए आनेकी प्रार्थना की थी । अतः उसने सामान्यतः ऐसा अवसर चुना कि दोनों काम हो सकें ।

श्री डांगेने फिर कहा कि सबूत पक्षका कथन है कि मेरीना होटल (दिल्ली) में यह तय किया गया था कि जब मदनलाल गनकाटन बमका धड़ाका करे तो सुरन्त ही करकरे, गोपाल गोडसे और शंकर, छोट्टागमके कमरेसे महात्मा गान्धी-पर हथगोलेका प्रहार करें । लेकिन बडगेने इस योजनामें परिवर्तन कर दिया । करकरेको इसकी जानकारी न थी । यदि करकरे वास्तवमें षड्यन्त्रकारियोंमें होता तो उसे यह मालूम होना चाहिये था । इससे सिद्ध होता है कि करकरे निर्दोष है और हत्याके लिए कोई षड्यन्त्र नहीं किया गया ।

श्री मुरारजी देसाई, अंगदसिंह और प्रो० जे. सी. जैनकीं गवाहियों परस्पर विरोधामात्र है और मूल कथनका विटरोपण है, अतः इन्हें खोजा नहीं किया जाना चाहिये ।

करकोकी गिरफ्तारीके समय उसके पास बम्बई उपनगरके २६ जनवरीके टिकट बरामद हुए थे । इसी बातसे यह प्रकट होता है कि वह इत्याके समय दिल्लीमें नहीं होगा ।

श्री टांगेने बम्बईमें हुई शिनाख्त परेशोंकी आलोचना की और कहा कि चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनने जिस समय शिनाख्त परेश की तो कोर्ट भी मराठी दुर्भाषिया करकोकी सारी बातें समझानेकी नहीं था ।

अन्तमें श्री टांगेने कहा कि मेरे मुअकिलने कोर्ट भी अपराध नहीं किया, अतः उसे सन्देहका लाभ मिलना चाहिये और रिहा कर देना चाहिये ।

### सावरकरकी ओरसे श्री दासकी बहस

इसके बाद सावरकरके बचावमें श्री पी. धार, दासने यह धारणा की और कहा कि हमारे सामने दो चीजें विचारणीय हैं । पहली यह कि क्या गान्धीजीकी इत्या करनेके लिए कोई पट्ट्य रचा गया ? दूसरी यह कि यदि कोई पट्ट्य रचा गया तो उसमें सावरकरका कितना क्षय है ?

श्री दासने कहा कि सवृत पक्षके कथनानुसार गान्धीजीकी इत्या करनेका अन्तिम फैसला २० जनवरी १९४८ को मेरोना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें हुआ था । बचाव पक्षका कहना है कि गान्धीजीकी इत्या करनेके लिए कोई पट्ट्य नहीं रचा गया और यदि इसे पट्ट्य कहा जाय तो त्रिजनों पुरी सच है, क्योंकि अन्य अभियुक्तोंने तो गान्धीजीकी प्रायोजना-समयमें प्रदर्शन करनेका प्रयत्न किया । ३० जनवरीका प्रायण तो केवल नमूना नोटकेका वैयक्तिक कार्य है । यदि कोई पट्ट्य ही किया गया था तो २० जनवरीको ही गान्धीजीकी इत्या क्यों नहीं की गयी । उस दिन रात व्यक्ति मर्दा भौंदि धर-सज्जित थे, वे उस दिन आसानीसे गान्धीजीकी इत्या कर देंगे, यदि उन्होंने कोई पट्ट्य किया होता । इस सम्बन्धमें जो गवाहियां सवृत पक्षकी ओरसे पेश की गयी हैं, वे मुखदिसकी गवाहीको पुष्ट नहीं करती, बल्कि वही वही खण्टन करती हैं । सवृत पक्षने इस बातकी भी गवाहियां पेश की हैं कि

अभियुक्त २० जनवरीके बाद फिर मिले और गान्धीजीकी हत्या करनेका निर्णय किया। प्रश्न यह होता है कि यदि पट्यन्त्र ही या तो हत्या २० जनवरीको क्यों नहीं की जब कि उस दिन हत्या करना आसान था।

श्री दासने लार्ड सभा और इलाहाबाद हाई कोर्टके फैसलोंका हवाला देकर कहा कि सवृत पक्षके मुकदमेमें सन्देहके कई कारण मौजूद हैं और सवृत पक्षको अपना मुकदमा सन्देह-रहित रूपसे सिद्ध करना चाहिये।

श्री दासने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि क्या सवृत पक्ष सच्चा है या सफाई पक्ष। २० जनवरीको केवल एक घम फटा। क्या इसका यह अर्थ है कि सवृत पक्ष बिना सन्देहके अपना पक्ष सब साबित कर चुका है। क्या सवृत पक्षके पास इस बातका प्रमाण है कि अभियुक्तोंने २० जनवरीको ही पट्यन्त्र क्यों कार्यान्वित नहीं किया ?

मुखविर बडगेकी गवाहीके बारेमें श्री दासने कहा कि मुखविरकी गवाहीकी पुष्टि विवरणात्मक रूपसे न हुई हो पर मुख्य बातोंकी पुष्टि तो आवश्यक है। यह फैसला अदालत करेगी कि मुखविरकी गवाहीकी समुचित पुष्टि हो सकी है या नहीं।

आपने आगे कहा कि बडगेने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि वह १९४७ से हथियार और गोला बारूद करकरे और आपटेके हाथों बेचता रहा है। इस विक्रीका उद्देश्य गान्धीजीकी हत्या करना नहीं बरन् हैदराबादके हिन्दुओंके लिए शस्त्रालय एकत्र करना था।

नवम्बर १९४७ में आपटेने बडगेसे पूछा कि शस्त्रालय तैयार हैं या नहीं। उसने यह भी कहा कि करकरे उससे ये हथियार आदि एक या दो दिनमें लेने आयागा। यह हथियार भी हैदराबाद संघर्षके लिए थे। १० जनवरीको बडगेको 'हिन्दू राष्ट्र' पूनाके दफ्तरमें बुलाया गया और उससे दो बारूदी रूईके टुकड़े, २ रिवाल्वर तथा ५ हथगोले देनेको कहा गया। यह सामान १४ जनवरीको हिन्दू महासभा कार्यालय दादरमें पहुँचाना था। श्री दासने कहा कि मुखविरके बयानके इस भागकी पुष्टि किसी भी गवाहकी गवाहीसे नहीं होती।

अपनी बहस जारी रखते हुए श्री दासने कहा कि जब बडगे और शंकर १४ जनवरीको बम्बई पहुँचे तो बडगे वह शस्त्रालय दीक्षित महाराजके घर ले गया और उन्हें दीक्षित महाराजके नौकरको दे दिया। बडगे उन शस्त्रालयोंकी

वहाँ क्यों ले गया ? वह इसलिये ले गया क्योंकि दीक्षित महाराजके अहिंसे शस्त्रास्त्र हैदराबादके लिए एकत्र किये जाते थे ।

दीक्षित महाराजका नौकर अदालतमें पेश नहीं किया गया । दीक्षित महाराजकी इस गवाहीसे कि बड़े शस्त्रास्त्र आदि मेरे नौकरको दे गया, बटमेकी गवाहीकी पुष्टि नहीं होती । दीक्षित महाराजके ऊपर बड़ी आशानीसे जानता कौजदारीके अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता था, पर बम्बई सरकारने इस सम्बन्धमें कोई कदम नहीं उठाया । यह बहुत सम्भव हो सकता है कि दीक्षित महाराजने अपने आपको बचानेके लिए सचूत पक्षके कहनेपर गवाही दी हो । इसलिए उनकी गवाहीका कोई महत्त्व नहीं ।

हैदराबादका प्रश्न उस समय सबके दिमागमें था । क्या ये शस्त्रास्त्र जो बम्बई लाये गये थे, हैदराबाद भेजनेके लिए मँगाये गये थे या एक निरपेक्ष वृद्धकी हत्या करनेके लिए ? सचूत पक्षका कहना है कि यह "सामान" दिल्ली ले जाकर गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए बम्बई मँगाया गया था । क्या यह सारे शस्त्रास्त्र गान्धीजीकी हत्याके लिए आवश्यक थे ?

यदि दीक्षित महाराजके नौकर नारायणको अदालतमें पेश किया गया होता तो पता चल जाता कि यह शस्त्रास्त्र बम्बई क्यों लाये गये थे । उस समय पट्टेयन्त्रका भंडाफोड़ हो जाता । धी दासने आगे कहा कि इस सम्बन्धमें सचूत पक्षके इस मुकदमेमें कानो सन्देह-स्थल मौजूद है कि ये शस्त्रास्त्र गान्धीजीकी हत्याके लिए बम्बई लाये गये थे ।

धी दासने बताया कि मुख्यधिर और कथित पट्टेयन्त्रकारियोंमें केवल विवेका और माहकका सम्बन्ध था । सचूत पक्षकी गवाहियोंसे पता चलता है कि वह भी सावरकरसे गोपनीय वार्ता हुई, बटमेकी अलग रत्ता गया । जब आस्टेने बटमेसे पूछा कि क्या वह उनके साथ दिल्ली जाने और महत्तमा गान्धी तथा श्री सुहरावर्दीकी हत्या करनेकी तैयारी है या नहीं, क्योंकि हत्या करनेकी आशा धी सावरकरने दी है, तो बटमेने उसे बिना अनुमतिके स्वीकार कर लिया । यह कितनी आश्चर्यकी बात है कि बटमेको यह प्यान भी नहीं आता कि वह इसकी सज्जना पुलिसको दे दे । आपटे और गोटेने जब अन्तिम बार सावरकरके दर्शन करने गये तो भी बटमेको बाहर छोड़ गये । वह और भी आश्चर्यकी बात है कि कथित पट्टेयन्त्रकारियोंको बटमेपर विश्वास न होने हुए भी उन्होंने उसे

गान्धीजीकी हत्याके षड्यन्त्रके बारेमें सूचना दे दी । २० जनवरीको प्र अभियुक्तोंके विडला-भवन जानेके विषयमें श्री दासने कहा कि सबूत पक्ष किसी टैक्सी ड्राइवरको पेश नहीं कर सका जो निश्चयपूर्वक बडगोकी गवाही पुष्टि करता ।

२० दिसम्बर—बम-विस्फोटके बाद षड्यन्त्र खतम हो गया

श्री पी० आर० दासने आज भी अपनी बहस जारी रखते हुए कहा सबूत पक्षने यह नहीं कहा है कि २० जनवरीके बाद २० जनवरी तक षड्यन्त्र जारी था । विडला भवनके गवाहोंने परस्परविरोधी और बडगोकी गवाहीसे विरोधी गवाहियाँ दी हैं । कानूनके अनुसार शिनाख्त कराना जरूरी है, पर वह सम्भव है कि कोई आदमी शिनाख्त कर कहे कि मैंने अमुक व्यक्तिको आदमियोंके साथ टहलते हुए देखा था । सुलोचना और सूरजीत सिंहकी गवाही अस्वीकृत कर बचाव पक्षको यह बात मान लेनी चाहिये कि २० जनवरी शामको नथूराम विडला भवनमें उपस्थित नहीं था और हत्याके लिए कोई षड्यन्त्र नहीं रचा गया था ।

जजने पूछा कि सबूत पक्षका कहना है कि आपटे तथा अन्य लोग घबड़ाकर टैक्सीमें भाग गये । यदि वे लोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने आये होते तो इस तरह घबड़ाकर क्यों भागते ? श्री दासने कहा कि इस तरह भागनेकी बातपर ज्यादत जोर नहीं दिया जाना चाहिये । यदि गान्धीजीको मारनेका कोई षड्यन्त्र होता तो इन लोगोंमेंसे किसी एकने, मदनलालने ही, उस दिन गान्धीजीकी हत्या कर डाली होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ । षड्यन्त्र गुप्त रूपसे रचा जाता है सबूत पक्ष भी यह नहीं कहता कि २० तारीखके बाद कोई षड्यन्त्र जारी था ।

जजने पूछा कि यदि षड्यन्त्र किसी एक दिन विफल हुआ तो क्या फिर षड्यन्त्र नहीं रह जाता ? श्री जैनकी गवाहीको बड़ा चढ़ाकर दी गयी गवाही कहा गया था । उसपर जजने कहा कि वह बड़ा-चढ़ाकर होती तो जैन खुद उसमें और फँसते ।

श्री दासने कहा कि श्री मुरारजी देसाई हत्याके षड्यन्त्रकी बातें जानते तो उन्होंने उसे रोकनेके लिए कुछ क्यों नहीं किया । अधिकारियों द्वारा जैन

देखा गया था। मान भी लिया कि हत्याका कोई पञ्चम्य था और जैनाही गवाही सच है तब भी जैनेने मुरारजी देसाईको केवल मदनराज और करबरेके नाम बताये थे। श्री मुरारजीकी गवाही सुनी हुई बातोंके आधारपर भी इन्हीं उभे अदालतको स्वीकार नहीं करना चाहिये। २० जनवरीकी रातको जब बड्गेने हिन्दू महासभा भवनमें गोठसे और आपटेको मन्ना-हुआ कदा तभी पञ्चम्य समाप्त हो गया।

## २१ दिसम्बर

श्री दासने आज भी अपनी बरस जारी रखी। उन्होंने कहा कि बहुत पहले बसंत जोशीकी गवाही दिलाकर यह साधित करना चाहते हैं कि चार अभियुक्त ठाणामें जोशीके यहाँ एकत्र हुए थे। यदि यह सच माना जाय तब भी प्रलय होनेका मतलब पञ्चम्य करना कैसे होगा? अदालतमें गवाही दसम्बत जोशीके बिरा जी. एम. जोशीसे दिलायी चाहिये थी, पर वे १५ दिन तक लाल किल्लेमें थे फिर भी उनकी गवाही नहीं ली गयी। २५ जनवरीको आपटेको पूना कार मेजनेकी बात भी कही गयी, पर आपटे तो सादेकरकी गवाहीके अनुसार उस दिन बम्बईमें था।

सावरकर जैसा देशके लिए सर्वस्य त्याग किया हुआ आदमी आपटे-गोठसे जैसे लोगोंके साथ पञ्चम्य कैसे कर सकता है? पुलिसने उनके यहाँसे १४० फाइलोंमें १० हजार पत्र बरामद किये, पर एक भी पत्रमें एक भी ऐसा शब्द उभे नहीं मिला जिससे मान्य हो कि सावरकर गान्धीजीके प्रति कुर्भावना रखते थे। १९४७ में आपटे-गोठसे और सावरकरमें कोई पत्रबदला ही नहीं हुआ। अगस्त ४७ में महाराष्ट्र हिन्दूसभाका आदेश भंग करते सावरकरने अपने मकानपर तिरंगा लंघा फहराया। इसपर आपटे-गोठसे करबरेने उनकी निन्दा की। बड्गेने जो यह कहा कि आपटेने दीक्षित महाराजके पत्रके जवाबमें कहा कि सावरकरका आदेश है कि गान्धी, नेहरू और सुभाषचारीको मृतक कर दिया जाय, क्या विश्वसनीय है? क्या किसीके महानते हमेंसे ऐसी बातें कही जा सकती हैं? आपटेने बहुत-कुछ सावरकरका नाम लिया हो तो? यदि ऐसी गवाही अदालतोंमें मान्यता पा जाय तब तो इस मुद्देमें कोई भी आश्चर्य साम्य नहीं रह सकता। १९४७-४८ में सावरकरके आपटे-गोठसे कभी नहीं



मिले, तो फिर क्या केवल यह बात कहने कि हम गान्धीजीकी हत्या करने जा रहे हैं दोनों सावरकरके यहाँ गये होंगे ? यह असम्भव मालूम देता है । जैन, मुरारजी देसाई या अंगदसिंह तीनोंमेंसे किसीने भी यह नहीं कहा है कि सावरकर षड्यन्त्रमें शामिल थे । २४ से २७ जनवरी तक आपटे गोडसे बम्बईमें थे । इन तीन दिनोंमें इन दोमेंसे कोई सावरकरके घर नहीं गया । सावरकरने हिन्दू सभाको बनाया । वे अवश्य जानते होंगे कि गान्धीजीको मारना हिन्दू सभाको खतम करना है । फिर वे ऐसा अपने हाथों कैसे करते ? बडगे और दीक्षित महाराजकी गवाहियाँ मेल नहीं खातीं । सारी चीजें संदेहात्मक हैं इसलिए संदेहका लाभ अभियुक्तोंको मिलना चाहिये ।

सावरकर निर्दोष कहकर छोड़े जायँगे इसमें मुझे संदेह नहीं, पर अदालतको उन्हें निष्कलंक कहकर भी छोड़ना चाहिये ।

### मदनलालके वकील द्वारा बहस

श्री दासके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जी बहस करने लगे । उन्होंने कहा कि अदालतको गान्धीजीके भाषणों आदिको अदालती सवूतोंमें शामिल कर लेना चाहिये । गान्धीजीके कारण सरकारको पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देना पड़ा यह बात भी अदालतके रेकार्डमें आ जानी चाहिये ।

ग्वालियरके मजिस्ट्रेटने जो बयान लिया वह कानूनन यह अदालत नहीं ले सकती ।

### २२ दिसम्बर

श्री बनर्जीने आज अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए ग्वालियरके मजिस्ट्रेट आर. वी. अटल द्वारा दर्ज किये गये परचुरेके अपराध-स्वीकारका स्मरण कराया ।

श्री बनर्जीने कहा कि रियासतोंके मजिस्ट्रेटको अपराध-स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करनेके सिवा स्वयं भी गवाही देनी चाहिये । श्री अटलने उस स्वीकारोक्तिको अदालतमें केवल पढ़ दिया ।

श्री बनर्जीने कहा आम रिवाज यह है कि रियासतके मजिस्ट्रेटको अदालतमें अभियुक्तकी अपराध-स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करनेके साथ-साथ अपनी गवाही भी देनी चाहिये ।

श्री बनर्जीने अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिए अनेक न्यायोंका हवाला दिया ।



सकता है कि अखबारोंमें २० जनवरीकी घटनाको पढ़कर प्रो० जैनने गान्धीजी-को मारनेके पड्यन्त्रके होनेका अनुमान लगाया हो ।

### २३ दिसम्बर

श्री वनर्जाने बहस जारी रखते हुए कहा कि जैनकी गवाहीका खण्डन मुरारजी देसाई और अगदसिंहकी गवाहीसे हो जाता है । नगरवालाने भी जैन-के बयानको कोई महत्त्व नहीं दिया । जब दिल्लीसे पुलिस अफसर गया तब उन्होंने बडगेकी गिरफ्तारीका वारंट निकाला ।

श्री वनर्जाने कहा कि यदि करकरे-मदनलाल इतना गोलाभारूद तीसरे दर्जे-के भीड़-भरे डब्बेमें बम्बईसे दिल्ली ले आ सकते थे तो १५ जनवरीको वे चीजें बम्बईके हिन्दू समाके दफ्तरमें ही रखी जातीं, दीक्षित महाराज जैसे आदमीके घर क्यों रखी जातीं ? बडगे और दीक्षित महाराजकी गवाहीमें विरोध है । यदि गान्धी-नेहरू-सुहरावर्दी तीनोंको मारनेका पड्यन्त्र था तो नेहरू-सुहरावर्दीको मारनेका प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ? सबूत पक्षने यह भी नहीं बताया कि कब इनको मारनेकी योजना रद्द कर दी गयी थी । यदि कोई पड्यन्त्र होता तो ये लोग दिल्लीमें हिन्दू समाके दफ्तर जैसे धर्मशालाके सामने खुली जगहमें न टिकते ।

२० तारीखको सवेरे बडगेको आपटे बिड़ला-भवन क्यों ले गया ? यदि पड्यन्त्र था तो मदनलालको ले जाना चाहिये था । उसे ले जानेकी बात नहीं कही गयी है । बडगेको २० को सवेरे कोई काम नहीं सौंपा गया । तब फिर उसे ही बिड़ला-भवन क्यों ले गये ? हथियार बाँटनेके लिए २ मील दूर मेरीना होटल क्यों चुना जाता ? हिन्दू सभाभवनमें ही यह क्यों नहीं किया गया ? फिर गोपाल गोडसे वापस हिन्दू सभाभवन क्यों गया ? सारी कथा फरवरीके मध्यमें पुलिस द्वारा गढ़ी गयी मालूम होती है । ३१ जनवरीको गिरफ्तार किये गये बडगेका बयान २१-२२ फरवरी तक नहीं लिखा गया । जैनसे ४-५ फरवरीको मुलाकात की गयी, पर उनका बयान १७ फरवरीको लिया गया । अदालतको मालूम हो जायगा कि कहानी रचनेका जानबूझकर प्रयत्न किया गया है । अदालतमें भी कहानीको सुधारनेकी और चेष्टा की गयी । मुकदमा २४ जूनको शुरू हुआ । इकवाली गवाहको २१ जूनको माफी दी गयी, पर उसका बयान जो सबसे पहले लिया जाना चाहिये था, जुलाईके मध्यमें लिया गया ।

कहा गया कि नथूरामने बटमेंसे कहा कि यह हमारा आधिकारी प्रयत्न है । फिर पहला प्रयत्न क्या किया गया ? यदि आक्ट-नोटमें पद्वन्धके मन्त्रिक से तो शिपियार बॉटनेके बारेमें उन्होंने बटमेंकी नयी योजना केसे स्वीकार की ? सुनोचना और बटमेंकी गवाहीमें भी विरोध है । यदि पद्वन्ध या तद भी यह नहीं साबित होता कि मदनलाल उद्योग था ।

## २४ दिसम्बर

श्री बनर्जीने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं ।

शिनाख्त परेडको गवाहियोंका जिक्र करते हुए श्री बनर्जीने कहा कि सम्बन्धके चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनको अभियुक्तोंको पुलिसकी शिफ्टमें रखनेके सम्बन्धमें कोई अधिकार नहीं है जबकि कि आप काइम्बर डन कारणांका उल्लेख न करें कि क्यों उन्हें पुलिसकी शिफ्टमें दिया गया । पुलिस ऐक्टमें उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं कि शिनाख्त परेड काधी जाय, जब कि अभियुक्त पुलिसकी शिफ्टमें हैं । इसलिए वारा तरीका जो अपनाया गया, गैर-कानूनी है । अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए श्री बनर्जीने इस बातको मान लिया कि अभियुक्तोंको पृथक्ताछके लिए एक रफ्तनसे दूसरे रफ्तनसे ले जाया गया । कानूनमें अभियुक्तोंमें पृथक्ताछ करना अनुचित है । मैजिस्ट्रेट पुलिसने ऐसा किया ताकि पद्वन्ध बनाया जाय । बहुत पक्ष यह नहीं बता सका कि क्यों २० जनवरीको सब अभियुक्तोंमें अपना-अपना माग अदा नहीं किया जब मदनलालने वम विस्कोट किया था । इसलिए पद्वन्धका अभियोग सिद्ध नहीं होता ।

इसके बाद श्री बनर्जीने अदालतके इस मुकदमेपर विचार कर करनेके अधिकारको चुनौती दी । आपने कहा कि कानूनके अनुसार अभियुक्तोंके विरुद्ध मुकदमेकी सुनवाईका जो अधिकार अदालतको प्राप्त है उसके अनुसार आप केशवमें मुकदमा भेजनेकी अर्थात् शर्तें सुन सकते हैं ।

चाहिंये तो यह था कि वारे मुकदमेको वापस मुकदमा करीब किया जाता न कि समस्त मुकदमा जैसा कि अब किया गया है । उन्होंने हमारे कहा कि कानूनके अनुसार भी कोई तरीका कि किस प्रकार ऐसा मुकदमा किया जाय, दर्ज नहीं है । इसलिए यह भी जतन है । क्या मुकदमा गैरकानूनी तरीकेसे

चलाया गया है, क्योंकि अभियुक्तोंके विरुद्ध जो अभियोग लगाये गये हैं वे भी न्याय्य तरीकेसे नहीं लगाये गये ।

मदनलालकी गिरफ्तारीके समय जो कोर्ट पुलिसने उसके पाससे वरामद किया था, उसका जिक्र करते हुए श्री वनर्जाने कहा कि यह कोर्ट आपटेका नहीं है जैसा कि सबूत पक्षका कथन है । कोर्टकी कहानी इसलिए पेश की गयी है ताकि मदनलालका अन्य व्यक्तियोंसे सम्बन्ध बताकर यह सिद्ध किया जा सके कि कोई षड्यन्त्र था । जिन अवस्थाओंमें आपटेसे पतलून अधिकारमें ली गयी वे भी सन्दिग्ध हैं ।

आगे चलकर श्री वनर्जाने कहा कि अहमदनगरसे कोई गवाह क्यों नहीं पेश किया गया, जब कि सबूतने अभियोगपत्रमें उनका भी उल्लेख किया था । यह सही है कि यह सबूतकी मर्जीपर है कि वह जिन गवाहोंको चाहे उन्हें ही पेश करे । किन्तु आवश्यक गवाहोंको प्रस्तुत करना ही चाहिये ।

अब यह अदालतपर है कि वह फैसला करे कि सबूतने जो गवाहियाँ प्रस्तुत नहीं कीं यह उचित है या नहीं ? मदनलालकी बहादुरीको जतानेवाले अहमदनगरके उसके कामोंका बयान सबूतने प्रो० जैनके जरिये दिलवाया है । किन्तु प्रो० जैनकी गवाही सिर्फ सुनी-सुनायी कहानी है ।

श्री वनर्जाने अभियुक्तों द्वारा स्थान निर्देश सम्बन्धी गवाहियोंके स्वीकारणीय होनेपर आपत्ति उठायी । उन्होंने अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिए अदालतोंके अनेक फैसलोंका हवाला दिया । अगर इन वक्तव्योंको स्वीकार न किया जावे तो बडगोवा उस आशयका वक्तव्य प्रमाणित नहीं होता कि मदनलालका आपटेके साथ कोई सम्बन्ध था ।

श्री वनर्जाने आगे कहा कि अभियुक्तोंने अपने वक्तव्यमें कुछ बातें कही हैं । सबूतका कथन है कि उनको गवाह प्रस्तुत करके पुष्ट किया जाना चाहिये किन्तु यह तो सबूतका कार्य है कि वह स्वयं ही अभियोगोंको साबित करे ।

सबूतने मानो अदालतसे यह कहा है कि वह यह मानकर चले कि कोई षड्यन्त्र था । वचाव पक्षको यह जाननेका अधिकार है कि यह षड्यन्त्र शुरू कब किया गया । सबूतको बताना चाहिये कि यह षड्यन्त्र कबसे शुरू किया गया ।

प्रो० जैनने बताया है कि मदनलाल जब उनसे मिला तो षड्यन्त्रका

प्रारम्भ हो चुका था । यह पड्यन्त्र तबसे शुरू हुआ नहीं समझा जा सकता जब उससे पहले दिन मदनलाल बढोके द्वास्त्र-मण्डारमें गया और ओम्प्रकाश तथा चौराहाके साथ उन्होंने मालकी परीक्षा की । अगर पड्यन्त्र इसलिए दिया गया कि गान्धीजीने उपवास करके ५५ करोड़ रुपया पाकिस्तानको दितया दिया तो पड्यन्त्रका प्रारम्भ १४ जनवरीसे होना चाहिये ।

जब तक स्यूत पक्ष यह नहीं बताता कि किन परिस्थितियों और कारणोंसे प्रेरित होकर पड्यन्त्रकी रचना की गयी तब तक अदालत यह कल्पना ही कर सकती है कि कोई पड्यन्त्र था ।

श्री बनर्जीने आगे कहा कि २० और ३० जनवरीकी घटनाएँ विशुद्ध अलग अलग हैं । २० जनवरीको नयूराम गोडसे प्रार्थना-भवनमें नहीं था । स्यूतका कथन है कि पड्यन्त्र पहली बार २० जनवरीको निष्कल हो गया और उसने जो कुछ किया उससे स्यूतकी बात सिद्ध नहीं होती । नयूराम गोडसेको यह ख्याल होगा कि २० जनवरीको लोगोंने मुझे प्रार्थना-स्थलपर देल लिया है । अगर मैं दुबारा गया तो परचान जाऊंगा । इससे सिद्ध होता है कि २० जनवरीको वह प्रार्थनास्थलपर विद्यमान नहीं हो सकता और ३० जनवरीको गान्धीजीकी हत्या उसका विलकुल स्वतन्त्र कार्य है ।

२७ दिसम्बर

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने आज भी अपनी मुक्तियाँ जारी रखीं । श्री बनर्जीने कहा कि पुलिसको अभियुक्तसे जिरह करनेका कोई अधिकार नहीं है । अभियुक्त स्पेञ्जाते कोई बकव्य दे सकता है । जिरह पहले पुलिसने की जो कानूनमें नाजायज है । स्वयं अदालत भी किसी अभियुक्तसे पहले जिरह नहीं कर सकती ।

थिनाख्त परेडका उल्लेख करते हुए भी बनर्जीने कहा कि जो बकव्य मजिस्ट्रेटने दर्ज किये थे उन्हें मजिस्ट्रेटको मुकदमेकी अदालतमें भेज देना चाहिये था । किन्तु ऐसा नहीं किया गया । रिमाण्ड आर्डर एक ऐसे मजिस्ट्रेट-ने दिये, जिसका अभियुक्तोंपर कोई अधिकार नहीं था । श्री बनर्जीने अपनी मुक्तियाँ जारी रखते हुए आगे कहा कि इस मामलेमें

सबूत पक्षने पहले अदालतको एक षड्यन्त्रका अस्तित्व कल्पित करनेके लिए कहा है और तब गवाहोंके बयानको स्वीकार करनेके लिए कहा है । बिना किसी गवाहीके अदालत द्वारा अभियोगपत्र बनाना गैरकानूनी है । इसके अतिरिक्त जब मुकदमा शुरू हो गया था, उसके बाद पुलिसको ग्वालियरमें डा० परचुरेके घरकी तलाशी नहीं लेनी चाहिये थी । इस प्रकार सबूत पक्षने वे काम किये हैं जो हाईकोर्टों द्वारा निन्दित हैं ।

अदालतको डा० परचुरेका विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह ग्वालियरका होनेके नाते एक विदेशी प्रजाजन है ।

श्री वनजीने आगे कहा कि कानूनके अनुसार अदालतको अभियोग तैयार करनेका कोई अधिकार नहीं है जैसा कि इसने किया है । उन्होंने अपने कथनकी पुष्टिमें प्रिवी कौंसिलका एक निर्णय प्रस्तुत किया ।

षड्यन्त्रके विषयमें प्रो० जैनको मदनलालके कथनका निर्देश करके श्री वनजीने कहा कि यह केवल एक उक्ति थी, जिसका षड्यन्त्रसे कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री वनजीने इसके बाद कुछ गवाहियोंका निर्देश करते हुए कहा कि जहाँ तक मेरे मुअक्किलका सम्बन्ध है वे प्रमाणित नहीं हुई हैं और इसलिए उनकी कोई कीमत नहीं ।

श्री वनजीने अपनी युक्तियाँ समाप्त करते हुए कहा कि अभियुक्तोंपर बड़े गम्भीर आरोप हैं और मुकदमा बड़ा महत्त्वपूर्ण है । पीढ़ियों तक इस अदालतके निर्णयकी वक़ील और जज आलोचना प्रत्यालोचना किया करेंगे तथा लाखों पढ़ेंगे ।

श्री वनजीने स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुरका एक उद्धरण देते हुए कहा कि न्याय करना परमात्माका कार्य है जो मनुष्यके द्वारा किया जाता है । ऐसे मुकदमोंका निर्णय करते हुए किसी भी भावना और पक्षपातमें नहीं बहना चाहिये । उन्होंने अदालतसे अपील की कि अगर उसका यह ख्याल हो कि सबूत पक्षने सारा मुकदमा ही गलत रीतिसे चलाया है तो उसे सारे मुकदमेको गैरकानूनी घोषित कर अभियुक्तोंको निर्दोष घोषित करनेमें कोई संकोच नहीं करना चाहिये । जजपर एक गम्भीर जिम्मेदारी है, जिसे उसे निर्भय होकर निवाहना है ।

### गोपाल गोडसेके वकीलकी वहास

अदालतने इसके बाद गोपाल गोडसे तथा डा० परचुरेके वकील भी इनामदारको अपनी युक्तियाँ प्रस्तुत करनेके लिए बुलाया ।

श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्षने गोपाल गोडसेका जो मुकदमा बनाया है, वह मुझे वादका बनाया हुआ प्रतीत होता है । सर्वप्रथम दण्डियोंके गैर-कानूनी लेन-देनके अभियोगपर श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्षकी इतनी गवाहियोंमें मुझे एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिला जिससे यह सिद्ध होता हो कि गोपाल गोडसे विना लाइसेंसके कोई रिवाल्वर दिल्ली लाना हो ।

इसके बाद श्री इनामदारने अदालतको जो अधिकार दिने गये हैं उनके अन्तर्गत अभियुक्तोंपर मुकदमा चलानेके अधिकारको चुनौती दी कि जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता कि वह विना लाइसेंसके रिस्तील ले गया है तब तक केवल इस बातपर अभियुक्तको छोड़े जानेका अधिकार मिले जाता है ।

### २८ दिसम्बर

गोपाल गोडसे तथा डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारने आज पुनः अपनी युक्तियाँ शुरू कीं ।

श्री इनामदारने कहा कि यह बड़ी विचित्र बात है कि जब दम्भेदो पुलिसको गान्धी जैसे व्यक्तिकी हत्याका परलेसे ही पता लग गया था तब भी उसने उनकी रक्षाका प्रयत्न नहीं किया ।

श्री इनामदारने आगे कहा कि जब गान्धीजीकी हत्या हो गयी तब श्री नगरपालाने तुरन्त ही प्रो० जैनके वक्तव्यको दर्ज करनेके लिये १३ फरवरीको मुरारजी देसाईका वक्तव्य दर्ज किया । उसके बाद प्रो० जैनका वक्तव्य लिया । तबतक आपटे जीर करकेको होकर सब अभियुक्त पकड़े जा चुके थे । प्रो० जैनका वक्तव्य बादमें इसलिए लिया गया कि उनका वक्तव्य भी देसाईके वक्तव्यके आधारपर लिया जा सके ।

श्री इनामदारने कहा कि उपर्युक्त बातोंमें प्रो० जैन, जैनके लिये मुरारजी देसाईकी गवाहियों उपेक्षागीन हैं । किन्तु अदालत उनपर विश्वास करे तो उसे निम्न परिणामोंपर पहुँचना चाहिये—

१. मदनलाल देवदूत था कि उसने प्रो० जैनको गवाह्य लोप किया ;



२. प्रो० जैन भी महान् मूर्ख हैं । ३. श्री देसाई तथा सरदार पटेल अपने पदोंके अयोग्य हैं तथा ४. श्री नगरवाला भी अयोग्य हैं क्योंकि उन्होंने २१ जनवरीको ही श्री देसाईका वक्तव्य दर्ज क्यों नहीं किया ।

श्री इनामदारने कहा कि मैं उन गवाहोंको झूठा नहीं कहता किन्तु अधिकारियोंकी उपेक्षा दिखाना चाहता हूँ । अगर कानूनके रक्षक ही भूलोंकी आड़ लेने लगे, तो देश तबाह हो जायगा ।

इसके बाद श्री इनामदारने पुलिसके तहकीकात करनेके तरीकेपर आपत्ति की । उन्होंने कहा कि खुफिया पुलिसकी जिस विधिगमें अभियुक्तोंको रखा गया वहाँपर लोग आते-जाते रहते थे तो क्या यह सम्भव नहीं है कि पुलिसने गवाहोंको पट्टी पढ़ा दी हो ।

श्री इनामदारने आगे कहा कि गवाहोंको भी पुलिसने वयान दर्ज करनेसे पूर्व अपनी हिरासतमें रखा । मधुकर काले और जगदीश गोयल इसी प्रकारके गवाह थे । इस प्रकारके गवाहोंसे यह कैसे आशा की जा सकती है कि वे सही सही बात बता देंगे । पी. वी. गोडबोलेने पहले गोपाल गोडसेको देखनेकी बातसे इन्कार किया था । पुलिस उसके पास गयी । जी. वी. कालेको भी पुलिसकी हिरासतमें रखा गया । कौन विश्वास कर सकता है कि पुलिसने अपने दवावका प्रयोग नहीं किया होगा ।

श्री इनामदारने इसके बाद परचुरेके घरकी तलाशीका उल्लेख किया । परचुरे १७ फरवरीको पकड़े गये थे । उसके बाद उनके घरकी जो तलाशियाँ ली गयीं वे किसकी आज्ञासे हुईं ? मैं ये बातें अदालतके सामने केवल इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिसका व्यवहार अदालतके ध्यानमें आ जाय । आपटे और गोपाल गोडसेसे पुलिसकी हिरासतमें रहते हुए एक पैण्ट और थैला बरामद किया गया । मैंने अपने जीवनमें प्रथम बार यह सुना है कि पुलिसकी हिरासतमें रहते हुए भी किसीसे कोई चीज बरामद की जा सकती है । इसलिए यह अत्यन्त सन्दिग्ध है । इन वस्तुओंसे अदालतको कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिये ।

प्रमाणित करनेवाले गवाहोंके बाद बडगेके साथ जिरह की गयी है, इससे मेरे मुअकिलोंके मुकदमोंपर विपरीत प्रभाव पड़ा है ।

शिनाख्त परेडके विषयमें श्री इनामदारने कहा कि गोविन्दरामने दो महीने बाद शिनाख्त करायी गयी ।

गोपाल गोडसेकी सुट्टीके प्रायमानवकी ओर निर्देश कर ही इनामदारने कहा—यह माननेके उपयुक्त कारण हैं कि गोपाल गोडसे अपनी सुट्टीमें अपने गाँवमें ही रहा । २३ जनवरीको वह कामका आ गया । तब उसे माया हुआ कि उसके बड़े भाईने ही गान्धीजीको माया है और उसकी पत्नीके गान्धीजीकी श्रद्धाके एक अनुयायीके हाथों प्राणति आयी है तो उसने पुलिसकी शरण ली । पुलिसकी सलाहसे ही वह खड़कीमें उतरकर चला गया, जहाँ वह गिरफ्तार कर लिया गया ।

श्री इनामदारने कहा कि गोविन्दरामने बताया है कि समझौतेमें तीन दिन पूर्व उसने बट्टे और गोपाल गोडसेको मेरीना रोडमें देखा था । २६ जनवरीको गोपाल गोडसे खड़कीमें था और वह किसीने नहीं कहा कि १७ जनवरीको वह हवाई जहाजसे दिल्ली आया । इसलिए उसकी सवालीया कोई मूल्य नहीं ।

श्रीगक हिन्दू होटलमें गोडसेके होनेकी गवाहीका तिकड़से सुनायी इनामदारने कहा कि होटल जैसे व्यक्ति स्थानमें कोई व्यक्ति गोपाल गोडसेके जानेको बाद करके शिनाख्त परेडमें कई महीने बाद उसे जैसे पहचान करवा है । पुलिसको उनी समय गवाहमें शिनाख्त करवानी चाहिए थी, किन्तु पुलिसको ऐसा नहीं किया ।

हिन्दू महासभा-भवनका बोर्ड गवाह सेवा नहीं किया गया जो यहाँ पर गोपाल गोडसेकी उपस्थिति बताता हो । लंगरके कार्यकारणमें भी महासभा-भवनके पीछेके लंगरमें गोपाल गोडसेकी देखनेकी बात नहीं करी ।

श्री इनामदारने कहा कि जिस दिन मेरे सुभद्रिदकी शिनाख्त सेवा प्रसार गयी उसी दिन नजिस्ट्रेटसे शिनाख्त-परेडके विषयमें शिनाख्त करी गयी । नजिस्ट्रेटको शिकायतकर ध्यान देना चाहिये था । पुलिसका व्यवहार इस विषयमें अत्यन्त छिन्दग्य है ।

सुरजीतसिंहके पास डेवकी सलाहका कार्रमेंब नहीं इसलिए वह सलाह काना स्वाभाविक है कि वह पुलिसकी दरकार का और उसमें बहनादुवार मचादी दे सकता था ।

अदालतको इस घटनासे कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि २० जनवरीको विस्फोटके बाद अभियुक्त हड़बड़ा कर प्रार्थनास्थलसे रफूचकर हो गये।

२९ दिसम्बर

आज भी श्री इनामदारकी युक्तियाँ जारी रहीं।

श्री इनामदारने कहा कि गवाह भूरसिंहने २० जनवरीको पुलिसके सामने छोट्टांमसे बात करनेवाले व्यक्तिका जो हुलिया बताया था वह उससे विदकुल भिन्न है, जो उसने अदालतमें बताया है। सवूत पक्षका कथन है कि वह व्यक्ति करकरे था और भूरसिंहने उसका हुलिया दुबला-पतला बताया है, किन्तु करकरे तो हटा-कट्टा आदमी है। इसलिए अदालतको भूरसिंहकी गवाही नहीं माननी चाहिये। इसके अतिरिक्त भूरसिंह विड़ला-भवनका नौकर होनेके नाते पूर्णतः पुलिसके नियन्त्रणमें था। भूरसिंहने गोपाल गोडसेको भी पहचाना है किन्तु उसकी असंगत बातोंको देखते हुए उसके गोपाल गोडसेको पहचाननेका कोई मूल्य नहीं। इसके सिवा भूरसिंह और सुलोचना दोनों गवाहोंसे बहुत ही देरमें शिनाख्त करायी गयी।

फ्रण्टियर हिन्दू होटर के मैनेजर रामप्रकाशने बताया है कि २० जनवरीको ४ बजे एक आदमीने आकर कमरा रिजर्व कराया। उस व्यक्तिको उसने पुनः ९ बजे रेडियो सुनते हुए देखा। क्या यह काम किसी ऐसे आदमीका हो सकता है जो प्रार्थना-स्थलपर बम फेकनेके उपरान्त भयभीत होकर वहाँसे भागा हो।

इसके अतिरिक्त अंगुलियोंकी छापके विशेषज्ञने अपने बयानमें कहा है कि होटलके रजिस्टरमें राजगोपालन् लिखाई गोपाल गोडसेके उस हस्तलेखके नमूनेसे मिलती है जो पुलिसने लिया था। विशेषज्ञने अपने बयानमें कहा था कि राजगोपालन् कलमके एक ही प्रवाहमें लिखा गया है। किन्तु जिरहमें उसने स्वीकार किया कि हस्ताक्षर करते हुए नीचमें कलम उठायी गयी है। वह विशेषज्ञ झूठा है। वह पुलिसका नौकर है और उसको खुश करनेके लिए उसने वैया वयान दिया है।

श्री इनामदारने यह भी कहा कि हस्ताक्षरमें कुछ काटकर ठीक भी किया हुआ था, और स्याही भी बदली हुई थी। अगर उन सब बातोंपर विचार

किया जाय तो प्रमाणित होता है कि द्यूत पञ्चका कच्चा कि दिल्लीमें गोपाल गोडसे उपस्थित था, सर्वथा संदिग्ध है ।

श्री इनामदारने उसके बाद अदालत और मजिस्ट्रेटके समक्ष गोडसेके वयानोंमें पारस्परिक विरोधोंका उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि एक ही दिन गोपाल गोडसेका सम्बन्धमें और ठाणामें भी होना सर्वथा असम्भव है । इसलिए मेरे मुअक्किलके विरुद्ध इसके कोई अनुमान न लगाया जाय ।

गोपाल गोडसेके पाससे रिवाल्वर किस प्रकार बरामद किया गया है यह शैरकानूनी है । उसकी तलाशी लेनेसे पूर्व पंच निश्चित करने चाहिये थे । गोडबोले और काले पुलिसकी हिरामतमें थे, इसलिए उनकी पंच नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुलिसने उनपर दबाव डाला होगा ।

ठाणामें गोपाल गोडसेके उपस्थित होनेके कथनका जिक्र करते हुए श्री इनामदारने कहा कि वसन्त जोशीने उसके उपस्थित होनेके विषयमें कुछ भी नहीं कहा है ।

जो थैला गोपाल गोडसेके पाससे बरामद हुआ बताया जाता है, वह असलमें बलमोका है । बटमोको गिरफ्तार करनेके बाद उसके परबी तलाशी नहीं ली गयी । अगर तलाशी ली गयी होती, तो सम्भवतः वह थैला वही मिल जाता । इसलिए थैलेसे सम्बन्धित गवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिये ।

सबूत पञ्चका कथन है कि गोपाल गोडसेने दिल्ली जातेके उद्योगसे छुट्टी ली, किन्तु उसने उरकसणके किसी भी गवाहको यह दिग्गानेके लिए प्रस्ताव नहीं किया कि गोपाल गोडसे उस समय अपने गाँवमें नहीं था । इसलिए कच्चा पञ्चकी इस दलीलको स्वीकार किया जाना चाहिये कि गोपाल गोडसे अपने ही गाँवमें था ।

नथूराम गोडसेने बीमेकी पालिसी गोपाल गोडसेकी मर्नादे नाम नहीं दी, इसका कारण बताते हुए इनामदारने कहा कि नहीं कहना उचित है कि गोपाल गोडसे तो अपने पैतनमेंसे कुछ पचा नहीं गया था—नथूराम गोडसे उसका भाई था, इसलिए उसकी आर्थिक सहायता देनेके लिए दयानिष्ठ होने पर आवश्यक समझा कि वह अपनी बीमा पालिसी उसही मर्नादे नाम कर दे ।

श्री इनामदारने इसके बाद नथूरामके पिछले इतिहासके विषयमें कहा कि

वह हिन्दू समाजका अध्यक्ष था और उसने कांग्रेसके विरुद्ध प्रदर्शन भी किये थे इस-  
लिए स्वाभाविक है कि कांग्रेसने उसे जानबूझकर मामलेमें फँसा दिया हो ।

ग्वालियरके ताँगा हँकनेवालोंकी गवाहीके विषयमें उन्होंने कहा कि यह  
शे सकता है कि वे परचुरेके एक रिश्तेदार पाठकको ले गये हों । उन गवाहों-  
का कथन है कि वे दो मुसाफिर रात को ११ बजे बम्बईसे आये, किन्तु सवृतका  
कथन है कि आपटे और गोडसे मद्रास एक्सप्रेससे ग्वालियर गये । यह सारा  
मामला सन्दिग्ध मालूम होता है इसलिए अदालतको ये गवाहियाँ स्वीकार नहीं  
करनी चाहिये ।

श्री इनामदारने कहा कि वह पिस्तौल किसकी थी यह सिद्ध करनेके लिए  
कोई प्रामाणिक साक्षी नहीं दी गयी । ग्वालियरके गवाहोंको पुलिसकी हिरासतमें  
रखा गया । इसलिए सम्भव है कि उन्होंने पुलिसके दवावमें आकर गवाही  
दी हो ।

### ३० दिसम्बर—सुनवाई समाप्त

श्री इनामदारने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं । उन्होंने कहा कि  
ग्वालियरके गवाह मधुकर काले और खिरेकी गवाहियाँ एक दूसरेकी विरोधी  
हैं । मधुकर कालेका कथन है कि गान्धीजीकी मृत्युका समाचार पाकर उसने  
डा० परचुरेसे औषधालय बन्द करनेके लिए कहा, किन्तु खिरेका कथन है कि  
डा० परचुरे यह खबर पाकर स्वयं ही औषधालय बन्द कर रहे थे । जो आदमी  
गान्धीजीकी मौत चाहता हो, क्या वह ऐसा कर सकता है ।

डा० परचुरेकी कथित अपराध-स्वीकारोक्तिके विषयमें श्री इनामदारने कहा  
कि स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री अटलको अपराध-स्वीकारोक्तिके दर्ज करनेका अधिकार  
ही नहीं है । श्री अटलने किलेमें जाकर अपने मजिस्ट्रेटके अधिकार खो दिये ।

इसके अतिरिक्त ग्वालियरके पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल श्री मार्श स्मिथने  
परचुरेको सैनिक हिरासतमें रखनेका आदेश दिया था । महाराजको छोड़कर  
ऐसी आज्ञाएँ देनेका और किसीको अधिकार नहीं है । इसलिए डा० परचुरेको  
सैनिक हिरासतमें रखना गैरकानूनी है ।

परचुरेने अपनी कथित अपराध-स्वीकारोक्तिमें कहा है कि वह ३ फरवरीसे  
पुलिसकी हिरासतमें रहा । यह चीज बादमें जोड़ी गयी है कि परचुरेकी अपराध-

स्वीकारोक्ति औपचारिकता से लिखायी गयी। इसके बजाय उसे संग किया गया और सताया गया। अभियुक्तकी ठीक ठीक स्थितिको दो ही व्यक्ति बना सकते थे, एक तो कियेका सेनापति और दूसरा चिकित्सक अचरमर। किन्तु सञ्च पत्रने उन्हें गवाहके तौरपर पेय नहीं किया। क्यों ?

इसके अतिरिक्त निरर्थमें श्री अटलने पूछा गया कि परचुरेकी असाध-स्वीकारोक्तिके पत्रने उन्होंने गिने थे। असाध-स्वीकारोक्ति पत्रनेके बाद उन्होंने उत्तर दिया कि यह काम उसी दिन किया गया होता, वह उत्तर भिन्नता अस्पष्ट है।

श्री इनामदारने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट श्री अटलने कहा है कि असाध-स्वीकारोक्ति लिखवानेकी तैयारी कराने और उसे लिखानेमें उन्हें तीन घण्टे लगे। ७ घण्टोंकी असाध-स्वीकारोक्ति ३ घण्टेमें कैसे लिखी जा सकती है ? इससे बड़ी मानना चाहिये कि परचुरेने स्वयं असाध स्वीकार नहीं किया, अभियुक्त श्री अटल स्वयं लिखा-लिखाया पत्र लाये और उमर परचुरेमें हस्ताक्षर करवा लिये। जिन परिस्थितियोंमें वह असाध-स्वीकारोक्तिरूप लिखाया गया और उसको प्रमाणित करनेके लिए कोई स्वाभाविक गवाही पैदा नहीं की गयी इसके कोई भी सञ्चकी कहानीर विज्ञाप नहीं कर सकता। असाध-स्वीकारोक्तिकी कहानी झूठ है। यह बनची गयी है। गवाहियोंकी सभी गणतियों अस्मिता है। इसलिए मेरे सुझाविको छोड़ देना चाहिये।

दीक्षित महाराज और आस्टे अच्छे परिचित थे। अगर आस्टेकी एक विस्तारकी जरूरत थी, तो वह उसे वन्दर्में ही भिन्न सकते थे। उसके लिए डा० परचुरेके पास आनेकी आवश्यकता न होती।

सञ्च पत्रने इस कथनपर कि २० और १० जनरलके बीच मोटसेकी उकसानेवाली कोई घटना नहीं हुई इसलिए बड़ी मानना चाहिये कि आस्टेकी हत्या अकरमात् न रोहर एक परचुरेका परिणाम थी, इनामदारने कहा कि वारे नामधेपर मनोपैमानिक दृष्टिसे विचार किया जाता चाहिये। परचुरेके पाससे मोटसेको प्रदर्शनकारी न मिलनेपर यह हलाम हो गया था।

नोटने एक अज्ञातकारण सम्वादक था, भादुक था, और अस्मिता था, तथा अपने परिचारके दूर रहता था। उसे अपने विचारोंके कारण में सुनानेकी पदी है। दिल्ली आनेपर मोटसेने दृष्टान्तियोंकी दुर्भाग देना और देना कि

गान्धीजीके सामने भारत सरकार विल्कुल पंगु और असहाय है । क्या ये व गोडसेको उच्चैजित करनेके लिए काफी नहीं हैं ?

परचुरेके पिता एस. जी. परचुरे ग्वालियरमें आकर बसे थे । अभी परचुरेका जन्म ग्वालियरमें हुआ, और उसका सारा जीवन अभी तक वहीं बीता है । इसलिए परचुरेके राज्यकी प्रजा होनेके विषयमें तो कोई संशय नहीं । अन्तमें श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्षका सारा ही पक्ष सन्दिग्ध जजको दोनों पक्षोंकी ओरसे बधाई

इसके बाद श्री दफ्तरीने कौन अवराधमें भागी है और कौन भागी सकता है इसपर हार्दिकोर्टके कुछ निर्णय जजके सामने प्रस्तुत किये । श्री दफ्तरीने सबूत पक्षकी ओरसे और श्री भोपटकरने बचाव पक्षकी ओरसे जजको उनके धैर्यसे सारा मामला सुननेपर बधाई दी ।

इस प्रकार गान्धी-हत्याकाण्डकी सुनवाई आज समाप्त हो गयी । जजने कहा कि मैं एक मासके अन्दर फैसला सुना दूँगा ।

सबूत पक्षके गवाहोंके बयान ८४ दिन तक जारी थे । उनके बयान ६९६ टाइप किये हुए पेज हो गये हैं । इनमें बड़गोके इकवाली बयानके ७९ पृष्ठ हैं । हरएक प्रश्नोत्तरका हिंदुस्तानी, मराठी और तेलगूमें दुभाषियों द्वारा अनुवाद होता था । कुछ गवाहोंने गुजराती और पंजाबीमें भी बयान दिये ।

अदालतमें सबूत पक्षकी ओरसे ३५४ और सफाई पक्षकी ओरसे १५४ कागजपत्र पेश किये गये । अदालतमें मुकदमे-सम्बन्धी जमा की गयी अचिजोंकी संख्या ८० है ।

## गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेकी प्रमुख तारीखें

- २० जनवरी १९४८—गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें वम-विरकोट
- ३० जनवरी—गान्धीजीकी हत्या
- ८ मई—दिल्लीमें विशेष फौजदारी अदालतकी स्थापना
- १५ मई—अभियुक्तोंके नामों और अभियोगोंकी घोषणा
- २७ मई—
- ३ जून—
- १४ जून—
- २२ जून—बड़गेको धमादानकी घोषणा, आरोपपत्र प्रकाशित, सरकारी पक्षके वकीलका वक्तव्य
- २४ जून—सचूत पक्षके गवाहोंके बयान शुरू
- २० से ३१ जुलाई—मुखविर बड़गेका बयान
- ६ नवम्बर—सचूत पक्षके गवाहोंके बयान समाप्त
- ८ से २२ नवम्बर—अभियुक्तोंके वक्तव्य और उनसे प्रश्न
- १ से ९ दिसम्बर—सचूत पक्षके वकीलकी बहस
- १० से ३० दिसम्बर—अभियुक्तोंके वकीलोंकी सुक्तियाँ
- १० फरवरी १९४९—फैसला

### २ फरार गिरफ्तार ?

१ फरवरीको बम्बईकी पुलिसने दादरमें चार आदमियोंको गिरफ्तार किया जिनमें दोके बारेमें यह संशय है कि वे गान्धी-हत्याकाण्डके हीन फरार अभियुक्तोंने दो, गंगाधर कृष्णने और गंगाधर काकर हैं। बाकी दो लोग दिये गये।



## फैसला

गोडसे-आपटेको मृत्युदण्ड—सावरकर निर्दोष छूटे

अन्य पाँच अभियुक्तोंको आजीवन कालापानी—मुखविर बडगे

रिहा—शंकरकी सजा घटाकर ७ साल कैद करनेकी

सिफारिश—अपील हो सकेगी

१० फरवरीको दिनमें ठीक ११॥ बजे श्री आत्माचरणने गान्धी हत्या-काण्डका फैसला सुना दिया ।

गान्धीजीके हत्यारे नथूराम गोडसेको और आपटेको फाँसीकी सजा सुनायी गयी ।

करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे और डाक्टर परचुरे-को आजीवन कालापानीकी सजा सुनायी गयी ।

श्री सावरकर निर्दोष पाये गये और रिहा कर दिये गये ।

इकवाली गवाह बडगे भी छोड़ दिया गया ।

जिस अभियुक्तको सजा सुनाई जाती थी वह एकके बाद एक खड़ा हो जाता था । कटघरेसे हटाये जानेके पहले सबने ये नारे लगाये—

‘हिन्दू धर्मकी जय’

‘तोड़के रहेंगे पाकिस्तान, हिन्दी हिन्दू हिन्दूस्तान’ आदि ।

जजने सजा पाये हुए अभियुक्तोंसे कहा कि यदि वे अपील करना चाहते हैं तो आजसे १५ दिनके अंदर करें । फैसलेकी प्रतिशॉ तैयार हैं और अभी मिल सकती है ।

जजने सिफारिश की कि शंकर किस्तय्याकी सजा आजीवन कालापानीसे घटाकर सात साल कड़ी कैद कर दी जा सकती है ।

### अदालतके दृश्यका वर्णन

अदालतका कमरा आज ठण्डा ठण्डा भरा था । लाल किलेका क्षेत्र कल ही वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया था और पुलिस तथा सैनिकोंका गहरा प्रबन्ध

क्रिया गया था। पुलिसवाले तथा मुकियावाले पाखों और फोटोकी सब खींचकर लोगोंको अन्दर या बाहर छोड़ते। ११-२० बजे बटवरीके बगलवा कनरा खुला और गोटसेके पीछे पीछे आठो अभियुक्त बटवरीमें अपनी अपनी रोजकी जगहोंपर आ बैठे। अकेले सावरकर विचारमग्न मुद्रामें थे। अन्य अभियुक्त और खासकर गोटसे, आपटे और करकरे परिचितोंको देखकर गिर हिलाने और मुसकराने रहे।

ग्यायापीथ आत्मानरण अपना रोजका काया सूट पहनकर टीक ११॥ बजे अदालतमें आये। सब लोग खड़े हो गये। जजने परले नभूमनका नाम पुकारा। वह खड़ा हो गया। सजा सुननेके बाद वह बैठ गया। इसके बाद आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तव्या, गोपाल गोटसे और परजुके नाम पुकारे गये और उनकी सजाएँ सुनायी गयीं। अन्तमें सावरकरका नाम पुकारा गया। वे अभियोगोंसे निर्दोष घोषित किये गये और जजने आदेश दिया कि अन्यत्र आवश्यकता न हो तो वे छोड़ दिये जायें। जजने कहा कि बटवरीमें अपने क्षमादानकी गतोंका पान्न किया है इसलिए वह भी अन्यत्र आवश्यकता न हो तो छोड़ दिया जाय।

अभियुक्तोंको वहाँ ही सजाएँ सुनायी गयीं आत्मनारणसे बाहर भीजनेके लिए बाहर निकल पड़े।

सजाएँ सुनानेमें जजको २० मिनट लगे। जो अभियुक्त अकेली टीक टीक नहीं समझते थे उनके पीछेकेका अनुवाद सुनानेका इंतजाम किया गया था। पर इसकी आवश्यकता केवल शंकर किस्तवरीकी थी। अंतमें कहा कि हम सब समरा गये।

अभियुक्तोंसे यह बरकर कि आप निकलेकी नकलें वे ही और १२ दिन के अंदर धारणीय कर सकते हैं, भी आत्मनारण अधिनतसे कहे गये। जो मिनट बाद अभियुक्त भी बटवरीसे हटते गये। सावरकरको छोड़कर और सबके बारे लगाने—हिंदी, हिंदू विद्वान्ता, विद्वान्ता हमारा है, हिंदू धर्मकी रक्षा आदि।

अदालत उठ जानेके बाद मादम हुआ कि विद्य, अभियुक्तोंके बगल पर सुरक्षा कानूनपो दिती प्रान्तमें लागू कर उसके अनुसार आदेश निकाला कि

श्री सावरकर दिल्लीके लाल किलेमें ही रहेंगे । बताया गया है कि ऐसा शान्ति-रक्षाके उद्देश्यसे किया गया है ।

षड्यन्त्रके सिलसिलेमें जो भी हथियार, गोला-बारूद, जिसे गान्धीजी मारे गये वह पिस्तौल और छूटी गोलियाँ बरामद हुई हैं वे सब वैसीकी वैसी रखी रहेंगी । जजने आदेश दिया कि केन्द्रीय सरकारसे पूछे बिना इनके बारेमें कोई निर्णय न किया जाय । शायद राष्ट्रीय म्यूनिसियममें रखनेके लिए इनकी आवश्यकता पड़ सकती है ।

फैसला कुल २०४ पृष्ठका है ।

---

श्री सावरकरपर तीन महीने दिल्ली न आनेका प्रतिबन्ध

१० फरवरीकी शामको दिल्लीके जिला मजिस्ट्रेटने पंजाब जनसुरक्षा कानूनके अनुसार श्री सावरकरको आदेश दिया कि वे तुरत दिल्ली छोड़कर चले जायँ और तीन महीने तक दिल्ली न आवें ।

इस आदेशके अनुसार वे शामको दिल्लीसे बम्बईके लिए रवाना हो गये ।

## पट्टयन्त्र सावित — पुलिसकी अकर्मण्यताकी निन्दा

२०४ पृष्ठके फैंसलेमें जजने कहा है कि गान्धीजी हत्याके लिए पट्टयन्त्र किया जाना सावित हो गया है । १० जनवरीसे ३० जनवरी तक पट्टयन्त्र जारी था । पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानोंपर पट्टयन्त्र रचा गया और पट्टयन्त्र-कारियोंमें कमसे कम नथूराम गोडसे, नागवण आपटे, विष्णु करकरे, मदनलाल, शंकर, गोपाल गोडसे और डाक्टर परचुरे दिगम्बर बटगेके साथ, जिसे धमकाशन किया गया है, शामिल थे । सचूत पक्षने सावरकरके खिलाफ अपना मामला केवल बटगेकी गवाहीपर खड़ा किया था । मृगविरके कथनपर दिग्वास सावर कोई फैंसला करना घोखेका काम होगा ।

नथूरामने गान्धीजीकी हत्या जान-भूझकर की । आपटेने भी हत्यामें मदद देकर अधोर काम किया । जब-जब नाजुक मौका आता वह या तो भाग जाता या अनुपस्थित रहता । उसका दिमाग न काम करता तो सावर गान्धीजीकी हत्या कभी न होती ।

मदनलालने २० फरवरीको अपनी किफायतीके बाद जो पत्थर दिया उसमें पुलिसने कोई लाभ नहीं उठाया । डाक्टर जैन और भीमराजजी देसाईके बयानोंके बाद दिल्लीकी पुलिसने बम्बईकी पुलिसमें सम्पर्क स्थापित किया, पर इसमें भी पुलिसने कोई लाभ नहीं उठाया । २० और ३० जनवरीके बीच पुलिसने जगसा भी और मतकंता दियाई होती तो सम्भवतः हत्या न हुई होती ।

यह बात निश्चित है कि हत्याके लिए पट्टयन्त्र रचा गया । श्री पी. सावर सासन यह दलील दी है कि २० जनवरीके बाद पट्टयन्त्र समन ही गया, पर रेकार्डपर ऐसी कोई बात नहीं आयी जिससे सातम ही कि २० जनवरीके बाद अभियुक्तोंने हत्याका इरादा छोड़ दिया । उल्टे इसके, २० से ३० जनवरी तक उनके इसी कामके बारेमें पैसे रहनेकी बातें मान्य ही लगी हैं ।

जजने कहा कि सचूतपक्ष पर नहीं बजा सका कि पट्टयन्त्र सावित होने के बाद १ जनवरीको उसका अस्तित्व था जब आस्टेन कुछ लोगोंके कहनेके नहीं शक्यत लेने भेजा । १० को नथूराम और १५ को बाली पट्टयन्त्रके सावित हुआ । १४ को गोपाल, २० को शंकर और २३ को सावर हत्याके शकित हुए । इस प्रकार नथूराम, आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर, गोपाल और परचुरे हत्या १२० को के अनुसार पट्टयन्त्रमें शामिल थे । इतिहास के अन्दरके अन्वेषण के लिए

कहा कि दिल्ली ले जाये गये दोनों रिवास्वर अदालतमें पेश नहीं किये गये । इसलिए उसके आधरपर हथियार कानूनका अभियोग लगाना ठीक नहीं होगा ।

विस्फोटक कानूनके अभियोगके बारेमें जजने कहा कि गन काटनका एक टुकड़ा और ४ हथगोले बरामद हुए । इसलिए विस्फोटक कानूनकी दफा इनपर लग जाती है । मदनलालने विस्फोट कराया और औरोंने इसमें सहायता की ।

गोडसे-आपटे ग्वालियरसे पिस्तौल ले आये । आपटे और करकरे ३० को दिल्लीमें थे, यद्यपि विड़ला-भवनमें उनके होनेकी बात साबित नहीं की जा सकी है । २० के बाद बडगे और किस्तय्या षड्यन्त्रसे अलग हो गये । गोपालके अलग होनेका कोई सबूत नहीं मिला है । परचुरे ब्रिटिश प्रजाजन है । उसे ग्वालियरका माननेपर भी, हत्या दिल्लीमें हुई इसलिए उसपर दिल्लीमें मुकदमा चल सकता है । गोडसेने जानबूझकर हत्या की इसलिए दफा ३०२ के अनुसार उसे मौतकी ही सजा दी जा सकती है । आपटेके मस्तिष्कने काम न किया होता तो सम्भवतः हत्या न होती । इसलिए दफा १०९ और ३०२ के अनुसार उसे भी मृत्युदण्ड देना होगा । करकरे, गापाल गोडसे और परचुरेको दफा १०९ और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीसे कम कोई सजा दी ही नहीं जा सकती । शंकरको और मदनलालको दफा १२० वी और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा देना ठीक होगा । दफा १०५ और ३०२ के अनुसार भी सजा देनेमें नरमी बरतनेकी कोई आवश्यकता नहीं । ७-७ सालकी सजा ठीक है ।

शंकर बडगेका नौकर था और अपने मालिककी केवल आज्ञा पालन करता था । इसलिए उसके प्रति नरमी बरती जानी चाहिये । उसकी सजा दफा १२० वी की कालापानीको घटाकर फौजदारी कानूनकी दफा ४०१ और ४०२ के अनुसार ७ साल कड़ी कैद कर देनेकी मैं सिफारिश करता हूँ ।

जजने कहा कि स्पेशल जज द्वारा दी गयी मृत्यु-दण्डकी सजाको हाईकोर्टकी मंजूरी आवश्यक नहीं है ।

सावरकरके बारेमें जजने कहा कि २० या ३० तारीखकी घटनाओंमें सावरकरका हाथ होनेका कोई सबूत नहीं मिला है । केवल मुखविरके कथनपर विश्वास नहीं रखा जा सकता । मुखविर कहता है कि सावरकरने कहा—'यशस्वी होऊन या ।' पर इसके पहले क्या बात हुई इसकी जानकारी किसीको नहीं है ।

बलसेने बहुत अच्छी गवाही दी। जिन्हें भी उसने ठोक ठोक उत्तर दिये। उसने किसी सवालको टाला नहीं। कई दिन तक यह लगातार उत्तर देता रहा।

परचुरेके इकवाली बयानपर विश्वास न रखनेका कोई कारण नहीं है। कुछ गवाहोंने उसके खिलाफ जरूर कुछ बड़ा-बड़ा कर कहा है, पर वह परसेने जानता था कि ३० जनवरीको कोई बहुत मनसुनीदार बात होनेवाली है।

जजने सबूत और सफाई पक्षके बकीलोंको, मुकदमेके चल्ते उन्हींमें जो सहयोग दिया उसके लिए, धन्यवाद दिया। उन्होंने यदि सहयोग न दिया होता तो यह मामला इतने समयमें न निपटाया जा सकता था। अत्याचारी कर्मचारियोंको भी उनके कामके लिए जजने धन्यवाद दिया।

### फैसल्लेका दफावार विवरण

इत्याकाण्डका पूरा फैसला इस प्रकार है—नाजोगत विनायक गौरीसे ताजीगत हिंदकी दफा १२० के साथ दफा १२०, एगियार कानूनकी दफा १९ (सो) या ताजीगत हिंदकी दफा ११४ और एगियार कानूनकी दफा १९ (सी), एगियार कानूनकी दफा १९ (एक), विस्कोटक कानूनकी दफा ५ या इसी दफा इसी कानूनकी दफा ६ के साथ, विस्कोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और ६, विस्कोटक कानूनकी दफा ६ और ३, ताजीगत हिंदकी दफा ११५ और ३०२ के अनुसार दोषी माना गया और उसे

(१) एगियार कानूनकी दफा १९ (सो) या ताजीगत हिंदकी दफा ११४ और एगियार कानूनकी दफा १९ (सी) के अनुसार दो सालकी जामी देद;

(२) एगियार कानूनकी दफा १९ (एक) के अनुसार दो सालकी जामी देद;

(३) विस्कोटक कानूनकी दफा ५ या इसी दफा और दफा ६ के अनुसार ३ साल कड़ी कैद;

(४) विस्कोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और दफा ६ के अनुसार ५ साल कड़ी कैद,

(५) विस्कोटक कानूनकी दफा ३ और ६ के अनुसार ३ वर्षे जामी देद

(६) ताजीगत हिंदकी दफा ३०२ के अनुसार इस मुकदमेके सब बकीलों पर लटकानेकी सजा दी जाती है।

सब सजाएँ साथ साथ चलेगी। अन्त अन्तिमेंसे सब कैदोंमें छूट गया और दोषमे रिता किया जाता है।

इसी प्रकार नारायण दत्तात्रेय आपटेको भी ताजीरात हिन्दकी दफा ११४, ११५, १०९, १२० वी, दफा ३०२, इथियार कानूनकी दफा १९ (सी), १९ (एफ), विस्फोटक कानूनकी दफा ५, ६, ४ (बी), ३ के अनुसार, २, २, ३, ५, और ७ साल कड़ी कैद तथा ताजीरात हिन्दकी दफा १०९, ३०२ के अनुसार दम निकलनेतक पाँसीकी सजा सुनायी गयी । इनकी भी सजाएँ एक साथ चलेंगी ।

विष्णु करकरेको भी इन्हीं दफाओंके अनुसार २, ३, ५, ७, सालकी सजाएँ तथा ताजीरात हिन्दकी दफा १०९ और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा सुनायी जाती है । सब सजाएँ एक साथ चलेंगी । अन्य अभियोग साबित नहीं हुए ।

मदनलाल पट्टनाको भी ताजीरात हिन्दकी दफा १२० वी और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानी तथा अन्य दफाओंमें ३, १० और ७ सालकी सजाएँ दी गयीं जो सब साथ चलेंगी ।

शंकर क्रिस्तय्याको भी इन्हीं अभियोगोंमें आजीवन कालापानी, ३, ५, ७ और ७ सालकी सजाएँ दी गयी हैं । फौजदारी कानूनकी दफा ४०१ के अनुसार आजन्म कालापानीकी सजा घटाकर ७ सालकी कर देनेकी सिफारिश की जाती है । सब सजाएँ साथ-साथ चलेंगी । अन्य अभियोग साबित नहीं हुए ।

गोपाल गोडसेको भी ३, ५, ७ सालकी सजाएँ और आजीवन कालापानीकी सजा दी गयी है । सब सजाएँ एक साथ चलेंगी । अन्य अभियोग साबित नहीं हुए ।

परचुरे दफा १२० वी, दफा ३०२ और दफा १०९ के अनुसार दोषी है और उसे दफा १०९ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा दी जाती है । उसपर अन्य अभियोग साबित नहीं हुए ।

विनायक दामोदर सावरकरपर एक भी अभियोग साबित नहीं हुआ । वे हिरासतमें हैं और उन्हें छोड़नेका आदेश देता हूँ । यदि अन्यत्र आवश्यकता न हो तो वे छोड़े जा सकते हैं ।

दिगम्बर-बडगोने क्षमादानकी शर्त पूरी की । अन्यत्र आवश्यकता न हो तो वह छोड़ दिया जाय ।

लाल किला, दिल्ली

फरवरी १०, १९४९

आत्माचरण आई. सी. एस.

जज, स्पेशल कोर्ट

संकर क्रिस्ताव्याकी ओरसे १४ दिसम्बर १९४८ को बरस खत्म हुए ।  
 १६ नवम्बरको उसने अदालतके सामने जो बयान दिया था उसे उसने २९  
 दिसम्बरको एक दरखास्त देकर वापस ले लिया । अपनी दरखास्तमें उसने  
 लिखा कि मैंने पुलिसके दवावसे वह वक्तव्य दिया था । संकरने खुद ही कुछ  
 देर बदनोसे किराई की । उसका वकील सरकारकी ओरसे दिया हुआ था इस-  
 लिए उसे खुद बरस करने दी गयी । उसने किस ढंगसे किराई की वह उसके  
 पहलेवाले वक्तव्यसे मेल खाता था । न किाहसे और न बयानसे वह मादम  
 सिद्धता है कि वह अपनेको पदव्युत्पन्नके अभियोगमें पँखाना चाहता है । इसलिए  
 उसके बादके वक्तव्यसे पुलिसका अन्य अभियुक्तोंके खिलाफ कोई खम नहीं  
 हुआ । उसने वक्तव्य पुलिसके प्रभावके कारण दिया ऐसा माननेका इरादा  
 कोई आधार नहीं है । मैं समझता हूँ कि उसने सामनबदः अन्य अभियुक्तों या  
 उनमेंसे कुछके कहनेपर अपना पहला वक्तव्य वापस लिया ।

अन्य अभियुक्तोंके वक्तव्यके सार इसी प्रकार देनेके बाद इस अध्यापक  
 गया है—इस प्रकार दोनों पक्षोंका कहना है कि दिल्लीमें २० और ३०  
 जनवरी १९४८ को जो कुछ हुआ उसका उद्देश्य राजनीतिक था और वह  
 देशके पाकिस्तान और हिन्दुमें विभाजन होनेके फलस्वरूप हुआ था । सभी  
 या कमसे कम कुछ अभियुक्त समझते थे कि महात्मा गान्धी न होते तो देशका  
 विभाजन ही न होता । पाकिस्तानमें अल्पसंख्यकोंको जो भुगतना पड़ा उसके  
 लिए भी ये लोग गान्धीजीको ही जिम्मेदार मानते थे । इसलिए गान्धीजी  
 १३ जनवरी १९४८ को जब अनशन शुरू किया तब तो इनकी भावना  
 और भी उत्तेजित हो गयी ।

दोनों पक्षोंके कथनोंमें मुख्य भेद यह है कि स्पष्ट पत्र कहता है कि  
 राजनीतिक कारणसे अभियुक्तोंने मिलकर गान्धीजीकी हत्या करनेका पदव्युत्पन्न  
 व्यक्ति महारामा इसी कारण हम सबने मिलकर गान्धीजीके सामने  
 दामन [य] बोध किया । इसलिए अदालतको यह निश्चय  
 बात तब ही यह हत्या करनेकी थी



## फैसलेका विस्तृत सार

महात्मा गान्धी हत्याकाण्डका फैसला २०४ पृष्ठोंका है और उसमें २७ अध्याय हैं। पहले अध्यायमें अदालतकी स्थापना, अभियुक्तोंके नाम, मुकदमेका संक्षेपमें साधारण इतिहास, गवाहोंकी संख्या, अभियुक्तोंके बयानोंके पृष्ठोंकी संख्या, दोनों तरफके वकीलोंके नाम, दुभाषियोंके नाम आदि मुकदमेके सम्बन्धी साधारण बातें दी गयी हैं।

दूसरे अध्यायमें २० जनवरी १९४८ को गान्धीजीकी प्रार्थनासभामें हुए गन-विस्फोट और ३० जनवरीको हुए गोलीकाण्डका थोड़ेमें वर्णन है और विभिन्न अभियुक्तोंकी गिरफ्तारियोंकी तारीखें दी गयी हैं। पुलिसकी जाँच और मजिस्ट्रेटों द्वारा की गयी शिनाख्त परेडोंका थोड़ेमें हाल बताया गया है। इस मुकदमेके सम्बन्धमें सरकारके आदेशों और आर्डिनेंसोंका विवरण और अभियुक्तोंपर लगायी गयी विभिन्न धाराएँ भी बतायी गयी हैं।

तीसरे अध्यायमें हत्याका और षडयन्त्रका समूत पक्षका कथन दिया गया है (पृ० २९-३८)। इस कहानीके आधारपर अभियुक्तोंके विरुद्ध जो आरोप-पत्र तैयार किया गया था वह चौथे अध्यायमें दिया गया है (पृ० २५-२७)।

### षडयन्त्रका उद्देश्य

चौथे अध्यायमें हत्याकाण्डके बारेमें सफाई पक्षका कथन देते हुए अभियुक्तोंके वक्तव्यके सारांश दिये गये हैं। नथूरामके बारेमें कहा गया है कि उसका कहना है कि महात्मा गान्धीकी हत्या करनेके लिए मैंने अन्य अभियुक्तोंके साथ कोई षडयन्त्र नहीं किया, जो कुछ किया मैंने अकेलेने किया। हत्या करनेका कारण अपने वक्तव्यमें वह यह बताता है कि देशका पाकिस्तान और हिन्दुमें विभाजन हुआ और इस विभाजनके लिए वह महात्मा गान्धीकी समझौता था। उसका यह भी कहना है कि १३ जनवरी १९४८ को गान्धीजीने जो अनशन शुरू किया वह भा ( सरकारको इस बातके लिए सफाई. सी. ल कोर्ट नेकी था कि वह पाकिस्तान सरकारको ५५ करोड़ बरसा दे दे।

### सुद्ध कानूनी आपत्तियाँ

देशके उठें अभिवायमें कानूनी सुधार विचार किया गया है। कतार पत्रकी दो कानूनी आपत्तियाँ हैं। यह इस मुकदमेकी वारंट केउके अनुसार चलाना चाहता था और उसका कहना है कि इसमें विभिन्न अभिनोग और विभिन्न अभियुक्त एक दूसरेमें गलत दंगये मिला दिने गये हैं। पहली आरम्भके दंगमें गजने लिखा है कि यह मुकदमा बम्बई जनसुझा कानूनके अनुसार हुआ और उर कानूनकी १३ वीं धाराके अनुसार रोगल जजकी विना वारंट केउ दिने मोदाम्य केवकी तरह मुकदमा चलानेका अधिकार है। वारंट केउका अधिकार होगा तो पर्यं जुमें समानके पर्यं किया अभियुक्तकी छोड़नेका भी अधिकार होगा, पर वैसा अधिकार इसमें नहीं है। इतलिय आगेरसद भी पुनिकके कथने (क्वर्डी मोटके) आभापर ही बताया गया। बंदरमें ऐजा ही होगा जाना है और इतर आपत्ति करनेवाली धार्किकोंकी कोई व्यवस्था भी समने नहीं जाती है।

कतार पत्रकी दूसरी आपत्ति यह है कि 'पब्लिश' और 'पब्लिशमें मद्रास' ये दोनों अभियोग अलग-अलग लगाकर अलग अलग मुकदमे चलाने चाहिये। उठने अपने समर्थनमें १९०१ की प्रीती वीकिटकी एक व्यवस्था (आर. ए. ए. ए. २५ मद्रास ३१) मेल की है। इसके उतरमें सदा वामे १९३८ की मद्रासमें विजयीकी चोरीके पब्लिशके नामके प्रीती वीकिटकी व्यवस्था (१३ सी. आर. ए. ए. ४५२) मेल की है। कानूनी-सुधारकारके नामके पत्र के अदखल १-१२-१९४७ में ३०-१-१९४८ तक विभिन्न समयेमें अर विभिन्न जजमें होले रहे। कवाल यह है कि क्या पहला पत्रिक मुकदमा काल्पनिकोंको चलाना कोई संभव रहता है तो पब्लिशका काल्पनिक होना है वा पब्लिशके आदिमी कारोंके सम्बन्ध होमेक यह जारी रहता है। ३५ सी. आर. ए. ए. ४५२, १७ सी. आर. ए. ए. ४५७ और ४७ सी. आर. ए. ए. ४६० (२) इन कदमें बताया गया है कि पब्लिशका आदिमी कालिके मानिक होमेक जारी रहना जाना का संभव है। वीकिटकी व्यवस्था १८२ में भी जारी निक जारी जारी है। इतलिय में कवाल सुनिव इस मामलेमें अभियुक्तोंके एक दूसरेमें गलत दंगये मिलाये जायेगा ठीक हीन नहीं है।

दरुवेकी ओरसे कहा गया है कि यह मामिलर सरकारी बना है इतलिय

इस अदालतको उनके ऊपर मुकदमा चलानेका अधिकार नहीं। सबूत पक्ष करता है कि वह भारतमें रहनेवाला ब्रिटिश प्रजाजन है इसलिए उसके ऊपर इस अदालतमें मुकदमा चल सकता है। सबूतने पौजदारी कानूनकी दफा १८८ के अनुसार परचुरेपर दिल्लीमें मुकदमा चलानेकी केन्द्रीय सरकारसे अनुमति भी प्राप्त कर ली है। कोर्टको यह देखनेके बाद कि वह 'भारतमें बसा ब्रिटिश प्रजाजन' है, उसपर ग्वालियरमें हुए अपराधके लिए दिल्लीमें मुकदमा चलानेका पूरा अधिकार है। अन्य अभियुक्तोंके साथ एक ही मुकदमेमें उसपर मुकदमा चलानेका भी कोर्टको अधिकार है।

### बरामद हुई और बरामद की गयी चीजें और उनका स्वरूप

सातवाँ अध्याय 'बरामद हुई और बरामद की गयी चीजें और उनके स्वरूप' के सम्बन्धमें है। २० जनवरी, १९४८ को रातको १॥ बजेके बाद सदनलाल मेरिना होटलमें ले जाया गया और उसके कक्षपर ४० नम्बरके कमरेमें, जहाँ १७ से २० तक गोडसे आपट्रे दहरे थे, एक दराजसे गाण्धीजीके सनयनके सम्बन्धमें श्री भाशुतोष लालिणीका एक टाप किया हुआ वस्तु बरामद किया गया। सफाई पक्षका कहना है कि भारतीय सबूत ( एमिडेन्स ) कानूनकी धारा २७ के अन्तर्गत यह सबूत नहीं आता। अपनी पुछमें वे ११५ आई. सी. ६ जिसका वादमें ए. आई. आर. १९४७ पी. सी. ६७ में उपयोग किया गया है, पेश करते हैं। सबूत पक्ष इस सबूतसे वादमें कुछ साबित कर सकेगा इसलिए अदालतने टाप किया हुआ वह कागज पहले सबूतके तीरपर स्वीकार कर लिया था, पर सबूत पक्ष उस कागजका अपराधसे कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं कर सका इसलिए उक्त कागजका सबूत कोई निर्णय करनेके लिए अस्वीकार्य माना जाता है।

इसके बाद जजने २० जनवरीको सदनलालके पाससे बरामद हुए इथगोले और ऊनी कोटका जिफ किया है। इथगोला वेरियम नाइट्रेट और ट्राइनाइट्रो-टोलीन ( त्रेटाल ) से भरा था जैसे ब्रिटेनके इथगोले रहते हैं। उसकी बत्ती ४ सेकेण्डवाली थी और खडकी ( पूना ) में फिट की गयी थी। कोर्टके वादमें सदनलालका कहना है कि वह उसके पाससे उस समय नहीं मिला, पर इसके बारेमें जिरामें किसीने कोई उल्लेख नहीं पूछा। इससे यह संदेह करनेका

कोई कारण नहीं है कि सप्तके इस सम्बन्धके तीनों गवाहोंने छूटी वस्तु कही हो।

३० जनवरीको नथूरामके पाससे बिना दूटे ४ कारतूस भी पिस्तौल, खायरी तथा अन्य चीजें मिलीं। हत्या-स्थलपर दो खाली कारतूस, दो छूटी गोलियाँ और घूनेसे बना एक कन्धेका पत्रा मिला। एक खाली कारतूस बादमें गांधीजीकी चादरमें मिला बताते हैं। पिस्तौलकी वैज्ञानिक प्रयोगशालाके डाइरेक्टरने इसी पिस्तौलसे बिना दूटी और दो गोलियाँ छोड़कर परीक्षा की और बताया कि इसी पिस्तौलसे वे तीनों गोलियाँ छोड़ी गयीं। ३१ जनवरीको घूनेमें नथूरामके कमरेकी तलाशीमें एक प्रवाही पदार्थ मिला, पर कपरा घुला पड़ा था इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यह पदार्थ नथूरामका ही था।

३१ जनवरीको सावरकरके घाकी तलाशी ली गयी और बहुत ही बुराई खौर कागज बरामद किये गये जिनमेंसे कुछ अदालतमें भी दाखिल किये गये।

५ फरवरीको गोपाल गोडलेकी गिरफ्तारीके समय कहा जाता है कि वेन वायका एक खाली बैग बरामद हुआ, पर पुलिसकी गवाहीकी पुष्टिसे कोई गवाह या मेमो पेश नहीं किया गया इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह बैग गोपालके पाससे ही बरामद हुआ।

९ फरवरीको घूनेमें नागमोटे और शेखरके घरेकी तलाशियाँ की गयीं। इनमें जो चीजें मिलीं वे परीक्षाके लिए भेजी गयीं। परीक्षकोंकी रिपोर्टें, मर-दियाँ और इनके फोटोसे पता लगता है कि ये दुग्धतर प्रारम्भों और गेट्रोमेटरो-से युक्त हथगोले और गनफाटनके टुकड़े थे।

११ फरवरीको रांकरने नगी दिल्लीके हिन्दू महासभा भवनके पीछे दो स्थानोंसे १ गनफाटनका टुकड़ा और तीन गोले बरामद किये। टुकड़ा १ पौण्ड चलनका था और २ आठ सौ गनफाटन प्रारम्भके बने थे।

२६ फरवरीको नारायण आपटे पुलिसको हिन्दू महासभा भवनके पीछे जगहमें ले गया जहाँ पिस्तौल चलनेका अन्दाज किया गया था। वहाँ देवकी बालिपोपर गोलियोंके ४ निशान मिले। खाली हाटकर लायी गयी। एक खाली कारतूस भी वहाँ मिला। साराई पत्रका कहना है कि यह वस्तु आर्य समाज के फाजलकी भाषा २७ के अंतर्गत नहीं आता। वस्तु पत्र भी यह कारतूस

कर सका है कि इन चीजोंसे और हत्यासे क्या सम्बन्ध है। इसलिए ये चीजें सघूतके रूपमें अस्वीकार मानी गयी हैं।

आपटे पुलिसको ग्वालिपरमें परचुरेके घरके पिछवाड़े ले गया और वहाँ एक छूटी गोली मिली। यह भी ऊपरवाले कारणसे अस्वीकार्य समृत माना जाता है।

१६ अप्रैलको बम्बईकी सी. आई. डी. इमारतमें नारायण आपटेके ट्रंककी तलाशी ली गयी। ट्रंक आपटेने अपने पासकी चाभीसे खोला और उसमें एक पैण्ट बरामद हुआ। सफाई पक्षका कहना है कि पैण्ट पुलिसने छुद रखा था, पर ऐसा माननेका अदालतके पास कोई सबूत नहीं है। दाबके कम्पनीकी खोजकी नएकी किताब भी अदालतमें है।

### शिनाख्त परेडें

फैसलेका धाठवाँ अध्याय 'शिनाख्त परेडों' के बारेमें है। गोडसेका कहना है कि ७ फरवरीको दिल्ली जिला जेलमें स्पेशल मजिस्ट्रेट भी किशनचन्दने जब शिनाख्त परेडों की तो गोडसेके सिरपर जैसी पट्टी थी वैसी अन्योके सिरपर नहीं थी। मजिस्ट्रेटका कहना है कि अन्योके सिरपर भी वैसा ही कपड़ा वैसा था जैसा गोडसेके सिरपर था। इसको अमान्य करनेकी कोई वजह दिखाई नहीं देती। आपटे और करकरेका कहना है कि २८ फरवरीकी परेडोंमें उनके साथ कोई और महाराष्ट्रीय नहीं था इसलिए वे आसानीसे पहचाने जा सके। आपटे महाराष्ट्रीयकी तरह नहीं दिखाई देता। करकरे भी महाराष्ट्रीय पोशाक पहननेपर ही महाराष्ट्रीय मालूम पड़ता है और उसे कपड़े बदलनेकी इजाजत थी। इसलिए यह दलील भी ठीक नहीं है। बम्बईमें चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटने अपनी अदालतकी इमारतमें ८ परेडों २१-२, २-३, १६-३, २३-३, २४-३, ३०-३, ३१-३, और ९-४-४८ को की। सफाई पक्षका कहना है कि दिल्लीके गवाह एक ही डिब्बेमें दिल्लीसे लाये गये और अभियुक्त बम्बईके सी. आई. डी. के नये दफ्तरमें रखे गये थे इसलिए गवाहोंको आपसमें सलाह मशविरा करनेका और बम्बईमें अभियुक्तोंको देखनेका मौका मिला होगा। ये दलीलें ठीक नहीं मालूम होती क्योंकि जिरहमें किसीने इस सम्बन्धमें नहीं पूछा। शिनाख्त परेडोंकी काररवाइयाँ हो जानेके बाद १२ मईको पुलिसने १९२० के सेण्ट्रल कानून ३३ की ४थी धाराके अनुसार अभियुक्तके फोटो लिये। २७ मईको अदा-

वर्तमान में अन्वयार्थानुसंगे अभियुक्तोंके फौटों लिये। इन्में भी आपत्तियों उत्पन्न गयी हैं, पर ये सब धिनास्त परदे होनेके बाद हुआ है इसलिए इन आपत्तियोंमें कोई तथ्य नहीं। अदावतमें अभियुक्तोंकी धिनास्तको बंधे ही अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता। अदालतके एक मामलेमें (२९ डि. का. ज. १९९) और बादमें लाहौर हाईकोर्टने ( २९ डि. का. ज. १६९ ) यह बात मान ली है कि धिनास्त परदेकी धिनास्त उस हालतमें भी मंजूर की जायी है जब बादमें अदालतमें भी गवाह फिर धिनास्त न कर सका हो। एक आपत्ति यह उठायी गयी है कि ९ अप्रैल तक धिनास्त होती रही, पर अनुचित है। गवाह विभिन्न पान्तों और रियासतोंके थे और घटनाके १॥ महीनेके अन्दर धिनास्त हो गयी। इसमें अनुचित कुछ नहीं कहा जा सकता।

**अभियुक्तोंके हस्ताक्षरोंकी अमान्यता**

पैसलेके नौवें अध्यायका शीर्षक है 'अभियुक्तोंके हस्ताक्षरोंकी अमान्यता'। अभियुक्तोंके करीब २५ पत्र थे जिनमेंसे केवल ४ के बारेमें उनका करना है कि ये हमारे नहीं, बाकी सबको उन्होंने मंजूर किया। उधारें पठना करना है कि हस्ताक्षर मिलानेके लिए जो नगूने लिये गये थे अभियुक्तोंके पत्राचारोंके साथ रखे गये इसलिये (फौजदारी कानूनकी १६२ वीं धाराके अनुसार) शीर्षक नहीं किये जाने चाहिये। अदालतको यह तर्क स्वीकार नहीं। जिन पत्र रखाओंके बारेमें जगड़ा है उनपर आधित रोहर अदावतने कोई निर्णय नहीं किया है।

**१९-१-४८ तक क्या हुआ ?**

१० वें अध्यायमें अभियुक्तोंके १९ जनवरी १९४८ तकके हस्त-उपर जाने-जाने और उनके कार्योंका विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है। नवम्बर १९४७ के बादसे अभियुक्त करों गये, बगईके बहाना कालेजके शिक्षी और कर्मचारीकी प्रोवेंडर जानकर वे. सी. लेनका दस्तावेज, गोड्डेका कारमें सीमेंटर उच्चधिकार करना, गोजालका घुटीके लिए दस्तावेज देना, और बगईके नवम्बर आचारपर उन दिनोंकी पूरी क्या खादि दस्तोंका विवरण है। अक्टूबर १४-१५ को डी. एन. करनरकर और एच. मगडेके विभिन्न मामलोंमें १७ को दिखी जानेवाले पिनानके लो दो टिकट लिये थे उनके बारेमें उल्लेख करना है कि वे

किसी दूसरेने खरीदे थे और वह उसे रद्द कराना चाहता था इसलिए मैंने उनको खरीद लिया। पर रिजर्वेशन-स्टिलपर जानेवालोंका पता इसी मीन होटल दिया है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन दिनों बम्बईमें वे सी. मीन होटलमें ही थे। इसलिए आपटेकी बात झूठी-मालूम-पड़ती है। बडगेके वक्तव्यके आधारपर कहा गया है कि तात्याराव सावरकरने कहा—“यशस्वी होऊन या 1” बादमें आपटेने कहा—“तात्यारावांनी असे भविष्य केले आहे कीं गान्धीजींची शंभर वर्षे भरली। आतां आपलें काम निश्चित होणार यांत काही संशय नाही।” १९ तारीखको दिल्लीसे बम्बई सावरकरके जंगलपेपर दामके या काठारके नाम जो टेलिकोन काल हुक किया गया था उसका हाल भी इसमें है।

### २० और ३० जनवरीकी घटनाएँ

प्यारहवें अध्यायमें अभियुक्तोंके २० जनवरीके कार्यों और उक्त दिन इतर उधर जानेका वर्णन है। यह भी बडगेकी गवाहीके आधारपर ही है। २० जनवरीकी घटनाके सम्बन्धमें आपटे, गोडसे, मदनलाल, कस्कर, गोपाल और शंकरने जो बातें कही हैं उनका भी उल्लेख इस अध्यायमें है।

बारहवें अध्यायमें अभियुक्तोंके २० जनवरी तकके आचारात्मक और कार्योंका विवरण दिया गया है। कहा गया है कि सफाई पत्रका बहना है कि भी मुरारजी देसाईने डाक्टर जैनसे जो बातें सुनीं वे भारतीय राष्ट्रीय काङ्ग्रेसकी १५७ वीं धाराके अनुसार असम्यक् होनी चाहिये। कहा गया है कि गोपालने पूनेमें पांडुरंग गोडबोलेको एक रिवाल्वर और कुछ कारतूस दिये थे। हत्याका पता लगनेपर गोडबोलेने उसे फेंकनेको कालेको दिया। कालेने कारतूस ३ फरवरीको और रिवाल्वर ७ फरवरीको फेंक दिया। वह रिवाल्वर नहीं मिला। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली ले जाये गये दो रिवाल्वरोमेंसे एक यही था। जिस पिरतौलसे हत्या की गयी उसके बारेमें गोडसेने अपने लिखित वक्तव्यमें कहा है कि वह मैंने ग्वालियरमें गोयलसे नहीं, पर दिल्लीमें किसी शरणार्थीसे प्राप्त की थी। ग्वालियर ये लोग सिर्फ स्वयंसेवक लानेके लिए गये थे।

तेरहवें अध्यायमें गान्धीजीकी हत्याका विभिन्न गवाही द्वारा किया गया

वर्णन है। घावोंके बारेमें सिविलजनरलकी रिपोर्ट भी है। नगरपालने हागके बन्द-  
का जो वर्णन किया है ( पृष्ठ ३१८-३१९ ) वह भी इसमें दिया गया है।

अन्य अभियुक्तोंकी गिरफ्तारियों तकका वर्णन १४ वें अध्यायमें है।  
पन्द्रहवें अध्यायमें डॉक्टर जैनेकी मदनपाल द्वारा कलायी गयी चिकित्साकी बातोंके  
सम्बन्धमें साक्षियोंका विवेचन किया गया है। इस विषयपर भी सुराजी  
देसाईने जो गवाही दी उसपर बचाव पत्रका बहना है कि वह गवाही माजरीर  
साक्षी कानूनकी दफा १५७ के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। दफा १५७ में कहा  
गया है कि "किसी गवाहकी गवाहीकी पुष्टि करनेके लिए उस गवाहका उभी  
घटनाके बारेमें घटनाके दिन या उसके दो चार दिन बाद पढ़ने दिया हुआ  
वक्तव्य या किसी वैधानिक दृष्टिसे अधिकारी व्यक्तिके सामने दिया हुआ बयान  
साबित किया जा सकता है।" सराई पत्रका कहना है कि १२ जनवरीकी घटना  
२१ जनवरीकी भी सुराजी देसाईको बजायी गयी। इतने दिनोंकी बादकी  
घटना 'घटनाके दिन या उसके दो चार दिन बाद' की नहीं लही जा सकती।  
न्यायाधीशने व्यवस्था दी है कि घटनाके दिन या उसके दो चार दिन बाद  
वक्तव्य न दिया गया हो, पर वह एक अधिकारी व्यक्तिको दिया गया है और  
'या' शब्दके कारण भी सुराजीकी गवाही मान्य है। इसी प्रकार कहा गया है  
कि भी जैनेने अपनी गिरफ्तारीके उभये गवाही दी। पर किछ प्रकार उभयोंमें पत्र-  
के बाद एक बड़े अधिकारियोंको पूचना देनेका अधिक प्रमाण दिया उसके पर  
नहीं कहा जा सकता। कहा गया है कि डॉक्टर जैनेने जो कुछ कहा उसपर  
पुलिसने प्रारम्भिक रिपोर्ट भी नहीं लिखी। नगरपाला पुलिसके जादगी में  
और सरकार कभी कभी इस प्रकार नीम अदालती जांच भी करती है किपर  
आपत्ति नहीं की जा सकती। जैनेने ठीक ठीक दिन नहीं बताये, पर उभयोंमें  
जैसा वर्णन किया उसके कहा जा सकता है कि १२ जनवरीके लगभग मदन-  
पालने करकरेका परिचय घेठ करकर जैनेसे कराया। जैने, पंचदशिए और  
सुराजी देसाईकी गवाहियाँ विश्वसनीय नहीं जा सकती हैं।

**घन और शरणाज परब्र करनेके प्रयास**

१६वें अध्याय घन और शरणाज परब्र करनेके प्रयासके सम्बन्धमें  
गवाहियोंके बयानोंमें है। जैनेने इसमें कहा है कि दोषी नगरपालकी गवाही और



बढगोकी गवाहीमें कहीं कहीं विरोध है, पर इसका कारण यह हो सकता है कि दीक्षित महाराज उन दिनों बीमार थे और उनको ठीक ठीक दिन याद नहीं रहे। फिर भी दोनोंकी गवाहियाँ मुख्य बातोंपर एक सी हैं। दीक्षित महाराज और दादा महाराजके सम्बन्धमें कहा गया है कि वे भी हथियारोंका लेनदेन करते थे इसलिए अभियोगमें साथी हैं और उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं माननी चाहिये। जजने कहा है कि मुकदमेमें ऐसी कोई बात नहीं आयी जिससे प्रोब्लम हो कि वे दोनों महात्मा गान्धीकी हत्याके मामलेमें भी साथी थे। वे हथियारोंका लेनदेन करते थे। इसीलिए तो आपटे-गोडसे उनके पास गये, न करते तो ये क्यों जाते? टैक्सी ड्राइवर ऐतप्पा कोटियनके बारेमें कहा गया है कि वह टैक्सी ड्राइवर है इसलिए पुलिसके प्रभावमें आकर चाहे जैसी गवाही दे सकता है, पर जजने कहा है कि मैं यह नहीं मानता कि टैक्सी ड्राइवर होनेपर वह झूठ ही बोले।

## २० जनवरीतक दिल्लीमें क्या हुआ ?

१७वाँ अध्याय २० जनवरीतक दिल्लीमें जो कुछ हुआ उसके बारेमें है। मेरिना होटलमें ४० नम्बरके कमरेमें १७ जनवरीको १ पेग, १८ को २ पेग और २० को ३ कप अतिरिक्त चाय गयी थी। मेरिना होटलके गोविन्दरामकी गवाहीमें कुछ अस्पष्टता है, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सारी गवाही ही अविश्वसनीय है। पुलिसको बहुतसी गवाहियाँ लेनी थीं इसलिए गोविन्दरामकी गवाही घटनाके दो महीने बाद ली जानेपर भी क्षम्य है। शरीफ होटलके रामलालदत्त और शान्तिप्रकाशकी गवाहियोंमें जो थोड़ा-सा फर्क है वह भी मामूली है और महत्त्वका नहीं। अंगचेकरका बयान ६ इफते बाद लिये जानेपर सफाई पक्षने आपत्ति की है, पर अंगचेकर रजिस्टरमें अंगाचारी हो गया था और ४ मार्चतक उसका पता नहीं लग सका। उस दिन साबन्तवाडीमें उसका पता लगा और वह ८ मार्चको बम्बई लाया गया और तुरन्त उसका बयान लिया गया। वह देर भी आपत्तिजनक नहीं। गवाहीसे यह बात प्रमाणित है कि २० जनवरीको ऊपर जंगलेवाली और मूँगिया रंगकी जिस कारमें बैठकर अभियुक्त विड़ला-भवन गये थे उसकी तलाशमें पुलिस ४ फरवरीसे पहले ही थी। ४ फरवरीको कारका पता लगा। सुरजीत सिंहकी टैक्सीका नं० पी.

की. एम. ६०१ है। मनोहरविंदने कारका नम्बर पी. एल. एच. १४३५ बताया था और यह बात पुलिसकी परती रिपोर्टमें दर्ज है। कतारै पताका करना है कि वह कार सुरजीतविंदकी नहीं थी। 'मनोहरविंद' गवाहीमें पेश नहीं किया गया इसलिए पुलिसकी रिपोर्टमें दर्ज उसका गन्तव्य मंजूर नहीं किया जा सकता। सुबोधना, भून्दि और छोट्टगमकी गवाहियोंमें जो कुछ थोड़ी-थी विरोधी बातें हैं वे महत्वकी नहीं और मुकदमेपर उसका कोई जखर नहीं पड़ता। कुछ गलतियाँ होना स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी घटनाकी आशंका नहीं करता या इसलिए पहलेसे सब कुछ ठीक तरह देखा रखनेके लिए चिन्तित नहीं हो सकता। कारपर आये लोग कारकी दूसरी बगलसे उतरकर पीछे से भाये। कुछ लोग पहलेसे खड़े थे इसलिए कौन कारमें आने इसके बारेमें गलतियाँ होना अस्वाभाविक नहीं है। हिन्दू फ्रांटियर रोडके राममहाश-ने गोपाल गोटसे (गोपालन) के होटलमें आनेका समय २० जनवरी दिनमें ४ बजे दिखा है। गोपाल ६॥ के पहले न आया होगा और भाद्रम होता है कि किसी तरहसे उसने समय ४॥ दिखा दिया। राममहाश उस बात करनेको राजी नहीं है इसलिए उसकी गवाहीके आधारपर कोई ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता।

**२७ जनवरीतक बम्बईमें क्या हुआ ?**

२७ जनवरीतक बम्बईमें जो कुछ हुआ उसके सम्बन्धकी गणकीयोंका विवरण स्वतारहवें अध्यायमें है। टाणाके जी. एम. लोधीकी, कितने पर अभियुक्त बादमें टहरे थे, गवाही नहीं दियार्थी गयी थी। उनके पुत्र वसन्त लोधीने गवाही दी थी। जश्ने लिखा है कि उनके पर लोग टहरे थे इसलिए स्पष्ट है कि उनकी गवाही न दियाना ही ठीक हुआ। कप्तान लोधी गोपाल गोटसेको नामसे तो पहलेसे ही जानता था इसलिए उसके गीवाहीकी शिनाखा नहीं करायी गयी इसमें भी आपत्तिजनक कुछ नहीं है। दादा महाशय और दीपित महाशयकी गवाहियोंसे स्पष्ट है कि २७ जनवरीतक गोपाल-गोटसे एक गिनापरकी लोडमें थे।

**३० जनवरीको आपट्टे कहां था**

३० जनवरीको आपट्टे और परहरेकी दिनांमें उपनिर्णयके दिनांमें ही

गवाहियाँ हुईं उनपर उन्नीसवें अध्यायमें विचार किया गया है। बचाव पक्षकी आपत्तियोंकी अस्वीकार करते हुए जजने कहा है कि दिल्ली स्टेशनके रिटायरिंग रुममें २ आदमियोंकी ठहरनेकी जगहके लिए एक ही आदमी के नाम रसीद दी जा सकती है। मोचीकी गवाही वह केवल मोची होनेके कारण अस्वीकृत नहीं की जा सकती। आपटे करकरने बम्बईके उपनगरोंके ३० और ३१ तारीखके कुछ टिकट पेश किये हैं जो उनके पास १४ फरवरीको गिरफ्तारीके समय बरामद हुए थे। इन टिकटोंके बारेमें रेलवेके टिकट कलेक्टरोंकी गवाहियाँ हुई हैं कि ये टिकट दरवाजांपर बसूल किये गये थे, पर बादमें कहींसे चुपाये गये मालूम पड़ते हैं। आटेने एक तारकी ३१-१-४८ की ग्रांट रोड तारवर बम्बईकी रसीद भी पेश की है। आटेका कहना है कि मैं ३० को खेरे खालियरसे सीधा बम्बई पहुँचा और दिनभर शरणार्थी कैम्पोंमें रहा। रातको बोरीबन्दर आया तो गान्धीजीकी हत्याका पता लगा। ३१ को खेरे चक्रीलोंसे मिलने ग्रांट रोड गया। स्टेशनपर कुमारी मनोरमा साल्वी मिली। उनसे एक तार भेजवाया जो इस प्रकार है—“सेक्रेटरी, हिंदू महासभा दिल्ली—अराइविंग डेली टु अरेंज गोडसेज डिपेन्स”। उसी तारकी यह रसीद है। जजका कहना है कि टिकटों और तारकी रसीदसे यह साबित नहीं होता कि आपटे उस दिन बम्बईमें ही था। सबूतने फौजदारी कानूनकी दफा १६४ के अनुसार कुमारी मनोरमा साल्वीका बयान एक मजिस्ट्रेटके सामने दिलवाया। अदालतमें उसकी गवाही यह कहकर नहीं दिलवायी गयी कि आपटेसे उसकी बहुत अधिक दोस्ती है इसलिए वह सच नहीं कहेगी। आपटेको अपनी ओरसे कुमारी साल्वीकी गवाही करानी चाहिये थी। आपटेने एक चिट्ठी, एक लिफाफा और एक फोटो भी पेश किया। लिफाफेपर ३०-१-४८ की दिल्लीकी डाककी मुहर और पता ‘डेली हिन्दू रात्रि, पो० बा० ५०३ लक्ष्मीरोड, पूनानं० २’ है। चिट्ठी नारायण आपटेके निजी नामसे है। फोटो गोडसेका है। आपटेका कहना है कि मैं ८ फरवरीसे १० फरवरी तक पुनेमें था और वहींपर गोडसेकी यह चिट्ठी मुझे लिफाफेमें मिली। जजका कहना है कि गोडसेने चिट्ठी भेजी होती तो आपटेके नामसे भेजी होती, पत्रके पतेसे नहीं। लिफाफा किसी दफ्तरके कामकी चिट्ठीका मालूम पड़ता है। उसमें बादमें यह चिट्ठी गोडसेसे लिखवाकर चोरीसे बाहर भेजकर रखवायी गयी मालूम होती है। नगरवाटाने अपनी गवाहीमें

कहा है कि लैम्बनाथक कदम नामका एक परदेदार भारतेयी चिट्ठियों को लेने  
 बाहर दे जाता था। वह इसलिए दरखास्त किया गया और उसके पास कानूनकी  
 मनोरमा खालीके नाम चिट्ठी भी मिली। यह चिट्ठी भी १९११ तक जमाने  
 निर्दोषता साधित करनेके लिए लिखी गयी मान्य होती है।

तीसवाँ अध्याय बहुत छोटा है और आपटे करकरेकी ३१-१-४८ के बाद  
 १३ तक एल्फिंस्टन होटल और जी० एम० जोशीके चरों टारनेकी गवाहीके  
 सम्बन्धमें है। २१वें अध्यायमें खालियरमें २८-१-४८ को हुए कानून और  
 परचुरेके सम्बन्धकी गवाहियोंका विवरण है। सज्जदा कहना है कि आपटे-जोशी  
 २७ की बातको ही दिलीसे खालियर आये। खालियरके गवाहोंने यद्वा-नदककर  
 परचुरेके खिलाफ बातें कही होंगी पर इतना उच्च है कि परचुरे उम दिन किसी  
 सनसनीदार उमाचारकी आशा करते थे, हत्याका उमाचार मुनकर दे बहुत  
 अधिक खुदा हुए, कुछ रक नये और अपने घरपर निहार बैठे। सज्जदा मुस्लिम  
 कर्क गोलमलकरकी गवाही साथी कानूनकी दता ३६ और १४४ के अनुकूल  
 ही बतायी।

### परचुरेका इक्याली बयान और नागरिकता

महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डके फौजदारी २२वाँ अध्याय परचुरेके इक्याली  
 बयानके सम्बन्धमें है। सज्जदा कहते हैं पक्षकी यह बात नहीं मानी कि नॉन्सेट  
 अटलको दिलेके अन्दर सैनिक गिरफ्तमें बंद परचुरेसे इफ्तला करानेका कोई  
 अधिकार नहीं था। सज्जदा साक्षी कानूनकी दता १५९ और १६० की भी  
 चर्चा की है और कहा है कि लिखित इक्याली बयान धरानपट्टे केबलमें  
 शामिल करनेमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। परचुरेके इक्याली बयानके  
 मुख्य बातें देनेके बाद सज्जदा कहा कि यह समझनेका कोई आधार नहीं है कि  
 इसे परचुरेने धरनी छुपीये नहीं लिखाया और उनसे केवल बदरदर्दी इफ्तला  
 कराये गये।

२१वाँ अध्याय परचुरेके नागरिकता का राष्ट्रीयताके सम्बन्धमें है। सज्जदा  
 फौजदारी कानूनकी दता १८८ और १९१४ के विधिगत प्रमाणन कानूनकी  
 कानूनकारों देकर बताते हैं कि दत्तानेव परचुरेके जन्मके समय पश्चिम कानून  
 विधिगत प्रमाणन से इसलिए दत्तानेव परचुरे भी भारतमें बसे विधिगत प्रमाणन

हुए। कुंडलीसे मालूम होता है कि भी सदाशिव परचुरेका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल ६ संके १९१६ या सन १८५९-६० में पूनेमें हुआ। साक्षी कानूनकी दफा ३२ (५) (६) के अनुसार यह मंजूर किया जा सकता है। साक्षी कानूनकी दफा ३२ (२) और ९० के अनुसार डेक्कन कालेजका रजिस्टर भस्वीकृत करनेकी सफाई पक्ष कहता है, पर जजका कहना है कि उसी कानूनकी दफा ११४ और ३५ तथा ए. आई. आर. १९३६ लाहौर १०४ के अनुसार इसे स्वीकार किया जा सकता है। जजने जियाजी प्रतापमें छपी सदाशिव परचुरेकी जीवनीको यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि इसको लिखनेवाला अदालतमें पेश नहीं किया गया था।

### मुखबिर बडगेकी गवाही

२४वें अध्यायमें मुखबिर दिगम्बर बडगेकी गवाहीका विश्लेषण किया गया है। सफाई पक्षने यह आपत्ति उठायी थी कि उसे पूर्व-सूचना दिये २१ जूनको बडगेको जो क्षमादान किया गया वह गौरकानूनी है। जजने कहा कि कानूनमें नहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि क्षमादानकी पूर्व-सूचना अभियुक्तको देना आवश्यक है। सफाई पक्षका कहना है कि मुखबिर बडगेको अन्य गवाहोंसे पहले गवाहीके लिए बुलाना चाहिये था। जजने कहा है कि सबूत पक्षने ऐसा किया होता तो और अच्छा होता पर नहीं किया तो कानूनी दृष्टिसे कोई गल्ती नहीं की। कानून कहता है कि मुखबिरकी गवाहीकी पुष्टि अन्य सूत्रोंसे होनी चाहिये। पुष्टि कितनी होनी चाहिये यह परिस्थिति मुखबिर और मामलेपर ही निर्भर रहता है। इस मामलेमें बडगेने १० दिनतक गवाही और जिरहके जिस सफाई दंगसे जबाब दिये वह प्रशंसनीय है। बडगेकी जिन बातोंकी पूरी-पूरी नहीं, पर साधारणतया पुष्टि हुई है उनमें यह है कि उसके घर जो ४ आदमी ९ जनवरीको शस्त्रालय देखने गये थे उनमेंसे दो-को सबूत पक्ष पेश नहीं कर सका। सबूत पक्ष कहता है कि हूँदनेपर भी उनका पता नहीं मिलता। यदि वे मिले होते तब भी अभियुक्तके साथीकी तरह ही उनकी भी गवाही होती। अभियुक्त विनायक डी. सावरकरकी शिनाख्तके बारेमें मुखबिरकी गवाहीकी पुष्टि बिल्कुल नहीं हो सकी है। सबूत पक्षने मुखबिरके बयानके आधारपर ही सावरकरपर मुकदमा चलाया है और उसका कहना है कि कुमारी मोडक और

शावरर पेतप्याकी गवाहीसे बडगेकी गवाहीकी अंशतः पुष्टि होती है । पर सावरकररदनमें केवल सावरकर ही नहीं रहते, भिटे और दामने भी रहते हैं । सावरकरके इस कथनकी कि 'यशस्वी होऊन या' किसी और गवाहसे पुष्टि नहीं हो सकी है । सावरकरके ये बातें कहनेके पहले आपटे, गोल्मेकी उनसे क्या बातें हुईं उसका भी पता नहीं । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ये सब गान्धीजीके हत्याके पद्यन्त्रके सिलसिलेमें ही कही गयी थीं । इसलिए सावरकरके बारेमें निर्णय करते हुए मुखविर बडगेकी गवाहीपर आधारित रहना ठीक नहीं होगा ।

### पद्यन्त्र यदि हुआ तो किन लोगोंने किया

२५वें अध्यायका शीर्षक है 'पद्यन्त्र यदि हुआ तो किन लोगोंने किया ?' अभिसुक्त १७ और २० के बीच विभिन्न रास्तोंसे दिल्ली पहुँचे । दोमे व्यक्ति अभिसुक्त किसी एक मार्गसे नहीं आये । मदनलालकी गिरफ्तारीके बाद रातको सब लगी दिन या दूसरे दिन दिल्लीमें चढे गये । राईमें लोग ठाणामें प्रहस हुए । फिर दिल्ली आये । नथूरामका कहना है कि कोई पद्यन्त्र नहीं बना गया, मैंने अकेले ही गून किया । आपटेका कहना है कि मैं २० को नथूरामके साथ दिल्लीमें केवल प्रदर्शन करने आया था । हरदरे कहता है कि यह मदनलालके कहनेसे उसकी शादी और छेपुटेशनके सिलसिलेमें आया । मदनलाल भी यही कहता है—और कहता है कि दिल्लीमें शरणार्थी शिविरमें रहनेसे उसे दशगोले और गनफायनका टुकड़ा दिया । सावरकरका है कि मैं आपटेके बारेमें कुछ नहीं जानता, जो कुछ मुझे मेरा मज्जिक पता था, मैं दूंगा था । गोपाल गोल्मे कहता है कि मैं १७ से २५ जनवरी तक लुट्टेपर उड़ता था । सावरकर कहते हैं कि यदि कोई पद्यन्त्र था तो भी मेरा उसके बारेमें सम्बन्ध नहीं था और आपटे-गोल्मेपर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं था । आपटेका कहना है कि आपटे-गोल्मे सम्बन्धक मौजने जामें थे ।

द्वारा पत्रने इस बातका कोई जवाब नहीं दिया था कि आपटेके जामें दोनों बीमोंका उनकाभितार क्यों कर दिया । गोल्मे अपनेसे दूरेका नाम नहीं रखे, सब लोग २० को एक साथ दिल्ली-भारतमें जैसे प्रहस हुए और विस्फोटकी समय एक एक नाम नहीं जाने, यह भी नहीं जाना गया है ।

गया है, पर कहा गया है कि वे दोनों रिवाल्वर मित्र नहीं इसलिए यह अभियोग साबित नहीं हुआ।

तीसरा अभियोग इन्हीं लोगोंपर २ बास्की, २ रॉकेटकॉर्ड और ५ इन्फान्ट्री रखने, ले जाने और रखने ले जानेमें मदद करनेके कारण विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और ६, दफा ५ या दफा ६ युक्त दफा ५ के अनुसार लगाया गया है और वे दोषी पाये गये।

चौथा अभियोग मदनलालपर विस्फोट कानूनकी दफा ३ के अनुसार विस्फोट करने और अन्योंपर विस्फोटमें मदद करनेके कारण दफा ३ और ६ के अनुसार लगाया गया है और वह दोषी पाया गया।

पाँचवाँ अभियोग इन्हीं लोगोंपर २० जनवरीको हत्या करनेका प्रयत्न करनेका, जो असफल हुआ, ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ और २१५ का लगाया गया है और वे दोषी पाये गये हैं।

छठाँ अभियोग गोडसे और आपटेपर २८-२९ जनवरी १९४८ को बिना लाइसेंसके ग्वालियरसे दिल्ली ६०६८२४ नं० का ओटोमेटिक पिस्तौल और कारतूस लानेके कारण हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) या भारतीय दण्डविधानकी दफा १४४ के साथ हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) का लगाया गया है और दोनों दोषी पाये गये। परचुरेपर भी यह अभियोग लगाया गया, पर चूँकि वह ग्वालियरमें रहता था इसलिए १९ (सी) का अभियोग वहाँ उसपर नहीं लग सकता। गोडसेपर दिल्लीमें पिस्तौल रखनेके कारण हथियार कानूनकी दफा १९ (एफ) के और आपटे-करकरके उसके साथ रहनेके कारण ताजीरात हिन्दकी दफा १४४ के साथ हथियार कानूनकी दफा १९ (एफ) का अभियोग लगाया गया और वे दोषी पाये गये।

सातवाँ अभियोग गोडसेपर जान बूझकर हत्या करनेका भा० दं० वि० ३०२ के अनुसार मदद करने तथा आपटे, करकरे, गोपाल और परचुरेपर हत्यामें मदद करनेके कारण दफा ३०२ और १०९ का है और वे दोषी पाये गये। आपटे-करकरेकी ३० जनवरीको बिड़ला-भवनमें उपस्थिति साबित नहीं की जा सकी, उनके केवल दिल्ली स्टेशनपर उपस्थित होनेकी बात सिद्ध हो चुकी

के शकिये उनपर दफा १०२ और ११४ का अभियोग नहीं बना गया, पर दफा ३०२-१०९ उनपर भी लगी है। बबरो और शंकर २० जनवरी के बाद परदेस से अदवा हो गये। गोपाल परदेस में बना रहा। मदनलाल गिरफ्तार हो चुका था। परचुरेको यदि हम शकियरका मानें तब भी हत्या दिल्लीमें हुई, शकिये उनपर दिल्लीमें हत्या-मददका मुकदमा चल सकता है ( १३ दि. कां० न० ४२६ और २९ दि० ला० न० १०८९ ) ।

इस प्रकार हर एक अभियुक्तपर अलग-अलग इस प्रकार धाराएँ लगीं—

नय्याम गोबसे—(१) १२० (बी)—३०२, (२) ६० १९ (बी) का ११४-६० १९ (सी), (३) ६० १९ (एफ), (४) वि ५ या वि ५-६, (५) वि ४ बी-६, (६) वि ३-६, (७) ११५-३०२ तथा (८) १०९

आपटे—(१) १२० बी-३०२, (२) ६१९ बी का ११४-६१९ सी, (३) ११४-६१९ (एफ), (४) वि ५ या वि ५-६, (५) वि ४ बी-६, (६) वि ३-६ (७) ११५-३०२ तथा (८) १०९-३०२

काकरे—(१) १२० बी-३०२, (२) ११४-६१९ एफ, (३) वि ५ या वि ५-६, (४) वि ४ बी-६, (५) वि ३-६, (६) ११५-३०२ तथा (७) १०९-३०२

मदनलाल—(१) १२० बी-३०२, (२) वि ५ या वि ५-६, (३) वि ४ बी-६, (४) वि ३ तथा (५) ११५-३०२

शंकर—(१) १२० बी-३०२, (२) वि ५ या वि ५-६, (३) वि ४ बी-६, (४) वि ३-६ तथा (५) ११५-३०२

गोपाल—(१) १२० बी-३०२, (२) वि ५-६, (३) वि ४ बी-६, (४) वि ३ या वि ५-६, (५) ११५-३०२ तथा (६) १०९-३०२

परचुरे—(१) १२० बी-३०२ तथा (२) १०९-३०२

मुकदम अभियोग दफा १२० बी-३०२, ११५-३०२ और ११९-३०२ के हैं। ब्याप परकी कोसे कहा गया है कि हेमिदा कोइनामी



कानूनके अनुसार हत्या हो जानेपर हत्याके अभियोगमें षड्यन्त्रका अभियोग मिल जाता है। भारतमें दोनों अभियोग अलग अलग लगाते हैं, पर षड्यन्त्रमें सहायताके अभियोगमें सजा देनेके बाद षड्यन्त्रके अभियोगमें सजा नहीं देते। इसी तरह मेरी रायमें जिनपर ११५-३०२ और १०९-३०२ के दोनों अभियोग हैं उन्हें एक ही अभियोगमें सजा सुनानी चाहिये। पर जहाँ १२० बी-३०२ तथा ११५-३०२ के दो अभियोग हैं वहाँ दोनोंमें सजा सुनानी पड़ेगी क्योंकि पहले अभियोगमें कमसे कम सजा आजीवन कालापानी है और दूसरेमें अधिकसे अधिक ७ साल कैद है।

नधूरामने जानबूझकर और सोचसमझकर महात्मा गान्धीकी हत्या की। इसलिए उसे दफा ३०२ के अनुसार केवल मौतकी ही सजा दी जा सकती है। आपटेका हत्यामें सहायताका कार्य कम घृणित नहीं था। अपराधके हर मौकेपर वह अगुवा रहता था और जब असल काम करनेका मौका आता तो यह या तो भाग जाता या नैरहाजिर रहता था। यदि उसका दिमाग काम न करता तो सम्भवतः हत्या हुई ही न होती। इस स्थितिमें भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १०९-३०२ के अनुसार उसे केवल मृत्युदण्डकी ही सजा दी जा सकती है। करकरे, गंगाल और परचुरेको १०९-३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा दी जाय तो, मैं समझता हूँ कि न्याय हो जायगा। इन चारोंके अनुसार इससे कम सजा कोई दी ही नहीं जा सकती। मदनलाल और शंकर किस्तियाको दफा १२० बी-३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा देना न्यायकी दृष्टिसे ठीक होगा। यही इस धाराकी कमसे कम सजा है। दफा ११५-३०२ के अनुसार दोनोंको ७-७ सालकी सजा देना ठीक होगा। शंकर बडगेका नौकर है और उसने जो कुछ किया ज्यादातर अपने मालिकके आदेशसे किया। वहगे न होता तो अन्य अभियुक्त शंकरको कभी षड्यन्त्रमें शामिल होनेकी न कहते। वह दयाका पात्र है इसलिए उसकी दफा १२० बी-३०२ की सजा फौजदारी कानूनकी दफा ४०१ और ४०२ के अनुसार ७ सालकी कड़ी कैदकी करनेकी सिफारिश करता हूँ। अन्य अभियोगोंमें अभियुक्तोंको न्यायकी दृष्टिसे अभियोगोंके क्रमानुसार ये सजाएँ देना ठीक होगा—





